माला, खंड 11, अंक 9

गुरुवार, 30 नवम्बर, 2000
9 अग्रहायण, 1922 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.

NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवाँ सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No.
Date

(खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 9, गुरुवार, 30 नवम्बर, 2000/9 अग्रहायण, 1922 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 165, 167 और 168	1–32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 166 और 169 से 180	32–44
अतारांकित प्रश्न संख्या 1766 से 1995	44–266
सभा पटल पर रखे गए पत्र	267–270
राज्य सभा से संदेश	271
रेल संबंधी स्थायी समिति	
की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथा और पांचवां प्रतिवेदन	272
कार्यमंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	272
किसानों और कृषि श्रमिकों की समस्याओं के बारे में	273–296
सरकारी विधेयक–पुर:स्थापित	296–303
(एक) बीमा विधि (कारबार का अंतरण और आपात उपबंध) निरसन विधेयक	296
(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक	299
नियम 377 के अधीन मामले	304–309
(एक) राजस्थान सरकार को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए स्वीकृत केन्द्रीय निधियों का पुनर्विनियोग न किए जाने के लिए निर्देश दिए जाने की आवश्यकता	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	304
(दो) कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों, विशेष रूप से लम्बी अवधि से संवेदनशील पदों पर नियुक्त, को स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	304
(तीन) जम्मू-कश्मीर में भारत-पाकिस्तान सीमा पर रह रहे लोगों के लिए वित्तीय सहायता और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
वैद्य विष्णु दत्त शर्मा	305
(चार) नागालैण्ड में नागिनीमोर और तुएनसांग बरास्ता मोन के बीच सड़क का रख-रखाव सीमा सड़क संगठन द्वारा किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.ए. सांगतम	305

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित+ चिह्न इस बात को द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(पांच) कर्नाटक में अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	306
(छः) महाराष्ट्र में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रकांत खैरे	306
(सात) तिरूनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
श्री पी.एच. पांडियन	307
(आठ) बेगूसराय जिले के जयमंगलगढ़ के विकास के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीवन सिंह	308
(नौ) हिमाचल प्रदेश सरकार को सोलन जिले में सिंचाई हेतु जल प्रबंधन के लिए धनराशि प्रदान किये जाने की आवश्यकता	
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य	308
(दस) केरल राज्य में विदेशों, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए और अधिक विमान सेवाएं शुरु किए जाने की आवश्यकता	
श्री रमेश चेन्नितला	309
(ग्यारह) मोकाना और फरक्का के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 का उचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजो सिंह	309
आप्रवास (वाहक-दायित्व) विधेयक–पारित	309–327
विचार करने के लिए प्रस्ताव	309
श्री ईश्वर दयाल स्वामी	309
श्री रमेश चेन्नितला	311
प्रो. रासा सिंह रावत	312
श्री अबुल हसनत खां	314
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	315
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	317
श्री पवन कुमार बंसल	319
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	321
खण्ड 2 से 10 और 1	327
पारित करने के लिए प्रस्ताव	327
केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक	328–337
विचार करने के लिए प्रस्ताव	328
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	328

विषय	कालम
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी	328
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	331
श्री खारबेल स्वाईं	337
नियम 193 के अधीन चर्चा	337
देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई जान-माल की हानि	337
श्री सोमनाथ चटर्जी	338
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	352
श्री पी.एच. पांडियन	358
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी	363
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	369
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	376
श्री मोइनुल हसन	380
श्री रघुनाथ झा	384
श्री रवि प्रकाश वर्मा	386
श्री रघुवीर सिंह कौशल	388
श्री पूर्णो ए. संगमा	391
श्री अनन्त गुढ़े	396
श्री अधीर चौधरी	398
श्री नवल किशोर राय	400
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	402
श्री ए. कृष्णास्वामी	404
श्री अजय चक्रवर्ती	407
श्री प्रसन्न आचार्य	409
श्री जोवाकिम बखला	411
श्री पी.एस. गढ़वी	413
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	414
श्री अमर राय प्रधान	416
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	417
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	418
श्री हरिभाऊ शंकर महाले	419
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	419
श्री रामदास आठवले	421
श्री नीतीश कुमार	423

लोक सभा

गुरुवार, 30 नवम्बर, 2000/9 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 161.

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): आज शून्य काल में मैं पांडिचेरी और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में हुई बरबादी का मुद्दा उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.1/2 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के स्मारकों की सूची

***161. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रत्येक सर्किल में स्थित सभी पुरातत्व महत्व के स्मारकों की सूची तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में अनेक संरक्षित स्मारकों के लिए कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है और उनकी उचित देखभाल और उनके संरक्षण तथा परिरक्षण हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान धनराशि भी आबंटित नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान वर्ष के दौरान उनके परिरक्षण हेतु राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं/ कितनी धनराशि आवंटित करने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) और (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सम्पूर्ण भारत में 3606 स्मारकों और स्थलों तथा रखरखाव करता है। पिछले तीन वर्षों के लिए धनराशियों के आबंटन तथा व्यय का विवरण संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। वर्तमान वर्ष के लिए आबंटन संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। अधिक बजट आबंटन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अपने आवश्यक कार्यों के निष्पादन में सहायता प्रदान करेगा।

सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्कृति निधि में कल्पना की गई है कि व्यक्ति, समुदाय तथा कारपोरेट हस्तियां, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को स्मारक के संरचनात्मक संरक्षण और उसके आस-पास सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता कर अपना योगदान दे सकते हैं। हुमायूं के मकबरे के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पहले ही निष्पादन के अधीन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उनन्यन के लिए 34 स्मारकों का भी अभिनिर्धारण किया है।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्मारकों के रखरखाव के लिए राज्यवार आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	83,93,000 रु.	84,98,038 रु.	1,23,40,000 रु.
2.	असम	31,82,729 रु.	32,78,037 रु.	62,05,661 रु.
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-

1	2	3	4	5
4.	बिहार	1,38,67,300 रु.	60,91,473 रु.	1,15,69,951 रु.
5.	दिल्ली	2,61,00,000 रु.	3,41,98,128 रु.	3,00,48,689 रु.
6.	दमन और द्वीप	23,70,132 रु.	15,91,791 रु.	20,25,000 रु.
7.	गोवा	32,91,000 रु.	24,56,771 रु.	47,35,000 रु.
8.	गुजरात	59,18,855 रु.	72,95,718 रु.	79,63,075 रु.
9.	हरियाणा	81,13,353 रु.	73,20,093 रु.	63,21,837 रु.
10.	हिमाचल प्रदेश	42,51,424 रु.	81,83,658 रु.	1,05,75,016 रु.
11.	जम्मू एवं कश्मीर	73,79,000 रु.	77,99,992 रु.	96,00,000 रु.
12.	कर्नाटक	1,67,44,275 रु.	1,71,12,209 रु.	2,52,12,000 रु.
13.	केरल	45,78,000 रु.	54,00,329 रु.	50,67,937 रु.
14.	मध्य प्रदेश	1,43,44,901 रु.	1,42,17,372 रु.	1,88,99,884 रु.
15.	महाराष्ट्र	81,47,000 रु.	1,53,01,025 रु.	1,39,00,000 रु.
16.	मणिपुर	–	–	3,93,790 रु.
17.	मेघालय	–	98,781 रु.	–
18.	नागालैंड	2,19,518 रु.	14,70,828 रु.	2,66,222 रु.
19.	उड़ीसा	37,51,680 रु.	50,78,001 रु.	1,08,00,000 रु.
20.	पांडिचेरी सं.रा. क्षेत्र	2,58,464 रु.	5,68,633 रु.	1,80,219 रु.
21.	पंजाब	76,38,670 रु.	37,42,972 रु.	39,03,915 रु.
22.	राजस्थान	1,73,00,000 रु.	1,22,00,000 रु.	1,61,00,000 रु.
23.	सिक्किम	14,87,186 रु.	24,995 रु.	30,20,000 रु.
24.	तमिलनाडु	1,00,77,240 रु.	88,10,025 रु.	1,10,57,025 रु.
25.	त्रिपुरा	6,98,952 रु.	5,83,476 रु.	21,20,830 रु.
26.	उत्तर प्रदेश	2,83,57,890 रु.	3,17,09,672 रु.	3,70,00,000 रु.
27.	पश्चिम बंगाल	97,91,000 रु.	69,64,453 रु.	1,00,00,000 रु.

विवरण-2

वर्ष 2000-2001 के लिए आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	
1	2	
1.	आन्ध्र प्रदेश	117.00 लाख
2.	असम	113.94 लाख
3.	अरुणाचल प्रदेश	7.62 लाख
4.	बिहार (झारखंड राज्य सहित)	109.42 लाख

1	2	
5.	दिल्ली	300.00 लाख
6.	दमन और द्वीप	20.91 लाख
7.	गोवा	51.25 लाख
8.	गुजरात	92.59 लाख
9.	हरियाणा	65.00 लाख
10.	हिमाचल प्रदेश	156.35 लाख
11.	जम्मू एवं कश्मीर	103.50 लाख
12.	कर्नाटक	208.00 लाख
13.	केरल	50.30 लाख
14.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ राज्य सहित)	156.66 लाख
15.	महाराष्ट्र	153.35 लाख
16.	मणिपुर	1.25 लाख
17.	मेघालय	0.55 लाख
18.	नागालैंड	3.50 लाख
19.	उड़ीसा	101.35 लाख
20.	पांडिचेरी सं.रा. क्षेत्र	2.00 लाख
21.	पंजाब	45.43 लाख
22.	राजस्थान	165.00 लाख
23.	सिक्किम	53.50 लाख
24.	तमिलनाडु	144.70 लाख
25.	त्रिपुरा	19.27 लाख
26.	उत्तर प्रदेश (उत्तरांचल राज्य सहित)	376.00 लाख
27.	पश्चिम बंगाल	130.45 लाख

श्री पी.डी. एलानगोवन: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह सूचित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु के संरक्षित स्मारकों वेल्लौर फोर्ट, मामाल्लापुरम व गिन्जी फोर्ट की मरम्मत और संरक्षण के लिए और अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। क्या सरकार इस कार्य के लिए अपने पास से या राष्ट्रीय संस्कृति निधि से और धनराशि आबंटित करेगी? मैं यह जानना चाहता हूं कि मामाल्लापुरम जैसे संरक्षित स्मारकों में अतिक्रमण तथा जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

श्री अनन्त कुमार : इस वर्ष हमने अनेक स्मारकों के उन्नयन तथा संरक्षण के लिए आयोजना खर्च के रूप में 31 करोड़ रुपये दिए हैं। दूसरे, मैं इस सभा को सूचित करना चाहता हूं कि तमिलनाडु के अनेक स्मारकों तथा विरासत में मिले स्थलों के लिए, माननीय सांसदों के सक्रिय सहयोग तथा राष्ट्रीय संस्कृति निधि की विशेष प्रयोजन वाहिका के माध्यम से हम पर्याप्त संसाधन जुटा सकते हैं। हम इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

श्री पी.डी. एलानगोवन : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ताज महल जैसे संरक्षित स्मारकों से होने वाली आय को उसके विकास संबंधी कार्यों के लिए क्यों नहीं खर्च किया जा रहा है?

श्री अनन्त कुमार : सरकारी वित्त के सिद्धान्त के अनुसार स्मारकों से एकत्रित किया गया शुल्क सामान्य राजकोष में जमा कर दिया जाता है। स्मारकों के विकास तथा अन्य कार्यों के लिए धन भारत सरकार देती है। इस मंत्रालय द्वारा इस मामले पर ध्यान देने के लिए वित्त मंत्रालय से बात की गई है। इस मंत्रालय का यह विचार है कि स्मारक से एकत्रित किया गया शुल्क 'डेडिकेटेड फण्ड' के रूप में रखा जाना चाहिए तथा इस धन को पुनः भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनेक स्थलों के विकास के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अर्थाभाव या वित्तीय संकट के कारण जिन प्राचीन महत्व के स्थानों की देख-रेख शासन द्वारा नहीं हो पा रही है, ऐसे कुछ स्थानों की यदि कोई स्वैच्छिक संगठन या कोई कंपनी देखभाल करना चाहती है, तो क्या उसको अनुमति दी जाएगी या मंत्री महोदय ऐसी अनुमति देने पर विचार करेंगे?

श्री अनन्त कुमार : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय संस्कृति निधि के द्वारा अभी-अभी हमारे माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, श्री राम नाईक जी ने इंडियन ऑयल कारपोरेशन से 25 करोड़ रुपए का एक पूंजी निवेश करने का भरोसा दिलाया है और प्राइवेट कंपनियां, निजी कंपनियां, शैक्षिक संस्थाएं, राष्ट्रीय संस्कृति निधि के द्वारा ऐसे प्राचीन स्थानों का रक्षण और वृद्धि करने के लिए आगे आ सकती हैं। इनमें एन.जी.ओज. भी शामिल हैं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि

पुरातात्विक महत्व के बहुत से हमारे स्मारक हैं जिनकी मैंटिनेंस और संरक्षण किया जाता है, लेकिन जैसा मैंने पिछले सत्र में भी एक प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित किया था कि इन स्मारकों की सफाई में जिस प्रकार के रसायनों का उपयोग हो रहा है और जिस प्रक्रिया से किया जा रहा है इससे इन स्मारकों की पर्तों का क्षरण हो रहा है और गुणवत्ता तथा सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में आपने कोई जांच कराई है और यह भी देखा है कि इन स्मारकों के रख-रखाव के लिए कौन सी नई पद्धति विकसित की जाये जिनसे इनका क्षरण और उनकी गुणवत्ता में गिरावट न आवे? क्या आपने इस पर कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं तो क्या आगे करने का विचार रखते हैं?

श्री अनन्त कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने इस विषय को पिछली बार भी उठाया था। हम ऐसी कोई रासायनिक वस्तु का उपयोग नहीं कर रहे हैं जिससे उनको हानि हो। यदि कोई स्पेसीफिक घटनायें हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: पिछली बार मैंने आपको खजुराहो के बारे में बताया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यही समस्या है। यदि आपने कोई पूरक प्रश्न पूछा है तो आपको मंत्री महोदय का उत्तर पूरा सुनना चाहिए। इसके बाद आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं तो आप उसमें व्यवधान डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अनन्त कुमार : हमारे यहां एक नैशनल लेबोरटरी फॉर कन्जर्वेशन है। वे वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा जो तय करते हैं, उसी केमिकल और कन्जर्वेशन मैथेडोलॉजी को हम यूज करते हैं।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, हाल ही में इन स्मारकों के प्रवेश शुल्क में वृद्धि की गई है जिससे कुछ समस्यायें पैदा हो गई हैं। उदाहरण के लिए आगरा में स्तिथ ताजमहल में उन लोगों से भी शुल्क एकत्रित किया जाने वाला है जो वहां नमाज पढ़ने जाते हैं। वहां नमाज अदा करने जाने वालों पर इस प्रकार शुल्क लगाना अनुचित है।

अब, यदि आप यह कहते हैं कि इन व्यक्तियों को शुल्क देने से छूट दी जाती है तो वह कार्यप्रणाली क्या है जिससे कि उन्हें छूट दी जा सकती है? यदि यह कहा जाए कि उनकी पहचान की जाए तो यह कार्य अत्यन्त कठिन होगा कि कौन नमाज अदा करने जा रहा है और कौन नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न शुल्क एकत्रित करने से नहीं बल्कि स्मारकों के संरक्षण से संबंधित है।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, आपने ठीक कहा है, इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न के साथ कोई मतलब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हां।

श्री अनन्त कुमार : लेकिन ताज महल में उन मुस्लिम भाइयों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है जो कि ताजमहल के नजदीक स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए वहां जाने की विशेष व्यवस्था है। विशेष प्रावधान है। उनसे किसी प्रकार का स्मारक शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

श्री बी. वेंकटेस्वरलु : महोदय, देश में संरक्षित इन 3,606 स्मारकों और अन्य स्थलों में से अनेकों में अतिक्रमण किया गया है तथा वे विवाद में हैं। हमें इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला है। ये अतिक्रमण तथा विवाद अभी कुछ दिन पहले तक हल नहीं हुए थे। इन स्थानों से अतिक्रमण हटाने के लिए उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त अनेक स्मारकों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। जब वहां तैनात सम्बद्ध कर्मचारियों से इसके बारे में पूछा गया तो यह ज्ञात हुआ कि 'डेडिकेटेड फण्ड' जो कि उपयोग में लाया जाता है, एकत्र किया जा रहा है और उसे अन्यत्र आवंटित कर दिया जाता है।

क्या सरकार का ऐसा कोई इरादा है कि किसी स्मारक विशेष से एकत्रित किये गए धन के कुछ भाग को उसी के रख-रखाव के लिए आवंटित किया जाए क्योंकि यदि उनके महत्व को ध्यान में रखा जाए तो कुछ इस प्रकार के स्मारक हैं जिनसे कि और अधिक धनराशि एकत्रित की जा सकेगी? क्या ऐसा किया जाएगा?

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि बोर्रा केवस् और गोलकुण्डा स्मारक जो कि आन्ध्र प्रदेश में हैं, उचित रुप से संरक्षित नहीं किए जा रहे हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में स्थित इन स्मारकों के संरक्षण के लिए कोई योजना बनाने वाली है।

श्री अनन्त कुमार : पूरे देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास 3606 स्मारक हैं। राज्य सरकारों के संरक्षण में 20,000 से अधिक स्मारक हैं। हम इन स्मारकों के लिए सुरक्षा संबंधी सुविधाएं दे रहे हैं। वहां 3463 स्मारक परिचर हैं। हमने 26 महत्वपूर्ण संरक्षित स्मारकों के लिए 671 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड भी ले रखे हैं।

मैं इस सम्माननीय सभा के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि स्मारकों में अतिक्रमण से संबंधित 298 मामलों की जानकारी है और कानूनी कार्रवाई के माध्यम से 14 स्मारकों से अतिक्रमण हटवाए जा चुके हैं। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि इसके लिए हमें न्यायालय जाना पड़ता है, हमें जिलाधीश के पास जाना पड़ता है तथा और अनेक कार्रवाई करनी पड़ती है।

एक अन्य प्रश्न में माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि किसी स्मारक से एकत्रित किया गया शुल्क केवल उसी स्मारक के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : उस स्मारक से प्राप्त शुल्क का कम से कम कुछ भाग।

श्री अनन्त कुमार : मैंने पहले ही यह कह दिया है कि सरकारी वित्त के सिद्धांत के अनुसार भारत सरकार के किसी भी सम्बद्ध कार्यालय द्वारा एकत्रित किया गया धन सामान्य राजकोष में जमा किया जाएगा तथा फिर बजट के माध्यम से यह वापस मिलेगा - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय है। इसलिए, हम वित्त मंत्री महोदय के समक्ष यह तर्क दे रहे हैं कि किसी स्मारक से एकत्रित किए गए शुल्क को पुन: वापसी निधि के माध्यम से उसी स्मारक के उन्नयन के लिए दिया जाना चाहिए।

अन्तत:, ये जो दो स्मारक बोर्रा और गोलकुण्डा के हैं इसमें से गोलकुण्डा में काफी परिवर्तन हो गए हैं, वहां जमीन की खुदाई तथा बागवानी देखी जा सकती है। गोलकुण्डा बहुत घना तथा हरा हो गया है और देखने में सुन्दर लगता है। हम इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : विजाग में स्थित बोरा की गुफाओं के विषय में क्या किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी इस पर पहले ही विस्तारपूर्वक उत्तर दे चुके हैं।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, कोणार्क के सूर्य मंदिर तथा उड़ीसा के ब्लैक पेगोडा के 30 किमी. के दायरे में, मुख्यत: प्राची घाटी के क्षेत्र में, अनेकों प्राचीन स्मारकों की अभी तक पहचान नहीं की गई है एवं उन्हें पंजीकृत नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्राची घाटी क्षेत्र में स्थित इन महत्वपूर्ण स्मारकों की पहचान करने, उन्हें पंजीकृत करने तथा उनके संरक्षण एवं मरम्मत के लिए कोई कदम उठाएगी।

श्री अनन्त कुमार : महोदय, वास्तव में यह सूची अखिल भारतीय स्तर पर बनाई जाती है। 1997 तक इन स्मारकों की सूची मंडलवार तैयार की जाती थी। 18 मंडल तथा दो लघु-मंडल हैं। सामान्यत: सूचियां ये मण्डल ही रखते हैं। 1998 में हमने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दो पूर्व महानिदेशकों के नियंत्रणाधीन एक समिति का गठन किया। अब ये सूचियां अखिल भारतीय स्तर पर तैयार की जाती हैं। उड़ीसा जिस मंडल में आता है, वह इस पर ध्यान देगा।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या माननीय मंत्री जी इसका पुनरीक्षण करने की कृपा करेंगे?

श्री अनन्त कुमार : यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मेरा अनुमान है कि अगले डेढ़ वर्षों में हम इस परियोजना को पूरा कर लेंगे।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या माननीय मंत्री महोदय खासतौर पर प्राची घाटी क्षेत्र पर विचार करेंगे।

श्री अनंत कुमार : उन सभी स्मारकों का जो भारत सरकार के संरक्षण में हैं, ध्यान रखा जा रहा है। इसके अधीन सभी 3606 स्मारक आयेंगे।

श्री त्रिलोचन कानूनगो : यह इससे बाहर है।

श्री अनंत कुमार : वस्तुस्थिति यह है कि हजारों स्मारक ऐसे हैं जो राज्य सरकारों के अधीन हैं ...*(व्यवधान)*

श्री त्रिलोचन कानूनगो : यद्यपि कि वे राज्य सरकारों के अधीन नहीं हैं, फिर भी वे बहुत ही महत्वपूर्ण स्मारक हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय, यदि आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें तो आप इन सभी विरोधों से बच सकते हैं।

श्री अनंत कुमार : महोदय, बात यह है कि अब स्मारकों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के अधीन सूचीकृत कर दिया गया है। कुछ अन्य स्मारक ऐसे हैं जो न तो राज्य सरकारों और न ही केन्द्र सरकार के अधीन सूचीकृत हैं। लेकिन हम इन स्मारकों के संबंध में भी विचार करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय : अध्यक्ष महोदय, भारत के सभी प्रान्तों में स्मारकों के रख-रखाव के लिए रुपये का आवंटन हुआ है जबकि अंडमान और निकोबार के एक ही सैलुलर जेल, जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ है, के रख-रखाव के लिए आज तक सैंट्रल फंड से ऐलोकेशन नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उसके लिए फंड आवंटित करेंगे या नहीं? आरकियोलैजीकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा रिपेयर की शीघ्र जरूरत है। क्या उस पर ध्यान देंगे? सैलुलर जेल के रिपेयर की शीघ्र जरूरत है। उस पर क्या कार्यवाही करेंगे?

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदय, सेल्युलर जेल एक ऐतिहासिक स्मारक है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार इसकी समुचित देखभाल करेगा। मैं माननीय सदस्य को इस संबंध में विश्वास दिलाता हूं।

श्री टी. गोविन्दन : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से बीकिल फोर्ट, जो कि केरल में स्थित है तथा सर्वाधिक बड़े राष्ट्रीय स्मारकों में से एक है की वास्तविक स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। अब, बी.आर.डी.सी. नाम से एक पर्यटन परियोजना है। सम्पूर्ण भारत तथा बाहर के देशों से बहुत से पर्यटक वहां जाते हैं। बीकिल फोर्ट के विकास तथा संरक्षण और बी.आर.डी.सी. के पर्यटन परियोजना के विकास हेतु केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि दी है?

श्री अनंत कुमार : माननीय सदस्य महोदय को मैं संबंधित सूचना दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री रामशेठ ठाकुर।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, इस विषय पर कृपया आधे घंटे की बहस की अनुमति दें। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना है। पर्यटन एक वृहत उद्योग बनने जा रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे का समय तो अब समाप्त होने वाला है।

श्री अनंत कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर मैं आधे घंटे की चर्चा के लिए तैयार हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आधा घंटा तो पहले ही हो चुका है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामशेठ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण स्थानों और स्मारकों के लिए मंत्री महोदय ने पिछले साल 1 करोड़ 39 लाख रुपये दिए थे और सन् 2000-2001 के लिए 1 करोड़ 53 लाख रुपये दिए हुए हैं। लेकिन वह कितने महत्वपूर्ण स्थानों के लिए है, वह नहीं दिया है। वह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। मुम्बई के पास ऐलीफेंटा नाम का पुरातत्व का महत्वपूर्ण स्थान जो धारापुरी के नाम से जाना जाता है, वहां काफी पर्यटक आते हैं। इसलिए वहां ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। पिछले कुछ दिनों से वहां लाइट नहीं थी और पानी का बंदोबस्त भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से वहां लाइट, पानी का बंदोबस्त कब तक होगा क्योंकि उसका असर राजस्व पर हो रहा है और पर्यटकों पर भी हो रहा है।

श्री अनन्त कुमार : ऐलीफेंटा केव्स के रख-रखाव और बिजली और पानी के बंदोबस्त के बारे में मैं तुरंत ध्यान दूंगा। महाराष्ट्र के हैरीटेज के डैवलपमैंट के लिए नैशनल कल्चर फंड द्वारा आवंटन करने की सोच रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न संख्या 162 । श्री पी.आर. खूंटे।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, अगर प्रश्न नम्बर 162 और 163 एक साथ ले लेंगे तो अच्छा होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय, सदस्य सहमत हों तो प्रश्न संख्या 162 और 163 को एक साथ लिया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री पी.आर. खूंटे।

[हिन्दी]

नई वस्त्र नीति

*162. **श्री पी.आर. खूंटे** :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 नवम्बर, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''गारमेंट सेक्टर ओपेन्ड टु फॉरेन इन्वेस्टर्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई वस्त्र नीति की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) इससे वस्त्र उद्योग और श्रमिकों को क्या-क्या लाभ पहुंचने की संभावना है; और

(च) नई नीति में निर्यात लक्ष्य और रोजगार के अवसर कितने-कितने निर्धारित किए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (च) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। यह परिकल्पना करते हुए कि उभरते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवेश में आमूल परिवर्तनों के लिए क्लोदिंग क्षेत्र तैयार है। राष्ट्री वस्त्र नीति 2000 परिधान उद्योग के आरक्षण को समाप्त करने की व्यवस्था करती है। यह आशा की जाती है कि यह उपाय विदेशी निवेशों सहित व्यापक निवेशों को आकर्षित करेगा।

(ग) से (च) जी हां। सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र नीति - 2000 (एन.टी.एक्स.पी.-2000) की घोषणा की है। नीति में उद्देश्य और लक्ष्य पुन: परिभाषित हैं और यह प्रमुख थ्रस्ट क्षेत्रों पर संकेंद्रित है ताकि उद्योग के सभी विनिर्माण क्षेत्रों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन को सुकर व सक्षम बनाकर वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ तथा विश्व में प्रतियोगी बनाया जा सके; उत्पादकता और गुणवत्ता पर बल देते हुए कच्चे माल के आधार को बढ़ाया जा सके; विकेन्द्रीकृत और परंपरागत क्षेत्रों में कार्यरत समग्र मानव संसाधन का विकास किया जा सके; सुदृढ़ मल्टी फाईबर आधार और नवीनतम विपणन नीतियों से उत्पाद विविधीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके और निर्यात पर प्रमुख थ्रस्ट दिया जा सके। वर्ष 2010 तक वस्त्रों और अपैरल निर्यात का लक्ष्य 50 बिलियन अमरीकी डालर है जिसमें परिधानों का अंशदान 25 बिलियन अमरीकी डालर होगा। जबकि कोई विशिष्ट आंकड़े नियोजित नहीं हैं, फिर भी नीति का उद्देश्य उद्योग के विकास द्वारा निरन्तर रोजगार बढ़ाना है।

[अनुवाद]

घाटे में चल रही एन.टी.सी. मिलों का बंद होना/पुनरुद्धार किया जाना

*163. *श्री के.पी. सिंह देव :
*श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 सितम्बर, 2000 के जनसत्ता में ''एन.टी.सी. की घाटे वाली मिलें बंद की जायेंगी'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार बंद की जाने वाली मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) पुनरुद्धार के लिए किन-किन मिलों की पहचान की गई है और उनके पुनरुद्धार पैकेज का मिल-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन मिलों को बंद किये जाने से कितने मजदूर प्रभावित हुए हैं और उनके पुनर्वास हेतु मिल-वार क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार ने इन मिलों के आधुनिकीकरण के तरीकों का पता लगाने और उन्हें पुन: आरम्भ करने के लिए मजदूर संघों से बातचीत की थी;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऋणों आदि को माफ करके इन मिलों की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु वित्तीय प्राधिकारियों के साथ कोई बातचीत की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार का जूट से कपड़ा, दरी और चटाई बनाने हेतु किसी मिल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (झ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

---

*सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे।

(ख) और (ग) सरकार ने निर्णय लिया है कि एन.टी.सी. के 8 रुग्ण सहायक निगमों के मामले में यूनिट-दर-यूनिट दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और सभी पुनरुद्धार योग्य यूनिटों का पुनरुद्धार किया जाएगा और गैर-पुनरुद्धार योग्य मिलों के कामगारों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना उपलब्ध कराने के बाद बंद कर दिया जाएगा। जिन मिलों को बंद किया जाना है अथवा पुनरुद्धार किया जाना है, उन पर बी.आई.एफ.आर. द्वारा प्रत्येक यूनिट की अर्थक्षमता की जांच करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

(घ) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस मामले पर सूती वस्त्र संबंधी त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति की दिनांक 5.7.2000 को हुई बैठक में मजदूर संघों और उद्योग के साथ विचार-विमर्श किया गया।

(च) और (छ) एन.टी.सी. ने बी.आई.एफ.आर. से अनुरोध किया है कि वह उनकी बकाया राशि का एक ही बार में निपटान करने के प्रति सहमत होने के लिए वित्तीय संस्थानों को निर्देश दें।

(ज) और (झ) जी नहीं।

श्री पी.आर. खुंटे : माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की दुकानों में भरपूर विदेशी कपड़ा हो गया है। विदेशी कम्पनियों द्वारा जिस तरह हमारे देश के कपड़ा बाजार में कपड़ा भेजा जा रहा है और बेचा जा रहा है। उससे हमारे देश का वस्त्र उद्योग बहुत प्रभावित हो रहा है और हम लोग स्वदेशी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूरी विदेशी वस्तुएं और वस्त्रों पर हमारा ध्यान केन्द्रित होता जा रहा है। हमारे देश को आजादी मिले 53 साल हो गये हैं। स्वदेशी की ताकत को स्वर्गीय महात्मा गांधी ने पहचाना था, हालांकि वे आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने विदेशी वस्तुओं को जलाने और कपड़ों को जलाने के लिए अभियान भी चलाया था।

अध्यक्ष महोदय : आप भाषण दे रहे हैं। आप सप्लीमेंटरी नहीं पूछेंगे?

श्री पी.आर. खुंटे : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, उसी पर आधारित प्रश्न कर रहा हूं। आज महात्मा गांधी जी तो हमारे बीच नहीं रहे, वे पूजा की वस्तु बना दिये गये हैं। दो अक्टूबर को ही उनको याद किया जाता है, बाकी दिन उनको हम भूल जाते हैं। यह बहुत ही गम्भीर मसला है, इसको मजाकिया लहजे में न लिया जाये। आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था इसी से चौपट हो रही है, जो पूरे देश के लिए चिन्ता का विषय है। मेरा माननीय मंत्री जी से इसमें प्रश्न यह है कि क्या नई वस्त्र नीति से देश का वस्त्र उद्योग, कुटीर उद्योग और गृह उद्योग को बढ़ावा मिलेगा? हमारे माननीय मंत्री जी बहुत ही संवेदनशील मंत्री हैं, मैं उनसे भलीभांति परिचित हूं। जो हमारे नये छत्तीसगढ़ प्रदेश का गठन हुआ है, वहां कोसा का भारी मात्रा में उत्पादन होता है, जो पूरे देश में मशहूर है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या सारंगढ़ मुख्यालय में हथकरघा उद्योग की स्थापना करने का कष्ट करेंगे?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने विदेशी कपड़े के बारे में बात कही है, भारत के बाजार में विदेशी कपड़ा कम से कम आये या न आये, इसके लिए सरकार बहुत चिन्तित भी है और बहुत सारे स्टैप्स ले भी रही है। इसके साथ-साथ जो नई टैक्सटाइल पॉलिसी, 2000 बनाई गई है, वह इसीलिए बनाई गई है ताकि भारत में भी अच्छे किस्म का कपड़ा बने, यार्न बने, गारमेंट बने। वह हमारे भारत के बाजार में बिके या हमारी जो डिमांड है, उसको पूरा करे। भारत का बहुत बड़ा बाजार है, हमारी सौ करोड़ से ज्यादा की आबादी है। जो विदेशी कपड़ा बनाने वाले या गारमेंट बनाने वाले हैं, उनकी नजर भी भारत के मार्केट पर है। इसके लिए भारत सरकार भी चाहती है कि नई टैक्सटाइल पॉलिसी के तहत इस देश में भी अच्छे किस्म का कपड़ा बने। इतना ही नहीं, हमारी जो मांग है, उसको वह पूरा करे और इसके साथ-साथ वह कपड़े को बाहर भी भेजे, क्योंकि आज भारत के गारमेंट की विदेशी मार्केट में भी बहुत डिमांड है। आज हम टैक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे करीब 14.32 बिलियन डालर मतलब लगभग 60,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा हम भारत में ला रहे हैं, और भी इसमें स्कोप है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हमारे यहां रोजगार भी बढ़ेगा।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सन् 2004 तक हमारा मल्टी फाइबर एग्रीमेंट फेज आउट हो जायेगा। इसके बाद कपड़े का पूरा मार्केट या कोई भी मार्केट बिल्कुल फ्री हो जायेगा और कोई भी देश अगर चाहे तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर कोई भी रैस्ट्रिक्शन नहीं रख सकेगा। इसलिए कपड़ा उद्योग को और भी कॉम्पीटीटिव बनाने के लिए यह टैक्सटाइल पालिसी बनाना बहुत आवश्यक था और इसलिए हमने इसे बनाया है।

जहां तक छत्तीसगढ़ के कोसे का उत्पादन बढ़ाने की बात है। नये-नये राज्य से माननीय सांसद आये हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है। वहां सैरीकल्चर एक्टीविटी का अगर कोई प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आता है या खुद सांसद लाते हैं तो हम उसे जरूर करेंगे। हथकरघा के लिए भी नई टैक्सटाइल पॉलिसी में प्रावधान रखा गया है। हथकरघा को इसमें प्रोटैक्शन देने का प्रावधान है और इतना ही नहीं, उसकी ग्रोथ भी हो और हमारे वीवर्स या कल्याण भी हो, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं रखी गई हैं।

श्री पी.आर. खुंटे : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या नई वस्त्र नीति से देश के कुटीर

उद्योग द्वारा तैयार माल को निर्यात करने का कोई उपाय भारत सरकार ने किया है?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, कुटीर उद्योग, हैंडलूम या ऐसे उद्योग जो वस्त्र उद्योग के तहत आते हैं, उनको न सिर्फ अच्छा बनाने का काम हो रहा है, बल्कि उनके द्वारा तैयार माल निर्यात हो, आज वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण की बात चल रही है, इसलिए वीवर सेंटर स्थापित करने और उनको मजबूत करने का भी प्रावधान हमने रखा है।

[अनुवाद]

श्री जी.एस. बसवराज : रेशम उद्योग जो वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आता है महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। दुर्भाग्यवश कर्नाटक में, अधिकांश किसान गलत आयात नीति के कारण बहुत ही परेशान हैं। कर्नाटक में करीब 50 लाख लोग रेशम उद्योग पर निर्भर करते हैं।

करीब दो साल पहले हम लोग रेशम को 150 रु. प्रति किलोग्राम ककून की दर से बेचते थे। यह घटकर 60 रु. से 65 रु. प्रति किलोग्राम हो गया है। दुर्भाग्य से प्रत्येक किसान रेशम का कीड़ा पालने का कार्य छोड़ने जा रहा है। इसके साथ ही, सिर्फ कर्नाटक के ही नहीं बल्कि पूरे देश के सूत काटने वाले एवं बुनकर बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं।

नयी कपड़ा नीति के अनुसार नीतिगत बिन्दुओं का उद्देश्य तकनीकी विकास, उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, गुणवत्ता सजगता तथा निर्यात में सुधार आदि है। दुर्भाग्यवश आयात की गलत नीति के तहत चीन प्रतिवर्ष इस देश में कच्चे रेशम की खपत करने जा रहा है। इस प्रकार, न केवल कर्नाटक बल्कि पूरे देश के किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु सरकार कच्चे रेशम के आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री काशीराम राणा : जहां तक रेशन के आयात का प्रश्न है मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार की आयात नीति एक गलत नीति नहीं है। क्योंकि देश में रेशम की मांग तकरीबन 24 से 25 हजार मैट्रिक टन की है जबकि रेशम का उत्पादन मात्र 14,000 से 15,000 मैट्रिक टन ही है।

श्री जी.एस. बसवराज : यदि आप किसानों को प्रोत्साहित करेंगे तो हमारा उत्पादन 16,000 मैट्रिक टन हो सकता है। *...(व्यवधान)*

श्री काशीराम राणा : मेरे विद्वान मित्र! मैं आप ही की बात पर आ रहा हूं। कृपया सहयोग करें।

इस प्रकार, मांग और पूर्ति के बीच दस से ग्यारह हजार मी. टन का अंतर है। भारत सरकार रेशम-उत्पादन तथा रेशम के कीड़े पालने संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और हमारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड भी रेशन के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील है। इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम एवं योजनायें चल रही हैं तथा मैं सोचता हूं कि थोड़े समय में ही हमारा देश रेशम की वांछित मात्रा का उत्पादन करने में सक्षम हो जाएगा। किन्तु मांग एवं पूर्ति के इस अंतर के कारण यह आवश्यक व समय की मांग है कि रेशम की कमी को पूरा किया जाये। इसीलिए, सरकार ने रेशम के आयात का निर्णय लिया है। यह निर्णय हमारे रेशम के सूत तैयार करने वालों या रेशम-उत्पादन में लगे लोगों पर प्रतिकूल असर डालने के लिए नहीं है। यह सिर्फ रेशम की कमी को पूरा करने के लिए किया गया है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: वस्त्र उद्योग क्षेत्र में 70 प्रतिशत कपड़ा उत्पादन पावरलूम क्षेत्र से होता है। पावरलूम सेक्टर की स्थिति आज बहुत खराब है। 80 प्रतिशत पावरलूम सेक्टर बंद है। नई वस्त्र नीति में पावरलूम सेक्टर की मदद करने के लिए या उसे राहत देने के लिए सरकार क्या सोच रही है?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि ये 80-90 प्रतिशत पॉवरलूम बंद हैं, मैं यह नहीं मानता लेकिन मैं यह अवश्य स्वीकार करूंगा कि पॉवरलूम जिस तरह से चलना चाहिए था, उतना अभी नहीं चल रहा है लेकिन 80-90 प्रतिशत पॉवरलूम बंद है, मैं यह नहीं मानता। आज भी फैब्रिक, कपड़े का उत्पादन प्रतिवर्ष 8 प्रतिशत या 9 प्रतिशत की दर से बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारा एक्सपोर्ट भी 10-11 प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। फिर भी जो नयी टैक्सटाइल पॉलिसी, 2000 बनी है, उसमें पॉवरलूम सैक्टर के लिए भी मॉडरनाइजेशन और अपग्रेडेशन के लिए तथा साथ-साथ अन्य सुविधा जैसे कि क्लस्टर स्कीम, जो नेशनल टैक्सटाइल पॉलिसी के तहत बनाई है। जहां-जहां पॉवरलूम के छोटे-छोटे यूनिट हैं, उनको क्लस्टर में सम्मिलित करके कैसे इकॉनोमिकली या टैक्नीकली अपग्रेड करके लाभ पहुंचाया जा सकता है, इसकी हमने नयी नेशनल टैक्सटाइल पॉलिसी में कोशिश की है।

श्री शिवराज वी. पाटील : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश का वस्त्र उद्योग सबसे पुराना उद्योग है और जब हम वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो उसमें कॉटन, जूट, सिल्क वगैरह, कम्पोजिट मिल्स, पॉवरलूम, हैंडलूम इत्यादि का भी उसमें समावेश हो जाता है। परदेश में जो हम अपना कपड़ा भेजते हैं, वह तथा नयी टैक्नॉलोजी, एनटीसी मिल्स, एनटीसी की जमीन तथा एनटीसी में काम करने वाले मजदूरों का भी समावेश होता है। इसीलिए मैं

सरकार से जानना चाहूंगा कि ये सारी बातें क्या आपकी नयी नीति में आने वाली हैं? अगर कोई चीज बाहर रह जाती है तो उसका क्या असर आपकी नीति पर पड़ सकता है, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप यह पॉलिसी कितनी जल्दी बनाने जा रहे हैं और यह पॉलिसी आप सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे?

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष महोदय, वैसे नयी टैक्सटाइल पॉलिसी तो अभी कुछ दिन पहले एनाउंस हो चुकी है। लेकिन सदन अगर चाहेगा तो हम इस टैक्सटाइल पॉलिसी की चर्चा कर सकते हैं और चर्चा सदन में होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* हम भी चाहते हैं कि चर्चा हो क्योंकि वस्त्र उद्योग ऐसा उद्योग है जिससे आज दो करोड़ लोग रोजगार पाते हैं। इतना ही नहीं लगभग 60,000 करोड़ रुपये की हमें विदेशी मुद्रा मिलती है और हमें उत्पादन में भी कम्पीटीशन करना है तो इसीलिए हमारे बहुत सारे सांसदों के जो अच्छे सुझाव होते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने जो पॉवरलूम और हैंडलूम के बारे में और भी बातें कही हैं कि एन.टी.सी. के कामगार के बारे में एन.टी.सी. की ज्यादा से ज्यादा मिलें चलें, इसके लिए अभी कैबिनेट ने एक एप्रोच एप्रूव की है और इसे बी.आई.एफ.आर. को सौंप दिया है। उसके तहत जो हमारी 119 मिल्स हैं, उनमें से आज 25 मिलें पूरी तरह से काम कर रही हैं और 50 या 51 मिलें पार्शियली चल रही हैं। ज्यादा से ज्यादा मिलें चल सकें, इसके लिए यूनिटवाइज फिर से उनकी वॉयबिलिटी चैक करने के लिए टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन के एक्सपर्ट्स की कमेटी रिपोर्ट बनाएगी और बी.आई.एफ.आर. के सामने रखेगी। बी.आई.एफ.आर. जो तय करेगा, उतनी मिलें हम चलाने के लिए तैयार हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि एन.टी.सी. और बी.आई.सी. के इतिहास में पहली बार दो मिलें 211 करोड़ रुपये की लागत से हमने रिवाइव करने का फैसला किया है। भारत सरकार ने पहली बार कामगारों की तरफ ध्यान दिया है। अब बी.आई.सी. की धारीवाल और लालइमली मिल अच्छी तरह से चलेगी, कामगार अपना अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गणेश शुगर मिल, जनपद महाराजगंज में, जो नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के अंतर्गत चल रही थी, वह पिछले छः वर्षों से बंद है। सरकार ने उसे बी.आई.एफ.आर. के सुपुर्द कर दिया है। उस मिल को चलाने के लिए दो निजी क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जेवीजी शुगर मिल, गनोरा, निचलोल, जनपद महाराजगंज ने उस शुगर मिल को चलाने के लिए प्रस्ताव दिया है, क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि यदि एन.टी.सी. उन चीनी मिलों को चलाने में सक्षम नहीं है तो निजी क्षेत्रों से जो प्रस्ताव आए हैं, उन निजी क्षेत्रों को वे मिलें सुपुर्द करने का काम करेंगे?

श्री काशीराम राणा : महोदय, जहां तक गणेश शुगर मिल का सवाल है, सरकार को अवश्य वह प्रस्ताव मिला है, जो एन.टी.सी., गणेश शुगर मिल है वे बी.आई.एफ.आर. के तहत है, और अंतिम डिसीजन बी.आई.एफ.आर. को लेना है। सरकार जो मिलें नहीं चला सकती और चो चल भी नहीं सकतीं, उनके लिए अगर कोई निजी प्रस्ताव आता है तो इसके लिए सरकार अवश्य सोचेगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि मंत्री महोदय आज नयी वस्त्र-उद्योग नीति पटल पर रखने जा रहे हैं। माननीय सदस्य इसे पढ़ सकते है। अब हम प्रश्न नम्बर 164 को लेते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आए हैं, क्या सरकार उनसे सहमत है और बी.आई.एफ.आर. को भी उस प्रस्ताव से सहमत कराने का प्रयास करेगी? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज मंत्री महोदय नयी वस्त्र-उद्योग नीति सदन में ही रखने जा रहे है। आप नयी नीति की भी विषय-वस्तु देख सकते हैं और तब हम इस पर बहस करेंगे?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : महोदय, मुझे भी इसी संबंध में सवाल पूछना है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने भी यह कहा है कि सरकार को कपड़ा नीति पर बहस कराने में कोई आपत्ति नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : महोदय, आप इस पर आधे घंटे की चर्चा करवाइए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले न्यू टैक्सटाइल पालिसी को देख लें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगर जरूरत होगी तो डिसकशन करवाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 164, कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

[हिन्दी]

बकाया राशि की वसूली

***164. श्री +रामजी मांझी :**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे का विभिन्न विभागों जैसे तेल कंपनियों, कोयला कंपनियों और निजी कंपनियों आदि पर कितनी धनराशि और ब्याज बकाया है;

(ख) बकाया राशि को ब्याज सहित वसूल करने हेतु रेल विभाग ने क्या उपाय किए हैं/करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या धनराशि की वसूली न किए जाने के लिये अधिकारियों पर कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सितम्बर, 2000 के अंत तक तेल कम्पनियों, कोयला कम्पनियों, बिजली घरों और राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों तथा निजी कम्पनियों से वसूल की जाने वाली कुल बकाया राशि 2748.84 करोड़ रुपए है। रेलें अपने मालभाड़े तथा अन्य संबंधित बकायों पर न तो ब्याज लगाती हैं और न ही धनवापसी और क्षतिपूर्ति से संबंधित दावों पर किसी ब्याज का भुगतान करती हैं।

(ख) रेलों द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) रेलों की बकाया राशि का समायोजन इन बाकीदारों की बकाया राशि से किया जाता है।

(2) 7 फरवरी, 1997 को सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों और बिजली घरों पर बकाया राशि राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय योजना सहायता से कतिपय सीमा तक समायोजित की जाएगी। इससे रेलों को 116.93 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

(3) रेल मंत्रालय ने, बकाया राशि के शीघ्र भुगतान के लिए संबंधित मंत्रालयों के सचिवों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के साथ संपर्क किया है।

(4) राज्य बिजली बोर्डों पर रेलों की बकाया राशि के भुगतान के मामले में मुख्यमंत्रियों से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है।

(5) मंडल और मुख्यालय स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों, तेल कंपनियों तथा निजी कम्पनियों के साथ नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस संबंध में वरिष्ठ स्तर के अधिकारी और निरीक्षक उन प्रमुख पार्टियों के साथ आवधिक रूप से संपर्क स्थापित करते हैं, जिनके पास बकाया राशि है।

उपर्युक्त के अलावा, दिसम्बर, 2000 में रेलों की बकाया राशि से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की जाएगी और इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए एक विशेष कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) से (ङ) बकाया राशि की वसूली से संबंधित मामले पर सभी स्तरों पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है। अतः रेल अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामजी मांझी : महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तेल कम्पनियों, कोयला कम्पनियों, बिजली घरों और राज्य बिजली बोर्डों, स्थानीय स्वशासन का कुल कितना बकाया है, इसका ब्यौरा दें? 1998-99, 1999 से 2000 तक कितना बकाया है? किस पदाधिकारी से किस तिथि को और किस-किस मुख्य मंत्री से सम्पर्क स्थापित किया गया, की गई कार्यवाही से अवगत कराएं?

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, कुल मिला कर 2700 करोड़ से ज्यादा का पैसा बकाया है और उसमें सबसे ज्यादा बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन का 996 करोड़ बाकी है। ये 30 सितम्बर तक के आंकड़े हैं। पंजाब स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का 249 करोड़ रुपए, दिल्ली विद्युत बोर्ड का 131 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का 85 करोड़ रुपए, हरियाणा स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का 62 करोड़ रुपए, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन का 53 करोड़ रुपये, राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का 44 करोड़, गुजरात स्टेट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड का 32 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र का 31 करोड़ रुपए, तमिलनाडु का 21 करोड़ रुपए, वेस्ट बंगाल का 15 करोड़, उत्तर प्रदेश का 13 करोड़, दामोदर वेली कार्पोरेशन का आठ करोड़, मध्य प्रदेश का पांच करोड़, बिहार का दो करोड़ रुपया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि ये सब कुछ विवरण में उपलब्ध है।

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह : उन्होंने मांगा है इसलिए मैं दे रहा हूं। स्टेटमेंट में नहीं है, इसलिए मैं दे रहा हूं। आसाम इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का 2 करोड़ रुपया, कर्नाटक इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का 1 करोड़ 95 लाख रुपया, बिहार इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का 2 करोड़ 86 लाख रुपया स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों पर बकाया है। कुल मिलाकर यह करीब 1 हजार 761 करोड़ रुपया बकाया है। बाकी रुपये और कंपनियों और प्रतिष्ठानों के पास हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 2700 करोड़ रुपये से ज्यादा का हमारा बकाया है।

श्री रामजी मांझी : आपने दिसम्बर 2000 में बकाया राशि के मुद्दे पर कौन सी विशेष कार्य योजना तैयार की है?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि वसूली की योजना हम लगातार बनाते रहते हैं और हमारी योजना से अंततोगत्वा आम लोग प्रभावित होते हैं। अगर कल को हम कोयला लाना बंद कर दें तो बिजली सप्लाई बंद हो जाएगी। इसलिए मुख्यमंत्रियों को हमने पत्र लिखकर अपनी बात कही है और कई मुख्यमंत्रियों ने उस पर अमल भी किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पहल करके 100 करोड़ रुपया अपने राज्य से दिया है। हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि उसका उच्च स्तर पर काम होता रहे। स्वर्गीय कुमार मंगलम जी अब नहीं रहे। सबसे ज्यादा पैसा बदरपुर इलैक्ट्रसिटी बोर्ड पर बकाया है। इसका मैनेजमेंट एन.टी.पी.सी. करती है। उन्होंने कहा था कि 500 करोड़ रुपया हम आपको देंगे, वह पैसा नहीं मिला है। हम सचिव स्तर की मीटिंग भी करते रहते हैं। सन् 1997 में प्रधान मंत्री जी से भी बात हुई। इसलिए जो भी संभव होता है वह प्रयास हम करते हैं।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके पुनर्मूल्यांकन के लिए, उसकी वसूली के लिए क्या कोई व्यवस्था की है? आप लोगों ने जो स्टेप्स लिए हैं उसके लिए एक योजना भी बनाई है। विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए, मालभाड़ा के पूर्व-भुगतान के लिए, कोयला ढुलाई के लिए जो जवाब मुझे मिला है उसमें कहा गया है कि: रेलवे अपने मालभाड़े और अन्य संबंधित बकाया राशि पर ब्याज वसूल नहीं करता है और न ही वापसी रकम तथा क्षतिपूर्ति हेतु दावे पर किसी ब्याज का भुगतान करता है। इसमें बहुत सारे लोगों को मुआवजा पाने में दिक्कत होती है। मैं जानना चाहती हूं कि उसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या कोई कमेटी है?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्या ने स्वयं कहा है कि जिन पर हमारा बकाया रहता है उनसे हम इंट्रैस्ट चार्ज नहीं करते हैं। इसी तरह से हम भी इंट्रैस्ट नहीं देते हैं। हम तो मंत्रालय के स्तर पर हमेशा मॉनिटिरिंग करते रहते हैं। अगर मंत्रालय के स्तर पर काम नहीं होता है तो सचिव स्तर पर भी इस मामले के निपटारे के लिए कमेटी बनाई जा सकती है और हमने यह प्रस्ताव भी रखा है।

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन : अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष रेल मंत्री ने सभी दल के नेताओं की बैठक बुलायी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी भी विभिन्न मंत्रालयों से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उगाही जानी है। अब यह कहा जा रहा है कि निजी कम्पनियों से भी बकाया राशि की वसूली की जाने वाली है। वे कौन सी कम्पनियां हैं? क्या सरकार बकाया राशि की वसूली हेतु निजी कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करती है? यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो इस स्थिति में वे संबंधित राशि की माफी हेतु याचिका दायर कर देंगे और इस प्रकार सरकार अपनी बकाया राशि की वसूली नहीं कर पायेगी। कानून की नजर में सभी समान हैं। यदि कोई नागरिक—भूस्वामी या अधिभोक्ता समय पर अपनी बकाया राशि चुकाने में समर्थ नहीं है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। जिनी कम्पनियों के संबंध में भी यही नियम लागू होना चाहिए। सरकार कम से कम निजी कम्पनियों से बकाया राशि की वसूली हेतु कदम क्यों नहीं उठाती।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक कहा है, हम नियमों का पालन करते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश, निजी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र के पास अधिक बकाया राशि है। यदि हम बकाया राशि की तुलना करते हैं तो

पाते हैं कि सरकारी क्षेत्र के पास 2500 करोड़ रुपये बकाया हैं जबकि निजी क्षेत्र के पास करीब 200 करोड़ रुपये बकाया हैं। व्यक्तिगत रूप से एक या दो को छोड़कर, किसी के पास एक करोड़ रुपये से ज्यादा की बकाया राशि नहीं है। अतएव मेरे लिए समान कानून लागू करना बहुत ही मुश्किल है। जब तक हम सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्रवाई नहीं करते तब तक निजी क्षेत्र के विरुद्ध कार्रवाई करना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। हमें दोनों के लिए समान कानून लागू करना है।

[हिन्दी]

रेल सुधारों संबंधी रिपोर्ट

*165. श्री+ वाई.जी. महाजन :
डॉ. रमेश चंद तोमर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा रेल सुधारों के लिए गठित डॉ. राकेश मोहन समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे के बढ़ते व्यय को ध्यान में रखते हुए रेलवे में व्यापक सुधारों की अविलम्ब आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं। राकेश मोहन समिति, जिसका गठन दिसंबर, 1998 में किया गया था, द्वारा अपनी अंतिम रपट दिसम्बर, 2000 तक प्रस्तुत की जानी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेलों में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसकी आगे समीक्षा की जाएगी।

श्री वाई.जी. महाजन : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो प्रश्न हैं। ब्रिटिश जमाने से कुछ जिलों में रेल लाइनें चल रही हैं लेकिन उन इलाकों में कुछ भी सुविधाएं नहीं हैं। वहां टॉयलट और पानी की सुविधा नहीं है जैसे पचौरा से जामनगर के बीच एक रेल लाइन है। क्या रिपोर्ट में उस रेल लाइन की तरफ कोई ध्यान गया है? मेरा दूसरा प्रश्न है कि जलगांव में केले का बहुत उत्पादन होता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दूसरा सप्लीमैंट्री बाद में होगा।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस इलाके के बारे में राकेश मोहन समिति की बात कही गई है, उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। जब रिपोर्ट ही नहीं आई है तो उस रिपोर्ट में क्या है, मैं उसे सदन के सामने कैसे बता सकता हूं।

डा. रमेश चन्द तोमर : माननीय अध्यक्ष जी, राकेश मोहन समिति का गठन दिसम्बर 1998 में किया गया था। समिति की रिपोर्ट सौंपने के लिए क्या कोई समय सीमा तय की गई थी? यदि हां तो वह समय सीमा क्या थी? मेरे प्रश्न का "ख" पार्ट यह है कि क्या समिति ने कोई अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है? यदि हां तो कब सौंपी और उस पर क्या कार्रवाई हुई? मेरा "ग" पार्ट यह है कि दिसम्बर 2000, तक यदि यह रिपोर्ट सबमिट नहीं की जाती है तो क्या माननीय मंत्री जी उसकी समय सीमा आगे बढ़ाएंगे?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा कि दिसम्बर 1998 में यह कमेटी बनी थी और उसकी क्या समय सीमा है? उसकी दिसम्बर 2000 तक की समय सीमा है। हमारे लोग थोड़ा बहुत सम्पर्क में रहते हैं। मुझे यकीन है कि दिसम्बर दो हजार के अंत तक यह रिपोर्ट दे दी जाएगी।

डा. रमेश चन्द तोमर : क्या कोई अंतरिम रिपोर्ट दी है?

श्री दिग्विजय सिंह : यह पूरी रिपोर्ट है।

डा. रमेश चन्द तोमर : बीच में कोई रिपोर्ट दी?

श्री दिग्विजय सिंह : बीच में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। दिसम्बर 2000 के अंत तक पूरी रिपोर्ट पेश करने का समय दिया गया है। मुझे यकीन है कि दिसम्बर दो हजार तक यह रिपोर्ट दे दी जाएगी। जहां तक समय सीमा बढ़ाने की बात है, उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है कि समय सीमा बढ़ाई जाए। इसका मतलब 31 दिसम्बर 2000 तक यह रिपोर्ट आ जाएगी।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, रेल सुधार पर डा. राकेश मोहन समिति का गठन उस सेमिनार के पश्चात् हुआ था जो अगस्त, 1998 में सम्पन्न हुआ था तथा जिसमें विकसित देशों के बहुत सारे प्रतिनिधि शामिल हुए थे। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से इस कमेटी के विचारार्थ विषयों से संबंधित जानकारी पा सकता हूं?

सन 1984 में सुधार समिति का गठन किया गया था और उस समिति ने बहुत पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या डा. पाण्डेय की अध्यक्षता में गठित रेल सुधार समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री बसुदेव आचार्य ने सही कहा कि पहली समिति की अध्यक्षता श्री बी.डी. पाण्डेय ने की थी। मेरे पास बिल्कुल सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और मुझे ज्ञात नहीं है कि सभी सिफारिशें स्वीकार की गयी थी अथवा नहीं। उन्होंने सौ से भी अधिक सिफारिशें की हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने एक सौ नहीं बल्कि एक हजार सिफारिशें की हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे संबंधित सूचना दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि उनके पास सूचना है फिर भी वे पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : यदि आप उसके बारे में इतने उत्सुक हैं तो मैं वह सूचना आपको दे सकता हूं। जहां तक डा. राकेश मोहन समिति के विचारार्थ विषयों का संबंध हैं, वे निम्नानुसार हैं:-

(1) भारतीय रेल के विस्तार एवं उन्नयन जो कि रेल परिवहन प्रणाली के उपयोग को काफी बढ़ाएगा और रेलवे यातायात की वृद्धि में सहायक होगा, की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करना और जो अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुरूप होगा।

(2) 15 वर्षों की अवधि तक के लिए अनुमानित खर्च हेतु धन के स्रोतों का पता लगाना, धन-स्रोत और व्यय प्राथमिकताओं के अनुमान हेतु वित्तीय एवं नीतिगत उपायों का पता लगाना।

(3) विकसित देशों में प्रकल्पित एवं प्रयुक्त रेल परिवहन सुविधाओं के ढांचे उसके कार्यकरण एवं स्वामित्व के स्वरूप का अध्ययन करना और भारतीय रेल की आवश्यकताओं के मद्देनजर उनकी सिफारिश करना ताकि उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त हो सकें।

(4) उपयुक्त विनियामक व्यवस्था की सिफारिश करना जो प्रणाली के व्यवस्थित विस्तार को सुसाध्य बनाएगी, प्रतिस्पर्धा को वांछित सीमा तक बढ़ावा देगी तथा उपभोक्ता के स्तरीय सेवा के अधिकार की रक्षा करेगी।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे मित्र श्री महाजन ने जो प्रश्न पूछा कि ब्रिटिश लोगों ने जो रेल लाइन बहुत साल पहले बनाई थी, उसके संदर्भ में भुसावल-सूरत रेल लाइन ऐसी लाइन है, जहां हर साल रेल फ्रेक्चर्स होते हैं, परिणामस्वरूप रेल दुर्घटनायें होती रहती हैं। इस रेल लाइन पर चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों में 9-10 बोगी ही लगाई जाती हैं जिसमें न टायलट है, न पानी की व्यवस्था है और वे इतनी पुरानी हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके नोट में भुसावल-सूरत रेल लाइन है, यदि हां, तो उसको सुधारने के लिये रेल मंत्रालय क्या कोशिश करेगा?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का सवाल राकेश मोहन समिति से संबंधित नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये इतना बताना चाहूंगा कि जो रेल फ्रेक्चर्स होते थे और जिसके कारण रेल दुर्घटनायें होती थीं, अब पब्लिक सैक्टर भिलाई ने बेहतर रेल लाइन बनाना शुरू कर दिया है। इंडियन रेलवे और स्टील अथारिटी आफ इंडिया ने मिलकर बेहतरी की है और जो कमी थी, वह दूर हो गई है। इस कारण दुर्घटनाओं में कमी आई है।

अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य ने गाड़ियों में पानी की व्यवस्था न होने की बात कही है, मेरा उनसे अनुरोध होगा कि यदि कोई स्पैसिफिक लाइन या ट्रेन के बारे में जानकारी देंगे तो उसे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे।

श्री रामसिंह राठवा : अध्यक्ष महोदय, आजादी से पहले राजा महाराजा जितनी ट्रेनें चलाया करते थे और विशेषकर जो आदिवासी इलाकों से आती थीं, वे रेल विभाग द्वारा धीरे-धीरे बंद कर दी गई हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी नैरो गेज की ट्रेनों को फिर से चलाने के लिये सरकार प्रयास करेगी?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिस नैरो गेज की ट्रेनों के बारे में बात कही है, यह बात हम लोगों के ध्यान में आई है। मैं उन्हें जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि गुजरात में ऐसी पांच नैरो गेज रेल लाइन जो राजा-महाराजाओं द्वारा चलायी जाती थीं, को फिर से चलाने के लिये आदेश दे दिया है। इसके अलावा बाकी जो नैरो गेज अभी तक नहीं चल पायी थीं, उसका कारण आप सब को पता है कि वे धीमी गति से चलती थी कि लोग मोटर से जाना पसंद करते थे और रेल से जाना पसंद नहीं करते थे। अगर कहीं और नैरो गेज

की रेल लाइन बंद हुई है हम उसका भी ध्यान रखेंगे और हमारा प्रयास होगा कि सारी नैरो गेज की रेलवे लाइनों को चलाने का हम काम करें।

श्री रामसिंह राठवा : वे पांच रेलवे लाइनें कौन-कौन सी हैं कृपया बताइये।

श्री दिग्विजय सिंह : उसके डिटेल मेरे पास नहीं हैं, लेकिन वे पांच रेलवे लाइनें गुजरात की हैं।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र की कम्पनियों को तेल क्षेत्र पट्टे पर दिया जाना

*167. **श्री +वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1995 के दौरान निजी क्षेत्र की कंपनियों को तेल क्षेत्रों को पट्टे पर देने में अनियमितताओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल क्षेत्रों को निजी कंपनियों को पट्टे पर देने की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराए जाने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) पहले प्रस्ताव के तहत निजी पक्षकारों को खोजे गए क्षेत्र प्रदान किए जाने की 1995-97 में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) द्वारा लेखा परीक्षा की गई थी। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में निविदा खोलने की प्रक्रियात्मक पहलुओं आदि के अलावा आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) को पिछली लागत की प्रतिपूर्ति, सरकार द्वारा प्रदान किए जाने के संबंध में निर्णय लेने से पहले अकेले आधार पर ओ.एन.जी.सी. द्वारा क्षेत्र का विकास करने के मुकाबले संयुक्त उद्यम के तहत क्षेत्रों का विकास करने का तुलनात्मक अर्थतंत्र निर्धारित न करने, बोली मूल्यांकन के लिए पन्ना-मुक्ता क्षेत्रों हेतु भण्डारों की डाउन-ग्रेडिंग, उपकर और रायल्टी रोकने और राष्ट्रीय तेल कम्पनियों को समान कार्य अवसर प्रदान करने के बारे में कुछ टिप्पणियां की थीं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने एक प्रारंभिक जांच आरम्भ की और पन्ना मुक्ता क्षेत्र के अवार्ड को रद्द करने और एक स्वतंत्र जांच करने के लिए 1997 में दिल्ली उच्च न्यायालय में दो जनहित वाद दाखिल किए गए। उच्च न्यायालय ने सभी पक्षकारों को सुनने और पन्ना मुक्ता क्षेत्र के अवार्ड से संबंधित सी.बी.आई. की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जनवरी, 1999 में जनहित वाद खारिज कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में फरवरी, 1999 में एक विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई। उच्चतम न्यायालय ने मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद 19 अक्तूबर, 2000 को यह याचिका खारिज कर दी।

सरकार द्वारा 1999 में निजी प्रतिभागिता के लिए खोजे गए क्षेत्रों के प्रस्ताव के लिए नीति की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि ऐसे क्षेत्रों के लिए भविष्य में बोलियां राष्ट्रीय तेल कम्पनियों, ओ.एन.जी.सी. और आयल इंडिया लि. द्वारा स्वयं आमंत्रित की जा सकती हैं।

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने वर्ष 1995 के दौरान कुछ निजी क्षेत्र की कम्पनियों के तेल क्षेत्र (ऑयल फील्ड्स) का ठेका देने के मामले में बहुत सारी अनियमितताएं पायी हैं। यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

श्री राम नाईक : महोदय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को एक शिकायत मिली थी जिसमें कुछ अनियमितताओं का आरोप था तथा दो जनहित दावे उच्च न्यायालय में दायर किए गए थे। एक याचिका केन्द्र द्वारा जनहित दावे के लिए थी और दूसरी डा. वाधवा के द्वारा दायर की गयी थी। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। न्यायपीठ ने इस पर विचार किया। अंततः जनवरी, 1999 में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ ने, जिसमें माननीय न्यायाधीश सभरवाल तथा न्यायधीश गुप्ता थे, जनहित दावे को खारिज कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आप अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : महोदय, मुझे कोई दूसरा प्रश्न नहीं पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर कोई पूरक प्रश्न नहीं है।

राष्ट्रीय न्यायिक आयोग

*168. **श्री सुकदेव पासवान :**
श्री रामनायडू दग्गुबाटि:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना के बारे में 17 अप्रैल, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3613 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना हेतु विधान लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो विधान कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सरकार राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापित किए जाने के एक प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है जो उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश करेगा तथा न्यायपालिका के लिए एक नैतिक आचार संहिता भी बनाएगा। मामला समीक्षाधीन है। तथापि, इसके लिए कोई समय-सीमा बताना संभव नहीं है कि संविधान संशोधन विधेयक कब तक पुर:स्थापित किया जा सकेगा।

श्री सुकदेव पासवान : अध्यक्ष महोदय, सरकार राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापित किये जाने के प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है जो उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायिक नीतियों की सिफारिश करेगा तथा नगरपालिका के लिए एक नैतिक आचार संहिता भी बनाई जायेगी। इस मामले में क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई या नहीं, कृपया इसके विषय में पूरी जानकारी दें।

श्री अरुण जेटली : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया है कि इस समय इसकी समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है, चूंकि इसके ऊपर विचार चल रहा है और जब विचार बनेगा तो उसके पश्चात् संविधान में संशोधन लाना आवश्यक होगा।

श्री सुकदेव पासवान : अध्यक्ष महोदय, समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसका क्या कारण है और आपके पास जो विचार आये हैं, उसके अनुसार कितने दिन आपके पास हैं और समय सीमा निर्धारित करने में आपको क्या कठिनाई है, कृपया बताने का कष्ट करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पूछ रहे हैं या मि. पासवान आप पूछ रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सर, यह प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं। असली प्रश्न है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को क्या यह आरक्षण देंगे, प्रश्न यह है जो यह पूछ नहीं रहे हैं।

श्री अरुण जेटली : क्योंकि इसके विषय में समाज के विभिन्न वर्गों के विचार लेने आवश्यक हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मि. आठवले यह प्रोसीजर नहीं, कृपया आप बैठ जाइये।

श्री अरुण जेटली : क्योंकि इस विषय पर समाज के विभिन्न वर्गों के विचार लेने आवश्यक हैं और वह प्रक्रिया चल रही है, इसलिए समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

स्मारकों का रख-रखाव

*166. **डा. जसवंत सिंह यादव :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जन्तर-मन्तर और अन्य स्मारकों का जीर्णोद्धार करने के लिये किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान के स्मारकों का जीर्णोद्धार करने के लिये किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली के संबंध में उद्यान के उन्नयन, पानी के चैनलों के पुनरुद्धार और

दीपसज्जा के लिए आगा खाँ ट्रस्ट तथा ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स और जन्तर-मन्तर, नई दिल्ली के संबंध में संरचनात्मक संरक्षण, उद्यान के उन्नयन और दीपसज्जा के लिए मैसर्स एपीजे सुरेन्द्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन के निष्कर्ष पर पहुंचा है।

(ग) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नैफ्था की कीमत

***169. श्री जोरा सिंह मान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा आयात किए जा रहे नैफ्था की कीमत उपभोक्ताओं द्वारा सीधे आयात किए जा रहे नैफ्था की कीमत की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं;

(ग) क्या देश की विद्युत इकाइयां स्वयं ऐसे नैफ्था का आयात करती हैं जिनकी कीमत कम पड़ती है;

(घ) क्या उर्वरक उद्योग ने भी इन्हीं कारणों से नैफ्था के सीधे आयात के लिए उसे अनुमति देने हेतु सरकार से आग्रह किया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का भारतीय तेल निगम द्वारा आयात के लागत घटक की समीक्षा करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) आयात निर्यात नीति के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए नाफ्था के आयात की अनुमति नहीं है। इसलिए इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए नाफ्था का आयात नहीं कर रही है। तथापि, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) की खपत के लिए नाफ्था के आयात को सुसाध्य बनाने वाली एजेन्सी के रूप में कार्य करती है। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई.पी.सी.एल.) की ओर से सुविधा एजेन्सी के रूप में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा आयातित नाफ्था का मूल्य मई से नवम्बर, 2000 तक की अवधि के दौरान 289.70 अमरीकी डालर (13,029 रुपए) प्रति मीट्रिक टन से 369.40 अमरीकी डालर (17,066 रुपए) प्रति मीट्रिक टन तक के बीच में रहा है।

देश में दाभोल विद्युत निगम लिमिटेड (डी.पी.सी.एल.) ही एकमात्र विद्युत इकाई है जो स्वयं के प्रयोग के लिए नाफ्था का आयात करती है। मई से नवम्बर, 2000 तक की अवधि के लिए दाभोल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा आयातित नाफ्था का मूल्य 297.68 अमरीकी डालर (13,375 रुपए) प्रति मीट्रिक टन और 377.70 अमरीकी डालर (17,450 रुपए) प्रति मीट्रिक टन के बीच रहा है।

इस प्रकार आई.ओ.सी.एल. द्वारा आयातित नाफ्था का मूल्य डी.पी.सी.एल. द्वारा आयातित नाफ्था के मूल्य से तुलनीय है। लागतों के अंतर्गत मामूली अंतरभिन्नतायें विदेशी मुद्रा दरों में उतार चढ़ाव/उत्पाद की गुणवत्ता के कारण हैं। यह आयात लागतें इस उत्पाद की उतराई लागतें हैं जिनमें सीमा शुल्क सम्मिलित हैं। इनमें उत्पाद की कोई संभाल लागतें और बिक्री कर सम्मिलित नहीं हैं जिनका भुगतान घरेलू उत्पादों पर किया जाना होता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। उर्वरक उद्योग ने नाफ्था का सीधे आयात करने की अनुमति देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। यह अनुरोध आई.ओ.सी.एल. द्वारा आयातित नाफ्था के अधिक मूल्य होने के कारण नहीं वरन राज्य सरकारों द्वारा स्वदेशी नाफ्था पर लिए जाने वाले बिक्री कर के कारण अधिक मूल्यों की वजह से किया गया है।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में पर्यटक

***170. श्री प्रभात सामन्तराय :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जम्मू और कश्मीर राज्य के विभिन्न स्थानों में विशेषकर माता वैष्णों देवी और अमरनाथ की कितने देशी/विदेशी पर्यटकों ने यात्रा की और चालू वर्ष में कितने यात्रियों द्वारा इन स्थानों की यात्रा करने की संभावना है; और

(ख) इन पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1997 से 2000 तक राज्य में तथा माता वैष्णों देवी तथा अमरनाथ आए घरेलू पर्यटकों/तीर्थयात्रियों तथा विदेशी पर्यटकों

की कुल संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	जम्मू और कश्मीर पर्यटकों की संख्या		माता वैष्णों देवी	अमरनाथ
	स्वदेशी	विदेशी	तीर्थयात्रियों की सं.	तीर्थयात्रियों की सं.
1997	4524286	21921	4434233	79035
1998	4878445	25485	4622097	149920
1999	4984773	26799	4668340	114366
2000 (जनवरी-अक्तूबर)	4692648	17935	4412896	173334

(ख) पर्यटकों सहित तीर्थयात्रियों को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। तथापि, जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने भी पर्यटकों की सहायतार्थ पर्यटक पुलिस तैनात की है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल और गैस की खोज करने हेतु लाइसेंस

*171. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नवम्बर और दिसम्बर, 2000 के दौरान कच्चे तेल के क्षेत्र का पता लगाने हेतु लाइसेंस जारी करने के लिये कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तेल की खोज के लिये ऐसे कुल कितने क्षेत्रों के लिए लाइसेंस जारी किये जाने की संभावना है;

(ग) इन स्थानों में तेल क्षेत्रों की पहचान के लिये सर्वेक्षण किस तारीख को पूरा हुआ और इन क्षेत्रों में कुल कितनी मात्रा में तेल भंडार होने का अनुमान है; और

(घ) इन स्थानों पर तेल की खोज करने हेतु लाइसेंस जारी करने में हो रही देरी के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन.ई.एल.पी.) के दूसरे दौर के तहत ब्लाकों के अन्वेषण के लिए बोलियां ऐसे विभिन्न प्रारम्भिक क्रियाकलापों, जिनके बाद बोलियां आमंत्रित की जाएंगी, को पूरा करने के पश्चात् दिसम्बर, 2000 की समाप्ति के पूर्व आमंत्रित किए जाने की आशा है। जमीनी, उथले जल अपतट तथा गहन जल अपतट के अंतर्गत लगभग पच्चीस अन्वेषण ब्लाक बोली के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) अन्वेषण क्रियाकलाप, जिनमें नए आंकड़ों का अर्जन, विद्यमान आंकड़ों का पुनर्संसाधन/पुनर्निर्वचन सम्मिलित है, एक सतत एवं जारी रहने वाली प्रक्रिया है। उपर्युक्त पच्चीस ब्लाकों की हाइड्रोकार्बन संभाव्यता के विषय में अनुमान केवल अन्वेषण के माध्यम से होने वाली खोज के पश्चात् लगाया जा सकता है। अन्वेषण, ब्लाक दिए जाने, उत्पादन हिस्सेदारी संविदा पर हस्ताक्षर हो जाने तथा पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान किए जाने के पश्चात् आरम्भ होगा।

गोला बारूद से भरे वैगन का गायब होना

*172. **श्री रामचन्द्र पासवान :**
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर आयुध कारखाने द्वारा भेजा गया उच्च क्षमता (हाई कैलीबर) वाले गोला-बारूद से लदा वैगन, जिसे नौसेना शस्त्रागार डिपो, उरान में पहुंचना था, का उत्तरी मुंबई के उपनगरीय रेल यार्ड में दो वर्षों से भी अधिक समय से पता नहीं चल पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) आयुध निर्माणी खमरिया (जबलपुर) द्वारा उच्च क्षमता वाले गोलाबारूद से भरा एक वैगन 1.12.97 को नौसेना शस्त्रास्त्र डिपो, करंजा के लिए रवाना किया गया था। इस खेप के प्राप्त न होने पर नौसेना शस्त्रास्त्र डिपो, करंजा ने यह मुद्दा 18.5.98 को मध्य रेलवे के वाणिज्यिक अधीक्षक के साथ उठाया। आयुध निर्माणी खमरिया ने भी, सूचना प्राप्त होने पर यह मामला उपयुक्त रेलवे प्राधिकारियों के साथ उठाया और उस वैगन को ढूंढ़ने के लिए सतत् अनुवर्ती कारंवाई की गई। अंततः, उक्त वैगन 7.9.2000 को नौसेना शस्त्रास्त्र डिपो, करंजा में प्राप्त हुआ। ऐसा लगता है कि बारिश के कारण वैगन पर बनाए गए निशान मिट गए थे। खेप बिल्कुल सही सलामत थी और उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इसका मूल्य 14.29 लाख रुपए था।

इस एकमात्र घटना के उपरांत एक ऐसी प्रणाली बना दी गई है जिसमें परेषिती के पास वैगन पहुंचने तक प्रेषक भी उसका ध्यान रखता है। तथापि, उपर्युक्त मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच का आदेश भी दिया गया है।

[अनुवाद]

स्मारकों के रख-रखाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी

*173. **श्री आनंदराव विठोबा अडसुल :**
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न स्मारकों का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या इस संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने निजी क्षेत्र के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्मारक-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्कृति निधि में कल्पना की गई है कि व्यक्ति, समुदाय तथा कारपोरेट हस्तियां, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को स्मारक के संरचनात्मक संरक्षण और उसके आस-पास सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता कर अपना योगदान दे सकते हैं।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुविधाओं के उन्नयन के लिए 34 स्मारकों को अभिनिर्धारित किया है।

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली के संबंध में उद्यान के उन्नयन, पानी के चैनलों के पुनरुद्धार और दीपसज्जा के लिए आगा खां ट्रस्ट फॉर कल्चर तथा ओबरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स और जन्तर मन्तर, नई दिल्ली के संबंध में संरचनात्मक संरक्षण, उद्यान के उन्नयन और दीपसज्जा के लिए मैसर्स एपीजे सुरेन्द्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

बिना टिकट यात्री

*174. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री तेजवीर सिंह चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मार्गों पर बगैर टिकट यात्रा करने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो किन मार्गों/रेलगाड़ियों में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ग) वर्ष 1999-2000 के दौरान जोनवार कितने यात्री बिना टिकट पकड़े गए;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अर्थदण्ड के रूप में कितनी राशि वसूली गई; और

(ङ) बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल रेलों द्वारा व्यापक अभियान चलाए जाने के कारण बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या 1997-98 के 93.47 लाख से बढ़कर 1998-99 में 111.10 लाख और 1999-2000 में 118.60 लाख हो गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या और उनसे वसूली गई जुर्माने की राशि, जोनवार, इस प्रकार है:--

रेलवे	बिना टिकट पकड़े गए यात्रियों की सं. (लाख में)	वसूली गई जुर्माने की राशि (करोड़ में)
मध्य	19.94	26.12
पूर्व	15.74	14.39
उत्तर	33.82	37.78
पूर्वोत्तर	8.78	10.56
पूर्वोत्तर सीमा	1.93	2.74
दक्षिण	4.49	5.97
दक्षिण मध्य	8.65	15.82
दक्षिण पूर्व	7.64	8.00
पश्चिम	17.61	22.34
जोड़	118.60	143.72

(ङ) रेलवे मजिस्ट्रेट और पुलिस के सहयोग से बिना टिकट/अनियमित यात्रा को रोकने के लिए बार-बार नियमित और अचानक जांचें की जाती हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलें भी बिना टिकट यात्रा की संभावना वाले विभिन्न स्थानों और खंडों पर विशिष्ट तारीखों और अवधियों में विभिन्न विशेष किस्म की जांचें भी करती हैं।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा सुरक्षा जांच

*175. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री रामचन्द्र बैंदा :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश के हवाई अड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा सुरक्षा जांच के बारे में अति विशिष्ट व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि हवाई अड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा अतिविशिष्ट व्यक्तियों को परेशान न किया जाए?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) कुछ हवाई अड्डों पर पहले से तैनात किए गए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्य निष्पादन की समीक्षा की जा रही है। यह निर्णय लिया गया है कि समीक्षा पूरी होने तक हवाई अड्डों पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों को और आगे लगाया जाना रोक दिया जाए।

(ग) और (घ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा भेदभाव पूर्व तलाशी, दुर्व्यवहार इत्यादि के बारे में अति विशिष्ट व्यक्तियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों को यह अनुदेश दिया गया है कि सभी विमान यात्रियों की सुरक्षा जांच करते समय सौहार्द और नेक व्यवहार बनाए रखें। उन्हें अति विशिष्ट व्यक्तियों की आवाजाही के बारे में बेहतर सम्पर्क साधने की भी सलाह दी गई है।

एलायंस एअर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में जांच अदालत

*176. **श्री शिवाजी माने :**
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 17 जुलाई, 2000 को एलायंस एअर के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच के लिए गठित जांच अदालत ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जांच अदालत द्वारा रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करने के तुरंत बाद उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्रवाई की है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

परियोजनाओं के लिए आबंटन

*177. **श्री अनंत गंगाराम गीते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी परियोजनाओं की आबंटित धनराशि में 10% की कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विकास कार्य, कटौती से प्रभावित हुए बिना किस तरीके से पूरे किए जाएंगे?

रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) और (ख) जी नहीं। आंतरिक संसाधनों में संभावित कमी को पूरा करने के उपाय के रूप में योजना व्यय का विनियमन करना एक नियमित प्रक्रिया है जो इस वर्ष भी अपनाई गई है। बहरहाल, इस विनियमन की चालू वर्ष के दौरान समीक्षा की जाएगी कि संभावित संसाधनों में सुधार हुआ है या नहीं।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया गया है कि चालू वर्ष के दौरान पूरा करने के लिए लक्षित परियोजनाएं धनराशि की तंगी के कारण प्रभावित न हों।

एशिया-प्रशान्त सम्मेलन

*178. **डा. वी. सरोजा :** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए पर्यटन पर एशिया-प्रशान्त सम्मेलन में बाधा रहित पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी हां।

(ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए पर्यटन पर एशिया-प्रशान्त सम्मेलन 24 से 28 सितम्बर, 2000 तक बाली, इंडोनेशिया में हुआ था। समुदाय आधारित पुनर्वास विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र, सोलो, इंडोनेशिया द्वारा आयोजित यह सम्मेलन एस्केप, निप्पन फाउंडेशन एवं विकलांग बच्चों की देखभाल हेतु इंडोनेशियाई सोसाइटी द्वारा सह-प्रायोजित किया गया। सम्मेलन ने बाली घोषणा को अपनाया, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधा रहित पर्यटन के संवर्धन की परिकल्पना करती है। सम्मेलन के दौरान की गई सिफारिशों को विभिन्न सरकारी एवं अन्य संगठनों में परिचालित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

हथकरघा क्षेत्र के लिये पुनरुद्धार समिति

*179. **श्री रामदास आठवले :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहन दिए जाने और इसके पुनरुद्धार हेतु कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें केन्द्र और राज्य सरकारों की कितनी सहभागिता है;

(ग) क्या सरकार ने हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों से तैयार माल के परिवहन पर राजसहायता देने के बारे में कोई फैसला किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) जी, हां। हथकरघा क्षेत्र का विकास तथा प्रोत्साहन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अभी हाल में, भारत सरकार ने एक नई स्कीम अर्थात दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। जिसमें समूचे क्रिया-कलाप शामिल हैं:- जैसे: मूल सहायता, आधारभूत संरचना, हथकरघा संगठनों को सुदृढ़ करना, विपणन प्रोत्साहन आदि को एकीकृत रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। परियोजना लागत का अनुदान हिस्सा उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर के अलावा केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर की हिस्सेदारी होगी तथा प्रस्ताव जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्प-संख्यक से 100% लाभभोगी होंगे, वहां यह 75:25 होगी।

(ग) और (घ) देश के अन्य भागों को तैयार उत्पादों के संचलन सुविधा हेतु नई स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम तथा जम्मू व कश्मीर के लिए उत्पादों के परिवहन हेतु उनके राज्य के बाहर उनके सामान की बिक्री केन्द्रों/हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों के लिए स्वीकृत स्थान तक परिवहन लागत स्वीकार्य है जो इस शर्त पर होगी कि उस स्थान की आबादी 10 लाख से अधिक हो जहां परिवहन किया गया है।

[अनुवाद]

संयुक्त क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने

***180. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल क्षेत्र में निजी और संयुक्त क्षेत्र के जिन तेल शोधक कारखानों ने पेट्रोलियम और डीजल उत्पादों के विपणन की अनुमति मांगी है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विपणन में प्रवेश करने वाली तेल कंपनियों के लिए न्यूनतम निवेश संबंधी कुछ मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रत्येक आवेदनकर्ता द्वारा मानदण्ड पूरा किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उनको अनुमति देने में हुई देरी के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ङ) भारत सरकार ने प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) के समापन के लिए नवम्बर, 1997 में एक योजना घोषित की थी। पूर्वोक्त घोषणा में अन्य बातों के साथ परिवहन ईंधनों नामत: मोटर स्पिरिट (एम.एस.), हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) और उड्डयन ईंजन ईंधन (ए.टी.एफ.) के लिए विपणन अधिकार दिए जाने की व्यवस्था थी बशर्ते कि रिफाइनरियों का स्वामित्व और प्रचालन कम से कम 2000 करोड़ रुपए के निवेश से हो अथवा तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनियां जो कम से कम 3 मिलियन टन वार्षिक कच्चे तेल का उत्पादन कर रही हों। पेट्रोलियम क्षेत्र की पूर्ण नियंत्रणमुक्ति 1 अप्रैल, 2002 से लक्षित है।

सरकार को मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड और मैसर्स मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड से परिवहन ईंधनों के विपणन अधिकार दिए जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

इन परिशोधन कंपनियों में से मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड और मैसर्स मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड सामान्यतया विपणन अधिकार दिए जाने के लिए मानदंड पूरे करती हैं। विपणन अधिकार प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) समाप्त किए जाने के बाद प्रदान किए जाएंगे।

सरकार ने एम.एस., एच.एस.डी., ए.टी.एफ., एल.पी.जी. (घरेलू) और मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के अतिरिक्त सभी पेट्रोलियम उत्पादों को पहले ही नियंत्रण मुक्त कर दिया है।

करगिल संघर्ष के दौरान सेनाधिकारियों के तथाकथित कायरतापूर्ण कृत्य

1766. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 2 अक्तूबर, 2000 के "आउटलुक" साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित समाचार के अनुसार करगिल संघर्ष के दौरान "कायरता" के लिए 40 अधिकारियों और जवानों को दण्डित किया गया है जबकि सेनाध्यक्ष ने शीर्ष अधिकारियों को पूर्णत: दोषमुक्त बताया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कमांडरों को न केवल सभी प्रकार की निन्दा से मुक्त किया गया है अपितु सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है;

(ग) क्या शीर्ष अधिकारियों ने उन मध्यम और कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं जिन्होंने युद्ध में नेतृत्व किया था और अपनी विफलता को छुपाने के लिए चुनिंदा अधिकारियों को अपना निशाना बनाया था; और

(घ) यदि हां, तो मध्यम स्तर के अधिकारियों और जवानों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) करगिल आपरेशन के दौरान विभिन्न कृत्याकृत्यों के लिए एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल, एक लेफ्टिनेंट कर्नल तथा चार मेजर सहित आठ कमीशन प्राप्त अफसरों और एक जूनियर कमीशन अफसर के खिलाफ प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। किसी भी जवान के खिलाफ कोई मामला नहीं है। संपूर्ण सेना का मनोबल हमेशा की तरह ऊंचा है।

[हिन्दी]

गांधी स्मारक का विकास

1767. डा. संजय पासवान : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली में 5-तीस जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मारक का विकास और विस्तार करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। गांधी स्मृति और दर्शन समिति, जोकि 5-तीस जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मारक की देख-रेख करती है, की शहीदी स्तम्भ, जहां गांधी जी हत्यारे की गोली का शिकार हुए थे, का पुन: डिजाइन तैयार करने और उसका विस्तार करने की योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

भारतीय वायु सेना की अल्पकालीन सेवा योजना में विसंगतियां

1768. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय वायु सेना की अल्पकालीन सेवा योजना में विभिन्न विसंगतियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना को युक्तिसंगत बनाने के लिए इन विसंगतियों को दूर करने का निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो विसंगतियों को कब तक दूर किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) विसंगतियां विशेष रूप से प्रारंभिक नियुक्ति की अवधि, सेवावृद्धि की अवधि, रिलीज/रिजर्व दायित्वों के लिए प्रशिक्षण अवधि/पद्धति तथा विकल्प के संबंध में प्रशिक्षण और शर्तों तथा निबंधनों के क्षेत्र में हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अल्पकालिक सेवा कमीशन की योजनाओं को युक्तियुक्त बनाने के लिए निकट भविष्य में आवश्यक निदेश जारी किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

पोत परिवहन यार्ड संबंधी व्यापक योजना

1769. श्री मोहन रावले : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सरकारी क्षेत्र के दो पोत परिवहन यार्डों को विश्व स्तर के पोत परिवहन और रख-रखाव यार्ड के रूप में परिवर्तित करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों को समान अवसर प्रदान करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्द्धा में सुधार के लिए घरेलू और विदेशगामी जलयानों के निर्यात दोनों के जहाज निर्माण आदेशों पर 30% सब्सिडी स्कीम तैयार की है। इसके अलावा, ऐसे यार्डों को आर्डर देने वाली नौवहन कंपनियां विदेशी वाणिज्यिक ऋणों (ई.सी.बी.) अथवा भारतीय वित्तीय संस्थाओं से धनराशि भी जुटा सकती हैं। यदि धनराशि भारतीय वित्तीय संस्थाओं से जुटाई जाती है तो अनुमत सीमा तक ब्याज अंतर सब्सिडी भी स्वीकार्य है।

[अनुवाद]

कोयले की भाड़ा दरें

1770. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के विभिन्न जोनों में कोयले के आवागमन के लिए भाड़ा दरों में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयले के आवागमन के लिए रेल भाड़ा दरों को युक्तिसंगत बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) जी नहीं। कोयले के लिए मालभाड़ा दरें, जो कि अलग-अलग दूरियों के लिए भिन्न-भिन्न हैं, सभी जोनल रेलों में समान रूप से लागू होती हैं। इस संबंध में आगे किसी युक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

'चैत्य भूमि' का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में परिवर्तन करना

1771. **श्री जय प्रकाश** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई में बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक ''चैत्यभूमि'' को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में परिवर्तित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) सरकार ने महाराष्ट्र में डा. बी.आर. अम्बेडकर स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रूपरेखाएं तैयार की जा रही हैं।

[अनुवाद]

बांद्रा-गांधीधाम एक्सप्रेस

1772. **श्री किरीट सोमैया** : क्या रेल मंत्री बांद्रा और गांधीधाम के बीच रेलगाड़ी चलाने के बारे में 10 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 3091 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांद्रा-गांधीधाम एक्सप्रेस चलनी शुरू हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त रेलगाड़ी को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) 9601/9602 बांद्रा-गांधीधाम एक्सप्रेस 24.11.2000 से चला दी गई है।

इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के यात्रियों को भाड़े में रियायत

1773. **श्री नरेश पुगलिया** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और एलाएंस एयर की उड़ानें जो रात्रि को दस बजे के बाद चलती हैं, में यात्रा करने वाले यात्रियों को भाड़े में रियायत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस की नागपुर-दिल्ली उड़ान (सीडी 7470) जो पहले नागपुर से रात्रि में 11.10 बजे चलती थी उसका समय बदलकर रात्रि में 10.30 बजे कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या नागपुर-दिल्ली उड़ान के यात्रियों को भी विमान भाड़े में रियायत दी गई;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी हां। एयर इंडिया 8 बजे रात से लेकर 8 बजे दिन तक किराए में रियायत देती है।

इंडियन एयरलाइंस/एलायंस एअर भी अपनी विपणन रणनीति के रूप में भारत के 8 सैक्टरों में रात के समय किराए में रियायत देती है।

(ग) एलायंस एयर ने 22 मई, 2000 से 14 जून, 2000 तक 2310 बजे रात्रि में नागपुर से होकर दिल्ली के लिए सीडी-7470 का प्रचालन किया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) दिल्ली/रायपुर/नागपुर/दिल्ली मार्ग पर इन सैक्टरों में एलायंस एयर की सिर्फ सीडी-7469 विमान सेवा प्रचालित की जा रही है। इसे देखते हुए और राजस्व में कोई कमी लाए बिना इस मार्ग पर रियायत देने का कोई औचित्य नहीं है; ऐसी कोई रियायत नहीं दी गई है।

दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर

1774. **श्री सुनील खां** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण के और काउंटर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इन काउंटरों को कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर इस समय दो पारियों में एक पूछताछ काउंटर और दो बुकिंग काउंटर कार्य कर रहे हैं। इस समय कार्यभार को देखते हुए यह व्यवस्था पर्याप्त है।

विशेष पर्यटन जोन

1775. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दक्षिणी राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पर्यटन जोन सूची में केरल राज्य को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त जोन में शामिल करने के लिए अन्य किन राज्यों को चुना गया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) केरल राज्य में बेकल को विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। केरल राज्य ने इस उद्देश्य के लिए बेकल विकास प्राधिकरण गठित किया है।

(ग) बेकल के अलावा, निम्नलिखित क्षेत्र, विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में अभिनिर्धारित किए गए है:-

तमिलनाडु में मुत्तकाडु - मामल्लापुरम।

उड़ीसा में पुरी - कोणार्क।

महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग।

दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र में दीव।

[हिन्दी]

रक्षा कर्मियों के खिलाफ मामले

1776. **मोहम्मद शहाबुद्दीन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेना द्वारा कितने सैनिकों/अधिकारियों का अपनी शक्तियों और कर्त्तव्यों का दुरुपयोग करने के लिए कोर्ट-मार्शल किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सेना द्वारा कितनी शिकायतें प्राप्त की गईं, कितने सैनिकों/अधिकारियों को दोषी पाया गया और कितनी शिकायतों को आधारहीन पाया गया;

(ग) क्या सरकार को इन मामलों की सुनवाई करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया को संशोधित करने के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) जनवरी, 1997 से दिसंबर, 1999 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान सेना कार्मिकों द्वारा कथित रूप से किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की सेना मुख्यालय द्वारा प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या 593 है। हालांकि इनमें से 561 शिकायतें निराधार पाई गई किन्तु 26 शिकायतें सही पाई गईं और 6 शिकायतों के संबंध में अभी भी जांच कार्य चल रहा है। मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में सैनिक अदालत द्वारा कुल 38 तथा प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से 5 मामलों में दोषसिद्धि हुई है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 1996-97 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में टिप्पणी की थी कि जब सेना द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच चल रही हो तो आयोग को उपर्युक्त कार्यवाही देखने की अनुमति दी जाए। तथापि, सरकार का मत है कि चूंकि मानवाधिकारों के कथित उल्लंघनों के मामलों की जांच तेजी से की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है अत: मौजूदा प्रक्रिया में संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

मानवाधिकारों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले कार्मिकों को निवारक दंड दिए जाने के अतिरिक्त सभी रैंकों के कार्मिकों को मानवाधिकार संबंधी पहलुओं के बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जाता है। सिविलियनों को होने वाली असुविधाओं को कम-से-कम करने के लिए प्रति-विद्रोही कार्रवाइयां चलाने के लिए औपचारिक रूप से एक मानकीकृत प्रचालन प्रक्रिया भी तैयार की गई है।

वेतन का भुगतान न होना

1777. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूरत (गुजरात) में विभिन्न कपड़ा मिलों में मिल-वार अनुमानत: कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या उक्त मिलों में कार्यरत श्रमिकों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) वस्त्र आयुक्त के कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार, सूरत, गुजरात में विभिन्न सूती/मानव-निर्मित फाईबर वस्त्र मिलों (गैर-एस.एस.आई.) में कार्यरत कर्मचारियों की अनुमानित संख्या 4017 है। उपस्थिति पंजिका में कामगारों की मिल-वार संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	मिल का नाम	उपस्थिति पंजिका में कामगार
1.	निरंजन मिल्स (पिरामल स्पिनिंग व वीविंग मिल्स लि. का एक प्रभार)	680
2.	सूरत जिला कॉपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि.	1853
3.	हांजेर फाइबर्स लि.	93
4.	स्टैण्डर्ड इंडस्ट्रीज लि. (सूरत कॉटन मिल्स)	927
5.	गार्डेन कॉटन व यार्न लि. (द सूरत टैक्सटाइल मिल्स लि.)	324
6.	गार्डेन कॉटन व यार्न लि. यूनिट नं. 2 (द सूरत टैक्सटाइल मिल्स लि.)	140
	कुल	4017

*31.10.2000 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त तालिका में क्रम सं. 2 और 4 में मिलें बंद पड़ी थीं।

(ख) से (घ) सरकार को कामगारों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान न करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस का ईंधन के रूप में उपयोग

1778. **श्री महबूब जहेदी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक संगठनों को रियायती दरों पर प्राकृतिक गैस को ईंधन के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में प्राकृतिक गैस का मूल्य 50 से 60 प्रतिशत कम है; और

(घ) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 1.10.1997 से प्राकृतिक गैस का उपभोक्ता मूल्य ईंधन तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के साथ सहबद्ध कर दिया गया है जिससे यह सहबद्धता 1997-98 में 55 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 65 प्रतिशत और 1999-2000 में 75 प्रतिशत हो गई। यह भी निर्णय लिया गया कि इन मूल्यों का पुनरीक्षण 2002 तक ईंधन तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ 100 प्रतिशत समता तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाएगा। तथापि, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए गैस के उपभोक्ता मूल्य को 1997-98 में 30 प्रतिशत, 1998-99 में 40 प्रतिशत और 1999-2000 में 45 प्रतिशत समता पर ईंधन तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से सहबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त 300 रुपये प्रति हजार घन मीटर की छूट उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उपभोक्ताओं के लिए मामला दर मामला आधार पर दी जाती है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मामले के विपरीत प्राकृतिक गैस के मामले में कोई मानक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं है क्योंकि आपूर्ति और मांग परिस्थितियों के आधार पर इसका मूल्य देश दर देश भिन्न-भिन्न रहता है।

तथापि, जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, गैस के उपभोक्ता मूल्य को किसी वैकल्पिक ईंधन के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के साथ सहबद्ध करने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

स्वीडन से बोफोर्स तोपों की खरीद

1779. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करगिल युद्ध में बोफोर्स तोपों के कार्य-निष्पादन को ध्यान में रखते हुए स्वीडन से और तोपें खरीदे जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सौदे को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) बोफोर्स, स्वीडन से पहले खरीदी गई तोपें, 155 मि.मी. की तोपें हैं। विश्व के विभिन्न विक्रेताओं द्वारा प्रस्तावित 155 मि.मी. की आर्टिलरी तोपों का "कोई लागत नहीं कोई वचनबद्धता नहीं" के आधार पर परीक्षण मूल्यांकन कराया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय विमान प्राधिकरण की अतिक्रमणाधीन भूमि

1780. **श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में भारतीय विमान प्राधिकरण की 260 करोड़ रुपए मूल्य की 65 एकड़ भूमि, पर लगभग 5300 परिवारों द्वारा अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अतिक्रमणकर्त्ताओं के पुनर्वास के लिए लोथूकुंटा और कुकापल्ली में 25 करोड़ रुपए मूल्य की 158.41 एकड़ भूमि आवंटित करने के लिए सहमत हो गई है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय विमान प्राधिकरण के अतिक्रमणकर्त्ताओं को शीघ्र हटाने और पुनर्वासित करने के लिए 17.74 करोड़ रुपए देने हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) आंध्र प्रदेश में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की लगभग 97 एकड़ भूमि पर कब्जा किया हुआ है। अभी तक इस भूमि की कोई कीमत तय नहीं की गई है।

(ख) राज्य सरकार ने, कुकटपल्ली और लोथुकुंटा में 149.56 एकड़ भूमि तय की है जिस पर इनके पुनर्वास की योजना तैयार की है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पुनर्वास के लिए पहले ही 4.58 करोड़ रुपए दे दिए हैं। राज्य सरकार ने अब अनुमानों को संशोधित करके 17.74 करोड़ रुपए कर दिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का यह मानना है कि प्रचालनात्मक प्रयोजनों के लिए तत्काल आवश्यकता के लिए इस भूमि के उपलब्ध न हो पाने के कारण यह अनुमान बहुत अधिक ऊंचे हैं और निकट भविष्य में हैदराबाद में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एक नया हवाई अड्डा जल्दी ही अस्तित्व में आने वाला है।

पुराने हेलीकॉप्टर बेड़े को बदलना

1781. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पवन हंस के लिए पुराने हेलीकॉप्टर बेड़े को बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करने के लिए किसी करार के संबंध में बातचीत अथवा हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) उक्त करार के नियम व शर्तों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) वृद्धि करना/विमान-बेड़ा नवीनीकरण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की अपनी हेलीकॉप्टर-बेड़ा विस्तार करने के लिए दो मध्यम प्रकार के हेलीकॉप्टरों को तुरन्त प्राप्त करने की योजनाएं हैं। यह प्रस्ताव विचाराधीन है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की कुछ समय पश्चात् विस्तृत तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करने के पश्चात् इसके डॉफिन बेड़े के प्रतिस्थापन के लिए दस और मध्यम किस्म के हेलीकॉप्टर प्राप्त करने की भी योजनाएं हैं।

सशस्त्र सेनाओं में वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारियों के लिए टेलीफोन सुविधाएं

1782. श्री अमर राय प्रधान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उप-सचिव और उससे ऊपर के पदों के समकक्ष कमीशन प्राप्त नौसेना के सभी अधिकारी आवासीय टेलीफोन सुविधा पाने के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो सशस्त्र सेना मुख्यालय (ए.एफ.एच.क्यू.) में वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारियों का वेतनमान भी उप-सचिव के समकक्ष है;

(ग) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार थल सेना/नौसेना/वायुसेना मुख्यालय में जिन वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारियों को आवासीय टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की गई है, उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का इस अनियमितता को कब तक दूर किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सैन्य मुख्यालयों में कार्य कर रहे नियमित आधार पर 12000-375-16500 रुपए (संशोधन पूर्व वेतनमान 3700-150-5000 रु.) के वेतनमान में पदोन्नत किए गए सभी वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी उप सचिव के समकक्ष पदों को धारण करते हैं तथा आमतौर पर आवासीय टेलीफोन के हकदार हैं। तथापि, इसी वेतनमान में यथास्थाने आधार पर पदोन्नत अधिकारी, जिन्हें उप सचिव के समान ड्यूटी तथा उत्तरदायित्व नहीं दिए जाते, उपर्युक्त सुविधा के हकदार नहीं होते।

[हिन्दी]

उज्जैन में विमानन प्रशिक्षण केन्द्र

1783. श्रीमती रीना चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उज्जैन में विमानन प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए यश एयर लिमिटेड से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उज्जैन में उड़ान प्रशिक्षण की सुरक्षा अपेक्षाओं के कारण इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया जा सका।

एच.बी.टी. गैस लाइन परियोजना

1784. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधान मंत्री ने बिहार विकास पैकेज के अंतर्गत बिहार में एच.बी.टी. गैस एयर पाइपलाइन परियोजना स्थापित करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त परियोजना को स्थापित करने के लिए क्या पहल की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगी रोक हटाना

1785. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगाई रोक हटाने के बारे में उपभोक्ताओं और तेल कंपनियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तरराज्यीय आवागमन पर लगी रोक में ढील दे दी गई है।

तेल/गैस की खोज करने संबंधी प्रस्ताव

1786. श्री तिरूनावक्करसू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में अदीरमपत्तिनम मुथुकाडु तटवर्ती क्षेत्र में तेल और गैस की खोज करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि उस क्षेत्र में उसकी पर्याप्त संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) अदीरमपत्तिनम-मुथुकाडु तटीय क्षेत्र तलछटी की एक पतली परत से ढका है जिसमें हाइड्रोकार्बन की दृष्टि से बहुत कम सम्भाव्यता है। तथापि, ओ.एन.जी.सी. ने अदीरमपत्तिनम के पास कुछ क्षेत्रों में साठ के दशक के मध्य के वर्षों में हाइड्रोकार्बन कार्य आरम्भ किए। इस क्षेत्र में 2000 लाइन किलोमीटर से अधिक भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र में लगभग दस संरचनाओं का वेधन किया गया है और इससे पुडुकोट्टाई जिले में वाडाथेरू में गैस की खोज हुई। गैस खोज के आसपास के क्षेत्र में सक्रिय अन्वेषण किया जा रहा है। क्षेत्र के भूवैज्ञानिक आंकड़ों के मूल्यांकन के आधार पर एक और संरचना अर्थात् थेरुकुथेरु की पहचान की गई है और 2000-01 के दौरान इस पर कार्य करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा अन्वेषण वेधन इस संरचना के वेधन परिणामों पर निर्भर करेगा। अदीरमपत्तिनम के पास अपतटीय क्षेत्र में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा अन्वेषण कार्य किया जा रहा है।

निवेशक संरक्षण अधिनियम

1787. **श्री जयभद्र सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निवेशक संरक्षण अधिनियम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से निवेशक संरक्षण अधिनियम लाने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) और (ख) जी नहीं, केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 205 ग की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण फण्ड को प्रशासित करने तथा उस फण्ड संबंधी अलग खाते तथा अन्य तर्कसंगत रिकार्डों को उस ढंग से रख रखाव हेतु जैसाकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक से परामर्श से निर्धारित किया जाए, सचिव, कम्पनी कार्य विभाग की अध्यक्षता में दस अन्य सदस्यों वाली एक समिति गठित की है। ज्यों ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त होता है, इन नियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। फण्ड से प्राप्त धन का, उन नियमों के अनुसार जो निर्धारित किए जाते हैं, निवेशकों के हित के संरक्षण तथा निवेश जागरुकता के संवर्द्धन हेतु प्रयोग किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम उत्पादों पर विलम्ब शुल्क

1788. **श्री शीशराम सिंह रवि** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विलम्ब शुल्क पेट्रोलियम उत्पादों की निर्यात लागत का हिस्सा है और आयात शुल्क के आकलन हेतु शामिल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "इंडियन आयल कारपोरेशन" द्वारा मिट्टी के तेल के आयात के संबंध में कुछ मामले सीमाशुल्क आयुक्त, कलकत्ता के न्यायालय में लम्बित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सी.ई.जी.ए.टी., नई दिल्ली द्वारा निर्वचन की शर्तों के अनुसार विलंब शुल्क प्रभार पेट्रोलियम उत्पादों की आयात लागत का भाग नहीं है और इसलिए इसे आयात शुल्क का अनुमान लगाने के प्रयोजनार्थ सम्मिलित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, इंडियन आयल कारपोरेशन के द्वारा आयातित मिट्टी तेल के संबंध में सीमाशुल्क आयुक्त, कलकत्ता द्वारा अधिनिर्णय के लिए कोई मामले लंबित नहीं हैं।

हल्दिया से इलाहाबाद तक माल/पोतभार सेवा

1789. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :**
श्री धर्मराज सिंह पटेल :

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दिया बन्दरगाह से इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश तक जलमार्ग को वाणिज्यिक आधार पर माल/पोतभार परिवहन के लिए पोतों हेतु खोला गया है;

(ख) यदि हां, तो इस जलमार्ग से किन-किन मदों का पोत परिवहन हो रहा है;

(ग) कौन से अन्य जलमार्ग खोलने पर विचार किया जा रहा है;

(घ) इस योजना पर कुल कितना खर्च आएगा;

(ङ) क्या इस मार्ग पर हल्दिया से इहालाबाद तक पर्यटकों को आकृष्ट करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित होगी?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) राज.ज.-1 का हल्दिया-कलकत्ता-पटना खंड 1.8 मी. तक डुबाव वाले जलयानों से यात्री और माल की ढुलाई हेतु वर्ष में 330 दिनों के लिए खुला है। वर्ष में 300-330 दिनों के लिए 1.8 मी. डुबाव वाले जलयानों के प्रचालन हेतु पटना-इलाहाबाद खंड में जलमार्ग की व्यवस्था के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

(ख) राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 पर ढोए जाने वाले सामान में सीमेंट, जूट बैग, सिलिका सेड, कोयला/कोक-उर्वरक, बड़े आयाम वाला कार्गो आदि शामिल हैं।

(ग) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने निम्नलिखित 10 जलमार्गों की पहचान की है जिनमें राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में विकसित और घोषित किए जाने की संभावना है:-

1. गंगा-भागीरथी-हुगली नदी व्यवस्था
2. ब्रह्मपुत्र
3. पश्चिमी तटीय नहर
4. सुन्दरबन
5. गोदावरी
6. कृष्णा
7. महानदी
8. नर्मदा
9. गोवा में मांडोवी, जुआरी नदियां और कम्बरजुआ नहर
10. तापी

इनके अलावा बराक नदी, पूर्वी तटीय, डी.वी.सी. नहर और काकीनाडा-मरकेनम नहर पर तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन भी किए गए हैं जिनसे पता लगता है कि इन जलमार्गों में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास की गुंजाइश है।

तीन जलमार्गों को अर्थात् हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा (1620 कि.मी.) सैदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र (891 कि.मी.) तथा चम्पाकारा एवं उद्योगमंडल नहरों सहित पश्चिमी तटीय नहर (205 कि.मी.) को पहले ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है और संसाधनों की उपलब्धता के अंतर्गत नौचालन चैनल, टर्मिनल और नौचालन सुविधाएं जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके इनका विकास किया जा रहा है।

अन्य जलमार्गों की राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषणा और फिर मा.अं.ज.प्रा. द्वारा उनका विकास करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य भा.अं.ज.प्रा. द्वारा विभिन्न योजनागत स्कीमों के माध्यम से किया जाता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में तीनों राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए 264 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है।

(ङ) पर्याप्त डुबाव के साथ विकसित जलमार्ग का उपयोग कार्गो, यात्री परिवहन तथा पर्यटन के उद्देश्य से किया जा सकता है। हल्दिया और इलाहाबाद के बीच गंगा पर पर्यटक आकर्षित करने के लिए भा.अं.ज.प्रा. के पास फिलहाल कोई स्कीम नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जल परिवहन प्रणाली

1790. **श्री रामशकल:** क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की रेल और सड़क परिवहन की तरह जल परिवहन हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत गठित किया गया भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ नौवहन तथा नौचालन के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग और सम्बद्ध भूमि के विकास, अनुरक्षण और बेहतर उपयोग के लिए सर्वेक्षण और जांच करता है तथा इस संबंध में स्कीमें तैयार करता है।

(ख) और (ग) जी हां। अंतर्देशीय जल परिवहन में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए कतिपय राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहनों की परिकल्पना करते हुए एक नीतिगत ढांचा तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

भारतीय नौवहन निगम के अधीन परियोजनाएं

1791. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान भारतीय नौवहन निगम (एस.सी.आई.) द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं में निवेश की कितनी राशि शामिल है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) भारतीय नौवहन निगम ने 9वीं योजना अवधि के दौरान कुल 23.87 लाख डी.डब्ल्यू.टी. के कुल 53 जलयान खरीदने का प्रस्ताव किया था। तथापि, भा.नौ.नि. के सामने आई विभिन्न कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए अधिग्रहण कार्यक्रम को बाद में संशोधित कर दिया गया था और भा.नौ.नि. का अब 9वीं योजना अवधि के दौरान 25 जलयान खरीदने का प्रस्ताव है।

(ख) 25 जलयान खरीदने के लिए कुल लगभग 3479 करोड़ रु. का निवेश होगा।

(ग) भारतीय नौवहन निगम ने इन परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं और कुल 1.29 लाख डी.डब्ल्यू.टी. के 4 जलयान खरीद लिए गए हैं तथा कुल 5.34 लाख डी.डब्ल्यू.टी. के 8 जलयान खरीदने का आर्डर भी दे दिया गया है। शेष 13 जलयानों को योजना अवधि में खरीदने/आर्डर के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

आंध्र प्रदेश में अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली का विकास

1792. श्री राम मोहन गाड्डे: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली के विकास हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम (सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी.) के घाटे को कम करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काकीनाडा और मरकठन्नम के बीच एकीकृत नहर प्रणाली के लिए तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन किए हैं जिसमें काकीनाडा नहर, इलुरू नहर, कोमामुर नहर, नार्थ बुकिंघम नहर और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के भाग शामिल हैं। किए गए अध्ययन के अनुसार यह एकीकृत जलमार्ग प्रणाली अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए व्यवहार्य है। तथापि, जलमार्ग प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करना और आगे उसका विकास करना निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) प्रबंध परामर्शदाता मैं.ए.एफ. फर्गुसन एंड कंपनी ने सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. को हुए घाटे के जो कारण अभिज्ञात किए, वे हैं-अलाभकारी रूट, कम उत्पादकता, अत्यधिक स्टॉफ इत्यादि। सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. के शीघ्र लागू होने वाले पुनर्वास पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ अनुत्पादक कार्य-कलापों को चरणबद्ध रूप में हटाना, जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाना, व्यवहार्य कार्य-कलापों को सुदृढ़ करना तथा रात्रि नौचालनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराकर पारागमन अवधि कम करना इत्यादि की परिकल्पना की गई है।

पत्तन न्यास के कर्मचारियों हेतु अस्पताल

1793. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न पत्तन न्यासों (पोर्ट ट्रस्ट) का अपने कर्मचारियों के लिए अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो पत्तनवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक पत्तन कर्मचारियों के लिए अस्पतालों के निर्माण हेतु वित्तपोषण कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पारादीप में कोई अस्पताल बनाया है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(छ) इस हेतु विश्व बैंक से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) भारत के सभी ग्यारह महापत्तन न्यासों में अपने कर्मचारियों के लिए अस्पताल हैं।

(ग) मुम्बई पत्तन न्यास के अस्पताल को छोड़कर इन अस्पतालों के निर्माण में विश्व बैंक का कोई धन नहीं लगा है।

(घ) मुम्बई पत्तन न्यास अस्पातल परियोजना की लागत सन् 1962 में 50.77 लाख रु. थी और व्यय का विदेशी मुद्रा घटक ही विश्व बैंक से अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी क्रेडिट लेकर पूरा किया गया था।

(ङ) जी हां।

(च) पारादीप पत्तन में पत्तन कर्मचारियों के लिए 1964 से ही एक अस्पताल है।

(छ) इस अस्पताल के निर्माण में विश्व बैंक का कोई धन नहीं लगा है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति/तैनाती

1794. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी:
सरदार बूटा सिंह:

क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मंत्रालय के अधीन विभिन्न स्वायत्त निकायों/उद्यमों/उपक्रमों के प्रमुख/मुख्य कार्यकारी/अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक और निदेशक, प्रबंधन बोर्ड के आधिकारिक/गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती/नियुक्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पत्तन न्यासों और राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड (एन.एस.बी.) के अधीन उक्त पदों/कार्यों के लिए वर्षवार कुल कितने व्यक्तियों की नियुक्ति/तैनाती की गई है; और

(घ) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या क्या है और इस अवधि के दौरान नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

फोटो प्रदर्शनी

1795. श्री पवन कुमार बंसल: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ललित कला अकादमी ने प्रधानमंत्री पर एक फोटो प्रदर्शनी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अकादमी द्वारा राजनीतिक व्यक्तियों पर प्रदर्शनियां आयोजित न करने की पूर्व प्रथा से अलग है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रदर्शनी का लक्ष्य रचनात्मक दृश्य कलाओं से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के अकादमी के उद्देश्य को पूरा करना था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रदर्शनी के प्रायोजक कौन थे और अकादमी ने इस हेतु कितना शुल्क लिया था?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं। ललित कला अकादमी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री के संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे पर प्रदर्शनी एक गैर-सरकारी संगठन दिल्ली स्टडी ग्रुप द्वारा आयोजित की गयी

और ललित कला अकादमी ने प्रदर्शनी के लिए नि:शुल्क दीर्घा स्थल प्रदान किया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर में पुलिस हिरासत से आतंकवादियों को ले जाया जाना

1796. श्री तूफानी सरोज: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 23 अक्तूबर, 2000 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित समाचार के अनुसार जम्मू-कश्मीर में सेना के जवान कथित रूप से एक पुलिस स्टेशन पर हमला करके हवालात से चार कट्टर आतंकवादियों को ले गए जिन पर कार की चोरी का आरोप था और जिन्होंने राज्य की पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रयोगशालाओं की स्थापना

1797. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है/स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्थलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) संरक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए देहरादून, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विज्ञान शाखा का मुख्यालय है, में एक प्रयोगशाला स्थित है। वर्ष 2000-2001 में इस शाखा के लिए बजट 1.75 करोड़ रुपये है।

शेरशाह सूरी के मकबरे के परिसर में मंदिर का निर्माण

1798. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार में सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरे के परिसर में चल रहे मंदिर निर्माण कार्य पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा व्यक्त की गई गम्भीर चिन्ता की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) मंदिर का चल रहा निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश

1799. सरदार बूटा सिंह: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली डा. अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित सीटों के पूरे कोटे में इस समुदाय के विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में विभिन्न संकायों/विभागों में वर्षवार कुल कितनी सीटें दी गई और इनमें से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी गई; और

(घ) उक्त सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू न किए जाने के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) डॉ. अंबेडकर जन्मशती समारोह समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में पूर्ण-आरक्षण के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का दाखिला सुनिश्चित करने के लिए थी।

(ख) डॉ. अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सिफारिशें भेज दी हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्रत्येक वर्ष नाट्यशास्त्र में अपने तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 20 छात्रों को दाखिला प्रदान करता है। यह चयन द्वि-स्तरीय साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। बीस में से चार सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उद्दिष्ट हैं, जिनमें प्रदर्शनकारी कलाओं के पारंपरिक घरानों से जुड़े सदस्यों को अधिमान्यता दी जाती है। इन श्रेणियों में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर ही इन सीटों की पेशकश सामान्य श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवारों को की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वर्ष 1996-97 में चार वर्ष 1997-98 व 1999-2000 और 2000-2001 में दो-दो तथा वर्ष 1998-99 में तीन उम्मीदवारों का दाखिला हेतु चयन किया गया।

[हिन्दी]

संतुष्टि परिसर को खाली कराया जाना

1800. श्री अखिलेश यादव :
श्री राशिद अलवी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधान मंत्री आवास के निकट संतुष्टि परिसर को खाली कराए जाने के संबंध में निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाली कराए जाने के लिए कितना समय दिया गया है;

(ग) न्यायालय के आदेश का पालन करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) परिसर को पूरी तरह खाली कराने में कितना समय लगेगा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा संतुष्टि परिसर में अनधिकृत कब्जाधारकों/दुकानकारों के खिलाफ की जा रही कार्यवाहियों पर नजर रखी जा रही है। तथापि इस प्रकार की न्यायिक कार्यवाहियों को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

प्रतिस्पर्धा विधेयक

1801. श्री विनय कुमार सोराकेः क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संसद के शीतकालीन सत्र में प्रतिस्पर्धा कानून विधेयक प्रस्तुत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त विधेयक कब प्रस्तुत किया जाएगा?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) से (ग) सरकार प्रतिस्पर्द्धा विधेयक को जल्द से जल्द उपलब्ध अवसर पर संसद में पुरः स्थापित करना चाहेगी। तथापि, सरकार ने अभी तक विधेयक को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

सरकार ने, फिलहाल, प्रतिस्पर्द्धा कानून पर केवल एक ड्राफ्ट संकल्पना विधेयक तैयार किया है। संकल्पना विधेयक की एक प्रति इन्टरनेट पर (कम्पनी कार्य विभाग की वैबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू निक इन/डी सी ए) पर सभी संबंधितों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए उपलब्ध करा दी गई है।

संकल्पना विधेयक मोटे तौर पर निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करता है:

1. उन उद्यमों के बीच करारों का निषेध करना जिसमें भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है या पड़ने की संभावना होती है।
2. उद्यमों द्वारा प्रदान स्थिति के दुरुपयोग का निषेध करना।
3. उद्यमों के अधिग्रहणों, विलयनों तथा समामेलनों (सामूहिक रूप से "सम्मिश्रण" कहलाए जाने वाला) की जांच करना जब वे निर्धारित अवसीमा सीमाओं से अधिक हो जाएं ताकि ऐसे सम्मिश्रण प्रतिस्पर्द्धा विरोधी परिस्थितियां न पैदा करें।
4. इन मामलों पर जांच करने व न्यायनिर्णय देने के लिये भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सी.सी.आई.) नाम से एक अर्द्धन्यायिक निकाय को स्थापित करना।
5. विद्यमान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 को हटाने व एम.आर.टी.पी. आयोग को समाप्त करने के लिए।

6. एम.आर.टी.पी. आयोग के समक्ष लम्बित मामलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सी.सी.आई. व उपभोक्ता फोरा को अन्तरित करने के लिए।

और अधिक आरक्षण पटल खोलना

1802. श्री भेरूलाल मीणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण के लिए यात्रियों को काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों की सुविधा के लिए और अधिक आरक्षण पटल खोलने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो स्थलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) व्यस्त अवधि यथा ग्रीष्मकालीन भीड़, पूजा भीड़ और क्रिसमस अवकाश के दौरान टिकट खरीदने के लिए दिल्ली क्षेत्र सहित सभी आरक्षण कार्यालयों में प्रतीक्षा समय वर्ष की अन्य अवधियों की तुलना में सापेक्ष रूप से अधिक होता है।

(ख) और (ग) आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था और उनका विस्तार करना एक सतत् प्रक्रिया है। व्यस्त अवधियों के दौरान भारी मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा आरक्षण केन्द्रों में अतिरिक्त खिड़कियां उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, मौजूदा आरक्षण केन्द्रों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए प्रमुख शहरों में नए आरक्षण केंद्र खोले जाते हैं, दिल्ली क्षेत्र में पहले से ही परिचालित आरक्षण केंद्रों के ब्यौरे का विवरण संलग्न है। इसके अलावा, तुगलकाबाद, सब्जी मण्डी, शकूरबस्ती, सेना भवन और गोपीनाथ बाजार में भी आरक्षण केन्द्रों की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

दिल्ली क्षेत्र में परिचालित आरक्षण केंद्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्थल
1	2
1.	आई.आर.सी.ए. बिल्डिंग (नई दिल्ली)
2.	दिल्ली स्टेशन
3.	संसद भवन
4.	निजामुद्दीन
5.	सरोजिनी नगर
6.	कीर्तिनगर
7.	दिल्ली शाहदरा
8.	नई दिल्ली स्टेशन
9.	बड़ौदा हाऊस (नई दिल्ली)
10.	रेल भवन (नई दिल्ली)
11.	कड़कड़डूमा
12.	नोएडा
13.	न्यू आजादपुर
14.	दिल्ली कैंट
15.	टूरिस्ट ब्यूरो, नई दिल्ली स्टेशन
16.	नई दिल्ली (ओखला)
17.	नई दिल्ली (सुप्रीम कोर्ट)
18.	नई दिल्ली (आई.जी.आई. एयरपोर्ट)
19.	नई दिल्ली (लाजपत नगर)
20.	दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन
21.	प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (नई दिल्ली)
22.	दिल्ली टूरिज्म (नई दिल्ली)

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1803. श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के लिए किसी वेतन कटौती या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के संबंध में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परिचालन लागत का क्या प्रभाव पड़ेगा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रस्तावों का उनके संबंधित निदेशक मण्डलों ने अनुमोदन कर दिया है और यह इस समय सरकार के पास विचाराधीन है।

[हिन्दी]

बिहार में रक्षा मंत्रालय की भूमि

1804. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी है कि बिहार के कटिहार जिले में रक्षा मंत्रालय की काफी भूमि अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस भूमि पर सैन्य विद्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस भूमि को किस प्रकार उपयोग में लाया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) कटिहार में 683.31 एकड़ रक्षा भूमि उपलब्ध है। इस भूमि की प्रबंध-व्यवस्था सेना करती है और इसका उपयोग सैन्य यूनिटों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण स्थल योजना के लिए किए जाने का प्रस्ताव है। इस समय इस भूमि पर मिलिटरी स्कूल की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

स्वायत्त निकायों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति/तैनाती

1805. श्री राजैया मल्याला: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त, सांविधिक अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों के प्रमुख/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और प्रशासी परिषद् प्रबंधन बोर्ड के आधिकारिक/गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति/तैनाती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय के अधीन हिमालयन टूरिज्म एडवाइजरी बोर्ड के प्रमुख/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/आधिकारिक/गैर-आधिकारिक सदस्यों की श्रेणी के कुल कितने पद हैं और 01 जनवरी, 1996 और 01 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार इन पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति कार्यरत थे?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पेट्रोल बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस डीलरशिप का आबंटन

1806. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जाली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र पर पेट्रोल बिक्री केन्द्रों, खुदरा बिक्री काउन्टरों और रसोई गैस डीलरशिप आबंटन के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने बिक्री केन्द्र और रसोई गैस डीलरशिप रद्द किए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) तेल विपणन कंपनियों ने बताया है कि विगत तीन वर्षों (अर्थात् 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000) के दौरान नकली अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर किए गए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/एस.के.ओ. - एल.डी.ओ. डीलरशिपों के आबंटन का कोई मामला अंतिम रूप से सिद्ध नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

वरिष्ठ नागरिकों के मामले

1807. श्री राशिद अलवी: क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** 17 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3811 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मामले में सूचना एकत्र की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय और सात उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। अन्य उच्च न्यायालयों से जानकारी अभी प्राप्त होनी है।

(ग) कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

विवरण

भारत का उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय में लंबित मामलों की सही-सही संख्या बताने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। तथापि, उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से बुजुर्ग व्यक्तियों से संबंधित मामलों की पहचान करके पूर्विकता के आधार पर निपटाने का अनुरोध किया गया है।

उच्च न्यायालय

	उच्च न्यायालय का नाम	उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या (अगस्त, 2000 में)	अतिरिक्त ब्यौरा
	1	2	3
1.	गुवाहाटी	617	उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय की बाहर स्थित सभी न्यायपीठों और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की अधिकारिता के अधीन, अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसे मामलों को पूर्विकता के आधार पर निपटाने के अनुदेश जारी किये हैं जिनमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अंतर्वलित हैं।
2.	हिमाचल प्रदेश	725 (केवल जिला और अधीनस्थ न्यायालय)	उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को 65 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों के मामलों को पूर्विकता के आधार पर निपटाए जाने के अनुदेश जारी किए हैं।
3.	जम्मू-कश्मीर	1631	उच्च न्यायालय ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसे मामलों को जिनमें 65 वर्ष से ऊपर की आयु के व्यक्ति अंतर्वलित हैं, शीघ्र निपटाने का निदेश दिया है।
4.	केरल	31586 (1.4.2000 को केवल जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में)	उच्च न्यायालय ने ज्येष्ठ नागरिकों से संबंधित मामलों को पूर्वकिता के आधार पर निपटाने के अनुदेश जारी किए हैं। ऐसे मामले समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा मानिटर किए जा रहे हैं।
5.	मध्य प्रदेश	8635 (केवल उच्च न्यायालय में)	इस संबंध में उच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश का पालन कर रहा है।
6.	पटना	10077 (जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में 1.1.2000 को यथा विद्यमान)	उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों को बुजुर्ग व्यक्तियों से संबंधित मामलों का विशिष्टत: उनके मामलों का जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं, पता लगाने और वर्ष 1999 के दौरान पूर्विकता

1	2	3
		के आधार पर उनका निपटान करने का निदेश दिया है और ऐसे अधिकारियों को जो ऐसे मामले निपटाते हैं, सामान्य अनुक्रम में अंतिम निपटान के लिए यूनिटों का 10 प्रतिशत अतिरिक्त श्रेय दिया जाए।
7.	पंजाब और हरियाणा	8033 (पंजाब, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में)	उच्च न्यायालय ने सभी जिला और सेशन न्यायाधीशों को ऐसे मामलों का पता लगा कर उनका पूर्विकता के आधार पर निपटान करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं जिनमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अंतर्वलित हैं।

[हिन्दी]

• विमानपत्तन के उन्नयन हेतु जारी धनराशि

1808. श्री पुष्प जैन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न विमानपत्तनों के उन्नयन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक विमानपत्तनों पर व्यय की गई वास्तविक धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक उन्नयन किए गए विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न विमानपत्तनों के उन्नयन/विकास हेतु आबंटित धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जी, हां। अमृतसर के हवाई अड्डे के विकास के लिए 1999-2000 के दौरान केवल 0.79 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गयी थी। जबकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस प्रयोजन के लिए 1998-99 में 01 करोड़ रुपए खर्च किये तथा 1999-2000 में 0.79 करोड़ रुपए खर्च किये। पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर जैसे अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में हवाई अड्डों के विकास के लिए 1997-98 में 10 करोड़ रुपये, 1998-99 में 19.92 करोड़ रुपए तथा 1999-2000 में 20.50 करोड़ रुपए दिए गए थे। परन्तु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दी गयी बढ़ी हुई बजटीय सहायता से अधिक 1997-98 में 29.53 करोड़ रुपए, 1998-99 में 42.09 करोड़ रुपए और 1999-2000 में 42.32 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। पोर्ट ब्लेयर और लेह हवाई अड्डों के विकास के लिए, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान प्रत्येक के लिए क्रमश: 5.08 करोड़ रुपए तथा 3.71 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गयी थी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा क्रमश: 5.24 करोड़ रुपए और 9.01 करोड़ रुपए खर्च कर दिये गए थे।

(ग) अब तक स्तरोन्नयन किये गये हवाई अड्डों के ब्यौरे हैं: - अप्रैल, 1997 में डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे की हवाई पट्टी और सहायक पेवमेन्टों का सुदृढ़ीकरण और गुवाहाटी में राडार के प्रतिस्थापन; जुलाई, 1997 में दीमापुर में नये टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण; मई, 1998 में गुवाहाटी हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन के आगमन हॉल का विस्तार और एप्रन और संबंधित कार्य; जून, 1999 में सिलचर में 300 यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार; नवम्बर, 1999 में इम्फाल में 650 यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए टर्मिनल भवन का विस्तार; अक्तूबर, 2000 में पोर्ट ब्लेयर और इम्फाल में क्रमश: 500 यात्रियों के लिए नये सिविल एन्क्लेव का निर्माण और तकनीकी ब्लॉक का निर्माण; नवम्बर, 2000 में तेजपुर में 400 यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नये सिविल एन्क्लेव का निर्माण।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल पम्पों का आबंटन

1809. श्रीमती जसकौर मीणा:
श्री बृजलाल खाबरी:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितने पेट्रोल पम्प आबंटित किए गए; और

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को ऐसे कितने पेट्रोल पम्प आबंटित किए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों (अर्थात् 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000) के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की 110 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों समेत देश भर में 343 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आबंटित की गई थी।

[अनुवाद]

आई.एल.-214 वायुयान के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम

1810. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री रामपाल सिंह:
श्री रामचन्द्र बैंदा:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस और भारत ने 100 यात्रियों की क्षमता वाले आई.एल.-214 वायुयान के संयुक्त रूप से निर्माण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वायुयान के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी और इसके कब तक निर्मित हो जाने की संभावना है;

(घ) इस वायुयान का किस उद्देश्य से निर्माण किया जा रहा है; और

(ङ) इससे देश में यात्री विमानों की कमी को किस हद तक दूर किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) हाल ही में हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लि. (एच.ए.एल.), भारत और इल्यूशीन डिजाइन ब्यूरो, रूस के साथ हस्ताक्षरित प्रोटोकौल के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ दोनों पक्ष 100 सीटर इल्यूशिन-II-214 विमानों के संयुक्त डिजाइन और उत्पादन की संभाव्यता पर विचार-विमर्श व चर्चा को जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। रूसी हिस्सेदारों के परामर्श से लागत-मूल्य के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। विमानों के बारे में योजना बनाई गई है कि वे सिविल एयरलाइनों के परिवहन के लिए 100 सीटर यात्री विमान के साथ-साथ 15 से 20 टन की श्रेणी में आने वाले विमानों के परिवहन की सुरक्षा अपेक्षाओं को भी पूरा करेंगे।

रक्षा भूमि का अतिक्रमण

1811. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने अपनी हाल की रिपोर्ट में रक्षा भूमि का अवैध अतिक्रमण, भूमि संसाधनों का अनुचित उपयोग और रक्षा भूमि की बर्बादी पर चिंता जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो अतिक्रमित की गई रक्षा भूमि का स्थानवार ब्यौरा क्या है और किन-किन तिथियों में अतिक्रमण हुआ है;

(ग) क्या दिल्ली के घिटोरनी गांव में स्थित रक्षा भूमि पर सड़क निर्माण के जरिए अतिक्रमण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उस भूमि की रक्षा हेतु क्या कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) रक्षा संबंधी स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अतिक्रमणों को प्रभावपूर्ण ढंग से हटाने और रक्षा भूमि से अनधिकृत कब्जाधारियों को हटाने के लिए छावनी प्रशासन, राज्य सरकार और राज्य पुलिस के बीच पर्याप्त समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाने के लिए छावनी प्रशासन को अधिकार प्रदान करने के लिए छावनी अधिनियम में व्यापक संशोधन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि भूमि संसाधनों के दुरुपयोग और उनकी बरबादी को रोकने के लिए भारत सरकार के विभिन्न आदेशों में विद्यमान रक्षा भूमि नीतियों को सांविधिक प्रस्तावों के रूप में समेकित किया जाना चाहिए और इन्हें छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधनों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

(ख) अवैध अतिक्रमणों के अधीन रक्षा भूमि का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। इनमें से अधिकांश रक्षा भूमि विभिन्न व्यक्तियों/राज्य सरकारों आदि द्वारा किए गए अतिक्रमण/अवैध कब्जे के अधीन है जो अतिक्रमण काफी समय में हुए हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय को दिल्ली में घिटोरनी गांव में रक्षा भूमि पर किसी अनधिकृत कब्जे की जानकारी नहीं मिली है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अनधिकृत कब्जे के अंतर्गत भूमि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1558.48160
2.	अरुणाचल प्रदेश	—
3.	असम	833.52000
4.	बिहार	341.75500
5.	दिल्ली	150.41830
6.	गोवा	—
7.	गुजरात	717.82490
8.	हरियाणा	268.70820
9.	हिमाचल प्रदेश	26.01100
10.	जम्मू और कश्मीर	317.08225
11.	कर्नाटक	144.88387
12.	केरल	24.92766
13.	मध्य प्रदेश	270.23100
14.	महाराष्ट्र	1957.66570
15.	मणिपुर	3.91000
16.	मेघालय	21.27570
17.	मिजोरम	—
18.	नागालैंड	—
19.	उड़ीसा	—
20.	पंजाब	3930.96680
21.	राजस्थान	428.95450
22.	सिक्किम	0.52300
23.	तमिलनाडु	124.56162
24.	त्रिपुरा	—
25.	उत्तर प्रदेश	2063.37900
26.	पश्चिम बंगाल	546.81680
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.00000
28.	चंडीगढ़	52.97100
29.	दीव और दमण	—
	कुल	13786.86790

बाल विवाह

1812. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अवैध बाल विवाह जारी रहने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार कितने मामलों का पता लगाया गया; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे विवाहों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) इसी प्रकार के प्रश्न में, अर्थात् 28 नवंबर, 2000 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 138 में दिए गए उत्तर की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

बाल विवाह

***138. श्री राम टहल चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अब भी बाल विवाह हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाल विवाह को रोकने के लिये क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। बाल विवाह की दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा अभी भी देश के कुछ भागों में जारी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, बाल विवाह अवरोध अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान देश में दर्ज मामलों की संख्या क्रमश: 78, 56 और 44 थी। इन आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न है।

(ग) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में 1978 में किए गए एक संशोधन के द्वारा विवाह के लिए न्यूनतम आयु, लड़कों के लिए बढ़ाकर 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दी गयी थी। इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों को संज्ञेय भी बना दिया गया था। तथापि, इस अधिनियम को लागू करना और इसका कार्यान्वयन करना राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 को भी 1976 में संशोधित किया गया था ताकि कोई लड़की बाल विवाह को नकारने में समर्थ हो सके, चाहे विवाह पक्का हुआ हो या नहीं।

उल्लिखित कानूनी प्रावधानों के अलावा, बाल विवाह की सामाजिक बुराई को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) राष्ट्रीय कार्य योजना, जो लड़कियों की उत्तरजीविता, संरक्षण और विकास के बारे में है, के अन्तर्गत, इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए बाल विवाह के विरुद्ध जागरुकता पैदा की जा रही है। स्वयंसेवी संगठनों और विश्वविद्यालयों के जरिए बाल विवाह और इसके परिणामस्वरूप जल्दी गर्भवती होने से लड़कियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों के बारे में सामाजिक जागरुकता भी पैदा की जा रही है।

(2) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को लड़कियों का दर्जा बढ़ाने के लिए विशिष्ट योजना तैयार करने को कहा गया है, जिसका एक उद्देश्य लड़कियों के विवाह को, विवाह की कानूनी आयु से आगे बढ़ाने का होना चाहिए।

(3) महिला और बाल विकास विभाग "बालिका स्मृद्धि योजना" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अन्तर्गत, 15 अगस्त, 1997 को या इसके बाद पैदा हुई लड़कियों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को धन दिया जाता है। वित्तीय सहायता प्रत्येक कक्षा में पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति सहित लड़कियों के खातों में सांविधिक जमा के रूप में है। इस प्रकार से संचित धनराशि, लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु पूरी होने और तब तक अविवाहित रहने पर मिलेगी। इस योजना के अन्तर्गत, 8 लाख लड़कियों के लाभार्थ वर्ष 1999-2000 के दौरान 40 करोड़ रु. की राशि रिलीज की गयी है।

अनुलग्नक

वर्ष 1997 से 1999 तक की अवधि के दौरान बाल विवाह अवरोधक अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित	1997	1998	1999
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	1	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	0	0	0
4.	बिहार	23	5	0
5.	गोवा	0	0	0
6.	गुजरात	29	30	14
7.	हरियाणा	0	3	0
8.	हिमाचल प्रदेश	6	4	3
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0
10.	कर्नाटक	1	2	0
11.	केरल	4	1	11
12.	मध्य प्रदेश	0	1	1
13.	महाराष्ट्र	0	0	7
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0
18.	उड़ीसा	0	0	1

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	1	2	4
20.	राजस्थान	10	5	2
21.	सिक्किम	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1	0	0
23.	त्रिपुरा	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	1	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल राज्य	76	54	44
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	2	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0
28.	दा. और न. हवेली	0	0	0
29.	दमन और द्वीव	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0
32.	पांडिचेरी	1	0	0
	कुल (संघ शासित)	2	2	0
	कुल (समस्त भारत)	78	56	44

स्रोत: 1. 1997-1998 - भारत में अपराध आंकड़े।
2. 1999-मासिक अपराध आंकड़े।
टिप्पणी : 1999 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

[हिन्दी]

यात्रियों के लिए बीमा योजना

1813. श्री सुंदर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेल दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए सभी रेल यात्रियों को बीमा सुविधा प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) 1.8.1994 से रेलवे यात्री बीमा योजना लागू है और यह योजना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 124 और 124-ए में यथा परिभाषित सदाशयी रेल यात्रियों की गाड़ी दुर्घटनाओं अथवा अप्रिय घटनाओं में मृत्यु अथवा चोट लगने के लिए बीमा करती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-पाक सीमा पर स्थिति

1814. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री हरिभाऊ शंकर महाले :
श्री रामजीवन सिंह :
डा. बलिराम :
श्री प्रभात सामन्तराय :
श्रीमती रेनु कुमारी :
श्री ब्रह्मानन्द मंडल :
श्री बी. वेंकटेस्वरलु :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री पी.आर. खुंटे :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में भारत-पाक सीमा पर भारतीय सशस्त्र बल द्वारा विभिन्न स्थानों पर ध्यान में आई पाकिस्तानी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अगस्त से आज तक उन स्थानों और सेना कैम्पों का स्थान-वार और तिथि-वार ब्यौरा क्या है जहां नियंत्रण रेखा के विभिन्न स्थानों और अन्य जगहों पर पाकिस्तानी बलों ने गोलीबारी की;

(ग) गोलीबारी की प्रत्येक घटना में दोनों तरफ के सशस्त्र बलों के कितने जवान और नागरिक हताहत हुए और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को संरक्षित रखते हुए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी गतिविधियों में उसकी जम्मू तथा कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ की गतिविधियां शामिल हैं। नियंत्रण रेखा के साथ-साथ की गतिविधियों में तोपखाने और छोटे हथियारों से फायरिंग करना, आतंकवादियों की घुसपैठ तथा इक्की-दुक्की संवेदनशील चौकियों पर छापे मारने के प्रयास शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना विरचनाओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा के सामने अपने ज्ञात प्रशिक्षण क्षेत्रों और संक्रिया संबंधी स्थानों पर शरदकालीन सामूहिक प्रशिक्षण संचालित किए जाने की रिपोर्टें मिली हैं।

चूंकि पाकिस्तान घुसपैठ को अवप्रेरित करने और हमारे सैनिकों को हताहत करने के लिए नियमित एवं रोजमर्रा की घटना के रूप में अकारण फायरिंग का सहारा लेता है, अत: ऐसे स्थानों और सैन्य कैम्पों के तारीखवार, स्थानवार ब्यौरे देना व्यावहारिक नहीं है जहां पाकिस्तान अगस्त से फायरिंग का सहारा लेता रहा है।

पाकिस्तान की ओर से शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों के कारण अगस्त से 31 अक्तूबर, 2000 तक भारतीय सेना के मारे गए कार्मिकों का ब्यौरा उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार है:-

अफसर	जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर	अन्य रैंक	योग
5	–	21	26

अगस्त और अक्तूबर, 2000 के बीच पाकिस्तान के हताहतों की संख्या अनुपात 410 के आस-पास है। हमारी ओर से हताहत हुए सिविलियनों की संख्या का पता लगाया जा रहा है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों की सतत् रूप से निगरानी की जाती है और भारत से शत्रुता रखने वाले तत्वों के किसी भी दुस्साहसिक प्रयास को विफल करने के लिए समुचित रक्षा तैयारी बनाए रखने हेतु समय-समय पर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पाइप लाइन के माध्यम से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की आपूर्ति

1815. श्री रिजवान जहीर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पाइप लाइनों के माध्यम से वाहनों और उद्योगों को गैस की आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के कितने जिले इससे लाभान्वित होंगे; और

(घ) सरकार द्वारा इसके लिए निर्धारित मूल्य का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) मैसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई.जी.एल.), जो गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, दिल्ली में कुछ एक, क्षेत्रों में पाइपलाइनों के माध्यम से घरेलू/ वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है। इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिल्ली में 51 संपीड़ित प्राकृतिक गैस खुदरा बिक्री केन्द्रों पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) की भी आपूर्ति कर रही है। इसी प्रकार, महानगर गैस लिमिटेड (एम.जी.एल.), जो गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा मैसर्स ब्रिटिश गैस की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, मुंबई शहर में कुछ एक क्षेत्रों में घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गैस खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (यू.पी.एस.आई.डी.सी.एल.), जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एक उपक्रम है, ने गैस के आबंटन की मांग करते हुए लखनऊ तथा बरेली में शहर गैस वितरण प्रणालियों पर तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(घ) सरकार पाइप के द्वारा शहर के अंतर्गत वितरित की जाने वाली प्राकृतिक गैस तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य नियत नहीं करती है।

[अनुवाद]

तेल की बढ़ती कीमतों से विश्व अर्थव्यवस्था को खतरा

1816. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 सितम्बर, 2000 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "आयल प्राइसेज कन्टीन्यू राइज: थ्रीटेन वर्ल्ड इकोनामी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि ईंधन की बढ़ती कीमतों से विश्व अर्थव्यवस्था के पूरे परिदृश्य पर प्रभाव पड़ सकता है;

(ग) क्या यूरोपीय संघ और ओपेक ने विश्व में तेल उत्पादन बढ़ाने हेतु कदम उठाने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आई.एम.एफ.) की वेब साइट के अनुसार आई.एम.एफ. के दो प्रेस सम्मेलन हुए थे जिनमें से एक आई.एम.एफ. के नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य के निर्गम के अवसर पर 19 सितम्बर, 2000 को हुआ था और दूसरा भाग में 20 सितम्बर, 2000 को आई.एम.एफ. के प्रबंध निदेशक द्वारा किया गया था। दोनों ही सम्मेलनों में तेल मूल्य वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर चर्चा की गई थी। विश्व आर्थिक परिदृश्य (अक्तूबर, 2000) में भी तेल मूल्य वृद्धि पर चर्चा की गई थी।

(ग) पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने 2000 के दौरान अपनी निर्धारित बैठकों के विभिन्न दौरों में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि की घोषणा की है।

(घ) सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में उपयुक्त समायोजन करने हेतु अंतरराष्ट्रीय बाजार में घटनाओं की सतत निगरानी करती है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में सेवानिवृत्ति की आयु

1817. **श्री भीम दाहाल :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से घटाकर 58 वर्ष करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों के शीघ्र सेवानिवृत्त होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी हां। यह निर्णय लिया गया था कि एन.टी.सी. में कार्यरत बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष की जाए।

(ख) वर्ष 1999-2000 के लिए एन.टी.सी. मिलों के बढ़ते हुए घाटों, जो 1019 करोड़ रुपए के थे, के मद्देनजर, सरकार ने व्यय को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया के बाद यह कदम उठाया था। इस उपाय का उद्देश्य प्रशासनिक व्यय कम करना तथा मिलों की अर्थक्षमता में सुधार लाना है तथा इसलिए संगठन के दीर्घकालीन हित में है।

(ग) कोई कर्मचारी इस निर्णय के आधार पर अभी तक सेवानिवृत्त नहीं हुआ है। कर्मचारियों का प्रथम दल 31 जनवरी, 2001 को सेवानिवृत्त होगा।

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का विस्तार

1818. **श्री विजय गोयल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की क्षमता बढ़ाने और उसके विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) विस्तार के चरण क्या हैं और परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर विद्यमान परिचालनिक सुविधाएं इस स्टेशन पर यातायात के वर्तमान तथा संभावित स्तरों के लिए पर्याप्त हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस, पेट्रोल, मिट्टी के तेल की डीलरशिप के लिए लंबित आवेदन पत्र

1819. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में महाराष्ट्र में रसोई गैस, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और डीजल की थोक डीलरशिप के आबंटन हेतु कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) यह आवेदन पत्र कब से लंबित हैं और इनके निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) लंबित मामलों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत 212 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें, 305 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 66 एस के ओ-एल डी ओ डीलरशिपें आबंटन के लिए लंबित हैं।

कुछ स्थानों के लिए डीलरों/वितरकों का चयन आम चुनाव 1999 की घोषणा एवं आदर्श आचार संहिता लागू होने तथा तदनंतर इन बोर्डों के भंग होने के कारण डीलर चयन बोर्डों के कार्यशील न रहने की वजह से नहीं हो सका था। डीलरों/वितरकों के शीघ्र चयन के लिए 59 नए डीलर चयन बोर्ड गठित किए गए हैं जिनमें महाराष्ट्र के लिए 4 बोर्ड सम्मिलित हैं। चयन एक चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, और इस अवस्था में लंबित स्थानों के लिए डीलरों/वितरकों का चयन पूरा करने की सही-सही समय सीमा निर्दिष्ट करना संभव नहीं हो पाएगा।

तेल और प्राकृतिक गैस की खोज हेतु भावी योजना

1820. **श्री शिवराज सिंह चौहान:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने अपने आठ प्रमुख तेल क्षेत्रों में तेल निकालने की प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप अगले पांच वर्षों और दस वर्षों के अंत तक तेल क्षेत्रवार कितने टन तेल निकाले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) 14 बड़े क्षेत्रों में कच्चे तेल और गैस की उन्नत निकासी की योजनाएं ओ.एन.जी.सी. द्वारा चरणों में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है जिनमें से आरंभिक चरण में निम्नलिखित आठ क्षेत्रों को हाथ में लिया गया है:-

(1) कलोल

(2) उत्तर काडी

(3) सानन्द

(4) संथल

(5) बालोल

(6) गंधार

(7) नीलम, और

(8) हीरा

ये क्षेत्र अंतिम निकासी में सुधार के लिए मुंबई हाई क्षेत्र के पुनर्विकास हेतु ओ.एन.जी.सी. द्वारा तैयार की गई योजना के अतिरिक्त हैं।

(ग) ओ.एन.जी.सी. द्वारा अनन्तिम अनुमान अगले पांच वर्षों में लगभग 10 मिलियन टन (एम.एम.टी.) संचयी और दस वर्ष की अवधि में 22 एम.एम.टी. संचयी का वर्धित उत्पादन प्राप्त करने की संभावना दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पम्प बिक्री केन्द्र और रसोई गैस एजेंसी खोला जाना

1821. **डा. बलिराम:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मऊ और आजमगढ़ जिले में पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों को खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एजेंसियों के कब तक खुल जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पिछली विपणन योजनाओं से लम्बित स्थानों के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में मऊ के लिए 1 खुदरा बिक्री केन्द्र और 6 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और आजमगढ़ के लिए 3 खुदरा बिक्री केन्द्र और 4 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को 1996-98 की विपणन योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

विपणन योजनाओं में सम्मिलित स्थानों के संबंध में समय-समय पर तेल कम्पनियों द्वारा विज्ञापन दिये जाते हैं और निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से डीलर चयन बोर्ड द्वारा चरणबद्ध तरीके से डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन किया जाता है। साक्षात्कार की तारीख से डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू होने तक आमतौर पर इस प्रक्रिया में 6 से 12 महीने लगते हैं।

निजी क्षेत्र में मदगल्ला विमानपत्तन

1822. **श्री मानसिंह पटेल:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सूरत स्थित मदगल्ला विमानपत्तन को विकास के लिए निजी क्षेत्र को सौंप कर इसे पुन: चालू करने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ख) इसको पुन: शुरू करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) सूरत हवाई अड्डा राज्य सरकार का है जिसने बताया है कि क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में उद्योगों के मौजूद होने के कारण, यातायात की मात्रा को दृष्टि में रखकर, निजी सैक्टर की भागीदारी

के साथ हवाई अड्डे के विकास करने की उनकी अपनी योजनाएं हैं।

[अनुवाद]

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन

1823. **श्री तरित बरण तोपदार:**
श्री बीर सिंह महतो:
श्री सुरेश कुरुप:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक तिहाई चुनाव क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त सभी राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव के लिए महिला उम्मीदवारों को नामांकित करना आवश्यक बनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विधेयक को संसद् में कब तक लाए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान की खरीद

1824. **श्री अनन्त नायक:**
श्री कमलनाथ:
डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री उत्तमराव पाटील:
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार वेट लीज या ड्राई लीज अनुबंध के अंतर्गत विमान की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विमानों की खरीद के बदले लीज अनुबंध के अंतर्गत विमान खरीदने के क्या लाभ हैं;

(ग) क्या सफल एयरलाइन्सों जैसे सिंगापुर एयरलाइंस ने कई विमानों को ड्राई लीज पर देने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस द्वारा वर्तमान में लीज अनुबंध पर कितने विमानों की खरीद की गई; और

(ङ) इंडियन एयरलाइंस द्वारा भारतीय जनता की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां ड्राइलीज पर।

(ख) जब तक नए विमानों को खरीदने के लिए प्रस्ताव पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक क्षमता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विमानों को पट्टे पर लेने पर विचार किया जाता है और प्रचालन के लिए नए विमान उपलब्ध हो जाते हैं।

(ग) और (घ) इस समय सिंगापुर एयरलाइंस अथवा किसी अन्य एयरलाइंस से विमानों को ड्राईलीज पर लेने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इंडियन एयरलाइंस ने मई/जून 1998 से तीन वर्षों की अवधि के लिए दो ए 320 बी4 विमान ड्राईलीज पर लिए थे। पट्टे की अवधि को और दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा रहा है।

(ङ) तत्काल क्षमता की आवश्यकता के लिए इंडियन एयरलाइंस पांच बी 737 और दो ए 320 विमानों को ड्राईलीज पर लेने के आधार पर प्राप्त करने की कार्रवाई कर रही है इसके अलावा, इंडियन एयरलाइंस ने एअर इंडिया से तीन ए 300 बी4 विमानों को खरीदने का प्रस्ताव किया है।

आयुध कारखानों द्वारा गर्म मोजों की अधिक कीमत लेना

1825. **श्री के. येरननायडू:**
श्री डी.वी.जी. शंकर राव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आयुध कारखानों में खरीदे गये सैनिकों के लिए गर्म मोजों, जर्सी और कंबलों आदि पर 1200 करोड़ रुपये वर्ष में गंवाने पड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अधिक कीमत लेने के क्या कारण हैं जबकि लुधियाना के निजी निर्माता कम कीमत पर ही उच्च गुणवत्ता दे रहे हैं; और

(ग) इतना भारी घाटा होने पर क्या कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि सरकार को आयुध निर्माणियों से सैनिकों के

लिए खरीदे गए गर्म मोजे, जर्सी और कंबलों आदि की अधिप्राप्ति पर 1200 करोड़ रुपये वार्षिक हानि हो रही है। आयुध निर्माणियों से सैनिकों के लिए खरीदे गए वस्त्र तथा सामान्य मदों का वार्षिक मूल्य लगभग 475 करोड़ रुपये (विगत चार वर्षों का औसत) है जिसमें गर्म मोजे, जर्सियों तथा कंबलों का औसत वार्षिक मूल्य 35 करोड़ रुपये से भी कम है। इसलिए केवल 35 करोड़ रुपये मूल्य की वार्षिक खरीददारी पर 1200 करोड़ रुपये के वार्षिक नुकसान का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) यह पाया गया है कि आयुध निर्माण तथा लुधियाना के निजी निर्माताओं एवं अन्य निर्माताओं से खरीदी गयी मदों की कीमत में अंतर है। आयुध निर्माणी बोर्ड के पास मूल्य निर्धारण करने के लिए लागत निवेश आंकड़ों पर आधारित एक वैज्ञानिक प्रणाली है। प्रौद्योगिकी उन्नयन के कारण लागत में होने वाली किसी भी प्रकार की कमी का लाभ सेना को मिलता है। तथापि, एक आदर्श नियोक्ता के रूप में आयुध निर्माणी बोर्ड को सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अनुसार कामगारों को मजदूरी का भुगतान करना होता है जैसाकि सिविल क्षेत्र द्वारा प्राय: नहीं किया जाता है। सेनाओं, मुख्यत: थलसेना की मांग को पूरा करने के लिए आयुध निर्माणियों में क्षमताओं का सृजन किया गया है। मांग में उतार-चढ़ाव तथा पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल नहीं होने से उत्पाद की लागत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए व्यवस्था भी उच्चतर लागत का एक कारक है। गुणता आश्वासन महानिदेशक, जो सेना को आपूर्ति किए गए वस्त्र और सामान्य मदों के निरीक्षण और प्रमाणन अधिकारी हैं, द्वारा निर्धारित कठोर गुणवत्ता नियंत्रण मानदंड आयुध निर्माणियों तथा निजी निर्माताओं द्वारा की गई आपूर्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

(ग) प्रौद्योगिकियों को उन्नत करके उत्पादन की यूनिट लागत में कमी करने के लिए आयुध निर्माणियों द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं। वर्ष 1999-2000 के औसत मूल्य की तुलना में वर्ष 2000-01 के दौरान वस्त्र तथा सामान्य मदों की औसत लागत में 3.75% की कमी आई है।

कम्पनियों का विलय

1826. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ कम्पनियों के विलय और अधिग्रहण के लिए हाल में की गई पहल की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान विलय और अधिग्रहण हुआ या किए जाने का प्रस्ताव था;

(ग) इसके परिणामस्वरूप छोटे निवेशकों को कितना घाटा हुआ;

(घ) विलय की गई कम्पनियों के शेयर मूल्य किस मूल्य पर निर्धारित किए गए; और

(ङ) बाजार में नई कम्पनियों के शेयर किस तरह बेचे गए?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जिनका विलय हो चुका है, उन कम्पनियों के शेयरों की कीमतें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/व्यावसायिकों के द्वारा तैयार की गई मूल्यांकन रिपोर्टों के आधार पर तय की गई हैं। विलयन की ये योजनाएं शेयर धारकों के बहुमत के द्वारा अनुमोदित की जाती हैं तथा विधिवत माननीय उच्च न्यायालयों के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। पद्धति, जिसमें नई कम्पनियों के शेयरों के अतिरिक्त भाग की कीमत रखी जाती है, वे योजना का भाग है तथा उनका सेबी और स्टाक एक्सचेंजों द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। साधारणत: ऐसे विलयन निवेशकों सहित शेयर धारकों के लिए लाभदायक हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान विलयन और अधिग्रहण के 1285 मामले हुए हैं। इनमें उत्तरी क्षेत्र में 120 मामले, पूर्वी क्षेत्र में 455 मामले, पश्चिमी क्षेत्र में 527 मामले तथा दक्षिणी क्षेत्र में 183 मामले शामिल हैं।

रेलवे स्टेशनों का विकास

1827. श्री साहिब सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के मास्टर प्लान-2001 के अनुसार आनंद विहार/पड़पड़गंज, बड़थल, मदनपुर खादर/तुगलकाबाद और नरेला/जी.टी. रोड पर नए रेलवे स्टेशनों के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन चार रेलवे स्टेशनों का प्रस्ताव पुरानी/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों की भीड़-भाड़ कम करने के लिए है; और

(घ) यदि हां, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विकास/पुनरुद्धार पर 1500 करोड़ रुपये निवेश करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) रेलवे ने आनंद विहार में कोचिंग सुविधाओं के विकास के लिए भूमि अधिगृहीत कर ली है। जब कभी अपेक्षित होगा इस स्टेशन पर सुविधाओं का विकास किया जाएगा। दिल्ली, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन टर्मिनलों को दिल्ली की यातायात आवश्यकताओं के लिए फिलहाल पर्याप्त समझा जाता है। यातायात के आधार पर आवश्यक होने पर मौजूदा टर्मिनलों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए अन्य टर्मिनलों के विकास पर विचार किया जाएगा।

नई दिल्ली स्टेशन पर चल रहे कार्य इस स्टेशन पर मौजूदा तथा प्रक्षेपित यातायात के स्तर को सम्हालने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं।

कन्याकुमारी स्थित ''मार्शलिंग यार्ड''

1828. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन पर स्थित ''मार्शलिंग यार्ड'' का सुधार करने और उसे बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे इस यार्ड की क्षमता बढ़ सके और यह अधिक ट्रेनों का संकलन कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नागरकोइल में निष्पादित की जा रही सुविधाओं सहित कन्याकुमारी और नागरकोइल में सुविधाएं कन्याकुमारी में मौजूदा और अनुमानित यातायात की सम्हलाई के लिए पर्याप्त हैं।

भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिबंध हटाने हेतु समझौता

1829. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार एयर इंडिया द्वारा लंदन से अमरीका और कनाडा के यात्रियों को चढ़ाने पर लगे प्रतिबंध को उठाने हेतु दबाव डाल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में भारत और इंग्लैंड के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) भारत और यू.के. के बीच फरवरी, 2000 में हुई आपसी सरकारी विचार-विमर्श के क्रम में लंदन से बाहर सं.रा. अमेरिका और कनाडा तक विमानों के चलाने पर पहले लागू यातायात अधिकारों पर लगे विभिन्न प्रतिबंधों को हटाने के बारे में समझौता हुआ था। नए करार के अनुसार, एअर इंडिया प्रति सप्ताह 16 बार प्रचालन करने की हकदार है, ऐसा या तो लंदन तक या लंदन के बाहर पारगमन अथवा टर्मिनेटर के रूप में सं.रा. अमेरिका और कनाडा को प्रदत्त पंचन स्वतंत्रता अधिकार से परे होगा।

उपभोक्ता अदालतों में लंबित पड़े रेलवे के मामले

1830. श्री आर.एस. पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के विरुद्ध उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन-वार/मंडल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे की वर्ष-वार उपभोक्ता अदालतों में कितने मामलों में हार हुई है;

(घ) क्या रेलवे ने विवादों को निपटाने हेतु कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) कारणों का विश्लेषण करने के पश्चात्, यात्रियों को देय सुविधाओं को सुधारने के लिए क्षेत्रीय रेलें उपचारात्मक कदम उठाती हैं ताकि इस प्रकार की शिकायतों की पुनरावृत्ति को यथा संभव रोका जा सके।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण 1

जोन/मंडल-वार बकाया मामलों के ब्यौरे

मंडल	मामलों की संख्या
1	2
मध्य रेलवे	
मुंबई	21
भोपाल	23
शोलापुर	18
जबलपुर	34
मुख्यालय	45
भुसावल	24
नागपुर	15
झांसी	64
पुणे	08
अन्य रेलें	18
मध्य रेलवे पर बकाया मामलों की कुल संख्या-270	
पूर्व रेलवे	
हावड़ा	27
आसनसोल	18
मुगलसराय	21
दानापुर	202
सियालदह	23
धनबाद	60
मालदा टाऊन	53
मुख्यालय	252
पूर्व रेलवे पर बकाया मामलों की संख्या-656	
उत्तर रेलवे	
इलाहाबाद	73
दिल्ली	160
जोधपुर	25
मुरादाबाद	69
बीकानेर	30
फिरोजपुर	19
लखनऊ	118
अंबाला	33
उत्तर रेलवे पर बकाया मामलों की संख्या-527	
पूर्वोत्तर रेलवे	
लखनऊ	106
वाराणसी	31
समस्तीपुर	15
इज्जतनगर	44
सोनपुर	50
अन्य रेलें	18
पूर्वोत्तर रेलवे पर बकाया कुल मामलों की संख्या-264	
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	
तिनसुकिया	20
कटिहार	30
लमडिंग	25
अलीपुरद्वार	42
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पर बकाया मामलों की कुल संख्या-117	
दक्षिण रेलवे	
चेन्नई	90
मदुरै	30
मैसूर	15
तिरुवनंतपुरम	60
त्रिरुचिरापल्ली	35

1	2
बैंगलूर	25
पालघाट	50

दक्षिण रेलवे पर बकाया कुल मामलों की संख्या-305

दक्षिण मध्य रेलवे

दक्षिण-मध्य रेलवे पर बकाया कुल मामलों की संख्या-151

दक्षिण पूर्व रेलवे

चक्रधरपुर	09
बिलासपुर	25
खड़गपुर	18
विशाखापटनम	14
कलकत्ता	26
खुरदा रोड	15
संबलपुर	13
नागपुर	07
आद्रा	02

दक्षिण पूर्व रेलवे में बकाया मामलों की संख्या-129

पश्चिम रेलवे

मुंबई सेंट्रल	116
रतलाम	14
जयपुर	66
भावनगर	20
बड़ौदा	34
कोटा	86
अजमेर	44
राजकोट	05

पश्चिम रेलवे पर बकाया मामलों की कुल संख्या - 385

सभी जोनल रेलों पर बकाया मामलों की कुल संख्या - 2808

विवरण-2

गत तीन वर्षों के दौरान हारे गए मामलों का रेल-वार ब्यौरा

रेलवे	मामलों की संख्या
मध्य	157
पूर्व	17
उत्तर	189
पूर्वोत्तर	46
पूर्वोत्तर सीमा	46
दक्षिण	144
दक्षिण मध्य	45
दक्षिण-पूर्व	04
पश्चिम	95
जोड़	743

[हिन्दी]

आई.टी.डी.सी. के होटलों का आधुनिकीकरण

1831. **श्री रवि प्रकाश वर्मा** : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम के अंतर्गत किन-किन होटलों का आधुनिकीकरण किया गया और चालू वर्ष के दौरान किन-किन होटलों का आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस पर होटलवार कितना खर्च आयेगा;

(ख) क्या वर्ष 2000-01 के दौरान आई.टी.सी.डी. के होटलों, विशेषकर दिल्ली स्थित लोदी होटल, जनपथ होटल और रणजीत होटल के आधुनिकीकरण और उनका उन्नयन कर उन्हें पंचसितारा होटल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर होटल-वार कितना खर्च आने की संभावना है; और

(घ) उक्त कार्य कब तक शुरू और पूरा होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के आधुनिकीकरण पर किए गए व्यय तथा चालू वर्ष के दौरान प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आधुनिकीकरण पर पिछले तीन वर्षों (1997-98 से 1999-2000) के दौरान किए गए व्यय तथा चालू वर्ष (2000-01) के दौरान प्रस्तावित व्यय का होटलवार ब्यौरा

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	होटल का नाम	वर्ष 1997-2000 के दौरान हुआ व्यय	वर्ष 2000-2001 के लिए प्रस्तावित व्यय
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	155.14	0.50
2.	सम्राट होटल, नई दिल्ली	151.27	–
3.	कनिष्क होटल, नई दिल्ली	14.63	3.00
4.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	33.59	6.00
5.	कुतुब होटल, नई दिल्ली	13.38	4.00
6.	लोधी होटल, नई दिल्ली	0.77	–
7.	इन्द्रप्रस्थ होटल, नई दिल्ली	13.81	–
8.	लक्ष्मी विलास पैलेस, उदयपुर	11.45	–
9.	होटल मदुरै अशोक	2.23	–
10.	होटल पाटलीपुत्र अशोक	0.57	–
11.	होटल वाराणसी अशोक	10.03	–
12.	होटल बोधगया अशोक	6.21	–
13.	होटल खजुराहो अशोक	1.55	–
14.	कोवलम अशोक बीच रिजार्ट	3.68	–
15.	होटल हसन अशोक	5.20	–
16.	होटल जयपुर अशोक	10.76	–
17.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	5.98	–
18.	होटल आगरा अशोक	9.22	–
19.	होटल औरंगाबाद अशोक	1.25	–
20.	होटल अशोक बंगलौर	6.54	–
21.	होटल मनाली अशोक	0.69	–
22.	टैम्पल-बे-अशोक बीच रिजार्ट, मामल्लापुरम	2.34	–
23.	होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	1.98	–
24.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	1.80	–

[अनुवाद]

तेल की कीमतों में वृद्धि

1832. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी तक कीमतों में वृद्धि की घोषणा अचानक की जाती थी जिससे पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी का कोई मौका नहीं होता था;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से कारण हैं जिन्होंने इतिहास में पहली बार सरकार को तेल की कीमतों में वृद्धि की घोषणा बहुत पहले करने पर मजबूर किया है जिससे कि पम्प मालिकों और उपभोक्ताओं, विशेषकर औद्योगिक उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी का मौका मिला; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटना को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सरकार द्वारा समय-समय पर नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में संशोधन किया जाता है। संशोधन के बाद घोषणा की जाती है।

(ख) और (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पर्यटकों का दौरा

1833. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र स्थित शिरडी का विदेशी पर्यटकों सहित कितने पर्यटकों ने दौरा किया; और

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान शिरडी के विकास हेतु कितनी सहायता दी गई है/दी जानी है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) स्थान-वार पर्यटक आगमन संबंधी सूचना महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य का दौरा करने वाले अनुमानित पर्यटकों का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:-

वर्ष	स्वदेशी	विदेशी
1997	6974453	977691
1998	7183687	980850
1999	7542871	1033816

(ख) पर्यटन का विकास राज्य-सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार उनसे विचार-विमर्श करके, प्रत्येक वर्ष अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। शिरडी में पर्यटक बंगले के विस्तार और उन्नयन के लिये 27.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और तीर्थ सराय, शिरडी में रेस्तरां, पर्यटक स्वागत क्षेत्र आदि के उन्नयन के लिये 25.00 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बौद्ध स्मारकों का सर्वेक्षण

1834. श्री भर्तृहरि महताब : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उड़ीसा और देश के अन्य भागों में बौद्ध स्मारकों के सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में ऐसा सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में इस विषय पर जानकारी बढ़ाने हेतु भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की क्या योजना है और इनके संरक्षण हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केवल बौद्ध अध्ययनों के प्रति अभिमुख किसी पुरातत्व सर्वेक्षण का संचालन नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बौद्ध स्मारकों सहित संरक्षित स्मारकों का संरक्षण करना एक सतत प्रक्रिया है। पिछले तीन वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बौद्ध स्थलों का उत्खनन किया है जैसाकि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। इन स्थलों का अध्ययन तथा विभिन्न वर्तमान प्रकाशन इस विषय पर ज्ञान का भंडार करते हैं।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों में उत्खनित बौद्ध स्थलों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्थल का नाम
1.	उदयगिरी, जिला जाजपुर, उड़ीसा
2.	रत्नागिरी, जिला जाजपुर, उड़ीसा
3.	कंगनहल्ली, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक
4.	सन्नाती (बेनागुट्टी), जिला गुलबर्गा, कर्नाटक
5.	अखनूर में अम्बारन, जिला जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर
6.	कांसीपुर, जिला बारामूला, जम्मू एवं कश्मीर
7.	वारहाट (देयोर कोठार), जिला रीवा, मध्य प्रदेश
8.	सांची, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश
9.	सतधारा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश
10.	केसरिया, जिला पूर्व चम्पारन, बिहार
11.	अशोक स्तम्भ स्थल, कोलहुआ, जिला मुज्जफरनगर, बिहार
12.	संकिसा, जिला फरुर्खाबाद, उत्तर प्रदेश
13.	चौखंडी स्तूप, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश

[हिन्दी]

विमानवाहक पोत की खरीद

1835. श्री उत्तमराव पाटील : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बल विमानवाहक पोत की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सशस्त्र बलों के पास कुल कितने विमानवाहक पोत हैं;

(ग) क्या विदेशों से विमानवाहक पोत खरीदे जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) इस समय भारतीय नौसेना के पास दो संक्रियात्मक विमान वाहक पोतों की आवश्यकता के मुकाबले एक विमान वाहक पोत अर्थात् आई.एन.एस. विराट है। सरकार ने वर्ष 1999 में भारतीय नौसेना के लिए एक हवाई सुरक्षा पोत के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है।

(ग) और (घ) रूसी संघ की सरकार ने भारत को एक विमान वाहक पोत 'एडमिरल गोर्सकोव' को उपहारस्वरूप देने का प्रस्ताव किया है। तथापि, भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल करने से पूर्व, इसको मरम्मत, संशोधित और आधुनिकीकृत किए जाने की आवश्यकता पड़ेगी। इस संबंध में भारतीय और रूसी पक्षों के बीच 4.10.2000 को एक अंतर-सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एम.आर.टी.पी. आयोग

1836. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री अनादि साहू :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997 से 1999 तक एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग (एम.आर.टी.पी. कमीशन) द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार के संबंध में वर्ष-वार कितने मामलों की जांच की गई है; और

(ख) सरकार द्वारा बेईमान व्यापारियों को एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत दंडित करने हेतु क्या कदम उठाए गए?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग द्वारा 1997 से 1999 वर्षों में संस्थित की गई अनुचित व्यापार प्रथा (यू.टी.पी.) जांचों की संख्या निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	संस्थित की गई यू.टी.पी. जांचों की संख्या
1.	1997	479
2.	1998	297
3.	1999	206

(ख) एम.आर.टी.पी. आयोग जो एक अर्द्धन्यायिक निकाय है, एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 की धारा 36 घ की शर्तों में अनुचित व्यापार प्रथा की जांच करता है। यदि ऐसी जांच के बाद आयोग का यह मत होता है कि यदि जांच के दौरान अनुचित व्यापार प्रथा का आरोप स्थापित हो जाता है और प्रथा जनहित या किसी उपभोक्ता के हित या उपभोक्ताओं के प्रतिकूल है तो, यह, आदेश के द्वारा यह निदेश दे सकता है कि:

(1) प्रथा को रोक दिया जाए;

(2) इस प्रकार की अनुचित व्यापार प्रथा से संबंधित कोई करार वैध होगा या उस बाबत उस तरह से संशोधित माना जाएगा जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो;

(3) ऐसे अनुचित व्यापार प्रथा से संबंधित कोई सूचना विवरण या विज्ञापन को उस तरीके से जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो प्रकट, जारी या प्रकाशित कर दिया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो।

एम.आर.टी.पी. आयोग को एक जांच के लम्बित होने के दौरान अपचारी पक्ष के विरुद्ध अस्थायी आदेश प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त यह एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 की धारा 12क व 12ख के अन्तर्गत एकाधिकारिक/अवरोधक/अनुचित व्यापार प्रथा के परिणामस्वरूप हुए नुकसान/हानि के लिए व्यक्ति को मुआवजा दे सकता है।

मध्य प्रदेश में रेल लाइन बिछाना

1837. **श्री कांतिलाल भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मक्सी-बीना, सिरौंझ-ब्यावर-राजगढ़ और उज्जैन झालावाड़-आगरा-नई दिल्ली रेल लाइनों के निर्माण/सर्वेक्षण का कार्य आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और निर्माण/सर्वेक्षण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) उज्जैन-झालावार-आगरा रामगंज मंडी और ब्यावर राजगढ़-सिरौंझ बीना नई लाइनों के निर्माण के लिए किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि ये परियोजनाएं पूर्णतया अलाभप्रद हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा रेलों के समक्ष संसाधनों की भारी तंगी के कारण फिलहाल ये परियोजनाएं शुरू करना संभव नहीं पाया गया है।

मकसी-ब्यावर राजगढ़ तथा रामगंज मंडी-नई दिल्ली के लिए बड़ी लाइन पहले से मौजूद है।

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं

1838. **श्री सवशीभाई मकवाना** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के विकास और विस्तार हेतु कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को प्रत्येक योजना के अंतर्गत योजना-वार और राज्य-वार कुल कितना योजना परिव्यय स्वीकृत किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं पर प्रत्येक राज्य सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की; और

(घ) कपड़े का उत्पादन बढ़ाने हेतु लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान क्या लक्ष्य हासिल किए गए?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) सरकार वस्त्र उद्योग के विकास और विस्तार के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नानुसार हैं:-

1. सामान्य योजनाएं

(1) कपास प्रौद्योगिकी मिशन

सरकार ने कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 21.2.2000 को कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) शुरू किया है, जिससे वस्त्र मिलों को कोटि की कपास की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके चार लघु मिशन हैं अर्थात् लघु मिशन 1 और 2, जिनके उद्देश्य 'अनुसंधान' करना और 'किसानों को प्रौद्योगिकी की जानकारी देना' है, कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं और लघु मिशन 3 और 4, जो कि जिनिंग और प्रैसिंग एककों के आधुनिकीकरण और बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने से संबंधित हैं, वस्त्र मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

(2) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की है, जो कि 1.4.1999 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31.3.2004 तक प्रचालन में है। आई.डी.बी.आई., सिडबी और आई.एफ.सी.आई. को नोडिए अभिकरणों के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों को सहयोजित किया है। इस योजना के अंतर्गत नोडिए अभिकरणों/सहयोजित संस्थानों द्वारा संबंधित वित्तीय संस्थानों के वित्तीय मानदण्डों और योजना के अनुरूप परियोजनाओं के लिए उद्योग के अभिज्ञात क्षेत्रों को ऋण प्रदान किए जाते हैं। सरकार का वित्तपोषण योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना पर ऋणदाता अभिकरण द्वारा प्रभारित ब्याज पर 5% के बिंदु पर ब्याज की प्रतिपूर्ति करने तक ही सीमित है।

(3) प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण/उन्नयन

सरकार ने वस्त्र परीक्षण सुविधायें प्रदान करने के लिए वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान पांच प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं और 21 प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाया है।

2. क्षेत्र-वार योजनाएं

(1) विद्युत करघा : विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों और कम्प्यूटर सहायित डिजाइन केन्द्रों की स्थापना; विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण; विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों की प्रयोगशालाओं का उन्नयन; विद्युतकरघा कामगारों के लिए सामूहिक बीमा योजना आदि।

(2) हथकरघा : कार्यशाला-सह-आवास योजना; परियोजना पैकेज योजना; हथकरघा विकास केन्द्र/गुणवत्ता रंगाई एकक; सामूहिक बीमा योजनाएं; मिल गेट मूल्य योजना; दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना आदि।

(3) रेशम : रेशन उत्पादन विकास परियोजना; पूर्वोत्तर राज्यों में रेशम उत्पादन विकास कार्य योजना; उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम आदि।

(4) ऊन : एकीकृत भेड़ तथा ऊन विकास परियोजना; ऊन तथा ऊनी वस्त्र विकास के लिए क्षेत्र आधारित परियोजना; ऊन परीक्षण केन्द्र और वीविंग तथा डिजाइन प्रशिक्षण केन्द्र आदि।

(5) हस्तशिल्प : मौजूदा शिल्पियों के कौशल के उन्नयन तथा नए शिल्पियों को कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण तथा डिजाइन तथा प्रौद्योगिकीय विकास; विपणन तथा बाजार विकास सहायता; शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना और अभिज्ञात क्षेत्रों में साझा सुविधा सेवा केन्द्र आदि।

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अक्टूबर, 2000 तक के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(लाख रु. में)

क्र.सं.	योजना/क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 31 अक्टूबर, 2000 तक
1.	कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)	लागू नहीं	लागू नहीं	500	500
2.	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस)	लागू नहीं	लागू नहीं	100	2800
3.	प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण/उन्नयन	1799	1000	शून्य	शून्य
4.	विद्युतकरघा	288	363	931	161
5.	हथकरघा	9939	8335	8169	2893 नवम्बर तक
6.	रेशम	52	858	745	1040 जून तक
7.	ऊन	430	450	500	300
8.	हस्तशिल्प	1605	1541	1535	917

*हथकरघा, रेशम, ऊन तथा हस्तशिल्प क्षेत्रों के अंतर्गत, आवश्यकतानुसार योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के विभागों/संगठनों को निधियां भी रिलीज की जाती हैं।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों का संयुक्त उद्यम

1839. श्री थावरचंद गेहलोत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने किन राज्य सरकारों के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे आधारित परिवहन प्रणाली मुहैया कराने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित किया है;

(ख) ऐसे संयुक्त उद्यमों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा रेल सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) रेलवे पर आधारित परिवहन प्रणाली मुहैया कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रेल मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

(ख) **कर्नाटक** : राज्य में कुछ पहचानी गई रेल परियोजनाओं के लिए के-राइड के नाम से धनराशि सृजित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई जाएगी जिसकी गारंटी केवल राज्य सरकार की ही होगी। रेल मंत्रालय, कर्नाटक राज्य सरकार एफ.आई.एस./बैंक/अन्य इक्विटी में भागीदार होंगे। एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया गया है।

महाराष्ट्र : 5618 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से पहचानी गई उपनगरीय परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए मुंबई रेल विकास निगम की स्थापना की गई है। महाराष्ट्र सरकार परियोजना की 50 प्रतिशत लागत को वहन करने पर सहमत हो गई है। रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार की इस उद्यम में 51:49 इक्विटी भागीदारी है।

आन्ध्र प्रदेश : इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य हैदराबाद शहरी और इसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए विस्तृत मल्टी मॉडल उपनगरीय सवारी पारवाहन प्रणाली के एक भाग के रूप में हैदराबाद और इसके उपनगरों में मौजूदा उपनगरीय रेल अवसंरचना और सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करना है। शुरूआत में रेल मंत्रालय और आन्ध्र प्रदेश सरकार लागत में बराबरी की भागीदारी के आधार पर चल रेल अवसंरचना को अपग्रेड करेगी। एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया है। यह संयुक्त उद्यम कंपनी को भूमिका और अवसंरचना का स्वरूप देगा।

(ग) स्टेशन पर सुख-सुविधाओं की व्यवस्था और इसका आवर्धन एक सतत् प्रक्रिया है। बहरहाल, बेहतर सुख-सुविधाएं मुहैया करने के उद्देश्य से 209 स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रूप में चुना गया है जिसके मानकीकृत चिह्नों, राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ वाली और स्वमुद्रित टिकट मशीनें, प्रतीक्षा कक्षों/बुकिंग कार्यालयों में सुधार तथा आधारभूत सुविधाओं/यात्री सुख-सुविधाओं की कमियों को दूर करना, स्टालों का मॉड्यूलर स्टालों में बदलाव और स्वचालित बॉडिंग मशीनों की व्यवस्था, परिचलन क्षेत्र में सुधार, परिचलन क्षेत्र तक ऊपरी पैदल पुल का विस्तार तथा शिकायतों का कम्प्यूटरीकरण शामिल है।

[अनुवाद]

यात्री निवास का निर्माण

1840. श्री पी.एस. गढ़वी : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यात्री निवास के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के परामर्श से यात्री निवासों के निर्माण/नवीकरण हेतु 4.79 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की है, जिनमें से 4 परियोजनाएं कर्नाटक में हैं तथा तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू-कश्मीर और अरूणाचल प्रदेश राज्यों, प्रत्येक में एक-एक परियोजना है।

पाक कला संस्थान की स्थापना

1841. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर नासिक में पाक कला संस्थान की स्थापना का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितना खर्चा आया/आने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे की आय

1842. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के पहले छः माह के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में यात्रियों और माल ढुलाई से रेलवे को अधिक आय हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है; और

(ग) अधिक यात्रियों को आकर्षित करने और माल की ढुलाई में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) अप्रैल, 2000 से सितंबर, 2000 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में प्रतिशत वृद्धि इस प्रकार है:-

यात्री यातायात	9.82
माल यातायात	6.73

(ग) अधिक यात्री और माल यातायात आकर्षित करने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:-

1. यात्री यातायात

(क) प्रतीक्षा सूची का नियमित रूप से विश्लेषण किया गया था, अपेक्षित होने पर अतिरिक्त भीड़भाड़ की निकासी के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाए गए थे और विशेष गाड़ियां चलाई गई थीं। इसके परिणामस्वरूप स्थान की उपलब्धता और आमदनी में वृद्धि हुई।

(ख) स्थान की उपलब्धता के बारे में प्रचार के विभिन्न माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार किया गया है।

(ग) व्यापक टिकट जांच अभियान चलाया गया है, गाड़ी के समय क्रम की समीक्षा की गई है, अधिक यात्रियों को आकर्षित करने के लिए तत्काल योजना और ग्राहक अनुकूल उपाय यथा टेली बुकिंग, कम्प्यूटर के माध्यम से शिकायतों का समाधान और राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ प्रणाली शुरू किए गए हैं।

(2) माल यातायात

थोक और फुटकर माल पार्सल यातायात को आकर्षित करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। इनमें शामिल हैं:-

(क) वोल्यूम डिस्काउंट योजना।

(ख) साइडिंग के स्वामित्व वाले थोक ग्राहकों के लिए नियमों का सरलीकरण/उदारीकरण।

(ग) विशेष ध्यान देने के लिए नए ग्राहकों की पहचान करना।

(घ) रेल टर्मिनलों पर वेयरहाउसिंग सुविधा।

(ङ) निर्धारित अनुसूची कंटेनर गाड़ियां चलाना।

एअर इंडिया को हुई हानि

1843. डा. बी.बी. रमैया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान एअर इंडिया को घाटा उठाना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) अप्रैल-सितम्बर, 2000 की अवधि के लिए, अनंतिम परिणामों के अनुसार, एअर इंडिया को 4.31 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई है।

प्रमुख परियोजनाओं का वित्त पोषण

1844. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ.आई.डी.बी.) को प्रमुख परियोजनाओं का वित्त पोषण करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ओ.आई.डी.बी. के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संयुक्त क्षेत्र की इकाईयों को भी अल्प अवधि के ऋण उपलब्ध कराने हेतु कोई दिशानिर्देश विद्यमान हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 6(1) और इनके तहत बनाए गए नियम तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ.आई.डी.बी.) को तेल उद्योग के विकास के अनुकूल उपायों को बढ़ावा देने के लिए उस तरीके, उस सीमा तक और उन निबन्धनों और शर्तों पर वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं।

ओ.आई.डी.बी. तेल उद्योग को ऋण प्रदान करते हुए सरकार द्वारा अनुमोदित योजनागत परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है। चूंकि ओ.आई.डी.बी. से दीर्घकालिक राशि के लिए तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की आवश्यकता ओ.आई.डी.बी. के पास उपलब्ध राशि से अधिक है, इसलिए पिछले तीन वर्षों के दौरान ओ.आई.डी.बी. द्वारा लघु अवधि की कोई राशि प्रदान नहीं की गई है।

तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ.आई.डी.बी.) द्वारा परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में निर्णय बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं जिसमें औद्योगिक प्रतिनिधित्व के अलावा पेट्रोलियम, रसायन और वित्त जैसा अन्तरमंत्रालयीन प्रतिनिधित्व सम्मिलित होता है।

[हिन्दी]

रेलवे प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ की स्थापना

1845. श्री पद्मसेन चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में रेलवे प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) क्या रेलवे प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ द्वारा किसी नई प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई जानकारी दी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नई प्रौद्योगिकी को अपनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) रेल मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में एक रेलवे प्रौद्योगिकी कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ख) रेल प्रौद्योगिकी कक्ष की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई जाने वाली एक करोड़ रुपए की निगमित राशि से की जाएगी।

(ग) से (ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं, इसलिए प्रौद्योगिकी कक्ष ने अभी तक कार्य करना आरंभ नहीं किया है।

[अनुवाद]

कोलार और चिक्कबल्लापुर रेल लाइन का आमान परिवर्तन

1846. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में कोलार और चिक्कबल्लापुर के बीच रेल लाइन बंगलौर-बंगारपेट को जोड़ने के लिए अत्यावश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) बैंगलूर-बंगारपेट पहले से ही सीधे रेल द्वारा जुड़े हुए हैं। कोलार से चिक्कबल्लापुर के बीच यदि लाइन जुड़ जाती है तो इन बिन्दुओं के बीच एक वैकल्पिक यद्यपि लम्बा मार्ग उपलब्ध हो जायेगा।

(ख) ब.ला. में लाइन के बदलाव के बाद रेलवे लाइन की बहाली के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) चिक्कबल्लापुर से कोलार तक के आमान के लिए सर्वेक्षण कार्य हाल ही में पूरा हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि 85 किमी. बड़ी लाइन की लागत ऋणात्मक प्रतिफल की दर सहित 53.54 करोड़ रु. होगी। समग्र रूप से लाइन के अलाभप्रद प्रकृति के होने तथा संसाधनों की तंगी के दृष्टिगत इस समय परियोजना पर विचार करना संभव नहीं पाया गया है।

जेट एयरलाइंस के बाजार के हिस्से में बढ़ोत्तरी

1847. श्री खारबेल स्वाईं: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान जेट एयरलाइंस के बाजार हिस्से में इंडियन एयरलाइंस के हिस्से की तुलना में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइंस के यातायात में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) इंडियन एयरलाइंस के यातायात को पुन: बहाल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) पिछले तीन महीने में इंडियन एयरलाइंस और जेट एयरवेज का मार्कीट शेयर नीचे लिखे अनुसार है:-

महीना	घरेलू यात्रियों के मार्कीट शेयर धन का प्रतिशत	
	इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर	जेट एयरवेज
अगस्त, 2000	44.08	51.41
सितम्बर, 2000	45.17	50.21
अक्तूबर, 2000	47.68	46.93

(ख) अगस्त/सितम्बर, 2000 के दौरान जेट एयरवेज की तुलना में इंडियन एयरलाइंस का मार्कीट शेयर कम होने के निम्नांकित कारण हैं:- (1) जेट एयरवेज द्वारा और अधिक विमानों को सेवारत किया जाना (2) जुलाई, 2000 में पटना में एलाइंस एयर की विमान की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जिससे जनता के विश्वास पर बुरा असर पड़ा।

(ग) इंडियन एयरलाइंस ने अपने मार्कीट शेयर में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं जिसमें एक्जिक्यूटिव श्रेणी को (अपग्रेड) उन्नयन करना, प्रस्थान नियंत्रण प्रणाली (चेक-इन) में सुधार करना, उड़ान संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, होटल वालों से सम्पर्क बनाना, पर्यटन विकास निगम द्वारा आकर्षक अवकाश पैकेज दिया जाना और दी जाने वाली सुविधा में सुधार करना तथा आवृत्तिक फ्लायर कार्यक्रम इत्यादि शामिल हैं। अप्रैल और अक्तूबर, 2000 में विमानन टरबाईन ईंधन के मूल्य में वृद्धि होने के बावजूद भी विमान किराए में बढ़ोत्तरी नहीं करने से भी मार्कीट शेयर दुष्प्रभावित हुआ।

[हिन्दी]

पूजास्थलों को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना

1848. प्रो. दुर्गा भगत : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार किन-किन पूजास्थलों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में मंजूरी दी गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को बिहार में किसी पूजास्थल में पर्यटन केन्द्र की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इसके लिए स्थान-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) मई 1992 में, तीर्थ पर्यटन के विकास पर समिति ने प्रथम चरण में पर्यटन के विकास के लिए देश में 19 केन्द्रों और 2 परिपथों को अभिनिर्धारित किया है। बाद में, राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके, सूची में कई केन्द्रों को जोड़ दिया गया था। इस समय, देश में पर्यटन के विकास के लिए अभिनिर्धारित किए गये तीर्थ केन्द्र संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) से (घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने बिहार राज्य में, तीसरे बौद्ध महोत्सव के लिये 7.50 लाख रुपये और राजगीर महोत्सव के लिये 3.15 लाख रुपये की दो परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष, 2000-2001 के दौरान, बिहार राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श करके पटना में 75.00 लाख रुपये के पर्यटक स्वागत केन्द्र के निर्माण के प्रस्ताव को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिये प्राथमिकता प्रदान की गई है।

विवरण

राज्य-वार अभिनिर्धारित तीर्थ केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य	तीर्थ केन्द्र
1	2	3
1.	असम	कामाख्या
2.	आंध्र प्रदेश	नागार्जुनकोण्डा, सीरिसेलम, तिरूपति

1	2	3
3.	बिहार	बोधगया, नालंदा, पटनासाहिब, राजगीर, वैशाली
4.	दिल्ली	निजामुद्दीन
5.	गुजरात	द्वारका, पालीताना, सोमनाथ, उडवाडा
6.	गोवा	गोवा के चर्च
7.	हिमाचल प्रदेश	पोंटा साहिब, ज्वालाजी
8.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र
9.	जम्मू व कश्मीर	वैष्णो देवी
10.	केरल	गुरूवयूर, सबरीमाला, वर्कला
11.	कर्नाटक	गुलबर्गा, श्रृंगेरी
12.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
13.	महाराष्ट्र	शिरडी, नांदेड़, ज्योतिबा
14.	उड़ीसा	पुरी
15.	पंजाब	अमृतसर, आनंदपुर साहिब, दमदमा साहिब, सरहिंद
16.	राजस्थान	अजमेर शरीफ
17.	तमिलनाडु	रामेश्वरम, मदुरै, नागापतनम, नेगूर, पलानी, वेलनकन्नी, तंजौर, तिरूचिरापल्ली, तिरूवनामलाई
18.	उत्तर प्रदेश	बद्रीनाथ, बरसाना, वृंदावन, गंगोत्री, गोकुल, गीवर्धन, हरिद्वार, हेमकुंड, केदारनाथ, कुशीनगर, मथुरा, नंदगांव, ऋषिकेश, सारनाथ, श्रावस्ती, वाराणसी, यमुनोत्री।

प्रशिक्षण हेतु आधुनिक विमान

1849. डा. अशोक पटेल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रशिक्षण हेतु आधुनिक विमान खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कुल कितना खर्च आने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (घ) नागर विमानन महानिदेशालय ने मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी.एच.ई.एल.) हरिद्वार से 40 "स्वाति" हल्के प्रशिक्षु विमान खरीदने की कार्रवाई आरम्भ की है, ताकि प्रशिक्षण उद्देश्य से इन विमानों को फ्लाइंग क्लबों को दिया जा सके। इस उद्देश्य के लिए मैसर्स वी.एच.ई.एल. को 6.00 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि दी गई है और अब तक 17 स्वाति विमान मिल चुके हैं।

मैसर्स नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरी, बैंगलूर द्वारा बनाए गए एक "हंस-3" प्रशिक्षु विमान खरीदने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय को 43.5 लाख रुपए की अनुमानित लागत की मंजूरी भी दी गई है। धन की उपलब्धता की स्थिति में, नागर विमानन महानिदेशालय की और अधिक संख्या में "हंस-3" प्रशिक्षु विमान खरीदने की योजना है।

[अनुवाद]

हल्के लड़ाकू विमान की स्थिति

1850. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) परियोजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसकी लागत और इन पर अब तक कितना धन खर्च किया गया;

(ग) क्या इस बीच हल्के लड़ाकू विमान के तैयार होने से पूर्व विदेशों से ऐसे विमानों की खरीद की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अनुपालन में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) दो प्रौद्योगिकी प्रदर्शक (टी.डी.-1 और टी.डी.-2) तथा हल्के युद्धक वायुयान का पहला आदिरूप (पी.वी.-1) बना लिया गया है। प्रौद्योगिकी प्रदर्शक-1 पर तीव्रगति टैक्सी परीक्षण चरण-1 के बाद ढांचा और प्रणाली रूपांतरण पूरे कर लिए गए हैं। अगले चरण के तीव्र गति टैक्सी परीक्षण करने के लिए प्रणाली एकीकरण की जांच चल रही है। प्रौद्योगिकी प्रदर्शक-2 (प्रौद्योगिकी प्रदर्शक-1 के अनुसार) पर ढांचा और प्रणाली रूपांतरण पूरे होने वाली हैं। पी वी-1 के सज्जीकरण का कार्य भी चल रहा है। मंजूर किए गए 2854 करोड़ रुपये के मद्दे 1816 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) हल्के युद्धक वायुयान उपलब्ध होने तक इनकी कमी को मिग बी आई एस के स्तर उन्नयन रूपांतरण से पूरा किए जाने की आशा है जिनके स्तर को मिकोयन डिजाइन ब्यूरो, रूस तथा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ाया जा रहा है।

[हिन्दी]

जिला जैसलमेर (राजस्थान) में तेल भण्डार

1851. **श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के जैसलमेर जिले में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विशाल भण्डार हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषय में क्या अध्ययन कराया गया है; और

(ग) वहां अन्वेषण का कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) वर्ष, 1967 से 1997 तक की अवधि के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) ने छः गैस युक्त संरचनाओं अर्थात् मानहेरा टिब्बा, घोटारू, खरतार, बारबरी टिब्बा, बांकिया तथा सादेवाला की खोज की थी जो जैसलमेर जिले में पड़ते थे तथा जिनमें गैस की 2.44 बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.) स्थानिक मात्रा विद्यमान थी। वर्तमान में मानहेरा टिब्बा क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है और यह क्षेत्र प्रतिदिन 0.043 एम.एम.एस.सी.यू.एस. की दर से गैस का उत्पादन कर रहा है। शेष क्षेत्रों से उत्पादन की संभाव्यता उपभोक्ताओं की मांग एवं तकनीकी-अर्थतंत्र पर निर्भर करेगी। आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड अपने प्रचालन क्षेत्र के अंतर्गत अन्वेषण क्रियाकलाप जारी रखे हुए है। वर्ष 1988 में आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) ने तानोत क्षेत्र में गैस की खोज की थी। उसके बाद आयल इंडिया लिमिटेड ने डांडेवाला तथा बांगीटिब्बा क्षेत्रों में गैस की खोज की। इन क्षेत्रों की कुल गैस 9.29 बिलियन घन मीटर है। इन क्षेत्रों से प्रतिदिन 0.42 मिलियन मीट्रिक घन मीटर (एम.एम.एस.सी.यू.एम.) की औसत दर पर राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के लिए गैस की आपूर्ति गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से की जा रही है। भविष्यगत अन्वेषण क्रियाकलापों के विषय में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्णय बेसिन प्रतिरूपण अध्ययन के परिणामों के आधार पर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

सिरेमिक निर्माण इकाई द्वारा गैस की मांग

1852. **श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात की सिरेमिक निर्माण इकाईयों ने ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस सप्लाई करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल गुजरात में सिरेमिक उद्योगों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को तटीय प्राकृतिक गैस का आबंटन 11.12 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) है और इस आबंटन की तुलना में तटीय प्राकृतिक गैस की उपलब्धता केवल 5.89 एम.एम.एस.सी.एम.डी. है। इसलिए क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की कम उपलब्धता के कारण गैस की आपूर्ति के लिए किसी नई मांग पर विचार करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

तेल पूल घाटा और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव

1853. श्री रामानन्द सिंह :
श्री सुनील खां :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2000 और आज की स्थिति के अनुसार सरकार का तेल पूल घाटा कितना है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के अन्त तक घाटे में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 31 मार्च, 2000 को तेल पूल घाटा 6,256 करोड़ रुपये था। फिलहाल इसके 12000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के अन्त में घाटा, उत्पादों के खपत पैटर्न, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों और डालर रुपये के तुलनात्मक अंतर पर निर्भर करेगा।

(ग) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अनुमानित तेल पूल घाटे का लगभग 1/3 भाग चालू वित्त वर्ष के अन्त तक नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता मूल्यों के 30 सितम्बर, 2000 से प्रभावी वृद्धि के माध्यम से वहन करने का निर्णय लिया। साथ-साथ सरकार ने कच्चे तेल पर सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत और पेट्रोल, डीजल इत्यादि पर 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा डीजल पर उत्पाद कर 16 प्रतिशत से कम करके 12 प्रतिशत और पेट्रोल पर 32 प्रतिशत से 16 प्रतिशत कर दिया। विभिन्न अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल के भण्डारण स्थल पर मूल्य में 0.89 रुपये प्रति लीटर और घरेलू एल.पी.जी. के भण्डारण स्थल पर मूल्य में 8.54 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती कर दी है जिसके परिणामस्वरूप खुदरा बिक्री मूल्यों में 22 नवम्बर, 2000 से क्रमशः लगभग 1 रुपया प्रति लीटर और 10 रुपये प्रति सिलेण्डर की कमी कर दी गई है।

[अनुवाद]

मणिपुर में रेलवे आरक्षण काउंटर

1854. श्री होलखोमांग हौकिप : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एम.एस.आर.टी.सी. इम्फाल, परिसर में रेलवे आरक्षण काउंटरों पर वापिसी के टिकटों का आरक्षण नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मणिपुर में और अधिक रेलवे आरक्षण काउंटर शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गुवाहाटी और दीमापुर से चलने वाली रेलगाड़ियों में मणिपुर की सीटों/बर्थों का कोई कोटा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) इम्फाल में स्थित कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली में आगे की यात्रा तथा वापसी यात्रा के लिए आरक्षण की सुविधा पहले ही मौजूद है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, फिलहाल मणिपुर में और अधिक कम्प्यूटर आरक्षण काउंटर खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां, गुवाहाटी तथा दीमापुर से अंतिम समय की मांग को पूरा करने के लिए आपातकालीन कोटा मणिपुर राज्य सड़क

परिवहन निगम के नियंत्रण के अधीन उद्दिष्ट किया गया है।

(च) मणिपुर राज्य सड़क परिवहन निगम के नियंत्रण के अधीन इम्फाल यात्री आरक्षण प्रणाली में निम्नलिखित आपातकालीन कोटा मुहैया कराया गया है:-

गाड़ी सं.	द्वितीय वातानुकूल	तृतीय वातानुकूल	शयनयान
4055 डाउन दीमापुर से	–	2	2
5960 डाउन दीमापुर से	–	–	2
2423 डाउन गुवाहाटी से	2	2	–
2435 डाउन गुवाहाटी से	2	2	–
5621 डाउन गुवाहाटी से	2	–	2
5646 डाउन गुवाहाटी से	–	–	2
5651 डाउन गुवाहाटी से	–	–	2
5624 डाउन गुवाहाटी से	–	–	2
5626 डाउन गुवाहाटी से	–	–	2
5628 डाउन गुवाहाटी से	–	–	2
5630 डाउन गुवाहाटी से	–	–	2

कर्नाटक में स्मारकों में प्रवेश पर शुल्क

1855. श्री एच.जी. रामुलू : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में हम्पी में प्रत्येक स्मारक में विदेशी और घरेलू पर्यटकों से कितना प्रवेश शुल्क लिया जाता है; और

(ख) पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से और प्रत्येक स्मारक के प्रवेश पर शुल्क लगाने की बजाए मुख्य द्वार पर ही प्रवेश शुल्क लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) हम्पी में विट्ठल मंदिर परिसर और लोटस महल परिसर में भारतीय नागरिकों से 10/- रुपए व अन्यों से 10 अमरीकी डालर प्रवेश शुल्क अलग-अलग लिया जाता है। पन्द्रह वर्ष की आयु से नीचे वाले बच्चों से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता है।

(ख) वर्तमान प्रबंध को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उच्च न्यायालय की खंडपीठों की स्थापना

1856. डा. सी. कृष्णन :
श्री वैको :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवगठित राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) उच्च न्यायालयों में राज्य-वार कितने न्यायाधीशों के पदों की स्वीकृति दी गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए जिनमें उच्च न्यायालयों की स्थापना करना भी सम्मिलित है, निधियां प्रदान करना राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। तथापि, केंद्रीय सरकार ने नए सृजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अनुमानित लागत प्राक्कलन के साथ परियोजना प्रस्ताव भेजने के लिए लिखा है ताकि इस पर योजना आयोग के साथ बातचीत की जा सके।

(ख) नए सृजित उच्च न्यायालयों में मंजूर की गई न्यायाधीशों की सदस्य-संख्या निम्नानुसार है:-

	स्थायी	अतिरिक्त	कुल
(1) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	4	2	6
(2) झारखंड उच्च न्यायालय	10	2	12
(3) उत्तरांचल उच्च न्यायालय	4	3	7

[हिन्दी]

राजस्थान में कोको योजना के तहत पेट्रोल पम्प

1857. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में नगर-वार कितनी कंपनियां अपने पेट्रोल पम्प चला रही हैं; और

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनको यह कोको पम्प किराए पर दिए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर तेल विपणन कम्पनियों द्वारा चलाए जा रहे कम्पनी के स्वामित्व वाले और कम्पनी द्वारा प्रचारित (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्र और जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों का कम्पनी वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

कम्पनी का नाम	कोको खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या	जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
इंडियन आयल कारपोरेशन लि.	36	02
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	10	06
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	02	03
आई.बी.पी. कं. लि.	01	-

नीति के अनुसार कोको खुदरा बिक्री केन्द्र और जुबली खुदरा बिक्री केन्द्र "कम्पनी का स्वामित्व कम्पनी द्वारा प्रचालित" आधार पर चलाए जाते हैं। यह बिक्री केन्द्र तेल कम्पनी के एक अधिकारी के बिक्री केन्द्र के पूर्ण रूप से प्रभारी होने पर चलाया जाता है। दिन प्रति दिन के प्रचालन के लिए संविदाकार के माध्यम से श्रम सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में बाटलिंग संयंत्र

1858. श्री कोल्लूर बसवनागौड : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में और विशेषकर बेलारी में विभिन्न तेल निगमों के कितने गैस बाटलिंग संयंत्र हैं;

(ख) बेलारी में प्रतिदिन कितने रसोई गैस सिलिंडरों की आवश्यकता होती है;

(ग) क्या वर्ष 2000-2001 के दौरान बेलारी में नए रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र विपणन कंपनियों के 7 एल.पी.जी. भरण संयंत्र कर्नाटक राज्य में प्रचालन कर रहे हैं। तथापि, वर्तमान में बेल्लारी में कोई भरण संयंत्र विद्यमान नहीं है।

(ख) बेल्लारी में सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों के ग्राहकों के लिए प्रतिदिन एल.पी.जी. सिलेन्डरों की कुल आवश्यकता लगभग 1800 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पद

1859. श्री मंजय लाल : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय/विभागों/स्वायत्त निकायों और अधीनस्थ कार्यालयों में राज्य-वार स्थायी और तदर्थ आधार पर कितने अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान आशुलिपिकों, टंककों के आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में आमान परिवर्तन हेतु संयुक्त उपक्रम

1860. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे और मध्य प्रदेश सरकार की जबलपुर-गोंडिया रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

द्वितीय श्रेणी के डिब्बे बढ़ाना

1861. श्री किशन सिंह सांगवान :
श्री रामजी मांझी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अक्तूबर, 2000 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फॉर 30,000 सोनीपत कम्प्यूटर्स जर्नी टू देहली इज इन ऑर्डियल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार का ब्यौरा क्या है;

(ग) दैनिक यात्रियों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या रेलवे स्टेशनों, रेलगाड़ियों और प्लेटफार्म पर बने शौचालयों में सफाई की हालत शोचनीय है और वह किसी उपयोग में नहीं आ रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या रेलवे स्टेशनों पर और आरक्षित डिब्बों में पीने के पानी की भारी कमी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (च) जी हां। इस समाचार में सोनीपत-दिल्ली खंड में अत्यधिक भीड़भाड़ और गाड़ियों के विलंब से चलने के मुद्दे उठाये हैं। अतिरिक्त गाड़ियों की शुरूआत और सोनीपत-दिल्ली खंड पर चालित गाड़ियों के सवारी डिब्बों में वृद्धि एम.ई.एम.यू./ई.एम.यू. कार शेड में अतिरिक्त अनुरक्षण सुविधाओं के अभाव में लाइन क्षमता की तंगियों सहित परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। भारतीय रेलें रेलवे प्रशासन के सभी तीनों स्तरों पर गाड़ियों को चौबीसों घंटे गहन निगरानी के माध्यम से गाड़ियों का समयपालन सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करती हैं। बहरहाल, नाकारा होने के कारण परिसंपत्तियों की खराबी, आंदोलन, खराब मौसम, शरारती तत्वों की गतिविधि, आदि सहित विभिन्न कारकों के कारण गाड़ियां कभी-कभार विलंब से चलती हैं। रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता के स्तर में सुधार करने के लिये रेलें सतत् प्रयास करती हैं। स्वच्छता के संबंध में नियमित जांचें और अभियान चलाये जाते हैं तथा जहां कहीं आवश्यक होता है, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। रेलवे स्टेशनों पर न्यूनतम अनिवार्य सुविधा के अनुसार पेयजल उपलब्ध रहता है।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

1862. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसोई गैस की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि के परिणामस्वरूप रसोई गैस कनेक्शन के आवेदकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे नगरों में रसोई गैस के मूल्यों में कमी करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) घरेलू एल.पी.जी. के भण्डार बिन्दुगत मूल्य में 22 नवम्बर, 2000 से निम्नवत् अधोगामी संशोधन किया गया था:-

को भण्डार बिन्दुगत मूल्य	रुपए प्रति सिलेन्डर
30.9.2000	185.00
22.11.2000	176.46

[अनुवाद]

भारतीय वायु सेना के हेलीकाप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना

1863. श्री रामजी मांझी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 नवंबर, 2000 के 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में 'दि आर.ए.एफ. हेलीकॉप्टर क्रैश्ड ऑन संडे नून बट हैल्प केम फार सरवाइवर्स लेट ऑन में डे-विद साल्ट इन आवर वूंड्स, वी वेटेड फार हैल्प', शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समय पर बचाव कार्य की व्यवस्था नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप भारतीय वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की कीमती जानें चली गईं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) एक एम.आई.-8 हेलिकॉप्टर गुजरात में सर क्रीक क्षेत्र में दिनांक 12.11.2000 को लगभग 1300 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह हेलिकॉप्टर 12 नवंबर, 2000 को 1107 बजे वायुसेना स्टेशन नलिया से कोटेश्वर के लिए उड़ा था। उक्त हेलिकॉप्टर 1128 बजे कोटेश्वर में उतरा और बाद में 1217 बजे पुनः उड़ा। इसे कार्य पूरा हो जाने पर 1345 बजे कोटेश्वर में उतरना था और 1420 बजे नलिया वापस पहुंचना था। इस हेलिकॉप्टर को 1300 बजे के बाद न तो देखा गया था और न ही संचार चैनलों पर सुना गया था। इस हेलिकॉप्टर का पता लगाने के बारे में वायु यातायात नियंत्रण, नलिया द्वारा 1450 बजे से पूछताछ शुरू की गई।

12 नवंबर, 2000 को 1820 बजे एक खोजी हेलिकॉप्टर जामनगर से नलिया भेजा गया था। नलिया में उतरने के बाद यह उचित निर्देश प्राप्त करके और रात्रि दर्शी उपकरणों के साथ उक्त हेलिकॉप्टर का पता लगाने के लिए उड़ा। किंतु कम दूरी तक दिखाई दे सकने के कारण उसे खोज-कार्य में सफलता नहीं मिली। 13 नवंबर, 2000 को दूसरा हेलिकॉप्टर भी जामनगर से भुज गया, किंतु इसे भी कोई सफलता नहीं मिली। तत्पश्चात्, दोनों हेलिकॉप्टर 13 नवंबर, 2000 को 1200 बजे खोज-कार्य के लिए भुज से रवाना हुए और इन्हें 1332 बजे लापता हेलिकॉप्टर का मलबा पानी में दिखाई पड़ा किंतु वहां वायु-समुद्री बचाव हेलिकॉप्टरों के लिए उतरने का कोई स्थान नहीं था। आरंभ में, तीन जीवित कार्मिक ऊपर से खींच लिए गए तथा बाद में दोनों हेलिकॉप्टर अतिरिक्त कार्मिकों और आवश्यक उपस्करों के साथ बचाव-कार्य में जुट गए थे। इस प्रकार, भारतीय वायुसेना ने इस दुर्घटना में सभी आवश्यक खोज व बचाव कार्य किए थे।

दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए जांच-अदालत संबंधी आदेश दे दिए गए हैं। हेलिकॉप्टर का मलबा भुज में पहुंचा दिया गया है। क्षतिग्रस्त संघटक विश्लेषण के लिए परीक्षण एजेंसियों के पास भेज दिए गए हैं। तथापि, आरंभिक जांच से किसी विस्फोट के संकेत नहीं मिलते।

मुंबई उपनगरीय रेल सेवा का विस्तार

1864. श्री चिंतामन वनगा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मौजूदा मुंबई उपनगरीय रेल सेवा को और आस-पास के शहरों विशेषकर वसई दिवा और दहानु रोड तक बढ़ाने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना में क्या प्रगति हुई है और इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना खर्च आने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) विरार-दहानू रोड को पहले ही उपनगरीय खंड के रूप में घोषित कर दिया गया है।

निम्नलिखितों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं:-

1. श्री एम.टी. शाह दैनिक यात्री और निवासी डोम्बीवली, मुंबई, भीवंडी/वसई के रास्ते थाणे और विरार, कल्याण और बोरिवली के बीच ई.एम.यू. गाड़ियां चलाने के लिए संसद सदस्य श्री किरीट सोमैया के माध्यम से अग्रेषित।

2. वसई-दीवा-पनवेल के बीच ई.एम.यू. गाडियां चलाने के लिए पैंसेजर ट्रेफिक रिलीज एसोसिएशन द्वारा।

3. श्री संजय एच. नाविक, दैनिक यात्री और निवासी वसई रोड, वसई रोड से पनवेल तक लोकल गाड़ियां चलाने के लिए।

(ग) और (घ) दीवा-वसई खंड पर मुंबई उपनगरीय सेवाओं के विस्तार पर विचार नहीं किया जा रहा है। बहरहाल, इस क्षेत्र के दैनिक यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दीवा और वसई के बीच चार डी.एम.यू. सेवाएं 2 प्रातःकाल में और 2 सायंकाल में चल रही हैं।

विरार-दहानू रोड खंड पर ई.एम.यू. सेवाओं को चलाने से संबद्ध कार्य 25.82 करोड़ रु. की लागत पर बजट 2000-01 में अनुमोदित किया जा चुका है।

संयुक्त रक्षा आसूचना एजेंसी

1865. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना, नौसेना और वायु सेना की एक संयुक्त आसूचना रक्षा एजेन्सी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान रक्षा ढांचे के अंतर्गत किस प्रकार समन्वय रखा जाता है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की अच्छी तरह से समग्र समीक्षा करने और विशेष रूप से कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते 17 अप्रैल, 2000 को एक मंत्री-समूह गठित किया है। मंत्री समूह के विचारार्थ विषयों के विस्तृत कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और इसके आदेश के अनुसार मंत्री समूह ने आसूचना-तंत्र, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और रक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में चार अलग-अलग कार्यदल नियुक्त किए हैं। इन कार्यदलों ने अपनी-अपनी रिपोर्टें मंत्री समूह को प्रस्तुत कर दी हैं। मंत्री समूह, रक्षा आसूचना एजेंसी के सृजन सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के बाद, कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करेगा। विद्यमान व्यवस्था में संयुक्त सेवा आसूचना बोर्ड के माध्यम से तीनों सेनाओं के आसूचना निदेशालयों और अन्य सिविलियन एजेंसियों के बीच आपस में नियमित संपर्क रहता है।

घुसपैठ का पता लगाने के लिए भू-संवेदक (ग्राउंड सेंसर्स)

1866. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी तत्वों द्वारा घुसपैठ का पता लगाने के लिए भू-संवेदकों (ग्राउंड सेंसर्स) को नियंत्रण रेखा पर लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके बाद रक्षा प्रयासों में कोई प्रत्यक्ष अन्तर पाया गया है;

(ग) क्या इस प्रणाली में कोई और सुधार लाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ का पता लगाने और घुसपैठ रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए जाने सहित लगातार समुचित कदम उठाए जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) मौजूदा संसाधनों को बढ़ाने के प्रयास जारी हैं।

कपास की खपत

1867. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में कपड़े की खपत के संबंध में भारतीय कपास समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न आय समूहों द्वारा कितने मीटर कपड़े की औसत खपत की जाती है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनन्जय कुमार): (क) से (ग) वस्त्र समिति के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1998 के दौरान विभिन्न आय समूहों के द्वारा वस्त्रों की प्रति व्यक्ति खरीद/खपत निम्नानुसार है:

(मात्रा : मीटर)

आय समूह	शहरी	ग्रामीण	अखिल भारतीय
निम्न आय समूह	18.62	13.89	14.33
मध्यम आय समूह	24.54	13.87	16.78
उच्च आय समूह	23.76	11.98	17.86

इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन

1868. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने आगामी विधान सभा चुनावों के लिए इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों की खरीद हेतु निधियों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक कितनी इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनें खरीदी गई और उनके रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में होने वाले चुनावों में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का अनिवार्य उपयोग करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) निर्वाचन आयोग ने वर्ष 1989-90 में 1,50,000 इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का क्रय किया था। हाल ही में, सरकार ने अतिरिक्त मतदान मशीनों के क्रय के लिए 150 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के रखरखाव पर खर्च हुई धनराशि के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारत-निर्वाचन आयोग के अनुसार, उसने आगामी निर्वाचनों में, जहां तक व्यापक रूप से संभव हो, इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग करने का विनिश्चय किया है। सरकार का विचार है कि इससे इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों से मतदान करने का आवश्यक अनुभव प्राप्त होगा जिससे सरकार भविष्य में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के अनिवार्य उपयोग पर विचार करने में समर्थ होगी।

[हिन्दी]

नई नौपरिवहन नीति

1869. श्री राजो सिंह : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौपरिवहन नीति को नई दिशा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान तैयार की गई नई नौपरिवहन नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परिवहन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का निजीकरण करने के संबंध में क्या नीति अपनाई जाएगी?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय नौवहन नीति समिति की सिफारिशों के आधार पर जिन पर अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचार किया गया था, तटीय नौवहन के विकास, मानव संसाधन के विकास, मेरीटाइम प्रशासन के पुनर्गठन आदि के संबंध में पहले ही उपाय किए जा चुके हैं। नौवहन उद्योग के विकास के लिए कुछेक आर्थिक और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने पर भी कार्रवाई की जा रही है। ये प्रोत्साहन निम्नलिखित से संबंधित हैं:-

(1) भारतीय नाविकों के लिए कर राहत।

(2) मूल्यह्रास दर को 20% से बढ़ाकर 40% करना।

(3) तटीय नौवहन को अवसंरचना का दर्जा।

(4) नैगम कर के स्थान पर टनभार कर की शुरूआत।

(ग) उपर्युक्त नीति के उपायों के अनुसार निहित संभावित व्यय की गणना प्रस्तावित नीति की स्वीकृति और कार्यान्वयन के बाद की जा सकती है।

(घ) परिवहन अवसंरचना विशेषत: सड़कों के विकास में गैर-सरकारी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इस संबंध में आर्थिक और वित्तीय प्रोत्साहन देने के उपाय करने की कार्रवाई शुरू की गई है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में रसोई गैस, पेट्रोल और मिट्टी के तेल के डिपुओं का आवंटन

1870. श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार आंध्र प्रदेश में रसोई गैस, पेट्रोल, मिट्टी के तेल और डीजल की श्रेणी-वार खुदरा और थोक डीलरशिप के आवंटन संबंधी कितने मामले लंबित हैं; और

(ख) इन मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में आबंटन के लिए 156 खुदरा बिक्री डीलरशिप, 197 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 3 एस के ओ-एल डी ओ डीलरशिप लंबित हैं। डीलरों/ डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन एक चरणबद्ध ढंग से प्रक्रियानुसार डीलर चयन बोर्डों के माध्यम से किया जाता है और इस स्तर पर यह बताना संभव नहीं होगा कि लंबित स्थलों के लिए चयन के पूरा किए जाने की सही समय सीमा क्या होगी।

तमिलनाडु में पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति

1871. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे तमिलनाडु में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना को पूरा करने की लक्षित तारीख कौन सी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैसूर के रास्ते कर्नाटक में मंगलौर से तमिलनाडु में कोयम्बतूर तक एक 670 कि.मी. लंबी पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है जिसे उपभोक्ताओं को आगे सिलेंडरों में आपूर्ति करने के लिए तेल क्षेत्र की कंपनियों के भरण संयंत्रों को थोक में प्रतिवर्ष 1.1 मिलियन टन तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) का परिवहन करने के लिए कर्नाटक में बंगलौर से भी जोड़ा जाना है। इस प्रस्तावित पाइपलाइन की तमिलनाडु में कुल लंबाई 106 कि.मी. है। इस पाइपलाइन परियोजना के अनुमोदन की तारीख से इसे 36 महीने के भीतर पूरी किए जाने का अनुमान है।

[हिन्दी]

मुम्बई पत्तन न्यास में आग लगने की घटना

1872. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 31 अक्तूबर, 2000 को मुंबई पत्तन न्यास के भंडार में लगी आग की घटना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस घटना में जान-माल का कितना नुकसान हुआ; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) मुम्बई पत्तन न्यास की इमारत से कंपार्टमेंट सं. IV में दिनांक 31.10.2000 को आग लग जाने की सूचना मिली है। यह कंपार्टमेंट मासिक किराएदारी के आधार पर मै. धीरज लाल एंड कंपनी को किराए पर दिया गया था। पुलिस तथा मुम्बई नगर निगम फायर ब्रिगेड आग के सही कारणों का पता लगा रहे हैं। मुम्बई पत्तन की इमारत के कंपार्टमेंट सं. IV एवं V की छत की ए.सी. शीटें ही क्षतिग्रस्त हुई हैं और कोई जन हानि नहीं हुई।

(घ) मुम्बई पत्तन न्यास इमारत के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत की लागत किराएदार से वसूल करेगा।

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में वित्तीय संकट

1873. श्री सुबोध मोहिते: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मौजूदा स्मारकों और विभाग के तहत हाल ही में लाए गए स्मारकों के रख-रखाव में वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कितनी निधियां नियत की गई; और

(ग) अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उपलब्ध कराई गई धनराशियां इसकी विविध गतिविधियों तथा दायित्वों के अनुरूप नहीं हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित घोषित किए गए स्मारकों के रखरखाव, संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास के लिए आबंटित धनराशियां इस प्रकार हैं:-

वर्ष 1997-98	6465.90 लाख रुपए
वर्ष 1998-99	7440.99 लाख रुपए
वर्ष 1999-2000	8988.64 लाख रुपए

वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आबंटन 10,087.50 लाख रुपए है। आबंटित धनराशि का इस्तेमाल संरक्षित स्मारकों के रखरखाव, संरक्षण और विकास के लिए किया जाता है।

(ग) विशेष स्मारकों के विकास के लिए यूनेस्को, राज्य सरकारों तथा इसके, स्वायतशासी निकायों जैसी विभिन्न एजेंसियों ने धनराशियां प्रदान की हैं। इस उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से कारपोरेट सैक्टर से भी धन प्राप्त हुआ है।

राजस्थान में रसोई गैस एजेंसियों की स्थापना

1874. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस उपभोक्ताओं को 100 कि.मी. से 150 कि.मी. तक की दूरी से गैस सिलिंडर लाने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो आगामी दो वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की कितनी एजेंसियां खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) आगामी वर्ष के दौरान राजस्थान में, विशेषत: थार मरूस्थल के बाडमेर और जैसलमेर जिलों में कितनी रसोई गैस एजेंसियां खोले जाने के लिए विज्ञापन दिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) एल.पी.जी. डिस्ट्रिब्यूटरों को मैदानी क्षेत्रों में 30 कि.मी. और पर्वतीय क्षेत्रों में 75 कि.मी. तक विस्तार काउंटर खोलने की अनुमति दी गई है जिससे वे उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर सकें। इसके अतिरिक्त उन उपभोक्ताओं, जो स्थानांतरण वाउचर/ प्राथमिकता कनेक्शनों के साथ आते हैं और जो एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप के सामान्य प्रचालन क्षेत्र से बाहर रहते हैं, को उनके द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत करने पर नकद दो और ले जाओ के आधार पर अपने एल.पी.जी. रीफिल ले जाने की अनुमति है। ऐसे ग्राहक 5/- रुपए की छूट के हकदार हैं।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की राजस्थान में 151 स्थानों पर एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने की योजना है।

संयुक्त उद्यम

1875. श्री सुरेश रामराव जाधव:
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे ने लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से राज्यों ने रेल परियोजनाओं के संयुक्त उद्यमों में रुचि दिखाई है; और

(घ) राज्यों के सहयोग से लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) (I) **कर्नाटक सरकार के साथ संयुक्त प्रयास**

रेल मंत्रालय, कर्नाटक सरकार, विदेशी निवेशक/बैंक/अन्य की इक्विटी भागीदारी से एस.पी.वी. को संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठित करने का प्रस्ताव है। रेल मंत्रालय तथा कर्नाटक सरकार प्रत्येक की 26% की इक्विटी है। कंपनी कर्नाटक राज्य में पहचानी गई चार परियोजनाओं के लिए धन जुटायेगी। संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा बाजार ऋणों के लिए कर्नाटक सरकार ऋणदाताओं को बिना किसी प्रतिभूति या रेल मंत्रालय रेल परिसंपत्ति पर प्रभार लगाये बिना राज्य गारंटी मुहैया करायेगी।

(II) आंध्र प्रदेश सरकार

रेल मंत्रालय और कर्नाटक सरकार की इक्विटी भागीदारी से एस.पी.वी. को संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठित करने का प्रस्ताव है।

इस संयुक्त उद्यम में रेल मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश सरकार की बराबर इक्विटी होगी। संयुक्त उद्यम हैदराबाद और सिकंदराबाद ट्विन सिटी में बहुमुखी उपनगरीय परिवहन प्रणाली पर कार्य करेगी।

(ग) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र सरकार ने रेल परियोजनाओं में सुक्त उद्यम के लिए रूचि दिखाई है।

(घ) रेल मंत्रालय, रेल परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की दिशा में कर्नाटक सरकार के साथ संयुक्त उद्यम की पैटर्न पर राज्य सरकारों की वित्तीय भागीदारी का स्वागत करता है।

[हिन्दी]

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण

1876. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान रेलवे की कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां.

(ख) हड़ताल के दौरान बहुत से कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्रों के सामान्य कार्य संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	रेलवे	कुल या.आ. प्र. केन्द्र (अद्द)	प्रभावित केन्द्र (अद्द)	रेलवे चेनल पर बहाल किए गए केन्द्र
1.	मध्य	63	3	–
2.	पूर्व	58	12	6
3.	उत्तर	103	4	4
4.	पूर्वोत्तर	38	4	3
5.	पू.सी.	27	11	1
6.	दक्षिण	97	41	14
7.	दक्षिण मध्य	65	8	6
8.	दक्षिण पूर्व	49	16	5
9.	पश्चिम	58	–	–

(ग) यात्री आरक्षण प्रणाली डाटा ट्रांसमिशन नेटवर्क में दूरसंचार विभाग से किराए पर लिए गए चेनल तथा रेलवे के अपने चेनल शामिल हैं। हड़ताल के दौरान प्रभावित आरक्षण केन्द्रों पर रेलवे के अपने चेनलों जहां कहीं उपलब्ध थे, का उपयोग करके आंशिक रूप से कार्य संचालन को सामान्य किया गया। क्षति को कम से कम करने के लिए मंत्रालय स्तर पर निकट संपर्क बनाए रखा गया था।

[अनुवाद]

उपकर लगाकर निधि संग्रह

1877. श्री महबूब जहेदी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्ष के दौरान तल उत्पादों पर कोई उपकर लगाया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां। पेट्रोल पर 2 जून, 1998 से प्रभावी 1 रुपया प्रतिलीटर का अतिरिक्त शुल्क (उत्पाद कर और सीमा शुल्क) लगाया गया था। हाई स्पीड डीजल तेल पर 28 फरवरी, 2000 से प्रभावी अतिरिक्त शुल्क (उत्पाद कर और सीमा शुल्क) लगाया गया था। इन शुल्कों का उल्लेख कभी-कभी ''उपकर'' के नाम से भी किया जाता है।

(ग) हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल पर ''उपकर'' के उदग्रहण से एकत्रित राशि ग्रामीण सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य क्षेत्र की सड़कों के लिए और रेल मार्ग पर ऊपरी पुलों और मानवरहित रेलवे क्रासिंग पर रेलवे सुरक्षा कार्य के लिए खर्च की जाएगी।

हरियाणा के मृत सैन्य कार्मिकों के आश्रितों को मुआवजा

1878. श्री जय प्रकाश : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुनर्वास महानिदेशालय (डी.जी.आर.) ने आपरेशन विजय और रक्षक के तहत कारगिल युद्ध में मारे गए हरियाणा के सशस्त्र बल कार्मिकों की सूची हरियाणा के सभी जिला सैनिक बोर्ड प्रमुखों को इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि वे युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं/संबंधियों को रसोई गैस/डीजल/मिट्टी के तेल की रिटेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन हेतु सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में उनकी मदद करें;

(ख) क्या कारगिल शहीदों के परिवारों को संबंधित रेजीमेंटों ने भी उन्हें सरकार द्वारा उक्त डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवंटित करने के निर्णय की सूचना दी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बाद में पुनर्वास महानिदेशालय ने कुछ दावों को यह कहते हुए अस्वीकृत कर दिया था कि यह योजना केवल कारगिल सैक्टर में आपरेशन विजय की कार्रवाई में मारे गए सैनिकों के लिए ही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार मानवता के आधार पर ऐसे किसी प्रस्ताव की जांच कर रही है जिसके तहत उक्त योजना का विस्तार कारगिल युद्ध के सभी शहीदों तक करने की बात कही गई है चाहे उन्होंने आपरेशन रक्षक के तहत जम्मू-कश्मीर में किसी भी स्थान पर प्राण न्यौछावर किए हों; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (छ) कारगिल आपरेशन के बाद पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस आपरेशन में शहीद हुए, सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को 500 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप/पेट्रोल थोक विक्रय डीलरशिप आवंटित करने की घोषणा की। महानिदेशक, पुनर्वास ने कारगिल आपरेशन में शहीद सैनिकों के आश्रितों को इस अनुरोध के साथ पत्र भेजे थे कि वे इस स्कीम के तहत एजेंसी आवंटित किए जाने के लिए पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र भेज दें। महानिदेशक, पुनर्वास ने हरियाणा राज्य सहित सभी राज्य सरकारों के राज्य सैनिक बोर्डों को भी इस अनुरोध के साथ पत्र भेजे थे कि वे जिला सैनिक बोर्डों को सलाह दें कि वे युद्ध में शहीद कार्मिकों की विधवाओं/निकटतम संबंधियों/आश्रितों को आवेदन प्रपत्र भरने तथा उन्हें तुरंत महानिदेशक, पुनर्वास के कार्यालय को भेजने में सभी संभव सहायता मुहैया करवाएं।

2. चूंकि कारगिल आपरेशन के दौरान ही 522 सेना कार्मिक तथा 5 वायुसेना कार्मिक मारे गए थे। अत: जम्मू-कश्मीर के आपरेशन रक्षक अथवा सेना के किसी अन्य आपरेशन में मारे गए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को इस विशेष स्कीम का लाभ प्रदान करना संभव नहीं हो पाया।

[हिन्दी]

जूट टैक्नॉलॉजी मिशन की स्थापना

1879. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अच्छी गुणवत्ता का जूट पैदा करने के लिए एक जूट टैक्नॉलॉजी मिशन की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) जी हां। सरकार का निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पटसन प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है:

उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने, किसानों को लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण, उचित बाजार संपर्क का सृजन

करना तथा देश और विदेश में पटसन उत्पादों के क्षेत्र का विस्तार करना।

वित्तीय वर्ष 2001-02 के दौरान मिशन शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

छावनी बोर्ड, सिंकदराबाद द्वारा करों का संग्रहण

1880. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छावनी बोर्ड, सिकंदराबाद ने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को बकाया करों की वजह से कुर्की का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर कुल कितना कर बकाया है;

(ग) वर्षों से करों का संग्रहण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) छावनी बोर्ड, सिकंदराबाद द्वारा भूमि के उचित और कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को छावनी अधिनियम की धारा 91 के अंतर्गत तीस दिन के भीतर देय राशि का भुगतान किए जाने का निर्देश देते हुए दिनांक 9.10.2000 को मांग नोटिस जारी किए जाने के बावजूद उक्त प्राधिकरण ने दिनांक 1.4.1995 से 31.3.2000 तक की अवधि के लिए सिकन्दराबाद छावनी की सीमाओं के भीतर स्थित अपनी संपत्तियों के संबंध में छावनी बोर्ड, सिकन्दराबाद को देय 6,63,61,340/- रुपए की कर राशि का भुगतान नहीं किया है।

विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ कतिपय मुद्दों का निपटारा होने में समय लग गया, जिसके कारण इस मामले में विलंब हुआ।

(घ) छावनी बोर्ड, सिकन्दराबाद के प्रबंधनाधीन 'ग' के रूप में वर्गीकृत कुल 271.258 एकड़ भूमि है, जिसका इस्तेमाल सड़कों, गलियों, पार्कों, अस्पतालों और बाजारों आदि के लिए किया जा रहा है। इन परिसंपत्तियों का यथा संभव उपलब्ध संसाधनों के भीतर रख-रखाव किया जाता है।

हरियाणा में "जुबली और कोको पंप"

1881. श्री अधीर चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (आई.बी.पी.एल.) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) ने समाचार पत्रों में हरियाणा में क्रमश: 11 और 58 जुबली और कोको पंपों की स्थापना संबंधी विज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या विज्ञापन देने से पूर्व रोस्टर नीति, विपणन योजना और सुविधाओं की अधिकतम उपयोगिता पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तेल निगम भारी कर्ज में डूबे होने के बावजूद आर्थिक अध्ययन किए बिना राजसी जुबली पेट्रोल पंपों पर बड़ी-बड़ी राशियां खर्च कर रहा है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) जुबली और कोको पंपों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) आई.पी.बी. कंपनी लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्रों, कोको बिक्री केन्द्रों और कारगिल में आपरेशन विजय में शहीद हुए रक्षा कार्मिक की विधवाओं/निकटतम संबंधियों को विशेष योजना के तहत आबंटित बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि की प्राप्ति हेतु भूमि स्वामियों से प्रस्ताव मंगवाते हुए विज्ञापन जारी किए थे।

तेल कंपनियां जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए यह मूल्यांकन करती हैं कि क्षेत्र में पर्याप्त संभाव्यता विद्यमान है या नहीं।

समीक्षा के बाद जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्रों की योजना समाप्त कर दी गई है।

(छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

निजी क्षेत्र की तेल शोधक कंपनियां

1882. डा. रमेशचन्द तोमर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी क्षेत्र की कौन-कौन सी तेल शोधक कंपनियां नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन अधिकारों की पात्र हैं;

(ख) क्या सरकार के पास कुछ आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधई ब्यौरा क्या है; और

(घ) कदाचार से बचने के लिए इन तेल कंपनियों को कब तक विपणन अधिकार दिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) भारत सरकार ने प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) के समापन के लिए नवम्बर, 1997 में एक योजना घोषित की थी। पूर्वोक्त घोषणा में अन्य बातों के साथ परिवहन ईंधनों नामतय: मोटर स्पिरिट (एम.एस.), हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) और उड्डयन इंजन ईंधन (ए.टी.एफ.) के लिए विपणन अधिकार दिए जाने की व्यवस्था थी बशर्ते कि रिफाइनरियों का स्वामित्व और प्रचालन कम से कम 2000 करोड़ रुपए के निवेश से हो अथवा तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनियां जो कम से कम 3 मिलियन टन वार्षिक कच्चे तेल का उत्पादन कर रही हों। पेट्रोलियम क्षेत्र की पूर्ण नियंत्रणमुक्ति 1 अप्रैल, 2002 से लक्षित है।

सरकार को मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड और मैसर्स मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड से परिवहन ईंधनों के विपणन अधिकार दिए जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

इन परिशोधन कंपनियों में से मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड और मैसर्स मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड सामान्यतया विपणन अधिकार दिए जाने के लिए मानदंड पूरे करती हैं। विपणन अधिकार प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए.पी.एम.) समाप्त किए जाने के बाद प्रदान किए जाएंगे।

सरकार ने एम.एस., एच.एस.डी., ए.टी.एफ., एल.पी.जी. (घरेलू) और मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के अतिरिक्त सभी पेट्रोलियम उत्पादों को पहले ही नियंत्रण मुक्त कर दिया है।

देश में एयरोस्पोर्ट्स

1883. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में एयरोस्पोर्ट्स शुरू करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खेलों के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) ग्लाइडिंग, स्काइ डाइविंग, हैंग-ग्लाइडिंग, बैलूनिंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, पैरासेलिंग, एयरोमोडलिंग, पैरा ग्लाइडिंग, पावरड्हैंग-ग्लाइडिंग इत्यादि भारत के एयरोक्लब के अधिकार क्षेत्र के अधीन विविध फ्लाइंग/ग्लाइंडिंग क्लबों के द्वारा देश में एयरोस्पोर्टस क्रिया-कलाप किए जा रहे हैं। मामला-दर-मामला आधार पर जब कभी भी आवश्यक हो, नागर विमानन मंत्रालय वित्तीय सहायता भी प्रदान कर इन क्रिया-कलापों को बढ़ावा देती है।

डीजल के आयात पर विलंब शुल्क लागत

1884. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश डीजल के आयात पर विलंब शुल्क के रूप में भारी कीमत चुका रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या पोत 14,000 से 17,000 डालर प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लागत वसूल करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार विलंब शुल्क लागत से बचने के लिए क्या कदम उठा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) अब तक 2000-01 के दौरान डीजल आयात के खाते में किसी विलंब शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान वर्ष की बाकी अवधि के दौरान डीजल के आयात की कोई योजना नहीं है, इसलिए विलंब शुल्क के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद-मस्कट-हैदराबाद सीधी उड़ान बहाल करना

1885. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से हैदराबाद-मस्कट-हैदराबाद (ए-320 विमान) से सीधी उड़ान पर फिर बहाल करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश ने हैदराबाद-बहरिन-हैदराबाद के बीच ड़ान भरने के लिए भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है अथवा ी जा रही है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) ी, हां। अपर्याप्त यातायात के कारण, इस समय मस्कट के लिए क सीधी उड़ान प्रचालित करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, इंडियन यरलाइंस ए-320 विमान से हैदराबाद-बंगलौर-मस्कट सैक्टर पर प्ताह में तीन उड़ानों का प्रचालन कर रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) हैदराबाद और बहरीन के बीच इस समय पर्याप्त मात्रा ं यातायात न होने के कारण एक सीधी विमान सेवा चलाने का ौचित्य सिद्ध नहीं होता।

हिन्दी]

कपास के निर्यात पर प्रतिबंध

1886. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली : क्या **वस्त्र मंत्री** ह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से कपास के र्यात पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) राज्यों में कपास के धागों की कमी को पूरा करने हेतु या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सूती यार्न की कोई कमी नहीं है। वास्तव में, भारत सूती यार्न का एक निर्यातक है।

[अनुवाद]

तेल की कीमतों में कमी के लिए "ओपेक" से अनुरोध

1887. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने "ओपेक" से तेल की कीमतों में कमी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो "ओपेक" सदस्यों ने भारत सरकार के अनुरोध पर किस सीमा तक विचार किया है;

(ग) क्या "ओपेक" द्वारा तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण सरकार घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों और गैस के दाम बढ़ाने पर विचार करने के लिए मजबूर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) भारत ने मार्च और सितंबर, 2000 के महीनों में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के सदस्यों से कच्चे तेल के उत्पादन स्तर में वृद्धि करने का अनुरोध किया था जिससे तेल मूल्यों को वहनीय, स्थायी स्तर तक कम करने में सहायता मिलेगी। कैलगेरी, कनाडा में आयोजित विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने इस विषय पर ओपेक के महासचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह मुद्दा 17-19 नवंबर, 2000 तक रियाध में आयोजित 7वें विश्व ऊर्जा मंच में भारत सहित तेल उपभोक्ता देशों द्वारा पुन: उठाया गया था। विभिन्न तेल आयातक देशों ने कच्चे तेल के मूल्यों में कमी करने के लिए त्वरित उपाय करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने ओपेक सदस्य देशों के तेल मंत्रियों के साथ अपनी द्विपक्षीय चर्चाओं में मुद्दा उठाया। उन्होंने तेल आयातक देशों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को मानते हुए इस मामले पर ओपेक के ढांचे के भीतर विचार करने पर सहमति जताई।

(ग) और (घ) फरवरी, 1999 से सितंबर, 2000 के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में 3 गुणा से अधिक अत्यधिक वृद्धि के कारण तेल पूल घाटा जो 1998-99 के अंत तक कम होकर 3,408 करोड़ रुपए हो गया था, वह 31.3.2000 तक बढ़कर लगभग 6,300 करोड़ रुपए हो गया और 30 सितंबर, 2000 के मूल्यों पर 31 मार्च, 2001 तक बढ़कर 23,600 करोड़ रुपए हो गया होता। तेल पूल लेखे में घाटे

का ऐसा उच्च स्तर वहनीय नहीं था क्योंकि इससे तेल कंपनियों की तरलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता और इससे कच्चे तेल का आयात और संसाधन तथा उत्पादों का विपणन करना कठिन हो जाता। इसलिए मूल्यों में संशोधन करने की जरूरत हुई। पेट्रोल, डीजल, सार्वजनिक वितरण के लिए मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. के मूल्यों में 30 सितंबर, 2000 से ऊर्ध्वमुखी संशोधन करना पड़ा। बाद में सार्वजनिक वितरण के लिए मिट्टी तेल और घरेलू एल.पी.जी. के मूल्यों में 22 नवम्बर, 2000 से अधोमुखी संशोधन किया गया। ब्यौरा निम्नानुसार है:

उत्पाद का नाम	बिक्री इकाई	संशोधन से पहले भण्डारण स्थल तक मूल्य (रुपए/बिक्री इकाई)	30.9.2000 को संशोधन के बाद भंडारण स्थल तक मूल्य (रुपये/बिक्री इकाई)	22.11.2000 के बाद भण्डारण स्थल तक मूल्य (रुपए/बिक्री इकाई)
मिट्टी तेल (सा.वि.प्र.)	लीटर	4.50	7.00	6.11
एल.पी.जी. (घरेलू)	सिलेण्डर	154.00	185.00	176.46
डीजल	लीटर	9.63	11.93	11.93
पेट्रोल	लीटर	15.40	19.00	19.00
ए.टी.एफ.	लीटर	12.76	14.76	14.76

सेवानिवृत्त सैनिक की गिरफ्तारी

1888. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितंबर, 2000 में लखनऊ से गिरफ्तार किए गए आई.एस.आई. एजेंटों में एक सेवानिवृत्त भारतीय सैनिक भी था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गिरफ्तार किए गए सैनिक के सेना मुख्यालय के साथ किस प्रकार के संबंध थे और पाकिस्तान की आई.एस.आई. के लिए चुराई गई सेना की गोपनीय जानकारियां किस प्रकार की हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) 5 सितंबर, 2000 को लखनऊ में दो नेपाली राष्ट्रिकों के साथ एक ऐसे पूर्व सैन्य कार्मिक को गिरफ्तार किया गया था जिसका वर्ष 1995 में कोर्ट मार्शल किया गया था और सेना से बर्खास्त किया गया था। यह गिरफ्तारी आसूचना ब्यूरो और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस समय की थी जब वह दो नेपालियों को वर्गीकृत रक्षा दस्तावेज सौंप रहा था। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसी दिन दो और व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया था जिसके पास वर्गीकृत रक्षा दस्तावेज थे।

2. जांच पड़ताल के दौरान तीन सेवारत सैन्य कार्मिकों के नामों का पता चला है।

3. पांचों आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख, 121क, 124क के तहत और शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 3/9 के तहत गिरफ्तार किया गया था। एक आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शस्त्रास्त्र अधिनियम की धारा 25क के अधीन भी आरोप लगाए गए थे।

4. आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अपराध विधि की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों की जानकारी में लाई गई है ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

रेल कर्मचारियों की स्वास्थ्य परिचर्या

1889. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए कितना आवंटन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां, रेलों पर कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के लिए उपचारात्मक, निवारक, प्रोत्साहन तथा पुनर्स्थापना संबंधी सेवाएं मुहैया कराने की योजना है।

(ख) कार्यरत कर्मचारियों को निशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है। रेलवे चिकित्सा परिचर्या नियमों में यह प्रावधान मौजूद है कि 20 साल से अधिक नियमित सेवा करने वाले कर्मचारी अपनी अन्तिम मासिक मूल वेतन के बराबर की राशि (एकमुश्त अदायगी) का भुगतान करके सेवानिवृत्त कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (आई.ई.एल.एच.एस.) में शामिल होने के पात्र हैं। कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

(ग) वर्ष 2000-01 के लिए बजटीय आवंटन 574.85 करोड़ रु. है।

तेल बांड

1890. श्री माधवराव सिंधिया :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ते हुए आयल बिल पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने "पेट्रो-बांड" जारी करने और कच्चे तेल पर लगने वाले बिक्रीकर सहित शुल्कों में कटौती का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि के बांड जारी किए गए हैं और इन बांडों के साथ क्या-क्या नियम व शर्तें लगाई गई हैं; और

(ग) विभिन्न बैंकों के पास ऐसे कितने बांड हैं और इनकी क्या शर्तें हैं और इस कार्य के लिए बैंकों को कितनी रियायत दी गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) मार्च, 1998 के पश्चात् कोई पेट्रो बांड जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, 30 सितंबर, 2000 से प्रभावी, कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क क्रमश: 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिए गए थे। केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों से बिक्री कर दरों का उपयुक्त रूप से समायोजन करने का अनुरोध किया है ताकि 30 सितंबर, 2000 से प्रभावी नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के संशोधित मूल्यों पर यथा मूल्य बिक्री कर के प्रभाव को बेअसर किया जा सके।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपियन कमीशन द्वारा पत्तनों का विकास

1891. श्री रामदास आठवले : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपियन कमीशन ने पत्तन सेवाओं के विकास के लिए भारत की सहायता करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन पत्तनों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए यूरोपियन कमीशन वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है;

(ग) क्या यूरोपियन कमीशन मुंबई में जवाहर लाल नेहरू पत्तन और तमिलनाडु में सेवाओं में सुधार के लिए भी सहमत हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय और यूरोपीय समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच ई.यू.-इंडिया मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट परियोजना के लिए मई, 1999 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यूरोपीय आयोग अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता और सेवा मानक प्राप्त करने में तूतीकोरिन और जवाहरलाल नेहरू पत्तन की सहायता करने के लिए सहमत हो गया है। यह परियोजना 3 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी। परियोजना की निर्धारित लागत 10,000,000 ई.सी.यू. है और ई.सी. का अंशदान 8,000,000 ई.सी.यू. होगा।

(ङ) ई.यू.-इंडिया मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट परियोजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:-

* पत्तन क्षेत्र में व्यापार और निवेश की स्थिति में सुधार करना।
* भारतीय पत्तनों में पोत का टर्न अराऊंड टाइम कम करके ई.यू. भारत समुद्री व्यापार को सुविधाजनक बनाना।
* भारतीय पत्तन क्षेत्र में भावी सुधार और ढांचागत सुधार के लिए एक प्रतिमान प्रस्तुत करना।

परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

* अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता और सेवा मानक प्राप्त करने में तूतीकोरिन पत्तन और जवाहरलाल नेहरू पत्तन की सहायता करना।
* पत्तन प्रबंधन और प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करना।
* पत्तनों के संगठन और मानव संसाधन प्रबंधन में सुधार करना।
* पत्तन सेवाओं के चुनिंदा क्षेत्रों का निजीकरण करने/ठेके देने में सहायता करना।
* पत्तन प्रशासन में कार्यकुशलता को सुदृढ़ करना।
* पत्तन प्रशासन प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने और ई.डी.आई. (इलैक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज) को लागू करने में सहायता करना।
* सीमा शुल्क प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने और सरल बनाने में सहायता करना।
* पत्तन आदान-प्रदानों, सीमा शुल्क और पत्तन संबंधी सी.एफ.एस. प्रचालनों के समन्वय में सहायता करना।
* मैरीन सेवाओं में सुधार करने में सहायता करना।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा गंगा में नौवहन सेवा

1892. **श्री सुकदेव पासवान :**
मोहम्मद अनवारूल हक :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गंगा को अभी तक नौवहन योग्य नहीं बना सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार का विचार राज्य सरकारों को संबद्ध करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को किस प्रकार से पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) रा.ज.-1 का हल्दिया-कलकत्ता-पटना खंड 1.8 मी. तक के डुबाव वाले जलयानों द्वारा यात्री और माल यातायात के लिए वर्ष में लगभग 330 दिन के लिए खुला है। पटना-इलाहाबाद खंड में 1.8 मी. डुबाव के जलयानों के लिए वर्ष में 300-330 दिन प्रचालन के लिए नौचालन मार्ग उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के लिए केन्द्र सरकार भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से उत्तरदायी है। विभिन्न विकास कार्यों को कार्यान्वित करते समय विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों की सहायता प्राप्त की जाती है।

पारादीप पत्तन में कोयला परिवहन परियोजना

1893. **श्री त्रिलोचन कानूनगो :** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एशियाई विकास बैंक की सहायता से पारादीप पत्तन में कोयला परिवहन परियोजना का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की प्रगति और इसकी अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इस परियोजना हेतु एशियाई विकास बैंक द्वारा संस्वीकृत ऋण की धनराशि कितनी है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी हां। सरकार के पास पारादीप पत्तन में एशियाई विकास बैंक की सहायता से यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाएं सृजित करने की एक स्कीम है।

(ख) पारादीप पत्तन में यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाओं के सृजन के 17 पैकेजों में से 6 पूरे हो चुके हैं। शेष पैकेजों का कार्य पूरा होने वाला है और यह अगले वर्ष के दौरान प्रचालित हो सकता है। इस परियोजना की संशोधित लागत 831.11 करोड़ रु. है।

(ग) उक्त परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा 134.85 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया गया है।

पारादीप पत्तन में "सी वाल" एवं "ब्रेक टावर" का निर्माण

1894. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के पारादीप पत्तन में "सी वाल" और "ब्रेक टावर" का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) इस परियोजना हेतु सरकार द्वारा कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) जी नहीं। चूंकि नार्थ-ब्रेक वाटर के उत्तर से 5000 मीटर लम्बी एक समुद्री दीवार पहले ही मौजूद है इसलिए पारादीप पत्तन में किसी दूसरे ब्रेक वाटर के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, महा चक्रवात के दौरान समुद्री दीवार और मौजूदा दोनों ब्रेक वाटरों की क्षति हुई थी। भारत सरकार ने चक्रवात से हुई क्षति की मरम्मत के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया था और इसमें से 17.6 करोड़ रु. की राशि समुद्री दीवार और ब्रेक वाटर की मरम्मत के लिए निर्धारित की गई है। मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतना

1895. श्री तूफानी सरोज : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर, 2000 को 'दी हिन्दू' में 'कैजुअल एप्रोच टू सिक्यूरिटी डिजास्ट्रस: सुब्रमण्यम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव के कार्यालय को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सलाहकार के कार्यालय से अलग करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सरकार को हाल ही में मीडिया में प्रकाशित राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर श्री के. सुब्रहमण्यम के विचारों की जानकारी है। इनमें से कुछ विचारों को कारगिल पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट में भी शामिल किया गया है। सरकार ने सभी मुद्दों पर श्री के. सुब्रहमण्यम के विचारों को नोट किया है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की अच्छी तरह से समग्र समीक्षा करने और विशेष रूप से कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने और कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के वास्ते 17 अप्रैल, 2000 को एक मंत्री समूह गठित किया है। मंत्री समूह के विचारार्थ विषयों के विस्तृत कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और इसके आदेश के अनुसार मंत्री समूह ने आसूचना-तंत्र, आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और रक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में चार अलग-अलग कार्यदल नियुक्त किए हैं। इन कार्यदलों ने अपनी-अपनी रिपोर्टें मंत्री समूह को प्रस्तुत कर दी हैं। मंत्री समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप ढांचे सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए प्रस्तावों का एक सेट बनाएगा।

[अनुवाद]

कोचीन विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आरंभ करने का प्रस्ताव

1896. श्री गंता श्रीनिवास राव:
श्री पी.सी. थामस:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से उड़ानें आरंभ करने हेतु किसी विदेशी विमान कंपनी ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) अवतरण स्थल के रूप में कोचीन को मंजूरी देने के लिए उनकी नामित विमान कंपनियों के लिए साऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान, बहरीन, आस्ट्रीया, यू.ए.ई., श्रीलंका, तुर्कमेनिस्तान और यमन सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) तुर्कमेनिस्तान की नामित विमान कंपनी को कोचीन तक 400 सीटें/सप्ताह की अलग से हकदारी की अनुमति मिल गई है। कोचीन को चेन्नई के स्थान पर साऊदी अरबिया की नामित विमान कंपनी के लिए अवतरण स्थल के रूप में भी प्रस्तावित किया गया है। जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया था।

संयुक्त उद्यम में पेट्रोलियम परियोजनाएं

1897. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनुकूल भागीदारों के रूप में निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से पेट्रोलियम एवं तेल क्षेत्र में कोई संयुक्त उद्यम परियोजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम परियोजनाओं से काफी लाभ की अपेक्षा कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत में विद्यमान और जल्द ही आरंभ की जाने वाली संयुक्त उद्यम परियोजनाएं कौन सी हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) पूरे विश्व में वर्तमान प्रबंध व्यवहारों के अनुसार तेल क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित निजी क्षेत्र और विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों का गठन करते रहे हैं। संयुक्त उद्यम का गठन करने का उद्देश्य संयुक्त उद्यम भागीदारों के माध्यम से नवीनतम प्रोद्योगिकी, जानकारी कार्यनीतियों और वित्त का उपयोग करना है।

तेल क्षेत्र में पहले से प्रचालनरत और कार्यान्वयनाधीन संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	प्रवर्तक	व्यवसाय
1	2	3	4
1.	इंडो-मोबिल लिमिटेड	आईओसी और मोबिल पेट्रोलियम कंपनी इंक	मोबिल ब्रांड के स्नेहकों का आयात, मिश्रण और विपणन
2.	एवी-ऑयल इंडिया लि.	आई.ओ.सी., बामरलारी और नाईको एस.ए., फ्रांस	विमानन स्नेहकों के लिए
3.	इंडिया ऑयल टैंकिंग लि. (आई.ओ.टी.एल.)	आई.ओ.सी., आई.बी.पी. और ऑयल टैंकिंग, जीएमबीएच, जर्मनी	पैट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास
4.	लुब्रीझाल इंडिया लि.	आई.ओ.सी और लुब्रीझोल का., यूएसए	स्नेहक योगजों का विनिर्माण
5.	पैट्रोनेट इंडिया लि. (पीआईएल)	आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, ईओएल, आईएलएफएस और आरपीएल	निर्धारित भविष्यगत उत्पाद पाइप लाईन परियोजनाओं का कार्यान्वयन
6.	पेट्रोनेट-वाडीनार, कांडला लि.	आईओसी, पीआईएल और अन्य	पेट्रोलियम उत्पादों का परिवहन (वाडीनार-कांडला)
7.	पेट्रोनेट-चैन्नई-त्रिची-मदुराई लि.	आईओसी, पीआईएल और अन्य	पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए (चेन्नई-त्रिची-मदुराई)
8.	पेट्रोनेट एलएनजी लि. (पीएलएल)	आईओसी, गेल, बीपीसी, ओएनजीसी और अन्य कार्यनीतिक भागीदार और वित्तीय संस्थान	एलएनजी के आयात और उपयोग के लिए सुविधाओं का विकास

1	2	3	4
9.	इंडियन ऑयल पेट्रोनास लि. (आईपीएल)	आईओसी और पेट्रोनास, मलेशिया	हल्दिया में एलपीजी आयात सुविधाओं की स्थापना के लिए
10.	इंडियन ऑयल पानीपत पावर कन्सोर्टियम लि. (आईपीपीसीएल)	आईओसी और मारूबेनी का.	पानीपत में विद्युत परियोजना की स्थापना
11.	इंडियन ऑयल टीसीजी पेट्रोकेम लि.	आईओसी, चटर्जी ग्रुप (टीसीजी)	पेट्रो रसायन व्यवसाय को अपनाना, प्रचालन करना और उसका प्रबंधन करना
12.	मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. (एमआरपीएल)	एचपीसीएल और बिरला ग्रुप की कंपनियां	कच्चे तेल का शोधन
13.	हिन्दुस्तान कोलास लि. (एचआईएनसीओएल)	एचपीसीएल और मैसर्स कोलास, फ्रांस	बिटुमेन इमल्शन का उत्पादन और विपणन करना
4.	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लि. (पीपीएल)	एचपीसीएल, आईसीआईसीआई, टीडीआईसीआई और एचडीएफसी	हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन के लिए
5.	साउथ एशिया एलपीजी कंपनी लि. (एसएएलपीजी)	एचपीसीएल और मैसर्स टोटल, फ्रांस	विशाखापत्तनम में एलपीजी आयात टर्मिनल का निर्माण करना
6.	पेट्रोनेट मंगलौर हासन बंगलौर लि. (पीएमएचबीएल)	एचपीसीएल और पेट्रोनेट इंडिया लि.	बंगलौर के पास मंगलौर से देवानगुन्थी तक पाइपलाइन बिछाना
7.	हिन्दुस्तान ओमान पेट्रोलियम कंपनी लि. (एच.ओ.पी.सी.एल.)	एचपीसीएल और ओमान ऑयल कंपनी	पश्चिमी भारत में एक रिफाइनरी की स्थापना के लिए
8.	भारत ओमान रिफाइनरीज लि. (बीओआरएल)	बीपीसीएल और ओमान ऑयल कंपनी	बीना (म.प्र.) में एक रिफाइनरी की स्थापना के लिए
9.	भारत शैल लि. (बीएसएल)	बीपीसीएल और शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स बीवी	शेल ब्रान्ड के स्नेहकों का विपणन करना
0.	महानगर गैस लि. (एमजीएल)	गेल और ब्रिटिश गैस	मुंबई नगर में पाइप द्वारा गैस और सीएनजी की आपूर्ति
1.	इन्द्रप्रस्थ गैस लि. (आईजीएल)	गेल, बीपीसीएल और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में पाइप द्वारा गैस और सीएनजी की आपूर्ति

[हिन्दी]

समुद्री मार्गों से हो रही तस्करी गतिविधियों पर रोक

1898. श्री पी.आर. खुंटे : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्री मार्गों में चल रही तस्करी और अन्य अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने कोई विशेष कार्य-योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य-योजना को साकार रूप देने के लिए क्या वित्तीय प्रावधान किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) तटरक्षक अधिनियम, 1978 में उल्लिखित भारत के समुद्री क्षेत्र में कर्त्तव्यों और कार्यों के चार्टर में अन्य कर्तव्यों के अलावा सीमा शुल्क और अन्य प्राधिकारियों को तस्करी-रोधी कार्रवाइयों में सहायता देना और अन्य अधिनियमों के उपबंधों को लागू करना भी शामिल है। तटरक्षक अपने मौजूदा बल-स्तर से ये कर्तव्य पूरे कर रहा है। तटरक्षक विकास योजना 1997-2002 में पोतों/वायुयानों/उपस्करों को खरीदे जाने हेतु प्रावधान किए गए हैं ताकि तस्करी और अन्य गैर-कानूनी कार्यों को रोकने के लिए अपेक्षित कार्रवाइयां शुरू की जा सकें। तटरक्षक पोत और वायुयान तस्करी और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र की निगरानी करने हेतु विभिन्न अभियान तथा कार्रवाइयां करते हैं।

अधिनियमों को लागू करना

1899. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** अधिनियम को लागू करने के बारे में 10 अगस्त, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 262 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) छह अधिनियमों के सिवाय सभी अधिनियमों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर ली गई है। निम्नलिखित दो अधिनियमों के सिवाए, जानकारी तारांकित प्रश्न संख्या 262 के उत्तर में तारीख 10 अगस्त, 2000 को और उसके पश्चात् 9 नवंबर, 2000 को पहले ही दी जा चुकी है (विवरण सदन के पटल पर रखे जाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को भेज दिया गया था)। इसके पश्चात् दो अधिनियमों की बाबत निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध हो गई है:-

1. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 (1991 का 44) - वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1991 (1991 का 44) की धारा 22 और धारा 30(ii) को प्रवृत्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

2. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 (1995 का 27) - राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम के अधिनियमित होने के समय से ही अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कार्यवाही की जा रही है और अपेक्षानुसार, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से अनेक बार परामर्श किए जा चुके हैं। तथापि, अधिकरण के गठन की मुख्य बाधा यह है कि अधिकरण का प्रधान बनने लायक उपयुक्त पदधारी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

शेष छह अधिनियमों के बारे में अपेक्षित जानकारी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ये अधिनियम निम्नलिखित हैं:-

1. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61);
2. राष्ट्रीय सेवा अधिनियम, 1972 (1972 का 28);
3. भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, 1976 (1976 का 76);
4. व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47);
5. माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (1999 का 48); और
6. डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16)।

वड़ोदरा संग्रहालय का जीर्णोद्धार

1900. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वड़ोदरा संग्रहालय एशिया में पांचवां स्थान रखता है और यह पुरातात्विक खजानों का भंडार है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले 40 वर्षों से इस संग्रहालय की मरम्मत नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके जीर्णोद्धार के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) वड़ोदरा संग्रहालय गुजरात राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। गुजरात सरकार द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार, वड़ोदरा संग्रहालय एवं चित्र दीर्घा महत्वपूर्ण राज्य संग्रहालयों में से एक है, जिसमें विभिन्न कालों व सभ्यताओं के बासठ हजार प्रदर्श हैं। विगत 40 वर्षों के दौरान लोक निर्माण विभाग ने इस भवन का अनुरक्षण किया और समय-समय पर मरम्मत कार्य किया। इस वित्त वर्ष के दौरान, गुजरात सरकार ने इस भवन के जीर्णोद्धार के लिए 20 लाख रु. व्यय करने का प्रस्ताव किया।

सड़क उपरिपुलों का निर्माण

1901. श्री बाई.जी. महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मध्य रेलवे के भुसावल-नागपुर खंड पर सड़क उपरिपुल के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग)

क्र.सं.	कार्य का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	फेकरी (राष्ट्रीय राजमार्ग) पर ऊपरी सड़क पुल	राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक पूर्व अपेक्षित/यथा समपारों को बंद करने की वचनबद्धता, राज्य बजट में व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम कार्रवाई और लागत में भागीदारी की वचनबद्धता अभी पूरी की जानी है। इनके पूरा होने के बाद रेलवे बजट में शामिल करने के लिए कार्य की जांच की जाएगी।
2.	नदूरा में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
3.	शेगांव में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
4.	अकोला में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
5.	बड़नेरा (राष्ट्रीय राजमार्ग) में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
6.	बुट्टी बोरी (राष्ट्रीय राजमार्ग) में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
7.	खापड़ी में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
8.	नरेन्द्र नगर (नागपुर) में ऊपरी सड़क पुल	राज्य सरकार ने इस कार्य को बॉट (बनाओ और परिचालित और हस्तांतरित करने) आधार पर करने की योजना बनाई है। सामान्य प्रबंधन आरेखण अनुमोदित कर दिए गए हैं। कार्य को शुरू करने के लिए अगली कार्रवाई राज्य सरकार/एम.एस.आर.टी.सी. के द्वारा की जाएगी।
9.	आनंद टाकीज (नागपुर) में निचला सड़क पुल	-वही-
10.	संतरा मार्केट (नागपुर) में ऊपरी सड़क पुल	-वही-
11.	मूर्तिजापुर में ऊपरी सड़क पुल	कार्य प्रगति पर है।
12.	धरागांव में ऊपरी सड़क पुल	-वही-

[अनुवाद]

उत्पादकता से संबद्ध प्रोत्साहन योजना आरंभ किया जाना

1902. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के अन्तर्गत विजयवाड़ा मंडल अपने गुंटापल्लि वैगन कार्यशाला के कामगारों के लिए उत्पादकता से संबद्ध प्रोत्साहन योजना आरंभ करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर.आई.टी.ई.एस. (राइट्स) इत्यादि जैसे अन्य रेल संगठनों में इस योजना को लागू करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां, मैसर्स रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनोमिक सर्विसिज (राइटस) को एक अध्ययन करने तथा दक्षिण मध्य रेलवे की रायनापाडु कारखाने में प्रोत्साहन योजना को लागू करने के लिए अध्ययन की रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। मैसर्स राईटस द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है तथा रेलवे बोर्ड द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) राईटस रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है जो सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। ऐसे उपक्रमों में प्रोत्साहन योजनाएं प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल विमानपत्तन के विकास हेतु ऋण

1903. श्री टी. गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कालिकट विमानपत्तन में विकासात्मक कार्यकलापों हेतु लिए गए 55 करोड़ रुपए के ऋण को हडको को वापस करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निदेश देने के लिए केरल की मालाबार अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन विकास समिति से कई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा मालाबार अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन विकास सोसायटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। मालाबार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास सोसायटी से बिना ब्याज जो ऋण मिलेगा, उस ऋण की वापिसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उक्त समझौता ज्ञापन में दी अनुसूची के अनुसार करेगा।

मध्य प्रदेश में उपरिपुलों का निर्माण

1904. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने सड़क उपरिपुलों की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार मध्य प्रदेश में सड़क उपरिपुलों के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जब यातायात घनत्व एक लाख अथवा इससे अधिक गाड़ीवाहन इकाई तक पहुंच जाता है तो समपार लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुल/निचले पुल से बदले जाने के लिए विचार का अर्हक बन जाता है। इस आधार पर मध्य प्रदेश में 69 समपार हैं जिन पर ऊपरी सड़क पुल/निचले पुल से बदलाव के लिए विचार किया जाना है।

(ख) से (घ) जी, हां। निशातपुरा-उज्जैन एवं भोपाल-उज्जैन कॉर्ड लाइन पर समपार सं. 252/ए एवं 252/बी के स्थान पर चोला रोड पर ऊपरी सड़क पुल और भान्यपुरा में समपार सं. 253/बी के स्थान पर एक अन्य ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था के कार्य को रेलवे बजट में शामिल किये जाने के लिए जांच की जा रही है। इसके अलावा, लागत में भागीदारी के आधार पर पहले से ही स्वीकृत ऊपरी सड़क पुल/निचले पुल के 10 अन्य कार्य संलग्न विवरण के अनुसार योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	अद्यतन स्थिति
1	2	3
1.	रतलाम-जओरा रोड पर समपार सं. 192 और 193 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	रेलवे हिस्से में कार्य प्रगति पर है। पहुंच मार्गों का कार्य राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया है।
2.	इंदौर-समपार सं. 246ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	कार्य प्रगति पर है। अधिसंरचना का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3
3.	दामोह-समपार सं. 59/ए के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	दोनों ओर पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
4.	खंडवा-भुसावल-खंडवा खंड पर कि.मी. सं. 567/4-5 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	अवसंरचना पूरी हो गयी है। अधिसंरचना और पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
5.	हौशंगाबाद-समपार सं. 232/ए@ कि.मी. 762/11-12 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	रेलवे हिस्से का कार्य पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
6.	सतना कोतवाली-समपार सं. 386/ए@ कि.मी. 1178/5-6 के स्थान पर निचला सड़क पुल	सड़क का मार्ग परिवर्तन पूरा हो गया है। पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
7.	'ए' श्रेणी समपार के स्थान पर खुछईपाडा विलासपुर में ऊपरी सड़क पुल	पुल खास के लिए निविदाएं सौंप दी गई हैं। पहुंच मार्गों का कार्य प्रगति पर है।
8.	सोगार-समपार सं. 23/ए कि.मी. 1048/4-5 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	विस्तृत अनुमान स्वीकृत कर दिए गए हैं। ठेके प्रदान कर दिए गए हैं। नींव कार्य प्रगति पर है।
).	देवास-कि.मी. 41/2-5 पर समपार सं. 29 'ए' के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल	23.12.98 को निविदा खोली गई थी लेकिन रद्द कर दी गयी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन अभी दिया जाना है।
10.	मैहर-कटनी-इलाहाबाद खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर किमी 1142/14-15 पर ऊपरी सड़क पुल	विस्तृत अनुमान पर कार्रवाई की जा रही है।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की एस्केलेटर दुर्घटना की जांच

1905. **श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस्केलेटर दुर्घटना की जांच हेतु पुन: गठित दूसरी समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समिति की सिफारिशें आर.टी. जैन समिति की सिफारिशों से कितनी अलग हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) 13 दिसम्बर, 1999 को हुई एस्केलेटर दुर्घटना में जांच करने के लिए किसी अन्य समिति का गठन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वर्ष की पहली छमाही में डीजल की मांग

1906. **श्री शिवाजी माने :**
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान ईंधन की मांग में आई कमी के कारण डीजल की शून्य वृद्धि दर के आधार पर तेल कंपनियों को अपनी तेलशोधन उत्पादन योजना को नए सिरे से तैयार करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा तेल की मांग में आई हैरान कर देने वाली कमी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) तेल उद्योग द्वारा बिक्रियों की निष्पत्तियों का पुनरीक्षण, उनके लिए सम्बद्ध कारणों का पता लगाने हेतु मासिक आधार पर किया जाता है।

भारतीय पर्यटकों के लिए इंडियन एयरलाइंस का पैकेज

1907. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने दक्षिण-पूर्व एशिया के अलावा भारतीय पर्यटन बाजार पर कब्जा करने के लिए देश में पर्यटकों के लिए पैकेज योजनाओं को आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपने विदेशी-पैकेजों के अतिरिक्त पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण-पूर्व भारत में विभिन्न आरामदायक होटलों और सैरगाहों के साथ भी कोई व्यवस्था की है;

(ग) यदि हां, तो पैकेजों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत में पर्यटकों की आवाजाही को बढ़ाने में यह व्यवस्था किस हद तक सहायक सिद्ध हुई है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी, हां। इंडियन एयरलाइंस ने अंतर्देशीय सैक्टर में गोवा, केरल और कर्नाटक के पर्यटक स्थानों के लिये होलीडे पैकेज शुरू किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इंडियन एयरलाइंस ने निम्नलिखित होलीपे पैकेज आरंभ किए हैं:-

(1) **केरल होलीडे पैकेज:** इंडियन एयरलाइंस ने चार होटलों अर्थात् केरल पर्यटन विकास निगम सरोवर पार्क प्लाजा, केसिनों होटल और एक्वासेरेन के साथ चार दिन/तीन रात्रि पैकेजों की योजना बनाई है। यह बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली, मुम्बई, त्रिवेन्द्रम जैसे भारत में कई स्थानों से प्रस्तावित किया गया है। यह पैकेज 31 मार्च, 2001 तक मान्य है।

(2) **गोवा होलीडे पैकेज:** इंडियन एयरलाइंस ने अर्थात् लीला बीच रिजॉट, सिडा-डे-दी-गोवा, विश्परिंग पाम और मजोरडा बीच होटलों/रिजॉटों के साथ अपने पर्यटक पैकेज बनाए हैं। दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर जैसे स्थानों से इन पैकेजों में चार दिन/तीन रात्रि का प्रस्ताव दिया गया है। यह पैकेज 31 मार्च, 2001 तक मान्य है।

(3) **जंगल लॉज होलीडे पैकेज:** इंडियन एयरलाइंस ने मैसर्स जंगल लॉज (कर्नाटक) के साथ योजना बनाई है और इसमें काबिनी रिवर लॉज के गुदी और बंगलौर और दनदेली के निकट कावेरी फिशींग कैम्प और गोवा के समीप देवनाग रिजॉट जैसे विभिन्न रिजॉटों पर ठहरने की व्यवस्था शामिल है। यह पैकेज 31 दिसम्बर, 2000 तक मान्य है।

(4) **छः बड़े महानगरों के विभिन्न होटलों पर ठहरने की सुविधा:-**

- मुम्बई-होलीडे इन, होटल अम्बेसडर
- दिल्ली-होटल सिद्धार्थ, होटल वसंत कांटिनेंटल
- कलकत्ता-होटल हिन्दुस्तान इन्टरनेशनल
- चेन्नई-राधा पार्क इन-दी पार्क
- हैदराबाद-ग्राउंड काकतिया शेरेटन टावर
- बंगलौर-होटल अशोक, होटल अतरिया

(घ) उपर्युक्त पैकेजों को अंतर्देशीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए थे और यह भारत के लिए ही थे। विदेशों में भी जहां इंडियन एयरलाइंस के कार्यालय स्थित हैं, वहां इंडियन एयरलाइंस भारत में स्थित गंतव्य स्थलों के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में इस प्रकार के पैकेज आरंभ करने पर विचार कर रही है।

मिलिटरी कैंटीन की शराब की खुले बाजार में बिक्री

1908. **श्री रघुनाथ झा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जून, 2000 के दैनिक जागरण में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि पठानकोट स्थित मिलिटरी कैंटीन के लिए मंगाई गई शराब की बिक्री करने का प्रयास करते समय मसूरी थाना क्षेत्र से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करवाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। जैसा कि नीचे बताया गया है यह घटना कैंटीन स्टोर्स विभाग अथवा रक्षा मंत्रालय से संबंधित नहीं है क्योंकि यह शराब एक निजी फर्म द्वारा कैंटीन स्टोर्स विभाग डिपो, पठानकोट के लिए भेजी जा रही थी। यह मामला राज्य पुलिस और डिस्टिलरी के बीच का है। कैंटीन स्टोर्स विभाग ने पठानकोट स्थित कैंटीन स्टोर्स विभाग डिपो को शराब की आपूर्ति करने के लिए मैसर्स भारत डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, नासिक को आर्डर दिया था। उक्त डिस्टिलरी ने दिनांक 29.5.2000 को शराब रवाना की थी। जिस ट्रक चालक की सेवाएं डिस्टिलरी ने ली थी उसे दिनांक 9.6.2000 को गाजियाबाद (उ.प्र.) में शराब बेचते हुए गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने शराब सहित ट्रक जब्त कर लिया था।

सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण

1909. **श्रीमती रेणूका चौधरी :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री रामदास आठवले :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 1991 की जनगणना के आधार पर लोक सभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के पुनर्निर्धारण हेतु संविधान में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में संशोधन विधेयक को कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 पहले ही तारीख 27 नवंबर, 2000 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया जा चुका है।

हाम्पी का केन्द्रीय जोन के रूप में निर्धारण

1910. **श्री एच.जी. रामुलु : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाम्पी को केन्द्रीय, मध्यवर्ती और परिधीय क्षेत्रों में विभाजित किया है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के तहत कुल कितना क्षेत्र शामिल किया जाएगा;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार केन्द्रीय और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कोई विकास संबंधी कार्य शुरू करने के लिए प्राधिकृत है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) किसी भी संरक्षित स्मारक या स्थल के 100 मीटर तक कोई निर्माण कार्य करना निषिद्ध है। 100 मीटर के आगे तथा 300 मीटर तक निर्माण कार्य के लिए महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति अपेक्षित है।

चिकित्सा सहायता में विलंब

1911. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दुर्घटना स्थल पर चिकित्सा सहायता पहुंचाने में विलंब किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटनाओं से निपटने और अविलंब राहत प्रदान करने की कार्य क्षमता में सुधार लाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। बचाव और राहत गाड़ियां बिना विलंब पहुंचाई जाती हैं। बहरहाल, कभी-कभी दुर्घटना स्थल के अगम्य होने के कारण अथवा दुर्घटना स्थल बहुत दूर होने की वजह से यात्रा समय के कारण दुर्घटना स्थल पर पहुंचने में काफी विलंब हो जाता है।

(ख) जी हां। प्रत्येक यात्री गाड़ी दुर्घटना, जिसमें यात्रियों के हताहत होने का मामला शामिल होता है, की रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा अथवा किसी यात्री हताहत न होने की स्थिति में वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से जांच की जाती है। बिना किसी जांच के कोई भी मामला नहीं निपटाया जाता है। सूचना प्राप्त होने के समय चिकित्सा दल का दुर्घटना स्थल के लिए प्रस्थान एवं वहां पहुंचने का समय और घायलों के संबंध में ब्यौरे दर्ज करना आवश्यक है। प्रत्येक जांच के बाद शोधक उपाय यदि कोई हो तो किए जाते हैं और जहां कहीं आवश्यक होता है आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्यालयों के विभागों को परिपत्रित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा, रेलपथ के समीपवर्ती गैर रेलवे चिकित्सा सुविधाओं के डाटाबेस संकलित किए गए हैं, जिसमें रेलें आपातकाल में आवश्यकता पड़ने पर विशेषकर जब दुर्घटना स्थल रेलवे चिकित्सा संस्थापनाओं से दूर हों या किसी भी कारण से वहां तक न पहुंचा जा सकता हो, की स्थिति में रेलवे राहत और बचावदल

के पहुंचने से पूर्व ऐसे संगठनों की सहायता प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगी।

(ग) और (घ) प्रणाली में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक दुर्घटना के बाद बचाव और राहत उपायों के ब्यौरे का उनके पर्याप्तता, तत्परता आदि के लिए विश्लेषण किया जाता है, और शोधक उपाय यदि कोई हो तो शीघ्र किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बिहार में नए पेट्रोल पंपों, रसोई गैस एवं मिट्टी के तेल की एजेंसियों का आबंटन

1912. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
प्रो. दुखा भगत :
श्री राजो सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान बिहार के जिलों में नए पेट्रोल/डीजल पंपों/रसोई गैस/मिट्टी के तेल की डिस्ट्रिब्यूटरशिप का आबंटन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे आबंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(घ) इन एजेंसियों का आबंटन कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) विद्यमान नीति के अनुसार देश के विभिन्न भागों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना करने हेतु निम्नांकित मानदंड अपनाए जाते हैं:-

(1) 15 किलोमीटर के अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को सम्मिलित करते हुए 10,000 और उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरी स्थान।

(2) 15 किलोमीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 5000 और इससे अधिक आबादी वाले शहरी स्थान।

(3) ऐसे मुख्य गांवों, जिनकी आबादी 10,000 और इससे अधिक है, के 15 किलोमीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत आने वाले गांवों का समूह।

(4) ऐसे नगरों, जिनकी आबादी 1 लाख और इससे अधिक है, के चारों ओर 15 किलोमीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित गांव।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा एस.के.ओ./एल.डी.ओ. डीलरशिपें, परिमाण-दूरी मानकों के आधार पर स्थापित की जाती है।

बर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए बिहार राज्य के लिए, पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए 102 स्थान, एल.पी.जी. डिस्ट्रिब्यूटरशिपों के लिए 105 स्थान तथा एस.के.ओ./एल.डी.ओ. डीलरशिपों के लिए 18 स्थान विपणन योजना 1996-98 में सम्मिलित किए गए हैं। और अधिक डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें व्यवहार्यता सर्वेक्षणों के आधार पर स्थापित की जाएंगी।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में तेल और गैस का निष्कर्षण

1913. **श्री तिरूनावकरसू :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु से कुल कितनी मात्रा में तेल/गैस का निष्कर्षण किया गया है;

(ख) क्या तेल/गैस के इस निष्कर्षण हेतु तमिलनाडु को रायल्टी/मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु राज्य में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नानुसार है:-

वर्ष	तेल उत्पादन (टन)	गैस उत्पादन (मिलिटन घनमीटर)
1997-98	324225	94.962
1998-99	365239	106.519
1999-2000	376633	137.997

(ख) और (ग) जी हां। पिछले तीन वर्षों में तमिलनाडु को तेल और गैस पर रायल्टी की प्रोद्भूत/दी गई राशि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

	तेल	गैस	योग
1997-98	18.54	0.95	19.49
1998-99	20.99	0.66	21.65
1999-2000	26.59	1.94	28.53

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फ्रेट ऑपरेशन इनफारमेशन

1914. श्री अखिलेश यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने फ्रेट ऑपरेशन इनफॉरमेशन (एफ.ओ. आई.एस.) शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना खर्च आया है तथा एफ.ओ.आई.एस. की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) एफ.ओ.आई.एस. की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) रेलवे को अब तक कितनी राशि का नुकसान हुआ है; और

(ङ) इस नुकसान के लिए कौन व्यक्ति/अधिकारी जिम्मेदार हैं और इनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने पर विचार किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां। मालभाड़ा संचलन के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए भारतीय रेलों की मालभाड़ा परिचालन सूचना प्रणाली एक ऑन लाइन प्रणाली है। यह प्रणाली परिसंपत्तियों के इष्टतम उपयोग करने के लिए प्रबंधकों की सहायता करती है। एक बार पूर्णतया कार्यान्वित करने पर माल ग्राहकों को पारवहन में अपने परेषणओं के वर्तमान स्तर के संबंध में तुरंत सूचना प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एफ.ओ.आई.एस. के दो महत्वपूर्ण मोड्यूल हैं - रेकों के प्रबंधन के लिए रेक प्रबंधन प्रणाली और मालभाड़ा टर्मिनलों पर लदान/उतराई के प्रबंधन के लिए टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली। रेल मंत्रालय और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच एक भागीदारी तय करने के बाद इस कार्य को उनके संबंधित तकनीकी विभागों, केन्द्रीय रेलवे सूचना प्रणाली और सी.एम.सी. के जरिए इस कार्य को निष्पादित करने के लिए मंत्रालय के अधीन एक उपक्रम मैसर्स सी.एम.सी. लि. को साफ्टवेयर विकसित करने के लिए ठेका दे दिया गया है। इस परियोजना पर अब तक लगभग 216 करोड़ रु. का व्यय हुआ है।

(ग) रेकों के संचलन पर निगरानी रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड्यूल उत्तर रेलवे पर पहले ही सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है। मार्च, 2001 तक समूची भारतीय रेलवे पर इसके विस्तार किए जाने की संभावना है। टर्मिनलों के प्रबंधन के लिए दूसरा कोर मोड्यूल मार्च, 2003 के अंत तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

(घ) भारतीय रेलों को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एन.टी.सी. और बी.आई.सी. का आधुनिकीकरण

1915. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड और ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड हेतु बदली हुई नीति को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह नीति एन.टी.सी. और बी.आई.सी. के लिए कहां तक लाभदायक सिद्ध होगी;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में उक्त नियमों के आधुनिकीकरण के लिए अब तक निगमवार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी है और इसमें कितनी उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(ङ) क्या सरकार ने आठवीं योजना के दौरान इन नियमों के अंतर्गत आने वाली इकाइयों के आधुनिकीकरण हेतु धन-आवंटन को स्वीकृति प्रदान की थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) सरकार ने एन.टी.सी. की सभी आठ रूग्ण सहायक निगमों की सभी मिलों के लिए निम्नलिखित बृहत दृष्टिकोण का अनुमोदन किया:-

(1) सरकार ने निर्णय लिया है कि क्या एक एकक पुनरूद्धार योग्य है या गैर-पुनरूद्धार योग्य, इसके लिए एककवार दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

(2) सभी पुनरूद्धार योग्य एककों का पुनरूद्धार किया जाएगा।

(3) सभी गैर-पुनरुद्धार योग्य एककों के कर्मचारियों को आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प प्रदान करते हुए बंद कर दिया जाएगा।

एन.टी.सी. ने बी.आई.एफ.आर. के समक्ष उपर्युक्त प्रस्ताव दायर किया है।

दि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि. (ऊनी मिलें) के संबंध में सरकार ने पुनरुद्धार हेतु बी.आई.एफ.आर. को मामला भेजने के लिए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुरोध करने का निर्णय लिया है।

(घ) आधुनिकीकरण के लिए निधियों को रिलीज नहीं किया जा सका। तथापि, एन.टी.सी. और बी.आई.सी. को गैर-योजना ऋण के रूप में निम्नलिखित राशि जारी की गयी थी।

(करोड़ रु. में)

वर्ष	एन.टी.सी.	बी.आई.सी.
1997-98	499.64	20.30
1998-99	408.00	25.30
1999-2000	494.00	26.20
योग	1401.64	71.80

चूंकि अधिकांश मिलें घाटे में चल रही हैं इसलिए रिलीज की गयी राशि का उपयोग वेतन तथा मजदूरी में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए किया गया था।

(ङ) और (च) सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान वित्तीय संस्थानों द्वारा संचालित आधुनिकीकरण पैकेज के लिए अपने अंशदान के रूप में एन.टी.सी. के लिए 88.96 करोड़ रु. का योजना आवंटन स्वीकृत किया था। तथापि, आवंटित राशि रिलीज नहीं की जा सकी थी क्योंकि वित्तीय संस्थान इन घाटे वाले निगमों को वित्त प्रदान करने के लिए आगे नहीं आए।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय संस्मारकों की घोषणा

1916. डा. बलिराम : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के उन स्थलों का ब्यौरा क्या है जिनकी प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और नियमावली 1959 के अन्तर्गत राष्ट्रीय संस्मारक के रूप में घोषणा की गई है;

(ख) क्या इन स्थलों को पर्यटक स्थलों के रूप में घोषणा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान इन संस्मारकों के विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) उत्तर प्रदेश में प्राचीन संस्मारक, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और नियम 1959 के अंतर्गत 785 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। इसका ब्यौरा संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) पर्यटक स्थल घोषित करना संबंधित राज्य सरकार का विशेषाधिकार है।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस संबंध में वर्ष 2000-2001 के दौरान 308.35 लाख रुपए का आबंटन किया है।

राडार को मान्यता दिया जाना

1917. श्री मानसिंह पटेल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न हवाई अड्डों पर लगाए गए राडारों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी नहीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हवाई अड्डों पर प्रयोग किए जा रहे सारे राडार अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन

(इकाओ) द्वारा निर्धारित मानकों और संस्तुत प्रक्रियाओं के पूर्ण रूप से अनुरूप हैं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रिक्त पद

1918. **श्री जी.एस. बसवराज :**
श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह सुझाव दिया है कि उच्च न्यायालय न्यायिक सेवा और दिल्ली न्यायिक सेवाओं में न्यायाधीशों की संख्या 820 तक बढ़ाई जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के विचारों पर विचार किया है; और

(ग) और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्तियों को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने 2000 की सिविल रिट याचिका सं. डी-9509-दिल्ली बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य में पारित तारीख 18.8.2000 के अपने आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत संघ को यह उपदर्शित करने का निदेश किया है कि दिल्ली में अधीनस्थ न्यायपालिका की वांछनीय अभीष्ट सदस्य-संख्या क्या होनी चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

इस विभाग ने उसका आकलन किए जाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से निवेदन किया हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह सुझाव दिया था कि दिल्ली के अधीनस्थ न्यायपालिका में अभीष्ट सदस्य-संख्या 818 होनी चाहिए अर्थात् दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए 252 पद और दिल्ली न्यायिक सेवा के लिए 566 पद। जून मास, 2000 में दिल्ली अधीनस्थ न्यायालयों में 33 न्यायाधीशों की वृद्धि की गई थी जिससे उनकी संख्या बढ़ कर 385 हो गई है। केंद्रीय सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया है कि 385 पदों में से इस समय 248 पदों पर न्यायाधीश आसीन हैं। यदि सभी 385 पद भर लिए जाते हैं तो वह लंबित मामलों के साथ-साथ वर्तमान मामलों को निपटाने में समर्थ हो जाएगा।

[हिन्दी]

रेल दुर्घटना

1919. **श्रीमती रेनु कुमारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य-पूर्व रेल के समस्तीपुर बरौनी खंड में उजियारपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ रेल मजदूरों की 2553 अप वैशाली एक्सप्रेस द्वारा कुचले जाने से मौत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(घ) उस दुर्घटना के शिकार लोगों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिनांक 5.11.2000 को बड़ी लाइन गैंग सं. 4 के गैंगमैन उजियारपुर तथा समस्तीपुर स्टेशनों के मध्य किलोमीटर सं. 25/11-13 पर कार्य कर रहे थे। लगभग 10.02 बजे एक डाउन मालगाड़ी अप-लाइन से गुजरी। इसलिए अप लाइन पर कार्य कर रहे कर्मचारी डाउन लाइन की ओर चले गये। उसी समय 2553 अप वैशाली एक्सप्रेस डाउन लाइन से गुजरी। इसके कारण तीन गैंगमैन मारे गये तथा दो गंभीर रूप से घायल हो गये।

(घ) दुर्घटना के प्रभावितों के परिवारों को मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

[अनुवाद]

मल्टी मॉडल परिवहन सेवाओं का विकास

1920. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :**
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :
श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे प्राधिकारियों ने एक दूसरे से जुड़े हैदराबाद और सिकन्दराबाद शहरों में मल्डी मॉडल परिवहन सेवाओं के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना में शामिल करने हेतु निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया जाएगा;

(घ) परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ङ) भागीदारों द्वारा इसमें शेयर किये गये धन की प्रतिशतता क्या है; और

(च) इस परियोजना के कब तक पूरे होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) समझौता ज्ञापन का उद्देश्य, हैदराबाद के शहरी कस्बों और इसके आस-पास के क्षेत्रों के लिए व्यापक मल्टीमॉडल उपनगरीय दैनिक यात्री परिवहन प्रणाली के एक भाग के रूप में हैदराबाद शहर और इसके उपनगरों में मौजूदा उपनगरीय रेल अवसंरचना तथा सेवाओं को सुदृढ़ करना है।

प्रारम्भ में रेल मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार लागत में बराबर-बराबर की भागीदारी के आधार पर निर्धारित रेल अवसंरचना को अपग्रेड करेंगे। इस अपग्रेडेशन के लिए फलकनुमा-सिकंदराबाद-लिंगपल्ली, सिकंदराबाद-नामपल्ली मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। तत्पश्चात्, रेल मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के बराबर अंशदान से संयुक्त उपक्रम वाली एक कम्पनी स्थापित की जाएगी।

(ग) यदि वांछनीय समझा गया तो बाद में परस्पर विचार-विमर्श के आधार पर निजी उद्यमियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।

(घ) परियोजना के पहले चरण की अनुमानित पूंजी लागत 60 करोड़ रुपए है।

(ङ) अचल अवसंरचना की लागत में बराबर-बराबर की भागीदारी की जाएगी। स्थापित की जाने वाली संयुक्त उपक्रम वाली कम्पनी में रेल मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार बराबर-बराबर का अंशदान करेंगे।

(च) रेल मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार का विचार है कि 12 महीनों के भीतर अपेक्षित अचल अवसंरचना अस्तित्व में आ जाएगी।

रेलगाड़ियों में यात्रा पत्र निरीक्षक

1921. **श्री चन्द्रनाथ सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेल गाड़ियों में यात्रा पत्र निरीक्षक और टी.एस. टिकटों की जांच करने के बाद किसी अन्य डिब्बों में गायब हो जाते हैं और रेल गाड़ियों में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुविधाओं को नजरअंदाज कर देते हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान प्रकाश में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) एक चल टिकट परीक्षक की आवश्यकता सामान्यत: एक से अधिक सवारी डिब्बे के लिए पड़ती है तथा ट्रेन अधीक्षक जहां कहीं तैनात किया जाता है, वह सम्पूर्ण गाड़ी का प्रभारी होता है। जांच कार्य तथा अन्य ड्यूटियों को निभाने के लिए उन्हें एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में घूमते रहना पड़ता है जिससे यात्रियों को यह आभास रहता है कि चल टिकट परीक्षक उपलब्ध नहीं है हालांकि वे गाड़ी में ही मौजूद हैं। गाड़ियों और सवारी डिब्बों में रेल कर्मचारियों को तैनात करने पर पर्यवेक्षक तथा अधिकारी स्तरों पर निगरानी रखी जाती हैं।

पनडुब्बियों में बचाव संबंधी सुविधाएं

1922. **श्री आर.एस. पाटिल** :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत द्वारा खरीदी गई अधिकांश पनडुब्बियों में बचाव संबंधी सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो रूसी पनडुब्बियों की घोर तबाही को ध्यान में रखते हुए इन कमियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या भारत ने विदेशों से कुछ अति अत्याधुनिक पनडुब्बियां खरीदी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज़): (क) और (ख) भारतीय नौसेना की सभी पनडुब्बियों में बचाव सूटों का इस्तेमाल करके लगभग 120 मीटर गहराई से कर्मियों का बचाव करने की क्षमता है। इन पनडुब्बियों में बचाव द्वार होते हैं जो मानक रूप से लगे होते हैं और उन्हें इसी प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि वह गहरी डुबकी बचाव जलयान (डी.एस.आर.वी.)/निमज्जन कोष्ठ के अनुकूल हो। भारतीय नौसेना के पास गहरी डुबकी बचाव जलयान

नहीं है। गहरी डुबकी बचाव जलयान और उसका संबद्ध आधारभूत ढांचा लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) भारतीय नौसेना ने हाल ही में रूस से एक पनडुब्बी खरीदी है। इस बारे में आगे और ब्यौरा देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

अनुप्रयुक्त रेल टिकटों की धन वापसी

1923. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुप्रयुक्त रेल टिकटों की धन-वापसी निश्चित समय-सीमा के अन्दर नहीं की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) निर्धारित समय के भीतर रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किये गये टिकटों की धन वापसी तत्काल काउंटर पर की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कठजोरी नदी के ऊपर रेल पुल का निर्माण

1924. श्री भर्तृहरि महताब : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में कठजोरी नदी पर एक दूसरे पुल का निर्माण किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कब तक निर्माण किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कुमारमंगलम बिड़ला समिति रिपोर्ट

1925. श्री राम मोहन गाइडे :
श्री शिवाजी विट्ठलराव कांम्बले :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लेखा मानक अन्तर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप हैं;

(ख) यदि हां, तो सूचीबद्ध कम्पनियों हेतु निगमित अधिशासन के बारे में संहिता संबंधी कुमारमंगलम बिड़ला समिति की क्या सिफारिशें हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार कम्पनियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लेखा प्रेक्टिस को अपनाए जाने और शेयरधारियों की कीमतें बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने पर विचार कर रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरूण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया था और सेबी बोर्ड द्वारा 25 जनवरी, 2000 को हुई इसकी बैठक में उसे अपना लिया गया। रिपोर्ट में सिफारिशों को दो श्रेणियों नामश: आज्ञापक तथा अनाज्ञापक में बांट दिया गया है। आवश्यक सिफारिशों को संशोधनों के माध्यम से स्टाक एक्सचेंजों के सूचीबद्ध करारों को कार्यान्वित किया जाना है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ श्रेष्ठ अधिकारियों तथा गैर अधिकारी स्वतंत्र निदेशकों के निदेशक मण्डल का गठन बोर्ड प्रक्रिया, कारपोरेट शासन पर अनुपालन रिपोर्ट, कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की निगरानी रखने तथा आन्तरिक नियंत्रण के प्रकटीकरण व पर्याप्तता के लिए एक लेखापरीक्षा समिति का गठन शामिल है।

अन्य सिफारिशें जैसे निदेशक मण्डल की पारिश्रमिक समिति तथा कुछ मामलों में पोस्टल बैलेट का विकल्प को अनाज्ञपक सिफारिशों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है जिनकी अनुपालना स्वैच्छिक है।

4 फरवरी, 2000 को सेबी ने समिति की आज्ञापक सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए स्टाक एक्सचेन्जों को उनके सूचीबद्ध करारों को संशोधित करने के लिए निदेश जारी किए थे।

सूचीबद्ध करारों के संशोधनों को चरणबद्ध तरीके से निम्नलिखित द्वारा कार्यान्वित किया जाना है:

* सूचीबद्ध करने के समय, पहली बार सूचीबद्ध कराने की याचना करने वाली कम्पनियां।

* 1.1.2000 को अद्यतन 31.3.2001 तक बी.एस.ई. या एस. एंड पी.सी.एन.एक्स. निफ्टी इंडैक्स में समूह (क) कम्पनियां।

* 10 करोड़ रुपये और इससे अधिक या 25 करोड़ रुपये या इससे अधिक की शुद्ध मूल्य वाली वर्तमान सूचीबद्ध कम्पनियां 31.3.2002 तक।

* 3 करोड़ या इससे अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी वाली सूचीबद्ध कम्पनियां-31.3.2003 तक।

(ग) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210क के उपबन्धों के अनुकरण में लेखाकारिता मानकों पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के गठन के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं जो सरकार को कम्पनियों या कम्पनियों की श्रेणियों द्वारा अपनाए जाने वाले लेखाकारिता नीतियों तथा लेखाकारिता मानकों के बनाने तथा अधिकथित करने के संबंध में सलाह देगी।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में देरी

1926. **श्री चन्द्रकांत खैरे** : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पायलटों की अनुपलब्धता के कारण इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें देर से भरी जा रही हैं/नहीं भरी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो और पायलटों की भर्ती के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) वर्तमान में पायलटों की रिक्तियों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) कर्मीदल सदस्यों की उड़ान और ड्यूटी समय सीमाओं (प्रतिबद्धताओं) के कारण हाल ही में कुछ उड़ानों में विलम्ब हुआ है।

(ख) और (ग) प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इंडियन एयरलाइंस ने प्रशिक्षु पायलटों के 24 पदों को अधिसूचित किया है जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

पौराणिक महत्व के स्थानों को यूनेस्को से जोड़ा जाना

1927. **श्री पी.एस. गढ़वी** : क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में पौराणिक महत्व के किन स्थानों को यूनेस्को में पंजीकृत किया गया है; और

(ख) यूनेस्कों की सूची में शामिल किए जाने हेतु कितने प्रस्ताव यूनेस्को द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं या उक्त सूची में शामिल किए जाने के लिए यूनेस्को की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित 16 स्मारकों को यूनेस्को द्वारा विश्वदाय स्थलों के रूप में, केवल उनके उत्कृष्ट ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कारण शामिल किया गया है।

(ख) उत्कृष्ट ऐतिहासिक महत्व के ग्यारह स्मारकों को विश्वदाय स्थलों के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव यूनेस्को को भेजे गए हैं।

तेल का पता लगाने संबंधी प्रस्ताव

1928. **श्री उत्तमराव ढिकले** :
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल का पता लगाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार कितने नए तेल कुओं की खुदाई की गई है; और

(ख) इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, आयल इंडिया लिमिटेड और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान वेधन किए गए अन्वेषणात्मक कूपों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	1997-98 वेधित अन्वेषणात्मक कूपों की संख्या	1998-99 वेधित अन्वेषणात्मक कूपों की संख्या	1999-2000 वेधित अन्वेषणात्मक कूपों की संख्या
आंध्र प्रदेश	22	22	18
अरूणाचल प्रदेश	–	–	1
असम	25	24	27
गुजरात	43	47	51
मध्य प्रदेश	1	–	–
राजस्थान	5	2	4
तमिलनाडु	17	19	19
त्रिपुरा	3	2	6
उत्तर प्रदेश	–	–	1
योग*	116	116	127

*इसमें जमीन से वेधित अपतटीय कूप शामिल नहीं हैं।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान वेधन किए गए कुल 359 अन्वेषणात्मक कूपों में से 176 हाइड्रोकार्बन वाले पाए गए।

रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई में कमी

1929. श्री ए. रहमानैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेल गाड़ियों और रेलवे स्टेशनों की साफ-सफाई पर अधिक ध्यान नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या साफ-सफाई में इस कमी के कारणों का पता लगाने के लिए रेलवे द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ट्रेनों में इन सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) रेलों का यह सतत प्रयास रहता है कि गाड़ियों और स्टेशन परिसरों को साफ और स्वच्छ बनाए रखा जाए। स्वच्छता की नियमित रूप से मानिटरिंग की जाती है और साफ-सफाई को प्रभावित करने वाले कारणों और कारकों का पता लगाया जाता है तथा इसमें सुधार लाने के लिए निवारक उपाय किए जाते हैं। गाड़ियों और स्टेशनों की स्वच्छता के स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्नलिखित हैं:-

(1) यात्रियों की भारी संख्या और इनके द्वारा अत्यधिक उपयोग।

(2) साफ-सफाई के प्रति उपयोगकर्ताओं में अपर्याप्त जागरूकता।

(घ) रेलें गाड़ियों और स्टेशनों में बेहतर स्वच्छता के लिए अपनी प्रणालियों और कार्यविधियों में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास करती हैं। इस संबंध में किए गए कुछ उपाय निम्नानुसार हैं:-

(1) साफ-सफाई के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना।

(2) सवारी डिब्बों की मासिक रूप से गहन साफ-सफाई।

(3) कोचिंग डिपुओं में हाई प्रेशर जेट क्लीनिग संयंत्र और मार्गवर्ती स्टेशनों पर सचल जेट क्लीनिंग मशीनों का उपयोग।

(4) साफ-सफाई के लिए उन्नत और पर्यावरण के अनुकूल उपकरणों का उपयोग।

(5) विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों के जरिए सवारी डिब्बों में कीट नियंत्रण।

(6) चुनिंदा गाड़ियों में चलते-फिरते सफाई वालों की तैनाती।

(7) स्टेशनों पर शौचालयों के लिए भुगतान करें और उपयोग करें योजना शुरू करना।

(8) स्टेशनों पर घुलनीय एप्रनों, अतिरिक्त कूड़ेदानों, नालियों की मरम्मत, कूड़ा करकट हटाने आदि की व्यवस्था।

(9) रेलवे क्षेत्रों और गाड़ियों को स्वच्छ रखने के लिए यात्रियों का सहयोग मांगने हेतु लगातार उद्घोषणाएं करना।

(10) स्थिति पर निगरानी रखने के लिए नियमित निरीक्षण और आकस्मिक जांच करना।

[हिन्दी]

गणेश चीनी मिल, आनन्द नगर को भुगतान

1930. श्री पद्मसेन चौधरी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गणेश चीनी मिल आनन्दनगर के कर्मचारियों को वेतन और ग्रेच्युटी आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कर्मचारियों के बकाये धन के शीघ्र भुगतान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त मिल के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) गणेश शुगर मिल्स के कर्मचारियों को दिनांक 29.9.1999 के पश्चात से, जिस तिथि से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने इसको बंद करने के आदेश पारित किए हैं तथा अधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति की है, वेतन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी इस तिथि से वेतन तथा मजदूरी सहित किसी भी प्रकार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(ग) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारिक परिसमापक, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के दावों का निपटारा करेंगे।

(घ) से (च) चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बंद करने के आदेश दिये गये हैं तथा अधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति की गयी है इसलिए कंपनी के कामगारों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेल लाइनों का नवीकरण

1931. डा. संजय पासवान: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाए जाने और रेल लाइनों व अन्य अवसंरचनाओं के नवीकरण हेतु रेलवे द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या पूर्व रेल के दानापुर मंडल के अंतर्गत किउल-गया लाइन को विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ग) एक्सप्रेस गाड़ियां यातायात की मांग, संसाधनों की उपलब्धता और रेल पथ संरचना, टर्मिनल क्षमता, लाइन क्षमता आदि सहित परिचालनिक व्यावहारिकता के अनुसार चलायी जाती हैं। रेलपथ का नवीकरण आयु एवं हालात के आधार पर किया जाता है, बशर्ते कि धन राशि उपलब्ध हो। रेलपथ की आयु साधारणत: विभिन्न मानदंडों यथा ढोए गए यातायात की मात्रा, रेलपथ कलुपर्जों की घिसावट, पटरियों में टूटफूट की संभावना, स्लीपरों की दशा और रेलपथ के अनुरक्षण की सीमा आदि पर निर्भर करती है। यातायात और संरक्षा की आवश्यकताओं के लिए जब कभी अपेक्षित होता है तो रेलें परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण और ग्रेडोन्नयन का कार्य करती हैं। क्यूल-गया लाइन पर रेलपथ का और विकास फिलहाल नहीं किया जा रहा है। विभिन्न लाइनों पर सुविधाओं में वृद्धि समय-समय पर यातायात की वृद्धि और धन की उपलब्धता के आधार पर की जाती है। बहरहाल, 31.19 लाख रु. की लागत पर क्यूल में एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

लोकोमोटिव क्रयादेश

1932. श्री सुनील खां: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप में लोकोमोटिव निर्माण संबंधी क्रयादेशों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) चित्तरंजन लोकोमोटिव-वर्कशॉप द्वारा उत्पादित तीन फेजों वाले इंजनों और आयातित इंजनों के तुलनात्मक लागत मूल्य क्या हैं; और

(घ) ऐसे इंजनों की वार्षिक मांग कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) वर्ष 2000-2001 के लिए प्रारंभिक बजटीय कार्यक्रम में चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में 193 बिजली इंजनों के निर्माण का है। आवश्यकता की समीक्षा करने पर, हाल ही में 130 रेल इंजनों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

(ख) उत्पादन के लक्ष्य का निर्धारण यातायात की संभावनाओं के आधार पर किया जाता है। आरंभिक राजस्व माल यातायात में गिरावट अर्थात नवीं योजना के लिए यातायात की उपलब्धता लक्ष्य से कम होने के कारण चि.रे.का. के उत्पादन लक्ष्य में कमी आई है।

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान चितरंजन रेल इंजन कारखाने (सी.एल.डब्ल्यू.) द्वारा उत्पादित तीन फेजों वाले बिजली इंजनों की अनुमानित औसत लागत, सभी करों तथा शुल्कों सहित 13.41 करोड़ रु. हैं। इसकी तुलना में सीमा शुल्क को जोड़े बिना आयातित रेल इंजनों की लागत 22.00 करोड़ रु. है।

(घ) रेल इंजनों की मांग प्रत्येक वर्ष में संभावित यातायात आवश्यकता पर आधारित है।

दिल्ली-रायपुर-नागपुर से उड़ान

1933. श्री नरेश पुगलिया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-रायपुर-नागपुर मार्ग पर केवल एक ही उड़ान (सं.-7469) है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उड़ान का पहले का मार्ग दिल्ली-नागपुर-रायपुर था;

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से इस उड़ान मार्ग को परिवर्तित किया गया है;

(घ) क्या दिल्ली से इस उड़ान का प्रस्थान समय शाम से बदल कर सुबह कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या दिल्ली से इस उड़ान के प्रस्थान समय की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) वर्तमान समय अनुसूची के अनुसार एलायंस एयर बी-737 विमान से दिल्ली-रायपुर-नागपुर मार्ग पर दैनिक रूप से सीडी 7469 सेवा का प्रचालन कर रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रचालनात्मक कारणों से, इस उड़ान का मार्ग बदलकर दिल्ली-रायपुर-नागपुर-दिल्ली मार्ग कर दिया गया था।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।

(च) विमान क्षमता की कमी और ऑपरेटिंग स्लॉट की अनुपलब्धता के कारण, इस उड़ान की समय सारिणी की संवीक्षा करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वायत्तशासी निकायों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति/तैनाती

1934. सरदार बूटा सिंह: क्या वस्त्र मंत्री स्वायत्त निकायों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति के बारे में 10.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3080 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अब तक कोई महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे सभा पटल पर कब तक रख दिये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) सूचना का एकत्रीकरण, जैसा कि दिनांक 18.8.2000 के पूर्व अतारांकित प्रश्न सं. 3080 के दिये उत्तर में उल्लेख किया गया है, अभी तक पूरी नहीं हुई और इसलिए उस आश्वासन की पूर्ति करने के लिए 9.2.2001 तक समयवृद्धि मांगी गयी है।

डीजल के निर्यात का प्रस्ताव

1935. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का डीजल निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) डीजल का निर्यात देश में घरेलू उपलब्धता और मांग स्थिति पर निर्भर करेगा।

(ख) डीजल का निर्यात नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में स्मारकों/संग्रहालयों का संरक्षण

1936. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अहमदनगर (महाराष्ट्र) में संरक्षित किये जा रहे ऐतिहासिक स्मारकों/संग्रहालयों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उन स्मारकों/संग्रहालयों को प्रदान किया जा रहा रखरखाव पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन स्मारकों/संग्रहालयों के रखरखाव कार्य को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक स्मारक/संग्रहालय के संरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गयी?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) अहमदनगर जिला में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अहमदनगर जिला में कोई संग्रहालय नहीं है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का रख-रखाव एवं संरक्षण करना एक सतत प्रक्रिया है, बशर्ते कि कुल मिलाकर फंड उपलब्ध हों।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव/संरक्षण पर किया गया व्यय एवं वर्तमान वर्ष के लिए आबंटन क्रमश: विवरण-II और विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान
1	2	3
1.	दमरी मस्जिद (कैंटूमैंट की परिधि के अन्दर)	अहमदनगर
2.	नियामत खां महल के समीप गेट	-वही-
3.	बारह इमामों का कोटला	-वही-
4.	मक्का मस्जिद	-वही-
5.	चगेंज खां महल के समीप पुरानी कब्र	-वही-
6.	निज़ाम अहमदशाह का मकबरा	-वही-
7.	हेमादपंती मंदिर	बामिनी
8.	ढोकेश्वर गुफाएं	ढोक
9.	फारिया बौग के नाम से प्रसिद्ध भवन	भीनगर कैंटूमैंट
10.	जैन मंदिर	घोटन
11.	मल्लिकार्जुन मंदिर	-वही-
12.	गुफाएं तथा मंदिर	हरिश्चंद्रगढ़

1	2	3
13.	चरासंघ नगरी	जोर्वे
14.	मल्लिकार्जुन मंदिर	काराजाट
15.	नकटिचादेओल के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर	-वही-
16.	पुराना मंदिर	कोकमथान
17.	देवी मंदिर	मांडवगांव कटराबाद
18.	सलाबत खान का मकबरा	मेहकरी
19.	धारा के अगले किनारे पर स्थित शिव मंदिर	पारनेर
20.	बलेश्वर मंदिर	पेदगांव
21.	लक्ष्मी नारायण मंदिर	-वही-
22.	अमृतेश्वर मंदिर	रतनवाड़ी
23.	भवानी का त्रिवेदिका मंदिर	तहाकरी
24.	पांच प्रस्तर द्वार	तिसगांव
25.	देवी मंदिर	टोका
26.	सिद्धेश्वर महादेव मंदिर	-वही-
27.	पांच घाटों वाला विष्णु मंदिर	-वही
28.	देंमाबाद स्थित प्राचीन स्थल एवं अवशेष	दैयाबाद गांव
29.	लादमोद के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध प्राचीन स्थल	नेवासा

विवरण-II

संरक्षण/रखरखाव पर व्यय

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान	व्यय 1997-98	व्यय 1998-99	व्यय 1999-2000
1.	ढोकेश्वर गुफाएं	ढोक	1,73,680/-	4,227/-	9,999/-
2.	फारिया बौग के नाम से प्रसिद्ध भवन	भीनगर कैंटूमैंट		14,424/-	10,270/-
3.	गुफाएं तथा मंदिर	हरिश्चंद्रगढ़		25,000/-	10,000/-
4.	जरासंघ नगरी	जोर्वे	4,980/-	-	-
5.	पुराना मंदिर	कोकमथान	16,002/-	2,306/-	-
6.	देवी मंदिर	मांडवगांव, कटराबाद	1,14,000/-	-	-
7.	सलाबत खान मकबरा	मेहकरी	-	7,691/-	15,080
8.	लक्ष्मी नारायण मंदिर	पेदगांव	-	2,351/-	-

विवरण-III

2000-2001 के लिए निधियों का आबंटन

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान	आबंटन 2000-2001
1.	दमरी मस्जिद (कैंटूमैंट की परिधि के अन्दर)	अहमदनगर	1,000
2.	नियामत खां महल के समीप गेट	-वही-	1,000
3.	बारह इमामों का कोटला	-वही-	1,000
4.	मक्का मस्जिद	-वही-	1,000
5.	चगेंज खां महल के समीप पुरानी कब्र	-वही-	1,000
6.	हेमादंपती मंदिर	बामिनी	1,000
7.	ढोकेश्वर गुफाएं	ढोक	10,000
8.	फारिया बौग के नाम से प्रसिद्ध भवन	भीनगर कैंटूमैंट	30,000
9.	जैन मन्दिर	घोटन	1,000
10.	मल्लिकार्जुन मंदिर	-वही-	1,000
11.	चरासंघ नगरी	जोर्वे	13,000
12.	मल्लिकार्जुन मंदिर	काराजाट	1,000
13.	नकटिचादेओल के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर	-वही-	1,000
14.	पुराना मंदिर	कोकमथान	5,000
15.	देवी मंदिर	मांडवगांव कटराबाद	1,000
16.	सलाबत खान का मकबरा	मेहकरी	21,500
17.	धारा के अगले किनारे पर स्थित शिव मंदिर	पारनेर	10,000
18.	बलेश्वर मंदिर	पेदगांव	1,000
19.	लक्ष्मी नारायण मंदिर	-वही-	10,000
20.	अमृतेश्वर मंदिर	रतनवाड़ी	5,000
21.	भवानी का त्रिवेदिका मंदिर	तहाकरी	1,000
22.	पांच प्रस्तर द्वार	तिसगांव	5,000
23.	देवी मंदिर	टोका	1,000
24.	सिद्धेश्वर महादेव मंदिर	-वही-	1,000
25.	पांच घाटों वाला विष्णु मंदिर	-वही-	1,000
26.	देंमाबाद स्थित प्रचीन स्थल एवं अवशेष	दैमाबाद गांव	5,000
27.	लादमोद के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध प्राचीन स्थल	नेवासा	1,000

फरिया बौग, सलाबत खान का मकबरा एवं प्राचीन स्थल नेवासा के संरचनागत संरक्षण के लिए 10 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक के साथ संयुक्त उद्यम

1937. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री आर.एस. पाटिल:
श्रीमती जयश्री बैनर्जी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने परियोजनाओं के विकास कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु रेलवे के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विकास के लिए पहचानी गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन्हें पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है;

(ङ) धन को किस प्रकार जुटाये जाने की संभावना है; और

(च) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जायेगा। रेल मंत्रालय, कर्नाटक सरकार, विदेशी निवेशकों/बैंक/अन्य इसके इक्विटी साझेदारी होंगे। यह कंपनी विभिन्न पहचानी हुई रेल परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने की व्यवस्था करेगी।

(ग) 1. हुबली-अंकोला नई लाइनें

2. सोलापुर-गदग आमान परिवर्तन

3. हसन-मैंगलूर आमान परिवर्तन

4. गुंतकल-हॉसपेट दोहरीकरण

(घ) उपलब्ध आकलनों के अनुसार परियोजना की लागत 1639.50 करोड़ रु. है।

(ङ) इन परियोजनाओं के लिये धन जे.वी. कंपनी द्वारा जुटाया जायेगा जिसमें रेल मंत्रालय तथा कर्नाटक सरकार प्रत्येक 26% इक्विटी के साझेदार होंगे। संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा बाजार ऋणों के लिये कर्नाटक सरकार ऋणदाताओं को बिना किसी प्रतिभूति या रेल मंत्रालय या रेल परिसंपत्ति पर प्रभार लगाए बिना राज्य गारंटी मुहैया कराएगी। बहरहाल, रेल मंत्रालय केवल परियोजना की बकाया लागत के 25% की सीमा तक वित्तपोषण करेगा तथा इससे अधिक वित्तपोषण रेल बजट में इन कार्यों के लिए किये गये आबंटनों पर निर्भर करेगा।

(च) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान में हवाई अड्डों का विस्तार

1938. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के जोधपुर जिले में कितने हवाई अड्डे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार जोधपुर के सलावा हवाई अड्डे का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसका विस्तार कब तक कर दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार फलौदी में एक हवाई अड्डे का निर्माण करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जोधपुर जिले में छः हवाई पट्टियां/विमान क्षेत्र हैं।

(ख) सालावास की हवाई पट्टी रक्षा मंत्रालय (भारतीय वायु सेना) की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की इसके विकास की कोई योजनाएं नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अवसंरचना

1939. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परियोजना के लिए अवसंरचना के विकास हेतु वित्त प्रदान करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा उक्त परियोजनाओं के लिए कितना धन प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त परियोजना के लिए वित्त के कौन-कौन से संसाधन जुटाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) और कर्नाटक राज्य औद्योगिक निदेश एवं विकास निगम के मध्य समझौता ज्ञापन के अनुसार, स्थापित किए जा रहे परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन प्रस्तावित योजना संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जानी है जिसमें कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश एवं विकास निगम, भा.वि.प्रा. और संयुक्त उद्यम भागीदार से 60:40 के ऋण इक्विटी अनुपात में 1000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत शामिल है। कर्नाटक राज्य औद्योगिक निदेश एवं विकास निगम और भा.वि.प्रा. संयुक्त रूप से संयुक्त उद्यम कंपनी में 26 प्रतिशत से कम की धारिता नहीं रखेगी।

दहानू और नासिक के बीच रेल लिंक

1940. **श्री चिंतामन वनगा**: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार से दहानू और नासिक के बीच नये रेल लिंक की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट का आदेश दिया था;

(घ) क्या अब तक परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना संबंधी कार्य को आरंभ करने की क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (ङ) दहानू रोड तथा नासिक रोड के मध्य नई लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात् ही परियोजना पर आगे विचार करना संभव होगा।

[हिन्दी]

उत्पादन इकाइयों का निगमीकरण

1941. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई परिवहन विकास संस्थान ने रेलवे के अन्तर्गत आने वाली उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता बढ़ाने और उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से इनके निगमीकरण की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी, हां। एशियाई परिवहन विकास संस्थान ने सितम्बर, 2000 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में रेलवे की अधीनस्थ उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण की सिफारिश की है।

(ग) उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। बहरहाल, इन उत्पादन इकाइयों को भारतीय रेलवे के वर्तमान ढांचे के भीतर ही लागत और लाभ के पृथक केन्द्रों में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।

दादर-रत्नागिरी एक्सप्रेस को हुई क्षति

1942. **श्री रामशेठ ठाकुर**: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 31 अक्तूबर, 2000 को यात्रियों द्वारा कोंकण रेलवे की दादर-रत्नागिरी एक्सप्रेस को पहुंचायी गयी क्षति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें कितने मूल्य की सरकारी सम्पति नष्ट हुई; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घनटाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) मत्स्यगंधा एक्सप्रेस गाड़ी का इंजन बीच खण्ड में खराब हो गया था। तदनुसार दादर-रत्नागिरी यात्री गाड़ी को आगे का रेलपथमार्ग खुलने तक वीर स्टेशन पर रोकना पड़ा था इस कारण इस गाड़ी के चलने में देरी हुई। कुछ यात्रियों ने वीर स्टेशन पर गुंडागर्दी भी की। कुछ यात्रियों ने करोजदी स्टेशन पर भी गुंडागर्दी की जहां ब्रेक बाईंडिंग की समस्या के कारण गाड़ी को 20 मिनट तक रोकना पड़ा था। कोंकण रेलवे परिसम्पति को 1.15 लाख रु. की अनुमानित हानि हुई।

(ग) रेल परिसम्पति को नुकसान पहुंचाने वाले यात्रियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।

दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में अग्नि शमन और एम्बुलेंस सेवाएं

1943. श्री जय प्रकाश: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवाई अड्डों के विमान उतरने के क्षेत्रों के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में अग्नि शमन और एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज तक इस संबंध में क्या निर्देश जारी किये गये हैं;

(ग) क्या सरकार को अल्प सूचना पर आपातकालीन मामलों में राहत सुविधाओं में सुधार लाने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा निर्धारित क्रेश फायर टेण्डर जैसे बचाव और राहत वाहनों के लिए निर्धारित किया गया रेस्पोंस टाइम "दो मिनट के भीतर है न कि तीन मिनट से अधिक" एम्बुलेंसों को फायर टैण्डर सहित फायर स्टेशन पर रखा जाता है जो क्रेश फायर टैण्डर के तत्काल बाद दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाती हैं।

(ग) और (घ) सभी हवाई अड्डों पर रखे गए बचाव और अग्नि शमन वाहन इकाओ के मापदण्ड को पूरा करते हैं। हवाई अड्डों पर इन सुविधाओं के उन्नयन और सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। इन उपकरणों को हैंडल करने वाले कार्मिकों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वास्तविक आपातकालीन स्थिति में निर्धारित समय में ही निपटाया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मौल-मोरोरा रेलवे स्टेशन का निर्माण

1944. श्री सुबोध मोहिते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौल-मोरोरा नाम के एक रेलवे स्टेशन का निर्माण, बिना किसी रेल लाइन के होते हुए कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस रेलवे स्टेशन के निर्माण पर कितना व्यय किया गया है;

(घ) इस स्टेशन को किस काम के लिए उपयोग में लाया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार ने रेल लाइन बिछाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेना मुख्यालय, मुंबई में बम धमाका

1945. श्री मोहन रावले: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण मुंबई में कोलाबा स्थित वायुसेना मुख्यालय के नेवी नगर क्षेत्र के थल सेना के मुख्यालय में 1 नवंबर, 2000 को कोई बम विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने लोग मारे गये/हताहत हुए;

(ग) क्या हताहतों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस घटना के बारे में कोई जांच की गयी है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गयी?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) यह विस्फोट दक्षिण मुम्बई में नेवी नगर, कोलाबा में स्थित 9 कुमाऊं के यूनिट एरिया में इस यूनिट के लामबंदी प्रशिक्षण के दौरान 1 नवंबर, 2000 को हुआ था।

(ख) हताहतों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) एक जवान मारा गया।

(2) एक जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर और दो जवानों को मामूली चोटें आई।

(ग) और (घ) निकटतम संबंधी को मुआवजा देने से संबंधित ब्यौरे का निर्धारण किया जा रहा है।

(ङ) और (च) स्थानीय पुलिस के यहां प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है और सेना तथा पुलिस प्राधिकारियों द्वारा विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है।

तटरक्षकों के नये स्टेशनों की स्थापना

1946. श्री रामचन्द्र बैंदा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी और पूर्वी तटों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सुरक्षा की नयी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में तट रक्षकों के नये स्टेशन स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर कब तक कार्य आरंभ कर दिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) तटरक्षक का पश्चिमी तट पर जखाऊ (गुजरात) तथा विझिनजम (केरल) में और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 'हट बे' में नए स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है।

तटरक्षक द्वारा जखाऊ में अधिग्रहण के लिए 65.49 एकड़ भूमि का पता लगा लिया गया है। समुद्र के सामने एक एकड़ भूमि के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। गुजरात सरकार द्वारा भूमि सौंपे जाने के पश्चात् ही इस स्टेशन पर कार्य शुरू होने की संभावना है।

विझिनजम में तटरक्षक स्टेशन अगली तटरक्षक विकास योजना (सी.जी.डी.पी.), अर्थात 2002-2007 में स्थापित किए जाने के लिए अनुमोदित है।

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 'हट बे' में प्रस्तावित तटरक्षक स्टेशन के लिए अंडमान व निकोबार प्रशासन द्वारा अब तक 10 एकड़ भूमि सौंप दी गई है। इस मामले में आगे की कार्रवाई तटरक्षक द्वारा की जा रही है।

[अनुवाद]

किराए में वृद्धि

1947. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने लम्बे समय से किराये में वृद्धि नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इससे विमान संबधी यातायात पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस को अधिक यात्रियों से और अतिरिक्त आय अर्जित करने से लाभ हुआ है, जिससे ईंधन की ऊंची कीमतों की परिपूर्ति हो जाती है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रचालन की पश्च लागत को कम करने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) अक्तूबर, 1997 में पूर्वोत्तर और श्रेणी II के मार्गों के भीतर अन्य सैक्टरों पर तथा अक्तूबर, 1998 से अन्य अंतर्देशीय सैक्टरों पर किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) से (घ) वर्ष 2000-2001 की पहली छमाही के दौरान इंडियन एयरलाइंस द्वारा ले जाए जा रहे यात्री विमान का दिनांक 17 जुलाई 2000 को जो बी-737 विमान था पटना पर विमान दुर्घटना के परिणामस्वरूप धक्का लगा था। तथापि, अक्तूबर, 2000 के बाद की छमाही में यातायात में वृद्धि होनी शुरू हुई।

नागर विमानन महानिदेशक ने हाल ही में मंत्रालय को अंतर्देशीय सैक्टर और इंडियन एयरलाइंस और जेट एयरवेज की संबंधित यात्री के हिस्से के यातायात की प्रवृत्ति के बारे में एक रिपोर्ट भेजी है।

इस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(1) वर्ष, 2000 के पहले 10 महीनों के दौरान अर्थात् अक्तूबर, 2000 तक अंतर्देशीय यात्री विमान यातायात की औसत वृद्धि दर 9.8 प्रतिशत है।

(2) इंडियन एयरलाइंस के यात्री हिस्से में अगस्त, 2000 में 42.3 प्रतिशत से अक्तूबर, 2000 में 45.5 प्रतिशत की धीरे-धीरे वृद्धि हुई है।

(3) इंडियन एयरलाइंस से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में अक्तूबर, 2000 में 63 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(4) अक्तूबरत 2000 में इंडियन एयरलाइंस द्वारा ले जाए गए अंतर्देशीय यात्रियों की कुल संख्या में जेट एयरवेज द्वारा ले जाए गए यात्रियों की संख्या की तुलना में फिर से वृद्धि हुई है।

(ङ) और (च) अंतर्देशीय प्रचालनों के लिए छः महीनों के भीतर एटीएफ मूल्य वृद्धि से अंतर्देशीय प्रचालनों के मौजूदा स्तर पर वर्ष 2000-2001 में 226 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ा है। मौजूदा किराए ढांचे के कारण प्रचालन की लागत में वृद्धि करना इंडियन एयरालाइंस के लिए वास्तव में मुश्किल होगी। तथापि, इंडियन एयरलाइंस लागत वृद्धि के प्रभाव को कम से कम करने के लिए विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है। इसमें संगठित मार्केटिंग/लागत कम करने के उपाय और इंडियन एयरलाइंस के मार्किट शेयर में निरन्तरित वृद्धि शामिल हैं।

रेलवे में सुरक्षा प्रणाली

1948. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने रेलवे की वर्तमान सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की आलोचना की है और 1998-99 की अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा संबंधी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय तथा एक सशक्त संयुक्त निरीक्षण व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा आर.पी.एफ. आर.पी.एस.एफ. और जी.आर.पी. पर कुल कितना धन खर्च किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा रेलवे में संयुक्त सुरक्षा प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ग) जी, हां। बहरहाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने किसी संयुक्त निरीक्षण व्यवस्था का सुझाव नहीं दिया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के लिए रेलों द्वारा वहन किया गया व्यय निम्नलिखित है:-

(आंकड़े करोड़ में)

वर्ष	रे.सु.ब./रे.सु.वि.ब.	रारेपु.
1997-98	393.81 रु.	96.97
1998-99	493.28 रु.	109.37
1999-2000	547.50 रु.	139.31 (लगभग)

रेल प्रबंधन का पुनर्गठन

1949. डा. रमेश चंद तोमर:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय रेल के कार्यकरण में सुधार करने के उद्देश्य से भारतीय रेल प्रबंधन का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाना है; और

(ग) भारतीय रेल के पुनर्गठन से राजस्व में किस सीमा तक वृद्धि होने और इसके व्यर्थ के व्यय को किस सीमा तक रोका जा सकेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल

1950. श्री के.पी. सिंह देव: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कार्यरत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितना आबंटन किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) रक्षा कर्मचारियों की दो श्रेणियां हैं अर्थात सशस्त्र सेना कार्मिक और रक्षा सिविलियन कर्मचारी। प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग स्वास्थ्य सुविधा के लिए योजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं:-

(1) सशस्त्र सेना कार्मिकों को सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा नियमावली-1983 में विहित प्रावधानों के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके तहत सेवारत सशस्त्र सेना कार्मिकों को निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं:-

- सशस्त्र सेना अस्पतालों, औषधालयों और चिकित्सा जांच कक्षों अथवा उनके निवास-स्थलों में बाह्य रोगी के रूप में।
- अस्पतालों में भर्ती होने पर निर्धारित दरों के अनुसार चिकित्सा प्रभार की वसूली के तहत उपचार।
- यदि सेना चिकित्सा स्थापनाओं में अपेक्षित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है तो यह सुविधा देश में अवस्थित सरकारी सिविल/निजी अस्पतालों से मुहैया कराई जाती है और कभी-कभी रोग की आवश्यकता एवं गंभीरता को देखते हुए यह सुविधा देश से बाहर अवस्थित अस्पतालों से भी मुहैया कराई जाती है।

2. सेवानिवृत्त सशस्त्र सेना कार्मिकों को सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के उपलब्ध संसाधनों से ही सीमित चिकित्सा सुविधाएं मुहैया की जाती हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) निकटस्थ सशस्त्र सेना अस्पतालों में निःशुल्क बाह्य रोगी उपचार जिसमें उनके उपचार के लिए आवश्यक औषधि की आपूर्ति भी शामिल है।

(2) निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सशस्त्र सेना अस्पतालों में अंतरंग उपचार:

- बीमारी असाध्य न हो
- अस्पताल में बिस्तरों की स्वीकृत संख्या में से, सेवारत कार्मिकों की आवश्यकताओं में बाधा पहुंचाए बिना, स्थान उपलब्ध कराया जा सकता है तथा उपचार स्थानीय रूप से उपलब्ध सुविधाओं तक ही सीमित रहेगा।
- उपर्युक्त सुविधा फुफ्फुस तपेदिक, कुष्ठ रोग, दुसाध्य बीमारी अथवा अन्य ऐसी बीमारी के उपचार हेतु नहीं दी जाएगी जिसके लिए सामान्यतः स्थानीय सैन्य अस्पताल में उपचार उपलब्ध नहीं है।

3. रक्षा सेवाओं के सिविलियन कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के अन्य सिविल कर्मचारियों की ही भांति केंद्रीय सचिवालय (चिकित्सा सुविधा) नियमों/केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं।

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए सशस्त्र सेना कार्मिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निधियों का आबंटन, राजस्व बजट के तहत 170 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत बजट के तहत 70 करोड़ रुपये है।

उड़ानों में सुरक्षा प्रबंधों के लिए समझौता

1951. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमान यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए नेपाल जैसे किसी अन्य देश के साथ सुरक्षा संबंधी प्रबंधों के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) सरकारी स्तर पर नेपाल के साथ सुरक्षा व्यवस्था के बारे में अलग से कोई करार नहीं किया गया है। यद्यपि, इंडियन एयरलाइंस ने काठमांडू से उड़ान भरने वाली इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में नेपाल के नागर विमानन प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। विमानन सुरक्षा का एक अनुच्छेद में भी विभिन्न देशों के साथ होने वाले वैमानिक सेवा करार में विमानन सुरक्षा का उल्लेख है।

खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटन के लिए साक्षात्कार

1952. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए मौखिक साक्षात्कार हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप के स्थानों को तय करने में तेल समन्वय समिति का निर्णय अंतिम होता है;

(घ) यदि हां, तो तमिलनाडु और कर्नाटक में पहले से ही मौजूद ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिक्री केन्द्रों और शीघ्र ही खोले जाने वाले बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को ऐसे नये बिक्री केन्द्रों और डिस्ट्रीब्यूटरशिप की संख्या को कम से कम करने के लिए पहले से ही मौजूद खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के मालिकों और डीलरों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) 1 अक्तूबर, 2000 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य में 1612 खुदरा बिक्री केन्द्र एवं 467 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा कर्नाटक राज्य में 1073 खुदरा बिक्री केन्द्र एवं 375 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन में थीं।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए स्थान विपणन योजनाओं में तेल विपणन कंपनियों के द्वारा आवधिक रूप से किए गए व्यवहार्यता सर्वेक्षणों के आधार पर सम्मिलित किए जाते हैं। विपणन योजनाएं तेल कंपनियों के द्वारा तैयार की जाती हैं तथा सरकार के अनुमोदन से इन्हें अंतिम रूप दिया जाता है।

वर्द्धित मांग को पूरा करने की दृष्टि से पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त विपणन योजना 1996-98 में तमिलनाडु राज्य के लिए 59 खुदरा बिक्री केन्द्र एवं 155 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा कर्नाटक राज्य के लिए 49 खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 112 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें सम्मिलित की गई है। व्यवहार्यता सर्वेक्षणों के आधार पर और अधिक डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित की जाएंगी।

विपणन योजनाओं में सम्मिलित किए गए स्थानों के विषय में तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापन दिया जाता है तथा डीलरों/वितरकों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डीलर चयन बोर्डों के द्वारा किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू करने के विषय में साक्षात्कार की तारीख के पश्चात सामान्यतया 6-12 माह लगते हैं।

(ङ) और (च) इस प्रकार के अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं और मामले में यथोचित कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

सर्वेक्षण पूरा किया जाना

1953. श्री पी.आर. खुंटे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खरोतपालां, बलौदा बाजार, भाटगांव और सारनगाह रेल लाइन के रास्ते रायपुर-झारसुगुडा रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सर्वेक्षण को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) रायपुर से झारसुगुडा बरास्ता खरोतपालां, बलोदा बाजार, भाटगांव और सारंगाह (310 कि.मी.) नई लाइन के सर्वेक्षण के कार्य को 2000-2001 के बजट में स्वीकृति मिल गई थी। सर्वेक्षण प्रगति पर है और 31.12.2001 तक इसके पूरा हो जाने की संभावना है।

जूट मिलें

1954. श्री वाई.जी. महाजन:
श्रीमती रेनू कुमारी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जूट मिलों के क्या-क्या नाम हैं और उनमें इस समय राज्यवार कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान इन मिलों को मिलवार कितना लाभ और घाटा हुआ;

(ग) उनमें से रुग्ण/बंद की गयी मिलों के क्षेत्रवार और राज्यवार नाम क्या हैं;

(घ) मिलों को बंद किये जाने के कारण कितने मजदूर प्रभावित हुए हैं और उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ङ) बंद मिलों को पुन: खोलने और रुग्ण मिलों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है और इन पर मिलवार कितना धन खर्च किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) कुल 73 मौजूद पटसन मिलों में से 38 पटसन मिलें रूग्ण हैं तथा दो पटसन मिलें नामत: (1) जयपुर उद्योग लि., कानपुर एकक, उत्तर प्रदेश तथा (2) कटिहार पटसन मिल, बिहार हुई है।

(घ) और (ङ) जयपुर उद्योग लि., कानपुर एकक (उ.प्र.) तथा कटिहार पटसन मिल्स, बिहार में क्रमश: कुल संख्या 1040 तथा 1300 कामगार वेतन पर बंद होने के समय कार्यरत थे।

रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रस्ताव के अंतर्गत रुग्ण मिलों के पुनरुद्धार प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए बी.आई.एफ.आर. सक्षम प्राधिकारी है। रूग्ण/बंद पटसन मिलों के लिए कोई पृथक योजना नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	मिल का नाम	करपूर्व लाभ/ हानि 1996-97	करपूर्व लाभ/ हानि 1997-98	करपूर्व लाभ/ हानि 1998-99	करपूर्व लाभ/ हानि 1999-2000	उपस्थिति पंजीका में कामगारों की संख्या	मौजूदा स्थिति	बी.आई.एफ.आर. को सुपुर्द किया गया है (हां/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पश्चिमी बंगाल में मिलें							
1.	अगरपाड़ा जूट मिल्स लि.	-516.32	-437.14	-2.38	-1.23	2196	रुग्ण	हां
2.	एलाइन्स मिल्स (लीजेस) लि.	-7.18	41.47	3.49	3.02	5450		नहीं
3.	एंग्लो इंडिया जूट मिल्स कं. लि.	215.37	460.04	206.3	201.96	3560	रुग्ण	हां
4.	अम्बिका मल्टीफाइबर लि.-अम्बिका	116.32	136.51	187.88	अप्र	1489		नहीं
5.	अम्बिका मल्टीफाइबर लि.-वाली					3427		नहीं
6.	आक्लैंड इंटरनेशनल लि.	86.88	191.74	103.3	अप्र	1644		नहीं
7.	बिरला कारपोरेशन लि. बिरला	737.89	-5135.62	-5355.94	-3833.36	2010		नहीं
8.	बिरला कारपोरेशन लि. सोराह					1977		नहीं
9.	बजबज कं. लि.	-302.14	85.44	-16.44	101.02	3400	रुग्ण	हां
10.	दि कलकत्ता जूट मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि.	2.58	31.76	0.38	1.92	923	रुग्ण	हां
11.	दि चेम्पदेनी इंडस्ट्रीज लि.	306.28	627.68	178.72	122.73	2711		नहीं
12.	चवायत कं. लि.	311.65	709.2	337.44	506.86	4274		नहीं
13.	डलहौजी जूट कं.	2829.69	625.58	-68.57	अप्र	3160		नहीं
14.	डेल्टा इंटरनेशनल लि.	83.06	114.87	100.11	अप्र	2432		नहीं
15.	दि अम्पायर जूट कं. लि.	69.4	26.23	-29.76	अप्र	2151		नहीं
16.	दि गेन्जेज मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि.	50.33	-43.2	-19.22	अप्र	4360		हां
17.	ग्लौस्टर जूट मिल्स लि.	139.66	455.61	224.73	362.29	3961		नहीं
18.	हैस्टिंगस जूट मिल	-32.91	14.55	-29.85	अप्र	2740		नहीं
19.	हुगली मिल्स कं. लि.	3.82	330.82	अप्र	अप्र	2859		नहीं
20.	हुगली मिल्स कं. लि., दादरी					2378		नहीं
21.	हुगली मिल्स कं. लि., गोडलपारा					2277		नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	हुगली मिल्स कं. लि., रेबीवर्ती						1755	नहीं
23.	हावड़ा मिल्स कं. लि.	69.5	73.11	50.5	अप्र	2090	रुग्ण	नहीं
24.	हुगली मिल्स कं. लि. हुकमचन्द्र	223.26	263.08	263.08	अप्र	3951		नहीं
25.	इंडिया जूट एंड इंडस्ट्रीज लि.	-185.45	-117.92	अप्र	अप्र	2804		नहीं
26.	जगत दल जूट एंड इंडस्ट्रीज लि.	7.39	6.35	-115.65	0.784	2693		नहीं
27.	कमरहटी कं. लि.	-248.08	145.24	86.12	299.62	2453	रुग्ण	हां
28.	कनकनारा कं. लि.	-26.55	260.1	131.80	-100.3	1803	रुग्ण	हां
29.	एकता लि.	-112.51	1.92	-412.04	83.42	4335		नहीं
30.	महादेव जूट एंड इंडस्ट्रीज लि.	2.81	16.83	-29.7	-36.51	986		नहीं
31.	दि नेहती जूट मिल्स लि.	-41.36	188.37	69.62	9.17	4292		हां
32.	नफरचन्द्र जूट मिल्स लि.	33.41	23.24	33.13	48.47	615		नहीं
33.	न्यू सैंट्रल जूट मिल्स कं. लि.	-2530.82	-1732.98	-2082.13	-904.96	6651	रुग्ण	हां
34.	नार्थ ब्रुफ जूट कं. लि.	-300.85	57.00	-363.12	अप्र	2955	रुग्ण	हां
35.	दि नोडिया मिल्स कं. लि.	-1206.62	1.1	अप्र	अप्र	4129	रुग्ण	नहीं
36.	पर्वतक जूट मिल्स लि.	-22.56	277.09	33.99	-0.14	1500	रुग्ण	हां
37.	आर.डी.वी. टैक्सटाइल लि.	-393.35	-46.68	-722.38	अप्र	3085	रुग्ण	हां
38.	रिलायंस जूट मिल्स	170.9	270.42	-13.08	अप्र	3361		नहीं
39.	श्री गौरीशंकर जूट मिल्स लि.	-38.02	92.82	33.98	-210.86	1383	रुग्ण	नहीं
40.	तिरूपति जूट इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	-8.29	17.25	1.9	अप्र	1255		नहीं
41.	टेपकान इंटरनेशनल (इंडिया) लि.	-53.7	-3.65	-141.32	अप्र	3315	रुग्ण	हां
42.	यूनियन जनरल कं. लि.	-31.74	91.73	-38.71	अप्र	1399	रुग्ण	हां
43.	विजय श्री लि.	-196.4	109.03	64.31	अप्र	1542	रुग्ण	हां
44.	दि बेरनगोर जूट फैक्ट्री प्रा.लि. कं.	अप्र	अप्र	अप्र	अप्र	3031		नहीं
45.	डब्ल्यू.बी. एग्रो टैक्सटाइल कार्पोरेशन लि. भाड़ा	-777.4	-52.46	-30.28	अप्र	658	रुग्ण	राहत जारी
46.	मेघना जूट मिल्स	अप्र	अप्र	अप्र	अप्र	3260	रुग्ण	हां
47.	कनौरिया जूट इंडस्ट्रीज लि.	-120.2	अप्र	अप्र	अप्र	2660	रुग्ण	हां
48.	ट्रेण्ड व्यापार प्रा.लि. कैल्विन	-5.76	16.91	-8.57	अप्र	2402	रुग्ण	हां

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	एनजेएमसी-नेशनल	-102.97	-22251.55	-27887.12	अप्र	6299	रुग्ण	हां
50.	एनजेएमसी-किनिसन					4378	रुग्ण	हां
51.	एनजेएमसी-खर्वा					3803	रुग्ण	हां
52.	एनजेएमसी एजेक्जेड्रीया					1832	रुग्ण	हां
53.	एनजेएमसी-यूनियन					1399	रुग्ण	हां
54.	दि गोर पौड़े कं. लि.	अप्र	अप्र	अप्र	अप्र	3495	रुग्ण	हां
55.	केलेडोनियन जूट एंड इंडस्ट्रीज लि.	अप्र	अप्र	अप्र	अप्र	2490	रुग्ण	हां
56.	एंग्से जूट वर्क्स	अप्र	अप्र	अप्र	अप्र	3979	रुग्ण	हां
57.	प्रेमचन्द जूट मिल्स	अप्र	अप्र	अप्र	अप्र	620	रुग्ण	हां
58.	आदित्य ट्रांसलिंक प्रा.लि.		26.02	26.02	अप्र	3694		नहीं
59.	टीटागढ़ जूट मिल्स	अप्र	अप्र	अप्र	अप्र	4096	रुग्ण	नहीं
	असम की मिलें							
60.	असम कोआपरेटिव जूट मिल्स लि.	20.45	27.44	30.47	42.96	685	रुग्ण	नहीं
	उड़ीसा की मिलें							
61.	कोणार्क जूट लि.	-69.75	4.52	-97.73	अप्र	1319	रुग्ण	नहीं
	त्रिपुरा की मिलें							
62.	त्रिपुरा जूट मिल्स लि.	-691.14	-874.42	अप्र	अप्र	1606	रुग्ण	नहीं
	मध्य प्रदेश की मिलें							
63.	मोहन जूट मिल्स लि.	11.66	21.74	19.25	अप्र	3174	रुग्ण	नहीं
	आंध्र प्रदेश की मिलें							
64.	ईस्ट इंडिया कामर्शियल कं. लि.	156.13	214.1	413.72	-75.42	2854		नहीं
65.	नलीमरला जूट मिल्स कं. लि.	अप्र	अप्र	अप्र	अप्र	2257	रुग्ण	हां
66.	श्री बजरंग जूट मिल्स लि.	10.61	219.76	160.24	101.21	1450	रुग्ण	हां
67.	चितावल्सह जूट मिल्सि-बिलार्ड	-814.55	-342.12	-1563.19	अप्र	3751	रुग्ण	हां
	उत्तर प्रदेश की मिलें							
68.	जुग्गीलाल कमलापत जूट मिल्स कं. लि.	-395.82	-2.61	-99.25	-2.07	3301	रुग्ण	हां
69.	दि महाबीर जूट मिल्स लि.	73.57	56.4	98.33	अप्र	751		नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.	दि जायपुर उद्योग लि. कानपुर जूट	अप्र	अप्र	अप्र	अप्र	1040	बंद	नहीं
	बिहार की मिलें							
71.	कटिहार जूट मिल्स	अप्र	अप्र	अप्र	अप्र	1300	बंद	नहीं
72.	एनजेएमसी-आरबीएचएम		एमजेएमसी के तहत			1011	रुग्ण	हां
73.	विन्सम इंटरनेशनल लि.	13.53	41.37	28.78	13.68	1193		नहीं

टिप्पणी 1. अप्र-प्रस्तुत नहीं किया गया (अप्रस्तुत)

2. मिलों में दी गई सूचना के अनुसार पंजीका में दी गई कामगारों की संख्या प्रस्तुत की गई है।

पेट्रोलियम, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी

1955. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कीमतों में कितनी बार वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल और एल.पी.जी. के भंडारण मूल्य में परिवर्तन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ये संशोधन तेल पूल लेखे से तेल कंपनियों के संचयी बकाया दावे कम करने के लिए अपेक्षित थे।

विवरण

भंडारण स्थल मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण

(रुपए/एसयू)

	एचएसडी	एसकेओ (घरेलू)	एलपीजी (पैक्ड घरेलू)	एमएस-87/एमएस-एसएस-एकेआई-84 (89 आरओएन)
	1	2	3	4
1997-98				
1.4.97 को	6574.87	2001.40	6901.95	16055.43
निम्न तारीखों को संशोधित किया गया				
2.9.97	8374.87		7958.29	17055.43
7.11.97	7918.04			
25.12.97	7996.84			
1.3.98	7839.24			

	1	2	3	4
1998-99				
4.4.98	7645.47			
20.5.98	7536.89			
3.6.98				15495.43
9.1.99	6722.37			
1.2.99			8944.21	
28.2.99	6621.76		8732.87	15399.01
1999-2000				
20.4.99	6882.15			
6.10.99	9634.60			
23.3.2000		4501.40	10845.55	
2000-2001				
30.9.2000	11934.60	7001.40	13028.65	18999.01
22.11.2000		6110.00	12426.76	

नोट:

भंडारण स्थल तक के मूल्यों में शुल्क, भाड़ा और अन्य स्थानीय उद्ग्रहण आदि सम्मिलित नहीं है।

एमएस और एच एस डी ग्रेडों के लिए उपर्युक्त के अलावा विभिन्न भंडारण स्थल मूल्यों के साथ एम एस ए के आई (89 आर ओ एन 0.05 प्रतिशत गंधक), एम एस-ए के आई (89 आर ओ एन 0.05 प्रतिशत गंधक और 1 प्रतिशत बैंजीन) और एच एस डी (0.05 प्रतिशत गंधक) को 2000-2001 के दौरान महानगरों में आरंभ किया गया।

[अनुवाद]

तेल-शोधनशालाओं का विस्तार (नौवीं योजना)

1956. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना के दौरान सरकार का कुछ तेल-शोधनशालाओं के विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) रिफाइनरी क्षमता विस्तार, जिनकी पहचान 9वीं योजना के दौरान पूरा करने के लिए की गई थी, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम रिफाइनरी क्षमता विस्तार परियोजनाएं

	क्षमता मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एम.एम.टी. पी.ए.) में
इंडियन आयल कार्पोरेशन बरौनी क्षमता विस्तार (चरण-1)	0.90
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, विशाख, क्षमता विस्तार	3.00

इंडियन आयल कार्पोरेशन, कोयाली, क्षमता विस्तार	3.00
इंडियन आयल कार्पोरेशन, मथुरा क्षमता विस्तार	0.50

संयुक्त उद्यम रिफाइनरी क्षमता विस्तार परियोजनाएं

एम.आर.पी.एल. मंगलौर	6.00

(ग) उपर्युक्त सभी 5 रिफाइनरियों की क्षमता विस्तार परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं।

कंधार ले जाए गए अपहृत विमान से संबंधित जांच रिपोर्ट

1957. **श्री शिवाजी माने:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्ष ''इंडियन एयरलाइन्स'' के विमान का अपहरण करके उसे कंधार ले जाने की घटना की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों, उक्त घटना में संलिप्त व्यक्तियों तथा इस संबंध में की गई गिरफ्तारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस जांच के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) जी हां, दिनांक 24.12.1999 के इंडियन एयरलाइंस उड़ान आई.सी.-814 के अपहरण की जांच पूरी हो गई है। इसके अलावा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) के अन्तर्गत फरार दोषी व्यक्तियों का पता लगाने और विदेशों से औपचारिक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए जांच निरन्तर चल रही है।

(ख) अपहरण रोधी अधिनियम 1982 के अन्तर्गत नामित न्यायालय, न्यायाधीश की अदालत में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सात पाकिस्तानी राष्ट्रीय (पांच अपहरणकर्त्ता और उनके दो साथी) सहित 10 दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध 21.6.2000 को जार्च शीट फाइल की है।

न्यायालय ने सात फरार पाकिस्तानी राष्ट्रियक दोषियों के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं और इसे फ्रांस में इंटरपोल मुख्यालय तथा इंटरपोल इस्लामाबाद पाकिस्तान को दोषियों का पता लगाने के लिए भेज दिया गया है। दोषियों का पता लगाने के लिए राजनयिक चैनल के माध्यम से भी प्रयास किए जा रहे हैं।

मुम्बई (भारतीय) का दोषी अब्दुल लतीफ, युसुफ नेपाली (नेपाल) और दिलीप कुमार भूजेल (भारतीय) को भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है और वे न्यायिक हिरासत में हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई में एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डा

1958. **श्री विलास मुत्तेमवार:**
श्री गुनीपाटी रमैया:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में मुम्बई के निकट रेवास-मांडवा में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो मुम्बई में इस दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे का निर्माण करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार को, इसके निर्माण-स्थल और इसके लिए उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाओं के संबंध में महाराष्ट्र के शहर और औद्योगिक विकास निगम से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) से (ङ) राज्य सरकार ने नवी मुम्बई में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए शहरी और औद्योगिक विकास निगम (सीडको) का एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके अलावा दूसरे धावनपथ के निर्माण के लिए भी नवी मुम्बई में अतिरिक्त भूमि की व्यवस्था पर विचार किया गया है। सिडको से प्राप्त प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निदेश दिया गया है।

आमान-परिवर्तन

1959. **श्री प्रभुनाथ सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:
श्री वी.एस. शिवकुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मीटर लाइन और छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) इस समय मीटर लाइन और छोटी लाइन की जोन/राज्य-वार मौजूदा लम्बाई कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन मीटर लाइनों और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया गया/उनका ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय किया गया;

(घ) चालू आमान-परिवर्तन कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) अगले तीन वर्षों के दौरान जिन मीटर लाइनों और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जाना है उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) उस पर कितना अनुमानित व्यय आएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (च) स्थिति निम्नानुसार है:

(क) एक-आमान परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत आमान परिवर्तन आरंभ किए जाने वाल मार्गों की स्वीकृति के लिए अपनायी गई नीति निम्नानुसार है:-

(1) वैकल्पिक ब.ला. मार्गों को विकसित करने के लिए आमान परिवर्तन करना जिससे इन मार्गों पर मौजूद ब.ला. लाइनों के दोहरीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाए।

(2) अन्य ब.ला. लाइनों से जुड़े हुए स्टेशनों के बीच नए ब.ला. संपर्क स्थापित करना।

(3) विकास की संभावना रखने वाले पत्तनों, औद्योगिक केन्द्रों और स्थलों के लिए ब.ला. संपर्क स्थापित करना।

(4) सामरिक दृष्टि से अपेक्षित लाइनों का आमान परिवर्तन आरंभ करना।

(5) यानांतरण को न्यूनतम बनाना और यानांतरण बिंदुओं पर विलंब से बचकर माल डिब्बों के फेरों में सुधार करना।

(6) उपर्युक्त नीति के अनुसार न्यूनतम लागत पर लाइनों का आमान परिवर्तन करना लेकिन फिर भी एक ऐसी मानक सेवा प्रदान करना जो मीटर लाइन पर रेल उपयोगकर्ताओं को पहले प्राप्त हो रही से निम्नतर न हो।

(ख) इस समय भारतीय रेलों पर 15054 कि.मी. मीटर लाइनें और 3363 कि.मी. छोटी लाइनें उपलब्ध हैं। जोन वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

जोन	मीटर लाइन	छोटी लाइन
मध्य रेलवे	–	861
पूर्व रेलवे	–	133
उत्तर रेलवे	1671	261
पूर्वोत्तर रेलवे	2758	–
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	2105	87
दक्षिण रेलवे	2570	–
दक्षिण मध्य रेलवे	1481	–
दक्षिण पूर्व रेलवे	–	1145
पश्चिम रेलवे	4469	876
जोड़	15054	3363

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आमान परिवर्तित मीटर छोटी लाइनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में अंतर्विष्ट है। उल्लिखि अवधि के दौरान आमान परिवर्तन पर 2632 करोड़ रुपए की र खर्च की गयी थी।

(घ) यह सूचना संसद में प्रस्तुत बजट प्रलेखों में पहले ही शामिल है।

(ङ) और (च) ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

नौवीं योजना में आमान परिवर्तन की स्थिति

1997-98 पूरे हो गए खंड	कि.मी.	जोन	राज्य	1998-99 पूरे हो गए खंड	कि.मी.	जोन	राज्य	1999-2000 पूरे हो गए खंड	कि.मी.	जोन	राज्य
हासन-सकलेशपुर	42	दरे	कर्नाटक	तांबरम-त्रिची	309	दरे	तमिलनाडु	यशवंतपुर-यैव्यापनाहल्ली	17	दरे	कर्नाटक
मैसूर-होलेनरसीपुर	87	दरे	कर्नाटक	दिंडीगुल-त्रिची	89	दरे	तमिलनाडु	करकोय्यम-चेंगलपट्टू	63	दरे	तमिलनाडु
बछवाड़ा-हाजीपुर	71	पूर्वोत्तर	बिहार	जोरहाट-मरियानी	17	पूसी	असम	मोरबी-मलिया मियाना और दहिनसरा से नौलखी	68	परे	गुजरात
कोलार-बंगारपेट छो.ला.	18	दरे	कर्नाटक	शिवसागर-मोरनहाट	38	पूसी	असम	काशीपुर-लालकुआं	58	पूर्वोत्तर	उ.प्र.
त्रिची-तंजावर	50	दरे	तमिलनाडु	नरकटियागंज-गोरखपुर	159	पूर्वोत्तर	उ.प्र./बिहार	पंढरपुर-कुर्डुवाडि	54	मरे	महाराष्ट्र
जोधपुर-मारवाड़	103	उरे	राजस्थान	बाबूपेट-बल्लारशाह	11	दमरे	महाराष्ट्र	जोड़	260		
नागभीड़-चांदाफोर्ट छो.ला.	111	दपूरे	महाराष्ट्र	सोलापुर-होटगी	15	दमरे	महाराष्ट्र				
होटगी-बीजापुर	97	दमरे	कर्नाटक और महाराष्ट्र	इंदरा-फेफना	52	पूर्वोत्तर	उत्तर प्रदेश				
जोरहाट-फरकाटिंग लूप	67	पूसी	असम	जोड़	690						
सिमलगुड़ी-शिवसागर	16	पूसी	असम								
द्रोणचेल्लम-मेहबूबनगर	185	दमरे	आंध्र प्रदेश								
जोड़	847										

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल आमान परिवर्तन: 1797 कि.मी.

मारे गए सेनाकर्मियों के परिवारों को मुआवजे के भुगतान में असमानता

1960. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, अन्य राष्ट्रों के विरुद्ध युद्धों में मारे गए सशस्त्र बलों के कर्मियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के तरीके भिन्न-भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शहीदों का सम्मान करने में भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या 24 सितंबर, 2000 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में यथा प्रकाशित समाचार के अनुसार, 22 अगस्त, 2000 को कश्मीर घाटी में एक कार्रवाई के दौरान मारे गए सेना के एक कैप्टन के नई दिल्ली में हुए अंतिम संस्कार में, सेना अथवा सरकार की तरफ से कोई उपस्थिति नहीं थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय सेना की प्रथा और परंपराओं के अनुसार कैप्टन के पार्थिव शरीर को संपूर्ण सैन्य सम्मान के साथ दफनाया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बांग्लादेश में माल-आवाजाही नेटवर्क का विस्तारण

1961. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बांग्लादेश में माल-आवाजाही नेटवर्क के विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) भारत और बांग्लादेश के बीच में निम्नलिखित चार रेल लिंक पहले से ही मौजूद हैं:-

गेडे (भारत) - दरसाना (बांग्लादेश) - ब.ला.

सिंहाबाद (भारत) - रोहनपुर (बांग्लादेश) - ब.ला.

राधिकापुर (भारत) - रोहनपुर (बांग्लादेश) - मी.ला.

महिसासन (भारत) - शाहबाजपुर (बांग्लादेश) - मी.ला.

(ग) भारत-बांग्लादेश के बीच यातायात को बढ़ावा देने के लिए पैट्रापोल-बेनापोल के बीच एक नई लाइन चालू कर दी है।

[हिन्दी]

मच्छरदानियों की खरीद में घोटाला

1962. **श्री रामदास आठवले**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 5 नवंबर, 2000 के 'राष्ट्रीय सहारा', नई दिल्ली संस्करण में यथा प्रकाशित सशस्त्र-बलों के लिए मच्छरदानियों की खरीद में किए गए कथित घोटाले की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) जी, हां। मैसर्स नवभारत वाणिज्य उद्योग, कलकत्ता और मैसर्स प्राह्लाद राय सतनारायण एंड कंपनी प्राइवेट लि., कलकत्ता को 30.4.1997 को क्रमश: 2,68,76,250/- रुपये और 3,23,10,000/- रुपये के मूल्य के 1,25,000 और 1,50,000 सामान्य खाकी चौकोर मच्छरदानियों के लिए आदेश प्रस्तुत किए गए थे। इन दोनों फर्मों ने वरिष्ठ गुणता आश्वासन स्थापना (जी.एस.), कलकत्ता की स्वीकृति के बाद 18.8.97 और 22.10.97 के बीच आयुध डिपो, कलकत्ता को सामान की पूरी सप्लाई कर दी थी। उसके बाद 1.80 करोड़ रुपए मूल्य की मच्छरदानियां परेषिती द्वारा नामंजूर कर दी गई क्योंकि वे विनिर्देश के अनुरूप नहीं बनी थीं।

गुणता आश्वासन महानिदेशक द्वारा वास्तविकता का पता लगाने के लिए कराई गई जांच से यह पता चला कि घटिया सामान स्वीकार करने में कतिपय गुणता आश्वासन चूकें/अनियमितताएं बरती गई हैं।

(घ) चूक के लिए उत्तरदायी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध पहले ही अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। पूर्तिकार को उसका पंजीकरण समाप्त करने और उसे भविष्य में आदेश प्रस्तुत करने पर रोक लगाए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। फर्म ने उच्च न्यायालय, कलकत्ता में मुकदमा दायर किया है और पंजीकरण रद्द किए जाने और आदेश प्रस्तुत करने पर रोक लगाए जाने के विरुद्ध स्थगनादेश ले लिया है।

[अनुवाद]

बम-विस्फोट की घटनाओं में संलिप्त वायुसेना अधिकारी

1963. **श्री दिनेश चंद्र यादव:**
श्री रामजीवन सिंह:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुप्तचर कोर के कर्मियों ने इस वर्ष मई-जून में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा के गिरजाघरों में श्रृंखलाबद्ध तरीके से किए गए विस्फोटों की जांच की है और भारतीय वायुसेना के एक जूनियर वारण्ट अधिकारी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. के साथ कथित संबंध रखने तथा उस देश को कुछ संवेदनशील प्रकृति के रक्षा-दस्तावेज भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व में भी, सेना के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों के आई.एस.आई. से संबंध रखने का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां। जूनियर वारंट अफसर, एच. सैय्यद को कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गोवा में एक के बाद एक बम विस्फोटों के मामलों में कथित रूप से संलिप्त होने के कारण कर्नाटक पुलिस (कोर ऑफ डिटेक्टिव) ने उन्हें 8 अगस्त, 2000 को गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी के

बाद इस जूनियर वारंट अफसर ने पाकिस्तानी एजेंटों को वर्गीकृत सूचना देने की बात स्वीकारी थी।

(ख) से (घ) किसी भी सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. के साथ संलिप्तता की बात जानकारी में नहीं है और विगत में किसी भी सैन्य अधिकारी को इस एजेंसी के साथ संपर्क होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया है। तथापि, एक सैन्य अधिकारी जिसपर भ्रष्टाचार के लिए सैनिक अदालत द्वारा 1995 में मुकदमा चलाकर सेना से बर्खास्त कर दिया गया था, को 5 सितंबर, 2000 को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. के साथ संलिप्तता के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस/आसूचना ब्यूरो द्वारा लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था। जूनियर वारंट अफसर एच. सैय्यद इस समय न्यायिक हिरासत में है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने, जो कि इस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है, कानून के संगत प्रावधानों के अंतर्गत मामले में आरोप-पत्र दायर कर दिया है।

आंध्र प्रदेश में रेल-परियोजनाओं का क्रियान्वयन

1964. **श्री तिरूनावक्करसू:**
डा. ए.डी.के. जयशीलन:
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में क्रियान्वयनाधीन विभिन्न रेल-परियोजनाओं का ब्यौरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है एवं अब तक कितनी खर्च हुई है;

(ख) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए आवंटन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इनको पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चेन्नई-कन्याकुमारी रेल लाइन के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पटुक्कोट्टै-तंजाउर रेल लाइन के निर्माण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश में चल रही विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का ब्यौरा और उनकी वर्तमान स्थिति तथा मार्च 2000 तक व्यय तथा 2000-2001 के लिए परिव्यय का विवरण संलग्न है। परियोजना के कार्य को पूरा करने में तेजी के लिए किए गए उपायों तथा लक्ष्य तिथि, जहां कहीं भी निर्धारित की गई है, को प्रत्येक परियोजना की स्थिति में दर्शाया गया है। परियोजनाओं के लिए आवंटन, निधियों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कम कर दिया जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) पटुक्कोट्टै-तंजाऊर के बीच नई रेल लाईन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना	लागत	मार्च, 2000 तक हुआ खर्च (करोड़ रुपयों में)	बजट परिव्यय 2000-2001	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6
	आंध्र प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाएं				
नई लाइनें					
1.	कोटापल्ली-नरसापुर	330.00	0.00	1.00	2000-2001 के बजट में शामिल किया गया नया कार्य अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
2.	पुट्टापर्ती के रास्ते धर्मावरन पेनूकोडा	124.22	15.20	20.00	पनूकोंडा से पुट्टापर्ती तक चरण-1 का कार्य पूरा हो गया है और इसे यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। धर्मावरम-पुट्टापर्ती तक चरण-2 में छोटे पुल और मिट्टी संबंधी कार्य अच्छी प्रगति पर है। 550 मीटर लंबी सुरंग पूरी कर ली गई है और लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है।
3.	गडवाल-रायचूर	100.41	4.22	5.00	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया गया है। विस्तृत अनुमान स्वीकृत होने के बाद भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य शुरू किया जाएगा।
4.	काकीनाडा-कोटापल्ली	50.89	0.00	1.00	आवश्यक स्वीकृतियां अभी प्राप्त करनी हैं। उखाड़ी गई लाइनों से विनिर्मुक्त हुई भूमि जिन पर भारी मात्रा में निर्माण किए गए हैं, के बदले राज्य सरकार द्वारा भूमि नि:शुल्क सौंपी जाएगी।
5.	काकीनाडा-पितापुरम	41.66	0.00	0.10	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। इस कार्य को अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा।
6.	मचेरला-नलगौंडा	125.09	1.70	0.10	आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भूमि अधिग्रहण के कार्य को विनियमित किया जाएगा। भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।
7.	मुनीराबाद-महबूबनगर	438.96	4.36	4.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 26 कि.मी. भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। दोहरे भाग के लिए मिट्टी और छोटे पुलों संबंधी निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और इन भागों पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
8.	नांदयाल-येरागुटला	184.36	2.87	2.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है तथा प्रथम 46 कि.मी. भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे तैयार कर लिए गए हैं और राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं। राज्य सरकार के पास 1.68 करोड़ रुपए भी जमा करा दिए गए हैं। भूमि उपलब्ध होने के बाद यह कार्य शुरू किया जाएगा।
9.	पेदापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद	264.14	39.24	20.00	यह कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। चरण-1: पेदापल्ली से करीम नगर: कार्य पूरा हो गया है और इसे माल यातायात के लिए खोल दिया गया है। दूरसंचार संबंधी कार्य प्रगति पर है और इनके पूरा होने के बाद इसे यात्री यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। चरण-2: करीम नगर-निजामाबाद यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति पर है।
आमान परिवर्तन					
1.	धर्मावरम-पकाला	251.22	0.00	0.10	इस कार्य को आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा।

1	2	3	4	5	6
2.	गुंटूर गुंतकल और गुंतकल-कल्लूरू	460.97	438.28	10.50	गुंटूर से गुंतकल पूरा हो गया है। गुंतकल कल्लुरू डांड से संरेखण तथा ढलावों में आशोधनों का आकलन किया जा रहा है।
3.	काठपाड़ी पकाला-तिरूपति	173.50	25.14	12.00	19 बड़े पुलों में से 15 पुल पूरे हो गए हैं और 4 प्रगति पर हैं। समूचे खंड में मिट्टी और मिट्टी आपूर्ति संबंधी कार्य भी अच्छी प्रगति (60%) पर है। कार्य अच्छी गति से चल रहा है और यह संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।
4.	मुदखेंड-आदिलाबाद	117.96	7.75	2.00	इस कार्य को बोल्ट योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। वित्तीय समस्याओं के कारण एजेंसी इस कार्य की काफी समय बाद भी प्रगति करने में समर्थ नहीं हुई है। एजेंसी ने वित्त व्यवस्था के लिए मैसर्स हुडको के साथ सहयोग किया है। यदि वित्त उपलब्ध होता है तो इस परियोजना के 18 महीनों में पूरा होने की संभावना है।
5.	नौपाड़ा-गुनुपुर	66.35	0.04	5.10	आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद इस कार्य को शुरू किया जाएगा।
6.	सिकंदराबाद-द्रोणाचलम	343.73	332.59	5.00	यह कार्य पूरा हो गया है।
7.	सिकंदराबाद-मुदखेड और जखमपेट बोधन	287.83	17.52	20.00	इस कार्य को पहले चरण के रूप में मुदखेड-निजामाबाद (96 कि.मी.) खंड में शुरू किया गया है। मिट्टी, मिट्टी प्रापण तथा छोटे पुलों से संबंधित कार्य प्रगति पर है। यह चरण 2001-2002 में पूरा हो जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।
दोहरीकरण					
1.	गुटी-रेणिगुंटा खंड बालापल्ले-पुल्लमपेट खंड का दोहरीकरण	48.00	0.00	1.00	2000-2001 के बजट में शामिल नया कार्य है। योजना एवं अनुमान तैयार करने शुरू कर दिए गए हैं।
2.	गजपतिनगरम्-विजयानगरम्	41.92	40.92	1.00	कार्य पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
3.	गुडुर-रेणिगुंटा	142.55	15.60	17.00	मिट्टी संबंधी, चार ब्लॉक खंडों के लिए छोटे पुलों, गुडुर से 2 तथा रेणिगुंटा छोर से 2 ठेके प्रदान किए जा चुके हैं। शेष को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। फिलहाल कार्य के पूरा करने का लक्ष्य 2001-2002 है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

1	2	3	4	5	6
4.	हॉस्पेट-गुंतकल (आमान परिवर्तन)	154.14	17.58	1.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। इस परियोजना की प्रगति तीव्र करने के उद्देश्य से बोल्ट के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है।
5.	विजयवाड़ा-कृष्णा कैनल तीसरी लाइन	44.31	17.43	14.00	कृष्णा नहर की अवसंरचना पर दूसरा रेलपथ की व्यवस्था करके कृष्णा कैनल और विजयवाड़ा के बीच तीसरी लाइन का प्रस्ताव है जिसके लिए मुख्य संरचना के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। मिट्टी संबंधी और अन्य बड़े पुलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
6.	विकाराबाद-तांपूर (बाडी) सिकंदराबाद खंड)	90.56	82.18	1.00	कार्य पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है।
7.	व्हाईटफील्ड-कुप्पन	104.93	75.23	4.00	कार्य प्रगति पर है और व्हाईटफील्ड से बंगारपेट तक प्रथम श्रेणी का कार्य पूरा हो गया है और खोल दिया गया है। बंगारपेट से कुप्पम तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है।
रेल विद्युतीकरण					
1.	भुवनेश्वर-कोट्टवलासा	293.96	147.40	49.93	कार्य प्रगति पर है और मार्च, 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मार्च, 2000 तक 260 कि.मी. ऊर्जित हो गया है।
2.	रेणिगुंटा-गुंतकल	168.34	4.26	5.08	यह कार्य नवम्बर, 1998 में पुन: चालू किया गया है। आरंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। लक्ष्य तिथि मार्च, 2004 है, बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

शायिका-घोटाला

1965. श्री अखिलेश यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शायिका-घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस जांच से क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) जिले-वार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) किस व्यक्ति/एजेंसी से सरकार इस घोटाले में घोटाला राशि की वसूली करेगी और इसे किस प्रकार किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) स्लीपरों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में प्राप्त शिकायत और प्रिंट मीडिया में छपी, कुछ रिपोर्टों के आधार पर सितंबर, 2000 में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक जांच करने के आदेश दिये गये हैं।

(ख) से (घ) मामले की अभी भी जांच-पड़ताल की जा रही है।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की धीमी प्रगति

1966. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री कमलनाथ:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की प्रमुख पर्यटक-स्थलों के विकास में प्रगति धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थलों को चुना गया है और इस संबंध में विलम्ब में क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और इस अवधि के दौरान कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपे गए विकास-कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की लखनऊ विमानपत्तन तथा प्रमुख पर्यटक स्थलों जिनमें आगरा, जयपुर, लेह और खजुराहो शामिल है पर कार्य प्रगति धीमी रही है; और

(च) इन परियोजनाओं के संबंध में तत्काल उपाय करने के वास्ते निर्णय लेने के लिए भारतीय विमानपत्तन के प्राधिकरण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) विकास के लिए चुने गए प्रमुख पर्यटक स्थल निम्नांकित हैं- उत्तरी क्षेत्र में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गग्गल, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, आगरा और बनारस हैं और पूर्वी क्षेत्र में गया, पटना, भुवनेश्वर और बागडोगरा हैं तथा पश्चिमी क्षेत्र में औरंगाबाद और गोवा, और दक्षिणी क्षेत्र में तिरूपति, मदुरै, त्रिची और पांडिचेरी हैं। इन हवाई अड्डों पर विकास कार्यों की प्रगति धीमी नहीं है।

(ग) अमृतसर, पोर्टब्लेयर, लेह हवाई अड्डे के विकास, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 1998-1999 और 1999-2000 दोनों में से प्रत्येक वर्ष के लिए 25 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गई थी। यद्यपि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 1998-1999 में 48.33 करोड़ रु. और वर्ष 1999-2000 में 52.12 करोड़ रु. व्यय किया है। अन्य परियोजनाओं के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने संसाधनों से व्यय करता है।

(घ) विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति को मॉनिटर करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में परियोजनाओं पर निगरानी के लिए एक विभाग बनाया गया है। यह विभाग शिनाख्त करती है सावधिक परियोजना के प्रबोधन की बैठकें आयोजित करती है तथा विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के क्रम में आनेवाली बाधाओं को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का सुझाव देती है और उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित इंजिनियरिंग विभाग को अग्रिम जानकारी देती है।

(ङ) और (च) जी नहीं, भूमि लेने में हुए विलंब और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नियंत्रण से परे अन्य कारकों को छोड़कर किए जाने वाले अन्य सभी कार्यों की गहन मॉनिटरिंग की जाती है ताकि निर्धारित तारीख के अनुसार कार्य को शीघ्र समाप्त किया जा सके। जब कभी भी जरूरत हो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस मुद्दे को संघ सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य प्राधिकारियों के साथ उठाती है ताकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भू-अर्जन, अतिक्रमण हटाने, विद्युत की आपूर्ति, सड़क के विचलन, सम्पर्क सड़कों के निर्माण आदि की व्यवस्था की जा सके।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

1967. **श्री सुकदेव पासवान:**
श्रीमती कांति सिंह:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा अभी भी अपने राज्यों में मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाना शेष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में आयोग द्वारा मानवाधिकारों से संबंधित जिन मामलों की जांच की गई उनका ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखी दी जाएगी।

बंडेल-कटवा रेल-लाइन का दोहरीकरण

1968. **श्री महबूब जहेदी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी रेल की बंडेल-कटवा रेल-लाइन के दोहरीकरण हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य के कब तक प्रारंभ हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण के परिणाम से पता चला है कि 105 किमी. लंबी लाइन के दोहरीकरण की लागत 208.41 करोड़ रुपये है।

भारतीय सहायता से लिट्टे-विरोधी कार्रवाई

1969. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:**
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका ने लिट्टे-विरोधी कार्रवाई में भारत की सहायता मांगी है- जैसा कि 6 नवंबर, 2000 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(ग) भारतीय नौसेना प्रमुख और श्रीलंकाई नौसेना के वाइस-एडमिरल के बीच हुई चर्चा की मुख्य विशेषताएं क्या थीं और उसमें क्या निर्णय लिये गये?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) श्रीलंका की ओर से लिट्टे विरोधी संक्रियाओं में भारत की सहायता लिए जाने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

2. श्रीलंका के नौसेना प्रमुख का दौरा एक नेमी औपचारिक दौरा था। श्रीलंका की नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच प्रशिक्षण, सद्भावना दौरों आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिए दोनों देशों के नौसेनाध्यक्षों में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

कम्पनी विधि बन्दोबस्त योजना

1970. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने कम्पनी-रजिस्ट्रारों को उन कम्पनियों को दण्डित करने हेतु अनुदेश जारी किए हैं, जिन्होंने कम्पनी कानूनविधि योजना-2000 का पालन नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में रजिस्ट्रारों द्वारा ऐसी कितनी कम्पनियों को दण्डित किया गया है;

(ग) क्या इस योजना का प्रचार अधिक नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उस योजना के अन्तर्गत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कम्पनियों को कितनी बार समय-वृद्धि प्रदान की गई?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने एक फास्ट ट्रैक धारा 560 योजना आरम्भ की है जो 25.12.2000 को समाप्त हो रही है। इस योजना की अवधि पूरी होने के बाद अभियोजन शुरू किए जाएंगे।

(ग) और (घ) योजना का पैम्पलेटों, नोटिसों, प्रेस विज्ञप्तियों, गोष्ठियों और भारतीय चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स संस्थान, भारतीय लागत एवं संकर्म लेखापाल संस्थान तथा भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान और पूरे भारत वर्ष के विभिन्न वाणिज्यिक चैम्बरों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था।

(ङ) 31.8.2000 को कम्पनी लॉ सेटलमेंट योजना, 2000 के समाप्त होने पर 30.9.2000 तक इसे बढ़ाया गया था।

उड़ीसा में स्मारकों का संरक्षण

1971. **श्री त्रिलोचन कानूनगो:**
श्री मोहन रावले:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में उन स्मारकों की पहचान की है, जिनका समुचित संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो ये स्मारक कौन-कौन से हैं और 2000-2001 के दौरान उनके संरक्षणार्थ कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोणार्क के सूर्य-मंदिर, पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर तथा भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मन्दिर के पुनरुद्धार/अनुरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए और इस कार्य पर वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) क्या उनके संरक्षण के लिए किसी दूसरे देश को आमंत्रित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण करना एक सतत्

प्रक्रिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, उड़ीसा में संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास के लिए अभिनिर्धारित किए गए 12 स्मारकों के लिए 43.09 लाख रुपये का आबंटन किया गया है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित स्मारकों के रखरखाव, संरचनागत संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास पर किया गया व्यय निम्न-प्रकार है:-

सूर्य मंदिर, कोणार्क

1997-98	8,68,340 रुपए
1998-99	9,95,847 रुपए
1999-2000	10,92,113 रुपए

भगवान जगन्नाथ मंदिर, पुरी

1997-1998	11,00,170 रुपए
1998-1999	6,12,270 रुपए
1999-2000	12,06,303 रुपए

लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर

1997-1998	3,43,079 रुपए
1998-1999	3,78,212 रुपए
1999-2000	3,41,873 रुपए

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उड़ीसा राज्य में संरचनागत संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास के लिए अभिनिर्धारित स्मारकों के नाम

क्रम सं.	स्मारक का नाम	स्थान	जिला	धनराशि रुपये
1.	भृगेश्वर महादेव मंदिर	बाजराकोट	अंगुल	100,000
2.	बौद्ध स्थल	ललितगिरि	कटक	200,000
3.	-वही-	उदयगिरि	जाजपुर	300,000
4.	दक्ष प्रजापति मंदिर	बानापुर	खुर्दा	270,000
5.	भगवान लिंगराज मंदिर	भुवनेश्वर	खुर्दा	100,000
6.	भास्करेश्वर मंदिर	,,	,,	100,000
7.	अशोक शिलालेख	धौली	,,	300,000
8.	पापनाषिणी हौज	भुवनेश्वर	,,	770,000
9.	भगवान जगन्नाथ मंदिर	पुरी	पुरी	795,000
10.	सूर्य मंदिर	कोणार्क	,,	1,024,000
11.	बौद्ध स्थल	रत्नागिरि	जाजपुर	300,000
12.	उदयगिरि-खंडगिरि	जगमारा (भुवनेश्वर)	खुर्दा	150,000
		कुल		4,309,000

24 घण्टे रेल-आरक्षण

1972. **श्री ए. ब्रह्मनैया**: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग का, देश के प्रमुख रेल-स्टेशनों पर 24 घण्टे रेल-आरक्षण सुविधा वाले पटल खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बुकिंग तथा रद्दकरण की सुविधा सप्ताह के सभी दिवसों में प्रात: 08.00 बजे से रात्रि में 20.00 बजे तक उपलब्ध रहती है। रविवार को यह सुविधा 08.00 बजे से 14.00 बजे तक उपलब्ध रहती है। इसके अलावा, करंट दिन की गाड़ियों के लिए करंट काउंटर पर धन वापसी की सुविधा भी कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर 04.30 बजे से 23.30 बजे तक उपलब्ध रहती है। यह व्यवस्था इस समय पर्याप्त समझी जाती है।

सेना के चयन-मानदण्डों में पारदर्शिता

1973. **श्री नरेश पुगलिया**: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी (आई.एम.ए.) में, इस वर्ष दो कैडेटों द्वारा कथित रूप से की गई आत्महत्या ने भारतीय सेना द्वारा अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया को खासी चर्चा का विषय बना दिया है- जैसा कि 8 सितंबर, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें छपे समाचारों का तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सेना के चयन-मानदण्डों को सुकर बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) सेना में अपनाई गई चयन प्रणाली समयसिद्ध है तथा कुल मिलाकर एक श्रेष्ठतम प्रणाली है। इस प्रणाली का सतत् मूल्यांकन करके इसमें निरंतर संशोधन किया जाता है। साक्षात्कार मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित है तथा पांच दिनों तक लिया जाता है। केंद्रों पर तैनात करने से पूर्व, सेवा चयन बोर्डों में तैनात अफसरों अर्थात् साक्षात्कारकर्त्ता अफसरों, मनोवैज्ञानिकों तथा समूह परीक्षा अफसरों का, विशेष रूप से चयन किया जाता है तथा प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि, इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं तथा जांच-कार्य पूरा हो जाने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

करों को युक्तिसंगत बनाना

1974. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी**: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में करों को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के मतानुसार विभिन्न राज्यों में कर-दरें अत्यधिक भिन्नताएं दर्शाती है, जिससे इस क्षेत्र के विकास में गतिरोध उत्पन्न होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या करों के युक्ति-संगतीकरण प्रस्ताव को अंतर-राज्यीय परिषद द्वारा मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) पर्यटक परिवहन क्षेत्र और होटल उद्योग क्षेत्र में करों को तर्कसंगत बनाने के मुद्दे पर राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में, परिवहन विकास परिषद में, अंतर्राज्यीय परिषद की क्षेत्रीय बैठक में तथा अन्य विभिन्न मंचों पर चर्चा की गयी है क्योंकि इस मुद्दे के कारण भारत में पर्यटन के विकास तथा संवर्धन में बाधा आ रही है। इस मुद्दे पर राज्य सरकारों के साथ अब तक आम सहमति नहीं बन पाई है।

[हिन्दी]

न्याय में विलंब

1975. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली**: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न उच्च-न्यायालयों में विधिक मामलों में एक लंबे समय तक निर्णय सुरक्षित रखने के बाद उन्हें सुनाया ही नहीं जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विलंब के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए नियम/अधिनियम बनाने का है जिससे कि जिरह पूरी हो जाने के पश्चात् एक निर्धारित अवधि के भीतर ही निर्णय दे दिया जाए?

विधि, न्याय और कार्य कंपनी मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) विलंब हुए निर्णयों के कुछ मामले नि:संदेह, ध्यान में आए हैं। चूंकि निर्णय देना न्यायाधीशों के न्यायिक कृत्यों का एक भाग है अत: सरकार इस विषय में प्रत्यक्षरूप से हस्तक्षेप नहीं करती है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार, न्यायालय द्वारा तुरंत अथवा उस तारीख से जिसको मामले की सुनवाई समाप्त हुई थी, पन्द्रह दिन के भीतर निर्णय सुनाए जाने के लिए हर प्रयास किया जाएगा। यदि निर्णय 30 दिन के भीतर नहीं सुनाया जाता है तो न्यायालय विलंब के लिए कारण अभिलिखित करेगा और आगामी तारीख नियत करेगा जिसको निर्णय सुनाया जाएगा।

''बकाया मामला संबंधी समिति'' ने भी यह सिफारिश की है कि उच्च न्यायालयों द्वारा आरक्षित निर्णय, मामूली तौर पर, बहस पूरी हो जाने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर सुना दिए जाने चाहिए। सिफारिशें, उसी समय, आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी उच्च न्यायालयों को भेज दी गई हैं।

उड़ानों को रद्द करना

1976. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छह महीनों के दौरान जयपुर, जोधपुर, मुम्बई के लिए उड़ानें कितनी बार देर से पहुंची या छूटी;

(ख) जयपुर-जोधपुर की उड़ानें कितनी बार रद्द कर दी गई और उसके क्या कारण है;

(ग) ऐसी उड़ानों के उतरने-उड़ने में विलम्ब और उनके रद्द करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है;

(घ) क्या सरकार इस मामले में जांच करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस जांच को कब तक करवाए जाने की सम्भावना है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) मई, 2000 से अक्तूबर, 2000 तक की अवधि के दौरान दिल्ली/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/मुम्बई मार्गों पर एलाइन्स एयर की उड़ानों की संख्या में निम्न प्रकार से विलंब हुआ था:-

	दिल्ली से होकर			मुम्बई से होकर		
	प्रस्थान	विलंब	रद्द	प्रस्थान	विलंब	रद्द
मई, 2000	31	12	–	31	9	–
जून, 2000	30	12	–	30	8	–
जुलाई, 2000	31	12	–	30	8	–
अगस्त, 2000	31	16	–	31	23	2
सितम्बर, 2000	30	8	–	30	16	–
अक्तूबर, 2000	31	2	–	31	19	–
कुल	184	62	–	183	83	2

(ख) दिल्ली से कोई उड़ान रद्द नहीं की गई थी। मई, 2000 से अक्तूबर, 2000 की अवधि के दौरान मुम्बई से केवल दो उड़ानें रद्द की गई थी।

(ग) इन उड़ानों के रद्द होने और विलंब का मुख्य कारण अनुषांगिक और तकनीकी खराबी था।

(घ) से (च) सरकार नियमित आधार पर इंडियन एयरलाइंस के कार्य निष्पादन की समीक्षा करती है जहां एयरलाइन के समय पर कार्य निष्पादन की भी जांच की जाती है। क्षेत्रीय स्तर पर और मुख्यालय के स्तर पर भी इंडियन एयरलाइंस के वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन द्वारा इंडियन एयरलाइंस के इस विलंबों के अलावा विलंबों के कारणों का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए जांच की जाती है और नियंत्रण-योग्य किस्म के विलंबों पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है ताकि अनावश्यक विलंबों से बचा जा सके। दैनिक आधार पर ऐसी समीक्षाएं की जाती हैं।

[अनुवाद]

सूती मिलों की उत्पादन लागत

1977. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आधुनिक सूती प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा निजी उद्यमियों के साथ प्रतियोगिता करने हेतु सूती मिलों विशेषकर राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों में उत्पादन लागत घटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) सरकार ने कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की है, जिससे वस्त्र मिलों को कोटि की कपास की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कपास प्रौद्योगिकी मिशन में चार लघु मिशन निहित हैं अर्थात् लघु मिशन 1 और 2, जिनके उद्देश्य 'अनुसंधान' करना और 'किसानों को प्रौद्योगिकी की जानकारी देना' है, कृषि मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं और लघु मिशन 3 और 4, जिनके उद्देश्य ''बाजार इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार'' लाना और 'जिनिंग और प्रैसिंग फैक्टरियों का आधुनिकीकरण' करना है, वस्त्र मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) सरकार ने एन.टी.सी. मिलों सहित वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता और समग्र अर्द्धक्षमता को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें से कुछेक मुख्य कदम निम्नानुसार हैं:-

(1) सूची वस्त्र उद्योग सहित वस्त्र और पटसन उद्योगों का आधुनिकीकरण करने के लिए 1 अप्रैल, 1999 से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) शुरू की है।

(2) अपेक्षित कोटि की अपरिष्कृत कपास का आयात करने में उद्योग को सहायता देने के लिए ओ.जी.एल. के अंतर्गत कपास के आयात की अनुमति दी गई है।

(3) वस्त्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में उद्योग को सहायता देने के लिए वस्त्र परीक्षण प्रयोगशालाओं की एक श्रृंखला स्थापित की गई है।

(4) पूंजीगत माल का आयात करने के लिए पूंजीगत माल के निर्यात संवर्द्धन (ई.पी.सी.जी.) की योजना को सरल बनाया गया है।

(5) उद्योग और अन्य संबंधित सगंठनों के परामर्श से वित्तीय शुल्क ढांचे को सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(6) वस्त्र उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए उपाय शुरू किए गए हैं।

(7) एन.टी.सी. की मिलों के कार्य निष्पादन वस्त्र अनुसंधान संघों के अध्ययनों के अध्यधीन रहे हैं तथा मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए उनके द्वारा सुझाए गए अल्पावधि उपायों को क्रियान्वित किया गया है।

[हिन्दी]

खजुराहो के लिए इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों को रद्द करना

1978. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान खजुराहो के लिए इंडियन एयरलाइन्स की कुछ उड़ानों को रद्द कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन उड़ानों को रद्द करने से इंडियन एयरलाइन्स को कुल कितना घाटा उठाना पड़ा?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) जुलाई 2000 में पटना में दुर्घटना होने के कारण बोइंग-737 विमान की कमी होने के कारण दिल्ली-आगरा-खजुराहो वाराणसी सैक्टर में जाने तथा वापसी के लिए एलाइंस एयर के विमान सी.डी. 7407/7408 का प्रचालन 8.8.2000 से 29.10.2000 तक निलंबित रखा गया।

(ग) खजुराहो से/तक उड़ानों को उन दिनों बन्द कर दिया जाता है जब ग्रीष्म माह में यात्रियों की भीड़ बहुत कम होती है। सामान्यत: गर्मी के महीने में खजुराहो तक विमानों को प्रचालित करने में कोई मुनाफा प्राप्त नहीं होता।

[अनुवाद]

घटिया स्तर के रसोई गैस सिलिंडर बनाने वाली अवैध इकाइयां

1979. **श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर भारत में अवैध इकाइयां रसोई गैस के घटिया स्तर के सिलिंडरों के निर्माण और गैस भरने की प्रक्रिया में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अवैध रूप से विनिर्माण और रसोई गैस भरने की प्रक्रिया को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां सी.सी.ओ.ई. और बी.आई.एस. से सांविधिक अनुमोदन प्राप्त अनुमोदित सिलेंडर विनिर्माताओं से सिलेंडरों का प्रापण कर रही हैं। तथापि मंत्रालय को मेरठ (उ.प्र.) में छोटे सिलेंडरों के अवैध विनिर्माण के बारे में कुछ शिकायतें मिलीं और राज्य सरकार को अवैध विनिर्माताओं के परिसरों पर औचक छापा मारने और उपयुक्त कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया।

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

1980. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में रेल सुविधाओं के सुधार हेतु अनेक रेल परियोजनाओं को आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काली सूची में दर्ज हो चुके किन्हीं ठेकेदारों को इन कार्यों/परियोजनाओं हेतु ठेका दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) और (ख) जी हां, कर्नाटक में कार्यान्वित की जा रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कर्नाटक में निम्नलिखित रेल परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

नई लाइन

1. बेंगलूर-सत्यमंगलम
2. गडवाल-रायचूर
3. गुलबर्गा-बिदार
4. हसन-बेंगलूरू
5. हुबली-अंकोला
6. कोडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर
7. कोट्टूर-हरीहर
8. मुनीराबाद-महबूबनगर

आमान परिवर्तन

1. अरसीकेरे-हसन-मंगलोर
2. बेंगलूरू-हुबली-बिरूर-शिमोगा
3. होजपेट-हुबली-गोवा
4. मैसूर-चामराजनगर
5. मैसर-हसन
6. सोलापुर-गदम
7. यशवंतपुर-सेलम
8. यलहंका-चिकबल्लापुर और कोलार-बंगारपेट

दोहरीकरण

1. बेंगलूरू सिटी-कृष्णाराजपुरम
2. बेंगलूरू-कंगेरी, विद्युतीकरण सहित
3. होजपेट-गुंतकल (आमान परिवर्तन)

4. कंगेरी-रामनगरम

5. व्हाईटफील्ड-कुप्पम

6. यशवंतपुर-तुमकुर

रेल विद्युतीकरण

1. रेणीगुंटा-गुंतकल

गैस-कनेक्शनों के लिए नई नीति

1981. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर के कई हिस्सों में गैस कनेक्शनों को दिए जाने पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सभी रेल कंपनियों को भेजे गए हाल ही के परिपत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परिपत्र से आंध्र प्रदेश जैसे उन राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो कि घरेलू प्रयोग के लिए गैस कनेक्शनों की मांग में सबसे आगे थे;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस नई नीति की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) इस नीति की कब तक समीक्षा किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) जी, नहीं। देश भर में एल.पी.जी. कनेक्शन, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा, मांग पर जारी किए जा रहे हैं।

नासिक सैन्य हवाई अड्डे का नागरिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग

1982. **श्री उत्तमराव ढिकले:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नासिक सैन्य हवाई अड्डे का प्रयोग नागरिक उद्देश्यों के लिए किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) महोदय, इस समय इस रक्षा हवाई क्षेत्र से सिविल उड़ान शुरू करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, जहां आवश्यक समझा जाता है वहां सिविल वायुयानों के प्रचालन के लिए रक्षा प्राधिकारियों द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रिया के अंतर्गत मंजूरी दी जाती है।

[हिन्दी]

पेट्रोल और डीजल में मिलावट

1983. **डा. बलिराम:**
श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल पंपों के मालिक तेल की कंपनियों के साथ मिलकर देश भर में पेट्रोल और डीजल में मिलावट कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक पहचान किए गए मिलावटी पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंपों की राज्यवार संख्या क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान दोषी पाए गए कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने तेल कंपनियों और पेट्रोल पंपों के मालिकों के बीच संबंध तोड़ने के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) सरकार को देश भर में पेट्रोल और डीजल की मिलावट में संलिप्त होने वाले पेट्रोल पंप मालिकों के साथ तेल कंपनियों की कथित मिलीभगत की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

तेल विपणन कंपनियां मिलावट सहित विभिन्न कदाचारों को रोकथाम करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित/औचक निरीक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त तेल कंपनियों द्वारा अपने आप और सरकारी निर्देशों के अंतर्गत भी समय-समय पर विशेष अभियान कदाचारों की रोकथान करने के लिए चलाए जाते हैं। इसके अलावा मिलावट की रोकथाम करने के लिए मिट्टी तेल (पी.डी.एस.) को नीला रंगने, फरफरल डोपिंग, फिल्टर पेपर परीक्षण,

चल प्रयोगशालाओं द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच करने जैसे विभिन्न उपाय भी तेल कंपनियों द्वारा किए जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान तेल विपणन कंपनियों द्वारा किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों के निरीक्षण के परिणाम, पता लगी अनियमितताएं और की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों पर किए गए निरीक्षणों के परिणाम तथा पता लगाई गई अनियमितताएं/कदाचार

	1997-98	1998-99	1999-2000
किए गए निरीक्षणों की संख्या	76734	71824	80613
पता लगाई गई अनियमितताएं/कदाचार			
1. भण्डार में विसंगति	75	45	101
2. संदेहास्पद उत्पाद मिलावट	185	255	442
3. अधिक राशि लेना	16	7	2
4. अनधिकृत बिक्री	6	6	6
5. कम सुपुर्दगी	232	167	272
6. अन्य	163	85	63
योग	677	565	886
की गई कार्रवाई			
1. समाप्ति	1	3	1
2. बिक्री तथा आपूर्ति का निलंबन	435	366	563
3. स्पष्टीकरण मांगा गया/कारण बताओ नोटिस या चेतावनी पत्र जारी किए गए	204	121	297
4. जुर्माना लगाया गया	35	123	0
योग	675	613	861

मतदान के प्रतिशत में गिरवाट

1984. श्री जय प्रकाश: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में मतदान के प्रतिशत में धीरे-धीरे आ रही गिरावट की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार यह कहना सत्य नहीं है कि अनेक वर्षों से देश में मतदान की प्रतिशतता में धीरे-धीरे गिरावट आती जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत के विदेशी व्यापार में भारतीय पोतों की हिस्सेदारी

1985. श्री के.पी. सिंह देव: क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में भारतीय पोतों की वर्षवार हिस्सेदारी कितनी थी;

(ख) क्या भारतीय पोतों की हिस्सेदारी प्रतिवर्ष घटती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार भारतीय पोत परिवहन उद्योग के संवर्द्धन पर जोर दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रोत्साहन मंजूर किए गए हैं/मंजूर किए जाने का विचार है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में भारतीय पोतों की हिस्सेदारी के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

वर्ष	व्यापार (मिलियन टन में)
1996-97	51.28 (29.8%)
1997-98	63.63 (31.4%)
1998-99	62.61 (30.8%)

(ख) और (ग) जी नहीं। भारतीय पोतों की हिस्सेदारी कम नहीं हो रही है परन्तु 30-31% पर स्थिर है। तथापि, ढोयी गयी मात्रा के संदर्भ में तो कार्गो की प्रमात्रा दशक के दौरान बढ़ गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय नौवहन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं:-

(1) पोतों के अधिग्रहण के लिए स्वत: अनुमोदन की शुरूआत।

(2) नौवहन कंपनियों को नए अधिग्रहण हेतु उपयोग में लाने के लिए विदेश में भारतीय पोतों की बिक्री आय अपने पास रखने की अनुमति दी गई है।

(3) अंतर्राष्ट्रीय क्रास ट्रेड में कार्य पर लगाने के लिए भारतीय पोत विदेशी कंपनियों को चार्टर पर देने की छूट।

(4) नौवहन कंपनियों को चार्टर-कम-डिमाइज पद्धति (जो हॉयर परचेज प्रणाली के समान है) के आधार पर जलयानों का अधिग्रहण करने की अनुमति देना।

(5) पुराने जलयानों के अधिग्रहण के लिए आयु मानकों में और भी छूट दी गई है।

(6) बड़े जलयानों के आयात को 1.4.1997 से खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रख दिया गया है।

(7) आयकर अधिनियम की धारा 33 ए सी को इसके मूल रूप में 1.4.2000 से पुन: लागू कर दिया गया है जिससे नौवहन उद्योग को लाभ होगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, नौवहन उद्योग को निम्नलिखित राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन आगे भी देते रहने पर विचार करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाने वाली है:

(क) भारतीय नाविकों को कर राहत देना।

(ख) मूल्यह्रास दर को 20% से बढ़ाकर 40% करना।

(ग) तटीय नौवहन को अवसंरचना का दर्जा देना।

(घ) कारपोरेट कर के बदले में टनभार कर प्रारंभ करना।

मोटर क्राफ्ट के लिए राजसहायता

1986. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु**: क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास नहरों और नदियों में मोटर क्राफ्टों, नौकाओं और जलावतरण के प्रयोग हेतु उन पर राजसहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में किसी व्यक्ति या कम्पनी को कोई राजसहायता दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 1998-99 का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां, अंतर्देशीय जलमार्गों पर चलाए जाने वाले जलयानों के अधिग्रहण हेतु लिए गए ऋणों के लिए बैंक/संस्थानात्मक ब्याज पर सब्सिडी देने हेतु ऋण ब्याज सब्सिडी स्कीम जून, 1980 में शुरू की गई थी और यह 31.3.1998 तक प्रचालन में रही। इस स्कीम में 1999 में संशोधन किया गया है। इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ स्कीम में निर्धारित की गई शर्तों के अध्यधीन घोषित किए जा चुके राष्ट्रीय जलमार्गों पर प्रचालन के लिए डंब बार्जिज, यंत्रीकृत जलयानों, अत्यधिक शक्तिशाली टगों, नए अथवा पुराने जलथली क्राफ्टों, कम से कम दस वर्ष की कार्यात्मक आयु वाले देशी/आयातित पुराने जलयानों

इत्यादि के अधिग्रहण पर निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन बैंक/संस्थानात्मक ऋण ब्याज के 5.5% से आगे ऋण ब्याज अंतर सब्सिडी का भुगतान करने की परिकल्पना की गई है। यह स्कीम मौजूदा क्राफ्टों के यंत्रीकरण के प्रयोजन के लिए भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) 1980 की ऋण ब्याज सब्सिडी स्कीम के तहत 1995-96 के दौरान 5,04,227 रु. की ऋण ब्याज सब्सिडी का भुगतान वशिष्ठ गोदावरी जलयान के अधिग्रहण के लिए मै. विया मैरीन सर्विसिज को दिए गए ऋण के बारे में आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम से प्राप्त दावे के संबंध में किया गया। 1998-99 के दौरान किए गए भुगतान के राज्यवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

1.	गोवा	27,01,007.00
2.	केरल	63,74,822.00
	जोड़	90,75,829.00

विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर रात में हवाई जहाजों के उतरने की सुविधा

1987. **श्री गंता श्रीनिवास राव:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर रात में हवाई जहाज उतारने की सुविधा आरम्भ की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक इसे आरम्भ किए जाने की सम्भावना है?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) चारों ओर फैली पहाड़ियों से हो रही रूकावट को देखते हुए विशाखापत्तनम हवाई अड्डे से सूर्यास्त के बाद, सिविल विमानों को प्रचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

भारत और ईरान के बीच गैस पाइप लाइन

1988. **श्री प्रभात सामन्तराय:**
श्री रामपाल सिंह:
श्री लक्ष्मण सेठ
डा. अशोक पटेल:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत और ईरान के बीच गैस पाइन लाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे बिछाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस पर कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है और इस पाइपलाइन की क्षमता क्या होगी; और

(घ) इसके देश के किन-किन भागों से होकर गुजरने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) ईरान सरकार ने भारत को पाइपालाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए एक प्रारंभिक प्रस्ताव भेजा है। ईरान-भारत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए ईरान और भारत की सरकार के प्रतिनिधियों को लेकर गैस प्रेषण संबंधी एक भारत-ईरान संयुक्त समिति गठित की गई है। ईरान सरकार का प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है।

मुंबई-चैन्नई रेल लाइन का दोहरीकरण

1989. **श्री शिवाजी माने:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री सी. कृष्णन:
श्री वैको:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुम्बई और चैन्नई के बीच रेलवे लाइन के दोहरीकरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस दोहरीकरण के कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) से (घ) मुंबई-दौंड, गुलबर्गा-नारायणपेटरोड/कृष्णा, चेन्नै-रेणीगुंटा-बालापल्लै, मछरेला-गुंतकल-गुन्ती-रायल चेरूवू और येरमारस-मतमारी, कोसी-कुण्गल, कोंदापुरम-मुद्दनारू एवं कुड्डापह-बंकारापेटा खंडों में कहीं-कहीं दोहरी बड़ी लाइन उपलब्ध है।

दौंड-भिगवान खंड पर दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है, 2000-2001 के बजट में 5.00 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है और यह कार्य आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।

गुन्ती-रेणीगुन्टा खण्ड के बालापल्ली-पुल्लमपेट (चरण-1) का दोहरीकरण भी 2000-2001 के बजट में शामिल किया गया है। इस कार्य के लिए 1 करोड़ रुपए राशि की व्यवस्था की गई है। यह कार्य आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता के अनुसार पूरा किया जाएगा।

भिगवान-गुलबर्गा खण्ड के दोहरीकरण के लिए एक सर्वेक्षण प्रगति पर है। इस खण्ड के दोहरीकरण पर आगे विचार सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध हो जाने के पश्चात ही संभव होगा।

मुंबई-चेन्नै मार्ग के शेष खण्डों के दोहरीकरण पर आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जाएगा।

अमरीका का तेल की कीमतें कम करने हेतु ओपेक से अनुरोध

1990. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल की कीमतों को उचित स्तर तक कम करने हेतु तेल उत्पादक देशों के साथ तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि के संबंध में बात की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ओपेक के सदस्यों ने भारत सरकार के अनुरोध पर विचार किया है;

(ग) क्या अमरीका ने भी तेल की कीमतें कम करने तथा तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए ओपेक देशों से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ओपेक देशों का क्या निर्णय है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) मार्च और सितंबर, 2000 के महीनों में भारत ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के सदस्यों से कच्चे तेल के उत्पादन का स्तर बढ़ाने का अनुरोध किया था जिससे तेल मूल्यों को सहनीय, स्थिर स्तर तक लाने में सुविधा होगी। केलगरी, कनाडा में आयोजित विश्व पेट्रोलियम सम्मेलन के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी ने ओपेक के महासचिव के साथ इस विषय पर एक द्विपक्षीय बैठक की थी। यह मामला भारत और यू.एस.ए. सहित तेल उपभोक्ता देशों द्वारा 17 से 19 नवंबर, 2000 तक रियाध में आयोजित 7वें विश्व ऊर्जा फोरम में दोबारा उठाया गया। यू.एस.ए. सहित विभिन्न तेल आयातक देशों ने कच्चे तेल के मूल्यों में कमी लाने के लिए तत्काल कदम उठाने की तुरंत आवश्यकता पर जोर दिया। आगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जी ने ओपेक सदस्य देशों के तेल मंत्रियों के साथ अपनी द्विपक्षीय चर्चा में भी यह मामला उठाया। तेल आयातक देशों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को समझते हुए उन्होंने "ओपेक" के स्तर पर इस मामले पर विचार करने के लिए सहमति प्रकट की।

अन्य देशों में खोज कार्यों के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम को अनुमति देना

1991. श्री रामदास आठवले: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अन्य देशों में खोज एवं खुदाई गतिविधियों को करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम जैसी सभी तेल कंपनियों को अनुमति देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निर्णय से किस सीमा तक भारत सरकार को सहायता मिल पाने की संभावना है; और

(घ) किन-किन देशों में तेल खोज का काम शुरू किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) पेट्रोलियम के घरेलू उत्पादन और मांग के बीच वर्तमान अंतर को दूर करने के उद्देश्य से तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देश और विदेश में अन्वेषण और उत्पादन क्रियाकलापों का दायित्व हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ओ.एन.जी.सी.-विदेश लिमिटेड ने ट्यूनिशिया (1995-96), मिस्र (1996-97), यमन (1996-97) और वियतनाम में अन्वेषण क्रियाकलाप चलाए हैं।

पाकिस्तानी कैदियों को आजादी की पेशकश

1992. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12 नवंबर, 2000 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार पाकिस्तानी कैदियों को कश्मीर के रास्ते आजादी देने की पेशकश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के इस कदम से निपटने हेतु क्या कार्रवाई की गई या करने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) इस आशय की सूचनाएं मिली हैं कि पाकिस्तान की एक विशेष एजेंसी भारत में आतंकवाद और तोड़-फोड़ की गतिविधियों के लिए वहां की जेलों में बंद अपराधियों को आतंकवादी संगठनों में भर्ती कराने की कोशिश कर रही है।

(ख) हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निरंतर नजर रखी जाती है। हमारी रक्षा सेनाएं ऐसी किसी भी घुसपैठ को विफल करने तथा किसी भी प्रकार के दुस्साहस से निपटने के लिए सतर्क रहती हैं।

स्क्रैप पर उत्पादन शुल्क का भुगतान

1993. श्री राधा मोहन सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटिग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर, (आई.सी.एफ.) में एल्यूमिनियम तथा लौह कचरे तथा स्क्रैप को 1993-94 तक उत्पाद शुल्क के भुगतान से मुक्त रखा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या 1994-95 के बजट में यह छूट वापस ले ली गई थी परन्तु आई.सी.एफ. उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को बिना बताए अथवा उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना कचरे तथा स्क्रैप का निपटारा करती रही;

(ग) क्या आई.सी.एफ. खरीदारों से यह राशि वसूलने में नाकाम रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी हां। "कर विवाद समाधान स्कीम" के अन्तर्गत 10.3.1994 से 15.3.1995 तक सवारी डिब्बा कारखाना ने स्क्रैप की बिक्री पर 39.63 लाख रुपये की राशि उत्पाद शुल्क के रूप में भुगतान की है।

(ग) सवारी डिब्बा कारखाने ने प्रश्नगत अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना स्क्रैप बेचा था। अत: उत्पाद शुल्क जहां कहीं वसूलनीय होता है उसे बोली कीमत में शामिल समझा जाता है।

(घ) जैसा कि भाग (ग) में स्पष्ट किया है, किसी कार्यवाई की आवश्यकता नहीं है।

केरल से विमान सेवा प्रारम्भ करने हेतु श्रीलंका एयर-लाइन्स का प्रस्ताव

1994. श्री. ए.पी. अब्दुल्ला कुट्टी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीलंका एयरलाइन्स का केरल का महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हुए नई विमान सेवा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें; और

(ग) वर्तमान में केरल के शहरों से श्रीलंका के लिए चल रही विमान सेवाओं का ब्यौरा दें?

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): (क) और (ख) फरवरी, 2000 में आयोजित द्विपक्षीय वैमानिक सेवा के अंतिम दौर में श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका की एयरलाइनों के त्रिवेन्द्रम तक प्रचालन करने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया था। विचार-विमर्श के दौरान ऐसा निर्णय किया गया था कि श्रीलंका की नामित एयरलाइनों को इस समय 870 सीट प्रति सप्ताह की जगह त्रिवेन्द्रम से/तक 1050 सीटें प्रति सप्ताह के प्रचालन की अनुमति होगी।

(ग) इस समय श्रीलंका की एयरलाइन कोलम्बो और त्रिवेन्द्रम के बीच 6 सेवाएं प्रति सप्ताह चला रही है। इंडियन एयरलाइन्स ए-320 विमानों से त्रिवेन्द्रम-कोलम्बो-त्रिवेन्द्रम सेक्टर में सप्ताह में दो बार सेवाएं प्रचालित करती है।

नई वस्तुओं की कबाड़ के रूप में बिक्री

1995. श्री रामजी मांझी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने यह स्वीकार किया है कि रेलवे द्वारा खरीदी गई नई वस्तुओं को कबाड़ के रूप में बेच दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) बहरहाल, पिछले 6 महिनों के दौरान भारतीय रेल के सतर्कता संगठन ने स्क्रैप चोरी को रोकने और प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न स्थलों के स्क्रैप निष्पादन क्षेत्र में 400 से अधिक जांचे की थी। जांच के दौरान स्क्रैप जैसी नई उपयोगी सामग्री की बिक्री से संबंधित कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1999-2000, के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1999-2000, का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2464/2000]

(ख) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000, के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1999-2000, का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2465/2000]

(ग) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1999-2000, के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1999-2000, का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2466/2000]

(2) मिश्र धातु निगम लिमिटेड और रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2467/2000]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 637 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 793 (अ), जो 1 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय कम्पनी विधि निपटान योजना, 2000 को बढ़ाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2468/2000]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्ररूप (चौथा संशोधन) नियम, 2000 जो 24 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 836(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) (संशोधन) नियम, 2000 जो 27 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 839 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) लागत लेखाविधि अभिलेख (पोलिस्टर) संशोधन नियम, 2000 जो 31 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 692(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) लागत लेखाविधि अभिलेख (वस्त्र) संशोधन नियम, 2000 जो 31 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 693(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) लागत लेखाविधि अभिलेख (रेयन) संशोधन नियम, 2000 जो 31 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 694 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छः) लागत लेखाविधि अभिलेख (नायलोन) संशोधन नियम, 2000 जो 31 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 695 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2469/2000]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2470/2000]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2471/2000]

(3) (एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2472/2000]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं श्री हुक्मदेव नारायण यादव की ओर से सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ:

(1) प्रकाशस्तम्भ अधिनियम, 1927 की धारा 10 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 711 (अ) जो 8 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह निदेश दिया गया है कि 8 सितम्बर, 2000 से 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के अगले दिन से अधिसूचना में निर्धारित दरों पर सभी पोतों और जलयानों के संबंध में भारत में सभी पत्तनों पर प्रकाश शुल्क संदेय होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) प्रकाशस्तम्भ अधिनियम, 1927 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रकाशस्तम्भ लेखाविधि और वित्तीय शक्तियां (संशोधन) नियम, 2000 जो 8 सितम्बर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 712 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2473/2000]

(3) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2000 जो 12 अगस्त, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 311 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2474/2000]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेरुमन्नूर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, पेरुमन्नूर का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2475/2000]

(ख) (एक) ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2476/2000]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 29 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित न्यायिक प्रशासन विधियाँ (निरसन) विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 29 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2000 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 29 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए पंजाब नगर निगम विधि (चण्डीगढ़ पर विस्तारण) संशोधन विधेयक, 2000 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(4) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 29 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2000 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

2. महोदय, मैं, राज्य सभा द्वारा 29 नवम्बर, 2000 को यथापारित न्यायिक प्रशासन विधियां (निरसन) विधेयक, 20000 सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.02 बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

की गई कार्यवाही संबंधी चौथा और पांचवां प्रतिवेदन

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति (1999-2000) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:

(1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (1998-1999)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (1998-1999) (12वीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(2) "रेलवे द्वारा वैगनों की खरीद" के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (1997-1998) (11वीं लोक सभा) के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

कार्यमंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा 29 नवम्बर, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 29 नवम्बर, 2000 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): महोदय, कल शाम पांडिचेरी और कुड्डालोर में 175 किलोमीटर की गति से एक भारी तूफान आया जिससे वहाँ काफी तबाही हुई है। इस तूफान से पांडिचेरी में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। अब तक अस्पतालों में करीब 40,000 लोगों को लाया जा चुका है। कई वृक्ष उखड़

गए हैं। इस भयंकर तूफान से उठे समुद्री जल के कारण पांडिचेरी के तटीय गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। करीब 40,000 घर बर्बाद हो गए हैं। बिजली-पानी की व्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई है। काफी हद तक वहाँ दूरसंचार सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। फसलों को हुए नुकसान का अब तक अनुमान नहीं लग सका है। राज्य सरकारों के क्षेत्रीय अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में पहुँच गए हैं और राहत कार्य कर रहे हैं। इस विनाश के कारण वहाँ के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। पांडिचेरी, कुड्डालोर और अन्य क्षेत्रों का सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। इन क्षेत्रों से जुड़ी सड़कें टूट गई हैं। इस विनाश के कारण लगभग 300 करोड़ रुपये के नुकसान का मोटा सा अनुमान लगाया गया है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं, सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पांडिचेरी और आस-पास के क्षेत्रों को तुरंत राहत उपलब्ध कराने के लिए लगभग 30 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता तुरंत मंजूर की जाए। मैं सरकार से, प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए एक टीम भेजने का और वहां उचित कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, यह एक गंभीर मामला है। इस मुद्दे पर हम सदस्य के साथ हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री समर चौधरी का नाम पुकारा था।

...(व्यवधान)

किसानों और कृषि श्रमिकों की समस्याओं के बारे में

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, आज देश के विभिन्न भागों से पांच लाख से अधिक किसान और कृषि श्रमिक दिल्ली आए हुए हैं। वे अपनी मांगों की पूर्ति के लिए रामलीला मैदान में एक रैली कर रहे हैं।

कृषि उत्पादों के बाजार के अभाव में आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महोदय, सरकार ने आयात को उदार बना दिया है। सरकार 1,415 वस्तुओं के आयात का पहले ही निर्णय ले चुकी है जिससे कृषक समुदाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। महोदय, कृषि उत्पादों के अवमूल्यन से किसानों को नुकसान हो रहा है।

इसलिए महोदय, हम मांग करते हैं कि भारत सरकार किसानों को संरक्षण प्रदान करे। सरकार को कृषि उत्पादों के आयात और आयात को उदार बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि इससे हमारा कृषक समुदाय बुरी तरह प्रभावित होता है।

महोदय, हम यह मांग भी करते हैं कि अपने देश के हजारों कृषि श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक व्यापक कानून अधिनियमित किया जाए। उन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया अध्यक्षपीठ को सहयोग दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री समर चौधरी और श्री बाजू बन रियान आप भी अपनी बात श्री बसुदेव आचार्य के साथ उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अनिल बसु आप भी अपनी बात श्री बसुदेव आचार्य के साथ उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह): अध्यक्ष महोदय, पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के लिए मणीसाना सिंह कमेटी बनी थी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, अन्य सदस्यों को भी उनके मुद्दे उठाने दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रकारों और गैर-पत्रकारों की सुविधाओं संबंधी समिति के बारे में कहना चाहता हूँ। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आज हम नियम 193 के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। उस समय भी आप अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। अत: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अलिन बसु। कृपया अध्यक्षपीठ का सहयोग करें।

श्री अनिल बसु: महोदय, सरकार को जवाब देना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, हम नियम 193 के अधीन भी चर्चा करने जा रहे हैं। उस समय भी आप इनके बारे में बोल सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह एक अलग विषय है। किन्तु यहाँ हम देश के किसानों एवं खेतिहर मजदूरों की समस्याओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। किन्तु सरकार हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही है। सरकार को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया दूसरे सदस्यों को भी बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: डा. रामकृष्ण कुसमरिया जो कह रहे हैं उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पत्रकारों तथा गैर-पत्रकारों की समस्याओं के विषय में मणीसाना सिंह कमेटी बनी थी। उसने छ: वर्ष बाद पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के फेवर में कुछ सिफारिशें करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके ऊपर भारत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होनी शेष है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अधिसूचना शीघ्र जारी कर पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के हित में कार्रवाई करें। धन्यवाद।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरा किसानों के संबंध में नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय: हमने आपके लीडर को बोलने का मौका दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, यह चिन्ता की बात है कि कई बार माननीय नेताओं चाहे इधर के हों या उधर के हों, ने किसानों की समस्या को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। आज लाखों की तादाद में वे किसान दिल्ली में इकट्ठे होंगे। हालत यह है कि अभी तक किसानों ने कुछ ही सूबों जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में आत्मदाह किया था लेकिन आज उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी आत्मदाह करने की घोषणा कर दी है। दिल्ली के नजदीक हापुड़ में पांच लाख बोरे कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए हैं। अब उनके मालिकों ने फैसला कर लिया है कि हम आज से बिजली बंद कर देंगे। आलू बर्बाद हो जायेगा जबकि अभी बाजार में नया आलू आ गया है।

हमारा कहना है कि चाहे आलू का किसान हो या किसी भी पैदावार का किसान हो, वे सब बर्बाद हो रहे हैं। इसी तरह सरकार की उदार नीति के चलते 40 हजार करोड़ रुपये केवल सरसों के तेल में विदेशी कम्पनियों ने कमा लिये हैं। आज हमारे किसान को लूटा जा रहा है। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमारी भावनाओं का आदर करने का मतलब देश की भावना का आदर करना है। किसान के बिना आज अर्थव्यवस्था सुधर नहीं सकती। आज कोई भी विदेशी कम्पनी हो, विदेशी कर्जा हो, देश को ताकतवर बनाना हो या उद्योग चलाना हो, बिना किसान की पैदावार के आप कामयाब नहीं हो सकते। आज पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है जबकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है। यहां 76 फीसदी लोग खेती पर निर्भर करते हैं। जैसा अभी बासुदेव आचार्य जी ने बताया कि अपने यहां 72 फीसदी लोगों के पास अपनी खेती है और चार फीसदी ऐसे लोग हैं जो खेतीहर मजदूर हैं। वे सब आज बेकार हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं।

आज देश में मंदी और महंगाई दोनों चल रही हैं। किसान की जो पैदावार है, वह सस्ती है। उसे कोई भी खरीदने वाला नहीं है। दूसरी तरफ किसान को पैदावार के लिए खाद चाहिए जो महंगी भी है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ यहां किसान को खेती में जो सबसिडी मिलती थी, वह बंद कर दी गई है और दूसरी तरफ धनी देशों ने अपने किसानों को छ: गुना सबसिडी देनी शुरू कर दी है। यह बड़ी चिन्ता की बात है। आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी। मेरा कहना है कि इस पर रोजाना चर्चा हो रही है लेकिन सरकार ने इस पर अभी तक गंभीरता से कोई निर्णय नहीं लिया है। ये हमारे देश की

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि कुछ ही समय बाद हिन्दुस्तान का किसान इस तरह की नीतियों के चलते अपनी खेती छोड़ने को मजबूर हो जायेगा। असली बात तो नीतियों के सवाल की है। अभी परसों हमारे भूतपूर्व स्पीकर साहब ने अच्छी बात कही थी कि आज उपभोक्ता भी लूटा जा रहा है और किसान भी लूटा जा रहा है? आखिर किसान के बारे में आज आपकी क्या नीति है। इस देश को आजाद हुए 53 साल हो गए लेकिन किसानों के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कारखाने की चीज महंगी होगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी, फार्मर्स के बारे में रोज चर्चा हो रही है। हम इस विषय पर रोज चर्चा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: किसान की पैदावार सस्ती होगी। आखिर कोई तो नीति बनानी पड़ेगी। आप किसान को कब तक बर्बाद करेंगे? यह सवाल केवल किसानों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का है क्योंकि आज देश की पूरी अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर है। हम चाहते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से लेकर किसानों की समस्या को हल करे। अगर किसान आत्मदाह करेगा, तो दुनिया में इससे ज्यादा शर्म की बात हिन्दुस्तान के लिए और कोई नहीं हो सकती। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर अभी आश्वासन दें।

मेरा कहना है कि आप नियम 193 पर ज्यादा जोर मत दीजिए। असली बात तो यह है कि आप कुछ काम कीजिए। आज हापुड़, मेरठ में किसानों ने कहा है कि वे तहसील घेरकर आत्मदाह करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुलायम सिंह जी अभी नियम 193 पर चर्चा शुरू नहीं हुई है।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसानों ने आत्मदाह किया तो इस देश के अंदर वह अशांति होगी जिसे आप संभाल नहीं पायेंगे। वह अशांति बेकाबू हो जायेगी। इसलिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि सरकार इसे गंभीरता से ले और यहां कोई आश्वासन देकर समस्या का समाधान करे, ऐसी हमारी मांग है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, क्या मैं सिर्फ एक मिनट का समय ले सकता हूँ?

अध्यक्ष महोदय: यदि सिर्फ एक मिनट की बात है तो कोई समस्या नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, बहुत से वरिष्ठ मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। दिल्ली में आज किसान संगठनों से जुड़े करीब पाँच लाख लोग एकत्रित हुए हैं।

वे आज रामलीला मैदान में एक शांतिपूर्ण रैली कर रहे हैं। यह इस वक्त चल रही है। यह विषय इस देश और इस देश की अर्थव्यवस्था से महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। यह विषय इस देश की 70% से अधिक जनता के साथ जुड़ा हुआ है। क्या हम सरकार से यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वह अपने आप ही इस पर ध्यान दें?

हमने कृषि मंत्री के दुर्भाग्यपूर्ण क्रोध को देखा है। बहस के दौरान अपने जवाब में उन्होंने एक भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की है। चाहे इसे कोई पसंद करता है अथवा नहीं, हमने इसे अत्यंत ही दु:ख के साथ देखा है। उनके द्वारा आधारभूत मुद्दों का जवाब नहीं दिया गया बल्कि उन्होंने सिर्फ विपक्ष और विश्व व्यापार संगठन पर ही दोषारोपण किया। ...*(व्यवधान)* उन्हें आने दीजिए। यह मेरी गलती नहीं है। मंत्री परिषद के वरिष्ठ सदस्य यहाँ उपस्थित हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): जब मंत्री जी ने जवाब दिया था, उस समय आपने कुछ नहीं बोला। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ। वरिष्ठ मंत्री यहाँ मौजूद हैं। जब लोग सदन से बाहर आंदोलन कर रहे हैं तो क्या मंत्रियों को सामने नहीं आना चाहिए और जो महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ उठाये जा रहे हैं उनका कुछ जवाब नहीं देना चाहिए? यह व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए जरूरी है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, मैं श्री मुलायम सिंह यादव और श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा व्यक्त चिंता से पूर्णत: सहमत हूँ। मंत्रिमंडल के अधिकांश सम्माननीय सदस्य जो यहाँ बैठे हुए हैं, जन-संघर्ष के बीच से आए हैं। उन्हें कामगार वर्ग एवं किसानों के साथ होने का काफी अनुभव है। यह सदन की परम्परा है, कि जब कभी भी रैली के माध्यम से कामगार वर्ग या किसानों, विशेषकर मेहनतकश वर्ग द्वारा अपनी पीड़ा व्यक्त की जाती थी तब सरकार चाहे वह किसी भी पार्टी की हो तथा विपक्ष द्वारा सम्मिलित रूप से उनकी शिकायत पर गौर करते हैं, और उनकी चिन्ता में सहभागी होते हैं।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

श्रीमती सोनिया गाँधी द्वारा लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर बहस के दौरान राजनीतिक दलों के सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर अर्थव्यवस्था की व्यक्त स्थिति के बारे में अपनी चिन्ता जताई है तथा उन्होंने इस पर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं की।

इसलिए मैं गम्भीरता से महसूस कर रहा हूँ कि जब देश के सभी भागों के किसान यहाँ एक साथ दिल्ली में एकत्र हुए हैं तो इस सम्माननीय सभा का कर्त्तव्य बनता है कि यह उनकी चिन्ताओं को समझे तथा सरकार भी इस पर उचित ध्यान दे। सरकार के बहुत से मंत्री संघर्षरत जनता के बीच से आए हैं तथा अब सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): आंध्र प्रदेश में, गत वर्ष भारतीय खाद्य निगम ने स्वर्णमसूरी और 1001-धान की इन दो किस्मों को उत्तम किस्म के रूप में घोषित किया। किन्तु इस वर्ष इसने इन दोनों किस्मों को साधारण किस्में घोषित किया जिसके कारण से लाखों किसानों का नुकासन हो रहा है। कीमतों में काफी भिन्नता है। आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने उपभोक्ता मामले के मंत्री के एक पत्र भी लिखा था। इस प्रकार की घोषणा के कारण मिल मालिक इन्हें साधारण किस्में मान रहे हैं। खरीफ की पिछली फसल तक वे इसे उत्तम किस्म मान रहे थे। इससे कृषक वर्ग को अपूरणीय क्षति हुई है। अतएव, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूँ कि वे भारतीय खाद्य निगम को इन दोनों किस्मों को उत्तम किस्म स्वीकार करने हेतु निदेश देने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, देशभर में किसानों के मामले में आन्दोलन शुरू हो गया है और सरकार गंभीर नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सरकार जवाब दे रही है। डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, बहुत हो गया। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आज ही किसानों के संबंध में चर्चा में तीन मुद्दे उठाए गए हैं और क्रमश: मैं तीनों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया देना चाहूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आज हम नियम 193 के अधीन इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन: मैं अत्यल्प समय लूँगा। माननीय सदस्य श्री येरननायडू ने जो विषय उठाया है, स्वाभाविक रूप से चावल की किस्म के बारे में है। अतएव, इस वक्त मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन मैं निश्चित रूप से उपभोक्ता मामले के मंत्री से बात करूँगा और देखूँगा कि आंध्र प्रदेश में इस समस्या का समाधान हो।

जहाँ तक दूसरे मुद्दे का संबंध है, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह इसे पिछले चार-पांच दिनों से उठा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: इसे हम भी उठाते आ रहे हैं।

श्री प्रमोद महाजन: जी हाँ। यह श्री बसुदेव आचार्य द्वारा भी उठाया जा रहा है। इसके बाद मैं आम समस्या पर चर्चा करूंगा। जहाँ तक किसानों पर संसद की किसी स्थायी समिति का सवाल है। सरकार इस विचार का पूरा समर्थन करती है।

सभी को ज्ञात है कि ऐसी समितियों का गठन सरकार द्वारा नहीं होता। इनका गठन संसद द्वारा माननीय अध्यक्ष तथा माननीय सभापति महोदय के निर्देशन में होता है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा कि वे नेताओं को बुलाएं तथा समिति के गठन हेतु कार्यविधि निश्चित करें। जहाँ तक सरकार का सवाल है, हम इस तरह की समिति का पूर्ण समर्थन करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मंत्री महोदय को कम से कम रिपोर्टों को पढ़ तो लेना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: यही तो समस्या है।

श्री प्रमोद महाजन: जो कई बार पढ़ते हैं वे मंत्री नहीं बनते।

[हिन्दी]

जो दूसरा मुद्दा है कि आज आन्दोलन में 4-5 लाख सर्वसाधारण किसान इकट्ठा हुए हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक किसानों का प्रश्न है, इसमें राजनीति का प्रश्न नहीं है। हम सब जो इस सदन में बैठे हैं, वे किसानों की बदौलत ही बैठे हैं। जैसे विपक्ष किसानों की बदौलत बैठा है, वैसे ही सत्ता पक्ष भी किसानों के समर्थन से ही बैठा है। अगर सत्ता पक्ष के पास बहुमत है तो बिना किसान के समर्थन के यह बहुमत प्राप्त नहीं हो सकता। मैं किसानों को किसी में विभक्त नहीं करना चाहता।

हर पांच मे से चार वोट अगर किसान देता है तो सरकार और विपक्ष भी किसान बनाता है, इसलिए सरकार और विपक्ष कोई भी किसानों की समस्याओं की अनदेखी नहीं करना चाहेगा, न कर सकता है, न करनी चाहिए।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): हमें भाषण नहीं, एक्शन चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अनिल बसु, अब यह आपका एक्शन क्या है? यह अच्छा एक्शन नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: पिछले दो सप्ताह से दोनों सदनों में किसानों के विषय पर चर्चा हुई है। बहुत सारे अच्छे सुझाव दोनों सदनों में माननीय सदस्यों की ओर से आये हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): आपने खेतिहर मजदूरों को छोड़ दिया, जो खेतिहर मजदूर हैं, उनके बारे में भी तो बोलिये। किसानों में आधी संख्या उनकी है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): एग्रीकल्चर लेबर के बारे में कानून कब आयेगा? *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मैं इसके बाद उस पर आता हूं। मेरा यह कहना है कि दोनों तरफ से बहुत अच्छे सुझाव दिये गये हैं और मैं सरकार की ओर से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन सभी सुझावों पर उचित और तुरन्त कार्रवाई करने का हरसम्भव प्रयास सरकार करेगी।

जहां तक बसुदेव आचार्य जी ने किसी नये कानून की बात की है तो मैं इस क्षण उसके बारे में जवाब नहीं दे सकता। मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन मैं श्रम मंत्री और कानून मंत्री जी को इसके बारे में आपके सुझावों से अवगत कराऊंगा। उसमें कोई कानून बनेगा तो वह आपके सामने आयेगा। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: उत्तर प्रदेश के किसानों ने आत्मदाह की घोषणा की है, इसके बारे में प्रमोद महाजन जी ने कुछ नहीं कहा। आलू किसानों ने हापुड़ में खुदकुशी की घोषणा की है। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, अगर यह कहीं सच हो जाये तो क्या होगा? गाजियाबाद जनपद में हापुड़ के किसानों ने यह कहा है कि हम आत्मदाह कर लेंगे और वहां के कोल्ड स्टोर के मालिकों ने कहा है कि हम आज बिजली बन्द कर देंगे। अगर वे आत्मदाह करने जा रहे हैं, उसकी घोषणा हो चुकी है, सारे अखबारों में यह बात आ चुकी है तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?

श्री प्रमोद महाजन: अध्यक्ष जी, हापुड़ केन्द्र शासित नहीं है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार है। इसमें केन्द्र का कोई संबंधित मंत्री हो, उससे तो मैं बात कर सकता हूं, लेकिन राज्य सरकार के बारे में मैं क्या कहूं। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव: आपकी नीतियां गलत हैं, उदार नीतियां आपने बनाई हैं, उदार नीतियों के कारण ही यह हो रहा है। यह सरकार गम्भीर नहीं है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 12.24 बजे

(तत्पश्चात् श्री मुलायम सिंह यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: हम भी किसानों के सवाल पर सदन से वाक आउट कर रहे हैं।

अपराह्न 12.24 बजे

(तत्पश्चात् श्री रघुवंश प्रसाद सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वे श्री एम.ओ.एच. फारुख द्वारा तमिलनाडु में चक्रवात के बारे में उठाये गये गम्भीर मुद्दे का जवाब दें *...(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन: महोदय, मैं तमिलनाडु में चक्रवात के मुद्दे पर बोलना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आज हम नियम 193 के अधीन बाढ़, सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस चर्चा में भाग ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आदिशंकर, इस वाद विवाद में आप भी भाग ले सकते हैं। कृपया समझिए कि उसमें हम चक्रवात पर भी चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैं आज अपने प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ब्रिलियंट चाइनीज जो वेबसाइट है, उसने यूरोप, अमेरिका और एशिया के विभिन्न देशों में वाचकों द्वारा 300 प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्षों में कौन सबसे बड़े प्रभावशाली राजकीय नेता हैं, उनका चयन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की थी। मैं अभिमान के साथ कह सकता हूं कि उन 300 में जो 21 सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेता चुने गए हैं, उनमें हमारे देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्थान प्राप्त हुआ है। मैं सदन से प्रार्थना करना चाहूंगा कि विश्व में सबसे प्रभावशाली नेताओं में अटल जी को भी स्थान प्राप्त हुआ है इसलिए हम सदन की ओर से प्रधान मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि सभी सदस्य इसमें सहयोग करें और अटल जी का अभिनन्दन करें।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: महोदय, अभी, जो कहा गया है मैं उससे स्वयं को सम्बद्ध करता हूँ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभी सदस्य इससे सम्बद्ध हो रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द चौहान (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सीमांत क्षेत्र श्रीगंगानगर के बारे में पिछली 30 मई को गृह मंत्री जी और पंजाब के मुख्य मंत्री जी के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। जिसमें कहा गया था कि राजस्थान के सीमांत क्षेत्र में जहां कंटीली तार लगाई हुई है, उसमें आई हुई 1020 किलोमीटर भूमि का मुआवजा वहां के किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन वह अभी तक नहीं मिला है। मेरा अनुरोध है कि कंटीली तार लगाने के कार्य में जो भूमि उसमें आई है, उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए, क्योंकि किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उस भूमि पर न तो आसानी से किसान जा सकते हैं, न आसानी से अपनी उपज बो सकते हैं, न ही आसानी से सिंचाई कर सकते हैं और न ही आसानी से फसल काट सकते हैं। अगर वे जाते हैं तो बोर्डर पर तैनात बी.एस.एफ. के लोग उन्हें तंग करते हैं।

अपराह्न 12.27 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मेरा सरकार से आग्रह है कि उस 1020 किलोमीटर भूमि का मुआवजा तुरंत वहां के किसानों को दिया जाए। इससे पूर्व पंजाब सरकार ने अपने यहां इसी प्रकार से मुआवजा दिया है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार से कहे कि वहां के किसानों को भी मुआवजा दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहूँगा और सरकार से अनुरोध करूंगा कि तमिल नाडू राज्य को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

कल, मेरे निर्वाचन क्षेत्र कुड्डालोर में भारी चक्रवात आया। चक्रवात में 200 कि.मी. प्रति घण्टे से चलने वाली हवाओं और भारी वर्षा के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी तबाही हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह मामला पहले ही उठाया जा चुका है, आप स्वयं को इस मामले पर सम्बद्ध कर सकते हैं।

श्री आदि शंकर: महोदय केवल मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में कई चक्रवात आए हैं। बिजली की पूरी व्यवस्था ठप्प हो गई है। बिजली और टेलीफोन के खम्बे उखड़ गए हैं। अब तक 3 व्यक्ति मारे जा चुके हैं और 20 मछुआरे लापता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यह मामला पहले ही उठाया जा चुका है, आप स्वयं को इस मामले पर सम्बद्ध कर सकते हैं।

श्री आदि शंकर: रेल प्राधिकरण के अनुसार लगभग सभी गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। वहां एक लाख से अधिक वृक्ष उखड़ गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने सभी एहतियाती उपाय किए हैं। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहां करीब 1000 करोड़ रु. का नुकसान होने की आशंका है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि तमिलनाडु सरकार को तुरंत राहत प्रदान की जाए और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाए।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): उपाध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपका नाम आएगा तब आपको मौका मिलेगा।

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय पैट्रोलियम एवम् गैस मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र इटावा के दिवियापुर (पाता) में सरकार का उपक्रम गैस अथोरिटी आफ

इंडिया लि. की स्थापना हेतु दस वर्ष पहले किसानों की जमीन सरकार ने मुआवजा एवम् सरकारी नौकरी देने के आश्वासन पर अधिगृहीत की थी। किंतु आज तक न तो किसी को नौकरी ही दी गई है न मुआवजे के विषय में कोई सांत्वना दी जा रही है। यहां तक कि कुछ को जाइनिंग लेटर देने के बाद भी जाइन नहीं करने दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: शाक्य जी शून्य काल में लिखित भाषण नहीं पढ़ा जाता।

श्री रघुराज सिंह शाक्य: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि किसानों की समस्या का निदान शीघ्र करने की कृपा करें जिससे कि सरकार पर से जनता का विश्वास बना रहे।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में विशेषकर नासिक जिले के मालेगांव निर्वाचन क्षेत्र में चालू वर्ष में बहुत कम बारिश हुई है। बारिश बहुत अच्छी तरह से पड़ती है, उस वक्त भी पानी का संकट पैदा होता है लेकिन चालू वर्ष में बहुत कम बारिश हुई है, इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि वहां पर इससे संबंधित सुविधा देने का कष्ट करे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस दिया है और जब आपका नाम बुलाते हैं तो आप सदन से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): हमने समझा कि अभी देर में हमारा नाम आएगा, इसलिए हम अभी जा रहे थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको अंत में अवसर मिलेगा। मैं लोक सभा सचिवालय से प्राप्त नोटिसों के अनुसार ही चल रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, स्वतंत्रता की लड़ाई के महानायक बाबू कुंवर सिंह जी का जन्म बिहार के आरा की धरती पर हुआ था। दिल्ली में कहीं भी उनकी मूर्ति नहीं लगी हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि 1857 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता आंदोलन की पहली लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। हमारा निवेदन है कि सरकार इस पर गंभीरता से सोचे और बाबू कुंवर सिंह जी की मूर्ति दिल्ली में लगाये। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं और प्रमोद महाजन जी यहां बैठे हुए हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि वह इस संबंध में सरकार की भावना सदन को बताये ताकि बिहार और देश की जनता जान सके कि बाबू कुंवर सिंह जी की मूर्ति दिल्ली में लगाने के संबंध में सरकार क्या सोच बना रही है, सरकार क्या विचार कर रही है? हम प्रमोद जी से और आपसे भी निवेदन करेंगे कि सरकार की भावना से सदन को अवगत कराया जाये। *...(व्यवधान)* हम इस पर लम्बा भाषण देते तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमने आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि यह बहुत गंभीर सवाल है। 1857 में अंग्रेजों से जो पहली लड़ाई शुरू हुई थी *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपने यह मैटर तो अभी बताया है। सरकार की ओर से अगर रेस्पोंस होगा तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रेस्पोंस करेंगे, मैं उनको कम्पैल नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): मैंने प्रभुनाथ सिंह जी का भाषण बहुत ध्यान से सुना है और उनका सुझाव भी सुना। स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति मेरा परमादर है लेकिन दिल्ली में जहां तक मूर्तियां स्थापित करने का सवाल है, इस कार्यक्षेत्र को कौन देखता है, केन्द्र सरकार का इसके साथ क्या रिश्ता है, यह जाने बिना सदन को किसी प्रकार का आश्वासन देना मेरे लिए मुश्किल है लेकिन मैं इस संबंध में जांच करूंगा।

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, क्या मैं सभा का ध्यान भारत-भूटान सीमा पर हो रही हिंसक गतिविधियों की ओर दिला सकता हूँ? यह देखा गया है कि इस क्षेत्र में विद्रोही और अलगाववादी समूह अपनी घृणित कार्यवाहियां कर रहे हैं। महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कई विद्रोही समूह यहां के उजाड़ क्षेत्रों, घने जंगलों और उग्रवाद के अनुकूल स्थितियों का लाभ उठाकर इस क्षेत्र में अपनी कार्यवाहियां चला रहे हैं। इन समूहों के लिए यह क्षेत्र अभयारण्य बन गया है। ये समूह, इस क्षेत्र में न केवल, कामतापुरी, बोडो और गोरखा लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे नए विद्रोही समूहों के प्रशिक्षण दे रहे हैं बल्कि वे इन क्षेत्रों में नशीले पदार्थों की तस्करी भी कर रहे हैं। महोदय, यदि इस खतरे से आरंभ से ही निपटा नहीं गया तो मेरे विचार से यह क्षेत्र उग्रवादियों का दूसरा गढ़ बन जाएगा।

[श्री अधीर चौधरी]

पश्चिम बंगाल के लोग ऐसी गतिविधियों से प्रभावित हो रहे हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, वहां का पुलिस प्रशासन इतना अधिक असमर्थ और पौरुषहीन हो चुका है कि अब वह इन आतंकवादी गतिविधियों को रोक नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको भाषण नहीं देना है।

श्री अधीर चौधरी: यह खतरे का सूचक है कि कुछ दिनों पहले इस क्षेत्र में लाईबागान से सशस्त्र टुकड़ी वहां तैनात की गई है किंतु पुलिस अधिकारियों ने कमांडेंट के निदेशों का पालन करने से इंकार कर दिया और यही नहीं उन्होंने विद्रोह का झंडा भी उठा लिया। वह पुलिस बटालियन, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मा.) द्वारा संचालित एक संगठन की है, इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से कुछ उपाय किये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र सरकार से चाहते क्या हैं?

श्री अधीर चौधरी: राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार को कुछ उपाय करने चाहिएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: 'शून्यकाल' के दौरान मामला उठाने के नाम पर, इस सभा में कुछ भी कहा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' केवल केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए है।

श्री अधीर चौधरी: विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए। आज, पश्चिम बंगाल अपने लाल आतंकवाद के लिए जाना जाता है। दरअसल राजधानी कलकत्ता, अपहरण और डकैती वाला शहर बन चुकी है। लोगों को असामाजिक गतिविधियों का शिकार बनने के लिए छोड़ दिया जाता है ...*(व्यवधान)* इसलिए, राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार को कुछ उपाय करने चाहिए ताकि पश्चिम बंगाल के लोग शांति और मेल-मिलाप से रह सकें।

उपाध्यक्ष महोदय: आप केवल केन्द्र सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमों की ही बात करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आज हमने इस सभा को विधान सभा में बदल दिया है। गलत या सही, यहां कुछ भी कहा जा सकता है। पश्चिम बंगाल की सरकार यहां नहीं है। केन्द्र सरकार इसका जवाब नहीं दे सकती इसलिए कुछ भी कहा जा सकता है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: दुर्भाग्यवश, सदस्य कुछ ऐसी गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार यह भारत की संसद है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: इसका जवाब दे कौन सकता है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मोहम्मद शहाबुद्दीन (सिवान): महोदय, बिहार के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में सिवान का स्थान है। पूरे एन ई रेलवे में राजस्व के हिसाब से सिवान दूसरे नम्बर पर है और बनारस मंडल में प्रथम नम्बर पर है। पूर्व रेल मंत्री, नीतीश कुमार जी ने सिवान को एक आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किया था, उसके बाद वर्तमान रेल राज्य मंत्री, दिग्विजय सिंह जी ने आश्वासन दिया था। इसी बीच सिवान से रेलवे प्रशासन द्वारा करीब चार रेलों को—सदभावना एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस, सरयू-यमुना एक्सप्रेस और टाटा एक्सप्रेस को कैंसिल करके दूसरे रूट से चलाया जा रहा है। इसके लिए 23.8.2000 को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में करीब 2000 लोगों ने हिस्सा लिया था। वहां बहुत ही विस्फोटक स्थिति बनी हुई है और लोग आंदोलन पर उतारू हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन रेलों को फिर से शुरू करें।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: महोदय, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों के खिलाफ पांच ओएम निकाले गए थे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सब सांसदों के संयुक्त रूप से विचार करने के बाद 82वें संशोधन में उन दो अध्यादेशों को निकाला गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों को इसका जो लाभ होना चाहिए, वह नहीं हुआ। जो सर्कुलर निकला था उसमें भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/23/96-स्थापना (आरक्षण)-खंड 11, दिनांक 3 अक्तूबर, 2000 द्वारा संविधान के 82वें संशोधन अधिनियम 2000 के बाद 22.7.97 से पूर्व अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों/अधिकारियों की पदोन्नतियों को अपेक्षाकृत कम अंक, मूल्यांकन के अपेक्षाकृत कम मानक रखे जाने के रूप में विद्यमान तथा दी जा रही और बाद में वापस ले ली गई ढीलें, रियायतें अब तत्काल बहाल कर दी गई हैं। परन्तु जो सर्कूलर दिया गया है उसके पैरा 4 में 22.7.97 के बाद व 3.10.2000 से पहले किये चयन प्रभावित नहीं होंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको जीरो-आवर में देखकर नहीं पढ़ना चाहिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: उपाध्यक्ष जी, जो सर्कूलर दिया गया है उससे जो लाभ होना चाहिए वह लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि जिस उद्देश्य से अमेंडमेंट आया था वह बहाल नहीं किया गया है। जो नया पैरा जोड़ा गया है वह न जोड़कर मूल उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए, यही मेरी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, कल संसद भवन के सामने जीवन बीमा निगम के सैकड़ों एजेण्टों ने धरना दिया। जीवन बीमा निगम के प्रतिनिधियों ने माननीय वित्त मंत्री जी से भी भेंट की।

महोदय, इस संस्था को देश की सम्मानित संस्थाओं में स्थान देने में जीवन बीमा निगम के लाखों एजेण्टों का महत्वपूर्ण योगदान है। जहां इस संस्था के कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं ये एजेण्ट ऐसी किसी भी सुविधा से वंचित हैं जो उनके लिए बहुत जरूरी भी है। उन्हें इस सरकार से कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। जीवन बीमा निगम के एजेण्टों ने पेंशन की कल्याणकारी योजना की मांग की थी जिसमें जीवन बीमा निगम और उसके एजेण्टों दोनों का ही योगदान होता। उन्होंने बोनस और चिकित्सा दावों और भविष्य निधि जैसी सुविधाओं की मांग भी की है।

मैं माननीय वित्त मंत्री और सरकार से यथाशीघ्र मामले को देखने और उनकी शिकायतों को दूर करने का अनुरोध करता हूँ। इनकी यह मांग काफी पुरानी है और इस संबंध में वे माननीय वित्त मंत्री से भी मिल चुके हैं ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं श्री चेन्नितला द्वारा व्यक्त विचारों से सम्बद्ध करना चाहूंगा। कई सामाजिक कार्यकर्त्ता इसे रोजगार के रूप में ले रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस मामले पर श्री चैन्नितला ने जो कुछ कहा है, श्री वरकला राधाकृष्णन उनसे सम्बद्ध हो सकते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, वित्त मंत्री यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे मामले पर कुछ बोलने का अनुरोध करूंगा। मामले की उन्हें पूरी जानकारी है।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि माननीय वित्त मंत्री उत्तर देना चाहें तो वे दे सकते हैं किंतु मैं उन्हें उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा प्रदेश में रेल समस्या भयंकर रूप धारण करती जा रही है। पिछले 30 साल से हरियाणा में कोई भी नयी रेल लाइन नहीं बिछायी गयी है, कोई भी नयी गाड़ी नहीं मिली है कोई कम्पार्टमेंट नहीं बढ़ा है। हरियाणा तीन ओर से दिल्ली से लगता है और दैनिक यात्रियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है। यात्रियों को सोनीपत-पानीपत सैक्शन पर कोई नयी गाड़ी नहीं मिल रही है, कम्पार्टमेंट नहीं बढ़ रहे हैं। दिल्ली से यात्री भूसे की तरह भरकर गाड़ियों में यात्रा करते हैं और रोजाना वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं। बहन ममता बनर्जी ने जींद से सोनीपत का सर्वे मंजूर किया था।

उस पर कार्रवाई बड़ी धीमी गति से चल रही है। यह बहुत भयंकर समस्या है। दिल्ली देश की राजधानी है। इस समस्या का फौरन हल होना चाहिए। वहां नई रेल गाड़ियां चलनी चाहिए। वहां रोज एक्सीडैंट हो रहे हैं। केन्द्र सरकार इस तरफ तुरन्त ध्यान दे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने एक सर्वे करवाया था। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर के गांधी नगर क्षेत्र में 200 पी.पी.एम., सिविल लाइन क्षेत्र में 125 पी.पी.एम., जवाहर नगर क्षेत्र में 150 पी.पी.एम. फ्लोराइड की मात्रा पानी में आ गई है जो बहुत खतरनाक है। विराटनगर में 1100 पी.पी.एम. की मात्रा पानी में पाई गई है। जयपुर शहर के नागरिकों को व कच्ची बस्तियों के निवासियों को एक समय भी पूरा पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जयपुर शहर में अमानीशाह के नाले से 170 ट्यूबवैलों से 30 लाख टन गैलन पानी रोजाना मिल रहा है। यदि इसी स्पीड से जमीन से पानी निकलता रहा तो 2004 में जयपुर के आसपास 26 किलोमीटर में कहीं पानी नहीं रहेगा। इस समय 42 मीटर पानी नीचे जा चुका है। जयपुर के लिए बिसलपुर योजना से पानी सप्लाई करने की योजना बनी और इस पर तेजी से काम चालू हुआ परन्तु अभी काम बंद है। जयपुर शहर को एकमात्र रामगढ़ बांध ही सप्लाई करने वाला स्रोत है। इसकी सफाई जिस में मिट्टी जमा हो गई है, खोद कर सफाई करना अनिवार्य है। यदि बिसलपुर योजना को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो पानी की भयंकर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। विश्व बैंक इसके लिए पैसा देने को तैयार है। भारत सरकार विश्व बैंक से धन लेकर राज्य सरकार को कहे कि वह भी बिसलपुर योजना के लिए विश्व बैंक से सलाह कर और धन लेकर जयपुर शहर की पेय जल समस्या का समाधान करे वरना जयपुर शहर के लोग बिना पानी के तरस जायेंगे। इस गम्भीर समस्या की ओर भारत सरकार शीघ्र ध्यान दे।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश): उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 510 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है परन्तु विभिन्न राज्यों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद न होने के कारण किसानों का धान 300-350 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है जिससे किसान के पैदावार की लागत भी नहीं निकल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: आज इस विषय पर 193 के अंतर्गत चर्चा है। आप संक्षेप में अपनी बात कहें।

[अनुवाद]

आपका नोटिस धान के मूल्य की अदायगी न करने के बारे में है न कि खाद्यान्नों के बारे में।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: रबी फसल की बुआई नहीं हुई है। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। पिछले वर्ष भारत सरकार ने 60 प्रतिशत चावल की रिकवरी की थी। इस वर्ष उन्होंने 68 प्रतिशत चावल की रिकवरी की। खरीद करने वाली सरकारी एजेंसियों का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में धान खरीद रहे हैं, उससे 68 प्रतिशत चावल पर लेवी देना सम्भव नहीं है। मेरी मांग है कि व्यावहारिक स्तर पर धान की खरीद जारी रखने के लिए जिस तरह पिछले वर्ष 60 प्रतिशत की रिकवरी भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए छूट दी थी उसी तरह की रिकवरी इस वर्ष करे अन्यथा उत्तर प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज देने की घोषणा करे।

श्री राम टहल चौधरी (रांची): उपाध्यक्ष महोदय, रांची झारखंड की राजधानी है। वहां डी.आर.एम. आफिस की स्वीकृति तीन वर्ष पहले दी गई थी। सात साल पहले रेल राज्य मंत्री ने इसका शिलान्यास भी किया लेकिन वहां काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इससे काफी परेशानी हो रही है। अभी आद्रा में डी.आर.एम. आफिस है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह इसके लिए अधिक से अधिक धनराशि का आवंटन करे और वहां तीव्र गति से काम करवा कर भवन निर्माण करवाए।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, आपके माध्यम से मैं पूरी सभा का ध्यान एक बड़ी ही रुचिकर ऐतिहासिक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ब्रिटिश सरकार से कोहिनूर हीरे पर अपना दावा किया है। हिन्दू मिथकों में इसे कौस्तुभमणी के नाम से जाना जाता था। 1739 में नादिरशाह ने इसे मुहम्मद शाह रंगीला से प्राप्त कर इसका नाम प्रकाश पर्वत अर्थात् कोहिनूर रख दिया। दरअसल पहले यह हीरा माल्वा नरेश के पास था। अल्लाउद्दीन खिलजी ने उसे युद्ध में परास्त कर यह हीरा उससे छीन लिया। खिल्जी साम्राज्य के बाद ग्वालियर के राजा ने इसे ले लिया। तत्पश्चात् यह कोहिनूर मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के पास पहुँच गया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद नादिरशाह ने मुहम्मद शाह रंगीला से पगड़ी बदलकर इसे हासिल कर लिया क्योंकि मुहम्मद शाह रंगीला ने कोहिनूर अपनी पगड़ी में छिपाकर रखा हुआ था।

नादिरशाह को इस बात की जानकारी थी अत: उसने मित्रता के प्रतीक के रूप में पगड़ी का आदान-प्रदान किया और कोहिनूर को वह अफगान ले गया *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप यह बताइए कि कोहिनूर हीरे के संबंध में सरकार को क्या करना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाइं: आप मुझे दो मिनट और दीजिए। आखिर में महाराज रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान से युद्ध कर इसे प्राप्त कर लिया था। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप यह बताइए कि इस संबंध में केन्द्र सरकार को क्या करना चाहिए?

श्री खारबेल स्वाइं: मैं इसे समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' के दौरान आप केवल सरकार का ध्यान किसी मुद्दे पर आकर्षित कर सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाइं: 'शून्य काल' में एक ही मामले पर 10 या 15 मिनट बार बार लिए गए हैं किंतु मैं केवल दो मिनट ही चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: दो मिनट और।

श्री खारबेल स्वाइं: मैं अप्रासंगिक बातें नहीं करता हूँ। आखिर में पंजाब की दूसरी लड़ाई में महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र से ब्रिटिश इसे इंग्लैंड ले गए *...(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम आपको तो मुझे सुनना ही चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ।

श्री खारबेल स्वाइं: इसे लंदन के टावर में छिपाया गया था और अब तालिबान सरकार ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष उस हीरे का दावा किया है जिस पर उसका कोई दावा नहीं है। विगत 53 वर्षों से भारत सरकार ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है।

महोदय, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह इस हीरे पर अपना दावा करे क्योंकि यह राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ा है। यह हीरा मूलत: भारत का है और उसे इंगलैंड से भारत वापस लाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, देशभर में आन्दोलन का वातावरण हो गया है। पिछले चार महीनों से सैंट्रल सैक्रटरिएट सर्विसेज के लोग आन्दोलन कर रहे हैं। नार्थ ब्लाक सचिवालय के प्रांगण में भूख हड़ताल कर रहे हैं। पिछले 18 वर्षों से उन लोगों को कोई प्रोमोशन नहीं दिया गया है जबकि ग्रासरूट का सारा काम वे लोग करते आ रहे हैं। गृह मंत्रालय की स्थायी समिति ने इस मामले की पूरी छानबीन की है। इसमें पक्ष-विपक्ष के लोगों की सुनवाई करने के बाद यह अनुशंसा की है कि उन लोगों को प्रोमोशन देना चाहिये तथा पदस्थापन करके उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए लेकिन सरकार संवेदनहीन है और स्थायी समिति की अनुशंसा की अवहेलना कर रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि संसदीय गरिमा की रक्षा की जाये और सैंट्रल सैक्रटरिएट सर्विसेज के आफिसर्स और कर्मचारी आन्दोलन पर हैं, जिन्हें पिछले 18 वर्षों से पदोन्नति नहीं मिली है, को अविलम्ब पदोन्नत किया जाये। लाल फीताशाही इन आफिसरों के साथ हेरा-फेरी कर रही है जो स्थायी समिति की अनुशंसा को लागू नहीं करना चाह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना है कि सरकार को दिशा-निर्देश दिया जाये कि स्थायी समिति की अनुशंसा को लागू करे और उन लोगों को प्रोमोशन दिया जाये। इस के साथ यह भी अपील और प्रार्थना कर रहा हूं कि आगे लड़ाई और संघर्ष के लिए हम लोग तैयार हैं क्योंकि बगैर लड़ाई के कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में अरपा भेसाझाल सिंचाई परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह सिंचाई परियोजना पिछले 10-15 सालों से लम्बित है। कर्मचारी और अधिकारी पदस्थ हैं और एक करोड़ की कालोनी बन चुकी है। अन्य सभी कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य के 16 जिले, विशेषकर बिलासपुर जिले में अकाल पड़ा हुआ है। सभी जगह मजदूरों के लिए रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। किसान परेशान हैं। इस सिंचाई परियोजना के लागू होने से किसानों की 15 हजार एकड़ भूमि की आपसी हो सकेगी। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जिला बिलासपुर की अर्पा भेसाझाल सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाये ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके।

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर स्टेट के जम्मू क्षेत्र में 250 किलोमीटर लम्बा कंडी का जो क्षेत्र है उसमें आज भी लोगों को सिंचाई का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, जमींदार आज भी बरसात पर निर्भर करते हैं। उस क्षेत्र में आज भी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को तालाब का पानी पीकर गुजारा करना पड़ता है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि उस क्षेत्र में सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जाएं और साथ ही पीने के पानी के लिए केन्द्र सरकार के जल संसाधन से संबंध रखने वाले जो भी महकमे हैं, वे हरकत में आकर वहां के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवायें।

[अनुवाद]

डा. ए.डी.के. जयशीलन (तिरुचेंदूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा का ध्यान तमिलनाडु में मछुआरों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। दुर्भाग्यवश श्रीलंका के नौसैनिक मछुआरों को मारते हैं ...*(व्यवधान)* श्रीलंका की नौसेना द्वारा अक्सर निर्दोष मछुआरों की हत्या की जाती है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह इस मामले में कार्यवाही करे।

दूसरे, चक्रवात के मौसम के दौरान भी मछुआरों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अत: सरकार को तमिलनाडु के मछुआरों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस मामले के संबंध में तमिलनाडु के सम्माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है।

[हिन्दी]

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम एक हफ्ते से नोटिस दे रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। मैं दिल्ली के एक मैटर पर बोलना चाहती हूं। मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार से मांग करूंगी कि छतरपुर मंदिर में एक बाबा नागपाल थे। यह मामला पहले भी सांसदों ने उठाया था। बाबा नागपाल ने दुनिया से भीख मांग कर छतरपुर मंदिर का निर्माण कराया। उन्हें बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने चंदा दिया, इंदिरा जी जैसी महान हस्ती ने उन्हें चंदा दिया और उन्होंने चंदे से छतरपुर मंदिर बनवाया। बाबा नागपाल जी का दो साल पहले इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद दिल्ली के बत्रा हास्पिटल का मालिक वहां का फर्जी ट्रस्टी बन गया। वहां एक पुजारी सखी बाबा थे। उनका राशन बंद कर दिया और वहां जो ब्राह्मण पुजारी थे, उन्हें वहां से मार-मार कर भगा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय: यह कहां की बात है।

श्रीमती फूलन देवी: यह दिल्ली के छतरपुर मंदिर की बात है, जो एक विशाल मंदिर है। इसकी अरबो-खरबों रुपये की सम्पत्ति है, जिस पर उद्योगपति ने कब्जा कर लिया। यह बड़े दुख की बात है कि साधु-संन्यासियों के पूजा-पाठ की चीज पर उद्योगपति ने कब्जा कर लिया।

उपाध्यक्ष महोदय: यह स्टेट का मामला है।

श्रीमती फूलन देवी: यह बड़े दुख की बात है कि एक उद्योगपति उसका आजीवन ट्रस्टी बन गया। मेरी सरकार से मांग है कि इसकी जांच कराई जाए और बाबा नागपाल जी की हत्या कैसे हुई,* और वह उसका आजीवन ट्रस्टी बन गया। मंदिर साधु-संन्यासियों की चीज है। हमारे शहरी विकास मंत्री बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्या वह इस मंदिर को अपने कब्जे में नहीं ले सकते हैं। मंदिर को उद्योगपति से छीनकर सरकार अपने कब्जे में कर ले और साधु-संन्यासियों को सौंप दे। मैं बता देना चाहती हूं कि वहां किसी दिन बड़ा भारी संघर्ष होगा। वहां से ब्राह्मणों को नंगा करके मार-मारकर भगाया गया है।* बहुत बड़ा उद्योगपति है और वह मंदिर पर कब्जा कर रहा है और वहां से साधु-संन्यासियों को भगा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, भगवान का मंदिर उद्योगपति के कब्जे में जा रहा है। राज ही ऐसा है कि भगवान भी उद्योगपति के कब्जे में जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह राज्य का विषय है। यह कुछ भी हो किंतु आप उन्हें और उकसा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, 22 नवम्बर के राष्ट्रीय सहारा में 1971 के दिल्ली समाज के आई.पी.एस. *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले जिस मामले को आप उठा रहे हैं वह किसी व्यक्ति से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: यह राष्ट्रीय सहारा का मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय: चाहे कुछ भी हो, आपको बहुत ध्यान से वर्डिंग करनी है।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री रामदास आठवले: उपाध्यक्ष महोदय, 22 नवम्बर के समाचार पत्र ' राष्ट्रीय सहारा' में एक समाचार आया है दलित समाज के 1971 बैच के एक आई.पी.एस. अधिकारी को जो प्रमोशन मिलनी चाहिए थी, उनको प्रमोशन नहीं मिली। उस अधिकारी की सी.आर. खराब कर दी गई और 1985 में वे बीकानेर के पुलिस अधीक्षक भी थे। उन पर जो आरोप लगे थे, उनकी जांच हुई और वे आरोप निराधार पाए गए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि दलित समाज के बहुत सारे अधिकारियों की सी.आर. जान-बूझकर खराब की जाती है। प्रमोद महाजन जी से निवेदन है कि जो इस तरह का अन्याय हो रहा है, उसको दूर करने के लिए आपकी सरकार दलित और आदिवासी अधिकारियों की मदद करने वाली है या नहीं, उस बारे में आप थोड़ा बताएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.04 बजे पुन: समवेत हुई।

[डा. रघुवंशप्रसाद सिंह पीठासीन हुए।]

सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) बीमा विधि (कारबार का अन्तरण और आपात उपबंध) निरसन विधेयक*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सदन की कार्यवाही शुरू की जाती है। अब विधायी कार्य लिए जाएंगे। आइटम नं. 9 वित्त मंत्री, श्री यशवन्त सिन्हा।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 30.11.2000 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि एलायंज उंड स्टटगार्टर लाइफ इंश्योरेंस बैंक (अंतरण) अधिनियम, 1950, जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): सर, आप तो हिन्दी में बोलते थे। आज अंग्रेजी में कैसे बोल दिया।

श्री यशवन्त सिन्हा: हम दोनों में बोलते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि एलायंज उंड स्टटगार्टर लाइफ इंश्योरेंस बैंक (अंतरण) अधिनियम, 1950, जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं बीमा विधि (कारबार का अंतरण और आपात उपबंध) निरसन विधेयक, 2000 के पुर:स्थापन का विरोध करता हूँ। महोदय, मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का इसलिए विरोध करता हूँ क्योंकि मैं नहीं मानता कि इस विधेयक को लाना आवश्यक है। यह अधिनियम 1951 में अधिनियमित किया गया था। तत्पश्चात् संसद के अधिनियम द्वारा 1956 में जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बाद में इस संसद के अधिनियम द्वारा 1972 में साधारण बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण के बाद भी यह अधिनियम विद्यमान है। उस समय सरकार को ऐसा नहीं लगा कि ऐसे विधान की कोई आवश्यकता नहीं है और उस विधान को निरसित किया जाए। यह अनावश्यक कब बना? यदि यह अधिनियम 1956 और 1972 तथा जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण के बाद अनावश्यक बना तो फिर इस अधिनियम को निरसित क्यों नहीं किया गया? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम को अधिनियमित किये जाने के पश्चात् सरकार ने इस अधिनियम को निरसित करने का निर्णय किया है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या इस अधिनियम को निरसित करने से जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम का कार्यकरण प्रभावित होगा। इस संबंध में मुझे संशय है।

महोदय, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने इस सभा में आश्वासन दिया था कि उनका प्रयास इन दोनों संगठनों को सुदृढ़ करना है। मझे आशंका है कि इस उपाय से ये दोनों संगठन कमजोर होंगे। पहले ही ऐसा प्रयास किया जा चुका है।

श्री यशवन्त सिन्हा: इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

श्री बसुदेव आचार्य: अब सभी अनुषंगी कंपनियों को ही कंपनियों में विभाजित किया गया है। उन्हें स्वतंत्र बना दिया गया है। साधारण बीमा निगम का कार्य केवल पुनर्बीमा करना होगा। यह प्रक्रिया शुरु की जा चुकी है। यह प्रयास और यह उपाय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को और कमजोर करेगा। इसीलिए मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूँ और मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि वे इस विधेयक को वापस लें।

श्री यशवन्त सिन्हा: महोदय, मैं यह कहते हुए अपनी बात आरंभ करता हूँ कि माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई आशंका पूर्णत: निराधार है। इस सभा में विधेयक को पुर:स्थापित करने की प्रक्रिया नियम 72 द्वारा शासित होती है। नियम 72 में स्पष्टत: कहा गया है कि जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि यह सभा की विधायी क्षमता से परे है, विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध नहीं किया जाएगा। अत: जिन बातों को लेकर माननीय सदस्य विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध कर रहे हैं वे नियम 72 के अंतर्गत नहीं आती हैं। हम गुणागुण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम विधेयक के गुणागुण पर उस समय चर्चा करेंगे जब यह सभा में चर्चा के लिए आएगा। किंतु फिर भी यहां उठाया गया मुद्दा पूर्णत: निराधार है क्योंकि सभा जानती है कि प्रशासनिक विधि समीक्षा आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग ने सांविधिक पुस्तक में विद्यमान सभी विधानों के प्रश्न के बारे में विचार किया, और सरकार से अपनी सिफारिशें की हैं। सरकार ने नीतिगत रूप में उन सभी कानूनों को निरसित करने का निर्णय किया है जो अनावश्यक बन गए हैं। किंतु वे अभी की हमारी सांविधिक पुस्तक में हैं। इस विशेष मामले में मैं जिन तीन विधेयकों का उल्लेख कर रहा हूँ वे अनावश्यक बन गए हैं किंतु दुर्भाग्यवश वे अभी भी सांविधिक पुस्तक में हैं। इसीलिए, मैं इस निरसन विधान को लाया हूँ।

[श्री यशवंत सिन्हा]

जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक को संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और स्वीकृत किए हुए एक वर्ष बीत गया है, इस बीच नई बीमा कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जीवन बीमा निगम के कारबार में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और बीमा कारबार में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों का कारबार बहुत अच्छा चल रहा है और उन कंपनियों के प्रबंधन ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने कारबार आरंभ ही नहीं किया है।

श्री यशवंत सिन्हा: मैंने इस विधेयक को निरसित करने का औचित्य बताया है, हम न केवल भारत में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की स्थिति में हैं अपितु जीवन बीमा निगम और अन्य बीमा कंपनियां अन्य देशों में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अत: मैं माननीय सदस्य की इस आशंका से सहमत नहीं हूँ कि यह मात्र दिखावा है और हमारा सरकारी क्षेत्र केवल संरक्षणवादी व्यवस्था में ही फल-फूल सकता है। इस देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने में सक्षम हैं और जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम की समनुषंगी कंपनियां ऐसा करने में सक्षम होंगी।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि एलायंज उंड स्टटगार्टर लाइफ इंश्योरेंस बैंक (अंतरण) अधिनियम, 1950, जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री यशवन्त सिंहा: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

[हिन्दी]

अपराह्न 2.12 बजे

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक*

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री बसुदेव आचार्य: मैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2000 के पुर:स्थापन का विरोध करता हूँ।

अभी कल ही नागर विमानन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की उप-समिति, जिसके सभापति माननीय मंत्री जी हैं और जिसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हमारे सभी विमानपत्तन पट्टे पर देने संबंधी इस पहलू की जांच की थी, ने यह सिफारिश की थी कि हमारे लाभ अर्जित करने वाले किसी भी विमानपत्तन को पट्टे पर न दिया जाये। उन्हें यह आशंका थी कि इससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरा होगा। इस पहलू की जांच नहीं की गई है। फिर, इसका क्या परिणाम होगा? यदि हमारे विमानपत्तनों को पट्टे पर दिया गया तो इससे काफी अधिक कर्मचारी फालतू हो जायेंगे। उनका क्या होगा? उनका यह सुझाव था कि हमारे विमानपत्तनों को पट्टे पर देने के बजाय भारत सरकार को नये विमानपत्तनों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु प्रयास करने चाहिएं।

माननीय मंत्री ने उद्देश्यों और कारणों के कथन में इसका कारण यह बताया है कि सरकार के पास विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण हेतु निधियां नहीं हैं। देश में 94 प्रमुख विमानपत्तन और 28 सिविल श्रेणी के विमानपत्तन हैं। अनेक विमानपत्तन लाभ कमा रहे हैं। इसलिए हमारे विद्यमान विमानपत्तनों में से किसी भी विमानपत्तन को पट्टे पर देने की आवश्यकता नहीं है।

मंत्रालय ने इन सभी पहलुओं की अभी तक जांच नहीं की है। जांच किये बिना ही उन्होंने इन्हें पट्टे पर देने का निर्णय लिया है और इस प्रकार वे यह विधेयक लेकर आये हैं। यह हमारे देश के हित के विरुद्ध है और इसीलिए यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो वह हमारे देश के संविधान के खिलाफ होगा।

इसीलिए मैं इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करता हूँ। मैं मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी को यह विधेयक वापस लेना चाहिए और नये विमानपत्तनों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु प्रयास करना चाहिए। यदि नये विमानपत्तनों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-2, दिनांक 30.11.2000 में प्रकाशित।

लेकिन मौजूदा विमानपत्तनों को पट्टे पर नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): ऐसे मंत्री के द्वारा यह सारा काम कराया गया है, जिनकी विचारधारा इसके खिलाफ है। यह क्यों हो रहा है? *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप तो दिल से इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप देश की चीज को क्यों बेच रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: शरद यादव जी जैसे नेता के माध्यम से यह काम हो रहा है, यह समाजवादी नेता रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): इस बिल को पेश करने की उनको आप परमीशन दीजिए, इसमें हमें एतराज नहीं है, लेकिन जो स्थिति अभी विमानन की है, उसको देखते हुए इस बिल को नहीं लाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह बहस के समय आयेगा, अभी नहीं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इस बिल को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम इनकी प्रतिष्ठा को गिराना नहीं चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री राजो सिंह: यह बिल एकदम बेकार है, यह बिल पेश करने के लायक नहीं है।

सभापति महोदय: आपका इस पर कोई नोटिस नहीं है, कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, यदि यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है तो माननीय मंत्री जी बेरोजगार हो जायेंगे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम आपके साथ हैं, आप अन्याय के खिलाफ लड़िये। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हम लोग एक साथ लड़े हैं, लेकिन आप उधर चले गये और परिवर्तन हो गया। हमारी आपसे अपील है कि आप इस बिल को मत लाइये। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह सदन की कार्यवाही में नहीं जायेगा। कृपा करके आप आसन ग्रहण कीजिए।

*...(व्यवधान)**

श्री शरद यादव: हम आपके साथ खड़े होकर लड़े हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको जो बोलना था, बोल गये। आपने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। कृपा करके आसन ग्रहण कीजिए। अब माननीय मंत्री जी को भाषण करने दीजिए।

श्री प्रमोद महाजन: आप तो वहीं हैं, जहां खड़े हैं। प्रियरंजन दा का आसन बदल गया, पता नहीं कहां खड़े हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम तो कांग्रेस में ही हैं। हम तो इधर से उधर नहीं गये हैं, लेकिन शरद यादव जी हमको प्रेरणा देते थे। वे जब जबलपुर से चुनकर आये तो जो अन्याय के खिलाफ लड़े, उससे मुझे प्रेरणा मिली। आज एक मजबूत आदमी आपके मंत्रिमंडल में है, आप इनको क्यों बर्बाद कर रहे हैं, यही मैं कह रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: आपको हराकर हम उनको जनता कैंडीडेट के रूप में चुनकर लाये थे, उनको आपने नहीं चुना था। ये आपको हराकर हमारे पहले जनता केंडीडेट हैं, जो चुनकर आये हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह बिल के इंट्रोडक्शन का प्रश्न है, इसमें अन्य बातों का कोई मतलब नहीं है।

श्री शरद यादव: सभापति जी, आचार्य जी तो बहुत सीनियर मैम्बर हैं। बिल के कंसीड्रेशन के दौरान इस पर काफी बहस होगी। जिस कमेटी की आप चर्चा कर रहे हैं, उस पर भी विस्तार से हम जवाब देने का काम करेंगे। वह कमेटी हमने ही कांस्टीट्यूट की है। हम जो लीज पर दे रहे हैं, प्रियरंजन दासमुंशी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कोचीन का प्राइवेट एयरपोर्ट जोइंट वेंचर में बना है, उसमें सरकार का एक पैसा भी नहीं लगा है। हिन्दुस्तान में सिविल एविएशन की यदि कोई एक चीज रूह है तो वह एयरपोर्ट एथॉरिटी है और एयरपोर्ट एथॉरिटी में हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हमारी गया, लखनऊ, जयपुर, खजुराहो और कोणार्क आदि पर इतना बड़ा पैसा खर्च करने की स्थिति हों। *...(व्यवधान)* मेरी बात सुनिये न। आपने जो सवाल उठाया है, मैं आपकी बात का समाधान करना चाहता हूं। हालांकि इस बिल पर बहस के दौरान, जब बिल आयेगा, तब करेंगे, लेकिन ये एयरपोर्ट लीज पर दिये जा रहे हैं। आपने जो वर्कर्स

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शरद यादव]

के मामले में कहा, और सब चीजों के मामले में कहा, इन सब चीजों पर अभी तो सिद्धान्ततः हमने तय किया है। बाकी जो चीजें हैं, जैसे चारों एयरपोर्ट प्रोफिट में हैं, ये सारी चीजें हमारे ख्याल में हैं। इनके प्रोफिट को बढ़ाने के लिए हम सिर्फ मैनेजमेंट को लीज पर देने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप वर्कर्स के मामले में और चीजों का जो एप्रीहेंशन कर रहे हैं, वे सब सवाल हमारे ख्याल में हैं, ध्यान में हैं।

मैं आपसे कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: एयरपोर्ट अथोरिटी के कर्मचारियों का अपने पे रिवीजन नहीं किया।

श्री शरद यादव: उनकी लड़ाई के चलते नहीं हुआ। हम तैयार हैं, आप उनको एक करके ले आएं।

श्री बसुदेव आचार्य: एक कैसे हों, जब इलेक्ट होकर यूनियन बनी हैं, आप मान्यता दें।

सभापति महोदय: यह बहस के समय डिसकस करें।

श्री शरद यादव: आपकी जानकारी नहीं है कि वेजेज दे चुके हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): किस सेक्टर में मान्यता चाहिए, वहां पर आप नहीं जाएंगे, आपको इस सेक्टर में मान्यता चाहिए इसलिए कह रहे हैं।

श्री शरद यादव: जब इस बिल पर चर्चा होगी, जो सवाल आपने उठाया है, तब आप कहें। जैसे सारा सदन सहमत होगा, उस पर काम किया जाएगा।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री शरद यादव: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 2.22 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान सरकार को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए स्वीकृत केन्द्रीय निधियों का पुनर्विनियोग न किये जाने के लिए निर्देश दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): राजस्थान सरकार के पास 75 करोड़ रुपये की धनराशि गत वर्ष की, और भारत सरकार की ओर से 105 करोड़ की धनराशि तथा 100 करोड़ की राशि अकाल समस्या का समाधान करने के लिए प्राप्त की, परंतु प्रथम रकम के बारे में जो एन.ओ.सी. देनी थी वह नहीं दी।

राजस्थान सरकार ने उपरोक्त धनराशि का उपयोग अकाल राहत में खर्च नहीं कर अन्य कार्यों में कर दिया, जो अनुचित है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि राजस्थान सरकार को पाबंद किया जाए कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग अकाल राहत के लिए ही करें और इस कार्य में राजस्थान के सांसदों को विश्वास में लिया जाए।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों, विशेष रूप से लम्बी अवधि से संवेदनशील पदों पर नियुक्त, को स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): कोल इंडिया लिमिटेड के प्रत्येक अनुषंगी कम्पनियों में संवेदनशील और सामान्य पदों पर कई वर्षों से अधिकारीगण एक ही पद और स्थान पर कार्य कर रहे हैं। इस प्रथा से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है और ईमानदार अधिकारीगण को कम्पनी के हित में कार्य करने से वंचित रखा जा रहा है।

मैंने हाल में कोयला सलाहकार समिति की बैठक में दिल्ली कार्यालय स्थित कोल इंडिया लिमिटेड के कार्यालयों में 15-20 वर्षों से संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अत: सरकार से आग्रह है कि संवेदनशील पद पर और एक ही स्थान पर कई वर्षों तक पदस्थापित रहने वाले अधिकारियों का स्थानान्तरण किया जाए और योग्य, कर्मठ और ईमानदार अधिकारियों की सूची बनाकर नए अधिकारियों को पदस्थापित किया जाए।

(तीन) जम्मू-कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर रह रहे लोगों के लिए वित्तीय सहायता और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता

वैद्य विष्णु दत्त शर्मा (जम्मू): जम्मू कश्मीर स्टेट की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की नित्य प्रति गोलीबारी के कारण कितने ही लोग मारे जा चुके हैं और पशुओं के मरने की संख्या कहीं अधिक है। गोलीबारी के कारण सीमा पर खेती बाड़ी सम्भव नहीं हो पा रही। अत: भयंकर बेरोजगारी और फाकाकशी की हालत है। भारत सरकार से प्रार्थना है कि सीमा पर रहने वाली जनता की सुरक्षा के लिए उनके घरों में बंकर बनवाए जाएं और उन्हें सिविल डिफैंस (नागरिक सुरक्षा) का शिक्षण दिया जाए। इसके अतिरिक्त ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन कर उन्हें शस्त्र दिए जाएं ताकि उनका साहस बढ़े और उग्रवादियों का सीमा में प्रवेश और मादक द्रव्यों की तस्करी रुक जाए। ऐसी दुर्दशा में कुछ एक क्षेत्र को छोड़ कर सारी सीमा पर रहने वाले लोगों को आर्थिक सहायता अत्यन्त आवश्यक है तथा सीमा पर रहने वाले लोगों को कम मूल्य पर आटा, चावल तथा अन्य खाद्य पदार्थ पहुंचाया जाए।

[अनुवाद]

(चार) नागालैण्ड में नागिनीमोर और तुएनसांग बरास्ता मोन के बीच सड़क का रख-रखाव सीमा सड़क संगठन द्वारा किये जाने की आवश्यकता

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): महोदय, नागालैंड में भारत-म्यांमार सीमा पर एक सामरिक महत्व की सड़क, जो नागिनीमोरा से शुरु होकर और मोन से गुजरते हुये तुएनसांग जिले तक जाती है, अप्रैल, 2000 से सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक की सलाह से लोक निर्माण विभाग के तहत नागालैंड राज्य सरकार को सौंपी गई है। इस सड़क का निर्माण रक्षा मंत्रालय द्वारा मुख्यत: भारतीय सीमा क्षेत्र में सेना की आवाजाही के उद्देश्य से किया गया था।

इस सड़क के रखरखाव का कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा रक्षा सड़कों के अंतर्गत पर्याप्त बजट की व्यवस्था करके किया जाना चाहिए। ऐसी संभावना है कि नागालैंड को अंतत: इसे बीच में छोड़ना पड़े क्योंकि राज्य सरकार, जो पहले ही वित्तीय संकट का सामना कर रही है, इस प्रकार का कुछ भी वित्तीय बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है।

इसके अलावा, मेरा भारत सरकार को यह सुझाव है कि वह सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक को रखरखाव और विकास कार्य करने के लिए तथा दोहरी लेन वाली सड़कें बनाने की योजना तैयार करने का भी निदेश दे ताकि यदि भविष्य में सीमा पर किसी प्रकार का विदेशी आक्रमण होता है तो भारत की सेना की टुकड़ियां आसानी से तथा शीघ्र आवाजाही कर सकेंगी और देश की रक्षा कर सकेंगी। हमें इस प्रकार की आवश्यक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमा रक्षा सड़कों को और सीमा सड़क संगठन के अलावा किसी अन्य एजेंसी को नहीं सौंपना चाहिए और इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए।

(पांच) कर्नाटक में अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन): महोदय, अपर कृष्णा परियोजना कर्नाटक की एक बड़ी परियोजना है जिसका निर्माण कार्य विश्व बैंक की सहायता से पूरा किया जा रहा है। इस पर लगभग 4,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि इस परियोजना के लिए निर्धारित राशि में से 300 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का अन्यत्र उपयोग किया गया है। इस कारण विश्व बैंक पैसा नहीं दे रहा है। इसलिए यह परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है।

इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से यह आग्रह करता हूँ कि वह इस मामले की शीघ्र जांच कराने का आदेश दें और संबंधित प्राधिकारियों से परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अनुदेश दें।

[हिन्दी]

(छ:) महाराष्ट्र में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सभापति महोदय, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोइबा एवं आई.एस.आई. ने देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई एवं महाराष्ट्र के अन्य शहरों में आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा साम्प्रदायिक दंगे फैलाने की योजना लगातार बना रहा है। उन्होंने नौ सेना मुख्यालय, मुम्बई हाई एवं मा. शिवसैना प्रमुख का निवास स्थान तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्यालय नागपुर को भी उड़ाने की योजना बनायी थी ताकि पूरे महाराष्ट्र में जातीय दंगे भड़क उठें और अर्थव्यवस्था बिखर जाए। कुछ माह पूर्व इन्हीं संगठनों के द्वारा सोलापुर जिले में एक चर्च को भी उड़ाने की योजना बनाई थी। 500 रुपये के नोटों को भी देश के अन्य राज्यों में महाराष्ट्र को केन्द्र बनाकर किया गया था।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि देश की आर्थिक राजधानी मुम्बई और महाराष्ट्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के

[श्री चन्द्रकांत खैरे]

लिए राज्य सरकार से संबंध स्थापित कर आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए समुचित कदम उठाये जायें।

[अनुवाद]

(सात) तिरुनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तमिलनाडु सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): सभापति महोदय, तमिलनाडु में मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तिरूनेलवेली में तूतीकोरिन, तिरूनेलवेली, पलायमकोट्टई, श्रीवैकुंदम, ओट्टापिदरम और विलाथीकुलम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में से तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और पलायमकोट्टई शहरी क्षेत्र हैं।

पिछले 28 महीनों से सिर्फ तूतीकोरिन नगरपालिका ने ही पानी के टैंकर की गाड़ियों के किराये के रूप में लगभग 58,02,000 रुपये खर्च किये हैं। महोदय, प्रत्येक टैकर गाड़ी की लागत 8.76 लाख रुपये है। महोदय, उस संसाधन में वृद्धि करने हेतु मैंने अपने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कोष में से 60 लाख रुपये जारी किये और तिरुनेलवेली के कलक्टर को तूतीकोरिन नगरपालिका के लिए और तिरुनेलवेली नगर निगम के लिए चार-चार टैंकर गाड़ी खरीदने के लिए कहा लेकिन कलक्टर ने यह कहते हुए यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि यह कोई टिकाऊ परिसंपत्ति नहीं है।

इन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले गांवों के लोग अधिकांशत: पिछड़े और आदि द्रविड़ समुदाय के हैं क्योंकि श्री वैकुंदम, ओट्टापिदरम और विलाथीकुलम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी और पक्की सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि उस क्षेत्र में बारहमासी तमिराबरानी नदी बहती है, तथापि वहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना नहीं है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अनिवार्य निधियां आवंटित करे ताकि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें।

इसके अलावा, भविष्य में तमिराबरानी नदी में से गाद निकाली ही जायेगी, इसलिए सरकार को मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई और पीने के पानी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस पर तत्काल विचार करना चाहिए।

(आठ) बेगूसराय जिले के जयमंगलागढ़ के विकास के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार): महोदय, बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में जयमंगलागढ़ नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, जो काबर झील में द्वीप सदृश्य अवस्थित है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध अपने 1200 शिष्यों के साथ वहां आए थे और 24 घंटे का विश्राम किया था। उसे कोई सिद्ध पीठ मानता है, कोई पालवंशीय राजाओं के किले का होना बताता है। कई तरह की कथाएं कही जाती हैं। वैसे तो किले का अवशेष ढांचा अब भी मौजूद एवं मजबूत है। किला के चारों तरफ तत्कालीन सुरक्षात्मक व्यवस्था स्वरूप विशाल खाई खुदी है, जिसमें असंख्य मछलियां तैरती रहती हैं। पक्षी कलरव करते रहते हैं। उसे देख कर कमल के फूल खिल-खिलाते दिखाई पड़ते हैं। बड़ा ही रमणीक, पूजनीय और दर्शनीय स्थल है। हर एक मंगल एवं शनिवार को श्रद्धालुओं की खासी भीड़ जमा होती है। प्रतिवर्ष पहली जनवरी को नववर्षोल्लास मनाने वालों की भीड़ लाख की सीमा पार कर जाती है किन्तु अभी तक इसे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

अत: मेरा अनुरोध है कि सरकार उसे पर्यटन स्थल घोषित कर उसके विकास हेतु समुचित धन की व्यवस्था करे।

(नौ) हिमाचल प्रदेश सरकार को सोलन जिले में सिंचाई हेतु जल प्रबंधन के लिए धनराशि प्रदान किये जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य (शिमला): महोदय, शिमला संसदीय क्षेत्र में सोलन जिले में कृषक व बागवान वर्ग का बाहुल्य है। इस क्षेत्र में गम्भर व कूहनी खंडों के जल का प्रयोग जलागम विकास के लिए लगभग दस स्थानों पर छोटे-छोटे डेम बना कर पीने के पानी, सिंचाई हेतु उठाऊ-जल योजना, मछली पालन व स्थानीय प्रयोग हेतु जल-ऊर्जा उत्पादन कर लगभग दस हजार हैक्टेयर भूमि पर गैर मौसमी व विदेशी सब्जियों, फूलों, टमाटर, मटर, शिमला मिर्च व अदरक जैसी नकदी फसलों का उत्पादन कर अनुमानत: 20 हजार परिवारों की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रदेश सरकार इस दिशा में कार्यरत है, परन्तु इस विकास के कार्य को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने के लिए केन्द्र सरकार की सहायता अनिवार्य है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जल-प्रबंधन द्वारा हजारों परिवारों की अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन के मद्देनजर कम से

कम तीन बीघे प्रत्येक परिवार की भूमि को सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने से इस क्षेत्र की बेरोजगारी की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकेगा। साथ ही मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार के विशेषज्ञ दल को सर्वेक्षण के लिए भेजा जाए।

[अनुवाद]

(दस) केरल राज्य में विदेशों, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र के लिए और अधिक विमान सेवाएं शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): महोदय, विदेशों में बड़ी संख्या में भारतीय लोग कार्य कर रहे है। उनके समक्ष प्रमुख समस्या अपर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय विमान संपर्क है। हमने इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान कई बार आकृष्ट किया है। त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कालीकट हवाई अड्डों में अंतर्राष्ट्रीय उड़नों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्याप्त सुविधाएं हैं। खाड़ी जाने वाले यात्री इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। विदेशों के लिए और अधिक उड़ानों की व्यवस्था करने से विदेशों में कार्य करने वाले भारतीयों को सुगम यात्रा करने में मदद मिलेगी। नागर विमानन मंत्रालय को चाहिए कि वह अधिक विमान सेवाएं शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

(ग्यारह) मोकामा और फरक्का के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 का उचित रख-रखाव किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): सभापति जी, नेशनल हाइवे संख्या 80 जो मोकामा से फरक्का तक की सड़क है, उसकी हालत बहुत ही जर्जर स्थिति में है। उस पर वाहन तो क्या पैदल भी चलना दुसवार है।

अत: मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उक्त सड़क में यथाशीघ्र धन आबंटन देकर कार्यों को अविलम्ब कराने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अपराह्न 2.36 बजे

[अनुवाद]

आप्रवास (वाहक दायित्व) विधेयक–पारित

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में वाहकों द्वारा भारत में लाए गए यात्रियों की बाबत उन्हें दायी बनाने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

जैसाकि माननीय सदस्यों को भली भाँति मालूम है कि पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950 में भारत से बाहर किसी अन्य स्थान से समुद्र, जमीन अथवा हवाई जहाज द्वारा आने वाले किसी विदेशी अथवा किसी व्यक्ति के प्रवेश की कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। इन नियमों के अंतर्गत विदेशी नागरिकों के पास सभी विधिमान्य यात्रा दस्तावेज, जैसे वैध पासपोर्ट और वीजा होना अपेक्षित है। किसी भारतीय के पास भी वैध-पासपोर्ट होना आवश्यक है। विभिन्न चेक-पोस्टों पर नियुक्त आप्रवास अधिकारी, जिसमें जमीन, समुद्र और एयरपोर्ट शामिल है, परिवहन के विभिन्न माध्यमों से आने वाले व्यक्तियों की पूर्ण जाँच करते हैं। परन्तु हाल ही में यह देखा गया है कि चार बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, विशेष तौर पर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई से आने वाले बहुत से यात्री बिना किसी वैध दस्तावेज के यहाँ पहुंच जाते हैं और आप्रवास अधिकारियों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। वे उन्हें कुछ दिनों तक रोके रखते हैं और फिर उन्हें उसी जहाज से स्वदेश वापस भेज देते हैं। हाल ही में ऐसा देखा गया है कि कुछ एयरलाइन्स विमान में चढ़ने से पहले यात्रा दस्तावेजों की समुचित जांच नहीं करते। अत:, यह आवश्यक हो गया है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए ऐसे यात्री लाने वाले एयरलाइनों, पोतवाहकों पर वित्तीय दायित्व डालकर विधिक जिम्मेदारी डाली जाए।

संक्षेप में, केवल इसी प्रयोजनार्थ यह आप्रवास (वाहक-दायित्व) विधेयक, 2000 राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था। यह विधेयक, फरवरी, 1999 में गृह कार्य संबंधी स्थायी संसदीय समिति को भी सौंपा गया था।

नागर विमानन मंत्रालय और जल भूतल परिवहन मंत्रालय के साथ परामर्श करके उनकी सिफारिशों पर भी विचार किया गया था और इस संबंध में कुछ निर्णय लिए गए थे।

इस विधेयक में वैध दस्तावेजों के बिना यात्रियों को लाने वाले वाहक से एक लाख रुपये प्रति यात्री जुर्माना वसूल करने का प्रस्ताव है। यह जुर्माना लगाने का अधिकार संबद्ध विदेशी स्थानीय रजिस्ट्रेशन अधिकारियों अथवा भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को दिए जाने का प्रस्ताव है। ब्रिटेन, अमरीकी, सऊदी अरब, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया इत्यादि अन्य देशों में इसी प्रकार के अधिनियम हैं। सभा की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 1999 के दौरान लगभग 815 ऐसे विदेशी पकड़े

[श्री ईश्वर दयाल स्वामी]

गए थे जो बिना किसी यात्रा दस्तावेज के भारत से बाहर जा रहे थे अथवा भारत आये थे।

इन शब्दों के साथ, मैं आग्रह करता हूँ कि 24 नवम्बर, 2000 को राज्य सभा द्वारा यथापारित आप्रवास (वाहक-दायित्व) विधेयक, 2000 पर इस सम्माननीय सभा द्वारा विचार किया जाए।

महोदय, आपकी तथा इस सम्माननीय सभा की अनुमति से मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जब इस विधेयक पर राज्य सभा में विचार किया गया था तो बिना किसी चर्चा के इसे पारित कर दिया गया था। मैं इस सम्माननीय सभा से राज्य सभा का अनुकरण करने का भी निवेदन करता हूँ। यह विधेयक केवल अनपकारी ही नहीं है, इसका उद्देश्य ऐसी कुछ समस्याओं को भी सुलझाना है, जो बिना दस्तावेज के लोगों के यहां पहुंचने पर उत्पन्न होती हैं। उन्हें रोकने और स्वदेश वापस भेजने जैसी सम्सयाएं भी हैं। इस विधेयक के पारित होने पर ऐसी समस्याएं भी सुलझ जायेंगी। यदि यह जिम्मेदारी वाहकों, जैसे एयरलाइन्स और पोतवाहकों पर डाल दी जाये तो हमें लोगों को परेशान नहीं करना पड़ेगा और लोग भी इस परेशानी से बच जाएंगे।

महोदय, एक बार मैं पुन: आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे निवेदन पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में वाहकों द्वारा भारत में लाए गए यात्रियों की बाबत उन्हें दायी बनाने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मंत्री महोदय को चर्चा का स्वागत करना चाहिये। चर्चा से कुछ विचार सामने आयेंगे।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: यदि चर्चा योग्य कुछ होता, तो मैं निश्चित रूप से चर्चा कराता। परंतु यदि आप इसके बावजूद भी इस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। यदि आप चाहें, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): हम यथाशीघ्र बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करने के इच्छुक हैं।

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि इस विषय पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों और पार्टियों ने इस बारे में सहमति जाहिर की है। इसलिए राज्य सभा ने ज्यादा चर्चा न करके इसे पास किया।

मैं एक-दो मुद्दे उठाना चाहता हूं। ट्रैवलिंग डाक्यूमैंट्स की ठीक से जांच करनी चाहिए। इन सभी बातों को मंत्री महोदय ने ठीक से बताया है। दूसरे देशों में भी इस तरह का प्रावधान है। सारे ट्रैवलिंग डाक्यूमैंट्स वैरिफाई करने चाहिए। जो कैरियर्स ले जाते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। बाहर के देशों से बहुत से लोग यहां आते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां आमंत्रित करते हैं। उन्हें यहां पूरी सुविधाएं मिलती हैं। वे टूरिस्ट प्लेसिज जाते हैं। आतंकवादी नशीले पदार्थों को यहां लाते हैं। इस कारण वे यहां से खुश होकर जाते हैं। ऐसे में देश की एकता और अखंडता पर प्रश्न चिह्न लगता है। इससे देश में कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इन तमाम चीजों को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा यह विधेयक लाया गया है।

मैं इस अवसर पर एक-दो प्वाइंट्स की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इंडियन एअरलाइन्स की फ्लाइट्स श्रीलंका, नेपाल और सिंगापुर जाती हैं। आप इस बिल में जो अमैंडमैंट्स कर रहे हैं क्या उसके अन्तर्गत इंडियन एअरलाइन्स पर भी वह लागू होगा या नहीं? इम्मिगरेशन डिपार्टमैंट को उनके कामकाज की समय-समय पर जांच करनी चाहिए। उनको हमेशा एलर्ट रहना चाहिए। उन्हें अपना वर्किंग स्टाइल चेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैरिअर्स लॉयबल हैं या नहीं? उनके ट्रैवलिंग डाक्यूमैंट्स को समय-समय पर देखना चाहिए। इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने ऐसे बिल को लोक सभा में लाने का प्रयास किया।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आप्रवास (वाहक-दायित्व) विधेयक, 2000 का प्रबल समर्थन करता हूं। यह बिल तो अच्छा है लेकिन गंभीर है। यह देश के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि आज दुनिया छोटी नहीं रह गई है। आना जाना बहुत बढ़ गया है। भारत की लम्बी-चौड़ी सीमायें हैं जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक फैली हुई हैं। पुराने समय से ही भारत की जल, थल और नभ सीमा से आना जाना होता रहा है। हमारा देश में पासपोर्ट अधिनियम, 1920 बना हुआ है तथा 1950 में इसमें प्रवेश संबंधी विशेष अनुबंध किया गया था। उसके पहले पासपोर्ट अधिनियम में समय समय पर कई बार परिवर्तन किये गये लेकिन उसमें कई कमियां रह गई, इसलिए यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक का मूल कारण यह है कि लाने वाले के ऊपर कानून जिम्मेदारी

डालता है जो कानून की पालना कराकर विधिमान्य दस्तावेज लाने वाले यात्रियों के पास अवश्य हो। अपने जहाज में बैठने से पहले, चाहे व जलपोत हो या वायुयान हो, अथारिटी द्वारा भली प्रकार इस कानून के अंतर्गत चैक किया जाता है। मान लीजिए कि कोई गैर-कानूनी व्यक्ति को ले आए तो अवैध दस्तावेज होने की स्थिति में प्रति व्यक्ति एक लाख रुपये तक जुर्माना होगा। ऐसी स्थिति में एक लाख रुपया ज्यादा है लेकिन इसके डर से कम से कम वे तस्करी करने वाले या हेरोइन या नशीले पदार्थ भारत में लाने वाले व्यक्ति को पहले वहां चैक करके अपने देश में आने से सावधानी से रोक सकें। मान लीजिए कि वह एक लाख रुपये के जुर्माना के विरुद्ध अपील करना चाहे तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि ऐसा केन्द्रीय सरकार की ओर से अधिसूचित सक्षम अधिकारी हो या 1948 के पासपोर्ट अधिनियम है या विदेश विश्लेषक विधेयक, 1946 के अंतर्गत जो सिविल अधिकारी होता है, वह उसकी जांच करेगा और अगर जांचोपरांत कोई पक्षपात या इस प्रकार की कोई आशंका हो, जो यात्री पकड़े गये हैं, वे अपील कर सकते हैं। इस कानून में न्याय की अनुपालना की गई है। इस प्रकार जो न्याय का सिद्धान्त है कि दोनों पक्षों की सुनवाई करना और जो पक्षकार बनाया गया है, उसकी सुनवाई या अपील पर विचार किया जा सकेगा। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को यह अधिकार दिया गया है। जो विदेशी के बारे में व्यवहार करने वाले हैं या फिर भारत सरकार द्वारा जुर्माना वसूल करने के लिए अगर किसी को अपाइंट किया गया, उसका सम्मान कर सकेगा। मान लीजिए, जुर्माने वाले के पास एक लाख रुपया नहीं हुआ, पकड़ा गया तो क्या करें? या तो उस जलपोत या वायुयान की नीलामी की जायेगी या कम्पनी के जिस मालिक का सामान भरकर लाया गया है तो वह माल जब्त किया जा सकेगा। उसकी नीलामी के बाद रकम वसूल की जा सकेगी। इस प्रकार अपने आप में यह एक समग्र बिल है। मैं समझता हूं कि यह राष्ट्र हित में है। ऐसे ही विचार श्री चेन्नितला जी ने व्यक्त किये हैं कि यह वास्तव में देश के लिए एक उपयोगी बिल है।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा। हमारे देश की समुद्री और थल सीमाओं पर रखवाली अच्छी है और तगड़ी व्यवस्था की गई है। हमारे देश में घुसपैठ जल, थल या नभ के रास्ते से होती है। अभी पुरुलिया में दूसरे देश का हवाई जहाज हथियार डालकर चला गया। यह बात 3-4 वर्ष पुरानी है। शायद इस सदन के माननीय सदस्यों को याद होगी। वह विदेशी हवाई जहाज पहले पुरुलिया में हथियार उतार कर फिर वहां से मुम्बई चला गया। बाद में लोग पकड़े गये। कई सरकारों के हस्तक्षेप से उन्हें छोड़ा गया। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र अजमेर में कुछ दिन पहले 21 बंगलादेशी लोग समूह में पकड़े गये। हालांकि थल सीमा पर बी.एस.एफ. चैक करती है लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि समुद्री अथवा थल सीमा पर जो चौकियां बनी हुई हैं, इम्मीग्रेशन अधिकारियों या सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है लेकिन यदि वे प्रामाणिकता या विश्वसनीयता तथा ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें।

विदेशियों पर हम इस तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं, फिर भी हमारे यहां के लोगों से मिल-जुलकर लोग देश में घुस आते हैं। कभी किसी व्यक्ति की कमजोरी होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को इमीग्रेशन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाए जो सक्षम हों और रिश्वतखोरी आदि इन सारी बातों से दूर रहें। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने एक लाख रुपये का जुर्माना करके सब अपराधियों को एक बराबर कर दिया है। मान लीजिए जिनके पास हेरोइन पकड़ी जाए, करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ पकड़े जाएं और उसके पास विधिमान्य पासपोर्ट और दस्तावेज भी न हों तो वह भी एक लाख रुपये देकर छूट जायेगा। जबकि ऐसे व्यक्ति के ऊपर ज्यादा जुर्माना होना चाहिए। शायद अन्य कानूनों में इसकी व्यवस्था होगी। माननीय मंत्री जी इस बारे में प्रकाश डालें। यह मेरी शंका थी, जिसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अंत में फिर कहना चाहता हूं कि कानून तो बन जाते हैं, लेकिन कानून बन जाने के बाद उन कानूनों का पालन सख्ती से हो। विदेशी कंपनियां चाहे कैसी भी हों, हमारे किसी भी राष्ट्र से चाहे कैसे भी मैत्री संबंध हों, लेकिन फिर भी बहुत से यात्री बिना दस्तावेजों के हमारे देश में आ जाते हैं और बाद में हमारे लिए परेशानी होती है। इसलिए उन सभी पर यह कानून सख्ती से लागू होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे लोग, एजेन्ट्स और दलाल हैं जो फर्जी कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लालच देकर विदेशों में ले जाकर छोड़ देते हैं। आपको याद होगा ईरान का एक जहाज डूबा था, जिसमें भारतीय भी डूब गये थे, जर्मनी में 40-50 लोग पकड़े गये थे। पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, मुम्बई, दिल्ली और राजस्थान आदि में ऐसे गिरोह हैं जो हजारों रुपये ले लेते हैं और नकली पासपोर्ट बनाकर लोगों को बाहर ले जाते हैं। वे बाहर कैसे जा पाते हैं और कैसे चैक्स से निकल जाते हैं, इसका ध्यान रखा जाए। जिस तरह से बाहर वालों पर प्रतिबंध लगाया जाए उसी तरह अपने देश के लोगों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। यही मेरा निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री अबुल हसनत खां (जंगीपुर): सभापति महोदय, परसों हमने एक विधेयक पारित किया था, जिसमें हमारे देश में वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर दण्ड

[श्री अबुल हसनत खां]

का प्रावधान है। इस आप्रवास (वाहक-दायित्व) विधेयक, 2000 का भी यही उद्देश्य और आधार है। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

मेरे विचार से, इस विधेयक में, भारत में लोगों को लाने में संलिप्त वाहकों के लिए सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए।

महोदय, वैश्वीकरण के कारण, यह विश्व दिन-प्रतिदिन नजदीक आ रहा है और विभिन्न देशों से लोग विभिन्न उद्देश्यों से भारत आ रहे हैं। प्रतिवर्ष भारत में लाखों लोग आ रहे हैं। इन लोगों में व्यवसायी, उद्योगों से जुड़े हुए व्यक्ति, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निगमों के एजेंट, पर्यटक, विद्यार्थी इत्यादि होते हैं।

परन्तु महोदय, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत में व्यवसायी पर्यटकों अथवा किसी अन्य कार्य के लिए आ रहे लोगों के रूप में कोई राष्ट्रविरोधी अथवा विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त लोग न हो और उन्हें इस तरीके से प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। परन्तु ऐसे लोगों की पहचान करना अत्यंत कठिन है। अत:, हमें अत्यधिक सतर्क होना चाहिए।

महोदय, भारत में प्रवेश करने वाले बहुत से लोग वैध दस्तावेज से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक यहाँ रहते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जहाँ तक, मेरे पास इसकी सूचना है, 1999 में 25,000 से अधिक ऐसे लोग भारत से गायब हो गये।

वे बाहर से आये और गायब हो गये। ऐसा प्रतीत होता है कि ये हथियारों, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार, राष्ट्रविरोधी तथा विध्वंसक गतिविधियों में संलग्न थे। यह एक घोटाला बन गया है। यह हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। अत:, ऐसे गैर-कानूनी लोगों की पहचान करके उन्हें स्वदेश भेजना अत्यधिक आवश्यक है।

यह कोई गोपनीय बात नहीं है कि पासपोर्ट और बीमा जारी करने में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बहुत से ट्रेवल एजेंट और दलाल इस भ्रष्ट कार्य में लिप्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जाली पासपोर्ट का धंधा जोरों पर है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। आप्रवास (वाहक-दायित्व) विधेयक पासपोर्ट नियम, 1950 के परिणामस्वरूप और उसके समर्थन में लाया गया है। विदेश यात्रा के लिए वैध पासपोर्ट और बीमा अपेक्षित है। परंतु, कुछ लोग अवैध रूप से यात्रा करते हैं। जो बिना पासपोर्ट और वीजा के यात्रा करते हैं, उन्हें कठोर दण्ड दिया जाए। यदि वे बिना पासपोर्ट और वीजा के इस देश में आते हैं तो उनका यहाँ आने का उद्देश्य ही अलग होता है।

अपराह्न 2.56 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

वे यहाँ नशीली दवाओं का अवैध व्यापार करने के लिए आ सकते हैं, वे आतंकवादी और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए यहाँ आ सकते हैं। अत:, वाहकों के लिए उनके दस्तावेज और पासपोर्ट की सत्यता की जाँच करना अति आवश्यक है। उन्हें केवल तभी वाहक में प्रवेश करने देना चाहिए।

आमतौर पर, वाहक और आप्रवास अधिकारियों में इस प्रकार के लोगों को प्रवेश दिलाने पर आपस में सहमति होती है। अत: केवल वाहक ही नहीं अपितु आप्रवास अधिकारियों की भी बारीकी से जांच की जानी चाहिए। जो आप्रवास अधिकारी ऐसे लोगों के दस्तावेज पारित करते हैं उन पर भी निगरानी रखने के लिए कोई अधिकारी होना चाहिए। यह दोतरफा गतिविधि है। केवल वाहक ही ऐसा नहीं करते हैं। आप्रवास अधिकारी उनके साथ साँठगाँठ रखते हैं और इन आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने देते हैं। अत:, प्रत्येक यात्री के लिए वाहक द्वारा एक लाख रुपये का जुर्माना पर्याप्त नहीं है। आपको वाहक का परमिट भी रद्द करना चाहिए। नियमों में सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। केवल तभी अवैध तरीकों से देश में आप्रवास पर रोक लगेगी। यात्री पर भी कुछ जुर्माना होना चाहिए। अन्यथा, वह स्वयं को देश में प्रवेश दिलाने के लिए वाहक को 5 लाख रुपये देगा। वाहक को सख्त सजा देने और आप्रवास अधिकारियों पर सतर्क निगरानी रखने से ही यह समस्या हल हो सकती है।

यह विधेयक इस मामले में प्रक्रिया की शुरुआत है। संभवत: यही सही दिशा में उठाया गया कदम है। मैं इस कदम का समर्थन करता हूँ। भविष्य में, आपको वाहकों, यदि वे हमारे देश में अवैध रूप से यात्रियों को प्रवेश दिलाने में संलग्न हों को सख्त सजा देने और चाहे कुछ ही समय के लिए हो, उनके परमिट रद्द करने पर विचार करना चाहिये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह और अधिक कठोर दण्ड देने के पहलू की जांच करें क्योंकि विधेयक में नियम बनाने की व्यवस्था है।

अपराह्न 3.00 बजे

नियम बनाते समय सरकार को धारा 8 (1) के अंतर्गत नियम बनाने की अपनी शक्ति के बारे में विचार करना चाहिए जिसमें

कहा गया है कि केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत सरकार ऐसे नियम बना सकती है जो इसे देश की सुरक्षा के लिए और अधिक निवारक बनाएंगे। इसलिए, सरकार ऐसे नियम बनाती है जिसके अंतर्गत अवैध रूप से लोग देश में प्रवेश न कर पाएं। आज हमारे सामने आतंकवाद की समस्या है जो हमारे देश में आ रही है; हम देखते हैं कि हमारे देश में नशीले पदार्थ लाए जा रहे हैं। जो लोग यह सब हमारे देश में ला रहे हैं वे वैध पासपोर्ट अथवा वैध वीजा वाले यात्री नहीं हैं। कोई भी सम्मानित व्यक्ति ये सब चीजें नहीं लाएगा। जो लोग हमारे देश में नशीले पदार्थ अथवा हथियार ला रहे हैं वे अवैध रूप से आने-जाने वाले लोग हैं। इसलिए उनके पासपोर्ट और वीजा की सरसरी तौर पर जांच की जानी चाहिए। यदि वे फर्जी पाए जाते हैं तो उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए।

अपने ही देश के आंध्र प्रदेश राज्य में ऐसा ही एक मामला देखा है। कुछ दिन पहले हैदराबाद में हमने पाया कि पासपोर्ट प्राधिकरण ने अनेक फर्जी पासपोर्ट जारी किए हैं। पासपोर्ट अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को सजा दी गई है। देश में व्याप्त स्थितियों को देखते हुए पासपोर्ट अथवा वीजा पाना कठिन नहीं है। यह अधिकारियों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त अधिकारियों को भी दण्डित किया जाना चाहिए। उनको भी सजा दी जानी चाहिए और उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए।

इसलिए सरकार को इस अधिनियम की परिधि अथवा कम से कम किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत ऐसा प्रावधान लाना चाहिए। इस अधिनियम के द्वारा सरकार ऐसी बातों के लिए उत्तरदायी वाहकों और अधिकारी को दण्डित कर सकेगी। केवल तभी हमारा देश सुरक्षित होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन (शिवगंगा): माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ चार मुद्दों पर ही बल देना चाहता हूँ।

पहला, 'वाहक' शब्द की परिभाषा के संबंध में है। 'वाहक' शब्द को कुछ सीमाओं के साथ परिभाषित किया गया है। मैं आपका ध्यान इस शब्द की परिभाषा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। जब हम सामान्य शब्दकोश में इस शब्द का अर्थ देखते हैं तो यह बहुत व्यापक है। मैं 'ऑक्सफोर्ड एडवान्सड लर्नर्स डिक्शनरी', छठा संस्करण 2000 में इसका शब्दकोशीय अर्थ पढ़ूंगा। इसमें कहा गया है कि 'एक कम्पनी जो माल अथवा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। एनकार्टा मैकमिलन स्पेशल एडिशन, 1999 में उल्लिखित है, "लोगों अथवा माल का वाहक, कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी जिसका कार्य अथवा कारोबार माल अथवा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है।"

यहां इसे केवल यात्रियों के प्रयोजन के लिए परिभाषित किया गया है। यदि माल को छोड़ दिया जाए और यदि कोई व्यक्ति भी अनुमति से अथवा बिना अनुमति के माल के साथ यात्रा कर रहा है तो यह पासपोर्ट अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम का भी उल्लंघन होगा। उसके बाद उसे सजा नहीं दी जा सकती है। अत:, परिभाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए अर्थात् उसमें 'यात्रियों और माल का परिवहन' भी शामिल हो।

इसी प्रकार विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में 'भूमि' शब्द शामिल किया गया है। लेकिन परिभाषा में यह शब्द शामिल नहीं किया गया है। इसमें केवल जल अथवा वायु के बारे में कहा गया है। अत:, सामान्यत: वाहक का अर्थ जहाज और विमान है परन्तु जब हम पासपोर्ट अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों को सजा देना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे बस अथवा रेलगाड़ी अथवा साइकिल से भी यहां आ सकते हैं।

वे गाड़ी (ठेला) से आ सकते हैं। क्या उन्हें सजा मिलेगी अथवा छोड़ दिया जाएगा? प्रश्न यह है। इसकी काफी गुंजाइश है। कोई अलग अधिनियम बनाया जाना चाहिए अथवा इसमें यह भी शामिल करने हेतु इस विधेयक को व्यापक बनाया जा सकता है।

दूसरे मुद्दा 'व्यक्ति' शब्द की परिभाषा के बारे में है। उप खण्ड 6 (ख) की धारा 6 के अनुसार यात्री का अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो चालक दल का वास्तविक सदस्य न होने पर भी पोत अथवा विमान में यात्रा कर रहा है अथवा यात्रा करना चाहता है।

इसमें ऐसे अज्ञात यात्री को, जो वाहक, स्वामी अथवा किसी और की जानकारी के बिना भारत में प्रवेश करता है, शामिल नहीं किया गया है। इसकी भी जांच की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वाहक की जानकारी के बिना देश में प्रवेश कर रहा है तो इसके लिए भी वाहक को सजा मिलेगी।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान वास्तविक वाहक की ओर दिलाना चाहता हूँ। वास्तविक ग्राहकों के लिए कुछ छूट होनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति वाहक की जानकारी के बिना देश में आ रहा है तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध कर रहा

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

है। परिकल्पित रूप से, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कोई यात्री विमान में आता है। बाद में उसका पासपोर्ट गुम हो जाता है तो वह स्वत: ही अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है। अत: उसे पांच वर्ष की कैद हो सकती है। लेकिन वाहक के बारे में क्या विचार हैं? उन्होंने तो सही ढंग से जांच कर ली लेकिन उन्हें भी सजा मिलेगी। यात्री द्वारा किए गए अपराध के लिए वाहक को सजा मिलेगी। कुछ वाहक आदतन दुर्भावना से यात्रियों को इस तरह यात्रा करने की अनुमति दे सकते हैं। उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वास्तविक वाहकों को इस अधिनियम की परिधि के भीतर नहीं लाया जाना चाहिए। उन वाहकों को कुछ छूट दी जानी चाहिए।

एक के बाद एक छोटे-छोटे अनेक संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। माननीय मंत्री महोदय बहुत सक्रिय और गतिशील हैं। वे व्यापक अधिनियम क्यों नहीं लाते जिसमें पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1939, विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946, शत्रु के साथ व्यापार (आपात विषयक उपबंधों का चालू रखना) अधिनियम, 1947, विदेशियों विषयक विधि (लागू होना और संशोधन) अधिनियम, 1962, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, आप्रवास (वाहक दायित्व) विधेयक। इसका कारण यह है कि नियमों का पता लगाने के लिए हमें अनेक वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए हमें कई वर्ष पीछे जाना होगा। ऐसा कोई व्यापक नियम नहीं है जिससे विदेशी व्यक्ति यह पता लगा सके कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। विदेशियों के लिए एक व्यापक अधिनियम होना चाहिए ताकि वे बहुत आसानी से उसे देख सकें और ऐसी बातों के बारे में जान सकें। जहां तक संभव हो अधिनियम बहुत स्पष्ट होना चाहिए।

मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि आतंकवाद तो समाप्त ही हो रहा है। हमें भारत के भविष्य और इसकी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना होगा। बहुत से लोग भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, इस विधेयक द्वारा कार्यकारिणी को तदर्थ विधान और तदर्थ नियम बनाने की इस तरह की शक्ति के कारण परेशान करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): महोदय, आप्रवास (वाहक-दायित्व) विधेयक, 2000 का उद्देश्य पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 का उल्लंघन करके वाहकों द्वारा भारत में यात्री लाए जाने के संबंध में वाहकों को उत्तरदायी बनाना है। जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने कहा कि यह एक स्वागतयोग्य कदम है। मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि यह अधूरे मन से किया गया उपाय है और ये उपाय विश्व में बदलते हुए अपराध परिप्रेक्ष्य के कारण उत्पन्न समस्याओं के अनुरूप नहीं है। माननीय सदस्यों ने बड़ी बारीकी से आज सीमा पार से होने वाले अपराधों के बारे में मुझे बताया और मैं उन्हें नहीं दोहराना चाहता लेकिन मैं इस विधेयक के कुछ उपबंधों के बारे में बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं और जिसके बारे में मैं भी महसूस करता हूं कि इसे व्यापक विधेयक के रूप में होना चाहिए था जिसमें एक शीर्ष के अंतर्गत सभी संगत नियम एक साथ होने चाहिए।

पहला, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। जिसके संबंध में मुझे विश्वास है कि उन्हें जानकारी होगी कि केवल विमान अथवा जल द्वारा ही व्यक्तियों को अवैध रूप से देश में नहीं लाया जाता है। उत्तर, पांश्चम और पूर्व में हमारे अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि घुसपैठ जमीनी रास्तों से भी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सीमा पार से आ जाता है—यद्यपि कतिपय क्षेत्रों में ऐसा करना बहुत कठिन भी नहीं है। संगठित दलों द्वारा देश के कानूनों का उल्लंघन करते हुए सीमा पार से लोगों को लाया जा रहा है। जब हम जल अथवा हवाई यात्रा की बात करते हैं तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मेरे विचार से जमीन रास्तों को भी इसमें शामिल करना चाहिए।

इस विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए यदि कोई वाहक देश में किसी व्यक्ति का प्रवेश कराता है तो उस पर विधेयक के खण्ड 3 के तहत एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। जिस स्थिति के बारे में मैंने संक्षेप में बताया है, मेरे विचार से उसके लिए यह पर्याप्त नहीं है। मेरे विचार से किए गए, अपराध की व्यापकता या सीमापार से भारत में लोगों को मादक पदार्थों के अवैध व्यापार और हथियारों को लाने के लिए उसमें अंतर्ग्रस्त धन को देखते हुए 1 लाख रुपये का जुर्माना पर्याप्त नहीं है। क्या होगा, जब वाहक को 20 संगठित लोगों के दल को इस देश में लाना हो? यह एक काल्पनिक मामला हो सकता है परंतु ऐसी घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। खुशी से वह एक लाख रुपये अदा करेगा और खुला घूमेगा। महोदय, मुझे लगता है कम से कम यह किया जाना चाहिए कि, यदि कोई व्यक्ति अपराध का दोषी पाया जाता है, बशर्ते वह सारी शर्तें पूरी करता हो तो मेरे विचार से ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम सजा दी जानी चाहिए। यदि वाहक दोषी है तो, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। यही बात मैं इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं।

खंड 5 कहता है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत अदा किया जाने वाला जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो सक्षम प्राधिकरण हवाई जहाज अथवा जहाज या हवाई जहाज में लदे सामान को जब्त करके अथवा उसे बेचकर जुर्माने की राशि प्राप्त कर सकता है। महोदय, कई बार अपराध की घटना का बहुत बाद में पता लगता है। कोई भी निश्चित रूप से यह पता लगा सकता है कि यह वही हवाई जहाज या जहाज है, जिसका इस्तेमाल लोगों

को लाने के लिए किया गया लेकिन उसकी जब्ती के बाद उसमें कुछ भी नहीं पाया जा सकता है। इसलिए, मेरा विचार है कि ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसमें इन दोनों उपाय के अलावा सक्षम प्राधिकरण को वाहक से संबंधित किसी भी सामान को जब्त करने का विकल्प होना चाहिए।

सक्षम प्राधिकरण को ऐसे मामलों में भी जहाँ अपराध किया गया हो और अपराध का पता बाद में लगता है में भी यह अधिकार होना चाहिए कि वह बाद में कार्यवाही कर सके।

महोदय, यही कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। मैं यह कहते हुए समाप्त करना चाहूंगा कि सिर्फ इस बात पर बल देने के लिए मैं यह दोहरा रहा हूँ—कि आप उठने वाली किन्हीं परिस्थितियों को न जानते हुए भी, यह आवश्यक है कि सरकार इन मामलों पर भविष्य का ध्यान रखते हुए समझदारी से निर्णय ले, पुराने अनुभवों से शिक्षा ले, और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। हमें इन सभी स्थितियों की कल्पना अवश्य करनी चाहिए, ताकि जो बातें यहाँ नहीं आ सकी हो उस पर मिलने वाली संभाव्य प्रतिक्रिया के अनुसार इस विधेयक में काँट-छांट की जा सके। मुझे लगता है, हालाँकि यह विधेयक स्वागत योग्य है, परंतु कतिपय आशाओं के अनुरूप नहीं है। सरकार इन संपूर्ण बातों पर गंभीरता से विचार करके एक व्यापक विधान बनाए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, इस विधेयक पर श्री रमेश चेन्नितला भाषण कर रहे थे। उन्होंने हिन्दी में अच्छा भाषण किया। इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अंग्रेजी से ज्यादा इम्प्रैसिव भाषण हिन्दी में दिया।

इस विधेयक को देखने, पढ़ने, समझने और स्मरणशक्ति का प्रयोग करने से स्पष्ट होता है कि सरकार में इंटैलीजैंस और कौमनसैंस की कमी है। ऐसा मैं क्यों कहता हूं। यदि मंत्री जी को ऐतराज करना है तो वे यह स्पष्ट करें कि आज से एक दिन पहले जो पासपोर्ट विधेयक पास हुआ था, उसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले के लिए, जो आएगा या जाएगा, दंड विधान का प्रावधान किया गया है। कानून का पालन किये बिना पानी के जहाज वाले आदमी को जो बाहर से माल ढोकर लायेगा, आज उसके लिए अलग से कानून क्यों ला रहे हैं। यह स्पष्ट करें कि परसों जो पासपोर्ट विधेयक पास किया है, उसमें इसका प्रावधान क्यों नहीं किया कि जो गलती से आएगा, कानून का पालन नहीं करेगा, उसे दंडित करेंगे और जो लाएगा, उसे भी दंडित करेंगे। दोनों कानून एक साथ क्यों नहीं आए, इसका जवाब दीजिए।

हमारे यहां असैम्बली में दरोगा बाबू चीफ मिनिस्टर थे। वे अपने भाषण में बराबर कहते थे-ताला लगालव पल्ला खुल्लवा, मतलब कानून बना कर रोकिए। मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि साढ़े आठ सौ आदमी आ गए। यह जंजाल किसलिए बताते हैं। आपके कानून का क्या मतलब है। जो चाहता है, बाहर से आ रहा है, जो चाहता है, वह बाहर जा भी रहा है। भले आदमी को रोकने के लिए सारे कानून बना रहे हैं। जो बदमाशी करता है, उसके लिए कानून बनना चाहिए और कड़ाई करनी चाहिए। यह बता रहे हैं कि साढ़े आठ सौ आदमी आ गए, इनका कानून लागू है और कड़ाई भी कर रहे हैं। आप सवाल नम्बर एक का जवाब दीजिए कि दोनों विधेयक एक साथ क्यों नहीं लाए।

श्री बंसल कानून के जानकार हैं। वह कहते हैं कि कम्प्रीहैनसिव बिल लाएं। कमप्रीहैनसिव का यह मतलब है कि पीसमील में जो आदमी आएगा, उसका अलग कानून बना रहे हैं, जो लाएगा, उसके लिए अलग कानून बनेगा। जो आएगा और जो लायेगा, सबके लिए एक साथ कानून क्यों नहीं बनाया जाता। जो लाएगा, उसे सजा देंगे। लेकिन नेपाल से जहाज में आतंकवादी चढ़ गए और जहाज को अमृतसर से कंधार ले गए।

आपके विदेश मंत्री ने कंधे पर उठाकर आतंकवादी को सरेंडर कर दिया। इसके लिए आपके पास कौन सा कानून है, बताइये? ये धोखाधड़ी करते हैं कि हम कड़ाई कर रहे हैं, कानून के तहत आप गर्दा उड़ाते हैं, आप अपने कानून को तोड़ने वाले हैं और इनकी सरकार का मंत्री वहां चला गया, दुनिया में कहीं इसका उदाहरण नहीं मिलता है कि आतंकवादी जहाज में चढ़ गया, जहाज को ले गया, इसका डिजास्टर मैनेजमेंट चौपट हो गया, एक घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जहाज कंधार गया तो जहाज मंत्री और विदेश मंत्री जेल में से आतंकवादी को कंधे पर उठाकर वहां जाकर उनके पैर में सरैण्डर किया, हिन्दुस्तान का माथा नीचा हो गया, इतना भारी अंधेर है और हमारे पास कानून लाये हैं कि पास कर दीजिए, हम कड़ाई कर रहे हैं कि गलती से कोई आये नहीं, कोई किसी को लाये नहीं। क्या कानून बन रहा है, क्या लागू हो रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: छोटा राजन क्या कर रहा है?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: छोटा राजन और जितने क्रिमिनल्स हैं, वे जब चाहते हैं, बाहर चले जाते हैं और जो चाहता है, यहां चला आता है। उनका स्मगलिंग का धंधा जारी है, तभी तो पुरुलिया में हथियार आ गये। इसका मतलब सारा गलत काम हो रहा है और पार्लियामेंट को हम लोग धोखे में रख रहे हैं। ये हम लोगों को भाषण करके बताते हैं कि हम कड़ाई कर रहे हैं। अब कड़ाई क्या है, अब कानून में क्या है, अब कानून पर आ जाइये।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कानून में क्या लाये हैं कि एक लाख रुपये हम जुर्माना करेंगे। स्मगलिंग में करोड़ों रुपये का, अरबों-खरबों रुपये का काम हो जाता है, गलत आदमी आ जाता है, जाता है, आतंकवाद होता है। उस पर एक लाख रुपया जुर्माना कर देने से वह रुक जायेगा क्या? उसके लिए जहां 10 करोड़ रुपये का कारोबार है, वह एक लाख रुपये जुर्माना देकर लोगों को ले आयेगा। आपके पास इसका क्या इलाज है, बताइये। लोगों को धोखा देना कि हम कानून में सख्ती कर रहे हैं, कड़ाई कर रहे हैं, इसको जल्दी पास करिये, कहें तो बिना बहस के पास करिये। आपका तो यहां बहुमत है, माननीय मंत्री जो कह रहे थे कि बिना बहस के पास कर दीजिए, तो फिर यह सदन किसलिए है? आप कानून बनाएंगे और सब लोग, दुनिया के आदमी जानेंगे नहीं तो इस कानून का पालन कैसे होगा, बताइये? इस पर बहस नहीं होगी, सूचनाएं नहीं जाएंगी, मीडिया के मार्फत यह प्रचारित नहीं होगा तो बिना बहस के क्या प्रचारित होगा। आपका तो बहुमत है, आप सारे बिल लाइये और एक दिन में ही कहिये कि पास है, हमारा बहुमत है। तो इस सदन की क्या आवश्यकता है। इसीलिए सदन में पक्ष-विपक्ष की बहस होती है, चर्चाएं होती हैं। क्या आपके पास कोई विधान है कि आप कानून बनाएंगे और गजट में छाप देंगे और मान लो कि देश की 100 करोड़ आबादी और अब तो यह दुनिया के लिए कानून बन रहा है, बाहर से की किसी को ले नहीं आये, तो आपके गजट में छाप देने से छः अरब लोग जान गये। आपके गजट में छप गया तो लोग कानून जान गये। बंसल साहब, आपकी कोर्ट में कानून है कि ''कानून संबंधी अनभिज्ञता का कोई बहाना नहीं हो सकता'' कानून नहीं जानने से माफी नहीं है, गलत काम करेंगे तो दंड होगा। यह भी कानून बना दिया कि जज लोग कानून के जानकार नहीं हैं। वे कानून नहीं जानेंगे या बिना कानून के काम हो जायेगा तो उनके लिए यहां पकड़ नहीं है। यहां आम आदमी के लिए पकड़ है, जो आपका कानून जानेंगे ही नहीं, आप यह बताइये?

सवाल नम्बर तीन कि आपके पास जो कानून बनाते हैं, इनको प्रचारित करने का क्या जरिया है। आप केवल गजट में छाप देते हैं। मल्होत्रा ब्रदर्श छाप लेगा तो कोई होशियार वकील पढ़ेगा, तब जानेगा। यह कानून आम जनता तो जानेगी ही नहीं। इसीलिए कानून का उल्लंघन होता है और कहते हैं, ''कानून की जानकारी न होना क्षम्य नहीं है'' आप कानून नहीं जानेंगे, फिर भी कानून का उल्लंघन होगा तो सजा देंगे। ये सब मौलिक सवाल हैं, इन सब का आप जवाब दीजिए, तब हम जानेंगे कि देश की सुरक्षा ठीक है, नहीं तो हम मानते हैं कि देश आपके हाथों में सुरक्षित नहीं है। जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं और आपकी जो चालढाल देख रहे हैं और जो बिल को पास करने में आप रस्म अदायगी रह रहे हैं, ओरिजनली जो समस्याएं हैं, उनको समाप्त करने के लिए आप ठीक ढंग से कानून नहीं ला रहे हैं, इसके लिए हम आपको चार्ज करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं उन माननीय सदस्यों को, जिन्होंने इस बहस में भाग लिया। मेरी प्रेयर है, मुझे माफ करेंगे, मुझे गलत समझा, मैंने तो राज्य सभा का एक उदाहरण दिया था। मैं स्वागत करता हूं इस बहस का। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कई बातों का जिक्र किया। उनमें ज्यादातर एक ही बात आई। यह खुशी की बात है सभी लोग इस बारे में चिंतित हैं कि देश में घुसपैठ न हो। देश में गलत तरीके से लोग न आएं। ऐसे कानून बनें और मुकम्मल कानून बनें, जिनके चलते देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता सुरक्षित रह सके और देश में देश के दुश्मन दाखिल न हो सकें। इस बात की तो प्रसन्नता है, लेकिन बहुत सारी बातें जो सदन के सामने सदस्यों की तरफ से आई, वह ज्यादातर पासपोर्ट के सिलसिले में हैं या उन लोगों के बारे में हैं, जो गैर कानूनी ढंग से इस देश में दाखिल होते हैं।

इस बिल का मकसद बड़ा सीमित है। यह बिल सिर्फ इसलिए लाया गया है कि अब तक जो कुछ इस बिल के न होते हुए चलता रहा, वह न होने पाए। अगर कुछ लोग यहां आ जाएं, हवाई जहाज में बैठ कर या शिप से या वैसल्स से तो उसके बाद एक समस्या खड़ी हो जाती है कि उनके पास वैलिड वीजा या डाक्युमेंट नहीं है। हम स्वागत करते हैं जो लोग बाहर से आते हैं। उनको प्रमोट करने के लिए ट्यूरिज्म ट्रैफिक की भी कोशिश होती है। सारे देशवासी भी यह चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति यहां बिना अथोराइज्ड डाक्युमेंट के पहुंच जाए, चाहे वे तस्कर या आतंकवादी न हो। लेकिन किसी तरीके से वह बिना अथोराइज्ड डाक्युमेंट के यहां आ जाता है तो उसको वापस भेजना भी एक समस्या है। अगर डिपोर्टेसन करते हैं, उसके पास रिटर्न जर्नी का टिकट नहीं है, तो अपने पैसे से उसे वापस भेजना पड़ेगा। जिस फ्लाइट से वह आया है, वह तो आगे चली गई और दूसरी फ्लाइट उस देश के लिए दो या सात दिन बाद जाएगी। इस दशा में उसको सात दिन तक इमीग्रेशन अथोरिटी वालों को अपने यहां रखना पड़ेगा। उसे खाना देना होगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। इन सब समस्याओं से राहत हासिल करने के लिए इस सीमित उद्देश्य के लिए यह बिल आया है। अगर लोग बिना अथोराइज्ड डाक्युमेंट के आ जाते हैं तो यह सिर्फ उसकी ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जो लोग उसको लाने वाले हैं, जो एयरलाइन लाई है, जो शिप लाया है, उसके कंधों पर भी यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वे बोर्डिंग से पहले पैसेंजर्स को जांच लें कि उनके पास अथोराइज्ड ट्रैवल डाक्युमेंट हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो उनकी भी यह जिम्मेदारी बन जाती है। इस पर्पज के लिए यह बिल लाया गया है। जिससे उनको पता हो कि अगर एक पैसेंजर भी इस किस्म का आ जाएगा तो उसके लिए उन्हें

1,00,000 रुपए जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे। अमेरिका और इंगलैंड में भी तकरीबन इतनी ही राशि का इस गलती के लिए जुर्माना है।

दूसरी बात आई कि हमें पैनल्टी और हायर करनी चाहिए। ठीक है रूल मेकिंग पावर है, रूल बनाए जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम इल्लीगल ट्रैफिक को न रोकें। उसको रोकने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। जो अधिकृत एजेंसीज हैं, वहां से इल्लीगल ट्रैफिक नहीं होता। देश में ऐसी करीब 65 ऐसी चैक पोस्ट आपरेटिव हैं, जो आज भी कार्य कर रही हैं। इसलिए और ज्यादा सख्त कानून बनाया जाए या रूल में सख्त सजा का प्रावधान किया जाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि जो बोनाफाइड शिप हैं, एयरलाइंस हैं, उन्होंने बोनाफाइड चैक किया या उसके बावजूद कोई छिप कर आ गया, बाहर से टिकट मंगा लिया, तो उनको क्यों सजा दी जाए। उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। जो पर पैसेंजर पैनल्टी लगाई जाएगी, वह वाहक को उचित मौका देने के पश्चात् कैरियर को पूरा मौका दिया जाएगा यह साबित करने के लिए कि उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए, उसने अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिए पूरी तरह से जांच की थी।

ऐसे पासपोर्ट हो सकते हैं जो फेक हो सकते हैं और जो वाकई ऐसे लगते हैं कि जैसे जैन्विन पासपोर्ट हों, तो वह गलती हो सकती है। ऐसी सूरत में अगर वह साबित कर देगा तो उसे कोई सजा न दी जाये। यह फैसला जो इस काम के लिए ऑथोरिटी एपॉइन्ट की जाएगी चाहे वे फौरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हों या भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई कोई सिविल ऑथोरिटी हो, वह यह काम करेगी। उसके अलावा उनके लिए और भी प्रावधान किया गया है कि वह अपील कर सकता है जिसमें ज्वाइंट सैक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कम्पीटेंट ऑथोरिटी होगी। उसके पास तीस दिन के अंदर अपील कर सकता है, स्टैंडिंग कमेटी ने यह भी फैसला किया था और जब हमने इसमें यह प्रावधान भी रखा कि तीस दिन के अलावा अगर वह किसी वजह से, अगर कोई परिस्थितियां हैं कि अगर वह तीस दिन के अंदर अपील नहीं कर सका और वह मजबूर था कि वह अपील फाइल नहीं कर सका तो उसे तीस दिन और दे दिये जाते हैं और वह अगले तीस दिन तक वह भी साबित कर सकता है कि रीजनेबल कॉज था, जिसकी वजह से वह अपील नहीं कर सका और अगर वह कम्पीटेंट ऑथोरिटी को सैटिस्फाई कर देता है कि कुछ ऐसे कारण थे जो उसके बस से बाहर थे और वह तीस दिन के अंदर फाइल नहीं कर सका तो उस पीरियड में रिलैक्स किया जा सकता है। तीस दिन का पीरिएड और तीस दिन के लिए भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा प्रावधान किया गया है और यह कम्पीटेंट ऑथोरिटी ज्वाइंट सैक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो एपीलैट ऑथोरिटी की होगी, उसके पास अपील भी दायर कर सकता है, उसके लिए भी प्रावधान बनाये गये हैं।

जो इललीगल माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए और भी दूसरे कानून हैं या पासपोर्ट एक्ट हैं, उसमें भी प्रोवीजन्स हैं। एक बात जरूर आई है कि एक काम्प्रीहेंसिव एक्ट क्यों न बनाया जाये जिसमें अलग-अलग एक्ट के सब प्रावधान एक जगह कर दिये जायें? यह एक सजेशन है जिस पर सरकार पूरी तरह से गौर करेगी और कम्पीटेंट ऑथोरिटी इसे देखेगी। बाकी जितने दोस्तों ने इस बहस में अपना योगदान दिया है, उनका भी मैं बहुत-बहुत आभारी हूं लेकिन एक बात बंसल साहब ने कही कि जो सीजर होता है चाहे वह कैरियर का हो या शिप का हो या हवाई जहाज का हो, जो उसे बेचने की बात है, उसके अलावा और कोई माल न हो तो दूसरा माल कंपनी के पास है, उसे सीज कर लिया जाये और पैनल्टी वसूल कर ली जाये। यह बात तो तब लागू होगी कि जबकि या तो कोई ऐसा कैरियर है, जिसने पैनल्टी उस वक्त नहीं दी तो या तो वह बैंक की गारंटी देगा और अगर नहीं देगा तो वह हवाईजहाज वहां से जा ही नहीं सकेगा और उसकी सेल करके ही उसकी वसूली की जा सकेगी। इसीलिए किसी और माल को सीज करने या ऑक्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह कैरियर हमारे पास होगा और यह कैरियर वाले लोग या तो पैसा दे देंगे या बैंक की गारंटी दे देंगे तभी उन्हें जाने दिया जायेगा नहीं तो वे वहीं रह जाएंगे और दूसरे किसी माल को सीज करने की जरूरत नहीं है। इसमें शिप, एयर की बात तो आ गई लेकिन लैंड की बात नहीं आई। यह बिल्कुल लिमिटेड परपज के लिए है। अगर लैंड से किसी तरह भी लोग आ रहे हैं तो उसके लिए चैक-पोस्ट बनी हुई है। उनका काम है कि वे उन्हें वहीं पर चैक करें। चूंकि वह देश के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ तो उसे डीपोर्ट करने की समस्या ही नहीं है। उसे वहीं रोककर वहीं से वापस कर दिया जायेगा और वह आदमी अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। इसलिए लैंड को हमने इंक्लूड नहीं किया। स्टैंडिंग कमेटी के पास जब यह बिल गया था तो उन्होंने भी इसका सुझाव दिया था लेकिन सभी ऑथोरिटीज को कंसल्ट करने के बाद, सिविल एविएशन को कंसल्ट करने के बाद यह सोचा गया कि इसकी जरूरत नहीं है। चूंकि वह आदमी हिन्दुस्तान की जमीन पर दाखिल ही नहीं हुआ और उसे वहीं से वापस किया जा सकता है। जहां तक स्मगलिंग और नॉरकोटिक्स का ताल्लुक है, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हम सब इस बात के प्रति सचेत हैं और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जो सारे कानून हैं, उनकी धाराओं के मुताबिक उन पर अमल किया जाएगा। इस एक्ट में उनका प्रोवीजन नहीं किया जा सकता लेकिन जो जो एक्ट जिस-जिस पर

[श्री ईश्वर दयाल स्वामी]

लागू होते हैं, उनके नीचे उन पर कार्यवाही की जाती है, उसके लिए आप विश्वस्त रहें, इसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। आपने इन बातों की तरफ भी मेरा ध्यान दिलाया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। मैं तो सोच रहा था कि यह बड़ा सिम्पल और इनॉकुअस एक्ट है लेकिन बहुत सारे साथियों ने इसमें भाग लेकर हमारी मदद की और हमें नया रास्ता दिखाया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मेरी आपसे विनती है कि इस एक्ट को आप सब यूनैनीमसली पास करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में वाहकों द्वारा भारत में लाए गए यात्रियों की बाबत उन्हें दायी बनाने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: यह सभा इस विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.37 बजे

[अनुवाद]

केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक

सभापति महोदय: अब, यह सभा कार्यसूची की मद संख्या 13 और 14 को एक साथ लेगी।

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी।

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 1 नवम्बर, 2000 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

मैं यह संकल्प इसलिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ क्योंकि सरकार, ने संकल्प पारित करने के बाद, वर्ष 1998-99 में पेट्रोल और डीजल पर उपकर एकत्र किया और अप्रैल, 1999 से डीजल पर उपकर एकत्र करने की शुरुआत की। उसके बाद से संसद का बजट सत्र और मानसून सत्र भी समाप्त हो गया। सरकार ने इस विधेयक को लाने की परवाह नहीं की। हमें पता है कि यह सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है, और इसलिए सरकार जल्दबाजी में इस अध्यादेश को लाई है, जो सही परंपरा नहीं है। इसलिए, हमने सोचा कि केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश, 2000 पर निरनुमोदन का संकल्प लाना उचित होगा। यह केवल सरकार को ऐसे समय अध्यादेश लाने की इस प्रथा से रोकने के लिए लाया गया है जबकि संसद का सत्र बहुत निकट है।

[हिन्दी]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं बिल पेश करने से पहले कुछ कहना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण तथा रेल क्रासिंग पर सुरक्षा में सुधार के लिए 1988 में पारित संसद

के संकल्प द्वारा शासित विद्यमान केन्द्रीय सड़क निधि को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने और इन प्रयोजनों के लिए पेट्रोल, उच्च गति डीजल तेल के रूप में सामान्यतः ज्ञात मोटर स्पिरिट पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने और उससे संबंधित अन्य विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।''

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मंत्री के रूप में हम उनका स्वागत करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मंत्री के रूप में, वे अपना पहला भाषण दे रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (गढ़वाल): धन्यवाद।

महोदय, केन्द्रीय सड़क निधि 1929 में बनाई गई थी। तब से इस संबंध में संसद का संकल्प 1977 का पालन किया जाता रहा है, जिसके अनुसार, 3.5 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से उपकर वसूला जाता था और इसे राज्यों और केन्द्र के मध्य 80 : 20 के अनुपात में वितरित किया जाता था।

मई, 1998 में इसमें संशोधन किया गया और यह निर्णय लिया गया था कि पेट्रोल और डीजल की मूल लागत का कम से कम 5 प्रतिशत राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्र में 64 : 35.5 प्रतिशत के अनुपात से बाँटा जाएगा तथा इस निधि का 0.5 प्रतिशत इस निधि के प्रशासनिक कार्यों के लिए रखा जाएगा। परन्तु इस निर्णय को लागू नहीं किया जा सका। इसके लागू न किये जाने का कारण यह था कि इसकी जांच की जा रही थी और कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। 1977 के संकल्प के अनुसार जो राशि राज्य को प्राप्त होनी थी वह लगभग 25 करोड़ रुपये से 30 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष थी।

1998-99 में सरकार ने पेट्रोल पर एक रुपये लीटर की दर से उपकर लगाने का निर्णय लिया और 1999-2000 में डीजल पर भी इसी दर से उपकर लगाया गया, अर्थात् एक लीटर पर एक रुपया। इस संबंध में आबंटन मानदंडों का भी निर्णय लिया गया था। जिसके अनुसार डीजल पर उपकर 50 : 50 के अनुपात में दिया जाना था, इसमें से प्रति लीटर 50 पैसे डीजल का उपकर ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए दिया जाना था अर्थात् यह पैसा राज्यों को दिया जाना था और वे इनका उपयोग केन्द्र के परामर्श से करते। प्रति लीटर डीजल पर शेष 50 पैसे का उपकर और पेट्रोल पर प्रति लीटर एक रुपये के उपकर को इकट्ठा कर 30 प्रतिशत राज्यों को देने के लिए रखा गया था ताकि वे राज्य राजमार्गों और अन्य सड़कों का विकास कर सकें, 12.5 प्रतिशत

रेलवे को ऊपरी पुल बनाने और बिना चौकीदार के रेल फाटकों के रख-रखाव के लिए दिया जाना था ताकि सड़क सुरक्षा में सुधार किया जा सके और राजमार्गों पर यातायात का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। फिर शेष 57.5 प्रतिशत का इस्तेमाल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उनके रख रखाव के लिए उपयोग किया जाना था। यही प्रस्ताव रखा गया था। इस फार्मूले के अनुसार 2000-2001 केन्द्र के लिए कुल आवंटित राशि 5,800 करोड़ रुपये है। जिसमें से 990 करोड़ रुपये राज्यों को दी जाने वाली राशि भी शामिल है। पहले, राज्यों को 25 करोड़ रु. से 30 करोड़ की राशि प्रतिवर्ष तक मिल रही थी, परंतु अब उन्हें 990 करोड़ रु. प्रतिवर्ष मिलेंगे।

अब, माननीय सदस्य, श्री वाई.एस. वैंकय्या रेड्डी ने बहुत ही ठोस बात कही कि हमने इस उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी किया है। मैं माननीय सदस्यों से पूर्णतः सहमत हूँ कि जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है तब उस समय अध्यादेश जारी करना उचित नहीं है। परंतु यहाँ मैं यह बताना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सड़क निधि को सांविधिक दर्जा देने के लिए यह अध्यादेश जारी करना आवश्यक था ताकि इसे राज्यों को तत्काल आवंटित किया जा सके। हम राज्यों को तुरंत निधि आवंटित करना चाहते थे क्योंकि वर्षा का मौसम अभी समाप्त हुआ है काम का समय अभी चल रहा है, सड़कों की मरम्मत करने की आवश्यकता है, और इसलिए राशि का तत्काल आबंटन आवश्यक था। यदि हमने यह अध्यादेश जारी न किया होता और सभा में यह विधेयक पारित करने आते तो, इसमें समय लगता। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमने 325 करोड़ रुपये की राशि में से नवम्बर महीने तक राज्यों को 990 करोड़ रुपये पहले ही आवंटित कर चुके हैं। कई मुख्यमंत्रियों ने मुझसे इस सिलसिले में मुलाकात की है और उन्हें मैंने राशि के आवंटन की बात बता दी है। वे प्रसन्न है कि वे इस निधि का उपयोग तुरंत कर सकेंगे। इसलिए, यही कारण था कि हमने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस अध्यादेश के जारी करने के इरादे को समझे। यह केवल इस निधि को प्रयोग करने के लिए जारी किया गया है ताकि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी करने में विलम्ब न हो।

महोदय, अब, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि यह सभा 1 नवम्बर, 2000 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश, 2000 (2000 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।''

[अध्यक्ष महोदय]

"कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण और रेल क्रासिंग पर सुधार के लिए 1988 में पारित संसद के संकल्प द्वारा शासित विद्यमान केन्द्रीय सड़क निधि को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने और इन प्रयोजनों के लिए पेट्रोल, उच्च गति डीजल तेल के रूप में सामान्यत: ज्ञात मोटर स्पिरिट पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने और उससे संबंधित अन्य विषयों के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, अध्यादेश के माध्यम से सभा के समक्ष लाए गए इस विधेयक को, कम से कम, हमारा समर्थन अवश्य मिलना चाहिए क्योंकि हम ऐसे विधान की लम्बे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। याद है कि मेरे एक घनिष्ठ मित्र, श्री राजेश पायलट ने जो अब हमारे बीच नहीं हैं, इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से विचार किया था। उन्होंने इस मुद्दे को इस सभा में अनेक बार उठाया था तथा उन्होंने इस प्रकार के विधान के पक्ष में पार्टी के मंच पर भी अपने विचार रखे थे। शुरू में ही, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अपने सदस्यों और आवश्यकताओं के संदर्भ में इस पर अत्यन्त ईमानदारी से विचार किया जाए।

हम प्रत्येक योजना वर्ष में राज्य और केन्द्र के बीच योजना लक्ष्य तय करते हैं। हम राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में लक्ष्य निर्धारित करते हैं तथा आगे बढ़ते हैं। हमारी अन्य अतिरिक्त आवश्यकताएं भी हैं जिनके लिए हम धन ग्रामीण विकास मंत्रालय के बजट से लेते हैं।

जहां तक मैं समझता हूं, खंड 7 में, आप कहते हैं:

निधि का निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगा:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण;

(2) ग्रामीण सड़कों का विकास;

(3) अन्य सड़कों का विकास और अनुरक्षण, जिसके अंतर्गत अंतरराज्यिक और आर्थिक रूप से महत्व की सड़कें भी हैं;

(4) पुल के साधन से रेलपथ के नीचे या ऊपर सड़क का सन्निर्माण और ऐसी रेल सड़क क्रासिंग पर, जहां कोई व्यक्ति तैनात नहीं है, सुरक्षा संकर्म का परिनिर्माण; और

(5) ऐसी परियोजनाओं की बाबत संवितरण जो विहित किये जाएं।

अब, जैसा कि आपने अभी-अभी कहा है कि राज्यों के लिए राजस्व में भागीदारी लगभग 985 करोड़ होगी तथा आपके पास

5000 करोड़ रुपये रहेंगे। हाल ही में, गडकरी आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हम नहीं जानते कि वास्तविक स्थिति क्या है क्योंकि संसद में कुछ भी नहीं बताया गया है। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक खंड में ग्रामीण सड़क सम्पर्क पर ध्यान दिया जाए तथा वे सड़कें अन्तरराष्ट्रीय स्तर और आकार की हों। प्रतिवेदन दे दिया गया है, परन्तु मैं नहीं जानता कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है या क्या कार्यक्रम शुरू किया गया है।

हमें बताया गया है कि ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग को खर्च करने के लिए 2500 करोड़ रुपये से कम नहीं दिये जाते हैं। यह चर्चा चल रही है कि इस धन का बंटवारा कैसे किया जाना चाहिए। सभा के कुछ सदस्य यह महसूस करते हैं कि उन्हें संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अधीन जो 2 करोड़ रुपये मिल रहे हैं वह धनराशि बहुत कम है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए राजकोष पर और अधिक भार डालने के बजाए, लोक सभा और राज्य सभा के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विकास परियोजना की किसी एक सड़क को ग्रामीण विकास निधि की स्वीकृति के लिए सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए इससे सड़क सम्पर्क में वृद्धि होगी और इससे सरकार को भी सहायता मिल सकती है।

एक विचार यह भी है कि प्रत्येक जिले को पर्याप्त धनराशि दे दी जानी चाहिए और जिले की पंचायतें उस धन से योजना बनायेंगी।

आप कहते हैं कि ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम राज्य सरकारों के अधीन होगा और वे इस संबंध में कुछ कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए 985 करोड़ रुपये से व्यय करेंगी।

जब आप ग्रामीण सड़क विकास के बारे में बात करते हैं तो यह स्पष्ट नहीं होता कि किस जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। क्या ये पिछड़े जिले होंगे? इस प्रकार के भी जिले हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक स्थितियां हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र। कुछ इस प्रकार के जिले भी हैं जहां कि लगातार सूखा पड़ने के कारण वह सूखा प्रवण क्षेत्र हो गया है जैसे कि राजस्थान का जैसलमेर जिला। अत: यह और अधिक उपयुक्त होता यदि यह प्राथमिकता दर्शा दी जाती कि वे कौन सी ग्रामीण सड़कें हैं जिन्हें कि वर्तमान वर्गीकरण के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। तथापि, मैं वे सभी बातें भी समझ रहा हूं जो कि अधिनियम में व्याख्यापित नहीं की जा सकती। इसके लिए राज्यों और केन्द्र के बीच तालमेल की आवश्यकता है।

लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब वे ग्रामीण सड़कों के विकास के बारे में कहते हैं, तो क्या इसका अर्थ है कि इनका विकास इसी निधि से किया जाएगा। क्या इसका अर्थ राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली किसी अन्य निधि से है जो कि इसमें सम्मिलित है ताकि हम समझ सकें कि एक सदस्य के रूप में हमें संबंधित राज्यों और निर्वाचन क्षेत्रों में क्या भूमिका अदा करनी है?

माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में एक अन्य मुद्दा रेल ऊपरीपुल या अण्डर ब्रिज बनाने के संबंध में उठाया है जिसे सड़क ऊपरिपुल कहा जाता है। सड़क ऊपरिपुल कार्यक्रम रेल द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं जिसे राज्य सरकारों का समर्थन प्राप्त होता है क्योंकि उन्हें किसी भूमि पर कोई निर्माण करने या सम्पर्क मार्ग आदि के निर्माण करने का प्राधिकार प्राप्त होता है। मैं आपके कथन और इस अधिनियम के प्रावधानों से यह समझ रहा हूं कि रेल मंत्रालय द्वारा सड़क ऊपरिपुल का अनुमोदन करने पर उस ब्रिज या सम्पर्क मार्ग का निर्माण इस निधि से किया जायेगा। क्या मंत्रालय राज्य सरकार से 985 करोड़ रुपये में से धन की मांग करेगी, या क्या मंत्रालय को आपके विभाग से अलग से धन मिलेगा जो कि केन्द्रीय पूल का है, 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का है? जब आप उत्तर दें तो इस बात को भी स्पष्ट करें ताकि हम समझ सकें कि जब आपके द्वारा रेल मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए, तो इसके लिए हम किससे संपर्क करें–राज्य सरकार से या केन्द्र सरकार से?

बिना चौकीदार वाले रेलवे फाटकों के संबंध में भी ऐसा ही है। पूरे देश में बिना चौकीदार वाले हजारों रेलवे फाटक हैं जिन से बहुत अधिक परेशानी तथा दुर्घटनाएं होती हैं। रेल मंत्रालय द्वारा किया गया एक अद्वितीय प्रस्ताव है कि यदि कोई सांसद बिना चौकीदार वाले किसी रेलवे फाटक के लिए सहयोग दे, तो रेल द्वारा एक अन्य को सहयोग, प्रोत्साहन के तौर पर दिया जाएगा।

जहां तक सड़क प्रबंधन का संबंध है, मैं पुनः यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह निधि राज्य को दे दी जाएगी और रेल को राज्य से धन लेना होगा या निधि का कुछ अंश रेल द्वारा मांगे जाने पर उसे दे दी जाएगी या कोई अन्य सड़क ऊपरिपुल बनाने के लिए सहयोग देगा। इस मुद्दे को भी स्पष्ट किये जाने की आवश्यकता है।

अपराह्न 3.51 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

सबसे अधिक कमी 7(5) में है। मेरे विचार में यहीं सरकार द्वारा विवेक का इस्तेमाल किये जाने की आवश्यकता है। 'विहित

रीति से इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए संवितरण' का प्रावधान कौन करेगा—राज्य या संबंधित मंत्रालय? यदि वे कहें कि यह प्रावधान राज्य द्वारा किया जाएगा और वे कहें कि वे यह कार्य नहीं करेंगे तो इससे राज्य और केन्द्र के बीच टकराव पैदा होगा। अतः, यह बेहतर होता यदि इस बात को स्पष्ट कर दिया जाता 'राज्य द्वारा निर्धारित अन्य परियोजनाओं के संबंध में; या वे कहें 'राज्य द्वारा' या यह कहा जाए 'इस प्रकार के अन्य राज्यों द्वारा योजना आयोग की सलाह से निर्धारित किया जायेगा।' अन्यथा, किसी को यह ज्ञात नहीं है कि यह किसका कार्य है। यह कहां से आएगा? जहां तक खंड 7 का संबंध है, इस संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

अब, मैं प्रबंधन के पहलू पर आता हूं। इसका संबंध धारा 9(1) और धारा 10 से है जो कि केन्द्र सरकार के कृत्यों के बारे में है। मैं इस खंड पर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। उसमें केन्द्रीय सड़क निधि के प्रबंधन की शक्तियां निहित हैं। वास्तव में क्या हो रहा है? अब, मेरे पश्चात् सन्तोष मोहन देव बोलेंगे। वह देश के एक क्षेत्र से आते हैं। हमने सुना है कि सौराष्ट्र से सिल्चर तक एक बहुत लम्बी चार लेन वाली सड़क बनाने का प्रस्ताव भूतल परिवहन मंत्रालय की तरफ से किया गया है। यह घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। मैंने देखा कि सड़क के कुछ हिस्से के लिए योजना बनाई गई। सिल्चर से सौराष्ट्र का मतलब है कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा मेरे निर्वाचन क्षेत्र से होकर गुजरेगा। मुझे बताया गया कि कार्य शुरू हो गया था लेकिन अचानक कोई निर्देश दिया गया और कार्य रोक दिया गया। सभी पुराने बरगद के पेड़ और अन्य पेड़ उखाड़ दिए गए तथा हटा दिए गए। सड़क को चौड़ा किया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क को चौड़ा किया और अचानक यह कार्य रोक दिया गया।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस परियोजना को छोड़ दिया गया है या धन का मिलना बन्द हो गया है या कोई और बात हो गई है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को भी स्पष्ट करें क्योंकि, जहां तक अपने देश की भावी अर्थव्यवस्था का प्रश्न है इससे उत्तर पूर्व और पूर्व क्षेत्र को मजबूत आधारभूत ढांचा मिलेगा। सड़क इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर आर्थिक विकास का भविष्य टिका हुआ होता है।

मुझे याद है कि पश्चिम बंगाल में एक ही सड़क, अर्थात पानागढ़ से मोरगा तक एक्सप्रेस राजमार्ग है। मैं वहां कई बार व्यक्तिगत रूप से गया था। यह किसी विशेष कम्पनी द्वारा बनाई गई एक अनन्य मॉडल सड़क है, जो मैंने पाया है, हाल ही में आई बाढ़ यह भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसी ही एक्सप्रेस राजमार्ग की तरह की सड़कें होनी चाहिए जहां दो लेनों पर कन्टेनरों को लाया ले जाया जा सके तथा यात्री बसें अन्य दोनों लेनों में चलें

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में व्यापक रूप से चल सकें। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि कम्पनियों में निवेश के अवसर, जिनके संबंध में हम संगोष्ठियों में चिल्लाते रहते हैं, बढ़ जाएंगे और आधारभूत सुविधाएं अधिक प्रभावी हो जाएंगी तथा आर्थिक विकास हमारी आशा से कहीं अधिक होगा।

अत: उनके प्रभुत्व वाले इस विभाग ने और इस विधेयक की संकल्पना के संबंध में तथा संसाधनों की प्राप्ति के संबंध में, मरम्मत और प्रबंधन से ही संबंधित नहीं, एक व्यापक दृष्टिकोण है और यह देश को एक सकारात्मक आधारसंरचना प्रदान करेगा। इसलिए हम विशेषरूप से इस आधार पर इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। परन्तु जहां तक धन के बंटवारे का संबंध है, मैं यह अनुरोध करूंगा कि अगर वे राज्यों से समीक्षा के बाद कुछ अधिक संसाधनों का बटवारा कर सकें तो यह बेहतर होगा। क्योंकि राज्यों को अपने राज्य के एक्सप्रेस राजमार्गों का प्रबंध करना होता है।

राज्यों को पंचायत ग्रामीण सड़कों की देखरेख करनी होती है। राज्यों को लोक निर्माण विभाग से संबंधित पुरानी सड़कों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना होता है। इन सब की देखरेख के बाद राज्य के राजकोष में किसी बड़ी सड़क, अर्थात् राज्य राजमार्ग के लिए योजना बनाने के लिए शायद ही कुछ बचेगा कि राज्य अपनी इच्छा से कोई फैसला करे और यह कह सके कि यह मेरी प्रथमिकता है। इसलिए, मैं समझता हूं कि आप संसाधन प्रभाग से संबंधित स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं, चाहे बाद में ही सही, और राज्यों को कुछ अधिक धन दे सकते हैं, जिससे राज्य आत्मविश्वास के साथ अपना कोई कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे। इतने धन के साथ तो एक वर्ष तो क्या पांच वर्षों में भी वे एक या दो बड़े एक्सप्रेस राजमार्ग बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर राज्यों के पास धन होगा, तो मैं समझता हूं कि वे इस धन से कार्रवाई के संबंध में अपनी योजना बना सकेंगे जिससे मैं समझता हूं कि आधार संरचना को अधिक बल मिलेगा।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि कृपया राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को मजबूत बनाएं। मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही खराब हालत में है। मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हूं जहां हर साल बाढ़ आने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग खराब हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33, 34 और 35 सिक्किम की जीवन रेखाएं हैं, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की जीवनरेखाएं हैं, जो बंगलादेश के साथ सीमा व्यापार के कार्य में लगी हुई हैं, नेपाल के साथ सीमा व्यापार में लगी हुई हैं और भूटान के सीमा व्यापार में लगी हुई हैं। प्रत्येक बाढ़ से ये राजमार्ग खराब हो जाते हैं और जिला मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर पाते। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लोग भी वहां नहीं आते। मैंने वहां 20 बार संपर्क किया है। मुझे वहां कोई नहीं दिखा, वहां कोई अधिकारी भी नहीं था, केवल एक

अतिथि गृह ही था। जब मैं डी एम के पास पत्र लेकर गया तो वहां उस पत्र को लेने वाला कोई नहीं था। इसलिए कृपया वहां एक जोन बनाएं। प्रत्येक राज्य जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग हो वहां इसकी देखरेख के लिए तथा समस्याओं का निपटान करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श करके समाधान करने के लिए एक जोन होना चाहिए। अन्यथा लोक निर्माण विभाग के लोग कहेंगे, "यह हमारा काम नहीं है। हम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अतिक्रमण नहीं कर सकते।" फिर हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों को नहीं समझा सकते। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आपके नियंत्रण के अधीन है। मैं आपसे अंतिम बार अनुरोध कर रहा हूँ।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि ठेके, निविदाएं इत्यादि देते हुए किसी राजनैतिक दबाव में ना आकर सर्वोत्तम काम करने वाली सर्वोत्तम कम्पनियों को दिया जाना चाहिए जो इस कार्य को अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं आपको बंगाल के पानागढ़ एक्सप्रेस राजमार्ग का एक उदाहरण देता हूं। मैं 'ए' कंपनी या 'बी' कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं परंतु आप सबसे अच्छी और सबसे उत्कृष्ट कंपनियों को यह काम सौंपे जो इस काम को अच्छी तरह से कर सकेंगी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस विधेयक के लिए केवल एक घंटे का समय दिया गया है। आप पहले ही 15 मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय यह विधेयक एक घंटे के अंदर पारित नहीं हो सकता। पूरी सभा मेरी इस बात से सहमत होगी। प्रत्येक सदस्य मेरी बात से सहमत होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हमने इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय आवंटित किया था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय आवंटित करने पर सदस्य मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, "आप केवल एक घंटे के लिए ही क्यों सहमत हुए? यह सड़क विधेयक है-5000 करोड़ रुपए"।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और मंत्री जी का अपने मंत्रालय में अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार उन्होंने रण क्षेत्र में मेजर जनरल का काम किया उसी प्रकार आधार संरचना के युद्ध में भी उन्हें सफलता मिलेगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री (मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी): धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री खारबेल स्वाइं जी बोलेंगे।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैं केन्द्रीय सड़क निधि विधेयक, 2000 के समर्थन में बोल रहा हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं सड़कें, दूरसंचार, पत्तनों, हवाई पत्तनों और रेलवे जैसी आधारभूत सुविधाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए यह आधारभूत सुविधाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है।

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आखिर भारत सरकार ने विधेयक के माध्यम से एक ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिससे सड़कों के निर्माण के लिए, जो भी अत्यावश्यक है, उनकी पूर्ति की जाएगी। सड़कों के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यकता धन की है।

महोदय, इस देश में गत 53 वर्षों से सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। एक ही वर्ष में, पेट्रोल और डीजल से प्राप्त उपकर लगभग 6,000 करोड़ रुपये है। ...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): अब चार बज गए हैं। हमें नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करनी होगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं भी घड़ी की ओर देख रहा हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय जिस ढंग से आप घड़ी की ओर देख रहे हैं उससे मैं डर गया हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात अगली बार कह सकते हैं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, इस विधेयक का क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय: इस पर बाद में चर्चा की जाएगी।

अपराह्न 3.59 बजे

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई जान-माल की हानि

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जान माल की हानि के संबंध में सर्वश्री रूपचंद पाल और अजय चक्रवर्ती के नाम से नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करना स्वीकार किया गया है। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है कि उनकी तरफ से श्री सोमनाथ चटर्जी को चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दी जाए। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दे दी है।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और इस सभा के अन्य माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यह महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करने का अवसर प्रदान किया।

मैं यह चर्चा एक अत्यंत गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर आरंभ करना चाहता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि इसे केवल रोजमर्रा का मामला या किसी विशेष राज्य का मामला या किसी विशेष दल का मामला नहीं समझा जाएगा। यहां तक कि, प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद जब हम चर्चा कर रहे हैं, हमने देखा है कि हाल ही में आए तूफान और भारी वर्षा से तमिलनाडु और पांडिचेरी किस तरह प्रभावित हुए हैं। उन्हें गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ रहा है। हमें उन राज्यों के लोगों के साथ सहानुभूति हैं। मैं इस मामले को उठाने और राहत और पुनर्वास कार्य के लिए केन्द्र सरकार से अधिक सहायता के लिए उनकी मांग के लिए माननीय सदस्यों का साथ दूंगा। हमें एक राष्ट्र के रूप में इस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए कि हर वर्ष एक से अधिक बार देश के एक या अधिक राज्यों में अलग-अलग मात्रा में गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है और इनमें से कुछ तो बहुत गंभीर होती है। हम बहुत मूल्यवान परिसंपत्तियां खो रहे हैं। इन आपदाओं के कारण बहुत सारा क्षेत्र बर्बाद हो गया है। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट या बर्बाद हो गई है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। लोग बाढ़ या सूखे के कारण मर रहे हैं। कुछ मामले भूकम्प के हैं जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय परिसम्पत्ति की हानि के साथ साथ लोगों को काफी दुखों और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है।

हम लोग अभी अभी सड़क के निर्माण की बात कर रहे थे। श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने ठीक ही उल्लेख किया कि बाढ़ के कारण बहुमूल्य सड़कें जिस पर काफी धन खर्च किया गया है, बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने अभी अभी कहा कि पानागढ़ से मोरेग्राम तक सड़क का निर्माण मुम्बई की एक प्रतिष्ठान एफकॉन्स द्वारा बहुत ही बढ़िया से किया गया था। यह मेरे चुनाव क्षेत्र का भाग है। मैं इसे देखता रहा हूँ। यह एक अत्यन्त ही योग्य ठेकेदार द्वारा बनाई गई सबसे अच्छी सड़क है। मुझे यह स्पष्ट तौर पर स्वीकार करना चाहिए। यह उन्हें एशियाई विकास बैंक से प्राप्त धन से बनाया गया था। किंतु बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई यह सड़क बाढ़ के प्रकोप के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मैं अपने माननीय मित्र से कहूंगा कि वहाँ जाएं तथा देखें। तब आप बाढ़ का प्रकोप क्या है समझ पाएंगे।

हमने दूरसंचार सेवाओं को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त होते, बिजली की लाइनों को बाधित होते, घरों को गिरते तथा बड़ी

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

संख्या में लोगों को बेघरबार होते देखा है। विद्यालय और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यह अनुभव मेरे राज्य अथवा मेरे क्षेत्र का नहीं है। मुझे भय है, संभवतः, देश के हर भाग के मेरे अधिकांश माननीय मित्र इस तरह के आघात से गुजरे होंगे। हो सकता है मैं अभी इस आघात को महसूस कर रहा हूं।

आज पाण्डिचेरी हमारे साथ है, तमिलनाडु भी हमारे साथ है और आंध्र प्रदेश में हमारे विशिष्ट मित्रों ने भी इसका अनुभव किया है।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): हमें अनुभव है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हाँ, आपको उड़ीसा के महाचक्रवात का अनुभव था और केन्द्र से उनके लिए कुछ विशेष सहायता की मांग करने में मैं श्री येरननायडू के साथ था। निःसंदेह मैं वाद-विवाद में कोई अंक अर्जित करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं इन सारी बातों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी संकीर्णता से देखा जाता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ किसी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। इसे ऐसा माना जाता है मानो यह किसी विशेष राज्य का मामला है। किंतु ऐसा ही हो रहा है।

और अभी हम लोगों ने यह भी देखा है कि दूसरा गंभीर खतरा पैदा हो रहा है और इससे कई राज्य ग्रस्त हैं और यह भूक्षरण से उत्पन्न खतरा है। यहाँ तक कि जिला की सीमाएं भी बदल रही हैं, राज्यों की सीमाएं भी बदल रही हैं, पड़ों की कटाई से भी भूक्षरण हो रहा है, नदियों के तल में गाद भर रहा है, ये सारी गंभीर समस्याएं हैं जिन्हें दलीय मुद्दा अथवा राज्य का मुद्दा मानकर नहीं निपटा जा सकता है। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

किंतु यह सदैव सामान्यतः कहा जाता है कि यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है क्योंकि कार्यक्षेत्र में वास्तुतः यही सरकारें होती हैं। इसलिए राहत पहुँचाने का मामला राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व हैं। प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण का कार्य भी राज्य सरकार द्वारा ही कराया जाना है। निःसंदेह, संवैधानिक रूप से यह उनका उत्तरदायित्व है।

किंतु वित्त आयोग, जो एक संवैधानिक निकाय है ने यह माना है कि इस देश में किसी भी राज्य के लिए उन वित्तीय दायित्वों का निर्वाह कर पाना असंभव है। इसलिए, यद्यपि कि यह राज्यों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है, किंतु उनके पास आवश्यक राहत इत्यादि पहुंचाने के लिए अपेक्षित खर्चों को पूरा करने हेतु संसाधन नहीं होते हैं, और चूँकि राज्य इसका वहन कर पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं अतएव हर कोई दिल्ली की ओर दौड़ता है। जब संसद चलती है, हम इस मामले को यहाँ उठाते हैं। हम प्रधान मंत्री के पास जाते हैं तथा हम सहायता की मांग करते हैं। हम प्रदर्शन करते हैं। हम इसमें एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। इस पर सर्वाधिक सर्वसम्मति थी। इस उच्चतम संस्था के सदस्य सहमत थे कि इस विषय को सिर्फ और साधारण राज्य का मामला नहीं माना जा सकता है। राज्यों को काफी निधियों की आवश्यकता होती है।

यह स्मरण रखना अत्यन्त उचित है कि दूसरे वित्त आयोग के बाद से वित्त आयोगों का एक विचारणीय विषय यह रहा है कि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के लिए खर्चों को पूरा करने हेतु कैसे प्रावधान किया जाए। जब दूसरा वित्त आयोग गठित हुआ था उस समय भी यह समझा गया था कि हम प्राकृतिक आपदाओं से छुटकारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। कुछ से बचा जा सकता है, भूकम्प जैसी आपदाओं से नहीं बचा जा सकता है। लातूर का विनाश हो गया। इससे कैसे बचा जा सकता है? कुछ ऐसे हैं, इसके इर्द-गिर्द कुछ संरक्षा हो सकती है। किंतु यह किसी के वश में नहीं है। इसलिए, जब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, वे पाते हैं कि यह किसी भी राज्य के लिए दुस्साध्य कार्य है और तब वे केन्द्रीय सहायता के लिए दिल्ली भागते हैं। अन्यथा, उस राज्य या उस राज्य की जनता के बिना किसी गलती के काफी क्षति होती है, और यूँ कहिए पांच वर्षों अथवा दस वर्षों में की गई अथवा की जा रही प्रगति, विकास दो अथवा एक दिन में साफ हो जा सकती है। सारी उपलब्धियाँ अथवा विकास विनष्ट हो जाती हैं। इस देश में सड़कों का निर्माण करना, आवास, भवन, अस्पताल इत्यादि बनाना आसान नहीं है किंतु उनके विनाश में चंद मिनट अथवा चंद घंटे ही लगेंगे और तब धन कहाँ से आएगा?

दुर्भाग्यवश, यदि हम पूरे देश को एक इकाई मानें तो इस तरह की आपदाएं अत्यधिक भयावह नियमितता से आ रही हैं। कुछ राज्य वर्ष में एक बार या एक बार से भी अधिक इस समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। कम से कम कुछ राज्यों में लगभग प्रत्येक वर्ष और कुछ राज्यों में एक वर्ष में एक बार से भी अधिक इस प्रकार की आपदाएं आती हैं।

उस स्थिति में, एक प्रश्न मुख्य रूप से उठता है कि इसे राष्ट्रीय आपदा मानते हुए इससे कैसे निबटा जाए।

महोदय, हम अपने देश की सर्वोच्च संस्था में चर्चा कर रहे हैं। हम जिस मंच पर चर्चा कर रहे हैं वह सर्वोच्च मंच है। सभा के सभी पक्षों से मेरी अपील है कि चूँकि हम इसे राष्ट्रीय मुद्दा मानते हैं, हमें एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोगों को, जो सभी भारतीय हैं, को बचाने के लिए आगे आया जाए। वे हमारे भाई-बहन हैं। किसी को दूसरों के कष्ट पर तुष्ट नहीं होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि

कोई ऐसा कर रहा है। कोई भी दूसरों की मुसीबत से अलग नहीं रह सकता।

महोदय, जब उड़ीसा में महाचक्रवात आया तो पूरे देश की अन्तरात्मा जाग उठी क्योंकि इससे जितना नुकसान हुआ वह अतुलनीय है। एक संसद सदस्य के रूप में हमने कुछ किया था। हममें से अनेक ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि में से 10 लाख रु. तक दान किया। मैंने इसी तरह का अपील की। अब, मैं अपने मित्रों से यदि संभव हो, इस पर कुछ करने का अनुरोध करता हूँ।

इसलिए, ये विषय हैं जिन्हें उस भावना से समझा जाना चाहिए। किंतु आज मुझे पश्चिम बंगाल में चार दिन की निरंतर और अपूर्व बारिश के कारण आए बाढ़ से हाल ही में हुए विध्वंस, ऐसा विध्वंस कम ही होता है, की चर्चा करने के लिए माफ किया जाए। यद्यपि कि मेरे पास आंकड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि ये आंकड़े किसी के लिए बोझिल बनें। मेरे पास सभी सरकारी आंकड़े—भारत सरकार के आंकड़े और राज्य सरकार के आंकड़े हैं। यह विगत सौ वर्षों में भारी वर्षा और सर्वाधिक विध्वंसकारी बाढ़ रही है। न सिर्फ पश्चिम बंगाल अपितु हमारा सीमावर्ती राज्य बिहार भी काफी प्रभावित हुआ। हमारे माननीय कृषि मंत्री, श्री नीतीश कुमार जी से बेहतर ढंग से इसे और कौन जान सकता है। बिहार के पठार में कम दबाव बनने से घनघोर बारिश हुई थी. ...*(व्यवधान)* अब, झारखण्ड, बिहार के भाग ...*(व्यवधान)* 'हां', हम झारखण्ड को बधाई देते हैं, किंतु हमें प्रसन्नता नहीं है कि झारखण्ड ऐसी समस्याओं का सामना करे ...*(व्यवधान)* तब, हमें उनका साथ देना होगा, हमें बिहार के साथ खड़ा होना होगा और झारखण्ड के साथ भी खड़ा होना होगा।

महोदय 18 और 20 सितम्बर के बीच, 96 घंटों तक मयूराक्षी बेसिन में इन चार दिनों में लगातार बारिश हुई। मसानजोर बाँध और तिलपारा बराज के बीच अनियंत्रित जल संग्रहण क्षेत्रों में 96 घंटे के अंदर कुल बारिश 1000 मि.मी. से ज्यादा हुई। एक वर्ष में 500 से 600 मि.मी. वर्षा होती है जबकि चार दिनों में 1000 मि.मी. बारिश हुई। वीरभूम जिले में 1050 मिमी. और 1480 मिमी के बीच बारिश रिकार्ड की गई जोकि वार्षिक औसत वर्षा से काफी ज्यादा है। मुर्शिदाबाद जिला—श्री अधीर चौधरी हमेशा मुझे रोकने का प्रयास कर रहे हैं–उनके जिला में इन चार दिनों के दौरान असाधारण रूप से अत्यधिक बारिश लगभग 1200 मिमी. हुई जिससे भागीरथी और जालंगी नदियों का जल स्तर 11.93 मीटर बढ़ गया जो खतरे के सबसे ऊपरि निशान से 2.88 मीटर ऊपर था। इन सबके परिणामस्वरूप, अंततः, नवद्वीप और कृष्णानगर-मेरे मित्र श्री एस.बी. मुखर्जी यहाँ हैं, वह यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं–और मुर्शिदाबाद में नदिया में सभी ब्लाक मुख्यालय पूरी तरह से जलमग्न हो गये थे।

जैसा कि हम जानते हैं, अजय नदी बिहार से निकलती है। ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: ठीक है, आपके राज्य से भी हमारे राज्य में अतिरिक्त जल आ रहा है किन्तु उस मुद्दे पर मेरा कोई विवाद नहीं है।

महोदय, अजय नदी का जल स्तर एक ही दिन में चार मीटर तक चढ़ गया था। परिणामस्वरूप पानी सभी तटबंधों से बाहर निकलने लगा था। उन दिनों दामोदर-बराकर बेसिन में भी अब तक की सबसे भारी वर्षा हुई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी वर्षा से भीषण बाढ़ आई और लोगों को भारी विपत्ति का सामना करना पड़ा।

मैं कृषि मंत्रालय का आभारी हूँ कि उन्होंने अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष काफी जल्दी एक दल वहां भेजा, केन्द्रीय अधिकारियों के दल के अध्यक्ष के रूप में वहां का दौरा करने वाले संयुक्त सचिव ने वहां बाढ़ की स्थिति को बहुत गंभीर बताया। प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा कि इससे भारी राष्ट्रीय क्षति हुई है। स्वयं माननीय कृषि मंत्री ने राज्य का दौरा किया है। हम इसकी सराहना करते हैं। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनका आभार व्यक्त किया और इस बाढ़ को भीषण बाढ़ बताया। मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मुझे यह जानकारी समाचार पत्रों से मिली। उन्होंने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर की सहायता की आवश्यकता है। मैं आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को माना।

एक माननीय मंत्री ने इस सभा में कहा कि बाढ़ का कारण मात्रा और घनत्व दोनों दृष्टियों से अभूतपूर्व वर्षा होना है। उन्होंने यह 22 नवम्बर को इस सभा में कहा। 18 सितम्बर से 23 सितम्बर के बीच अजय बेसिन में 1040 मिमी., मयूराक्षी तटबंध क्षेत्र में 1,224 मिमी. दामोदर बेसिन में 529 मिमी. वर्षा हुई। भागीरथी बेसिन जलमग्न था क्योंकि भागीरथी में इसकी सहायक नदियों द्वारा उसकी क्षमता से कहीं अधिक जल पहुंच रहा था। पानी के तटबंध से बाहर निकलने के कारण सभी नदियों के तटबंधों में दरार आ गई थी। यहां सभी ब्यौरा दिया गया है। मंत्री महोदय ने भी कहा कि इस वर्ष इतनी अल्प अवधि में ऐसी भारी वर्षा से आई बाढ़ के बारे में पूर्वानुमान लगाना और उसे रोकना कठिन है।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी यह कहा गया कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है। इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि राज्य ने व्यापक मानवीय आपदाओं का सामना किया और बाढ़ से जन-धन की भारी हानि हुई। बाढ़ से 171 विकास खंडों और 68 नगरपालिकाओं में 2.18 करोड़ लोग प्रभावित हुए। राज्य के सतरह बाढ़ प्रभावित जिलों में से नौ जिलों में 1320 लोग मारे गए 83,630 पशु मारे गए। 31 लाख से अधिक पशु प्रभावित हुए। 19.20 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में लगभग 3,866 करोड़ रुपये की फसल का नुकसान हुआ। लगभग 438.97 करोड़ रुपए मूल्य के 21,94,858 मकान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। राज्य का शेष देश से संपर्क कट ही गया था। संचार प्रणाली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त होकर यातायात योग्य नहीं रहे, रेल लाइनें उखड़ गई थी और काफी प्रयासों के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हुई है और उत्तर बंगाल दक्षिण बंगाल से पूरी तरह कट गया था। बाढ़ के कारण लगभग 5,660 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने राहत और बचाव के लिए तत्काल कदम उठाए। 29073 राहत शिविर खोले गए। मुझे ये आंकड़े कृषि मंत्रालय के टिप्पण से प्राप्त हुए हैं। 48 लाख लोगों को बचाया गया। हवाई जहाज से खाद्य सामग्री के पैकेट गिराए गए और तत्काल सेना की सहायता ली गई। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ इतनी भीषण थी कि सेना के जवानों को वापस लौटना पड़ा क्योंकि वे वांछित स्थान तक नहीं पहुंच पाए। खराब मौसम के कारण सेना के हेलीकाप्टर कई स्थानों तक नहीं पहुंच पाए और उन्हें खाद्य सामग्री के पैकेट गिराने के लिए सूखा स्थान नहीं मिल पाया। एक दिन वे यह कहते वापस आ गए—खेद है हम यह कार्य नहीं कर सकते हैं।

सिविल डिफेंस ने राहत व बचाव कार्यों में 50 स्पीड बोट और 3000 देसी नौकाएं लगाई। लगभग 10 लाख तिरपाल बांटे गए और पेयजल को शुद्ध करने के लिए हॉलोजेन की लगभग 12 करोड़ गोलियां उपलब्ध कराई गई। महोदय, आलोचना चाहे जो भी करें मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि अतिसार और आंत्रशोथ बीमारियों से केवल 58 लोगों की मौतें हुई हैं जो सामान्य आकड़ों से भी कम है। विशेष सरकारी राहत के रूप में 62000 मीट्रिक टन चावल बांटे गए और राज्य सरकार ने राहत व बचाव कार्यों पर अपने संसाधनों में से पहले ही 583 करोड़ रुपये का व्यय कर दिया है।

मुझे खेद है कि बाढ़ से हुई क्षति, उत्पन्न कठिनाइयों और बड़ी संख्या में प्रभावित लोगों व क्षेत्रों के बारे में बताने के लिए इन आंकड़ों को पढ़कर सुनाने में मुझे आपके धैर्य की परीक्षा लेनी पड़ी, जहां पर पुनर्निर्माण, बहाली और पुनर्वास के लिए भारी धनराशि के साथ-साथ भागीरथ प्रयास की आवश्यकता है।

इसलिए अनिवार्य और स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार पहले दिन से ही धन की मांग कर रही है। मुझे यहां एक बात कहते हुए खेद होता है। माननीय कृषि मंत्री श्री नीतीश कुमार यहां उपस्थित हैं और नि:संदेह वे इस वाद-विवाद का उत्तर देंगे। राज्य को किसी तरह की सहायता देने का कोई प्रयास नहीं किया गया और जो दिया गया वह आपदा राहत कोष के सिवाय राज्य सरकार के सामान्य आवंटन में से दिया गया। महोदय, अब मैं आपदा राहत कोष के बारे में बोलूंगा क्योंकि उसके बारे में बोलने के लिए मैं केवल कुछ मिनट लूंगा।

आपदा राहत कोष के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जिसमें से 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य द्वारा और 75 प्रतिशत का अंशदान केन्द्र द्वारा किया जाना है। राज्य को केवल वही राशि दी गई जो अनिवार्य रूप से, संविधान के प्रावधानों के अनुसार और सरकार द्वारा स्वीकृत वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य को देय है। इसके सिवाय राज्य को कोई पैसा नहीं दिया गया। मैं इसके लिए आधार नहीं बना रहा हूं। मंत्री महोदय मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं। राज्य सरकार चाहे वह कोई भी राज्य सरकार हो, उसे सेना के उपयोग के बदले भी भुगतान करना पड़ता है। उन्हें हेलीकाप्टर का किराया भी देना पड़ता है। उन्हें सेना की नौकाओं के लिए भी भुगतान करना पड़ता है। स्वाभाविक है ये बिल आ रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वास्तव में अब तक उनका भुगतान किया गया है या नहीं।

इन सब आंकड़ों पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने आवश्यक व्ययों को पूरा करने के लिए 1586 करोड़ रुपये की तत्काल राहत की मांग की जिसमें से केवल 101 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और जैसा मैंने पहले कहा है कि यह राशि प्राकृतिक आपदा कोष से दी गई है जो विशेष राहत नहीं है।

महोदय, मेरे पास ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध है। मैं केवल कुछ ही मिनट और लूंगा। आपदा राहत कोष की स्थापना नौवें वित्त आयोग द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश के अनुसरण में की गयी। इसमें पूर्व राज्य सरकारों को 'मार्जिन राशि' दी जाती थी जिसके विरुद्ध धन जुटाया जाता था। किंतु यह प्रणाली समाप्त कर दी गई और नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दसवें वित्त आयोग के निर्णयाधीन प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग आपदा राहत कोष की स्थापना की गई।

महोदय, इसका कुल आकलन इस प्रकार है। जैसा मैंने पहले कहा है कि पश्चिम बंगाल के लिए 101 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है:

"नौवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग आपदा राहत कोष, जिसमें केन्द्र और राज्य को 75 : 25 के अनुपात

में अंशदान करना होता है, की स्थापना की सिफारिश कर और केन्द्रीय सहायता के विभिन्न स्वरूपों, राज्यों में केन्द्रीय दलों के दौरों की आवश्यकता को समाप्त कर इस दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन का विचार दिया।''

इसमें आगे कहा गया है:

''जब कभी प्राकृतिक आपदा आए तो तत्काल राहत पर आवश्यक व्यय करना राज्यों की मुख्य जिम्मेदारी है। केन्द्र की भूमिका राज्यों को अनुपूरक सहायता प्रदान करने की है क्योंकि राज्यों के लिए अचानक आई भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए तत्काल पर्याप्त धन उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा।''

पुन: रिपोर्ट के पैरा 9.22 में कहा गया है:

''तथापि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भीषण आपदाओं का सामना केवल अपने संसाधनों से करना चाहिए। उड़ीसा में महाचक्रवात (अक्तूबर, 1999) और कुछ राज्यों में इस समय व्याप्त सूखे की स्थिति इस तथ्य का संकेतक है कि भीषण प्राकृतिक आपदा ग्रस्त राज्य प्रभावित क्षेत्रों और लोगों को अकेले राहत उपलब्ध नहीं करा पाएगा और उसे अन्य राज्यों और केन्द्र सरकार से सहायता पर निर्भर रहना होगा। ऐसी स्थिति में निर्णय केन्द्रीय दल द्वारा क्षति का मूल्यांकन करने और अन्तर-मंत्रालय ग्रुप द्वारा विचार करने और एन सी आर सी द्वारा निर्णय लिये जाने की प्रतीक्षा किये बिना तत्काल आधार पर लेने होंगे।''

महोदय, दसवें वित्त आयोग के बाद क्या हुआ? आपदा राहत कोष के अलावा सरकार ने भीषण प्राकृतिक आपदा द्वारा प्रभावित राज्यों को सहायता देने हेतु कृषि मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का गठन किया है। इसकी राय है कि यदि भीषण आपदा आए तो उससे प्राकृतिक आपदा की तरह निपटा जाना चाहिए। मैं इस बात को इस सम्माननीय सभा के समक्ष रखने का विनम्र प्रयास कर रहा हूं और इसके लिए आपदा राहत कोष के अंतर्गत निर्धारित राशि के अलावा केन्द्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है। यह दसवें वित्त आयोग की सिफारिश है। दसवें वित्त आयोग ने इस सिद्धान्त को अपनाया। ग्यारहवें वित्त आयोग ने भी इस सिद्धान्त का पालन किया और उसे सरकार ने स्वीकार किया।

महोदय, ग्यारहवें वित्त आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष सफल नहीं रहा है क्योंकि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था। इसीलिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में धन संचित नहीं हुआ। अब ग्यारहवें वित्त आयोग ने स्थिति बदल दी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आयोग कहता है कि इस राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष का गठन केन्द्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की आरंभिक राशि देकर किया जाएगा ताकि धन तुरन्त उपलब्ध हो सके क्योंकि राज्य सरकार से इन खर्चों को उठाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यदि मैं ग्यारहवें वित्त आयोग की टिप्पणी को उद्धृत करूं तो इसमें कहा गया है कि शीघ्र राहत राशि दिए जाने की आवश्यकता है और इस बात की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती कि केन्द्रीय दल जाए और बातचीत करें। महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह दी गई थी।

यह भी कहा गया था कि:-

''अत्यन्त विनाशकारी आपदाओं सहित सभी प्रकार की राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय का एक आपदा प्रबंध हेतु राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया जाए तो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के बिना किसी खास निर्देश के अपना कार्य निष्पादित करे। इस केन्द्र को केन्द्र सरकार से यह अनुशंसा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए कि कोई आपदा अत्यन्त विनाशकारी प्रकृति की है अथवा नहीं।

केन्द्र सरकार द्वारा इस संदर्भ में राज्य सरकारों को दी गयी किसी भी वित्तीय सहायता की भरपाई केन्द्रीय कर पर एक विशेष प्रभार लगाकर की जानी चाहिए न कि योजना आयोग के तहत आवंटित राशि में से घटाकर।''

यही अंतर है। पहले, जो भी राशि दी जाती थी उसे राज्य सरकार के नाम प्राप्य किसी भी राशि में से काट लिया जाता था।

''इस प्रकार के अतिरिक्त कर से प्राप्त राशि को केन्द्र सरकार के लोक लेखाओं के तहत बने अलग कोष में जमा किया जाना चाहिए तथा इस कोष के बीज राशि के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये जमा किये जाने चाहिए। इस कोष से खर्च की गयी राशि की भरपाई अतिरिक्त कर लगाकर की जानी चाहिए।''

महोदय, जब यह रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप, भारत सरकार को स्पष्टीकरण हेतु ज्ञापन देना पड़ा। 27 जुलाई, 2000 की की-गयी-कार्रवाई संबंधी टिप्पण में, जबकि आज 30 नवम्बर है, यह कहा गया है कि:

''केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व केन्द्रीय राहत कोष में धनराशि की उपलब्धता तक नहीं है जैसाकि वास्तव में वर्ष 1995-

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

2000 के दौरान दिखाया गया है जब केन्द्र सरकार ने एन.एफ.सी.आर. से 2,500 करोड़ रुपये मुक्त किये थे।

कृपया भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की की-गयी-कार्रवाई टिप्पण को देखें।

आयोग ने अनुशंसा की है कि राष्ट्रीय आपदाओं के वक्त केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली राशि की व्यवस्था सीमित समय के लिए केन्द्रीय करों पर एक विशेष अतिरिक्त कर लगाकर की जानी चाहिए। यह अतिरिक्त कर देश के खातिर एक राष्ट्रीय सहभागिता भावना का भी संचार करेगा। ऐसे अतिरिक्त कर से प्राप्त राशि को भारत सरकार के लोक लेखाओं में "राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष" नाम से बने अलग कोष में रखा जाना चाहिए।

आयोग ने यह भी अनुशंसा की है कि भारत सरकार को इस कोष में बीज राशि के रूप में 500 करोड़ रुपये का योगदान देना चाहिए ताकि प्रारम्भिक कार्रवाइयों हेतु कोष अविलम्ब उपलब्ध रहे। तथापि इस कोष से निकासी के तुरंत बाद खास अतिरिक्त कर आदि लगा दिया जाना चाहिए।

महोदय। इस की गयी कार्रवाई टिप्पण अथवा विवरणात्मक ज्ञापन जैसा कि वे कहते हैं, के पैरा 12 में यह उल्लिखित है कि:

"सरकार ने आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष से संबंधित सिफारिशों को आवश्यक कानून बनाए जाने के पश्चात् कार्यान्वित किया जाएगा।"

महोदय, स्पष्टत:, प्रधान मंत्री जी का निराशाजनक वक्तव्य कि 'हम क्या कर सकते हैं?' अब एक समस्या पैदा कर रहा है। सितंबर माह में जब यह आपदा आयी, जो भीषणतम आपदाओं में से एक थी, तत्काल अनुरोध किए गए थे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु ने माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध किया था। यद्यपि कि सामान्यत: हम अध्यादेशों का समर्थन नहीं करते, इस मामले में एक अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए था क्योंकि नवम्बर तक सदन की बैठक नहीं होने वाली थी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। प्रतिदिन बहुत सारे अध्यादेश संसद के अधिनियम में परिवर्तित किए गए हैं; आज भी दो अध्यादेश पारित किए गए हैं। अत: हम यह नहीं समझ पा रहे हैं। क्या हुआ है कि भारत सरकार ने एक बहुत ही गम्भीर सिफारिश को जो राष्ट्रीय महत्व की है पूर्णत: दरकिनार कर दिया है। यह बात सिर्फ पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के लिए ही नहीं है। यह प्रत्येक राज्य व पूरे देश के लिए है। कानून पारित करने से इन्कार करके क्या हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने एक अध्यादेश पारित नहीं किया है, क्या वृष्टि नहीं होगी, बाढ़, तूफान व चक्रवात नहीं आयेंगे? आज क्या हो रहा है? पांडिचेरी और तमिलनाडु के हमारे भाई-बहन यह झेल रहे हैं।

अपराह्न 4.35 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए)

महोदय, यह एक अपराधपूर्ण उपेक्षा है। मैं इस सरकार को दोषी ठहराता हू। उनके लोग कहते हैं कि वे एक अध्यादेश पारित कैसे कर सकते थे जबकि शीघ्र ही संसद का सत्र शुरू होने वाला है। ऐसा वे उस स्थिति में कह रहे हैं जबकि दो करोड़ अट्ठारह लाख लोग प्रभावित हैं, बिहार के भी बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, भारी मात्रा में तबाही हुई है, लोग बेघर हो गए हैं और वहां की राष्ट्रीय सम्पत्ति पूर्णत: बर्बाद हो गयी है। उनके द्वारा दिया गया यह स्पष्ट बहाना कि चूंकि नवम्बर में सत्र शुरू होने वाला है अत: हम अध्यादेश पारित नहीं कर सकते-एक सुनियोजित उपेक्षा, अपराधपूर्ण उपेक्षा है, यदि नहीं तो कम से कम पश्चिम बंगाल के लोगों के प्रति एक विद्वेषपूर्ण कार्य है।

महोदय, मैं जानता हूँ कि मेरे मित्र शीघ्र ही परेशान हो जाएंगे। किन्तु हमने महसूस किया है कि इस सरकार में शामिल एक महत्वपूर्ण घटक जिसने इसे मानव-निर्मित बाढ़ कहा था,-वस्तुत: माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह तथ्य अस्वीकार कर दिया गया है, के दबाव के कारण यथाकथित सभी अनुचित कार्य किये जा रहे हैं। इसलिए इसे उस आधार पर नहीं नकारा गया है। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि इसे मानव-निर्मित बाढ़ कहकर आरोपित करना उत्तरदायित्वहीनता की पराकाष्ठा है। मैं पूर्ण गंभीरता एवं ईमानदारी के साथ इस बात को अस्वीकार करता हूं और इस सदन के सभी पक्षों के अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे लोगों क्रे जीवन से न खेलें। हमारे पास लड़ने के लिए राजनीतिक लड़ाइयां हैं। कोई भी यह नहीं कह रहा कि हम अपने राजनीतिक विचार छोड़ दें। कोई भी यह नहीं कह रहा कि हम एक दूसरे के लिए त्याग करें। किन्तु यहां इस देश के एक राज्य की जनता के दु:खों को कम करने का प्रश्न है। मैं यह मांग करता हूं कि पांडिचेरी और तमिलनाडु को भी राहत अवश्य मिले। राहत की मांग सिर्फ हमारे लिए नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा है?

महोदय, आप जानते हैं कि राज्य चार शीर्षों के तहत केन्द्र से धन प्राप्त करते हैं, पहला, संविधान के तहत करों के बंटवारे के रूप में और दूसरा, योजना आयोग के तहत प्रावधान के अधीन राजस्व घाटा अनुदान के रूप में। यहां, हमने अर्थोपाय के माध्यम से करीब 200 करोड़ रुपये लिये थे। एक सप्ताह के अन्दर इस राशि को 400 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा अनुदान में समायोजित कर दिया गया जिसके लिए 200 करोड़ रुपये पर हमें ब्याज देना पड़ा। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ब्याज मनुष्य के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

महोदय, आप याद करें, कुछ दिनों पहले हमने संसद भवन के सामने प्रदर्शन किया था। साधारणत:, मैं स्वीकार करता हूँ कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। किन्तु यहाँ बात यह है कि जनता परेशानियाँ झेल रही है और स्पष्ट रूप से अकेले राज्य सरकार इन खर्चों का वहन नहीं कर सकती। जनता को सुरक्षा दी जानी है, घर बनाये जाने हैं; सड़कों का निर्माण किया जाना है और अस्पतालों का पुनर्निर्माण होना है। किन्तु इस स्थिति में भी इन आवश्यक खर्चों से निपटने के संदर्भ में केन्द्र सरकार मौन और कठोर बनी रही।

महोदय, इस सदन में मैं राजग गठबंधन में शामिल पार्टियों को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों का आभारी हूं। उन्होंने भी प्रदर्शन में हमारा साथ दिया और उसमें शामिल हुए। इस पहलू को सिर्फ पश्चिम बंगाल से जोड़कर नहीं देखा गया। मैं इसे सिर्फ पश्चिम बंगाल से जोड़ना नहीं चाहता हूं। पश्चिम बंगाल तो सिर्फ स्थिति का एक बहुत ही भयानक उदाहरण प्रस्तुत करता है-भयानक परिणामों वाला एक ताजा उदाहरण। हम लोग बहुत खुश थे कि इसे एक राष्ट्रीय पहलू के रूप में महसूस किया जा रहा है। बहुत सारे राजनीतिक दलों ने हमारे प्रदर्शन में भाग लेकर हमारा साथ दिया। मैं श्री येरननायडू की मजबूरियों को समझ सकता हूं। वे हैदराबाद से स्पष्टीकरण के बगैर ऐसा नहीं कर सकते थे। किन्तु कम से कम सदन के अंदर उन्होंने यह कहा कि वे हमारी मांग का समर्थन करते हैं। मैं आश्वस्त हूं कि श्री वैको भी इसका समर्थन करते हैं।

महोदय, विभिन्न दलों के 70 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित अभ्यावेदन के साथ हमने प्रधानमंत्री महोदय से मुलाकात की। मैं जानता हूं कि पश्चिम बंगाल के हमारे कुछ मित्र इस पर हस्ताक्षर करना चाहते थे किन्तु वे ऐसा नहीं कर सके। उनकी मजबूरियों को मैं जानता हूं।

महोदय, यह एक ऐसा मामला है कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह देशवासियों को सफाई दे कि वह ऐसा क्यों नहीं कर पायी। किन कारणों से कोई विधेयक संसद में अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया। संबंधित कानून नहीं होने की स्थिति में प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी असमर्थता जतायी। उन्होंने कहा कि यदि अतिरिक्त कर लगाया जाता है तो परेशानियां बढ़ेंगी। सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। यदि सरकार इसे कार्यान्वित नहीं करती है तो इसे सहायता देने संबंधी दूसरे तरीके तलाशने दें। यदि सरकार न तो कोई कानून बनाती है और न ही सहायता देने हेतु कोई अन्य तरीका प्रस्तुत करती है तो इसका परिणाम भुगतने वाले कौन होंगे? इसका परिणाम पश्चिम बंगाल की आम जनता को भुगतना है क्योंकि वे उस सरकार का समर्थन कर रहे हैं जो इनकी पसंद नहीं है। हमने कभी विद्वेष की भावना नहीं रखी-हमने उड़ीसा के लिए अतिरिक्त कोष की मंजूरी हेतु, आंध्र प्रदेश के लिए अतिरिक्त कोष की मंजूरी हेतु और यही नहीं सूखा झेल रहे गुजरात के लिए अतिरिक्त कोष की मांग का भी पूरी तरह सदन में समर्थन किया है। गुजरात का आधा हिस्सा अभी सूखे की चपेट में है। उन्हें धन की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश भी गम्भीर समस्याओं से जूझ रहा है। क्या हम इसके साथ एक राजनीतिक मुद्दे की तरह या पक्षपातपूर्ण मुद्दे की तरह बर्ताव करने जा रहे हैं अथवा इसे राष्ट्रीय मुद्दा समझकर तदनुसार बर्ताव करने जा रहे हैं? क्या हमें कुछ अन्य राज्य के निवासियों के साथ शत्रुतापूर्ण बर्ताव करना चाहिए क्योंकि वे अपने राज्य में किसी दूसरे राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं? तब भारत में-एकता कहां होगी और एक देश के रूप में भारत का क्या बचेगा?

मैं भारत सरकार से बार-बार अनुरोध करता हूँ। इसके पास संसाधन है। इसने वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है। इसने सदन के समक्ष सहायता देने का वचन दिया है। एक विवरणात्मक ज्ञापन सदन को सुपुर्द किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि "आवश्यक कानून के पश्चात् कार्यान्वित किया जाएगा। कोई कानून पारित क्यों नहीं किया जाता? आज भी मुझसे कहा गया है कि वित्त मंत्री महोदय ने वित्त राज्य मंत्री को यह सूचित किया है कि कानून बनाने संबंधी कार्रवाई की जा रही है। इस महीने की 22 तारीख तक यह सत्र चलेगा। मुझे पता नहीं है कि वे किस तिथि को इस कानून के साथ आयेंगे। इसे दूसरी सभा में भेजना होगा, राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर लेना होगा, और तब सरकार धन के लिए प्रयास प्रारंभ करेगी।

मैं यह सम्मानपूर्वक कहता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसकी और उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके साथ ही हम यह राय देते आ रहे हैं कि एक दीर्घावधि कार्रवाई की जानी चाहिए। नदियों के तल ऊपर आ गए हैं। जंगलों का कटाव जारी है। डा. सरकार कलकत्ता पत्तन न्यास के अध्यक्ष थे। वे कलकत्ता पोर्ट का तलकर्षण करवाने हेतु धन के लिए हमेशा यहां दौड़ते रहते थे। उन्हें पता है कि समस्याएं क्या हैं।

श्री नीतीश कुमार यदि आप मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आए तो, आप देख पाएंगे। आप शांति-निकेतन आ सकते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): ऊपर से देखा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अभी तो ऊपर वाला हो गया, मंदिर वाला हो गया, मिट्टी से दूर चला गया।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: अजय नदी, जिसका कुछ भाग झारखंड में है और कुछ भाग बिहार में, का नदी तल का स्तर लगभग इसके तटों के समान है।

[हिन्दी]

डा. बिक्रम सरकार (पंसकुरा): जाधवपुर में हार गया न।

श्री सोमनाथ चटर्जी: आप भी तो एक बार हारे।

[अनुवाद]

डा. बिक्रम सरकार: मैं वहाँ से कभी चुनाव नहीं हारा। महोदय, वे गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: ठीक है, मैं अपना कथन वापस लेता हूं। आप अपने नेता से हारे हैं। उन्होंने अपना नामांकन नहीं भरा था।

डा. विक्रम सरकार: आप अपनी टिप्पणी वापस लीजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेता हूं।

महोदय, यह मामला किसी स्थान विशेष का नहीं है। यह देखने के लिए कि गाद के जमाव को कैसे रोका जाए सम्पूर्ण पठार और सम्पूर्ण नदी प्रणाली का अध्ययन करना होगा। डी वी सी प्रणाली का निर्माण पूरा नहीं किया गया है। यह कार्य अधूरा है। इससे गम्भीर समस्या पैदा हो रही है। इसके परिणामस्वरूप देश के किसी न किसी भाग को कठिन और गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, इसे केवल सरकार को किया गया निवेदन न मानें। यदि पश्चिम बंगाल को शीघ्र सहायता पहुँचाने के लिए कोई कार्यवाही ही नहीं की गयी तो हम इसे गंभीर चूक मानेंगे।

महोदय, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जब ऐसी आपदाएं आई तो उन्हें विशेष सहायता पहुंचायी गयी तो पश्चिम बंगाल या अन्य राज्यों जिन्हें अत्यधिक भारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, को ऐसी सहायता न करने का क्या कारण है। इसलिए मेरी मांग है कि इस मामले पर शीघ्र ही कार्यवाही की जाए।

महोदय, देश में शासन लोगों के लिए किया जाना चाहिए। सरकार लोगों के लिए होनी चाहिए। सरकार सिर्फ अपने सहयोगियों के लिए नहीं हो सकती।

अपराह्न 4.46 बजे

(श्री के. येरननायडू *पीठासीन* हुए)

सरकार केवल अपने सहयोगियों के लिए ही नहीं हो सकती और हमारी भावनाएं सही हैं कि इस सरकार ने अपने एक सहयोगी के दबाव के कारण, इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है।

आज भी, मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री ने उनसे मिलने आए मुख्य मंत्री को कोई आश्वासन नहीं दिया है। इसमें कोई शंका नहीं कि उन्होंने उन्हें ध्यान से सुना, परन्तु उन्हें उनके द्वारा कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे बताया गया कि एक अधिकारी ने कहा है कि सरकार इस संसद के सत्र में इस संबंध में एक प्रस्ताव लाने वाली है। अब, यदि यह तर्क दिया जाता है कि इस देश में राहत और सहायता देने के लिए कोई कानून नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार की यह अक्षम्य भूल है। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि, यह कोई भूल नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल के लोगों को उनके हक से वंचित रखने के लिए सोची समझी कार्रवाई है।

आंध्र प्रदेश के मेरे कुछ मित्र सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ हैं परन्तु कोई नहीं जानता कि कौन भविष्य में किस पक्ष की ओर होगा।

यदि इस देश के भविष्य का निर्धारण इस आधार पर किया जाएगा कि कौन किस पक्ष की ओर है, तो हमारे देश का भविष्य अंधकारमय होगा और हम इसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। इसके विरुद्ध व्यापक आंदोलन होगा। इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के लोगों के विरुद्ध जो असहनीय अन्याय किया जा रहा है लोग इसके विरुद्ध उठ खड़े होंगे। इसलिए, मेरी मांग है कि भारत सरकार तुरंत कार्रवाई करे।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 193 के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में आने वाली बाढ़, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जान-माल की हानि पर की जाने वाली चर्चा पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

तबाही लाने वाली बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सामान्य रूप से इस देश के करोड़ों लोगों को क्षति पहुंची है तथा बाढ़ से विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोगों को गंभीर क्षति पहुंची है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। गरीब किसान, खेत मजदूरों को इन सारी प्राकृतिक आपदाओं से गंभीर क्षति पहुंची है। हम सभी जानते हैं कि कल शाम और आज सुबह आये भीषण चक्रवात ने पांडिचेरी और चेन्नई के लोगों को किस बुरी तरह प्रभावित किया है। हम उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि केन्द्रीय सरकार वहां के प्रभावित लोगों को संपूर्ण सहयोग देने के लिए उचित उपाय करेगी।

महोदय, मुझे याद है कि अप्रैल, 2000 के दौरान देश भर में गंभीर सूखा पड़ा था। तब माननीय प्रधान मंत्री ने 25 अप्रैल, 2000 को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। जो राज्य सूखे से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे वह थे राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा।

हमने यह मामला उस समय भी उठाया था। गंभीर सूखे की परिस्थिति ने न केवल इस सभा के सदस्यों बल्कि पूरे देश ने गंभीर चिंता व्यक्त की थी। हम यह जानने के लिए वास्तव में उत्सुक थे कि केन्द्रीय सरकार इस स्थिति में क्या करेगी और इस समस्या का समाधान वह किस प्रकार करती है।

मुझे याद है, उस वक्त, हमने तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ओर से, कुछ प्रस्ताव रखे थे। इस वक्त भी मैं उन प्रस्तावों को उठाना चाहता हूं। हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत में पर्याप्त जल संसाधन हैं और जब देश में सूखा पड़े तो लोग इससे प्रभावित

नहीं होना चाहिए। यदि अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध फालतू पानी का उचित ढंग से और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाये तो हम इस प्रकार की समस्याओं को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। हमने कहा था कि जल संरक्षण की पद्धति का आधुनिकीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि वर्षा के पानी को एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। विश्व में विभिन्न भागों में, वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। इसलिए, हमने प्रस्ताव रखा था कि जल संग्रहण जिसमें वर्षा के पानी को एकत्र किया जाता है हमारे जैसे देश के लिए आवश्यक है जहां पानी निश्चित रूप से अतिरिक्त है। हमने स्पष्ट कहा था कि अंतर-राज्यीय जल विवाद का समाधान होना चाहिए। अन्यथा, जब लोग सूखे से प्रभावित होंगे उन्हें राहत शीघ्र नहीं मिल पाएगी।

हमने देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए छोटे पैमाने पर रणनीति तैयार करने संबंधी प्रस्ताव भी रखा था। हमने होने वाले नुकसान से बचाव के लिए परियोजनाएं बनाने हेतु प्रस्ताव रखा था। हमने पशुधन की रक्षा करने का भी प्रस्ताव रखा है। हमने ऐसी व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा है जिसमें जब किसी क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़े उस वक्त हम उन्हें तुरंत पानी और खाद्यान्न पहुंचा सकें। ये प्रस्ताव हमने सर्वदलीय बैठक में स्पष्ट रूप से रखे थे।

हमारे मंत्री, श्री नीतीश कुछ अत्यधिक कार्यक्षम हैं, जो कृषि मंत्रालय के प्रभारी हैं। हमने ये प्रस्ताव बड़ी उम्मीद और आशा से रखे हैं। हमें कृपया ये बताइए कि सरकार हमारे द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर क्या विचार कर रही है और सरकार इन प्रस्तावों पर क्या निर्णय लेने वाली है।

हाल ही में, आपके राज्य आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी रही है। आप लोगों को शीघ्र ही संदेश देने में सफल रहे; और आपने तुरंत ही लोगों को प्रभावित क्षेत्र से हटा लिया। हम बाढ़ की स्थिति से निपटने की आपकी नीति और व्यवस्था की हमेशा प्रशंसा करते हैं। आंध्र सरकार ने अपनी योग्यता साबित कर दी है, और हम इस बात की सराहना करते हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी आपके बड़े प्रशंसक हैं। वे हमेशा आपके नाम का उल्लेख करते हैं। आपने अपना समर्थन उन्हें दिया है; मैं भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के कुछ समय बाद अपना समर्थन दूंगा। इस बात को देखते हुए कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किस प्रकार स्थिति का सामना किया, अन्य राज्यों को भी सचेत हो जाना चाहिए था। उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो कि किन क्षेत्रों में बाढ़ आने की आशंका है और किन क्षेत्रों के लोग संभाव्य बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। मैं इस मुद्दे पर बाद में बात करूंगा। पश्चिम बंगाल में, नि:संदेह भयंकर बाढ़ आई है। लोग केवल जीवित रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि किस प्रकार इस आपदा से बचा जाए, खाना कहां से प्राप्त करें और अपने आवास का पुनर्निर्माण कैसे करें। वे बेघर हो गये हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह टूट गई है। हमारी सारी भावनाएं और संवेदनाएं उनके साथ हैं। जब उड़ीसा में चक्रवात आया, तो केन्द्र सरकार ने राज्य को सहायता देने के लिए सभी प्रयास किये। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है। मैं माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार से सभा में सकारात्मक उत्तर देने का निवेदन करूंगा। हम एक उचित मांग कर रहे हैं। जब केन्द्र सरकार चक्रवात प्रभावित उड़ीसा को सहायता दे सकती है तो वह इसी तरह का सहयोग पश्चिम बंगाल को तब क्यों नहीं दे रही है जब यह बुरी तरह प्रभावित है?

मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी से यह आशा नहीं थी कि वे कहेंगे कि एक विशेष सहयोगी दल, अर्थात् तृणमूल कांग्रेस द्वारा आपत्ति उठाने पर, केन्द्र सरकार ने सहायता राशि नहीं भेजी। मैं श्री नीतीश कुमार से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात को स्पष्ट करें और सकारात्मक उत्तर दें। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वर्तमान रा.ज.द. सरकार के किसी सहयोगी ने पश्चिम बंगाल की सरकार को राहत न पहुंचाने के क्या लिए कोई दबाव डाला था।

मुझे नहीं पता कि क्या श्री सोमनाथ चटर्जी श्री ज्योति बसु के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री न बन पाने से हताश हैं, जिनका नाम भी बंगाल से प्रकाशित समाचार पत्रों में कभी कभार छपा था, जब वे कभी-कभी श्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: वे आपके द्वारा प्रायोजित समाचार पत्र थे। अब वे मुझ पर पीछे से वार कर रहे हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: पूर्व मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु सामान्यत: ऐसे बैरिस्टर के रूप में जाने जाते हैं जिनके पास बहुत कम मुकदमे हों और श्री सोमनाथ चटर्जी इस देश के जाने माने और अति व्यस्त बैरिस्टर हैं। वे उन मुद्दों पर अच्छी तरह से चर्चा कर सकते थे। मैं यह विश्वास करता हूं कि एक वक्ता और एक सांसद के रूप में उन्होंने अपनी मांगें बड़े अच्छे ढंग से रखी हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमत्री बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए सहायता प्राप्त करने दिल्ली आ रहे हैं। उन्होंने अपनी हाल ही की बैठक में चेतावनी या धमकी दी है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नही की गई तो वे 'बंगाल बंद' या 'भारत बंद' करेंगे। अत: उन्होंने अपने राजनैतिक मुद्दे पहले ही तैयार कर लिए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं इसलिए सारे प्रबंध कर लिए गए हैं, भाषण भी तैयार कर लिए गए हैं,

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

परन्तु यह गरीब जनता के लिए नहीं है, जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी यहां कह रहे थे।

मैंने मुख्य मंत्री द्वारा राइटर्स बिल्डिंग में बुलाई सर्वदलीय बैठक में भाग लिया था। मैंने उसका समर्थन किया था। वहां तत्कालीन मुख्य मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों उपस्थित थे। मुझे वहां मानव-निर्मित बाढ़ पर भाषण देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने यहां भी कहा था कि यह एक मानव-निर्मित बाढ़ है। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से अनुरोध करूंगा कि वे सर्वदलीय बैठक के रिकार्ड देख लें। मैंने यह मुद्दा वहां भी उठाया था। तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने राज्य सरकार या अपने अधिकारियों को मुझे आश्वस्त करने या आश्वस्त करने का प्रयत्न करने के लिए मेरे घर आने और मुझसे मिलने के निर्देश दिए थे। किंतु मैं उनसे सहमत नहीं हुआ क्योंकि मैं उस मुद्दे पर चर्चा किसी निजी स्थान पर नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थल पर करना चाहता था।

मैं जानता हूं कि विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वहां काफी बारिश हुई थी। मैं स्पष्ट रूप से केवल यही कहना चाहता हूं। वहां काफी बारिश हुई थी किंतु गांवों की ग्रामीण जनता को सूचित किए बिना ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में बांधों का पानी छोड़ दिया गया। मैं, श्री सोमनाथ चटर्जी से अनुरोध करूंगा कि वे उसे सुनें जो मैं निष्पक्ष रूप से सभा के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

19 और 26 सितम्बर के बीच बाढ़ आई थी। बांधों से कितना पानी छोड़ा गया था? 19 तारीख को दुर्गापुर बैराज से 42,310 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। लोगों को आम तौर पर यही पता था कि 20,000 और 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। 20 तारीख को 1,07,850 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 22 तारीख को 1,60,000 क्यूसेक और 23 तारीख को 2,23,292 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने के बारे में लोगों को समय पर सूचना नहीं दी गई। इस तरह 19 से 23 तारीख तक 42,310 क्यूसेक से 2,23,292 क्यूसेक तक पानी छोड़ा गया। लोगों को इससे काफी समस्याएं हुईं। ऐसा ही तिलपाड़ा बैराज में हुआ, यहां 43,167 से 2,08,762 क्यूसेक पानी छोड़ा गया।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): पानी का अन्तरबहाव कैसा था?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: मैं बहाव और बारिश की बात नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय: जब आपकी बारी आए, आप तभी बोल सकते हैं, जब श्री सोमनाथ चटर्जी बोल रहे थे तो किसी ने व्यवधान नहीं डाला।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, जिस तरह से इन बैराजों से पानी छोड़ा गया उससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ। अगर इस संबंध में लोगों को चेतावनी दे दी जाती तो वे अत्यधिक वर्षा के बावजूद इतने अधिक प्रभावित नहीं होते। यही वजह है कि हमने यह आरोप लगाया कि यह मानव निर्मित आपदा है। हम अभी भी यही कहते हैं। यह एक मानव निर्मित आपदा थी और हम अपने इस आरोप पर अभी भी कायम हैं।

मैं केन्द्र सरकार से एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में पूरे प्रयास करे। मोटे तौर पर नुकसान का अनुमान दे दिया गया है। वहां एक केन्द्रीय टीम भेजी गई थी। श्री नीतीश कुमार कलकत्ता में तुरंत पहुंच गए थे। वे अपने अधिकारियों के साथ मुख्य मंत्री से मिले। राज्य सरकार ने भी इसकी प्रशंसा की थी किंतु जब 'शून्य काल' के दौरान यह मुद्दा उठाया गया और जब श्री नीतीश कुमार उत्तर देने लगे तो उन्हें उत्तर देने ही नहीं दिया गया। हम कृषि मंत्री से धनराशि प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। किंतु इस संबंध में उत्तरदायित्व और उपयोगिता प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाणपत्र समय पर न मिलने पर अगली किश्त रोकी जा सकती है। हम निश्चय ही पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य से बातचीत के लिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.) संसदीय दल के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी से मिलेंगे। मुख्य मंत्री, माननीय रेल मंत्री कुमारी ममता बनर्जी से मिल लें। इस संबंध में श्री के. येरननायडू और श्री वैको के समर्थन से सहायता नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व करने वाले केन्द्र सरकार में दो मंत्री, श्री एस.बी. मुखर्जी और श्री तपन सिकदर भी हैं। दिल्ली में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे केन्द्र सरकार के मंत्रियों से मुख्य मंत्री बातचीत कर लें। वे झिझक क्यों रहे हैं? मुख्य मंत्री अपनी इच्छा व्यक्त करें।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, यह एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। कृपया सोइए नहीं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: मझे इनकी झिझक और संकोच का कारण समझ में नहीं आ रहा है।

महोदय, मैं सभा को पश्चिम बंगाल की उस स्थिति की जानकारी भी देना चाहूंगा जब बाढ़ से काफी विनाश हो गया था। उस समय एक मुख्य मंत्री सेवानिवृत्त हो रहे थे और दूसरे मुख्य मंत्री शपथ ग्रहण करने के लिए आ रहे थे। वहां कुछ त्यौहार जैसा

माहौल था। यह वातावरण कुछ दिनों तक बना रहा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा न तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया और न ही वर्तमान मुख्य मंत्री ने। वे तो खुशियां मना रहे थे। तत्कालीन मुख्य मंत्री 24 साल की लम्बी अवधि तक सत्ता में रहने के बाद सेवानिवृत्त हो रहे थे और दूसरे युवराज शपथ ग्रहण करने के लिए आ रहे थे। सब कुछ गड़बड़ था। क्या यह उचित था? क्या लोग यह आशा नहीं करते कि राज्य के किसी भाग में बाढ़ आने पर मुख्य मंत्री वहां जाएं? इसलिए सभा को इस पर ध्यान देना चाहिए परन्तु कोई समझता है कि पश्चिम बंगाल के लोगों का नुकसान न हो। हमें पूरा यकीन है। पश्चिम बंगाल के हितों के आड़े किसी को भी नहीं आना चाहिए क्योंकि अप्रैल के चुनावों के बाद आज नहीं तो कल कुमारी ममता बनर्जी सत्ता में आएंगी ही। अत: केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को धनराशि न भेजने का विरोध करना ही इस मसले को उठाने का उद्देश्य है। हम केन्द्र सरकार से अपील करते हैं कि बिना किसी झिझक के वह पूरे प्रयास करे और हर संभव सहायता उपलब्ध कराए।

महोदय, मुझे याद है जब श्री ज्योति बसु तिरुवनंतपुरम जा रहे थे तो उसी हवाई जहाज में मैं भी यात्रा कर रहा था। हमारे मुख्य मंत्री सामान्यत: 'जे' क्लास में ही यात्रा करते हैं और हमारी नेता कुमारी ममता बनर्जी की ही तरह हम 'वाई' क्लास में सामान्यत: यात्रा करते हैं किंतु उस दिन हम आई.ए.-320 विमान में पास-पास बैठे थे। उस समय विशाखापट्टनम में एक चक्रवात आया और विमान चेन्नई सीधा नहीं जा पाया। यात्रा के दौरान हमारे बीच कुछ बातचीत भी हुई। उन्होंने हमसे पूछा: "आप अध्यादेश संबंधी मामलों पर ध्यान देने में रुचि क्यों नहीं लेते? श्री सोमनाथ चटर्जी ने इसे स्पष्ट रूप से उठाया था। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हम पर ये सभी खतरनाक पद्धतियां लादने का प्रयास कर रही है। इससे हम काफी परेशान हैं। मैंने कहा कि राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में जब आप हमसे यह कह रहे हैं तो हम इस पर निश्चय ही विचार करेंगे और यह देखेंगे कि केन्द्र सरकार इस दिशा में सभी संभव प्रयास करे। मेरे पास (आर्थिक कार्य संबंधी विभाग) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का एक पेपर है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' से कई मुद्दों को उठाया है किंतु जहां तक चैप्टर 12 का संबंध है, इस संबंध में कहा गया:

> "सरकार ने आयोग की उपरोक्त संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है। आवश्यक विधान अधिनियमित होने के बाद राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से संबंधित संस्तुतियों को लागू किया जाएगा।"

इसलिए हमारा विश्वास है कि इस मुद्दे को प्राथमिकता दी जाएगी। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसे मुद्दों पर तुच्छ राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं सभा में कई अवसरों पर यह कह चुका हूं कि स्वतंत्रता के बाद पूर्वी क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय असंतुलन से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मेरा यह पक्का विश्वास और राय है कि पश्चिम बंगाल की परेशानी कभी-कभी इतनी बढ़ जाती है कि हम अलग-थलग महसूस करते हैं। कई बार यही सोच पश्चिम बंगाल की जनता के दिमाग में भी आती है भले ही वे मुख्यधारा में हैं या नहीं। मुझे विश्वास है कि यह सरकार सभी प्रयास करेगी और पश्चिम बंगाल को पूरी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगी। उन्हें बिना किसी झिझक के इस सभा में सच कहना चाहिए कि स्थिति से निपटने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए वे कितनी मदद करने के लिए तैयार हैं। यदि श्री नीतिश कुमार जिम्मेदार नहीं हैं तो हम उन्हें हर बार यह दोष क्यों देते हैं कि इनके या सरकार के कारण ही लोग नुकसान उठा रहे हैं?

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे खुले विचारों के साथ सामने आएं और सभा को उसके बारे में बताएं। पश्चिम बंगाल के लोगों की परेशानी और उनकी भावनाओं को सभा में सही तरह से रखा जाना चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): सभापति महोदय, मैं दु:ख के साथ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

तमिलनाडु के लोग, विशेषरूप से कुड्डालोर जिले के लोग कल आये तूफान से प्रभावित हुए हैं। 150 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से आये भीषण तूफान ने कुड्डालोर को प्रभावित किया। कुड्डालोर के लगभग 40 मछुआरे मछली पकड़ने गये थे लेकिन वे अभी तक नहीं लौटे हैं। भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार द्वारा ऐसी संकटपूर्ण स्थिति को सर्वोच्च वरीयता दी जानी चाहिए। यही समय की मांग है। तमिल भाषा में एक कहावत है कि:

"मंतिरिक्कु अजागु वरूम पोरूल उरैतल"

इसका अर्थ यह है कि मंत्री महोदय को तूफान के सभी परिणामों का पूर्वज्ञान होना चाहिए। उन्हें सूखे से उत्पन्न परिणामों का पूर्वज्ञान होना चाहिए। उन्हें इस संबंध में पूर्व जानकारी होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु जैसे तूफान प्रवण क्षेत्र में तूफान अवश्य आयेगा।

'दि टाइम्स आफ इंडिया' में यह बताया गया था कि तूफान आंध्र प्रदेश में भी आ सकता था। लेकिन इसने तमिलनाडु में कुड्डालोर को प्रभावित किया। मैं सभा को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की चूकों के बारे में बताना चाहूंगा। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं बल्कि मैं तो सिर्फ केन्द्र सरकार की घोर लापरवाही को उजागर कर रहा हूं। इस समय तक अर्थात् अपराह्न 5.10 बजे तक किसी भी मंत्री जी ने तूफान प्रभावित क्षेत्र का दौरा

[श्री पी.एच. पांडियन]

नहीं किया है। किसी ने भी वहां जाकर लोगों को सांत्वना नहीं दी है।

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): राज्य मंत्रियों ने वहां दौरा किया है।

श्री पी.एच. पांडियन: लगभग बीस हजार वृक्ष उखड़ गये हैं। लगभग पचास प्रतिशत पेड़ और चालीस प्रतिशत खंभे उखड़ गये हैं। टेलीफोन के तार कट गए हैं और पूरे देश का कुड्डालोर पांडिचेरी के साथ संपर्क टूट गया है। आज सुबह लगभग 11 बजे, पांडिचेरी के मुख्य मंत्री श्री षणमुगम जी ने मुझे टेलीफोन पर इस घटना के बारे में बताया। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं भाग्यशाली हूं। इस सत्र के पहले दिन ही हमने देश में बाढ़ की स्थिति का मुद्दा उठाने के लिए सूचना दी थी। और आज ऐसा संयोग बन गया कि मैं इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहा हूं।

पांडिचेरी में उपराज्यपाल के सरकारी आवास राजनिवास का एक भाग पेड़ गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में बताया गया था: पांडिचेरी में उपराज्यपाल के सरकारी आवास राजनिवास का एक भाग पेड़ गिरने से ढह गया है।'' इस प्रकार स्थिति काफी गंभीर है। कुड्डालोर के लोग अत्यंत निराश हो गये हैं। हमारे यहां सूखा और बाढ़ जैसे अलग-अलग मौसम हैं। जैसे ही मानसून का मौसम आता है तो वहां भारी बाढ़ आने लगती है।

मैं असम के लोगों के प्रति केन्द्र सरकार की सेवा का विगत रिकार्ड बताना चाहता हूं।

महोदय, जब जून में क्षति के प्रभाव का पता लगा तो केन्द्र सरकार ने असम के लिए मात्र 13 करोड़ रुपये की राशि जारी की। आज असम की क्या स्थिति है? पिछले छह महीनों से वे आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन केन्द्र सरकार असम की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 148 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। महोदय, इसका कारण यह है कि आप सरकार के साथ गठबंधन में शामिल हैं, इसलिए आपको इतनी राशि मिल गई है। अरुणाचल प्रदेश को केवल 2 करोड़ रुपये ही मिले। क्षति का आकलन काफी व्यापक है। यह स्थिति 15 जुलाई, 2000 तक की है। महोदय, इस प्रकार केन्द्र सरकार कुछ राज्यों के प्रति सौतेला बर्ताव कर रही है। यही स्थिति बिहार में भी है। केन्द्र सरकार ने आपदा राहत कोष से कोई धनराशि जारी नहीं की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): हालांकि उनके दस मंत्री बिहार से हैं।

श्री पी.एच. पांडियन: बिहार के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई जबकि गुजरात को 131 करोड़ रुपये दिये गये। इस प्रकार का भेदभाव क्यों बरता गया है? क्या यह गठजोड़ की सरकार है, जैसाकि श्री सोमनाथ चटर्जी जी ने कहा? यह भारत की सरकार है। या आप घोषणा करते हैं कि यह एन.डी.ए. (राजग) की सरकार है। 1.8.2000 की स्थिति के अनुसार उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए 8.4 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): एन.डी.ए. का तात्पर्य है–नेशनल डिजास्टर एसोसिएशन।

श्री पी.एच. पांडियन: ऐसी स्थिति में हमें देश को एन.डी.ए. से बचाने के लिए एक एसोसिएशन बनानी चाहिए। केरल के लिए 17 करोड़ रुपये जारी किये गये। पंजाब को 16 करोड़ रुपये और सिक्किम को 2 करोड़ रुपये मिले। उत्तर प्रदेश को 39 करोड़ रुपये मिले। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को पश्चिम बंगाल के बारे में बोलते हुये सुना था। इसीलिए मेरा यह कहना है कि सरकार को इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिए। उन्हें सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। उन्हें सभी राज्यों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें सभी नागरिकों के साथ भी एक सा ही व्यवहार करना चाहिए। यह बाढ़ का मामला है और बाढ़ कर्त्ता की करनी है।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): उन्हें सभी आपदाओं को एक समान लेना चाहिए।

श्री पी.एच. पांडियन: यह बाढ़ मानव निर्मित नहीं है। कोई भी व्यक्ति बाढ़ नहीं ला सकता। व्यक्ति बाढ़ आने का कारण है। मानव निर्मित मानवकृत से अलग है। व्यक्ति बाढ़ का कारण बन सकता है। वह जलफाटक खोल सकता है। पश्चिम बंगाल में जलग्रहण क्षेत्र में लगातार और अभूतपूर्व भारी वर्षा हुई। आपने पश्चिम बंगाल के लिए क्या उपाय किया है? महोदय, आप श्री सोमनाथ चटर्जी अथवा विपक्ष की ओर न देखें। केन्द्र सरकार का यह संवैधानिक कर्त्तव्य है कि वह किसी धर्म, जाति, जन्म स्थान अथवा राजनीतिक दल पर ध्यान दिये बगैर भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करे।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति: राज्य की क्या भूमिका है?

श्री पी.एच. पांडियन: राज्य की भूमिका तो इतनी है कि वह केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करे। क्या आप चाहते हैं कि मैं यह कहूं? जी नहीं। बाढ़ एक राष्ट्रीय आपदा है। जब केन्द्र सरकार तत्काल कार्यवाही न करे तो केन्द्र सरकार के अस्तित्व का क्या महत्व है? उन्हें जरूरतमंद राज्यों की रक्षा करनी चाहिए। आप उन्हें

राहत नहीं दे रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूं। हम युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने एक हृदयरोगी के लिए 30,000 रुपये स्वीकृत किये हैं जो जरूरतमंद, निराश और कमजोर है। इसी तरह राज्यों को भी धनराशि मिलनी चाहिए। मैंने राज्यों और बाढ़ के पीछे जो सच्चाई है, उसे वर्गीकृत किया है। पश्चिम बंगाल और बिहार में सैकड़ों लोग मर गये हैं और लाखों लोग सहायता की इंतजार में हैं। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है? उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। *...(व्यवधान)* महोदय, अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक दल के रूप में हमारा पूरे देश में प्रभाव है।

मैं केवल तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस संदर्भ में असम, पश्चिम बंगाल और प्रत्येक राज्य की बात कर रहा हूं *...(व्यवधान)* इसलिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। केन्द्र सरकार को बाढ़ के संकट का सामना करना चाहिए। कल जब कुड्डालोर तूफान की खबर मिलते ही यह मामला सभा में तत्काल उठाया गया तो नीतीश कुमार जी ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं जो इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। लेकिन प्रतिक्रिया व्यक्त करने से क्या फायदा? यह केवल प्रैस वालों के लिए है। मंत्री महोदय, आप इस बात को कई शब्दों में कह सकते हैं। लेकिन आपको धनराशि भी देनी चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन तब भी आपको धनराशि देनी होगी। इस प्रकार हम कुड्डालोर और पांडिचेरी में बाढ़ में रह रहे हैं। इसलिए, यदि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय पर कार्यवाही की जाती तो बाढ़ की पुनरावृत्ति को रोका जा सकता था। बाढ़ और सूखा हर वर्ष आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपको बाढ़ और सूखे के परिणामों के बारे में पूर्व जानकारी होनी चाहिए। मंत्री जी को यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। यहां मैं किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं। उस संबंध में चाहे कोई भी मंत्री हो, उसे आम आदमी की आकांक्षाओं और उसकी सुरक्षा को समझने की सही समझ होनी चाहिए। वकील से सलाह-मशविरा करने के लिए आप एक अच्छे वकील के पास जाते हैं। डाक्टर से सलाह लेने के लिए आप एक अच्छे डाक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह मंत्री के मामले में आपके पास अच्छा मंत्री भी होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मेरा यह कहना है कि माननीय सदस्य राज्यों को प्रभावित करने वाले सूखा, बाढ़ और तूफान की वास्तविक गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: हम इस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाये? केन्द्र सरकार बाढ़ पर नियंत्रण पाने में असफल रही है। यदि उन्होंने गुजरात और उड़ीसा में बाढ़ के बारे में सूचना मिलने पर कार्यवाही की होती तो वे इसकी पुनरावृत्ति को रोक सकते थे। *...(व्यवधान)* यही स्थिति सूखे की है। आज हम यह बात समूचे भारत के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। हमें अच्छा मंत्री चाहिए। *...(व्यवधान)* मित्रो, क्या आपको अच्छा मंत्री नहीं चाहिए। क्या आपको समझदार और सक्रिय मंत्री नहीं चाहिए। आपको ऐसा मंत्री नहीं चाहिए जो इस तरह की स्थिति में कार्यवाही करे। मंत्री जी को वहां जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री सी. कुप्पुसामी: महोदय, माननीय सदस्य सभा को गुमराह कर रहे हैं। कुड्डालोर में दो मंत्री जी गये हुये हैं। आज सुबह ही दो मंत्री, एक श्री पोनमुदी और दूसरे श्री एन.आर. पन्नीरसेल्वम जी वहां डेरा डाले हुये हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा। तब आप इसका खंडन कर सकते हैं।

श्री सी. कुप्पुसामी: प्रश्न यह है कि वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। वह सभा को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: डेरा डालना कोई अच्छी बात नहीं है। यदि आप वहां खाली हाथ जाते हैं तो उसका क्या फायदा? आपने क्या किया? क्या आपने स्थिति को सुधारा? वहां डेरा डालने का क्या फायदा? मंत्री जी को वहां धनराशि लेकर जाना चाहिए। *...(व्यवधान)* जैसाकि मैंने पहले कहा था, मंत्री जी को कुड्डालोर धनराशि लेकर जाना चाहिए। यदि वह वहां जाकर यात्री बंगले में ठहरते हैं और कलक्टर को बुलाते हैं, तो उससे बारिश बंद नहीं हो जायेगी। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): आपको वहां सुश्री जयललिता की तरह जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सुश्री जयललिता की भांति कानून के नियमों का उल्लंघन करके धनराशि स्वीकृत करने के लिए जेल नहीं जायेगा। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: वर्ष 1993 में बाढ़ आई थी। मेरी नेता, मेरे दल की महासचिव, डा. जयललिता सीधी वहां चली गई। उन्होंने स्वयं बाढ़ का जायजा लिया और उसके लिए धनराशि स्वीकृत की। उन्होंने मौके पर ही स्थिति से निपटने के उपाय किये। इस तरह उपाय ही समस्या का समाधान है। इसलिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए उपाय करने चाहिए।

विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की रक्षा के लिए राजग के अलावा संसद सदस्यों की एक समिति बनाई जाये ताकि हम लोगों को संतुष्ट कर सकें। तभी हम लोगों की निराशा और कुंठा को दूर कर सकते हैं। आज लोग हताश हैं *...(व्यवधान)* यदि राजग आ रहा है तो इस मामले को उठायेंगे *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री पांडियन, कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपने काफी समय ले लिया है।

श्री पी.एच. पांडियन: सभापति महोदय, मुझे इस बारे में दुख है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ...*(व्यवधान)* बाढ़ की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। सूखे की स्थिति में भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में बोल रहे हैं।

महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): सभापति महोदय, हम जिस विषय पर यहां चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, वह बहुत गम्भीर विषय है। मैं नहीं समझता कि इस विषय पर हमें राजनीतिक चश्मे से कोई बात कहनी चाहिए या राजनीतिक चश्मों से कोई बात देखनी चाहिए। आज लाखों लोगों की जिंदगी एक ऐसी विडम्बना में फंसी हुई है कि वे बेचारे आंख उठा कर देख रहे हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि, जिनको हमने चुन कर भेजा है, क्या उन्हें हमारे दर्द का, पीड़ा का एहसास है और क्या वाकई में हमारी समस्याओं के प्रति वे गम्भीर हैं तथा इन्हें सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारी जिंदगी बेहतर बन सके। क्या यह विडम्बना नहीं है कि इतने बड़े भू-विस्तार में जो यह देश फैला हुआ है, नैसर्गिक और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से इसे भरपूर माना गया है। जहां उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में बड़े-बड़े तट हैं, महासागर है। लेकिन आज 52 साल बाद भी हम हर साल कभी सूखे पर, कभी अतिवृष्टि पर और कभी ओलावृष्टि पर इस सदन में तथा दूसरे सदन में चर्चा करते हैं। वही कहानियां बार-बार दोहराई जाती हैं। वही पीड़ा बार-बार भोगने के लिए इस देश के आदमी मजबूर हैं। मैं खुद अपनी पार्टी के लोगों को भी इसके साथ जोड़ कर कहना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि इसे राजनैतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। क्या हम सब यह सोचने के लिए मजबूर नहीं हैं कि हम इन 52 सालों में कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल पाए कि जब कभी ऐसी स्थिति आए तो उसे आने से रोका जा सके।

मुझे याद है 50 के दशक में एक योजना का विचार चला था केन्द्र सरकार के स्तर पर कि गंगा और कावेरी लिंक योजना बनाई जाए और ऐसी तमाम नदियों के लिंक की योजना भी कंसीव की गई थी। इस पर काफी दिनों तक चर्चा भी हुई। मुझे नहीं मालूम कि क्यों उस योजना को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। हो सकता है कि उस वक्त भी इसकी लागत बहुत ज्यादा हो, क्योंकि उस समय 52,000-57,000 करोड़ रुपये इसकी लागत आंकी गई थी। इसलिए हो सकता है इस कारण इसे छोड़ दिया गया हो। आज आप देखें बंगाल में बाढ़ है, इससे लोग मर रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में सूखा है, पानी की एक-एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर हमने एक वृहद योजना बनाई होती, उस पर काम किया होता तो आज यह स्थिति नहीं आती। न तो लोग बाढ़ की विभीषिका से मरते और न एक-एक बूंद पानी के लिए तरसते। हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल सकते थे। देरी तो हुई, यदि आज भी हम इस पर गम्भीरता से विचार करें, तो कुछ हो सकता है। देश की आर्थिक स्थिति मैं समझता हूं। बड़ी परियोजनाओं के लिए पैसे की समस्या है। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि दुनिया में कैपिटल आउट फ्लो है और बड़ी समस्या नहीं रह गई है। इसलिए अगर एक वृहद योजना, जिससे लाखों-करोड़ों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, का निर्माण करने की व्यवस्था करें तो कुछ भी असम्भव नहीं है।

हम पिछले 50-52 सालों में यह गणना करें कि हमने इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण कितनी सम्पत्ति, कितने अरब-अरब रुपये खोए और हम हर बार इन आपदाओं पर मदद देने के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में खर्च करते रहे, अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो उस योजना से भी ज्यादा खर्च हम कर चुके हैं।

पिछले साल में वे पीड़ा भी इस बात की भोग चुके हैं और फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। अगले साल फिर इसी सदन में हम इसी समस्या पर बात कर रहे होंगे, अपने आंसू बहा रहे होंगे। हमारी सोच बहुत तात्कालिक हो गई है। हम केवल कल जो सामने है, हम केवल उस कल की सोचते हैं कि कैसे उससे निपटें, अभी निपट जायें फिर बाद में देखा जायेगा। हमारा दृष्टिकोण बहुत संकुचित है, यही इस बात के लिए जिम्मेवार है। मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि सारी पब्लिक, सारी पार्टीज लाइन को छोड़कर एक बड़े समग्र रूप से अपनी-अपनी मानसिकता बना लें और सरकार आगे आये, यह सरकार की जिम्मेवारी है। इसकी पहल सरकार की तरफ से होनी चाहिए। विपक्ष केवल सुझाव दे सकता है। मैं आलोचना की दृष्टि से भी नहीं कह रहा हूं। मैं समझता हूं कि इस सुझाव से शायद ही किसी की असहमति हो। आज उड़ीसा, बंगाल बड़ी भारी बाढ़ से ध्वस्त हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार का भी कुछ हिस्सा जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश का भी कुछ हिस्सा अभूतपूर्व सूखे से ग्रस्त है। मैं अपने क्षेत्र में गया था। वहां अस्सी साल के बुजुर्ग लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवनकाल में ऐसा सूखा पहले कभी नहीं देखा। आज नवम्बर, दिसम्बर के महीने में कुओं में केवल पांच फुट पानी है। 5 मीटर से लेकर 16 मीटर तक ट्यूबवैल में वॉटर लैवल नीचे गिर चुका है। पशुओं के लिए चारा नहीं है, तालाबों में पानी नहीं है, बांधों में पानी नहीं है। विद्युत उत्पादन नहीं हो पा रहा है क्योंकि तमाम विद्युत परियोजनाएं बंद पड़ी हुई हैं। किसान को बिजली नहीं मिल पा रही है। पिछली

खरीफ की फसल तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है लेकिन जो रबी की फसल बोयी जानी थी, उसका एक तिहाई हिस्सा मध्य प्रदेश में बोया गया है। जितना बोया जाता था, उसकी तुलना में एक तिहाई बोया गया और मुझे यह भी नहीं मालूम कि जितना बोया गया, वह फसल भी जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी या एक-दो महीने में वह फसल भी नष्ट हो जाएगी क्योंकि कुछ पता नहीं है क्योंकि पानी नहीं है तो कहां से फसल पैदा हो? नतीजा यह हो रहा है कि गुजरात, राजस्थान में तो लगातार पिछले दो-तीन साल से हर साल सूखा पड़ रहा है। कल्पा की जा सकती है कि लगातार तीन-तीन वर्ष तक जहां सूखा पड़ रहा है, वहां की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का क्या हाल होगा? लाखों की तादाद में रेलवे स्टेशन पर मजदूर लोग अपना घर, मकान छोड़कर भाग रहे हैं। मजदूर तो सबसे वलनरेबल हिस्सा है। मजदूर बिचारे कभी पंजाब, कभी हरियाणा और जहां उन्हें रास्ता दिखाई पड़ता है, वे वहां रोजगार की तलाश में भाग रहे हैं। सितम्बर के महीने में हमारी प्रांतीय सरकारों ने केन्द्र सरकार को अनकों बार लिखा, वे लोग यहां आये और मीटिंग करी, हमने भी चर्चा की। हम योजना बनाकर लाये कि इस समस्या के समाधान की दिशा में क्या-क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो पेयजल उपलब्ध कराना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में अगर पानी नहीं है, बिजली नहीं है तो वहां खेती का क्या होगा? ग्रामीम क्षेत्र में चारा बेचने वाला नहीं है, वहां चारा नहीं है, पानी नहीं है और लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं दे सकें तो वे कहां जाएंगे और उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराना है तो गांव-गांव में जॉब-ओरिएंटेड व्यवसाय खोलने होंगे तब जाकर कुछ हो पायेगा। मुझे बहुत दुख है कि सोमनाथ जी अभी बता रहे थे और मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहता। आपको तो एक ऑर्डिनेंस लाने में गफलत हो गई है।

उस आर्डीनेंस की आड़ में कमिशन ने कह दिया कि आप लॉ एनएक्ट करिए और लॉ एनएक्ट करने के लिए आप यहां नहीं आ सके। हम 20 तारीख से सदन को चला रहे हैं, आपने अभी तक इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आप कम से कम इस पर एक बिल ले आते, आपको कौन रोक रहा था। बिल ले आते, अनुमति ले लेते। ऐसी स्थिति थी कि पहले दिन यह बिल आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उस दिशा में मुझे नहीं लगता कि कोई गंभीरता से प्रयास हो रहा है और अगर हो रहा है तो शायद मेरी अज्ञानता होगी। मैं जानना चाहूंगा कि अगर मेरी अज्ञानता है तो मैं अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूं। क्या ऐसा कोई गंभीर प्रयास इस दिशा में हो रहा है?

महोदय, इस देश में बड़े-बड़े पांच-छः प्रांत प्राकृतिक आपदा की चपेट में हैं। मैं तमाम आंकड़े दे सकता हूं, मेरे पास आंकड़े हैं। मैं वक्त बेकार नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं केवल मूल मुद्दे की बात करना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं—उड़ीसा में आठ जिले ऐसे हैं जहां माइनस सात से माइनस 15 प्रतिशत वर्षा हुई। 15 जिले ऐसे हैं, जहां माइनस 20 प्रतिशत से माइनस 38 प्रतिशत वर्षा हुई और सात जिले ऐसे हैं जहां माइनस 44 प्रतिशत से माइनस 58 प्रतिशत तक हुई। 1069000 हैक्टेयर में 770 करोड़ रुपये की धान की फसल नष्ट हुई है। आठ लाख परिवार उड़ीसा में सूखे और अकाल के कारण से प्रभावित हैं। वे रोजी-रोटी की तलाश में भटक रहे हैं। 314 में से 167 विकास प्रखंड प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात के आंकड़े भी मेरे पास हैं। सब जगह यही कहानी है। मध्य प्रदेश की कहानी तो और भी ज्यादा खतरनाक है। 45 दिनों में से 37 जिले सूखे से प्रभावित हैं। सात जिलों में तो माइनस 19 प्रतिशत वर्षा हुई है और 36 जिलों में माइनस 20 प्रतिशत से लेकर माइनस 59 प्रतिशत तक हुई है। वहां तालाबों और कुओं में पानी है ही नहीं। रीवा जिला ऐसा है, जहां 60 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है। अब आप खुद कल्पना कर लें कि इन जिलों में यहां के लोगों की हालत क्या है। फसलें खत्म हो गई हैं। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश मध्य प्रदेश था, आज वहां का सोयाबीन कोई खरीदने को तैयार नहीं है। वर्षा नहीं हुई, दाना छोटा पड़ गया। उन्होंने कह दिया कि इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। आपने अगर पंजाब में छूट दी है तो आप यहां भी सोयाबीन के लिए छूट दें। वहां एक तो पैदावार नहीं हो रही है और जितनी हो रही है उसके लिए भी अगर खरीददार नहीं मिलेगा तो किसान कहां जाएगा। बोई हुई फसल सूख रही है। कुओं में पानी नहीं है, हैंडपम्पों की हालत खराब है। ...*(व्यवधान)* 37 जिलों में से 279 ऐसे हैं, जहां आज भी पेयजल का भयंकर संकट है। सारी पेयजल योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। राहत कार्य खोलने हैं। पशुओं के लिए कैम्प लगाने की भी योजना है। मैं आपको आज के अखबार की अजीब खबर सुनाता हूं। आप इंडियन एक्सप्रेस में पेज नम्बर तीन में पढ़िए। मैंने फोन करके कंफर्म किया तो मुझे पता लगा कि यह बात सही है। मेरी अपनी कांस्टीट्यूएंसी में एक पन्ना नेशनल पार्क है। वहां से जंगली जानवर पानी की तलाश में आ रहे हैं। उद्यान में पानी नहीं रह गया तो वे जंगली जानवर उद्यान छोड़ कर गांवों में आ रहे हैं। गांवों में जहां पोखरों में पानी है, वहां घुस रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही घटना हुई है, वहां से भी यह समाचार आया है। आज उस प्रदेश के अंदर यह स्थिति है कि जंगली जानवर गांवों और नगरों में पानी पीने के लिए घुसने लगे हैं। एक-दो वारदातें भी हुई हैं। कुछ जानवर भी मारे गए हैं और कहीं पर कुछ लोग घायल हुए हैं, ऐसी भी सूचना मिली है। अगर जंगली जानवर गांवों की तरफ भागने लगे तो इससे बड़ी विडम्बना क्या होगी। ...*(व्यवधान)* अगर यह राम-राज्य है तो भगवान करे, इस देश को इस राम-राज्य से बचाएं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): "दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम-राज्य काहू न व्यापा।" हम सबको राम-राज्य तो ऐसा चाहिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: आप जो परिभाषा दे रहे हैं अगर वह सही है तो अब राम-राज्य है यह क्लैम करना बंद कर दें क्योंकि यहां सब कुछ उल्टा हो रहा है।

प्रो. रासा सिंह रावत: राजनीति से ऊपर उठकर उसके लिए प्रयास करें।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: हम तैयार हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय रावत जी, "जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप होये नर्क अधिकारी।"

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया विषय पर आइए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: मान्यवर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया आपस में बात मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी दिल्ली आये थे और सभी मध्य प्रदेश के सांसदों ने इस पर गंभीर चर्चा की। अपने स्तर पर विचार विमर्श करने के बाद पार्टी से ऊपर उठकर सभी सांसद प्रधान मंत्री जी से मिले। हमने उनसे जिन दो-तीन चीजों की मांग की उन पर आप भी ध्यान दें। हमने कहा कि अगर आपके ऊपर वित्तीय संकट है और आप हमें नगद रुपया नहीं दे सकते हैं तो हमारे स्टेट प्लान में से कटौती करक आप खुद दे रहे हैं और हमने अपने प्लान में से आबंटन करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन हमारे अपने रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि हम इस चैलेंज को मीट-आउट कर सकें। अगर आप कैश नहीं दे सकते हैं तो हमें फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चलाने के लिए, एफसीआई के गोदामों से मुफ्त अनाज दे दें। जिससे हम राहत के कार्य चला सकें। कम से कम इतना तो कर लें।

दूसरा, सूखाग्रस्त गांवों के लिए, ग्रामीण विकास विभागों की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उनके लिए कुछ अतिरिक्त आबंटन दें जिससे सूखाग्रस्त गांवों के लोगों को कुछ रोजगार मिले और उनका पलायन रोका जा सके तथा उनके जीवन-यापन के साधन जुटाए जा सकें।

तीसरा अनुरोध हमारे प्रदान मंत्री जी से यह किया कि ग्रामीण विकास विभाग से आप चर्चा कर लें और दसवें वित्त आयोग के माध्यम से जो राशि जिलों को भेजी है उसमें एक प्रतिबंध लगा है कि वह राशि केवल भवन-निर्माण कार्य के लिए है। आज विशेष परिस्थिति है और हम यह चाहते हैं कि इस वर्ष इसमें छूट दी जाये। आज विशेष परिस्थिति है लिहाजा रोजगार मूलक कार्यों को भी दसवें वित्त आयोग की राशि से ले सकें तो उसके माध्यम से भी कुछ रोजगार लोगों को दिला सकते हैं उन्हें कुछ सहूलियतें उपलब्ध करा सकते हैं।

आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपका ध्यान उस ओर चाहूंगा। हमारे प्रदेश में चाहे जितना संकट आया हो लेकिन हमारा प्रदेश अपने ऋण की राशि चुकाने में कभी भी डिफाल्टर नहीं रहा है। हम नियमित रूप से करोड़ों रुपये की राशि चुकाते आये हैं। हमने कहा कि कम से कम यह जो ऋण की राशि हर महीने चुकानी पड़ रही है उसे आप माफ मत कीजिए वरन् इसको आगे के लिए सस्पेंड कर दीजिए और पांच वर्षों में आसान किश्तों में ले लीजिए जिससे हम उस राशि को रोजगार देने में, पेय-जल की व्यवस्था करने में लगा सकें। इस तरह से हमें भी सहायता मिल सकेगी और आपको भी पैसा मिलता रहेगा। इन चीजों पर आप गौर करें। अगर आपने समय रहते सहायता नहीं दी तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की बड़ी असंवेदनशीलता होगी और मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी निर्वाचित सरकार असंवेदनशील कहलाना पसंद करेगी।

जब सारे देश के बड़े भू-भाग में प्राकृतिक आपदा और संकट का वक्त है, सामान्य तौर तरीकों से इस संकट से जूझ पाना सम्भव नहीं होगा। हमें कुछ असामान्य और विशेष निर्णय लेने होंगे। उस जगह पर मैं समझता हूं कि कोई भी कोताही बहुत घातक परिणाम दे सकती है। मैं आशा करता हूं कि मैंने जिन बिन्दुओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया मैं शुरू में कही गई उन बातों को एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि आज हम लोग एक बार फिर कम से कम इस बारे में सोचें। देर तो हुई है लेकिन इतना वक्त नहीं गुजरा है। हम इस बारे में नए सिरे से सोचें जिससे हर वर्ष यह आपदा न आए। हम कोई नेशनल प्रोजैक्ट बनाएं, लौंग टर्म प्रोजैक्ट बनाएं, एक पालिसी बनाएं। उसके तहत हम अपने देश में ऐसे उपाय करें जिससे जहां बहुत अधिक बाढ़ आती है वहां बाढ़ न आए, जहां सूखे की स्थिति

आती है, वहां सूखा न आए। नदियों को जोड़ने के काम की कोई परियोजना ला सकते हैं। इन पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आपने मुझे अपनी बात कहने का जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, हम एक महत्वपूर्ण विषय और ऐसे विषय जिस का देश के कई क्षेत्रों से संबंध है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। यह बात सही है कि हमने पहले भी बाड़, सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदा के बारे में यहां चर्चा की। चर्चा के दौरान कुछ तात्कालिक उपाय और कुछ दीर्घकालीन उपाय भी सदन के सामने प्रस्तुत हुए। सरकार ने इसके बारे में विचार-विमर्श कर और कुछ निर्णय लिए हैं। उनका कार्यान्वयन जारी है। मैं आज ही इस विषय की गम्भीरता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि आज ही इन्दौर से प्रकाशित ''दैनिक भास्कर'' समाचार पत्र को पढ़ रहा था। उसमें एक समाचार छपा कि सूखे की भयावह स्थिति के कारण सागर जिले के किसी गांव में एक बाप ने अपने बेटे के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। मध्य प्रदेश की विधान सभा में यह बात उठाई गई कि ऐसा क्यों और किस प्रकार हुआ? मैंने पूरी स्थिति की जानकारी चाही लेकिन पूरी नहीं मिली। जानकारी मिलने पर मैं उसे मंत्री महोदय को उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन अखबार में सूखे का कारण बताया गया कि किस प्रकार मध्य प्रदेश सूखे की चपेट में है।

श्री वीरेन्द्र कुमार: यह घटना माननीय चतुर्वेदी जी के निर्वाचन क्षेत्र के बॉर्डर से लगे सागर जिले की है। वहां एक बाप ने भूख, बेरोजगारी और गरीबी के कारण अपने बेटे के 18 टुकड़े कर दिए।

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: मैं एक दूसरे विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सूखे के कारण जन-जीवन अस्तव्यस्त हैं। वहां पशुओं की बदत्तर स्थिति है, बुरी हालत है। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने सांसदों को जो विवरण दिया उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि धार, खरगौन, खंडवा जिले में पानी, घास और चारे के अभाव में पशु वहां से पलायन कर रहे हैं।

एक दूसरा समाचार प्रकाशित हुआ कि खरगौन जिले में जहरीली घास खाने से कई पशु मर गए। वे घास खाने को मजबूर हैं। मैंने इसलिए दो समाचारों को उद्धृत किया कि परिस्थिति कितनी गम्भीर है? श्री पांडियन जी यहां उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने तीसरे समाचार की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। सोमनाथ दा और बंद्योपाध्याय जी ने ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि बंगाल में किस प्रकार विपत्ति आई? वहां बाढ़ आने से जन जीवन अस्तव्यस्त है। अभी समुद्री तूफान ने तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में तबाही मचा दी है। उसके कारण सारा जन-जीवन अस्तव्यस्त है। कभी तमिलनाडु, कभी वैस्ट बंगाल, कभी हिमाचल प्रदेश, कभी उड़ीसा में तांडव नृत्य होता है। प्राकृतिक आपदा हमारे ऊपर आती है तो हम चिंतित होते हैं और सरकार का ध्यान भी आकर्षित करते हैं। सरकार कुछ निर्णय लेती है लेकिन कभी-कभी इन निर्णयों में विलम्ब होने से, पालन में देरी होने से उसका जो असर होना चाहिए, उसका जो लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। मैं जानता हूं कि मैं सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार को पिछले वर्ष जो विभिन्न कार्यों की अनुदान राशि आबंटित की गई थी, उसका क्या हुआ? अब तक कलेक्टर के पास पहुंची ही नहीं। मैं आज ही वहां से आ रहा हूं। माननीय सदस्यों की बैठक में मुख्यमंत्री जी द्वारा टिप्पणी के रूप में जो कहा गया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां से करोड़ों रुपये की राशि दी गई है जिसकी प्रथम किश्त 55 करोड़ रुपये अभी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी और राशि की मांग की है। जब पहली राशि का वितरण ठीक प्रकार से नहीं हुआ है और वे और राशि मांग रहे हैं। मैं बता रहा था कि इस टिप्पणी में कहा गया है कि प्रति विकासखंड के मान से 2 प्रतिशत पशु शिविरों का सतत प्रवाहित नदी एवं तालाब के समीप लगाया जाना प्रस्तावित है। अभी तो ये प्रस्ताव कर रहे हैं, कब लगायेंगे? फिर आगे कहा गया है कि पशु राहत शिविर चार महीने की अवधि में पूरे किये जायेंगे लेकिन अभी तक लगाये नहीं गये हैं। मेरा निवेदन है कि इसकी क्रियान्विति ठीक से नहीं होती है। हम योजनाओं की बात करते हैं लेकिन ठीक से क्रियान्वित नहीं करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को राहत की राशि दिये जाने के बाद भी जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सभापति महोदय, राज्य सरकार को अभी तक 55 करोड़ रुपया मिला है और 37 जिलों को प्रत्येक जिले के हिसाब से 10.77 करोड़ रुपये कलेक्टर को भेजे गये हैं। अब आप ही बताइये कि और राशि कहां है जो काम हाथ में लिये जायें?

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: चतुर्वेदी जी, मैं इस बात में नहीं पड़ना चाहता लेकिन राज्य सरकार ने आखिर क्या किया है। इसके पहले भी केन्द्र सरकार ने, जब आवश्यकता होती थी, ग्रामीण योजनाओं के अंतर्गत गुजरात को 128.25 लाख रुपया, राजस्थान को 126.88 लाख रुपया, आंध्र प्रदेश को 225 करोड़ रुपया दिया है। खाद्यान्न के अंतर्गत गुजरात और आंध्र प्रदेश को लाखों टन अनाज दिया है। गुजरात को 4 लाख 19 हजार टन, आंध्र प्रदेश को 4 लाख 35 हजार टन, राजस्थान को 5 लाख 26 हजार टन

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

खाद्यान्न दिया है। फिर भी आप केन्द्र सरकार पर आरोप लगाते चले आ रहे हैं। अब यह प्राकृतिक संकट है लेकिन इसके पहले भी केन्द्र सरकार सहायता करती आई है। अब एकदम से तूफानी संकट आ गया। शायद आपको मालूम होगा कि जबलपुर में भयंकर भूकम्प आया था। जिसके कारण तबाही मची। लोग बरबाद हो गये। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने उस राशि का ठीक-ठीक उपयोग किया जो उसे प्राप्त हुई।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: यह विवाद का विषय नहीं है वरन् केन्द्र से हमने क्या क्या मांग की, उसके आंकड़े मैं भी दे सकता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सरकार उत्तर देगी। श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी व्यर्थ बहस मत कीजिए।

[हिन्दी]

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: मुझे मालूम है लेकिन मैं निवेदन कर रहा था कि मध्य प्रदेश में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में ट्यूबवैल लगाये जाने की बात थी। 700 फीट नीचे जाने के बाद भी पानी नहीं मिला जबकि श्री चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि तात्कालिक और दीर्घकालीन उपाय अपनाने चाहिए। मैं भी जानता हूं और बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गंगा-कावेरी योजना बनी है, उसी प्रकार नर्मदा-क्षिप्रा का मिलान, क्षिप्रा-चम्बल का मिलान और चम्बल का अन्य नदियों से मिलान हो जाये तो योजना कार्य रूप ले सकती है। मध्य भारत क्षेत्र में मालवा अब रेगिस्तान बनता जा रहा है। उसके बारे में एक कहावत है:

मालव धरती गहन गंभीर
पग-पग रोटी, डग-डग नीर।

पग-पग न रोटी और न पानी मिलता है लेकिन यदि नदियों का मिलान ठीक से हो, ठीक प्रकार से बंधान हो जाये तो यह काम हो सकता है। जैसा चम्बल नदी पर गांधीसागर जलाशय है। वहां एक महीने पूर्व तक बिजली का उत्पादन होता था लेकिन अब एक मेगावाट बिजली का उत्पादन भी नहीं हो रहा क्योंकि बांध में पानी नहीं है। इस जलाशय में पिछले 30-32 वर्षों से पानी कम नहीं हुआ लेकिन अब पानी नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करना चाहिए। जब मालूम हुआ कि उस जलाशय में मिट्टी भर गई है तो उसे निकालने के लिए उपाय किये जाने चाहिए थे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो धीरे-धीरे बिजली का उत्पादन बंद हो जायेगा। राजस्थान को इससे पानी मिलता है, रावत-भाटा के अंदर जो बिजली का उत्पादन होता है उससे राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की कृषि को भी लाभ मिलता है।

इसलिए ऐसे बांधों के बारे में भी दीर्घकालीन उपाय निश्चित रूप से किये जाने चाहिए।

सभापति महोदय, मैं उद्धृत कर रहा था कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से जो एक नोट दिया था उसमें नवम्बर, 2000 में सामान्य माह की तुलना में भूजल स्तर की गिरावट का जो आकलन सामने आया, उसके अनुसार कम से कम दस मीटर से अधिक, 30-40 मीटर की गिरावट आई है। आने वाले माह में यह संकट और गंभीर हो जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो अपनी कुछ योजनाएं जारी की हैं उन योजनाओं को वह इसलिए लागू नहीं कर पा रही हैं चूंकि केन्द्र सरकार का पैसा आना है। अभी माननीय चतुर्वेदी जी बोल रहे थे, उन्होंने कुछ बातें कही हैं कि दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग का जो पैसा जाता है, उसमें कुछ रुकावट है कि आपको कुछ न कुछ निर्माण कार्य तो करने ही पड़ेंगे। आप सीधे-सीधे राहत कार्य नहीं कर सकते। इसलिए निर्माण कार्य का जो बंधन है, यदि वह समाप्त कर दिया जाए, यदि उस बंधन को शिथिल कर दिया जाए तो शायद उससे राहत कार्यों में सहूलियत मिलेगी तथा लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के 40 जिले सूखे की चपेट में हैं। सोयाबीन की फसल पूरी तरह खराब हो गई है।

सभापति महोदय, मध्य प्रदेश के साथ चूंकि राजस्थान लगा हुआ है और मेरा निर्वाचन क्षेत्र मंदसौर तीन तरफ से राजस्थान से घिरा हुआ है। राजस्थान में लगातार अकाल पड़ रहा है और इस बार गंभीरतम अकाल पड़ा है। चूंकि राजस्थान से सीधा संबंध होने के कारण हजारों की तादाद में वहां से जो भेड़-बकरियां आती हैं, वे सीधे मध्य प्रदेश में आती हैं। मध्य प्रदेश वाले उन्हें हकालकर गुजरात की तरफ भेज देते हैं। लेकिन आने वाले संकट की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान की दृष्टि से भी विचार करना पड़ेगा। राजस्थान का जो सारा अरावली का क्षेत्र है उसका स्वरूप बदलता जा रहा है और वहां भयंकर कठिनाई पैदा होने वाली है। इसलिए सबसे आवश्यक बात यह है कि आपात योजना की दृष्टि से सरकार ने जो कार्य दल बनाया था, वह कार्य दल विचार करे और विचार करके उसके बारे में कुछ निर्णय करे, ताक जो क्रियान्विति है, सरकार जो पैसा विभिन्न राज्य सरकारों को देना चाहती है, उस पैसे का आबंटन ठीक से हो सके। छत्तीसगढ़ बनने के बाद जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने 606 करोड़ रुपये की मांग की है। यह शीघ्र दिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: मुझे कुछ और कहना है। क्या मैं अपनी बात जारी रख सकता हूं।

सभापति महोदय: आप एक दो मिनट और ले सकते हैं। कई अन्य वक्ता भी बोलने वाले हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: सभापति महोदय, मैं गुजरात के दौरे पर गया था। वहां मैंने कच्छ, भुज आदि क्षेत्रों का दौरा किया। वहां की स्थिति भी काफी गंभीर है। उस मृगमरीचिका को देखते हुए दूर तक चले जाइये, तेज धूप है नमक वाला मैदान है। जैसे मृग पानी की तलाश में दौड़ता है कि शायद पानी होगा लेकिन कई किलोमीटर चले जाइये, पानी नहीं मिलता है। गुजरात की हालत भी खराब है। मैंने इसलिए ध्यान आकर्षित किया है चूंकि गुजरात भी इससे पीड़ित है। गुजरात के अंदर जो अन्यान्य नदियां थी, वे सूख गई हैं। जिस प्रकार से राजस्थान की बहुत बड़ी नदी माही है। मैंने माही नदी को देखा, जो रतलाम जिले के पास लगती है, वह बिल्कुल सूख गई है। माही नदी न केवल राजस्थान को प्रभावित करती है, बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करती है। माही नदी सूखी, चम्बल नदी सूखी, नर्मदा नदी सूखने के कगार पर है, जो मध्य प्रदेश के अंदर की तरफ पड़ती है, वहां भी स्थिति खराब है। इन नदियों को ठीक करने की दृष्टि से और इनमें किस प्रकार जल प्रवाह बना रहे, उसके लिए एक निश्चित कार्य योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से आने वाले समय में यद्यपि जल संग्रहण क्षेत्र का विकास होता चला जा रहा है और स्थान-स्थान पर किस प्रकार से जल संग्रह किया जाए, जल संवर्धन किया जाए, उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन उसके ऊपर जिस प्रकार से तेजी से अमल होना चाहिए, उस तेजी से अमल नहीं हो रहा है और उन योजनाओं के बारे में ग्रामीणों और किसानों को ठीक से जानकारी न होने के कारण व इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कुछ योजनाएं तो सरकारी कागजों में चालू हैं, उनमें प्रशासकीय मशीनरी मनमानी कर रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस बारे में ठीक से विचार किया जाए।

सभापति महोदय, मैं एक तरफ और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 'आज' के अंदर प्रकाशित हुआ है कि किस प्रकार से इस सारी प्राकृतिक विपत्ति या आपदा के पीछे कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं, वैज्ञानिकों का यह कहना कि सूखा प्राकृतिक आपदा के खतरनाक सिलसिले की चेतावनी है। देश के विभिन्न भाग भीषण सूखे की चपेट में हैं, इसलिए वैज्ञानिकों की चिंता की अनदेखी नहीं की जा सकती है। भारत ही नहीं विश्व के विभिन्न भागों में अकाल पड़ रहा है। इसने उन स्थानों को भी अपने चपेट में ले लिया है जहां पहले कभी सूखा नहीं पड़ता था।

सायं 6.00 बजे

इस वर्ष विश्व में समुद्री तूफान और भीषण बाढ़ से विनाश का दृश्य उपस्थित हुआ है। जहां दुनिया खाक हो रही है उसमें खासकर पर्यावरण की तरफ ध्यान दिलाया गया है जिसमें कहा है कि अंधाधुंध वृक्षों का जो कटाव हो रहा है और पुन: वृक्षारोपण नहीं किया जाता है, उसके कारण विनाश हो रहा है। पहले कभी वृक्ष लगाने की जो योजना चली थी-पथ-वृक्षारोपण, वन-वृक्षारोपण, वह समाप्त हो गई और उसके अभाव में जो पर्यावरण की रक्षा कर सकते थे, वह भी नहीं हो सकी है। सूखे का यह भी एक कारण है। इस दृष्टि से पर्यावरण की रक्षा करते हुए हम किस प्रकार से अपने संसाधनों को जुटाकर कार्य आगे बढ़ा सकते हैं, वह देखना चाहिए। हम छोटी-छोटी तलैया बना सकते हैं, पुराने तालाबों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, कुछ बावड़ियां बना सकते हैं और छोटे-छोटे नदी-नालों पर बंध बनाकर पानी रोककर इस समस्या का हल कर सकते हैं। यह जो भीषण संकट खड़ा हुआ है, इस संकट में हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से जितना हो सकता है, वह कर रही है।

अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो दो-तीन बातें खास तौर से कही गई थीं कि मध्य प्रदेश सरकार को राशि देंगे और जो ग्रामीण योजनाएं हैं, उनकी राशि को किस प्रकार से हम अंतरित करके उनको लाभ दे सकते हैं, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार से जब बात की और कहा कि केन्द्र मॉनीटरिंग करे तो मध्य प्रदेश की सरकार सहमत हो गई थी कि अगर केन्द्र मॉनीटरिंग करना चाहता है तो करे, लेकिन उपयुक्त राशि दी जाए। मेरा अनुरोध होगा कि राशि देने के साथ-साथ इस प्रकार का बंधन जरूर हो कि राशि जिन कार्यों के लिए दी जाती है, उस पर ही खर्च करें। दसवें वित्त आयोग में कहा गया है कि 10वें वित्त आयोग की जो राशि है, उसमें प्रस्तावित कार्यों के लिए भवन निर्माण कार्य आवश्यक रूप से शामिल किया जाए, इसको शिथिल कर दिया जाए ताकि अन्य कार्यों पर इसको खर्च किया जा सकता है और सूखे से प्रभावित जो जिले हैं, उनको ठीक किया जा सकता है। अन्यान्य जो उपाय हैं, उनके बारे में पहले चर्चा हुई है और मैं उस बारे में समय नहीं लेकर निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी राशि केन्द्र सरकार उपलब्ध कराए, उसको जल्दी दे ताकि लोगों को राहत मिल सके और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और हम इस संकट से उबर सकें। पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा में जिस प्रकार से तबाही हुई और हाल

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

ही में तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों में तूफान आया, उन सबसे हम ऊबर सके। यह संकट राष्ट्रीय संकट है और इन पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हमें विचार करना चाहिए। इस समय मध्य प्रदेश में किसानों का जो नुकसान हआ है, फसल नष्ट हो गई है। वह बहुत ज्यादा है और उनकी भरपाई नहीं हो सकती है। हम उनकी भरपाई किस प्रकार से कर सकेंगे और आने वाली फसलें उगाने के लिए किसानों की सहायता किस प्रकार से कर सकेंगे, इस बारे में सरकार विचार करे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस चर्चा के लिए अपराह्न 4.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक दो घंटे का समय आवंटित किया गया है। अभी कई वक्ता बोलने वाले हैं। यदि सभा में सहमति है तो हम सभा का समय दो घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): कृपया, सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, एक घंटा पर्याप्त नहीं है। हम डेढ़ घंटा चर्चा के लिए और आधा घंटा मंत्री जी द्वारा उत्तर देने के लिए निर्धारित कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय हम कल चर्चा जारी रखेंगे *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): श्री रामदास आठवले कल शुक्रवार है। कृपया सभी की समस्याओं पर ध्यान दें। कल गैर-सरकारी सदस्यों का दिन है *...(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): कल प्रश्न काल के बाद इस पर चर्चा जारी रखी जा सकती है *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: प्रश्नकाल के बाद सदस्य 'शून्य काल' की मांग करेंगे। यदि आज आप कल के लिए वचन देते हैं तो कल 'शून्य काल' नहीं होगा। कृपया इस बात को समझने की कोशिश करें। मेरा अनुरोध यह है कि हमने दो घंटे पूरे कर लिए है। हम एक घंटा या डेढ घंटा और बैठ सकते हैं। किंतु मंत्री महोदय के उत्तर देने से पूर्व हर कोई बोलना चाहेगा। किंतु किसी चर्चा में आप प्रत्येक सदस्य को बोलने का मौका नहीं दे सकते हैं। इसलिए आपको चर्चा के लिए वक्ता चुनने पड़ते हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि सभी छोटे-बड़े दलों के सदस्य बोलें और यदि समय बचे तो फिर वक्ताओं की सूची में से सदस्य बोल सकते हैं। किंतु यदि आप निर्णय करते हैं कि मंत्री महोदय सायं 7.30 बजे उत्तर देंगे और वे आधे घंटे में उत्तर दे सकते है तो फिर रात्रि 8.00 बजे तक हम चर्चा समाप्त कर देंगे *...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले: छोटी पार्टियों का क्या होगा?

श्री प्रमोद महाजन: जैसा मैंने कहा प्रत्येक पार्टी को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मेरा अनुरोध यह है कि हम यह निर्णय करें कि सायं 7.30 बजे मंत्री महोदय उत्तर देंगे। अगले डेढ़ घंटे में हमें अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का मौका देने का प्रयास करना होगा। यही मेरा अनुरोध है क्योंकि इसे कल लेना संभव नहीं होगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे समय की कमी को ध्यान में रखें ताकि अधिक से अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): महोदय, देश में समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति पैदा होती रहती है और अधिकतर राज्यों विशेष रूप से तटवर्ती राज्यों में इसने भीषणतम रूप ले लिया है। आंकड़े और आकलन भी यह बताते हैं कि हाल के वर्षों में बाढ़ के कारण फसलों को नुकसान में काफी वृद्धि हुई है। लगभग तीन दशक पूर्व वर्ष 1971 के दौरान एक आकलन के अनुसार बाढ़ के कारण संपूर्ण देश में कुल 20 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हो रहा था। वर्ष 1999-2000 के दौरान 67 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो रहा है। यह इस बारे में बखूबी प्रकाश डालता है कि इन वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण के लिए समुचित उपाय किये गये हैं या नहीं। तूफान के बाद बाढ़ और बाढ़ के बाद तूफान आ रहे हैं और सूखे की स्थिति भी व्याप्त है। लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। संपत्ति नष्ट हो रही है, अवसंरचना नष्ट हो रही है और पशु मर रहे हैं। सभी चीजें हो रही हैं। मैं यह नहीं बता रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं और उत्तरोत्तर सरकारें क्या कर रही हैं। मैं किसी सरकार विशेष या किसी राज्य विशेष पर आरोप लगाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं न ही उन राजनीतिक दलों पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहा हूं जो विभिन्न राज्यों में सत्तारूढ़ हैं। किंतु कुल मिलाकर हो यह रहा है कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति ढुलमुल

रवैया अपनाया जा रहा है। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और गंभीर समाधान नहीं ढूंढे गए यदि बाढ़ नियंत्रण के लिए गंभीर प्रयास किये जाते तो स्थिति ऐसा व्यापक रूप नहीं लेती कि 1971 में 20 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हुआ था और 1999-2000 तक यह क्षेत्र बढ़कर 67 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया। इन तीन दशकों के दौरान उत्तरोत्तर सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं? यदि पर्याप्त कदम उठाये जाते तो स्थिति बेहतर होती और नुकसान कम होता। ऐसी स्थिति है।

कई बार देश के वैज्ञानिकों और अध्ययन दलों ने भी सुझाव दिया है कि भारत सरकार को बाढ़ प्रवण जोन ठहराए जाने के लिए कार्यक्रम चलाना चाहिए ताकि यह राज्य सरकारों को सलाह देने के साथ-साथ यह सुझाव दे सके कि प्राकृतिक आपदा से पूर्व की अवधि या प्राकृतिक आपदा के बाद की अवधि के दौरान क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

[अनुवाद]

भारत सर्वाधिक आपदा ग्रस्त देशों में से है। इसने विशेष स्वरूप ले लिया है। यह सुझाव दिया गया है कि संभावित बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों और संभावित सूखा ग्रस्त क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ सबसे पहले विगत 100 वर्षों के इतिहास के इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किस राज्य में कितने वर्षों में कितनी बार ये आपदाएं आईं, देश के सभी राज्यों को जोनों में बांटना होगा।

आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कितने राज्यों में पांच वर्ष में; दस वर्ष में; 20 वर्ष अथवा 30 वर्ष में एक बार बाढ़ आई है ताकि इसके अनुरूप कार्य योजना भी बनाई जा सके और उसी अनुपात में केन्द्र सरकार से सहायता भी प्रदान की सके। यदि इतनी तीव्रता से बार-बार सूखा पड़ता है और बाढ़ आती है तो यह स्वाभाविक है कि कोई भी राज्य अपने लोगों को बचा नहीं पाएगा और कोई भी राज्य इसका व्यय वहन नहीं कर पाएगा। स्वाभाविक तौर पर राज्य सहायता के लिए केन्द्र सरकार की ओर देखेंगे। इस विशेष स्थिति में यह आवश्यक है कि हम सूखा, चक्रवात और बाढ़ के समग्र कार्यक्रम को पूर्णत: अलग तरीके से देखें। इस संबंध में एक के बाद एक वित्त आयोग भी सिफारिश करते रहे हैं। माननीय सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी ने पूछा है कि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का क्या हुआ। उन पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया है। आयोग के बाद आयोग नियुक्त किए जा रहे हैं। लेकिन सिफारिशों के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस तरह स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। इस तरह विभिन्न राज्यों तथा पीड़ित व्यक्तियों को अपेक्षित राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। जहां तक हाल ही में विभिन्न राज्यों में आई बाढ़ का संबंध है, आपको पता है कि इस वर्ष और पिछले वर्ष भी आंध्र प्रदेश में बाढ़ आई थी। इस वर्ष 3 से 27 अगस्त के बीच आंध्र प्रदेश में इतनी भारी बाढ़ आई जितनी पहले कभी नहीं आई थी। यहां तक की राज्य की राजधानी, हैदराबाद में भी बाढ़ गई और ऐसा सैलाब आया जैसा पहले कभी नहीं आया था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हैदराबाद शहर में भी बाढ़ आई हो। राज्य के 23 जिलों में से 18 जिलों में बाढ़ के कारण नुकसान हुआ। बाढ़ से 4,522 गांव, 29.35 लाख जनसंख्या प्रभावित हुई तथा 1,04,000 घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए और 963 करोड़ रुपये की सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंची।

इन सब बातों के बीच राज्य सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री श्री एन. चन्द्रबाबू नायडू के कुशल मार्गदर्शन में अनेक प्रयास किए हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे राज्य के संबंध में ही कदम नहीं उठाए हैं वरन् हमारे पड़ोसी राज्यों में जब कभी प्राकृतिक आपदाएं आईं, उन्होंने उनकी सहायता की। हाल ही में, जब उड़ीसा में भीषण चक्रवात आया तो हमारे राज्य ने उड़ीसा की सहायता की और राहत कार्य में लगभग 80 करोड़ रुपये खर्च किए। यह पूरी राशि आंध्र प्रदेश सरकार ने ही वहन की है।

सायं 6.13 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए)

उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पर ध्यान देने वाले पहले व्यक्ति हमारे मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रबाबू नायडू थे?

हाल ही में, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों में 16 से 20 सितम्बर के बीच बाढ़ आई थी। यह अभूतपूर्व और भीषण बाढ़ की स्थिति है और इस बारे में दो राय नहीं है। पश्चिम बंगाल को काफी नुकसान हुआ है। मैं, माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा दिए गए वक्तव्य से सहमत हूं कि पर्याप्त राहत दी जाए। यह राजनीति का प्रश्न नहीं है। यह मानव जीवन का प्रश्न है। यह इस देश के भाग की क्षति का प्रश्न है। हमें इस तरह से ही पूरी स्थिति को देखना चाहिए और हम इस बात का समर्थन करते हैं कि पर्याप्त राहत दी जाए।

हाल ही में, तमिलनाडु में कुड्डालोर तथा अन्य क्षेत्रों में बाढ़ आई थी। सौभाग्य से, हमारा राज्य आंध्र प्रदेश बच गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): यह संयोग की बात है।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): जी हां, यह संयोग की बात है। अन्यथा केवल दो वर्ष में ही यह बाढ़ और चक्रवात की दूसरी आपदा होती।

[प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु]

आपदा राहत कोष से मुश्किल से 148 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

जहां तक आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति का संबंध है, यह राहत बिल्कुल अपर्याप्त है। पश्चिम बंगाल में जो नुकसान हुआ उसके आंकड़ों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात को इस प्रकार कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल और गुजरात में भीषणतम और अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है।

अब मैं आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति पर आता हूं। मेरे विचार से यह अभूतपूर्व स्थिति है। महोदय, हाल ही में राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में आए सूखे की आपको जानकारी होगी। ये सभी राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। सूखे की स्थिति से निपटना एक बड़ी बात है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में भीषण सूखा पड़ा जिसके कारण 2,560 करोड़ रुपये के कृषि उत्पादन की हानि हुई। यह अभूतपूर्व है। सितम्बर, 1999 में आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को एक ज्ञापन भी दिया था। 720 करोड़ रुपये की आवश्यकता के बदले में भारत सरकार ने अग्रिम के रूप में केवल 75 करोड़ रुपये दिए थे।

आंध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति से निपटने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक उपयुक्त कदम उठाए हैं। आंध्र प्रदेश ने यह सर्वाधिक नया कदम उठाया है कि 'नीरू मीरू' कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लोगों को भागीदार बनाया गया है और प्रत्येक घर में जल एकत्रित करने के लिए गड्ढा होना अनिवार्य कर दिया गया है। हम जानते हैं कि हाल ही में भूमिगत जल स्तर घटता जा रहा है और जल भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सही ढंग से नहीं पहुंच रहा है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि भूमिगत जलस्तर बढ़े। इसलिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षा जल संचयन को एक मुख्य मुद्दे के रूप में लिया गया है। इसलिए पनधारा कार्यक्रम, जलाशयों का निर्माण तथा गांव के पुराने टैंकों के नवीकरण सहित जल संग्रहण हेतु गड्ढों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। इसलिए, यह एक मुख्य मुद्दा है।

अधिकांश क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है लेकिन गांवों में वर्षा जल संचयन क्षमता नहीं है। गांवों के अधिकांश टैंकों में गाद जमी हुई है और उनमें वर्षा जल नहीं रुकता है। जब कभी वर्षा होती है तो पानी बह कर समुद्र में चला जाता है। जब तक गांवों में भारी राशि खर्च करके बड़े पैमाने में टैंकों का नवीकरण करके उनकी जलधारण क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी। वर्षा का अधिकांश जल बर्बाद हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप गर्मियों में गांवों में पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए यह कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा नहीं वरन् भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि अधिकांश राज्य सरकारों के पास निधि का अभाव है। महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में आई बाढ़ तथा सूखे के समय में ये कुछ कदम उठाए हैं और राहत उपाय किए हैं। ये उपाय बहुत कम हैं और इन्हें बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। विशेषरूप से, ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की जांच की जाए और इन्हें तत्काल लागू किया जाए।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में पूलावरम परियोजना के द्वारा गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने हेतु मुख्य उपाय किया जाना चाहिए। अन्यथा, अधिकांश जल समुद्र में बेकार बह जाएगा। एक ओर तो हम काफी जल बर्बाद कर रहे हैं जो समुद्र में जा रहा है और दूसरी ओर इस देश के मुख्य भागों में भारी सूखे की स्थिति है।

सूखे के बाद बाढ़ की स्थिति रोकने हेतु सभी नदियों को जोड़ना और जल का बेहतर उपयोग होना चाहिए। आने वाले दिनों में राज्यों के बीच ही नहीं वरन् देशों के बीच भी जल को लेकर विवाद होंगे। नदी जल विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना में यदि युद्ध हुआ तो वह राज्यों के बीच ही नहीं वरन् देशों के बीच भी जल बंटवारे को लेकर होगा।

यह अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद): माननीय सभापति महोदय, मैं अभूतपूर्व बाढ़ के बारे में कहना चाहता हूं जिससे पश्चिम बंगाल के नौ जिले प्रभावित हुए हैं। माननीय सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी पहले ही इस विषय पर बोल चुके हैं। पश्चिम बंगाल के नौ जिलों में से मुर्शिदाबाद सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण कुल 1,320 जानें गई। इनमें से मेरे निर्वाचन क्षेत्र, मुर्शिदाबाद में ही 696 मौतें हुई हैं। 22 लाख घरों में से पांच लाख से अधिक घर मुर्शिदाबाद में ढह गए हैं। भगवान गोला थाना में 80 मीटर लम्बा और 62 फीट चौड़ा पुल गिर गया है, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है और यह इस क्षेत्र में एक नई नदी की भांति है।

ऐसी भारी बाढ़ आने का क्या कारण है? माननीय सदस्य, श्री सोमनाथ चटर्जी इस सम्माननीय सभा के समक्ष पहले ही बता चुके हैं। 17 सितम्बर से 20 सितम्बर तक भारी वर्षा हुई। पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व बाढ़ आने का यह एक मुख्य कारण है। इस सम्माननीय सभा में एक प्रश्न था कि क्या बाढ़ का पूर्वानुमान उचित समय पर किया जाता है अथवा नहीं। इस संबंध में मैं जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा 22 नवम्बर को अता. प्रश्न सं. 519 के संबंध में दिए गए उत्तर को उद्धृत करना चाहता हूं। मैं भाग 'ग' और भाग 'घ' में दिए गए उत्तर का उल्लेख कर रहा हूं। इसमें कहा गया है:

"बाढ़ पूर्वानुमान से बाढ़ों को आने से नहीं रोका जा सकता है मगर इससे बाढ़ की नुकसान पहुंचाने की क्षमता कम करने में सहायता मिलती है। केन्द्रीय जल आयोग राज्य सरकारों और संबंधित अभिकरणों को समय-समय पर बाढ़ का पूर्वानुमान और बाढ़ अंतर्वाह प्रणाली पूर्वानुमान जारी करता है तथा डी.वी.सी. प्रणाली और अन्य बैराजों पर स्थित कार्यालयों से बाढ़ संबंधी चेतावनियां नियमित रूप से जारी की जाती हैं। जिला प्रशासन, इन क्षेत्रों से होकर बहने वाले बाढ़ के जल से प्रभावित होने वाले संभावित विभिन्न ब्लॉक कार्यालयों के लिए संचार की व्यापक व्यवस्था करता है।"

किसी ने मुझे बताया है कि बांध से जल को अवैज्ञानिक तरीके से छोड़े जाने के कारण बाढ़ आती है। मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। मसेंजोर बांध का प्रबंधन पश्चिम बंगाल सरकार करती है। इस बांध की क्षमता आठ लाख घन (क्यूबिक) फीट क्षेत्र है। वर्षा से पहले, यह करीब-करीब सूखा पड़ा था। ऊपर बताये गये चार दिनों में, 10 लाख क्यूबिक फुट पानी बांध में चला गया। पर छोड़े गये पानी की मात्रा क्या थी? 18 सितम्बर को 2 लाख क्यूसेक पानी बांध में भर गया, और 43,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये मात्रा प्रबंधन द्वारा मापी गई है। 19 सितम्बर, एक लाख क्यूसेक पानी बांध में आया और छोड़ा गया पानी 1.23 क्यूसेक था। 20 सितम्बर को, बांध में आया पानी दो लाख क्यूसेक था, और छोड़ा गया पानी 1.28 क्यूसेक था। 21 सितम्बर को 2.8 लाख क्यूसेक पानी बांध में आया, और छोड़ा गया पानी 1.674 क्यूसेक था। 22 सितम्बर को बांध में आया पानी 1.97 क्यूसेक है, और छोड़ा गया पानी 1.44 क्यूसेक था। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रबंधकों द्वारा सोच समझ कर छोड़ा गया पानी था। इसलिए, अवैज्ञानिक ढंग से छोड़ा गया पानी बाढ़ के आने का कारण नहीं था।

महोदय, एक बात दबी जबान में पश्चिम बंगाल में कही जा रही है कि भारत-बांग्लादेश फरक्का बांध समझौते के परिणामस्वरूप किया गया पानी का वितरण बाढ़ का कारण है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं और यह उनका फर्ज समझता हूं कि भारत-बांग्लादेश के मध्य हुए फरक्का बांध समझौते पर अपना स्पष्ट वक्तव्य दें।

महोदय, जहां तक पश्चिम बंगाल की ग्रामीण आधारभूत संरचना का प्रश्न है, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कई स्थान पर पूर्णत: क्षतिग्रस्त हुई है। राज्य के कुल 1700 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग में से, 800 कि.मी. का राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें 19 पुल भी शामिल हैं, को नुकसान पहंचा है। रेल संपर्क भी टूटा हुआ है। मेरे जिले और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक रेल संपर्क बहाल नहीं हो पाया है। रेलवे लाइन की मरम्मत का कुछ कार्य 17 नवम्बर, 2000 को ही आरंभ हो पाया। संपूर्ण 147 कि.मी. के रेल मार्ग पर 117 पुल हैं। इसलिए, क्षति बहुत हुई है।

महोदय, मैं ये बातें केवल यह बताने के लिए कह रहा हूं कि यह भीषण प्राकृतिक आपदा थी। यह बात पहले ही हमारे नेता श्री सोमनाथ चटर्जी ने कही है। माननीय प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि यह राष्ट्रीय क्षति है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारी क्या आकांक्षा थी? हमारी सिर्फ यही आशा थी कि केन्द्रीय सहायता लोगों तक पहुंचे। परंतु हकीकत में क्या हुआ? केन्द्रीय सरकार इस राष्ट्रीय क्षति को पूरा करने में असफल रही है। मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को बचाने के लिए तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाए। पश्चिम बंगाल के लोग भी भारतीय हैं। अभी तक उन्हें कोई निधि नहीं दी गई है। सरकार अग्रिम के बारे में बात कर रही है।

महोदय, मुझे समाचार पत्रों में जो छप रहा है उसकी सूचना सभा को देते हुए खेद हो रहा है जिसमें कहा गया है:

"मैं केन्द्रीय योजना सहायता या केन्द्रीय करों का हिस्सा या राज्य सरकारों को मिलने वाली अन्य सहायता दे रहा हूं।"

महोदय, क्या इससे राज्य को सहायता मिलेगी? इससे कभी राज्य को सहायता नहीं मिल सकती। योजना आयोग और वित्त आयोग के मानदण्ड के अनुसार इसके लिए कोई भी शर्त नहीं रखी गई है। ऐसे उपायों से राज्यों की स्थिति में 'अर्थोपाय' प्रावधान की दृष्टि से अस्थायी तौर पर सुधार आता है। इसके अलावा, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

महोदय, सरकार एन.सी.सी.एफ. का गठन करने में नाकामयाब रही है। एन.सी.सी.एफ. पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि इसकी विस्तार से चर्चा करूं। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जिसे इस सभा ने और साथ ही सरकार ने स्वीकार किया है, एन.सी.सी.एफ. के गठन की पर्याप्त संभावनाएं हैं। यह ग्यारहवें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट में कहा गया था। यहां तक कि ग्यारहवें वित्त आयोग के मध्यावधि प्रतिवेदन में भी इस बात का उल्लेख किया था कि एन.सी.सी.एफ. के गठन की विपुल संभावनाएं हैं।

महोदय, संसद का मानसून सत्र का समापन हो चुका है और अब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सरकार के इस निधि की स्थापना की प्रबल संभावनाएं हैं। परंतु मुझे सरकार के रवैये पर शंका है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सरकार की ओर से अक्षम्य देरी हुई है। यह संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है।

[श्री मोइनुल हसन]

महोदय, हम भी खाली नहीं बैठे हैं। पश्चिम बंगाल में पुनर्निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है परन्तु आने वाले समय में पश्चिम बंगाल के लोग केन्द्रीय सरकार को इसके तटस्थ रवैये के लिए माफ नहीं करेंगे।

महोदय, मैं केवल तीन-चार मिनट और बोलना चाहूंगा और मैं इस अवसर का उपयोग एक अन्य आपदा, भूमि कटाव के उल्लेख के लिए करना चाहूंगा। भूमि कटाव की समस्या भारत सरकार के समक्ष पुराना मामला है।

आठ जिलों विशेषकर मुर्शिदाबाद, मालदा और नादिया जिलों में गंगा-पदमा द्वारा भूमि कटाव की समस्या ने लोगों को विस्थापित किया है, लाखों एकड़ की सिंचित भूमि, अधिक जनसंख्या वाले गांवों, शहरों और फलों के बगीचे को नदी ने डुबो दिया। इन क्षेत्रों की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प हो गई है। एक रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग को खतरा है। पूर्वी रेलवे में, एक स्टेशन सकोघाट और नदी के मध्य वर्तमान में केवल 150 मीटर का अंतर है। मुर्शिदाबाद में फाजिलपुर नामक स्थान पर, भागीरथी और पद्मा नदी के मध्य दूरी केवल एक कि.मी. है। पन्द्रह वर्ष पहले यह दूरी 15 कि.मी. थी। वे कभी भी मिल कर एक नदी बन सकती है। यदि ऐसा होता है, तो यह एक दूसरी राष्ट्रीय आपदा होगी। रेलवे स्टेशन और राष्ट्रीय राजमार्ग को खतरा है। यह मांग काफी दिनों से लंबित है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा माना जाए क्योंकि यह राष्ट्रीय नदी के कारण हुई है।

पूर्व में कई विशेषज्ञ समितियां गठित की गई। वित्त आयोग ने सितम्बर, 1996 में गंगा-पद्मा नदी द्वारा मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में कटाव की समसयओं की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की थी ताकि इसके लिए कुछ उपचारात्मक उपायों की सिफारिश की जा सके। समिति ने अपनी दिसम्बर, 1996 में प्रस्तुत रिपोर्ट में, 315 करोड़ रुपये की लागत से अल्पावधि उपायों के अंतर्गत 16 योजनाओं का चयन किया, और 612 करोड़ रुपये की लागत से दीर्घावधि उपायों के अंतर्गत योजनाओं का चयन किया। दसवें वित्त आयोग ने केवल 20 करोड़ ही इस समस्या से निपटने के लिए दिए। ग्यारहवें वित्त आयोग ने कहा:

> ''राज्य ने मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा-पदमा नदी प्रणाली से हो रहे लगातार अपरदन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है और मरम्मत उपाय शुरू करने के लिए अनुदान की मांग की है। हमने इस कार्य के लिए 60 करोड़ रुपये दिए हैं।''

इस कार्य के लिए केवल 60 करोड़ की राशि दी गई। यह काफी कम राशि है। मुझे ग्यारहवें वित्त आयोग के सदस्यों और सभापति से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने पर्याप्त राशि की मांग हेतु ज्ञापन दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी ग्यारहवें वित्त आयोग को ज्ञापन दिया है। हमने चरणबद्ध तरीके से 5.37 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान की मांग की है। ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान निधि की अत्यधिक आवश्यकता थी परंतु यह नहीं दी गई।

भारत सरकार ने पहले ही इस समस्या के समाधान के लिए 75 : 25 की भागीदारी के आधार पर एक योजना की घोषणा की है। राज्य सरकार पहले ही काफी निधि दे चुकी है परंतु भारत सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। ऐसी परिस्थिति में, मैं आपके समक्ष और इस सभा के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि, इस राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए, राष्ट्रीय निधि से राशि दी जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): सभापति महोदय, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में यह सदन गंभीरता से विचार कर रहा है। विभिन्न माननीय सदस्यों ने देश में और अपने प्रदेशों में बाढ़, सूखा तथा प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के बारे में इस सदन में चर्चा की है। सीपीएम के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल का विशेषकर और देश के दूसरे भागों में हुए नुकसान के बारे में अपनी चिंता जताई है।

भारत सरकार से मदद की मांग की है। मैं महसूस करता हूं कि कई माननीय सदस्यों ने ठीक ही कहा कि यह राजनीतिक मसला, राजनीतिक सवाल नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस तरह हाउस में मोबाइल लाने की परमिशन नहीं है। अब अगर आप ले आए हैं तो इसे बंद कर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में बार-बार डायरेक्शन दे चुके हैं कि इसे हाउस में मत लाइए।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): महोदय, ठीक है, हम आगे से नहीं लाएंगे। इसमें भारत सरकार को उदारता पूर्वक मदद करनी चाहिए। जिस समय बंगाल में बाढ़ से भयंकर बर्बादी हुई थी, बाढ़ का प्रकोप हुआ था, उस समय कृषि मंत्री जी बिहार में थे और हम लोगों के साथ थे। इन्होंने पटना से कृषि विभाग के अधिकारियों को बंगाल जाने का निर्देश दिया था और स्वयं पटना से ही प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बंगाल गए थे। वहां की स्थिति को उन्होंने देखा और वहां की गंभीरता को पहचाना था तथा अपनी बातों को भी रखने का काम किया था।

महोदय, हम जिस राज्य से आते हैं वहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, जब कि अन्य राज्यों में तो 10-20-25 वर्ष में कमी आती है। उत्तर-बिहार के प्राय: सभी जिलों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से नुकसान होता है। वहां लगभग 850 करोड़ रुपए की फसल और दूसरी सम्पत्ति की बर्बादी होती रही है। आप इस बात से सहमत होंगे कि हमारे यहां सभी नदियां नेपाल से आती हैं और नेपाल से आने वाली नदियों को राज्य सरकार चाहे, तो भी नहीं रोक सकती है। वहां बांध नहीं बंध सकता। नेपाल सरकार से बात करने के लिए भी राज्य सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जब तक केन्द्र सरकार इन नदियों को बांधने का काम नहीं करेगी, नेपाल सरकार से कारगर ढंग से वार्ता नहीं करेगी तब तक उत्तर-बिहार इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। हम लोग नेपाल की तराई के बगल के रहने वाले हैं। नेपाल के बार्डर से हम लोगों की सीमा जुड़ती है और वहां नदी सीधे पहाड़ से नीचे जमीन पर उतरती है तथा जमीन से उतरते हुए जिस तेजी से जमीन का कटाव करती है, उसे बर्बाद करती है, बाढ़ से क्षति पहुंचाती है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

कृषि मंत्री जी बिहार से आते हैं, वे बिहार की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं। हम सदन के समक्ष इस बात को रखने के लिए खड़े हुए हैं कि हमारे यहां जो इंटरनेशनल रीवर से बिहार की क्षति होती है, इसके लिए भारत सरकार नेपाल सरकार से वार्ता करके कोई ठोस समाधान निकाले और अगर समाधान नहीं निकल सकता तो हमारा जितना भी नुकसान होता है, उसकी भरपाई भारत सरकार को करनी चाहिए।

महोदय, भारत सरकार को इस बात की जवाबदेही लेनी चाहिए कि जब तक हम इस काम को नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बन सकती। हमारे यहां दस लाख हैक्टेयर जमीन में से डेढ़ लाख हैक्टेयर जमीन टाल के इलाके की है। हमारे यहां नौ लाख हैक्टेयर जमीन उत्तर-बिहार और दूसरे इलाकों की है। वे इलाके जल-जमाव से परेशान रहते हैं, क्योंकि वहां हमेशा जल जमाव रहता है। अगर इस दस लाख हैक्टेयर जमीन के पानी को हम बाहर निकालने की व्यवस्था करें तो हमारे इलाके का बहुत बड़ा उपकार होगा। इसके लिए योजना बनानी चाहिए और शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता भारत सरकार को इस काम में देनी चाहिए।

जब तक इस काम को नहीं किया जाएगा तब तक मैं समझता हूं कि बिहार ऊपर नहीं उठ सकेगा। आज बिहार दो भागों में बंट चुका है। झारखंड बन जाने के बाद बिहार के पास कुछ नहीं रह गया है। सारे उद्योग-धंधे, बिजली के कारखाने, कोयला और दूसरी खनिज सम्पदा झारखंड इलाके में चली गयी। केवल हमारा इलाका कृषि पर आधारित रह गया है और नेपाल से हमारी बर्बादी हो रही है। गंगा, कोसी, बारामती आदि कई अन्य नदियां वहां बहती हैं और उनसे हमारी जमीन को भारी नुकसान हो रहा है। बक्सर से लेकर फरक्का तक, मुंगेर और पटना तक का इलाका कटाव से ग्रस्त है। गांव के गांव पानी में चले गये हैं और लोग खाने के लिए दाने-दाने के लिए मोहताज हैं। वहां पर बाढ़ से बचाने का कोई काम नहीं हो रहा है। हम माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहेंगे कि गंगा के इस कटाव को रोकने के लिए भारत सरकार कारगर कदम उठाए। बिहार सरकार के भरोसे हम इस गंभीर काम को नहीं कर सकते हैं। बिहार सरकार से संसाधनों को माननीय कृषि मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि वे कितने हैं।

आज 9 लाख हैक्टेयर उत्तर बिहार की जमीन जो जल-जमाव से प्रभावित है अगर उसे बाढ़ से बचाना है तो केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्य किया जाए। इससे बाढ़ का जनजीवन और रेल से लेकर सब चीजें प्रभावित होती हैं। एक-एक तटबंद पर हजारों परिवार पड़े हुए हैं और प्रतिवर्ष सैंकड़ों लोग इस बाढ़ से मरते हैं। इसलिए कोई ठोस मदद तो सरकार से मिलनी चाहिए लेकिन सरकार से मदद नहीं मिलती है।

कृषि मंत्री जी जानते हैं कि गत् वर्ष भी बाढ़ आई थी। यहां पर बिहार से एक से बढ़कर एक मंत्री बैठे हैं। केन्द्र सरकार से आंध्र को मदद मिली और दूसरे प्रदेशों को भी मिलनी चाहिए तथा साथ ही बिहार को भी मदद मिलनी चाहिए। बिहार की जनता की परेशानी को मिटाने के लिए मैं विशेष रूप से कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि आप यह मत सोचिए कि आप एन.डी.ए. के कृषि मंत्री हैं, आप तो बिहार के नेता हैं तथा बिहार की जनता ने आपको प्यार और बल दिया है, सहयोग दिया है। इसलिए बिहार की जनता की भलाई के लिए आपको दृढ़ता के साथ आगे आना चाहिए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आज तक बिहार के लोगों के साथ जो भेदभाव हुआ है अब वे उसे बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। केन्द्र सरकार को बिहार की लायबिलिटी को भी निभाना चाहिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): माननीय सभापति जी, आज पूरे हिंदुस्तान में बाढ़ और सूखे से जो नुकसान हुआ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने अपने-अपने मंतव्य रखे हैं। यह कितनी विडम्बनापूर्ण स्थिति है कि आजादी के इन 52 वर्षों में किसान ही इस बाढ़ और सूखे से प्रभावित हुआ है। पिछले कई दिनों से हम लोग कृषि और विपणन पर चर्चा करते आ रहे हैं और आज बाढ़ एवं सूखे के मारे हुए किसान को जो नुकसान हुआ है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं।

उसका क्या स्तर है, कैसे उसका समाधान किया जाए? हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा सूखे और बाढ़ से प्रभावित है। इससे बहुत नुकसान हुआ। इस पर बड़ी चर्चा हुई। नुकसान का आकलन हुआ। केन्द्र सरकार ने सहायता दी। केन्द्र सरकार कहती है कि राज्य सरकारें अपने दायित्व का पालन नहीं करती। हमने यहां पर चर्चा

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

की। इसके बाद जो कार्रवाई हुई, उसके प्रति हम लगातार अंधेरे में रहे। 9 अगस्त को बाढ़ से होने वाले नुकसान पर चर्चा हुई।

मेरे पूर्ववर्ती रघुनाथ झा कह रहे थे कि नेपाल से पानी आने पर पूरे उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बहुत भारी नुकसान हुआ। मामला जोर-शोर से उठाया गया। करीबन 20 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद क्या हुआ, आज तक नहीं पता।

मेरा क्षेत्र नेपाल की तराई से लगा क्षेत्र है। नेपाल में कई नई कृषि परियोजनाएं बन रही हैं जिस की बदौलत नदियों की धार को मोड़ा रहा है। इससे बहुत नुकसान हो रहा है। शारदा नदी जिस में 3-4 लाख क्यूसेक पानी निकलता था आज 7-8 लाख क्यूसेक पानी आने लगा है। यह मामला बड़े जोर-शोर से सरकार के समक्ष उठाया गया लेकिन दुर्भाग्य से सूचित करना पड़ता है कि मंत्री जी द्वारा आश्वासन देने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं किया गया और हमें कॉनफिडेंस में नहीं लिया गया। हमें आश्वासन दिया गया था कि भारत सरकार से उच्च स्तरीय डैलिगेशन नेपाल जाएगा और वार्ता करके हालात का समाधान ढूंढेगा। आज तक उसका पता नहीं लगा। नुकसान हर साल बढ़ता जा रहा है। इसके लिए संसद जवाबदेह है। हम जब जनता के सामने जाते हैं तो हमारे पास इसका जवाब नहीं होता। जनता आन्दोलन की स्थिति में पहुंच गई है।

कृषि के विपणन की समस्या है। उनकी फसल बिक नहीं रही है। दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं से जो नुकसान हो रहा है उससे किसान बदतर स्थिति में पहुंच गए हैं। राजकीय सहायता चाहे केन्द्र सरकार से मिले या न मिले और राज्य सरकार अपने प्रयास करे न करे लेकिन मशीनरी की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है चाहे वह उड़ीसा में तूफान का मामला हो या सूखे का मामला हो। जो अधिकारी और कर्मचारी राहत कार्यों में लगे हैं, उनकी कमजोरी के कारण किसानों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसे गौर से देखना होगा।

मेरे संसदीय क्षेत्र का कुछ हिस्सा सूखे से प्रभावित होता है। वहां जल का स्तर नीचे जा रहा है। वाटर शैड मैनेजमेंट की भारत सरकार ने करीब दो योजनाएं स्वीकृत की थी और दो करोड़ रुपया भेजा गया लेकिन आज तक कोई कार्य चालू नहीं हुआ। मुझे पता लगा कि पैसा खर्च हो चुका है। अधिकारियों ने अपने भाई, भतीजों और रिश्तेदारों को एन.जी.ओ. बना कर उनके माध्यम से सारा पैसा निकाल लिया। इससे योजना खटाई में पड़ गई। हमें इस तरफ गौर करना होगा। इसके क्या मायने हैं? चाहे केन्द्र सरकार या राज्य सरकार इसके लिए सहायता देती हो लेकिन इन सभी तंत्रों पर आप गौर करने का कष्ट करें। आप स्वयं किसानों से संबंधित हैं। आशा है आप इस पर गौर करेंगे। किसानों की समस्याओं की तरफ आप ध्यान दें। बाढ़ और सूखे के समय जो राहत कार्य चलते हैं, उसमें जो सरकारी प्रणाली है, शासन तंत्र है, वह कोशिश करे कि सहायता ठीक ढंग से पहुंचे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (कोटा): सभापति महोदय, मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जिसका अकाल से चोलीदामन का साथ है। थोड़ा बहुत अकाल होता है तो चिन्ता व्यक्त नहीं होती। राजस्थान शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है। भौगोलिक दृष्टि से अब राजस्थान मध्य प्रदेश से बड़ा राज्य हो गया है। यह प्रदेश 3 लाख 46 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी आबादी 4.75 करोड़ है। इसका अधिकांश भाग रेगिस्तान कहलाता है जहां पानी की व्यवस्था नहीं है। पिछले तीन साल से वहां लगातार अकाल पड़ रहा है। ऐसा अकाल हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। मेरा क्षेत्र नहरी इलाके वाला है। जब से गांधी सागर बना है, वहां पानी की कमी नहीं रही। इस बांध से मध्य प्रदेश तक को पानी दिया जाता है। पिछले काफी समय से इन सागर में पानी नहीं है। परिणामस्वरूप इस महीने की 30 तारीख से किसानों को पानी नहीं मिलेगा। वहां पलेवा नहीं हुआ। जो फसलें बोईं, वे सारी सूख गई हैं। थोड़ा सा नहरी इलाका गंगानगर में है। उसमें इंदिरा गांधी कैनाल, गंग कैनाल आदि से पानी नहीं मिल रहा है।

अभी चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि बंगाल में बाढ़, मध्य प्रदेश में सूखा जबकि मेरे राज्य में तो दोनों बाढ़ और सूखा हैं। लूणकसर में बाढ़ का पानी आज तक भरा हुआ है जो निकाला नहीं गया है। वहां से लोग निकाले गये। राज्य सरकार से कहा गया कि सेना की सहायता ली जाये लेकिन राजनैतिक मतभेदों के कारण वहां सेना की सहायता नहीं ली गई। बाढ़ के कारण कई बीमारियां फैल रही हैं। कुओं में पानी नहीं है, ट्यूबवैल नीचे बैठ गये हैं, जल देखने को नहीं मिलता। चीते वन क्षेत्र से गांव की ओर आ रहे हैं। शायद एक चीते को प्यास लग रही थी तो जयपुर के एक घर में घुस गया। वहां ऐसी स्थिति बन गई है कि जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

हमारा पश्चिमी राजस्थान पशुधन पर निर्भर है। पिछले साल अकाल के कारण गायें चारा न मिलने के कारण गांव-गांव छोड़कर जा रही थीं जबकि रास्ते में पशुधन मरता दिखाई दे रहा था। गांव के गांव पलायन कर रहे हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं और राजस्थान छोड़कर जा रहे हैं। राजस्थान की दशा शायद पहले कभी ऐसी नहीं बनी। जब हम लोगों ने शोर मचाया कि अकाल के लिए सरकारी नोटिफिकेशन निकाला जाये तो अभी तीन दिन पहले यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। वे लोग तीन महीने से चिल्ला रहे थे कि केन्द्र सरकार पैसा दे जबकि केन्द्र सरकार को यह

ज्ञापन ही 3-4 दिन पहले दिया गया है। मैं श्री दिग्विजय सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां सभी पार्टी के सदस्यों से बातचीत की और वे प्रधानमंत्री जी से मिले, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से बात तक नहीं की। हम स्वयं बी.जे.पी. के सांसद प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि राजस्थान में भयंकर अकाल है, वे अधिक से अधिक सहायता राजस्थान को देंगे। क्या राजस्थान सरकार का कोई कर्तव्य नहीं है?

सभापति महोदय, प्राकृतिक प्रदत्त आपदा का इलाज कोई नहीं है लेकिन जो सरकार प्रदत्त विपत्ति है, उसके लिए क्या कहा जाये? हम किससे कहें कि राजस्थान की यह स्थिति बन रही है? कभी लोग अकाल से मर रहे हैं, कभी पशुधन के लिए चारा नहीं है या कहा जाये: "रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था" राजस्थान सरकार सौन्दर्यीकरण की ओर ध्यान दे रही है।

जयपुर, कोटा और जोधपुर का सौन्दर्यीकरण हो रहा है। नीरो बंसी बजा रहा है। यह स्थिति आज राजस्थान की है।

सभापति महोदय विज्ञप्ति इसलिए नहीं निकाली गई, चूंकि उसके कारण सरकार को कर्जा रोकना पड़ता, इसलिए आज बैंकों की वसूली जबरदस्ती हो रही है। एक प्रकृति प्रदत्त विपत्ति दूसरी सरकार द्वारा प्रदत्त विपत्ति, आज किसानों को सताया जा रहा है। यह स्थिति आज राजस्थान सरकार की हो रही है। आज वहां इतना भीषण अकाल है। बार-बार मंत्रिमंडल से प्रस्ताव हो रहा है, लेकिन आज तक चारे की निकासी पर पाबंदी नहीं लगी है। राजस्थान से चारा बाहर जा रहा है। ग्वार पर पाबंदी नहीं लगी है, ग्वार बाहर जा रही है। वनक्षेत्र जो अकाल में पशुओं के लिए खोला जाता है, वह नहीं खोला गया। हैंड पम्प खराब पड़े हैं। हैंडपम्प ठीक नहीं हो रहे हैं। जो सरकारी सहायता जा रही है उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि पिछले तीन सालों में 1998-99 में हमारे 20 जिले प्रभावित थे, वर्ष 1999-2000 में 26 जिले प्रभावित थे। अभी माननीय चतुर्वेदी जी बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में 45 में से 37 जिले प्रभावित हैं। लेकिन हमारे यहां 31 जिलों में से 31 जिले प्रभावित हैं और यदि इनमें टोटल जोड़ा जाए तो हमारी इस साल की क्षति 3248 करोड़ रुपये की है। यदि प्रति वर्ष में जोड़े तो 1999-2000 में 2155 करोड़ रुपये, 1998-99 में 2283 करोड़ की क्षति प्रति वर्ष हो रही है। इस क्षति का जो फल निकला है वह यह है कि आज वहां की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। अब तक लोग भूखे मरते थे, लेकिन आज प्यासे मरने की स्थिति में आ गये हैं। तीनों सालों की क्षति को मिलाकर देखें तो 9533 करोड़ की क्षति हुई है और इन वर्षों में भी किसान की फसल समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी जा रही है। कुछ ही दिनों पहले माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि हमने सरकारों से कहा है कि आप समर्थन मूल्य पर खरीद करो, कांटे लगाओ, जो घाटा होगा उसकी भरपाई केन्द्र सरकार करेगी। परंतु राजस्थान में कहीं समर्थन मूल्य पर खरीदारी नहीं हो रही है। इस तरह किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। राज्य सरकार ने 1900 करोड़ रुपये की मांग की थी, अब 2300 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं। वर्ष 1999-2000 में सी.आर.एफ. में 207 करोड़ रुपये मिले थे, एन.एफ.सी.आर. में 21 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सहायता में विशेष सहायता में 102 करोड़ रुपये मिले थे, इस तरह से कुल मिलाकर 332 करोड़ लिये थे और इसमें रेलवे वैगन्स वगैरह अलग हैं। अब यदि इसका ब्याज जोड़ा जाए तो 73 लाख रुपये होता है। राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि 73 लाख रुपये ब्याज कमाने की है। केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में 751 करोड़ आबंटित हुए थे। जिसमें से 586 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और 205 करोड़ रुपये केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं का बाकी है और सी.आर.एफ. के 105 करोड़ रुपये अलग से हैं।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रघुवीर सिंह कौशल: सभापति महोदय, मैं उस प्रदेश से आया हूं जिसमें भयंकर अकाल है। यदि मैं थोड़ा सा भी नहीं बोल पाया तो मेरे प्रदेश की जनता कहेगी कि मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया। मैं आपसे केवल दो मिनट लेना चाहूंगा। श्री सोनाराम जी बैठे हैं, वे सब बातों का जवाब देंगे। चूंकि मन से वे भी जानते हैं कि वहां यही सब हो रहा है जो मैं कह रहा हूं। यहां कहने के लिए वह कुछ भी बोल दें, लेकिन उनकी आत्मा रो रही है, क्योंकि वह प्रदेश के उसी हिस्से से हैं जहां भयंकर अकाल है।

सभापति महोदय: आप आसंदी को संबोधित करिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल: मैं यही निवेदन करना चाह रहा था कि आज कैसी स्थिति आ गई है। हम पूछते हैं कि पिछली बार काम कहां हुए, स्थायी काम कितने हुए, कहां कितने पैसे लगे। जो सूचना का अधिकार है, उसके अंतर्गत कोई हमें यह बताने को तैयार नहीं हैं कि स्थायी काम वहां हुए हैं। ये नहीं हुए हैं। इसलिए राजस्थान सरकार को जो केन्द्र सरकार का पैसा जाता है, वह भी अकाल के समय में खर्च नहीं हुआ। महोदय, हमें बतायें कि प्रकृति प्रदत्त विपत्ति तो हम भुगत लेते, लेकिन सरकार द्वारा जो विपत्ति पैदा की जाती है उसका क्या होगा।

सायं 7.00 बजे

केन्द्र से त्वरित पेयजल योजना और डीडीपी का पैसा गया। 54 करोड़ रुपया पिछले साल का खर्च नहीं हुआ। यह लैप्स होना

[श्री रघुवीर सिंह कौशल]

चाहिए था लेकिन केन्द्र सरकार ने कृपापूर्वक उसको रीन्यू कर दिया। वह पैसा खर्च नहीं हुआ और फिर आ गए कि 105 करोड़ रुपये की पहली किस्त दे दीजिए। इन्होंने कहा कि अभी तो पहले का पैसा भी खर्च नहीं हुआ तो इन्होंने कहा कि हमारे यहां विशेष परिस्थिति है। केन्द्र ने वह पैसा भी दे दिया। फिर आ गए कि दूसरी किस्त दे दीजिए। केन्द्र ने कहा कि पहली किस्त का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लाइए तो कहने लगे कि हमारे यहां विशेष परिस्थिति है और फिर 110 करोड़ रुपए ले गए। इस समय मंजूरी हुई है सिर्फ 15 करोड़ रुपये की लेकिन अभी तक काम की स्वीकृति ही हुई है और काम नहीं हुआ है। सवाल यह है कि जो पैसा केन्द्र का जाता है इसका उपयोग हो रहा है या नहीं और काम हो यह देखना किसका काम है। केन्द्र सरकार से हम कहते हैं तो केन्द्र सरकार कहती है कि मॉनीटरिंग करने का अधिकार हमें नहीं है, जब सी.ए.जी. की रिपोर्ट आएगी, तब देखेंगे। तब तक तो जानवर मर गए होंगे, आदमी भूखे मर गए होंगे, तब क्या होगा। जैसा पर्यावरण के लिए न्यायालय में जाना पड़ता है क्या वैसे ही हमें भी न्यायालय में जाना होगा? क्योंकि हर व्यक्ति का हक है कि सरकार उसको पेयजल उपलब्ध कराए। मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार को भी इस विषय पर विचार करना चाहिए, जैसा चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस पर सोचा जाए। आज टेलीफोन और कम्यूनिकेशन के क्षेत्र में 13000 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। यदि यह पैसा इन क्षेत्रों में खर्च किया जाता तो शायद हमें राहत मिलती। ऐसी योजनाएं बनें जो परमानेन्ट राहत दे सकें तो उससे कल्याण होगा, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए संगमा (तुरा): माननीय सभापति महोदय, आरंभ में, मैं अपने वरिष्ठ आदरणीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी का इस चर्चा को आसान बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह चर्चा इस कारण संभव हो पाई वे क्योंकि उन्होंने और पश्चिम बंगाल के उनके सहयोगियों ने 'शून्य काल' में इस मामले को उठाया था।

मैं यह कहना चाहता हूं कि संपूर्ण सभा पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ है। पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ सचमुच अभूतपूर्व है। लोग इससे प्रभावित हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार को यथासंभव अधिक से अधिक सहायता पहुंचाएं ताकि लोगों की तकलीफों को कम किया जा सके।

हमें स्वतंत्रता प्राप्त किए 50 वर्ष से अधिक हो गये हैं। हमने आठ पांच वर्षीय योजनाएं पूरी की हैं। आज हम नौवीं पंचवर्षीय योजना के समापन पर हैं और जल्द ही हम दसवीं पंचवर्षीय योजना आरंभ करने जा रहे हैं। हमने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई है। हाल ही की जुलाई, 2000 की राष्ट्रीय कृषि नीति में एक अध्याय जोखिम प्रबंधन के बारे में है जो बाढ़ की स्थिति से निपटने के संबंध में है। हमारे देश में, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, कई जल संसाधन प्रबंधन संस्थाएं हैं, जिनमें बाढ़ नियंत्रण भी शामिल है। हमारे यहां 1982 से राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी कार्यरत है।

फिर भी, हमें सतत बाढ़ की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इससे जन हानि, पशु धन हानि, आधारभूत संरचना छिन्न-भिन्न हो जाती है और भूमि कटाव जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है।

ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास इससे निपटने की नीति है। हमारे पास योजना है और फिर भी, हम इस समस्या को सुलझाने में असफल हुए हैं। शायद, इसका एक कारण यह है कि पिछले 50 सालों से हम इस समस्या से वर्ष दर वर्ष आधार पर निपटते रहे। अब हम स्वयं को आपात प्रबंधन कार्य में अभी उलझा रहे हैं। इस मामले पर संसद में प्रति वर्ष चर्चा होती है और जब इस गंभीर मामले पर चर्चा हो रही है, तो हम यह देख सकते हैं कि सभा में कितनी उपस्थिति है। इस मामले से सदैव कृषि मंत्री ही निपटते हैं। मुझे पता नहीं है कि बाढ़ और अन्य राष्ट्रीय आपदाओं को रोकने के लिए कृषि मंत्री क्या कर सकते हैं? संबंधित मंत्रीगण यहाँ उपस्थित नहीं हैं। संबंधित मंत्रीगण वाद-विवाद को नहीं सुन रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि अंतिम समय में श्री अर्जुन सेठी आए हैं क्योंकि मेरे भाषण को श्री नीतीश कुमार से कुछ लेना-देना नहीं है। मेरे भाषण का संबंध आपके मंत्रालय से है।

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): मैं दूसरी सभा में व्यस्त था।

श्री पूर्णो ए संगमा: वित्त मंत्रालय संबंधित मंत्रालय है किन्तु वित्त मंत्री ऐसे वाद-विवाद के दौरान भी उपस्थित नही रहेंगे। इसलिए मैं सोचता हूं कि सिर्फ सरकार के स्तर पर ही नहीं बल्कि स्वयं संसद के स्तर पर भी हमें इस मुद्दे पर इस प्रकार से चर्चा करनी होगी ताकि सभी संबंधित मंत्री यहां उपस्थित रहें तथा सरकार एक दीर्घावधि नीति एवं योजना के साथ आए।

इस समस्या को प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं सुलझाये जाने का संभवत: दूसरा कारण स्वयं संविधान के साथ जुड़ा हुआ है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत अंतर्राज्यीय नदियां संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। जल, सिंचाई, नहरें, जलनिकास और बांध राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जल विकास समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अंतत:, जल व्यवस्था किसी के अंतर्गत नहीं आता है। मैं सोचता हूं कि हमें यह विचार करना होगा कि स्वयं

जल स्रोतों के प्रबंधन के तरीके में ही तो कहीं कोई त्रुटि नहीं है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती रहती है जैसे कि भारत के कई भागों में इस वर्ष आयी हुई है। देश के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्यों के द्वारा यह बात बड़े ही जोरदार ढंग से उठायी गयी है। श्री सोमनाथ चटर्जी ने हमें इसका एक विस्तृत ब्यौरा दिया है। किन्तु हम जब इस पर चर्चा करते हैं तो क्या देखते हैं? जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो प्राय: प्रभावित राज्यों के सदस्य केन्द्र सरकार पर यह कहते हुए दोषारोपण करते हैं कि उनके राज्यों की उपेक्षा की गयी है और केन्द्र सरकार ने उन्हें कोई सहायता नहीं दी है। और केन्द्र सरकार क्या कहती है? वे कहते हैं कि राज्य सरकारों ने इसके लिए समुचित व्यवस्था नहीं की है। श्री सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि बंगाल की बाढ़ मानव-निर्मित बाढ़ थी। यह उनका बचाव पक्ष है। यह केन्द्र सरकार का बचाव पक्ष है। और केन्द्र सरकार का कहना है कि यद्यपि यह आपकी असफलता थी, हम एक केन्द्रीय दल भेज रहे हैं। केन्द्रीय दल वहां जाता है, क्षति का एक ब्यौरा तैयार करते हैं, लौटते हैं और श्री नीतीश कुमार को एक रिपोर्ट सौंपते हैं।

श्री नीतीश कुमार वित्त मंत्री के पास जाते हैं। वित्त मंत्री कहते हैं: ''बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी रिपोर्ट यहां रहने दें। मैं कुछ नहीं कर सकता।'' प्रतिवर्ष यह मामला ऐसे ही समाप्त हो जाता है। मैं इसके बारे में जानता हूं। मैं स्वयं मुख्यमंत्री रह चुका हूं। उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। प्रतिवर्ष वहां प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप रहता है। जब मैं वहां का मुख्यमंत्री था तब केन्द्र के पास आता रहता था। मैं जानता हूं कि केन्द्र सरकार किस प्रकार कार्य करती है तथा पैसे कैसे आते हैं। यह बहुत दु:खद स्थिति है। इसलिए, मैं सोचता हूँ कि हमें जल-व्यवस्था की वास्तविक नीति को ध्यान में रखना होगा। जल व्यवस्था की वास्तविक नीति की बहुत गहराई में जाना होगा।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। किन्तु मुझे उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के बारे में कुछ कहना है। जैसाकि सभा को ज्ञात है, उत्तर पूर्व में सात राज्य हैं। छ: नदी-घाटियां हैं। पहली-ब्रह्मपुत्र नदी घाटी; दूसरी-बराक नदी घाटी; तीसरी-त्रिपुरा की नदी उपघाटी; चौथी-इम्फाल-मणिपुरी नदी घाटी; पांचवीं-मिजोरम में कोलोडाइन नदी घाटी; छठवीं-नागालैंड में तेजा नदी घाटी। उत्तर-पूर्व के सभी राज्य बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित होते रहते हैं। किंतु वह राज्य जो ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ से सबसे अधिक तबाह होता है, असम है।

जैसा कि सभा को ज्ञात है, ब्रह्मपुत्र नदी संसार की सबसे लम्बी नदियों में से एक है। यह गंगा-मेघना-ब्रह्मपुत्र नदी व्यवस्था की प्रमुख शाखिका है। इसकी लम्बाई तिब्बत में 1,629 कि.मी., अरुणाचल प्रदेश में 278 कि.मी., असम में 640 कि.मी., और बंगलादेश में 363 कि.मी. है। ब्रह्मपुत्र नदी का कुल वार्षिक बहाव 500 बिलियन क्यूबिक मीटर है जो देश की सभी नदियों के कुल भूपृष्ठ बहाव का 30 प्रतिशत है। यदि किसी को उस समस्या को समझना है जिससे असम के लोग ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जूझ रहे हैं तो उसे स्वयं वहां जाकर देखना होगा। अन्यथा, वह विश्वास नहीं कर सकता। वहां के लोगों का दु:ख इतना अधिक है कि अगर आप स्वयं वहाँ नहीं जाते, लोगों की अवस्था को नहीं देखते और उनसे बात नहीं करते तो उनके द्वारा झेले जा रहे दु:खों का मूल्यांकन करना बहुत ही कठिन है। विगत कुछ महीनों में, मैं असम राज्य का दौरा करता रहा हूं, कभी-कभी बहुत व्यापक रूप से। मैं डिब्रूगढ़ गया हूं। वहां रहा हूं। डिब्रूगढ़ में मैंने पढ़ाई की है और मैंने वहाँ काम भी किया है। मूल डिब्रूगढ़ शहर अब नहीं है। वह नदी में समा चुका है। एक नया शहर अस्तित्व में आया है। यहां तक कि इस नये डिब्रूगढ़ शहर पर इतना खतरा है कि चाय की खेती वाली हजारों एकड़ जमीन प्रभावित हो रही है। मेडिकल कालेज और हवाई अड्डे को कटाव का शिकार होने का गम्भीर खतरा है। मैं जोरहाट और निमोटीघाट नामक स्थान पर भी गया था। मैंने कैम्प में रह रहे उन सैकड़ों शरणार्थियों को देखा जिनका पूरा गांव ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बहाया जा चुका था। मैं वहां था। यह घटना घट चुकी थी मैं मोरीगांव जिले में था, मैं मोयराबरी, लाहोरीघाट, उलुबरी, चुटियागांव, तेंगगुरी, बालीडंगा, बुडागांव, निज-सहरिया, बारालिमोरी-मोयोंग आदि स्थानों पर गया।

यह बहुत दु:खद है। गत दो या तीन सालों में 356 गांव बह चुके हैं। अब वे अस्तित्व में नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मेरे जन्मस्थान तेजपुर की तरह।

श्री पूर्णो ए. संगमा: इस प्रकार ये गांव अब बिल्कुल अस्तित्व में नहीं हैं। किन्तु जब मैं लोगों से मिला और उनसे बात की तो उन लोगों ने एक बहुत ही मजेदार बात बतायी। उन लोगों ने कहा-''महोदय, आप बाढ़ों के बारे में परेशान न हों। जल के साथ कैसे रहा जाता है हमने सीख लिया है।'' इसलिए बाढ़ अब कोई समस्या नहीं है। बल्कि समस्या भूमि-कटाव की है। गांवों की सुरक्षा कैसे की जाय? यही समस्या है जिसका समाधान जरूरी है। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत दी जाय, बाढ़ आती है या नहीं, हम शरण पाते हैं या नहीं, इन मामलों में हम युगों-युगों से अभ्यस्त हो चुके हैं। हम अपने लिए शरण और भोजन के संबंध में परेशान नहीं हैं, हम आपने गांवों के लिए परेशान हैं। कृपया हमारे गांवों को बचाइये।

मैं धुब्री शहर में मोतीचर गया। मैं सलिसवार, बालीजोरा, सोनारी, गोआलपाड़ा जिले के गोआलपाड़ा शहर गया और वहां भी

[श्री पूर्णो ए. संगमा]

वही स्थिति पायी। मैं जानता हूं कि भारत सरकार इस ओर बहुत दिलचस्पी दिखाती आयी है। सन् 1980 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया गया है। अभी वर्ष 2000 चल रहा है। बीस साल बीत चुके हैं। इन बीस सालों में क्या हुआ है? मेरे पास रिपोर्ट है–वाटर विजन फॉर द नार्थ-ईस्ट-2050। यहाँ, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अध्यक्ष कहते हैं कि 48 महत्वपूर्ण नदी घाटियों हेतु मास्टर प्लान, 33 जल-अपवाह क्षेत्रों की पहचान तथा 17 बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की संभाव्यता हेतु छानबीन की जा चुकी है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण बोर्ड द्वारा राज्य सरकार से सम्पर्क के तहत किया जा सकता है; इसका अर्थ यह है कि अभी तक इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया गया है। इसीलिए वे अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि उन परियोजनाओं को कौन कार्यान्वित करेगा।

मास्टर प्लान-I बहुत ही दिलचस्प है। मास्टर प्लान-I ब्रह्मपुत्र के मुख्य बांध से संबंधित बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं एवं स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित है। इस परियोजना पर आने वाला खर्च 91,000 करोड़ रुपया है। मैं नहीं जानता हूं कि इस देश के वित्त मंत्री ने कभी इस राशि को देखने की भी हिम्मत की होगी।

मास्टर प्लान-II का संबंध बराक नदी तथा इसके तटबंधों से है। इस पर प्रस्तावित खर्च 4,000 करोड़ रुपये है। मास्टर प्लान-III का संबंध ब्रह्मपुत्र की 39 मुख्य सहायक नदियों और त्रिपुरा की आठ नदियों से है तथा बाकी सब भी इसी प्रकार के हैं। बहुत सारे प्रस्ताव–मैं सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, मेरे पास सब कुछ हैं–वे सी.सी.ई.ए.। आर्थिक मामलों संबंधी कैबिनेट समिति के पास पड़े हैं। मैं सोचता हूं, मैं उन कागजातों को सुपुर्द कर दूंगा। संभवत: संबंधित मंत्री से मैं चर्चा करूंगा।

महोदय, इस बीच में मैं दो मिनट समय और लूंगा क्योंकि सभा को यह जानना जरूरी है कि–मैं कह रहा था कि जिस किसी को इस समस्या को समझना है और इसका मूल्यांकन करना है उसे वहां जाना पड़ेगा। क्या घटित हो रहा है इसकी मैंने सिर्फ एक झांकी प्रस्तुत की है। मैं 1988 के आंकड़ों को लेता हूं क्योंकि मंत्रालय में उपलब्ध नवीनतम आंकड़े ये ही हैं। मंत्री महोदय, यह आपका कागजात है। सौभाग्य से, मैंने आपके कुछ अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने मेरे पास ये कागजात भेजे। ये कागजात स्वयं मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। सिर्फ वर्ष 1988 में प्रभावित लोगों की संख्या 10.49 मिलियन है, फसलों को हुई क्षति 334.10 करोड़ रुपये, मकानों को हुई क्षति 225 करोड़ रुपये के बराबर तथा 232 मौतें हुई हैं। यह एक वर्ष के आंकड़े हैं। क्या किया गया है? मैं इसे उद्धृत करना नहीं चाहता। यदि मैं ब्रह्मपुत्र नदी के नियंत्रण पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गयी राशि को उद्धृत करूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह असम की जनता को इतना अधिक हतोत्साहित करेगी कि मुझमें उन आंकड़ों को उद्धृत करने का साहस नहीं है।

महोदय, यह समय है कि हम जागें और हमारे पास लघु अवधि योजना, मध्यम अवधि योजना तथा दीर्घावधि योजना हों। वास्तव में, योजनाओं की कमी नहीं है, योजनाएं बनायी जा रही हैं; किन्तु जिस चीज की आवश्यकता है वह संसाधन है, इस कार्य को करने की सरकार की इच्छाशक्ति है। मैं जानता हूं कि धनस्रोत की कमी है। मैं लम्बे समय तक सरकार में रहा हूं। मैं इसको स्वीकार करता हूं। किन्तु जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। मैं आशा करता हूं कि इस सरकार के पास ऐसी चाह है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढे (अमरावती): माननीय सभापति महोदय, आज देश के कुछ गिने-चुने राज्यों को छोड़कर बाकी सारे राज्य विशेषतया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सूखे की चपेट में आये हुए हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तो गत 3-4 वर्ष से लगातार सूखा पड़ रहा है।

मध्य प्रदेश के चतुर्वेदी जी यहां बोल रहे थे तो यहां पर बात हो रही थी कि हमें राजनैतिक चश्मा लगाकर इस समस्या को नहीं देखना चाहिए। जब ये सत्ता पक्ष में थे, तब भी यही बात कहते थे और अब ये विरोधी पक्ष में हैं तो भी इन्होंने यही बात कही है। लेकिन पिछले 50 सालों में उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं किया। महाराष्ट्र में विदर्भ ऐसा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में सारी फसलें होती हैं। वहां गन्ना होता है, संतरा होता है, कपास होती है, चना होता है, लेकिन विदर्भ की तरफ सरकार की तरफ से कभी ध्यान नहीं दिया गया। विदर्भ में जो संतरा होता है, वह दुनिया के कई देशों में विदर्भ का संतरा जाता है। लेकिन लगातार कभी ज्यादा पानी की वजह से, कभी कम पानी की वजह से और अगर कभी पानी अच्छा आया तो किसी रोग की वजह से हर साल संतरे की फसल खराब हो जाती है, हर साल कपास की फसल खराब हो जाती है। इस साल तो ऐसी परिस्थिति आई है कि खरीफ और रबी की दोनों की दोनों फसलें वहां पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। इतना होने के बावजूद ही राज्य सरकार ने विदर्भ में अकाल घोषित किया है। विदर्भ को दुष्कालग्रस्त तो घोषित किया है, लेकिन कोई भी मदद राज्य सरकार से नहीं मिली है। राज्य सरकार का इस संबंध में रोल यह रहा है कि मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट हो या नहीं हो, लेकिन एक स्टेटमेंट रोज रहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी तिजोरी खाली हो गई है।

पिछली बार महाराष्ट्र में 1997 में ऐसा ही अकाल पड़ा था। तब कम बारिश के कारण बीज ऊपर नहीं आ सके और फसल बेकार हो गई तो उस वक्त जो महाराष्ट्र की सरकार थी, उस वक्त

महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों को लगातार सैण्ट्रल गवर्नमेंट से, केन्द्र सरकार से कोई भी मदद न लेते हुए किसानों की नकदी में काफी मदद की और वहां किसानों को बीज दिये गये। जिनकी खरीफ की फसल खराब हो गई, उनको रबी की फसल में मदद मिली। लेकिन उसके बाद आज यह इलाका दुष्कालग्रस्त होने के बाद भी पूरे विदर्भ के किसानों के पीछे कोई खड़ा नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): यह केन्द्र सरकार को देनी चाहिए, भारत सरकार के पास पैसे की कठिनाई नहीं है।

श्री अनंत गुढे (अमरावती): ऐसी बात है कि अगर दिल से मदद करनी है, किसानों के लिए कुछ करना है तो सन् 1997 की सरकार की तरह मदद करनी चाहिए। तब 200 रुपये प्रति हैक्टेयर की मदद के नियम को सरकार ने अलग रख दिया और एक हजार रुपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से मदद की।

दो एकड़ का वहां कंट्रोल था, उसे पांच एकड़ तक बढ़ा दिया। किसानों को बीज दिया, खाद दी और नकद पैसा दिया। इससे वहां के किसान अच्छी तरह से फसल पैदा कर सके। यह सब तब हुआ, जब देने की इच्छा हो, दिल हो। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार कुछ भी देने को तैयार नहीं है। इस कारण वहां आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जब पहले किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या की थी तो उनके परिवार वालों को एक-एक लाख रुपया मुआवजा दिया गया था। आज महाराष्ट्र में, विदर्भ में और मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या कर रहा है तो एक पैसे की मदद भी राज्य सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। इसका सीधा अर्थ है कि राज्य सरकार का ध्यान किसानों की तरफ नहीं है। वह केवल अमीरों की तरफ ही देखती है। इस बात का पता हमारे विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र से चलता है। वहां धान से लेकर कपास तक सारी फसलें नष्ट हो गई हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, गुजरात के माननीय सदस्यों को अनुमति दी जानी चाहिए *...(व्यवधान)* चाहे सदस्य किसी भी पक्ष से हों। अन्यथा मैं सभा से बहिर्गमन करने को विवश हो जाऊंगा *...(व्यवधान)* मैं इसके प्रति बहुत गम्भीर हूं।

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका): हम रात के आठ बजे तक बैठने को तैयार हैं, लेकिन गुजरात के सूखे पर बोलने के लिए हमें भी मौका दिया जाए।

श्री अनंत गुढे (अमरावती): केन्द्र सरकार ने जैसे पहले अकाल से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की एक समिति बनाई थी, मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि जो हर साल आने वाला सूखा है सरकार उस पर ध्यान देकर यहां से मदद भेजे। राज्य के कई डैमों के प्रस्ताव यहां लम्बित हैं, उनका निपटारा शीघ्र हो। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार तो सूखे से निपटने के लिए कुछ नहीं कर रही, अगर यहां से भी कोई राहत नहीं दी गई तो विदर्भ के किसानों के पास रोज आत्महत्या करने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं बाढ़ और सूखा के कारण हुई हानि और क्षति की चर्चा में नियम 193 के अधीन भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने को क्षुद्र राजनीतिक विवाद से अलग रखूंगा और इस वाद-विवाद से कोई राजनीतिक फायदा नहीं लूंगा। अनेकों राजनीतिक दिग्गज हैं जो कि पहले ही प्रभावशाली तरीके से अपने तर्क रख चुके हैं। मैं उसमें केवल कुछ पंक्तियां जोड़ना चाहता हूं।

राजनीति का अर्थ प्रभावित लोगों के साथ खिलवाड़ करना या केवल वाकछल, धोखा और सांख्यिकीय आंकड़ों के द्वारा उनकी आंख में धूल झोकना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यही उपयुक्त अवसर है। जबकि उन आपदाओं के बारे में विचार किया जाए जो नियमित रूप से जानमाल को नुकसान पहुंचाती हैं। पारिस्थितिकीय संतुलन पूर्णत: गड़बड़ हो गया है। पहाड़ियों का अनाच्छादन जारी है। इससे भूमि का कटाव होता है जिसका परिणाम यह होता है कि नदी तल में बहुत अधिक गाद जा रहा है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने का यही कारण है।

महोदय, मैं समझता हूं कि यह समझदारी होगी यदि मैं अपने को सामान्यत: पश्चिम बंगाल में आने वाली बाढ़ और विशेषकर सर्वाधिक प्रभावित जिला मुर्शिदाबाद की बात तक सीमित रखूं। महोदय इस वर्ष पश्चिम बंगाल के नौ जिले बाढ़ की चपेट में आए, इससे दो करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, पश्चिम बंगाल का 23756 वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है; 15110 वर्ग किलोमीटर का फसल क्षेत्र बाढ़ में डूब गया है; 18.87 लाख घर क्षतिग्रस्त हुए हैं; और 171 ब्लाक और 68 नगरपालिकाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। लेकिन अब, मेरे राज्य के लोग यह सोच रहे हैं कि केन्द्र सरकार उनके कष्टों और दु:खों का ध्यान नहीं दे रही है, जिसके लिए वे पात्र हैं तथा जिसके वे हकदार हैं।

महोदय, हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जब एक बार पानी घट जाता है तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार एक दूसरे

[श्री अधीर चौधरी]

पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में व्यस्त हो जाती हैं। राज्य सरकार यह जिम्मेदारी सदैव केन्द्र सरकार के कन्धे पर डालती है और केन्द्र सरकार भी यह कार्य बड़ी चालाकी से करती है। लेकिन ऐसी स्थिति में आज हमारे राज्य के लोग घोर कष्ट के बवंडर में फंसे हैं। वे अवर्णनीय कष्ट और घोर विपत्ति में फंसे हैं। महोदय, मुझे केन्द्र सरकार से उदारतापूर्वक सहयोग मिलना चाहिए क्योंकि हमारे राज्य की बाढ़ की स्थिति पहले ही राष्ट्रीय स्तर के आयाम पर पहुंच चुकी है। इसलिए इस पर राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, सबसे निन्दनीय बात यह है कि जब मेरे राज्य के लाखों लोग बेघर हो गये हैं, शरण के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, लाखों पुरुष और स्त्रियां अपने पशुओं के साथ बड़ी तंगी में रह रहे हैं, एवं उनके पास अपने को धूप एवं वर्षा से बचाने के लिए एक तिरपाल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री ज्योति बसु ने राज्य के लोगों से कहा कि यह ईश्वर द्वारा किया गया है, उससे प्रार्थना करो। इसके बाद उन्होंने प्रवास पर जाना अधिक उचित समझा।.....*

महोदय, आज यह बहस माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी जी द्वारा शुरू की गई थी। *...(व्यवधान)*

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): सभापति महोदय, वह सभा में उपस्थित नहीं हैं। वह उनका नाम क्यों ले रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री अधीर चौधरी: महोदय, वास्तव में मेरे राज्य में बाढ़ की शुरुआत उनके निर्वाचन क्षेत्र से शुरु हुई थी, जो कि बीरभूमि जिले में आता है और यहां भी उन्होंने बहस की शुरुआत की थी। अत: यह एक अच्छा संयोग है।

महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार अपनी पूरी ऊर्जा लोगों को विश्वास दिलाने के लिए खर्च कर रही है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री अधीर चौधरी: मेरा जिला, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल का सर्वाधिक प्रभावित जिला है। अत:, कृपया मुझे बोलने का अवसर दिया जाए।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री अधीर चौधरी: मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा। राज्य सरकार हमें यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर रही है कि अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ आई है। लेकिन आप तालिका देखें। मैं आप को तालिका दिखाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, उनके द्वारा की गई टिप्पणी को रिकार्ड से निकाल दिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया, अब समाप्त करें।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, यह क्या है? मेरा अधिकार इस तरह नहीं छीना जाना चाहिए। मेरा जिला राज्य का सबसे अधिक प्रभावित जिला है। मैं केवल दो या तीन मिनट का समय लूंगा। कृपया मुझे दो या तीन मिनट का और समय दें।

सभापति महोदय: अन्य सदस्यों को भी अपनी बात रखनी है।

श्री अधीर चौधरी: मैं केवल दो मिनट के लिए अनुरोध कर रहा हूं।

सभापति महोदय: नहीं।

श्री अधीर चौधरी: मैं आपसे दो मिनट का अनुरोध कर रहा हूं। राज्य में सबसे अधिक मेरा जिला प्रभावित हुआ है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें। अब आपकी बात समाप्त हुई। मैं आपको दो मिनट की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री अधीर चौधरी: क्या मैं केन्द्र सरकार से दो प्रश्न पूछ सकता हूं? प्रीतम सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए वे और कितना समय लेंगे? केशकर समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए वे और कितना समय लेंगे? इसका संबंध तो हमारे बाढ़ग्रस्त राज्य से है। हम पर दोनों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब, श्री नवल किशोर राय।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह कार्यवाही वृत्तांत में भी शामिल नहीं किया जाएगा। यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सायं 7.37 बजे

इस समय, श्री अधीर चौधरी सभा भवन से बाहर चले गए

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): महोदय, मैं नियम 193 के अंतर्गत बाढ़ एवं सुखाड़ पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हुआ हूं। अभी सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपनी राय रखी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: केवल नवल किशोर राय जी जो बोल रहे हैं वही रिकार्ड में जाएगा, अन्य कुछ नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री नवल किशोर राय: महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने बाढ़ और सूखे के बारे में अपने विचार रखे हैं, मैं उनसे अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आपके माध्यम से सरकार और सदन के सामने संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। जब-जब सत्र आता है तो हम संसद में आते हैं और बाढ़ एवं सूखे पर रस्मी तौर पर चर्चा करते हैं। हम कब तक इस प्रकार चर्चा करते रहेंगे। इसके स्थायी समाधान के लिए 50 सालों में कभी भी गंभीरता से नहीं सोचा गया है। चाहे तमिलनाडु हो, पांडीचेरी के तट का तूफान हो, बंगाल की, बिहार की बाढ़ हो या गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सूखे की बात हो, जब तक जल प्रबंधन पर ठीक से एक दीर्घकालीन योजना को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा तब तक हम इसी प्रकार से चर्चा करते रहेंगे।

महोदय, बिहार के बारे में हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहते हैं। हम उत्तर-बिहार से आते हैं, वहां लोग बाढ़ से बहुत परेशान रहते हैं। वहां करोड़ों रुपये की क्षति होती है और जानमाल की बर्बादी होती है। इस वर्ष भी कृषि मंत्री जी हमारे संसदीय क्षेत्र सीतामढ़ी में आए थे और बाढ़ का सर्वेक्षण किया था। अभी हमारे राजस्थान के माननीय सदस्य बता रहे थे कि उनका प्रदेश सूखे और बाढ़ से ग्रस्त है। उत्तर-बिहार एक तरफ तो बाढ़ से बिल्कुल बर्बाद रहता है, कुछ मध्य-बिहार का क्षेत्र है, जहां सूखे का प्रकोप रहता है और तीसरा टाल क्षेत्र है, जहां डेढ़ लाख हैक्टेयर से अधिक जमीन पर जल जमाव रहता है। इस कारण से वहां लोग बहुत परेशान रहते हैं।

परन्तु हम जो निदान चाहते हैं वह संभव नहीं होता है। पिचले 50 वर्षों से बिहार के लोग सवाल उठाते रहे हैं और यहां हम संसद में भी इस पर चर्चा करते रहे हैं कि नेपाल सरकार से चर्चा करके इसका स्थायी समाधान निकाला जाए। जब यह सरकार बनी तो हमें आशा जगी और इस पर चर्चा भी शुरू हुई। हमारे प्रधान मंत्री जी और नेपाल के प्रधान मंत्री जी के बीच वार्चा हुई। उसके बाद हमें पता चला कि यहां से एक उच्च-स्तरीय टीम वार्ता के लिए जाने वाली है। हमने मांग की कि पीड़ित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाए लेकिन हमें उसमें शामिल नहीं किया गया। प्रधान मंत्री जी के सलाहकार श्री बृजेश मिश्रा जी वार्ता करने गये थे और फिर सचिव-स्तर की वार्ता की जानकारी हमें मिली। जिसमें बिहार के जल-संसाधन सचिव को भी शामिल किया गया और वार्ता हुई। परन्तु जल संसाधन सचिव से सम्पर्क करने की जब हमने कोशिश की तो हमें मालूम हुआ और आज मंत्री जी और सचिव महोदय भी बैठे हुए हैं, उनसे मालूम हुआ कि वर्षों से जो अधवारा समूह की 13 नदियों पर रामनगर-रमैया में एक मझौला डैम बनाने का प्रस्ताव था, बागमती नदी पर नुंथन में हाई-डैम बनाने का प्रस्ताव 50 वर्षों से पड़ा हुआ है। बखिया नदी को गहरा करने और तटबंधों के मरम्मत की बात थी, फिर कमलाबालान में नेपाल में शीशापानी स्थान पर एक डैम के निर्माण की बात थी, नेपाल से जो वार्ता हुई है उसमें कोसी नदी पर ही सहमति हुई है। मुझे मालूम हुआ है कि नूंथर डैम जो बागमती नदी पर है, अधवारा समूह पर जो रामनगर-रमैया डैम बनने की बात थी, कमलाबालान में शीशापानी स्थान पर डैम बनने की बात थी, नेपाल सरकार ने उससे इंकार कर दिया है और भारत सरकार उस बात को गोपनीय रखे हुए हैं। तिरहूत परिमंडल, दरभंगा परिमंडल और फिर सारण परिमंडल के लोग आज उद्वेलित हैं। अभी सर्वदलीय बाढ़ सुरक्षा संघर्ष समिति के तहत एक रास्ता रोको आंदोलन हुआ था। फिर वहां बिहार नवनिर्माण समिति का एक सर्वदलीय गठन हुआ है। वहां लोग उद्वेलित हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिहार के माननीय संसद सदस्य और विधायक और जो जनप्रतिनिधि बाढ़ प्रभावित इलाके के हैं, टाल क्षेत्र के हैं उनको समाहित करके और ठीक से वार्ता करके, वित्त मंत्री, जल-संसाधन मंत्री, कृषि मंत्री और खाद्य मंत्रियों का समूह बनाकर इस समस्या को हल कराएं, नहीं तो उत्तर बिहार में जो लोग आंदोलित हैं उसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की होगी। सरकार को चेतावनी देते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे इस पक्ष के सांसद हों या उस पक्ष के सांसद हों, जल के बारे में जो संघर्ष होगा उसे आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे अगर जल प्रबंधन में सरकार गंभीर नहीं होगी। धन्यवाद।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, देश के प्रसिद्ध सांसद आदरणीय सोमनाथ बाबू ने देश में बाढ़ और सूखे से पीड़ित लोगों के संबंध में सवाल उठाया है। तमिलनाडु में, आंध्र में, उड़ीसा में समुद्री तूफान आ गया और कभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश मे सूखा आ गया और कभी-कभी पश्चिम बंगाल में, आसाम में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से तबाही होती रहती है। यहां बहस हो रही है और माननीय संगमा जी ने सवाल उठाया कि यहां जो मंत्री बैठे हैं ये सब कलस्टर की ड्यूटी वाले मंत्री बैठे हैं और बाकी के गायब हैं। सरकार राष्ट्रीय आपदा से मुकाबला करने के लिए कितनी गंभीर है, इससे बात समझ में आ जाती है। सरकार इससे निपटने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह लापरवाह है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कृषि मंत्रालय ने 11वें वित्त आयोग को कहा कि सी.आर.एफ. और एन.एफ.सी.आर. की प्रणाली समाप्त कर दी जाए। हम कृषि मंत्रालय के इस सुझाव से सहमत नहीं हो सकते। आप उनकी एक बात मानते हैं और एक बात नहीं मानते हैं।

कृषि मंत्री बाढ़ का जायजा लेने के लिए बिहार और बंगाल गए और वहां लोगों का हाल-चाल मालूम किया।

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): आपने मांग की थी इसलिए गए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: आपने अच्छा किया। 11वें वित्त आयोग ने कहा कि बिहार को 123 करोड़ रुपये मिलेंगे जिसमें 96 करोड़ रुपये केन्द्र से और बाकी राज्य से मिलेंगे, यानी तीन चौथाई केन्द्र और एक चौथाई राज्य से मिलेगा। ऐसे में केन्द्र के 76 करोड़ रुपये और बिहार के 30 करोड़ रुपये हुए। इन्होंने कहा कि हमने दे दिया। मैं पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ना चाहता हूं। 101 करोड़ रुपए रिलीफ कार्यों के लिए देने थे जिसमें तीन चौथाई केन्द्र सरकार और एक चौथाई राज्य सरकार को देने थे। मतलब केन्द्र सरकार को 75 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए बंगाल सरकार को देने थे। आम तौर पर बाढ़ और सूखा देश के कई हिस्सों में आता है। उसके लिए 11वें वित्त आयोग ने कहा कि तीन चौथाई और एक चौथाई मिला कर रिलीफ पर खर्च किया जाए। आप उसे अपनी तरफ से बायन कर रहे हैं कि हमने दे दिया लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं दिया। आपने राष्ट्रीय आपदा कोष को खत्म कर दिया। वह अपने मन से नहीं किया। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय आपदा से कैसे मुकाबला होगा? 11वें वित्त आयोग ने सिफारिश नम्बर 14.72 में कहा है कि "राष्ट्रीय आपदा राहत निधि को उसके वर्तमान स्वरूप रूप में निरस्त किया जाए।" निरस्त वाला तुरन्त लागू कर दिया। इसके बाद कहा कि "कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना की जाए। इस केन्द्र को केन्द्रीय सहायता से राज्य की सहायता की पात्रता के संबंध में अनुशंसा करने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए।" यह क्यों लागू नहीं हुआ? निरस्त वाला तुरन्त लागू कर दिया और जो उसके पक्ष का था उसे अभी तक लागू नहीं किया।

सायं 7.48 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

सोमनाथ जी सिफारिश नम्बर 14.74 पढ़ कर कह रहे थे कि "आपदा राहत कार्यों के लिए राज्यों को केन्द्र द्वारा किसी प्रकार की सहायता मुहैय्या कराने के लिए सीमित अवधि के लिए केन्द्रीय करों पर विशेष अधिभार पर लेवी द्वारा वित्त घोषित किया जाना चाहिए। ऐसे अधिभार से एकत्रित राशि को एक अलग निधि में, जिसे राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के नाम से जाना जाता है।"

आपने राष्ट्रीय आपदा कोष को खत्म किया। एन.सी.सी.एफ. से जो मदद देनी थी, मदद नहीं दी। फाइनेन्स कमीशन ने जो अनुशंसा की उसे अपनी तरफ से लागू कर दिया। आप इस मामले में गम्भीर नहीं हैं। राष्ट्रीय आपदा कोष से क्या सहायता प्रदान करेंगे? सिफारिश नम्बर 14.75, 14.76 और 14.78 राष्ट्रीय आपदा के संबंध में है।

ये अनुशंसायें वहां लागू नहीं की गई हैं। मैं मांग करता हूं कि इनको लागू किया जाये। अभी श्री रघुनाथ झा और श्री नवल किशोर राय ने एक सवाल उठाया कि भारत-नेपाल का समझौता हो क्योंकि बाढ़ और सुखाड़ से बिहार का काफी हिस्सा बरबाद होता है। इस बार 712 करोड़ रुपये की बरबादी हुई है। बाढ़ से 31 जिले प्रभावित हैं और 216 लोग डूबकर मर गये हैं। केन्द्र सरकार की विशेष आपदा कोष का क्या हुआ, मालूम नहीं। बंगाल में बाढ़ आयी, बिहार में बाढ़ से बरबादी हुई लेकिन वित्तीय सहायता न मिलने से लोग आन्दोलित हो रहे हैं। इसलिए केन्द्र सरकार को एक प्रारंभिक ज्ञापन देकर 975 करोड़ रुपये की राहत सहायता देने के लिए आग्रह किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार तुरंत कार्यवाही करे।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदुर): महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात राज्य सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। सूखे की यह मात्रा अलग अलग राज्यों में अलग-अलग है। पीने के पानी, भोजन और चारा की कमी है तथा मनुष्य और पशु बाध्य होकर दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं।

मुझे यह भी पता चला है कि राजस्थान के 32 जिलों में से 31 जिलों के 31,058 गांवों में बहुत भयंकर स्थिति है। सूखे से 325 लाख मनुष्य, 400 लाख पशु 87.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है।

बाढ़ और सूखे की समस्यायें सतत आपदा है जो कि देश को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। भारी मानसून से होने वाली बाढ़ से आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों के बहुत बड़े भाग बर्बाद हो गये हैं। इससे हजारों करोड़ रुपये की फसल बर्बाद हो गई, हजारों लोग अपने जीवन से हाथ

धो बैठे तथा आठ मिलियन से अधिक लोग बेघर हो गए। कल भी तमिलनाडु और पाण्डिचेरी के तटवर्तीय क्षेत्रों में भारी चक्रवात आया जिससे बाढ़ आई और विनाश हुआ। बहुत अधिक पेड़ उखड़ गए, घर नष्ट हो गए, संचार संपर्क टूट गए तथा भूमि कटाव के कारण अनेकों लोगों को बेघर होना पड़ा। अनेक मछुवारे नहीं लौटे। राज्य सरकार ने उन लोगों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाए जो कि चक्रवात से प्रभावित हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से, मेरे मित्र श्री पी.एच. पांडियन ने इस सभा को गुमराह किया। मैं उनके आरोप से इन्कार करता हूं। हमारे परिवहन मंत्री और पिछड़ा वर्ग मंत्री कल अविलम्ब उस स्थान पर गए तथा उन्होंने प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए त्वरित उपाय किए। लेकिन श्री पांडियन जी की यह आदत है कि वे न्यायालय में बहुत झूठ बोलते हैं अत: उन्होंने यहां भी कुछ झूठ बोला। मैं उनके आरोप से इन्कार करता हूं। *...(व्यवधान)*

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): महोदय जब कोई सदस्य सभा में उपस्थित न हो तो उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए? *...(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, यह दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी जिन नदियों में नियमित रूप से बाढ़ आती रही है उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सका है। हम सभी को यह ज्ञात है कि हिमालय क्षेत्र और अन्य पर्वतों से जंगलों के बिना सोचे समझे काटे जाने के कारण तथा खेती की पुरानी पद्धति के कारण बाढ़ की संभावनायें बढ़ रही हैं। इसलिए जंगलों की कटाई को रोकने के लिए बहुत ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

बाढ़ के प्राय: आते रहने के बावजूद इसे एक मौसमी समस्या माना जाता है तथा इसका दीर्घकालिक समाधान निकालने के लिए, शायद ही, कोई बहस हुई हो। इस वर्ष वित्तीय संस्थानों के माध्यम से केवल चार राज्यों में बाढ़ से राहत पहुंचाने के लिए 1,093 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। बाढ़ से राहत पहुंचाने के कार्य पर खर्च की गई यह धनराशि 2000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। यह धनराशि मुख्यत: बाढ़ और सूखा जैसी आपात्तिक स्थितियों से राहत पहुंचाने के लिए मध्यम एवं अल्पकालिक राहत के खर्च रूप की गई है।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि धन का उपयोग बाढ़ को रोकने के लिए अग्रिम रूप से निवारणात्मक उपायों के लिए किया जाए या कम से कम दीर्घकालिक योजना बनाकर उसके प्रभाव को कम करने में किया जाए तो हम इसका प्रयोग अन्य विकासात्मक कार्यों में कर सकेंगे।

मैं इस सरकार से अनुरोध करता हूं कि नदियों को जोड़ने तथा बैराज के निर्माण के लिए गंभीरतापूर्वक सोचें ताकि गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि यदि किसी जिले में मानसून के समय बाढ़ आती है तो वहीं गर्मी के मौसम में पानी की कमी भी होती है। जब मैं परामर्शदात्री समिति का सदस्य था तो मैं प्राय: उस समिति के सभापति और जल संसाधन मंत्री जी से गंगा कावेरी परियोजना को जोड़ने के बारे में चर्चा करता था।

लेकिन माननीय मंत्री जी जब भी उत्तर देते तो वह कहा करते थे कि यह एक अत्यन्त खर्चीली योजना होगी। मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पहलू पर ध्यान दें।

पानी बहकर समुद्र में चला जाता है और बहुत सारा पानी व्यर्थ चला जाता है। भूमिगत जल का अभाव होने से हमें परेशानी उठानी पड़ती है। विशेषरूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचा है क्योंकि वर्षा नहीं हुई और किसानों ने अपने जानवर कृषि भूमि में चरने के लिए भेज दिए। यहां मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा बाढ़ और सूखे के संबंध में दिए गए कुछ सुझावों का उल्लेख कर रहा हूं।

अलग-अलग क्षेत्रों के विभाजन के लिए किए जाने वाले उपायों में निम्नलिखित कदम सम्मिलित हैं:

- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों का सीमांकन
- ऐसे क्षेत्रों की समोच्च रेखाओं द्वारा विस्तृत योजना तैयार करना
- संदर्भित नदी की चौड़ाई निर्धारित करना और विभिन्न जल स्तरों से जल प्लावित होने वाले संभावित क्षेत्रों तथा बाढ़ की परिमाण का निर्धारण करना
- ऐसे क्षेत्रों का सीमांकन करना जहां दो वर्षों में एक बार, पांच वर्षों में एक बार, दस अथवा बीस वर्षों में एक बार बाढ़ आती ही है और वर्षा के संचित जल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।

महोदय, बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण से बेहतर उपाय है। सूखा-प्रवण क्षेत्रों के लिए भी इसी तरह के कदम उठाये जा सकते हैं।

तमिल में एक कहावत है जिसका अर्थ है, ''उपचार से निवारण बेहतर है' अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह देशभर में बाढ़ और सूखे के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित करे। मुझे विश्वास है कि आखिरकार यह बेहतर निवेश होगा। केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह तमिलनाडु और पांडिचेरी में चक्रवात से पीड़ितों को तत्काल वित्तीय सहायता दे।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री अजय चक्रवर्ती बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात में 18358 गांव हैं, उनमें से 12240 गांव सूखे से प्रभावित हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री अजय चक्रवर्ती को बुलाया है। इनकी बात के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): महोदय, गुजरात में बाढ़ से तबाही होती ही रहती है। हमारे राज्य से एक भी सदस्य अब तक नहीं बोला है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। कृपया गुजरात के कुछ सदस्यों को भी बोलने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इधर से भी बुलाऊंगा और उधर से भी बुलाऊंगा।

[अनुवाद]

अब श्री अजय चक्रवर्ती बोलेंगे।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में विभिन्न राज्यों के लोग कभी न कभी प्राकृतिक आपदाओं के शिकार बने ही रहे हैं। इस वर्ष, पश्चिम बंगाल के नौ जिले बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। इस अभूतपूर्व बाढ़ ने राज्य को तबाह कर दिया है। बिहार के कुछ भागों तथा झारखण्ड में बाढ़ ने तबाही मचायी है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि सूखे से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हाल ही में तमिलनाडु और पांडिचेरी में बाढ़ और चक्रवात आया था।

महोदय, मैं बाढ़ का शिकार हूं। इन अभूतपूर्व बाढ़ों से मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पश्चिम बंगाल के 17 जिलों में से विशेषरूप से नौ जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जिससे राज्य तबाह हो गया है। मैं इस बारे में विस्तार से नहीं कहूंगा कि वहां कितनी जानें गई, आदि क्योंकि हमारे वरिष्ठ साथी, श्री सोमनाथ चटर्जी इस बारे में बोल चुके हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अजय चक्रवर्ती, कृपया एक मिनट रुकें।

माननीय सदस्य, सभा का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया गया था। अभी चार-पांच सदस्यों ने बोलना है। हम प्रत्येक सदस्य को दो-तीन मिनट का समय दे सकते हैं और माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं। अत: क्या सभा की सहमति से इसका समय रात्रि 8.30 बजे तक बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। श्री अजय चक्रवर्ती, कृपया आप अपनी बात जारी रखें।

रात्रि 8.00 बजे

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस प्रस्ताव के प्रस्तावक हमारे वरिष्ठ और माननीय साथी ने इस बारे में विस्तार से बता दिया है कि वहां कितनी जाने गयीं, कितने लोग प्रभावित हुए और कितनी भूमि बुरी तरह से प्रभावित हुई। संक्षेप में, मैं कह सकता हूं कि 17 जिलों में से नौ जिले पूर्णत: तबाह हो गए हैं। मिट्टी से बने सभी घर गिर गए हैं। रेलवे लाइनें टूट गई हैं। पश्चिम बंगाल के नौ जिलों में भयंकर बाढ़ आने से धान की पूरी फसल और अन्य सब्जियों की खेती पूरी तरह नष्ट हो गई है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जब मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया तो मैंने लोगों को पेड़ों की शाखाओं में आश्रय लेते देखा। बंदर और इन्सान पेड़ की शाखाओं में आश्रय ले रहे थे। महोदय, यह स्थिति ऐसी थी। लोगों के बचाव के लिए सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बुलाया गया लेकिन उग्र जल प्रवाह के कारण सैनिक और सी.सु.ब. के जवान गांवों के दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाए और उन्हें वापिस आना पड़ा। वहां स्थिति इतनी गंभीर थी।

हमारे माननीय कृषि मंत्री ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और इसे राष्ट्रीय आपदा बताया। हम उनके पश्चिम बंगाल के दौरे और उनकी टिप्पणी की प्रशंसा करते हैं लेकिन ऐसी घोषणा होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। भारत सरकार ने अभी तक पश्चिम बंगाल के बाढ़ग्रस्त लोगों को एक कौड़ी, एक पैसा भी नहीं दिया है।

मुझे बाढ़ के कारणों के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माननीय मित्र कारण के बारे में पहले ही बता चुके हैं। कुछ लोग निहित स्वार्थों के रहते यह प्रचार कर रहे हैं कि

यह मानव निर्मित थी। मैं स्पष्ट रूप से, पूरे यकीन से इस आरोप का खण्डन करता हूं। अतारांकित प्रश्न सं. 519 के उत्तर में जल संसाधन मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री ने इस बाढ़ के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। मुझे आशा है कि हमारे कृषि मंत्री अपने उत्तर में वहां आई बाढ़ के कारणों के बारे में भी बताएंगे।

महोदय, मेरी मांग यह है। अब भेद खुल गया है। इसलिए मैं, हमारे मुख्यमंत्री को सलाह देता हूं कि यदि वे भारत के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं तो वे पश्चिम बंगाल के भावी मुख्यमंत्री के माध्यम से उनके पास जाए क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है और पश्चिम बंगाल के लिए कोई धनराशि नहीं दी जाएगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल बाढ़ ही नहीं वरन् नदी कटाव भी इसका एक कारण है। महोदय, नदी कटाव के कारण गांव के गांव बह गए हैं और एक स्कूल की दोमंजिला इमारत पानी में डूब गई। मैं भारत सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री से मिला था। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वे व्यक्तिगत रूप से स्थिति की गंभीरता को देखें।

दूसरा कारण नदियों में गाद भरना है। सभी नदियों और नहरों में गाद भरी है और इन्हें निकाले जाने की अत्यावश्यकता है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इसके लिए धन निकालना संभव नहीं है। इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह गादभरी नदियों और नहरों से गाद निकालने के लिए धन प्रदान करने और उसमें धन खर्च करने हेतु आगे आए।

अंत में, मैं इस तरह अपनी पहचान बताना चाहता हूं। पहले मैं भारतीय हूं और उसके बाद में बंगाली, बिहारी, असामी अथवा पंजाबी हूं। मैंने माननीय मंत्री महोदय से पूछा कि पश्चिम बंगाल भारत का भाग है। सरकार पश्चिम बंगाल के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में अध्यादेश प्रख्यापित क्यों नहीं कर रही है। इसलिए, मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल के लिए ही नहीं वरन् प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित अन्य राज्यों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल आपदा राहत कोष बनाए।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस गंभीर चर्चा के ऊपर बोलने के लिए आपने मुझे अन्त में समय दिया है, धन्यवाद।

महोदय, यह विशाल देश है और इसका कोई न कोई भाग, कभी न कभी प्राकृतिक आपदा से आक्रान्त रहता है। बंगाल बाढ़ की चपेट में आ गया। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा अकाल पीड़ित हैं। इस बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना, लेकिन एक विषय पर इस सदन और सरकार की दृष्टि आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली साल तूफान और चक्रवात के कारण दो-तिहाई उड़ीसा तबाह हो गया और लगभग 50 हजार लोग मरे। सरकारी रिपोर्ट क्या है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन असलियत यह है कि 50 हजार लोग मरे, 7 लाख जानवर मरे, 100 से ज्यादा गांव समुद्र में चले गए, विलीन हो गए, पूरा का पूरा उड़ीसा तबाह हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा शुक्रगुजार है भारत सरकार का, आन्ध्र प्रदेश सरकार का, अन्य प्रान्तों का, दुनिया के हर देश का, जिन्होंने मदद की, लेकिन एक साल के अंदर आज जो भयंकर अकाल पड़ा है। वह भारी चिन्ता का विषय है। सूखे से एक-तिहाई उड़ीसा प्रभावित है। 30 में से 24 जिले इससे प्रभावित हैं। विशेषकर पश्चिमी उड़ीसा और उसमें भी विशेषरूप से 10-11 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहां का जायजा लेने के लिए जो केन्द्रीय कमेटी दौरा कर रही है और आज उसके दौरे का आखिरी दिन है। मुझे मालूम नहीं कि वह समिति कहां-कहां जा रही है और कैसी रिपोर्ट देगी, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जब रिकॉर्ड कहता है कि उड़ीसा में जुलाई में 33 प्रतिशत का रेनफाल का शार्टेज हुआ तब से यह पता चल गया कि आने वाले महीनों में दिक्कत आने वाली है। यानी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन केन्द्र सरकार ने कुछ नहीं किया। जुलाई से लेकर अक्तूबर महीने तक रेनफाल में 71 प्रतिशत शार्टेज हुआ। जुलाई महीने से उड़ीसा सरकार बार-बार केन्द्र सरकार को लिख रही है। बार-बार हल्ला हो रहा है, लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से समय पर कोई रेस्पांस नहीं आया।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कहकर मैं सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यह सत्य है कि यदि उस समय ही कोई प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था की जाती, तो आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं होती। ड्राउट स्लो पोईजन है। महोदय, मैं अपनी पार्टी से केवल अकेला बोलने वाला हूं। इसलिए कृपया मुझे बैठने के लिए न कहें। मैं स्वयं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ और तूफान अकस्मात आ जाते हैं, बिना नोटिस के आ जाते हैं, लेकिन ड्राउट प्रॉपर नोटिस के आता है। ड्राउट स्लो पोईजन है। जब केन्द्र सरकार को बराबर उड़ीसा प्रदेश सरकार अवगत कराती रही कि स्थिति खराब है, स्थिति बिगड़ रही है, तो मुझे मालूम नहीं, केन्द्र सरकार क्या कर रही है। इसलिए मैं अब माननीय कृषि मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फोन पर जो सेंट्रल टीम वहां दौरे पर गई है, उसे ठीक से दौरा करने और सही रिपोर्ट देने के निर्देश दें। दो महीने से हम चिल्ला

[श्री प्रसन्न आचार्य]

रहे हैं, लेकिन आज केन्द्र ने सेंट्रल टीम स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजी है।

महोदय, मैं खुद अपने जिले और आसपास के जिलों में घूमा हूं। 150 गांव प्रभावित हैं। नवांपाड़ा के बीरोपुर गांव के 90 प्रतिशत लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। जिस किसान के पास आज 10 एकड़ जमीन है, वह भी गांव में नहीं है। उस गांव में सिर्फ बूढ़े रह गए हैं। निकम्मे और इनकैपेबल परसन्स रह गए हैं। वहां एक आदिवासी आवासीय स्कूल है जहां 350 बच्चे पढ़ते हैं। वहां मास्टर ने मुझे बताया कि 50 लड़के रह गए हैं। 300 लड़के गांव छोड़कर भाग गए। उनमें से कुछ तो अपने माता-पिता के साथ भाग गए और कुछ अकेले भीख मांगने भाग गए। यही हालत टिटलाघर, झारसगुड़ा, कलाभांजी और सम्बलपुर आदि की है। गांव के गांव खाली पड़े हैं। आप वहां जाइए, तो वहां की स्थिति इतनी खराब है कि आपसे देखी नहीं जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कम से कम 750 करोड़ रुपए की फसल की हानि हुई है, लेकिन हमने केन्द्र सरकार से ज्यादा मांग नहीं की है, बल्कि केवल 570 करोड़ रुपए की मांग की है। ओल्ड एज पेंशन के बारे में सरकार कहती है कि अनाज भरपूर है। खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसी देश के एक प्रान्त उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में लोग भूखे मर रहे हैं।

यह आज की स्थिति है। किस प्रकार का नियम है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं एक शब्द कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं क्योंकि आप ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। श्री अमर्त्य सेन इस देश के, दुनिया से सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, नोबल पुरस्कार विजेता हैं। उन्होंने लिखा है कि:-

> गरीबी और अकाल: भुखमरी ऐसी स्थिति है जहां कुछ लोगों के पास भरपेट खाने को क्या, खाने के लिए कुछ भी नहीं है।

इस देश में खाद्यान्न का अभाव नहीं है लेकिन इस देश के लोग भूखे मर रहे हैं। मेरा केन्द्र सरकार से यही निवेदन है कि सारे विषय पर थोड़ा सैल्फ एनालेसिस किया जाये। जैसे अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि अक्सर हम इसका आभास कराते हैं लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकलता है। इसलिए एक लांग लास्टिंग ब्लू प्रिंट तैयार किया जाये। वैसे तो मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जोवाकिम बखला (अलीपुरद्वारस): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने इस गंभीर विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। चूंकि समय बहुत कम है और विभिन्न प्रांतों के लोग भी इस गंभीर विषय पर बोल रहे हैं। एक बार फिर हम बारिश, बाढ़, भूस्खलन और तबाही के उसी अनुभव से गुजर रहे हैं जो साल दर साल इस देश की नियति बन गया है। आज पश्चिम बंगाल के गरीब किसान बाढ़ से जिस तरह की मुसीबतें झेल रहे हैं उससे हमें उम्मीद थी कि केन्द्र सरकार तुरंत तत्परता से इस ओर ध्यान देगी। इसके साथ-साथ पश्चिम बंगाल से जो सदस्य केन्द्र सरकार के घटक दल हैं उनसे भी उम्मीद थी कि कुछ तत्परता उनकी तरफ से भी होगी, वे आगवाही करेंगे जिससे केन्द्र के द्वारा पश्चिम बंगाल को धनराशि प्राप्त हो और इस धनराशि द्वारा बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं, उनको राहत सामग्री पहुंचाने में सुविधा हो। हम केन्द्र सरकार के इंतजार में नहीं रहे और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, उसने तत्काल खाद्य सामग्री, दवा तथा जो चीजें बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक थीं, उनको मुहैया कराने का काम किया और अभी भी कर रही हैं।

लेकिन दुख की बात है कि यह प्राकृतिक आपदा राष्ट्रीय लॉस है। प्रधान मंत्री जी द्वारा यह घोषणा की गई थी कि यह नैशनल लॉस के समान है, राष्ट्रीय क्षति है लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। श्री नीतीश कुमार जी पश्चिम बंगाल गये थे लेकिन आने के बाद वे खामोश रह गये। एक रुपया भी पश्चिम बंगाल को प्राप्त नहीं हुआ। आज राष्ट्रीय संकल्प की कमी है। मेरा कहना है कि राष्ट्रीय संकल्प की आवश्यकता है अन्यथा हर साल इस तरह की प्राकृतिक आपदा से हमें जूझना पड़ेगा। अगर आप इसका निदान ढूंढना चाहते हैं तो हमें संकल्प करना पड़ेगा और एक मास्टर प्लान बनाकर इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए कोई परमानेंट उपाय ढूंढने का काम करना पड़ेगा।

मैं केन्द्र सरकार से जानना चाहता हूं कि विभिन्न प्रांतों में जो इस तरह की प्राकृतिक आपदायें होती हैं, उससे लड़ने के लिए, उनका समाधान करने के लिए क्या आपने कोई योजना सोच रखी है?

पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति से केवल पश्चिम बंगाल के लोगों को ही कष्ट नहीं पहुंचा है बल्कि उत्तर पूर्वांचल के जो सात राज्य हैं, उनमें भी खाद्य सामग्री पहुंचाने में दिक्कत हुई है। सड़क सेवा, रेल सेवा बंद हो जाने की वजह से उत्तर पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को भी इसका प्रभाव झेलना पड़ा है। इसलिए इस संकट के लिए मैं केन्द्र सरकार को जिम्मेदार समझता हूं और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की आपदा का अगर आपने निदान ढूंढना है तो जिस तरह आज सदन में चर्चा हो रही है, उसी तरह आप एक चर्चा करके इसका परमानेंट निदान ढूंढने का प्रयास करें।

साथ ही हम आज मंत्री श्री अर्जुन चरण सेठी से मिले थे और उन्हें बताया कि उत्तर बंगाल की नदियां जो भुटान से आती

[श्री प्रवीण राष्ट्रपाल]

महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री, श्री नीतीश कुमार और माननीय जल संसाधन मंत्री श्री अर्जुन सेठी का ध्यान गुजरात राज्य द्वारा भेजी गई तीन विशेष परियोजनाओं की ओर दिलाना चाहूंगा। इसलिए यदि वे गुजरात को इस वर्ष पर्याप्त सहायता उपलब्ध नहीं करायेंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। वे हडको से सहायता के बजाय ऋण के रूप में 492 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त करना चाहते हैं। केन्द्र सरकार से उन्हें केवल यही सहायता चाहिए।

महोदय, गुजरात सरकार ने भास्करपुर नामक एक योजना भी भेजी है। यह परियोजना 1,422 करोड़ रुपये की है। गुजरात सरकार, भारत सरकार के माध्यम से पहले ही एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार को प्रस्तुत कर चुकी है। गुजरात सरकार, केन्द्र सरकार से केवल यही सुनिश्चित करने का अनुरोध कर रही है कि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या जापान सरकार से उसे अपेक्षित ऋण मिले। इसलिए ऐसा किया जाना चाहिए। इस बारे में गुजरात सरकार पहले ही एक परिवचन दे चुकी है कि नर्मदा नदी से सौराष्ट्र प्रदेश को पानी पहुंचाने की यह योजना यदि दो साल में पूरी हो जाएगी तो संपूर्ण राजकोट, जामनगर और कच्छ जिलों की पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी और जहां तक पीने के पानी की आपूर्ति का सवाल है तो इस विषय में न तो गुजरात सरकार को चिंता करने की आवश्यकता होगी और न ही केन्द्र सरकार को।

इसलिए महोदय, मैं केन्द्र सरकार से केवल यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें केवल पीने का पानी चाहिए। यदि पानी की आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गई तो राजकोट और जामनगर शहरों के लोगों को जनवरी के महीने में वहां से पलायन करना पड़ जाएगा। इसलिए वहां टैंकरों, स्टीमरों और रेलगाड़ियों से पानी पहुंचाया जाना चाहिए। तभी संपूर्ण सौराष्ट्र के लोग जीवित रह सकेंगे। वहां स्थिति बहुत गंभीर है। यहां दोनों मंत्रीगण उपस्थित हैं। मैं इन दोनों माननीय मंत्रियों से यह आग्रह करता हूं कि पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की एक टीम को वहां नियुक्त किया जाए।

मैं केन्द्र सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि कानूनत: गुजरात के लोगों को देय राशि कितनी हैं। सहायता को भूल जाइए। किंतु फसल बीमा की कानूनत: देय राशि के बारे में आप क्या कहते हैं? पेड़ों के नुकसान की कानूनत: देय राशि के बारे में आपका क्या विचार है? कांडला चक्रवात में मारे गए लोगों को देय राशि का क्या होगा? उन्हें सहायता की कितनी धनराशि दी गई है?

मेरी जानकारी के अनुसार, कांडला चक्रवात के बाद गुजरात सरकार द्वारा राहत कार्यों के लिए केन्द्र सरकार से 600 करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया गया था किंतु हमें केवल 154 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। महोदय, पिछले वर्ष, केन्द्र सरकार ने हमें कुछ अग्रिम प्रदान किया था। किंतु वह सहायता नहीं थी वह केवल अग्रिम था। लेकिन इस वर्ष तो स्थिति और भी खराब है।

इसलिए मैं दोनों माननीय मंत्रियों, विशेष रूप से माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस मामले की जांच की जाए।

अंत में, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह चार लाभार्थी राज्यों की एक बैठक बुलाए। नर्मदा का मामला अब न्यायालय से बाहर है। मुझे माननीय मंत्री जी से एक लिखित पत्र प्राप्त हुआ था कि जब भी मामला न्यायालय से बाहर होगा तब बैठक बुलाई जाएगी। अब मैं केन्द्र सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि हमें हमारी अविवादित बकाया राशि राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से दिलाई जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): मान्यवर उपाध्यक्ष जी, आज चार बजे हमारे वरिष्ठ नेता कामरेड सोमनाथ चटर्जी सूखे, बाढ़ और प्राकृतिक विपदा के ऊपर जो प्रस्ताव लाये हैं, मैं उसको पूरा समर्थन दे रहा हूं।

एन.डी.ए. का नाम जो कुछ भी हो, लेकिन यह बात सही है कि एन.डी.ए. सरकार आने के बाद नेशनल डिजास्टर शुरु हो गया। अब एन.डी.ए. का अर्थ हो गया है–नैशनल डिसास्टर अश्योरड। आप देखिए, उड़ीसा से इसकी शुरुआत हुई, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सुपर साइक्लोन आया।

राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा। पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई। तमिलनाडू और पांडिचेरी में भी साइक्लोन आया। उपाध्यक्ष जी, पश्चिम बंगाल में जो भयंकर बाढ़ आई, उसके बाद हमारे कृषि मंत्री जी वहां गए। मैं उनको बधाई देता हूं। उन्होंने वहां हवाई जहाज से चक्कर लगाया, सारा मामला ऊपर से देखा। लेकिन नीचे जो आपने बैठक की और कहा कि यह नेशनल डिसास्टर है, यह भी सही है। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। लेकिन कितने आदमियों की जान गई, कितने पशुओं की जान गई, इसका भी अंदाजा लगाएं। वहां चार हजार करोड़ रुपए की फसल नष्ट हो गई है। नीतीश जी आप सरकार में हैं। लोग सहायता के लिए चिल्ला रहे हैं। अक्तूबर गया, नवम्बर जा रहा है, यह बताएं कि आपने कितना पैसा दिया? वहां के लोगों की हालत बहुत दयनीय है। हजारों आदमी बेघर हो गए हैं। जाड़े के दिनों में पेड़ों के नीचे पड़े हैं। उनको खाना नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है। आपने ह्यून ग्राउंड पर भी पैसा नहीं दिया है। ह्यूमन राइट्स की बात छोड़ दीजिए। ह्यूमन लाइफ

को बचाने के लिए कम से कम आप आगे बढ़ें। कल से शुरूआत करें।

उपाध्यक्ष जी, 11वें वित्त आयोग और एन.सी.सी.एफ. के बारे में काफी कहा जा चुका है। मैं समर्थन देता हूं पर इस पर चर्चा नहीं करूंगा। हमारे साथी संगमा जी ने सवाल उठाया कि खाली रिलीफ देने से कोई फायदा नहीं, हर साल देनी पड़ेगी। कुछ ऐसा उपाय करें जिससे बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सके। संगमा जी की इस बात के साथ मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। पहली तो यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र, गंगा-कावेरी को जोड़ने की बात थी। जैसे नेशनल पावर ग्रिड बनाया है, उसी तरह का नेशनल वाटर ग्रिड बनाया जाए। मैं इस बारे में नीतीश जी को और सेठी जी को विनती करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए। मैं प्रधान मंत्री जी को भी कहूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाए। जब तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जाएगी, तब तक आप बाढ़ और सूखे से देश नहीं बचा पाएंगे। हमने आज सेठी जी से मुलाकात की थी। मैंने कहा कि बंगाल, असम और उत्तरी बिहार में जो बाढ़ आती है, वह भूटान और नेपाल से आती है। इन दोनों देशों के साथ जाइंट रिवर कमीशन बनाया जाए। ये हमारे पड़ोसी देश हैं इसलिए इनके साथ मोहब्बत के साथ ऐसा निर्णय हमें करना पड़ेगा। नहीं तो उधर से वे लोग पानी छोड़ देंगे और इधर बाढ़ आ जाएगी।

मेरा कहना है कि नदी तो ऐसे ही बहती है और बहती रहेगी। नेपाल और भूटान के साथ कुछ नहीं होगा तो आपको बोलना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, नदी कहां है तो आप कहेंगे कि देखो, नदी उधर बहती है और वह बोलेंगे कि हमने एम्बैंकमेंट्स दिए हैं, हमने बांध लगा दिया है लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। जो सिल्टेशन होता है, उसे बंद करना चाहिए और यह कार्य करने के लिए एफोरेस्टेशन को लागू करना चाहिए। जो खनिज उठा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। यह काम करने के लिए जल्दी से जल्दी हमें नेपाल और भूटान के साथ अपने संबंध और अच्छे करने चाहिए। मेरा नीतीश जी से निवेदन है कि वह रिलीफ भेजें, रुपया भेजें और पश्चिम बंगाल के लोगों को बचाएं।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु और पांडिचेरी चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र हैं। पांडिचेरी में इससे तीन व्यक्तियों और तमिलनाडु में पांच व्यक्तियों की मौत हो गई। अकेले नैयवेली और कुड्डालोर क्षेत्रों में ही 20,000 से अधिक वृक्ष उखड़ गए हैं। पांडिचेरी में भी इतना ही नुकसान हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस सच्चाई की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 1955 में आए चक्रवात से सबसे अधिक नुकसान तमिलनाडु में ही हुआ था। उस समय श्री कामराज वहां के मुख्य मंत्री थे और पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे। तब उन्होंने आपदा प्रबंधन प्रणाली का विकास किया था. जब कभी किसी भी क्षेत्र में चक्रवात या बाढ़ आती थी तो राज्य सरकार यह विचार करती थी कि इसे नियंत्रित कैसे किया जाए। राज्य सरकार इसके बारे में सोचती थी और इसके बारे में इसकी एक स्पष्ट योजना होती थी। उन्होंने ग्रामीणों और तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को इसकी तुरंत सूचना देने की भी व्यवस्था की थी। उसके बाद उनसे किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाने के लिए कहा जाता था, इसी प्रणाली में आगे चलकर श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान और अधिक सुधार किया गया। वैज्ञानिक रूप से इसे उन्नत बनाया गया।

जैसाकि आप जानते ही है कि कृषि मंत्रालय में ही बाढ़ व चक्रवात इत्यादि से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए संपूर्ण भारत पर निगरानी रखने के लिए एक अलग प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उनके पास वैज्ञानिक विश्लेषण हैं। उनके पास राज्य सरकार को सूचित करने की एक योजना है और उन्हें स्थिति से निपटने के लिए सुदृढ़ बनाया जाएगा।

तमिलनाडु मुख्य स्थान पर था और जिस प्रणाली का उन्होंने विकास किया, वह पूर्ण थी इसलिए इस बार जब चक्रवात आया तो राज्य के सभी भागों सहित पांडिचेरी को भी इसकी सूचना दे दी गई थी इससे लोगों को क्षति बहुत कम हुई। वृक्षों और दूसरी चीजों की सुरक्षा नहीं की जा सकी क्योंकि यह हमारी क्षमता से बाहर की बात है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस बारे में केन्द्र सरकार राजनैतिक सोच न रखे। अब पश्चिम बंगाल बाढ़ की चपेट में है। यहां, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान प्रत्येक क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उच्चतम न्यायालय ने जल निकास, पेय जल, कूड़ा-सफाई, स्वच्छता, स्कूलों की देखभाल, प्रदूषण कम करने, यातायात नियंत्रण, मोटरगाड़ियों के आवागमन का विनियमन, यमुना गंगा जल, कावेरी व नर्मदा नदियों के जल, सामाजिक वृक्षारोपण, जंगल का संरक्षण आदि सभी विषयों के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी मामलों में हस्तक्षेप किया है। इसलिए मैं आश्चर्यचकित हूं कि यदि केन्द्र सरकार राज्यों के संबंध में पक्षपातरहित दृष्टिकोण नहीं अपनायेगा तो स्थिति से निपटने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को पैसा देने के मामले में भी यह हस्तक्षेप न करे। केन्द्र सरकार को राजनीतिक दृष्टिकोण के बजाय मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापतनम): महोदय, जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी तथा श्री पी.ए. संगमा ने कहा है, हम हमेशा संकट काल में ही संबंधित संकट से निपटने की व्यवस्था करते

[श्री एम.वी.वी.एम. मूर्ति]

आए हैं। हम इस मुद्दे पर प्रतिवर्ष प्रत्येक लोक सभा में तथा प्रत्येक सत्र में चर्चा करते रहे हैं। हम लोग कोई दीर्घावधि नीति क्यों नहीं बनाते? यही अवधि है जब हमें दीर्घावधिक नीति बनानी चाहिए। कृषि मंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकते। वे केवल कृषकों को राहत दे सकते हैं। ये बाढ़ तबाही पैदा कर रही है। कृषि मंत्रालय, सिंचाई मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कोई समाधान निकालना चाहिए। उन्हें बाढ़ को रोकना चाहिए। इससे सूखे की भी रोकथाम हो जाएगी। एक तरफ हम बाढ़ का सामना करते हैं तो दूसरी तरफ सूखे का। आंध्र प्रदेश अभी सूखे की स्थिति से ग्रस्त है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे कदम उठाए और सभी राजनीतिक दलों तथा सभी मुख्यमंत्रियों को शामिल करें और एक व्यापक नीति बनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय: यह बहुत अच्छा सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): महोदय, माननीय सोमनाथ जी जो सुझाव लाए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे गजेन्द्र मोक्ष की याद आती है। एक बार मगरमच्छ ने गजेन्द्र का पांव पकड़ा और उसे गहरी नदी में डालने की कोशिश की। उस समय गजेन्द्र ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे मुक्ति दीजिए। तब प्रभु आए और उन्हें मुक्ति दी। उस समय मगरमच्छ ने बोला, प्रभु मैंने भी आपको देख लिया है, मुझे भी मुक्ति चाहिए। मेरा यह कहना है कि देश में किसी भी विचार की सरकार हो, लेकिन केन्द्र को समानता रखनी चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए।

महोदय, महाराष्ट्र में 22 जिले सूखे की चपेट में हैं, नासिक जिला भी है। 15 तहसील सूखे की चपेट में हैं। जल, चारा, अनाज और काम का सवाल है। महाराष्ट्र सरकार तो प्रभावी काम करती है, प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन केन्द्र की सहायता के बिना इससे निपटना मुश्किल है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक कमेटी भेजी जाए, तो वहां की स्थिति को जाकर देखे। आप वहां भी सहायता दीजिए।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): महोदय, मुझे दो-तीन मिनट बोलने के लिए चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे इलाके से आया हूं जहां की मुझे कुछ बातें बतानी जरूरी हैं, इसलिए आप मुझे माफ करेंगे। *...(व्यवधान)* मैं एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर हूं इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे चेयर कुछ कहे और मैं उसका पालन न करूं। मैं राजस्थान से आता हूं और पश्चिम राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर में भयंकर अकाल पड़ता है। पिछले 50 सालों में मेरे क्षेत्र में 36 साल अकाल पड़ा है। अभी संगमा साहब और सोमनाथ जी वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट के बारे में कह रहे थे। जवाहर लाल नेहरू जी की विजन थी, उन्होंने राजस्थान नहर को, जिसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, उसे 1952 में शुरू किया। पहले वहां काम हो रहा था, लेकिन दो-तीन साल से कोई काम नहीं चल रहा है। भारत सरकार करीब सौ करोड़ हर साल इस काम के लिए देती थी, लेकिन पिछले दो साल से देने बंद कर दिए। राजस्थान सरकार के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इसे बंद कर दिया। अब स्थिति यह है कि वहां मशीनरी वैसे की वैसी पड़ी है। वहां के सारे इंजीनियर्स और स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसलिए इस पर विचार करना चाहिए।

महोदय, मैंने इस प्रश्न को कई बार सदन में उठाया है। राजस्थान के बारे में पहले भी मेरे साथी ने बताया कि 32 जिलों में से 30 जिलों में अकाल है।

पैंतीस हजार गांवों में से 30583 गांवों में अकाल है जिसमें से 19817 गांवों में 75 प्रतिशत से ज्यादा खरीफ की फसल बर्बाद हो गयी है। साथ ही 10777 ऐसे गांव हैं जहां पर 50 और 74 प्रतिशत बर्बादी हुई है। करीब चार लाख पशुधन इस वक्त तकलीफ में है। अगर वहां चारा और पानी इनको नहीं मिला तो वे खत्म हो जाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में लगभग 80 प्रतिशत लोग पशुधन के ऊपर निर्भर हैं। वहां कोई नदी, नाला नहीं है कोई पानी का साधन नहीं है और तीसरे वर्ष लगातार इस प्रदेश के लोगों पर यह मार पड़ रही है। आज जनता में वहां पर बहुत भारी असंतोष है, लोगों का दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन हो रहा है क्योंकि पानी की बहुत भयंकर तकलीफ है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 3 हजार गांव हैं और पूरे क्षेत्र में अकाल की स्थिति है। पिछले साल 2900 गांवों में और उससे पिछले साल 2800 गांवों में अकाल था। जिस क्षेत्र को तीसरे साल लगातार अकाल की मार पड़ी हो वहां क्या हो सकता है, यह आप देखिये। अभी आपने एक केन्द्रीय दल वहां भेजा है। मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट की एक कमेटी वहां जाए जहां भयंकर अकाल है। गुजरात है वहां भी उनको जाकर नुकसान का असेसमेंट करना चाहिए।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस साल हमने 2380 करोड़ रुपये मांगे हैं, पिछले साल हमने 1140 करोड़ रुपये मांगे थे और उससे पिछले साल हमने 960 करोड़ रुपये मांगे थे। तीन साल पहले हमको केवल 23 करोड़ रुपये मिले, पिछले साल हमको 125 करोड़ रुपये मिले और बाकी 2380 करोड़ रुपयों का पता ही नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी यहां बैठे हुए हैं, इसलिए मेहरबानी करके आप इन रुपयों को जल्दी से भेज दो। यह न हो

कि वहां पशु मर जाएं या लोग आत्महत्याएं करें, उससे पहले सहायता भेज दो। आपकी नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। ठीक है वहां कांग्रेस की सरकार है लेकिन वहां के इंसानों के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे भी कुछ शंका है लेकिन नीतीश कुमार जी इंसाफ करेंगे और रिलीफ जल्दी देंगे।

आपदा रिलीफ फंड का जो मामला है उसमें आपको कुछ सोच-विचार करना चाहिए। पेय जल के जो लगातार स्रोत सूख रहे हैं उनके लिए जो हमारे जल संसाधन विभाग के डिविजन हैं उनके लिए नयी मशीनें चाहिए ताकि उन सूखे हुए स्रोतों को गहरा किया जा सके और नये स्रोतों से लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा सके।

मैंने प्रधान मंत्री जी से भी कहा था कि पश्चिमी पाकिस्तान को नार्थ-ईस्ट की तरह का कोई पैकेज मिलना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने दो साल पहले इसके लिए हां भी की थी लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला है।

आखिर में मेरा कहना यह है कि अकाल की स्थिति से निपटने के लिए युद्ध-स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। राजस्थान की जो खराब स्थिति है उसमें उसको हर संभव मदद दी जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर वे तुरंत रिलीफ दें और पैसा भेजकर वहां के लोगों की मदद करें। धन्यवाद।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सोमनाथ बाबू जी ने बाढ़ और सूखे से प्रभावित इलाके और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केन्द्र सरकार को क्या करना चाहिए इस पर बहस का मौका दिया है और इसीलिए इस हाउस में यह चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार जी, हम तो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आये हैं, हम तो आपको सूखा और बाढ़ की जानकारी देने के लिए आये हैं। आपको यहां ज्यादा दिनों तक बैठाने के लिए भी नहीं आये हैं। हम तो जल्दी से जल्दी आपको हाउस से हटाने के लिए आये हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, देश के कई हिस्सों में बाढ़ आती है। जिस नदी में बाढ़ आती है, उस नदी में दूसरी नदी बनाने का विचार होना चाहिए ...*(व्यवधान)* हंसने का कोई सवाल नहीं है। यह बाढ़ का सवाल है। बाढ़ से नुकसान होता है। इसके लिए एक प्लान बनना चाहिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के पास फसल की रक्षा करने का जिम्मा है। आप उसे नहीं रोक सकते। अटल जी इसे रोक नहीं सकते तो आप क्या रोकेंगे? बाढ़ को रोकने के लिए प्लानिंग करने की आवश्यकता है। हम हर सैशन में इस विषय पर चर्चा करते हैं। जहां ज्यादा पानी है, आप उसे सूखे इलाकों में ले जाने का प्रयत्न करें। बम्बई में हर वर्ष बारिश आती है। कोंकण में बारिश आती है। इससे बम्बई के पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: बम्बई नहीं, मुम्बई कहिए।

श्री रामदासे आठवले (पंढरपुर): शिव सेना वाले यहां नहीं हैं, इसलिए आपने यह सवाल उठाया। शिव सेना वाले हाउस में नहीं हैं इसलिए मैंने बम्बई कहा। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा पानी रोकने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। मुम्बई, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वैस्ट बंगाल में समुद्र है। जहां सूखा है, क्या वहां समुद्र का पानी ले जा सकते हैं या नहीं? इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। जहां साल्टिड पानी है उसे नॉन साल्टिड बना कर पीने में उपयोग किया जा सकता है। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। जब तक इस पर जल्दी से जल्दी विचार नहीं करेंगे तब तक आप बच नहीं सकते हैं। ऐसे में आप हमें क्या बचायेंगे? यह आपस का सवाल है। आपके बीच झगड़ा होगा, ऐसा हम नहीं समझते। जब हम एक साथ होंगे तो आपके बीच झगड़ा होगा। हम जब तक एक नहीं होते, तब तक आपके यहां झगड़ा नहीं होगा। इस बारे में सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

महाराष्ट्र में भूकम्प आया था। लातूर और उस्मानाबाद जिले इससे प्रभावित हुए। उसमें कम से कम 10 हजार लोगों की जानें गईं। मेरे मित्र बता रहे थे कि उड़ीसा में 50 हजार से ज्यादा लोगों की जानें गई लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। केन्द्र सरकार के पास बहुत पैसा है। वह पैसा लोगों को मिलना चाहिए। वह केवल मंत्रियों और आप लोगों के लिए नहीं है। उस पर हमारा भी अधिकार है। लोकतंत्र में विरोधी दल को मांग करने का पूरा अधिकार है। हमें बजट में से अपना हिस्सा नहीं चाहिए लेकिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए। वह पैसा देने की कोशिश आपकी सरकार करे। अगर यह काम अच्छा करेंगे तो अच्छी बात है और यदि बुरा किया तो आपका बुरा हाल होने वाला है।

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा): उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं एक मिनट के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय: जी, हां।

श्री पूर्णो ए. संगमा: महोदय, आज की बहस बहुत अच्छी और उपयोगी रही है। इससे स्पष्ट: तीन बातें सामने आयी हैं। पहली बात यह कि पूरे देश में स्थिति वस्तुत: खराब है, दूसरे इस तरफ सरकार के द्वारा तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

[श्री पूर्णो ए. संगमा]

तीसरे, कृषि मंत्रालय अकेले इस समस्या से निपटने में समर्थ नहीं है। भारत सरकार के सभी विभागों के सम्मिलित प्रयास की अपेक्षा है। अतएव, पूरी सभा की तरफ से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बहस का निर्णायक जवाब प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाये। कृषि मंत्री का जवाब एक हस्तक्षेप माना जाएगा। चूँकि इस तरह के गम्भीर मुद्दे पर बहस करने का सभा के पास दूसरा अवसर नहीं होगा। हम लोग चाहेंगे कि अंतिम व निर्णायक जवाब प्रधानमंत्री जी स्वयं दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): हम लोग श्री नीतीश कुमार को सुनने के उत्सुक हैं। किन्तु इस तथ्य के आलोक में कि प्रत्येक सदस्य ने अपनी गम्भीर चिन्ता जताई है जिससे लगता है कि प्रत्येक राज्य प्रभावित है, मैं सोचता हूं कि सरकार को कुछ व्यापक कार्रवाई के संबंध में विचार करना चाहिए और प्रधानमंत्री निर्णायक जवाब दें। प्रधानमंत्री जी कुछ दिनों का समय ले लें और अगले सप्ताह वे अपना जवाब दे दें। इस सभा के सदस्यों की यही राय है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): जल संसाधन मंत्री यहां उपस्थित नहीं है। मैं उनसे जवाब सुनना चाहता हूं। महोदय, इस मुद्दे पर हम आपका विचार जानना चाहते हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय को जवाब देने दें।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): उनका जवाब हस्तक्षेप के रूप में लिया जाना चाहिए।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): अंतत: हम चाहते हैं कि जवाब प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा दिया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक आपदा आई हुई है, उससे जो बरबादी हुई है, उसके संबंध में यहां काफी देर से चर्चा चली है। इस चर्चा में बहुत से माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। इससे पहले मैं हाल ही में यानी कल पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में आये साइक्लोन की अद्यतन स्थिति के बारे में इस सदन को बताना चाहूंगा जो मुझे अभी बहस के दौरान मिली है। पांडिचेरी में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, कई लोगों को सिर की चोटें आई हैं, कई लोगों के फ्रैक्चर्स हुये हैं तथा बड़े पैमाने पर वृक्ष भी उखड़ गये। पॉवर सप्लाई स्नैप हो गई है और कोकोनैट प्लांट्स का एक्सटैंसिव डैमेज हुआ है। तमिलनाडु से जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार वहां सात लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें तीन लोगों की मृत्यु दीवार गिर जाने से हुई है और एक व्यक्ति की मृत्यु पेड़ के नीचे दब जाने से हुई है। इसी प्रकार की कई और दुर्घटनायें भी हुई हैं जिनकी सूचना मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के कई हिस्सों में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में लगातार तीन वर्षों से सूखे का असर है। पिछले साल भी सूखे का काफी असर रहा है। हमारे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक रिजर्वायर्स में पिछले साल जितना पानी था, इसबार उसमें काफी कम है। इसलिए आज स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा मेरी उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हुई है। इन जगहों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है।

इन सब लोगों ने बताया है और उसके संबंध में सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद हमारी तरफ से जो पहली कार्रवाई हो सकती है उसमें हमने यहां पर एक इंटर मिनिस्टीरियल टीम गठित की है। वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का दौरा करके आ चुकी है, उड़ीसा का दौरा चल रहा है। इसी तरह से राजस्थान और गुजरात में भी हमारा टीम भेजने का प्रस्ताव है और सूखे की पूरी जो भी परिस्थिति है, उसके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं। हम सिर्फ जानकारी संकलित करना नहीं चाहते, वहां टीम भेजना एक पहला कदम है। वहां इसके पहले फ्लड का असर हुआ था और सबसे ज्यादा इस साल जो फ्लड का असर हुआ है वह पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल के अलावा और भी जगहों पर इसका असर हुआ है। किसी राज्य का नाम न छूट जाए, लेकिन कई राज्यों में इसका असर हुआ है। बिहार में असर हुआ है, असम में परम्परागत तौर पर असर हुआ है। आंध्र प्रदेश में मैं गया था। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में भी असर हुआ है। कर्नाटक के कुछ जिलों में असर हुआ है और कई जगहों के बारे में भी रिपोर्ट है। कई राज्यों में बाढ़ का असर हुआ है। लेकिन बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही पश्चिम बंगाल में हुई है। इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य जगहों पर जो तबाही हुई है उसे कम करके आंका जाना चाहिए। जहां कहीं भी लोग पीड़ित होते हैं उनके लिए जो कुछ भी संभव हो, राहत कार्य चलाये जाने चाहिए। जो नुकसान होता है उसके फिर से रिस्टोरेशन के लिए कार्रवाई होनी चाहिए।

पश्चिम बंगाल के पहले अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ था वहां भी मैं गया था। जो कुछ अरुणाचल प्रदेश में हुआ था उसका कारण तिब्बत में जो कुछ घटनाएं घटी थीं, उसके चलते हुआ था। तिब्बत में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके चलते हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई। माननीय संगमा साहब का जो प्रदेश है, वहां अक्टूबर महीने में साइक्लोन के असर से कुछ तबाही हुई है। वहां हम सैंट्रल टीम भेजने के बारे में निर्णय कर चुके हैं। इन सब जगहों

के बारे में जहां कहीं से भी रिपोर्ट है, वहां उचित कार्यवाही होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। बंगाल के बारे में बहुत ज्यादा कहा गया, बंगाल के बारे में प्रधान मंत्री जी का निर्देश हुआ, हम लोग तत्क्षण वहां गये।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने ऊपर से देखा, ऐसी परिस्थिति में जो सर्वेक्षण होता है वह ऊपर से ही होता है, ऊपर से ही देखा जाता है। पूरी टीम को लेकर हम वहां गये। वहां हमारी सरकार के साथ बातचीत हुई। हमसे अनेक पार्टियों के लोग भी मिले, उनसे भी चर्चा हुई और इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी मैं देखकर आया था, उसके बाद जब सरकार के साथ वहां बातचीत हुई थी। मुख्य मंत्री जी तथा उनके अन्य मंत्रीगण, अधिकारी हमारे साथ गये हुये थे उनकी विभिन्न विभागों के अधिकारियों, सबके बीच में चर्चा हुई। इसके बाद बाहर अखबार वालों ने जो हमसे पूछा तो जो हमारा आकलन था उससे हमने उन्हें अवगत कराया।

महोदय, यह बात सही है कि पश्चिम बंगाल में जो तबाही और बरबादी हुई है, उससे पूरी तौर पर निपटना अकेले राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति है, हमने यही शब्द कहे थे कि इतने बड़े पैमाने पर जो कुछ भी बरबादी हुई है उसमें राष्ट्रीय स्तर पर सहायता होनी चाहिए। मैंने यही कहा था, वहां सब लोग थे। पश्चिम बंगाल को लेकर यहां और सदन के बाहर कई ढंग की राजनीति होती है। हम सोमनाथ बाबू से कहना चाहते हैं कि कोई भेदभाव नहीं है। यहां सुदीप बाबू ने भी अभी अपनी बात कही, जैसे आपने अपनी बात कही। इसके अलावा सुश्री ममता बनर्जी ने भी हमसे कहा कि यहां से जो भी असैसमेन्ट है उसके आधार पर पश्चिम बंगाल को सहायता मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक भेदभाव का मसला है और हमने, आपने तथा पूरे सदन ने देखा कि इस पर हर पार्टी के लोग बोल रहे हैं, चाहे नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस के सहयोगी हों। यहां वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर सेठी साहब बैठे हुए हैं और इनकी पार्टी बी.जे.डी. के हमारे मित्र बोल रहे हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारी पार्टी के, हमारी राज्य शाखा के अध्यक्ष भी खड़े होकर बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हैं, टी.डी.पी. के लोग बोल रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। बी.जे.पी. के लोग बोल रहे हैं। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो वहां हुई तबाही और बरबादी पर अपने दिल की भावनाएं यहां न रख रही हो और वहां की परेशानी से सदन को अवगत करा रही हो, वहां की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रही है। इसलिए सबसे पहले मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दलगत भेदभाव के आधार पर केन्द्र सरकार की तरफ से कोई मदद देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

रात्रि 9.00 बजे

चाहे वह देश का कोई हिस्सा हो जहां तबाही और बरबादी हुई है, वहां केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और केन्द्र सरकार को निभानी होती है।

कभी कभी कुछ बातें केन्द्र और राज्यों के बीच में छेड़ दी जाती हैं। हम विनम्र प्रार्थना करेंगे कि ऐसे मामलों को जहां प्राकृतिक आपदाओं का सवाल है, वहां केन्द्र और राज्य का मसला नहीं बनाना चाहिए। राज्य सरकार का बुनियादी दायित्व है रिलीफ चलाने का और वह संवैधानिक दायित्व है, हम उसको छीन नहीं सकते हैं। लेकिन केन्द्र का दायित्व उनकी सहायता करना है, उनके काम में मदद पहुंचाना है। यह कहना कि कुछ नहीं हुआ है, केन्द्र ने मदद नहीं की है, उचित नहीं है। केन्द्र ने जो भी संभव हुआ किया है। हम चीजों को यहां गिनाना नहीं चाहते हैं। सोमनाथ बाबू ने जो कहा, सरकारी आंकड़े भी बरबादी के बारे में वही बतलाते हैं, क्योंकि हमारे आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए आंकड़ों का संकलन हैं। इसलिए आप जो भी बोल रहे हैं, उससे हमें नहीं लगता है कि कुछ कठिनाई होगी क्योंकि हमारे पास भी आंकड़े राज्य सरकार द्वारा भेजे गए आंकड़े हैं। हमारे पास इंडीपेन्डेन्ट आंकड़े संग्रह करने का कोई तरीका नहीं है। राज्य सरकार की बात के आधार पर हम अपनी बात कहते हैं। इसमें भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। कई ढंग से सहायता हुई है। पश्चिम बंगाल का जहां तक सवाल है, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री भी यहां आए थे और केन्द्रीय वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा जी से मिलकर बातचीत करके गए। आज पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्री जी से मिले हैं, उनसे भी चर्चा हुई है। जब पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हमारे वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा जी से मिले थे तो मैं यहां नहीं था, फोन पर मेरी बात यशवन्त सिन्हा जी से हुई थी। हर चीज के बारे में जानकारी और सब कुछ दिया जा रहा है। यह बात ठीक है कि जो दसवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर नेशनल कैलामिटी रिलीफ फंड था, वह आज ऐक्जिस्ट नहीं करता है और एक नया कैलामिटी कंटिन्जेन्सी फंड उसकी जगह पर आना है, इसमें कोई शक नहीं है और इस बीच में एक ऐसा ट्रांजीशन का पीरियड है कि उसमें जिस ढंग से पहले मदद दी जाती थी, अब उस ढंग से वह व्यवस्था नहीं है, उसकी जगह पर नयी व्यवस्था को उसका स्थान ग्रहण करना है। इस बीच में कुछ कठिनाइयां आती हैं। हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने इस सदन में जब चर्चा शुरू होनी थी या दूसरे सदन में इस विषय पर कल चर्चा शुरू होनी थी, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृषि मंत्रालय के पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम सदन में आए। अपनी बात रखने से पहले मैंने वित्त मंत्री जी से बात की है। हमने सभी मंत्रालय के लोगों से चर्चा की है कि आप

[श्री नीतीश कुमार]

क्या कर रहे हैं। एक सवाल उठा कि जो राज्यों की डिमांड है, उसमें आपने कितनी मदद की। ये सारी बातें यहां भी कही गई, और कई जगहों पर कही गई। कई मामलों में जो मदद दी जाती है, उसके लिए कुछ नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया जाता है। कुछ मामलों में जो पाबंदियां हैं, उनको उठा लिया जाता है। पहले बताएंगे कि यूटिलाइजेशन हो चुका है तब पेमेन्ट रिलीज की जाएगी। कुछ मामलों में छूट दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा राज्य के खजाने में पहुंचे ताकि उनके लिए रिलीफ के काम को चलाने के लिए और जो जरूरी काम हैं, उनको चलाने के लिए लिक्विडिटी की समस्या या जो वेज और मीन्स की समस्या आती है, वह उत्पन्न न हो। वित्त मंत्री जी ने मुझे कहा कि आप बताइए जो कुछ भी है, पैसे राज्य सरकार खर्च कर रही हैं और जो केन्द्र की तरफ से उनको मिलना है, जब नेशनल कैलामिटी कंटिन्जेन्सी फंड बन जाएगा तो उससे जो मिलेगा वह ऐडजस्ट होगा। इसलिए मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं सारी चिन्ताओं को शेयर करता हूं। हमारा मंत्रालय लगातार मॉनीटर कर रहा है। 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नेशनल सेन्टर फॉर कैलामिटी मैनेजमेंट बनाने के लिए भी सारी कार्रवाई की जा रही है ताकि स्थायी तौर पर सेन्टर बना रहे, जो हर समय देश के विभिन्न हिस्सों में कौन सी प्राकृतिक आपदा आई है, उसको मॉनीटर करता रहे और जो एन.सी.सी.एफ. है, उससे फंड मिलना चाहिए, उसको वह सिफारिशें देता रहे। लेकिन जब तक वह नहीं है, तब तक हम टीम भेज रहे हैं। हमारे पास विभाग में प्रस्ताव आया कि पहले व्यवस्था थी कि टीम जाती थी, फिर इंटर मिनिस्टीरियल मीटिंग होती थी और कृषि मंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग में तय करते थे कि कितना पैसा दिया जाए, आज वह व्यवस्था नहीं है तो टीम भेजने का क्या औचित्य है। यह प्रस्ताव मेरे सामने निर्णय के लिए लाया गया। मैंने कहा कि जब तक नयी व्यवस्था नहीं आ जाती है, तब तक टीम भेजी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, इंटर मिनिस्टीरियल टीम पूरी असैसमेंट करके अपनी पूरी बात रखे ताकि जैसे ही फंड गठित हो, इस रिपोर्ट के आधार पर कुछ काम किया जा सके। इसलिए हमने उसको जारी रखा। वरना इसके बारे में सलाह हो रही थी कि इसका क्या करें। हमारी वित्त मंत्री जी से बात हुई है। इसलिए हम इतना आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसी सत्र में नैशनल कैलेमिटी कंटिनजेंसी फंड बन जाएगा। उसका किस प्रकार से सेंटर बनाना है और क्या-क्या करना है उसके लिए हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। उनको फंड गठित करना है, उसके लिए वे पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और अतिशीघ्र वे आपके बीच में आने वाले हैं। फंड क्रिएट हो जाए, बाकी कार्रवाई जो करनी है वह करते रहें, लेकिन फंड क्रिएट हो जाए हमारी यही कोशिश है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद बाबू ने बिहार के बारे में कहा है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं केन्द्र सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि सेंटर बिहार का सी.आर.एफ. शेयर रिलीज न करे। हमारी इसके बारे में चिन्ता है कि सेंटर शेयर बिहार को मिल जाए। इसके लिए बिहार सरकार को एक अलग एकउंट खोलना था, लेकिन वह एकाउंट खोलने की कार्रवाई बिहार सरकार ने नहीं की। हमने इस डिबेट के बीच में ही वहां से जानकारी ली है, तो हमें मालूम हुआ है कि बिहार सरकार ने अलग एकाउंट खोलने की कार्रवाई कर दी है और आज ही इस बारे में वित्त मंत्रालय में सूचना आई है। हमारी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी सेंटर शेयर बिहार सरकार को मिल जाए। यह काम तीन-चार महीने पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बिहार सरकार ने एकाउंट खोलने में विलम्ब कर दिया। इसलिए इस फंड को भेजने में देरी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमने कभी यह नहीं कहा है कि हमने बिहार सरकार को कुछ ज्यादा दे दिया है। हमने हमेशा कहा है कि बिहार का इतना शेयर बनता है उसमें तीन-चौथाई भाग प्रदेश सरकार को देना है। हालांकि हम जानते हैं कि इस राशि से कैलेमिटी रिलीफ का काम पूरा नहीं होगा। हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही कि बिहार सरकार से कोई डिबेटिंग पाइंट स्कोर करें। हम तो सीधे सच्चे किसान परिवार से हैं। रघुवंश बाबू आप जानते हैं। हमने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही और कभी ऐसा कोई प्रचार नहीं किया। उल्टे हमारे खिलाफ प्रचार होता रहा। हम तो देश के किसान परिवार से जुड़े व्यक्ति हैं। किसान परिवार से होने के कारण हम इस सरकार में हैं। हमने बिहार सरकार पर कभी कोई निराधार आरोप नहीं लगाया और न ही कभी कोई इस प्रकार का प्रैस में बयान दिया है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): मंत्री जी, सी.आर.एफ. अभी रुका ही हुआ है। उसे अभी तक भिजवाया ही नहीं गया है। कृपया शीघ्र भिजवाएं।

श्री नीतीश कुमार: सी.आर.एफ. का तो हमने बता दिया कि नहीं गया। उसके लिए वहां की सरकार को औपचारिकता पूर्ण करनी थी, वह उसने जल्दी नहीं की। अब उन्होंने वह औपचारिकता पूर्ण की है। यहां से जल्दी से जल्दी वह धन भेजा जाएगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: सी.आर.एफ. नहीं गया वहां की सरकार की ढिलाई से और एन.सी.सी.एफ. नहीं गया यहां की सरकार की ढिलाई से, तो दोनों सरकारों की ढिलाई से बिहार की जनता की पिसाई हो रही है। उसे रोका जाए।

श्री नीतीश कुमार: यहां की सरकार की ढिलाई नहीं होने वाली है। जैसा मैंने आपको आश्वस्त किया है। यहां से शीघ्रतिशीघ्र धन जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मैं जानता हूं। वे इतने विनम्र हैं कि उन पर नाराज या क्रोधित होना बहुत ही मुश्किल है। प्रश्न यह है कि जुलाई में, की गयी कार्रवाई रिपोर्ट दी गयी थी। तब से एक सत्र समाप्त हो चुका। जब तक हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया सरकार ने इस कानून को लाने के संबंध में सोचा भी नहीं। इस विलम्ब के क्या कारण हैं? जैसा कि डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा, दूसरे एन.सी.आर.एफ. को रद्द कर दिया गया। किन्तु उसके स्थान पर जिस किसी को लाया जाना था उसे नहीं लाया गया जबकि आपने कहा है कि हम लोग शीघ्र ही इसे ला रहे हैं। यही कारण है कि हम जानना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: सोमनाथ बाबू, हमने वित्त मंत्री जी से बात की है। केवल समय का सवाल था। सदन में इसकी रिपोर्ट आने के बाद सारा कुछ होता, लेकिन इस सदन में वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वह इसी सत्र में आ जाएगा। मैं उनकी तरफ से भी बोल रहा हूं। वैसे मैं सरकार की ओर से बोल रहा हूं, लेकिन विशेष रूप से इस बारे में मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी सत्र में एन.सी.सी.एफ. का गठन हो जाएगा और उसके माध्यम से जो कुछ हमारी टीमों की रिपोर्टें होंगी, उसके आधार पर जो जरूरी कार्रवाई होगी, वह की जाएगी। जो सूखा प्रभावित राज्य हैं। उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कहीं भी कोई भी भूख से मौत की खबर नहीं मिली है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: आपको चाहिए कि तदर्थ रूप से धन जारी करने हेतु हमारे मामले की वकालत करें। तदर्थ रूप से धन जारी किया जाना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार: आज मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री जी की जो बातचीत हुई है, सोमनाथ बाबू उसकी पूरी जानकारी ले लेंगे। हम उसको यहां बताकर सदन का और ज्यादा समय नहीं लेना चाहते।

श्री सोमनाथ चटर्जी: अटल जी ने केवल सुना है, बोला नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: सारी बातें हुई हैं लेकिन सूखाग्रस्त इलाकों के बारे में जहां फूड फॉर वर्क के लिए जिस ढंग से, जितने भी अनाज की जरूरत होगी और जिस ढंग की मदद होगी, वह हम देंगे। अगर किसी प्रदेश में, किसी इलाके में सूखे से खराब स्थिति है या कहीं लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में रोजगार की तलाश में जा रहे हैं तो यह राज्य और केन्द्र के बीच की बात नहीं होगी। राज्य सरकारों को जितनी मदद की आवश्यकता होगी, हर संभव मदद उन्हें केन्द्र सरकार की तरफ से प्रदान करने की चेष्टा होगी। आप सभी जानते हैं कि जो प्राकृतिक आपदायें आती हैं, वे किसी से पूछकर नहीं आती हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि इसके लिए परमानेंट सोल्यूशन की बात होनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि पूरे तौर पर बाढ़ को रोका जा सकता है और बाकी प्राकृतिक विपदाओं के बारे में तो खैर सोचा भी नहीं जा सकता जैसे अर्थक्वेक को कौन रोक देगा, साइक्लोन को कौन रोक देगा? इसी तरह बाढ़ को भी रोका नहीं जा सकता बल्कि उसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए योजनायें जरूर बन सकती हैं और उस दिशा में जितनी भी कार्यवाही करनी होगी, वह हम करेंगे। अभी संगमा साहब ने जो बातें कहीं, वे सही हैं। सचमुच ब्रह्मपुत्र नदी तो देश की एक मेन रिवर है। उस इलाके के लोगों की जो परेशानी है जैसा उन्होंने बताया कि लोग जब तक उसे देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। हम भी गंगा नदी के इर्द-गिर्द रहने वाले हैं। वहां जिस ढंग से कटाव होता है, उसकी समस्या तो हम सब समझ सकते हैं क्योंकि हम उसे देखते हैं। मेरे क्षेत्र में भी कटाव होता है इसलिए उस समस्या को हम जानते हैं कि उससे किस तरह से गांव के गांव नदी के पेट में चले जाते हैं। यह सब लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने की जरूरत होगी। फ्लड को रोकने के लिए नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं लेकिन कुल मिलाकर कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इसका असर कम हो और अगर कहीं कोई आपदा आती है तो प्रबंधन इस ढंग से होना चाहिए कि उसका कम से कम नुकसान हो। सदन को मालम है कि एक उच्चस्तरीय कमेटी आपदा प्रबंधन के लिए बनायी गयी है। उच्चस्तरीय कमेटी ने जितनी प्राकृतिक आपदायें हैं, उसको पांच हिस्सों में बांटकर हर तरह का काम करना प्रारंभ कर दिया है। उसकी रिपोर्ट मार्च के आखिर तक आने की उम्मीद है। उसके बाद एक राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर और नीचे के स्तर तक कि क्या किस ढंग से कौन रिस्पोंड करेगा, किस ढंग से कैसी बात होगी और नये तरह से कोड को अमैंड करके क्या मेजर्स लेने हैं आदि इन सब चीजों पर काम चल रहा है। इंटरिम रिपोर्ट पर कई राज्य सरकारें काम कर रही हैं। इस प्रकार से उसके लिए भी हम सचेत हैं।

जो कुछ भी हो, अंत में हमें इतना जरूर कहना है कि केन्द्र सरकार की तरफ से पूर देश में जहां कहीं भी किसी तरह की विपत्ति है या जो परिस्थिति आज निर्मित हुई है, उससे निपटने के लिए केन्द्र अपनी सीमाओं में, अपने साधन में जो भी संभव है, वह कदम उठाने से नहीं चूकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि उन्होंने सिर्फ कुछ अस्पष्ट वादे किए हैं। पूरी सभा ने बाढ़ के कारण पश्चिम बंगाल में हुए नुकसान के लिए अपनी गम्भीर चिन्ता प्रकट की है। सभी ने हमारे मामले का समर्थन किया और इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। किन्तु बात यह नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल उसे झेल रहा है बल्कि दूसरे राज्य भी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। आज हमें यह जानकर धक्का पहुंचा है कि चक्रवात के कारण एक दिन में संघ शासित प्रदेश पांडिचेरी में भारी क्षति पहुंची है। फिर तमिलनाडु को भी पुनः क्षति पहुंची है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में बहुत गम्भीर स्थिति है।

इसीलिए हम चाहते थे कि प्रधान मंत्री स्वयं इस बहस का जवाब दें क्योंकि यह सीधे कृषि मंत्री के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। किन्तु सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। सिर्फ मोटे तौर पर एक जवाब दे दिया गया है। राहत के रूप में एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। वे एक मृदुभाषी मंत्री है किन्तु उन्होंने सिर्फ गोलमोल वचन एवं आश्वासन दिया है। यद्यपि हम उनका आदर करते हैं फिर भी हम विरोध में सभा से बाहर जा रहे हैं।

रात्रि 9.14 बजे

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: आप केवल बातें करके ही काम चलाना चाहते हैं। हमारा कहना है कि आप राज्यों को पैसा भिजवाइये। हम विरोध में वाकआउट करते हैं।

रात्रि 9.14 बजे

तत्पश्चात् डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): अध्यक्ष महोदय, हम कृषि मंत्री द्वारा दिए गए जवाब को स्वीकार करते हैं, किन्तु आपके पीठासीन होने के पहले श्री संगमा और अन्य सदस्यों द्वारा एक सलाह दी गयी थी कि चूंकि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है, अतएव पूरी बहस का जवाब माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए ताकि एक व्यापक नीति तैयार हो सके। इस पर हम आपका विनिर्णय जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या इस पर सरकार के तरफ कुछ कहा जाना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, श्री संगमा ने जो विचार व्यक्त किए हैं उसका मैं आदर करता हूं। उनकी बात सही है कि जहां तक प्राकृतिक आपदाओं का संबंध है, वे कृषि मंत्री के कार्यक्षेत्र के बाहर हैं।

किन्तु मेरे पास एक छोटी समस्या है। पूर्व अध्यक्ष के रूप में आप और वे दोनों ही समझते होंगे कि नियम 193 के तहत की जा रही बहस के दौरान संबंधित मंत्री को निर्णायक जवाब देना होता है। प्रधानमंत्री द्वारा जवाब दिए जाने के लिए इसे अनिर्णीत नहीं छोड़ा जा सकता।

अधिक से अधिक मैं यह राय दे सकता हूं कि मैं प्रधान मंत्री जी से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करूंगा। यदि वे स्वीकार करते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार वे अगले सप्ताह इस विषय पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं। किन्तु वे अभी जवाब नहीं दे सकते। वे हस्तक्षेप कर सकते हैं। मुझे आपको नियमों के बारे में नहीं बताना है, इसका जवाब संबंधित मंत्री ही देते हैं। इसलिए मेरा यह अनुरोध होगा कि इस जवाब को निर्णायक जवाब नहीं माना जाय।

इस चर्चा के आलोक में मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगले सप्ताह के दौरान वे अपनी सुविधा के अनुसार सोमवार से कभी भी इस मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। यदि सभा स्वीकार करे तो मैं समझता हूं कि यही समाधान है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, आपके द्वारा व्यक्त इच्छा के अनुसार प्रधानमंत्री अपनी सुविधा से बाद में यानी अगले सप्ताह के दौरान अपना वक्तव्य देंगे। तदनुसार, कृषि मंत्री के जवाब के साथ ही यह अल्पकालीन चर्चा समाप्त होती है।

अब सभा कल 1 दिसम्बर, 2000 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 9.18 बजे

तत्पश्चात लोक सभा शुक्रवार 1 दिसम्बर, 2000/10 अग्रहायण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।